चतुर्दश माला, खंड 22, अंक 19

मंगलवार, 22 अगस्त, 2006
31 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

आठवां सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

Gazettes & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FB-025
Block 'G'
Acc. No.....6/.....
Dated....30.OCT.2007

(खंड 22 में अंक 11 से 22 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी.डी.टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

ए.के. सिंह
संयुक्त सचिव

हरनाम दास टक्कर
निदेशक

प्रतिमा श्रीवास्तव
संयुक्त निदेशक-I

सरिता नागपाल
संयुक्त निदेशक-II

अरुणा वशिष्ठ
सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जायेगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जायेगा।)

विषय-सूची

[चतुर्दश माला, खंड 22, आठवां सत्र, 2006/1928 (शक)]

अंक 19, मंगलवार, 22 अगस्त, 2006/31 श्रावण, 1928 (शक)

विषय	कॉलम
सदस्यों द्वारा निवेदन	1–14, 440–451
(एक) विद्यालयों में राष्ट्र गीत "वन्दे मातरम्" के गाये जाने पर विवाद के बारे में	1–14
(दो) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में	440–442
(तीन) मध्य प्रदेश को बाढ़ राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में	444–445
(चार) उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में	445–447
(पांच) बिहार में सूखा प्रभावित किसानों को डीजल पर राज-सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में	448–449
(छह) बिहार के लखीसराय जिले में दलित महिलाओं पर हुए कथित अत्याचार के बारे में	450–451
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
*तारांकित प्रश्न संख्या 361	14–19
प्रश्नों के लिखित उत्तर	
तारांकित प्रश्न संख्या 362 से 385	19–60
अतारांकित प्रश्न संख्या 2787 से 3016	60–406
अल्प सूचना प्रश्न संख्या 1	407–417
सभा पटल पर रखे गए पत्र	417–431
अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी	431–432, 439–440
(एक) गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में	431–432
(दो) विशेषाधिकार के प्रश्न की सूचना के बारे में	439–440
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	433–434
(एक) बारहवें से चौदहवां प्रतिवेदन	433
(दो) विवरण	434

*किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय	कॉलम
कार्यमंत्रणा समिति	
उनत्तीसवां प्रतिवेदन	434
मंत्रियों द्वारा वक्तव्य	434–439
(एक) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी	434–435
(दो) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री शरद पवार	435–436
(तीन) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) पर गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री श्रीप्रकाश जायसवाल	436–437
(चार) अरब टी.वी. चैनलों को जारी रखने की तथ्यात्मक स्थिति	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	437–438
(पांच) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "भारत के समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार (आर.एन.आई.) के कार्यकरण" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति	
श्री प्रियरंजन दासमुंशी	439
अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना	
भारत-नेपाल सीमा पर सीमा सड़क के न होने, जिसके कारण आई एस आई और नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम	463–472
श्री शिवराज वि. पाटील	463–464, 470–472
श्री रघुनाथ झा	463, 464–466
श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव	466–467
संसद सदस्य वेतन-भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2006–पुरःस्थापित	472–475
नियम 377 के अधीन मामले	476–487
(एक) अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में जैतलसर से ढासा तक मीटरगेज रेलवे लाइन का आमान परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता	
श्री वी.के. दुम्मर	476

विषय		कॉलम
(दो)	आंध्र प्रदेश में ''हैंडलूम वीवर्स को-आपरेटिव सोसायटीज के लाभ के लिए ईपीएफ अधिनियम'' में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री डी. विट्टल राव	476–477
(तीन)	तमिलनाडु के पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस चलाए जा रहे ''कोकोनेट शेल बर्निंग इंडस्ट्रीज'' द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता	
	श्री एस.के. खारवेनथन	477
(चार)	बिहार के औरंगाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता	
	श्री निखिल कुमार	478
(पांच)	आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री एम. राजा मोहन रेड्डी	478–479
(छह)	गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा उन किसानों को, जिनकी भूमि का कम्पनी द्वारा अधिग्रहण किया गया है, शेयरों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जीवाभाई ए. पटेल	479
(सात)	गुजरात में प्रभावित औषधियों पर एम.आर.पी. में उत्पाद शुल्क कम करने संबंधी सरकार के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता	
	श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर	479–480
(आठ)	उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	श्री कैलाश मेघवाल	480
(नौ)	उड़ीसा में तलचर-बिमलगढ़ रेल लाईन पर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता	
	श्री जुएल ओराम	480–481
(दस)	मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता	
	श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी	481–482
(ग्यारह)	गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम-मूंदरा रोड को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता	
	श्री पी.एस. गढ़वी	482
(बारह)	पश्चिम बंगाल के मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सुंदरबन क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किए जाने की आवश्यकता	
	प्रो. बसुदेव बर्मन	482–483

विषय		कॉलम
(तेरह)	भारतीय नाविकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता	
	श्री सुनील खां	483
(चौदह)	उत्तर प्रदेश में दो फिलिंग स्टेशनों के बीच पांच किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए एक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता	
	श्री तूफानी सरोज	483–484
(पन्द्रह)	उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मनौरी रेलवे स्टेशन पर 4164 डाऊन संगम एक्सप्रैस तथा चौरी-चौरा एक्सप्रैस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता	
	श्री शैलेन्द्र कुमार	484
(सोलह)	बिहार में मुसहर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उद्धार के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता	
	श्री राजेश कुमार माझी	484–485
(सत्रह)	कृष्णागिरि में एक आयुध कारखाने की शीघ्र स्थापना किए जाने तथा तमिलनाडु के अन्य आयुध कारखानों में विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन करने की आवश्यकता	
	श्री ई.जी. सुगावनम	485
(अठारह)	उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला को-आपरेटिव बैंक के कार्यकरण की निगरानी किए जाने की आवश्यकता	
	मो. मुकीम	486
(उन्नीस)	तमिलनाडु के पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वलपरई के विकास के लिए विशेष पर्वतीय क्षेत्र निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता	
	डा. सी. कृष्णन	486–487
(बीस)	नागालैंड में शांति स्थापना के लिए शीघ्र समाधान निकालने हेतु एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ बातचीत आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता	
	श्री डब्ल्यू.वांग्यू कोन्यक	487
केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006		487–521
विचार करने के लिए प्रस्ताव		488
	श्री शंकर सिंह वाघेला	488
	श्री अनंत कुमार	488–494
	डा. राजेश मिश्रा	494–495
	श्री बसुदेव आचार्य	495–498
	श्री ई.जी. सुगावनम	498–501
	श्री शैलेन्द्र कुमार	501–502

विषय	कॉलम
श्री भर्तृहरि महताब	502–504
श्री एम. शिवन्ना	504–510
श्री सुरेश अंगडि	510
श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश	511–513
श्री मंजुनाथ कुन्नुर	513–514
श्री प्रहलाद जोशी	514–515
श्री आर.एल. जालप्पा	515–516
श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन	516–520
खंड 2 से 15 और 1	521
पारित करने के लिए प्रस्ताव	521
बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005.	521–550
विचार करने के लिए प्रस्ताव	521
श्री पवन कुमार बंसल	521–523
श्री पी.एस. गढ़वी	523–528
श्री के.एस. राव	528–532
श्री लक्ष्मण सेठ	532–534
श्री शैलेन्द्र कुमार	534–535
श्री गणेश प्रसाद सिंह	535–536
श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु	536–539
श्री भर्तृहरि महताब	540–542
श्री पी. चिदम्बरम	542–550
नियम 193 के अधीन चर्चा	
न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण का प्रतिवेदन और उस पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन	550–622
श्री गुरूदास दासगुप्त	551–560
श्रीमती मेनका गांधी	560–597
श्री कपिल सिब्बल	598–617
मोहम्मद सलीम	617–622
अनुबंध-I	
तारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	625–626
अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका	626–632
अनुबंध-II	
तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	633–634
अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका	633–634

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री गिरिधर गमांग

डा. सत्यनारायण जटिया

श्रीमती सुमित्रा महाजन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

श्री मोहन सिंह

श्रीमती कृष्णा तीरथ

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी.डी.टी. आचारी

लोक सभा

मंगलवार, 22 अगस्त, 2006/31 श्रावण, 1928 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सदस्यों द्वारा निवेदन

(एक) विद्यालयों में राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" के गाये जाने पर विवाद के बारे में

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, 'वन्दे मातरम्' गीत का यह शताब्दी वर्ष है। 7 सितम्बर को वन्दे मातरम् गीत अपनाये हुए हमें 100 वर्ष पूरे हो जायेंगे। श्री बंकिम चन्द्र चटर्जी ने जब से यह गीत लिखा, तब से इस गीत ने सारे देश में स्वाधीनता, स्वतंत्रता और राष्ट्रीयता के प्रति राष्ट्र प्रेम पैदा किया है। *...(व्यवधान)* हजारों क्रान्तिकारी इस गीत को गाते हुए फांसी के फंदे पर झूल गए। यहां पर सबसे ज्यादा आश्चर्य की बात यह है कि *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया मुझे सुनने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: वंदे मातरम् सबको अत्यन्त प्रिय है। मुझे नहीं पता समस्या क्या है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, हुआ यह कि श्री अर्जुन सिंह, जो मानव संसाधन विकास मंत्री हैं, उन्होंने यह घोषणा कर दी कि यह गीत स्वैच्छिक है। इस गीत को जो गाना चाहता है, वह गाये और जो नहीं गाना चाहता, वह न गाये। *...(व्यवधान)* यह राष्ट्र गीत का अपमान है, देश का अपमान है। *...(व्यवधान)* यह गीत सात सितम्बर को सारे स्कूलों में अनिवार्य रूप से गाया जाना चाहिए। जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, वे राष्ट्र गीत का विरोध कर रहे हैं। राष्ट्र गीत का विरोध करने वाले लोग राष्ट्र के विद्रोही हैं। *...(व्यवधान)* कल अर्जुन सिंह जी ने जो बात कही, उसे सहन नहीं किया जा सकता। इस देश में राष्ट्र गीत का अपमान सहन नहीं किया जायेगा। जो लोग राष्ट्र गीत को नहीं गाना चाहते, वे देश से जाने के लिए स्वतंत्र हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपकी बात पूरी हो गयी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आगे कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्री दासमुंशी, आप कुछ कहना चाहते हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): जी हां, महोदय। *...(व्यवधान)* यह क्या हो रहा है? आप लोग मुझे बोलने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपने बिना अधिकार के इसका उल्लेख किया था, अब उन्हें उल्लेख करने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: भाजपा के अस्तित्व में आने से काफी पहले भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 'वन्दे मातरम्' गीत गाया था। वन्दे मातरम् का अर्थ क्या है यह हम भाजपा से सीखना नहीं चाहेंगी। संसद में वन्दे मातरम् गाया जाता है और उस समय, धर्म के भेदभाव को भूलकर सभी उठ खड़े होते हैं और सलाम करते हैं। वे साम्प्रदायिक विभाजन करना चाहते हैं जिसकी हम घोर निंदा करते हैं। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पूर्वाह्न 11.04 बजे

(इस समय श्री चंद्रकांत खैरे और कुछ अन्य माननीय सदस्य आए और सभा पटल के निकट खड़े हो गए)

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप 'वंदे मातरम्' के प्रति सम्मान प्रदर्शित कर रहे हैं? क्या वंदे मातरम् के प्रति सम्मान प्रदर्शित करने का यही तरीका है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.05 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

पूर्वाह्न 11.30 बजे

लोक सभा पूर्वाह्न 11.30 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

...(व्यवधान)

(एक) विद्यालयों में राष्ट्रगीत "वन्दे मातरम्" के गाये जाने पर विवाद के बारे में—*जारी*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष महोदय, यहां वंदे मातरम् का प्रश्न हमने उठाया था। यहां अर्जुन सिंह जी बैठे हुए हैं। हम उनसे जानना चाहते हैं कि क्या स्कूलों में इसे गाना कम्पलसरी होगा, मैंडेटरी होगा या नहीं? वंदे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है। हम जानना चाहते हैं कि राष्ट्रीय गीत गाना स्वेच्छा से होगा या नहीं? अर्जुन सिंह जी यहां बैठे हुए हैं, उन्हें स्पष्ट करना चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं माननीय मंत्री को उत्तर देने के लिए बाध्य नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हमें कुछ कार्य करने दीजिए। यह अपने आप में वन्दे मातरम् का सम्मान होगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: इन्हें एपोलोजाइज करना चाहिए।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): जब यह शुरू हुआ था, तब आप कहां थे। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सब बैठ जाएं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब वे खड़े हुए हैं। मेरे विचार से वे उत्तर देना चाहते हैं। यह पूरी तरह से मुझे देखना है। माननीय सदस्यगण, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, यह बहुत ही खेद का विषय है कि देश के राष्ट्रीय गीत को हम विवाद का विषय बना रहे हैं। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: हम विवाद का विषय नहीं बना रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप सुनने की धीरज रखें, मंत्री जी आपके कहने पर ही रिस्पांस कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: पहले आप चाहते थे कि वे बोलें; और जब वे बोलते हैं तब आप उन्हें बोलने नहीं देते। यह क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें क्यो बोलना चाहिए यह आप तय नहीं कर सकते। कोई भी किसी अन्य सदस्य को क्या बोलना चाहिए यह तय नहीं कर सकता।

मंत्री महोदय, यह पूरी तरह से आप पर है।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, वस्तुस्थिति यह है कि प्रधान मंत्री जी ने सभी राजनीतिक दलों की एक समिति बनाई थी। उसमें सभी दलों के अध्यक्ष और नेताओं को नोमिनेट किया था। उस समिति की बैठक हुई थी। उसका उद्देश्य यह था कि देश में अभी से लेकर अगले वर्ष तक कई महत्वपूर्ण घटनाओं को हमें सैलिब्रेट करना था, जैसे 1857 का गदर था, जब देश की आजादी की पहली लड़ाई लड़ी गई थी और फिर भगतसिंह को भी सैलिब्रेट करना था। *...(व्यवधान)*

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द्र खंडूड़ी (गढ़वाल): 1857 का गदर नहीं था, बल्कि आजादी की प्रथम लड़ाई थी। *...(व्यवधान)*

मोहम्मद सलीम: आपको भगतसिंह के सैलिब्रेशन में क्या आपत्ति है। *...(व्यवधान)* आपने रामप्रसाद बिस्मिल की सेंटेनरी भी नहीं मनाई, भगतसिंह की तो मनाने दीजिए। *...(व्यवधान)* हम मनाएंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप माननीय मंत्री को नहीं सुनेंगे तो मैं उनसे कहूंगा कि जवाब नहीं दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: किसी में दूसरे की वार्ता सुनने का धैर्य नहीं है। यह दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: किसी भी अन्य बात को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किए जाने को मैंने अनुमति नहीं दी है। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। माननीय मंत्री को बोलने दें।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: क्या आप लोगों ने ही राष्ट्रभक्ति का ठेका ले रखा है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि अपना स्थान ग्रहण करें। यह वंदे मातरम् से संबंधित विषय है। मैंने स्वयं देखा है।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): महोदय, वे लोग अपने ही मंत्री को बोलने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: इन्हें एपोलोजाइज करना पड़ेगा। इन्हें क्या अधिकार है और इनकी क्या ताकत है, ये हमें राष्ट्रद्रोही नहीं बोल सकते। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने कहा है कि यह हमारे देश के बहुमूल्य गीतों में से एक है। सभी इस रचना से परिचित हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह उचित नहीं है। कृपया बाधा न पहुंचाएं। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। कृपया अपनी सीट पर बैठें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय मंत्री के वक्तव्य को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं किसी चीज की अनुमति नहीं दूंगा। केवल माननीय मंत्री का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मो. सलीम, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, श्री आचार्य, अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप सभी अपना स्थान ग्रहण करें। आप चाहते थे कि मंत्री महोदय जवाब दें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्हें हटा दिया जाएगा। उन सभी शब्दों को हटा दिया जाएगा। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप सब बैठ जाइए। आप अधीर मत होइए। आप सभी इस सभा के माननीय सदस्य हैं। हम सबने संविधान के अनुसार काम करने की शपथ ली है जोकि इस देश का सर्वोच्च कानून है। इसका यह अर्थ है कि हम सबने इसे स्वीकार किया है। हममें से प्रत्येक ने इसे स्वीकार किया है। हम सबने जो इस सभा के सम्माननीय सदस्य हैं, इसे स्वीकार किया है। हम एक-दूसरे का अनादर न करें।

आपने एक मुद्दा उठाया है। माननीय मंत्री जी इसका उत्तर दे रहे हैं। उन्हें उत्तर देने दें। यदि आप कुछ कहना चाहते हैं तो कहने के कई तरीके हैं। आप सूचना दें। यदि आप चर्चा करना चाहते हैं तो मैं इसकी अनुमति दे दूंगा। किंतु यदि आप एक-दूसरे की बात नहीं सुनेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अब, माननीय मंत्री जी बोलेंगे। केवल उनका वक्तव्य ही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: अध्यक्ष महोदय, मैं सदन से निवेदन कर रहा था कि माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो सर्वदलीय बैठक हुई थी, उसमें आडवाणी जी भी थे। उस बैठक में निर्णय लिया गया कि *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे मंत्री जी को अपने तरीके से चलाना चाहते हैं। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मिनिस्टर को सुनिये। आप लोग अगर नहीं जानते, तो हम क्या करें।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अगर वे सच नहीं बोल रहे हैं तो आप उन्हें सभा की अवमानना हेतु दंडित कर सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री अर्जुन सिंह: उस बैठक में निर्णय लिया गया, इन विषयों को लेकर, कि इसकी शताब्दी या किसी का साठवां वर्ष जब आता है, वह देश को मनाना है। उसी में वंदे-मातरम् के संबंध में चर्चा हुई और वंदे-मातरम् का सौवां वर्ष मनाने का फैसला किया गया। उसी फैसले के तहत, 7 सितम्बर को, जब इसके 100 वर्ष पूरे होते हैं, उस समय क्या करना है, यह विषय कल्चरल डिपार्टमेंट के सामने आया। उन्होंने मुझसे कहा कि बंदे मातरम् को मनाने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि देश के अंदर सब लोग सामूहिक रूप से इसका गायन करें। इसलिए मैंने देश के सभी मुख्यमंत्रियों को लिखकर भेजा कि 7 तारीख को ऐसे आयोजन हर जगह होने चाहिए। इसमें क्या गलती है? *...(व्यवधान)* अब सवाल यह है कि मैंने किसी से यह नहीं कहा कि किसी को जबर्दस्ती उसमें शामिल करना है, जो शामिल होता है, वह गाये, इसमें किसको एतराज है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब हम प्रश्न काल पर चर्चा करते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आइए, अब काम शुरू करते हैं। प्रश्न काल काफी महत्वपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि आप चाहते हैं तो आप किसी भी चर्चा हेतु सूचना दे सकते हैं। आप सूचना दें। आप कुछ सूचना दें और मैं इसे देखूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह कहा गया है कि इस वर्ष 7 सितम्बर को 'वंदे मातरम्' की शताब्दी मनाई जाएगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, इसमें जबरदस्ती का क्या मामला है? कल को राष्ट्रगान के बारे में कहेंगे, देश के संविधान के बारे में कहेंगे। *...(व्यवधान)* इसके प्रोटेस्ट में, हम श्री अर्जुन सिंह के वक्तव्य का विरोध करते हैं। उन्हें माफी मांगनी चाहिए। उन्होंने देश का अपमान किया है, इस पर कार्यवाही होनी चाहिए। इसके विरोध में हम सदन से वाकआउट करते हैं।

पूर्वाह्न 11.41 बजे

(तत्पश्चात् प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा और कुछ अन्य सदस्य सदन से बाहर चले गए)

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा नहीं कर सकते है। यह समय उस पर चर्चा करने का नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब प्रश्न-काल को आगे बढ़ाते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपकी कोई बात सुनने में नहीं आ रही है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: कृपया आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अब प्रश्न संख्या 361 पर विचार करते हैं।

[हिन्दी]

आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

आपने अपनी बात कह दी है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आपके अध्यक्ष जी बोल रहे हैं। अध्यक्ष जी क्या करेंगे? अध्यक्ष जी को कुछ करना नहीं है। आप कुछ सुनते भी नहीं है। हमने कहा है कि

[अनुवाद]

यदि आप इस पर चर्चा करना चाहते हैं तो आप सूचना दें। यदि आपको माननीय मंत्री का वक्तव्य पसन्द नहीं है तो आप पर्याप्त चर्चा कीजिए। मैंने इसे कभी नहीं रोका है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने पीठ से यह कहा है कि 'वंदे मातरम्' भारत की मर्यादा, भारत की आजादी की लड़ाई का एक भाग है। हरेक वंदे मातरम् का आदर करता है। ऐसा कोई भी नहीं है जिसने ऐसा न किया हो।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: कृपया सहयोग करें। कई महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। आपका मुद्दा उठाया गया है और माननीय मंत्री जी ने इसका उत्तर दिया है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्री चौबे, आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है कि 'वंदे मातरम्' को भी विवाद का विषय बना दिया गया है। यह काफी दुर्भाग्यपूर्ण है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मुझे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

कुमारी ममता बैनर्जी: माननीय अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है। *...(व्यवधान)*

संसदीय कार्य मंत्री और सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, वे प्रो. मल्होत्रा के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। *...(व्यवधान)* उन्होंने उनके सभा से बहिर्गमन करने के आह्वान का उत्तर नहीं दिया है। *...(व्यवधान)* वे प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा के नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं एक बार से अधिक बार ऐसा कर चुका हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): अध्यक्ष महोदय, वंदे मातरम् भारतीय संविधान का प्रतीक है। यह इसका अपमान कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैं आपके खिलाफ कार्यवाही करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री आठवले, बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं सदैव ही अनुरोध करता रहा हूं कि किसी महत्वपूर्ण मामले में, निश्चित रूप से ही इसे उठाने के लिए आपको अवसर देना मेरा कर्त्तव्य है। यहां, आपसे अनुरोध है कि इसे 12 बजे उठाने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन आपने उसे अब उठाया है। मैं पहले ही दो बार टिप्पणी कर चुका हूं कि देश में वन्दे मातरम् के महत्व को कोई कम नहीं कर सकता है।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वे ऐसा कह चुके हैं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उन्होंने ऐसा नहीं कहा है। यह अच्छी बात नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपने मुद्दा उठाया। आप मंत्री जी से उत्तर चाहते हैं। मैंने उनसे नहीं कहा है। वे स्वेच्छा से उत्तर देना चाहते हैं। उन्होंने उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि वन्दे मातरम् का शताब्दी समारोह पूरे देश में मनाया जाएगा। सरकार ने निर्णय लिया है। वन्दे मातरम् के प्रति अनादर का कोई प्रश्न ही नहीं है। कृपया सभा की कार्यवाही चलने दें और आप क्या चाहते हैं?

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, कृपया मुझे केवल एक मिनट के लिए अनुमति दीजिए। *...(व्यवधान)*

महोदय, मैं सरकार के प्रति भी आभारी हूं कि उन्होंने मुझे भी समिति के सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया है, लेकिन मुझे बैठक के स्थान के बारे में नहीं बताया गया।

महोदय, मैं केवल यही कहना चाहती हूं कि वन्दे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है। यह कोई मायने नहीं रखता कि यह किसने लिखा है। *...(व्यवधान)* इसके लेखक इकबाल हो सकते हैं, इसके लेखक बंकिम चन्द्र हो सकते हैं। *...(व्यवधान)* महोदय, पहले आप अपने सदस्यों को नियंत्रण में कीजिए। हद हो गई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सब सदस्य नियंत्रित हैं। सभा को नियंत्रित करने के लिए मैं आपको अध्यक्ष-पीठ पर आसीन कर देता हूं।

...(व्यवधान)

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, वन्दे मातरम् हमारा राष्ट्रीय गीत है। *...(व्यवधान)* हमारे राष्ट्रीय गान के लेखक रविन्द्र नाथ टैगोर है। महोदय, हम इसका सम्मान करते हैं तथा सभी इसका सम्मान करते हैं। मैं समझती हूं इस पर कोई विवाद नहीं होना चाहिए। *...(व्यवधान)* इकबाल ने "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा" लिखा है। हम नहीं सोचते हैं कि यह किसने लिखा है, चाहे वह हिन्दू है या मुस्लिम है। हम इस गीत से प्यार करते हैं। हम वन्दे मातरम् से प्यार करते हैं। हम 'जन गण मन' से प्यार करते हैं। हम "सारे जहां से अच्छा हिन्दुस्तां हमारा" से प्यार करते हैं। इसलिए इस बारे में कोई विवाद नहीं होना चाहिए। हम राष्ट्रीय गीत, राष्ट्रीय गान तथा 'सारे जहां से अच्छा" का पूरा मन से सम्मान करते हैं। मेरा सभा से अनुरोध है कि वे इस तरह से न बंटे, क्योंकि हमें हमारे देश के विचारों, भावनाओं, अखण्डता, एकता तथा धर्मनिरपेक्षता का सम्मान करना है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अब यह लम्बे समय तक नहीं चल सकता है।

पूर्वाह्न 11.50 बजे

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: प्रश्न संख्या 361-श्री सुग्रीव सिंह। आप अपना प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आपको सभा की कार्यवाही में व्यवधान डालने का अधिकार नहीं है। आपके द्वारा दी गई सूचना आपको व्यवधान पैदा करने का अधिकार नहीं देती। मुझे खेद है, मैंने दूसरे माननीय सदस्य को भी बोलने के लिए नाम पुकारा है। आप प्रश्न पूछिए।

...(व्यवधान)

जनजातीय उत्पादों की बिक्री

*361. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री रामदास आठवले:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) के कार्यकरण की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष ट्राइफेड की राज्यवार उपलब्धियां क्या रहीं;

(ग) क्या ट्राइफेड आदिवासियों द्वारा विनिर्मित उत्पादों की बिक्री में सहायता प्रदान करता है;

(घ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष में प्रदान की गई सहायता सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं कि आदिवासियों को उनके उत्पादों का लाभकारी मूल्य मिले?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): महोदय, (क) से (ङ) के संबंध में एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है।

विवरण

(क) जी, हां। भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ लि. (ट्राइफेड) ने अपने कार्यों एवं निष्पादन को सुधारने के लिए संगठन के पुनर्गठन सहित एक नैदानिक अध्ययन संचालित कराने एवं एक प्रचालनात्मक योजना तैयार करने के लिए वर्ष 2002 में निजी परामर्शदाताओं की एक फर्म को अनुबंधित किया। नैदानिक अध्ययन के आधार पर परामर्शदाताओं ने ट्राइफेड की भूमिका को लघु वन उत्पादों की अधिप्राप्ति एवं विपणन से संबंधित एजेंसी से विपणन विकास कार्यों में परिवर्तित करने की सिफारिश की है। तद्नुसार वर्ष 2002-03 में ट्राइफेड ने जनजातीय उत्पादों के सेवा प्रदाता और विपणन विकासकर्त्ता की भूमिका निभाने के लिए अपने क्रियाकलापों का पुनर्गठन किया।

ट्राइफेड ने जुलाई, 2002 के बाद अपने कार्यों में जनजातीय उत्पादों के व्यापार से ध्यान हटाकर वास्तविक बाजार विकास गतिविधियों पर ध्यान देना प्रारंभ कर दिया है। तदनुसार, ट्राइफेड के उपनियमों में संशोधन किए गए। नए उपनियम अपने सदस्य समितियों को सेवा प्रदाता के रूप में इसके उद्देश्यों एवं भूमिका को स्पष्ट रूप से परिभाषित करते हैं।

(ख) से (घ) पिछले तीन वर्षों में जनजातीय उत्पादों की खरीद के लिए ट्राइफेड द्वारा दी गई राज्यवार सहायता के ब्यौरे तथा ट्राइफेड द्वारा की गई बिक्री के वर्षवार ब्यौरे संलग्न अनुबंध में दिए गए हैं।

(ङ) यह सुनिश्चित करने के लिए कि जनजातियों को उचित खरीद प्रक्रिया से लाभ हो, ट्राइफेड ने अपने क्षेत्रीय कार्यालयों को ये कड़े दिशानिर्देश जारी किए हैं कि वे लाभकारी मूल्य पर केवल व्यक्ति जनजातीय कारीगरों/जनजातीय समूहों, गैर-सरकारी संगठनों, सहकारी राज्य परिसंघों इत्यादि से ही उत्पाद खरीदें। इस प्रणाली का मुख्य उद्देश्य बिचौलियों को शामिल किए बिना जनजातीय कारीगरों के लिए अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना है।

ट्राइफेड लघु वन्य उत्पाद (एमएफपी) मदों के लिए थोक आदेश प्राप्त करके जनजातीय उत्पादों के लिए बाजार बढ़ाने की एजेंसी के रूप में भी कार्य कर रहा है। जनजातीय उत्पादकों के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करने के बाद इन मदों की आपूर्ति की जाती है।

अनुबंध

(क) पिछले तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष में ट्राइफेड द्वारा किए गए जनजातीय उत्पादों की गई खरीद एवं बिक्री का मूल्य दर्शाने वाली सारणी।

(मूल्य लाख रुपए में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (अप्रैल-जुलाई)
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश	0.43	2.14	15.86	
छत्तीसगढ़	5.13	7.77	36.19	
गुजरात	2.91	4.82	21.98	
हिमाचल प्रदेश	4.60	7.11	24.87	
कर्नाटक	0.57	0.00	2.31	
महाराष्ट्र	0.19	0.52	2.30	
मध्य प्रदेश	0.25	0.84	9.08	

1	2	3	4	5
असम	6.10	1.47	13.90	
मणिपुर	0.72	1.73	4.41	
मेघालय	0.00	0.01	0.10	
त्रिपुरा	0.00	0.01	0.10	
नागालैंड	0.15	1.53	3.32	
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00	0.96	
सिक्किम	0.42	0.74	1.18	
मिजोरम	0.05	0.19	0.60	
उड़ीसा	3.55	5.89	33.34	
राजस्थान	0.32	1.46	4.93	
तमिलनाडु	0.07	0.30	0.01	
उत्तरांचल	0.21	0.71	3.71	
पश्चिम बंगाल	0.02	0.07	0.09	
झारखंड	0.79	1.12	7.20	
केरल	0.20	0.00	0.00	
उत्तर प्रदेश	0.00	1.22	0.59	
जम्मू-कश्मीर	0.00	0.38	3.16	
कुल	26.69	40.03	190.19	100.00*

*राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

(क) पिछले तीन वर्षों में एवं चालू वर्ष में ट्राइफेड द्वारा किए गए जनजातीय उत्पादों की गई खरीद एवं बिक्री का मूल्य दर्शाने वाली सारणी।

(मूल्य लाख रुपए में)

राज्य	2003-04	2004-05	2005-06 (अनंतिम)	2006-07 (अप्रैल-जुलाई)
ट्राइफेड द्वारा बिक्री मूल्य	39.75*	50.86*	165.87*	55.99*

*राज्य-वार ब्यौरे उपलब्ध नहीं है।

[हिन्दी]

श्री अनंत गंगाराम गीते: अध्यक्ष महोदय, यह वंदे मातरम् और आजादी की जंग का अपमान है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें। प्रश्न सं. 361 पर श्री सुग्रीव सिंह के पूरक प्रश्न के सिवाय एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: क्या आप न्याय कर रहे हैं? क्या ऐसे करके आप वन्दे मातरम् के प्रति सम्मान दर्शा रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री सलीम, कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

अध्यक्ष महोदय: आप सभी कृपया अपनी-अपनी सीटों पर बैठ जाइए। श्री सुग्रीव सिंह।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, आप सभा को चलने देना चाहते हैं या नहीं? यदि आपकी इच्छा सभा को नहीं चलने देने की है, तो हमें घर वापस चले जाना चाहिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इस देश की जनता निर्णय करेगी।

...(व्यवधान)

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

शिक्षा का व्यवसायीकरण

***362. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या शिक्षा के व्यवसायीकरण संबंधी राष्ट्रीय कार्यदल ने व्यवसायिक शिक्षा कार्यक्रम की समीक्षा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त दल की सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने राज्य सरकारों को इन सिफारिशों को लागू करने के अनुदेश जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वरिष्ठ माध्यमिक स्तर पर उपलब्ध विषय-समूह उच्चतर शिक्षा हेतु उपलब्ध विषयों से मेल नहीं खाता है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने हेतु क्या उपचारात्मक कदम उठाए गए हैं कि छात्र उच्चतर शिक्षा में प्रवेश लेने से वंचित नहीं हों?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (घ) बेरोजगारी की चुनौतियों का सामना करने और उच्चतर शिक्षा में छात्रों की अत्यधिक संख्या को कम करने के लिए विभिन्न स्तरों पर व्यावसायोन्मुख शिक्षा की अवधारणा को तैयार करने के उद्देश्य से डा. वी.सी. कुलन्दैस्वामी की अध्यक्षता में एक राष्ट्रीय कार्यकारी समूह गठित किया गया था। समूह की अगस्त, 1985 की रिपोर्ट में निहीत सिफारिशों तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति, 1986 की सिफारिशों के आधार पर +2 स्तर पर माध्यमिक शिक्षा को व्यावसायोन्मुख बनाने की केन्द्रीय प्रायोजित योजना तैयार की गई और इसे वर्ष 1987-88 के दौरान शुरू किया गया। इस योजना को तैयार करने के लिए सिफारिशों पर विचार करते समय राज्य सरकारों से परामर्श किया गया। इस योजना के कार्यान्वयन की निम्नलिखित द्वारा समीक्षा की गई:-

(i) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अध्यक्षता वाला कार्यकारी समूह-1998; और

(ii) निदेशक, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद की अध्यक्षता वाला विशेषज्ञ समूह-2001

इन समूहों की मुख्य सिफारिशों में निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) शिक्षा में व्यावसायोन्मुख कार्यक्रम के प्रति दृष्टिकोण और व्यवहार में नीतिगत परिवर्तन।

(ii) विद्यमान केन्द्रीय प्रायोजित योजना की विशेषताओं में परिवर्तन।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

(iii) विभिन्न स्तरों पर चल रहे सभी व्यावसायोन्मुख शिक्षा कार्यक्रमों का समेकन एवं सुदृढ़ीकरण।

(iv) ट्रेड, उद्योग और व्यापार के बीच संबंधों को सुधारना।

(v) कौशल जांच और क्षमता प्रमाणीकरण के लिए उपयुक्त तंत्र तैयार करना।

(vi) अधिक गतिशीलता के लिए सुविधाएं प्रदान करना।

(vii) कक्षा viii के पश्चात् व्यावसायोन्मुख शिक्षा उपलब्ध कराना।

(viii) रोजगार क्षमता को बढ़ाने के लिए बहु कौशल प्रशिक्षण हेतु प्रावधान।

(ix) बहु प्रवेश और बहु निकासी स्वरूप पर पाठ्यचर्या तैयार करना।

(x) उच्च स्तर की क्षमता प्राप्त करने हेतु किसी भी समय किसी भी विधा में प्रवेश लेने हेतु प्रावधान।

(ङ) और (च) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा सीनियर सैकेन्डरी स्तर पर 79 व्यावसायिक एवं कौशल आधारित पाठ्यक्रम प्रदान किए जा रहे हैं। विभिन्न राज्यों में भी इसी प्रकार के पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। यद्यपि इन सभी पाठ्यक्रमों के लिए मिलते जुलते पाठ्यक्रम उपलब्ध नहीं है, तथापि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्वावधान में अवर स्नातक डिग्री स्तर पर 300 कैरियर उन्मुख पाठ्यक्रम प्रदान किए जाते हैं। मुख्य विधा के साथ-साथ व्यावसायोन्मुख शिक्षा के तहत सीनियर सैकेन्डरी स्तर पर उपलब्ध विद्यमान विषयों के समूह से छात्रों को किसी भी विधा में किसी भी विषय समूह का चयन करने का विकल्प उपलब्ध होगा। व्यावसायोन्मुख विधा के छात्रों को इंजीनियरी, चिकित्सा आदि सहित विभिन्न विषयों में उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने हेतु सक्षम बनाने के उद्देश्य से कुछ राज्य सरकारों ने लचीले पाठ्यक्रमों/पाठ्यचर्या की शुरूआत की है।

स्व-सहायता ग्रुप

***363. श्री एस.के. खारवेनथन:**
श्री जी.एम. सिद्दीश्वर:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न राज्यों में महिला सशक्तीकरण हेतु राज्य-वार कितने स्व-सहायता ग्रुप कार्य कर रहे हैं;

(ख) क्या स्व-सहायता ग्रुपों को अभीष्ट परिणाम प्राप्त करने में सफलता मिली है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा स्व-सहायता ग्रुप आंदोलन सभी जगह शुरू करने के लिए क्या पहल की गई है;

(घ) क्या सरकार स्व-सहायता ग्रुपों के कार्य-निष्पादन के मूल्यांकन हेतु समय-समय पर टीम भेजती रहती है;

(ङ) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष और चालू वर्ष में केन्द्रीय दल द्वारा किए गए दौरों का ब्यौरा क्या है;

(च) क्या केन्द्रीय दल ने इन स्व-सहायता ग्रुपों के समक्ष आ रही समस्याओं के बारे में बताया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उस पर क्या कार्रवाई की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के स्वयंसिद्धा तथा स्व-शक्ति नामक दो कार्यक्रमों के अंतर्गत महिला सशक्तिकरण हेतु गठित किए गए स्व-सहायता दलों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दर्शाई गई है।

(ख) और (ग) जी, हां। मंत्रालय की स्कीमों की उपलब्धियों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दर्शाया गया है।

भारत सरकार द्वारा केवल छह वर्ष की अवधि के लिए अनुमोदित की गई स्व-शक्ति परियोजना 30.6.2005 को सफलतापूर्वक सम्पन्न हुई। आरम्भ में 2000-01 से 31.3.2006 तक की अवधि हेतु अनुमोदित की गई मौजूदा स्कीम, स्वयंसिद्धा की अवधि 31.3.2007 तक बढ़ाई गई है।

(घ) और (ङ) स्व-शक्ति परियोजना के अंतर्गत, पर्यवेक्षण मिशनों ने परियोजना के अंत तक राज्यों का प्रति वर्ष दो बार दौरा किया। इन मिशनों में विश्व बैंक के प्रतिनिधि तथा परियोजना के केन्द्रीय एकक के अधिकारी शामिल थे। उक्त मिशनों के अतिरिक्त, केन्द्रीय परियोजना अधिकारियों ने भी परियोजना के मानीटरन तथा मार्गदर्शन हेतु राज्यों में परियोजनाओं के नियमित रूप से दौरे किए।

स्वयंसिद्धा के अंतर्गत मानीटरन मुख्यत: तिमाही प्रगति रिपोर्टों तथा तिमाही समीक्षा बैठकों के माध्यम से किया जाता है।

इन दोनों परियोजनाओं का मूल्यांकन बाहरी अभिकरणों ने किया।

(च) और (छ) जी, हां। मानीटरन रिपोर्टों तथा मूल्यांकन रिपोर्टों में यह दर्शाया गया कि स्व-सहायता दलों के समक्ष आ रही समस्याएं मुख्यत: निम्नलिखित से संबंधित हैं:

(क) अपर्याप्त प्रशिक्षण निवेश;

(ख) राज्य स्तर पर परियोजना कार्यान्वयनकर्ता अभिकरणों को निधियों की निर्मुक्ति; तथा

(ग) स्व-सहायता दलों के उत्पादों का विपणन।

इन समस्याओं के समाधान हेतु की गई कार्रवाई इस प्रकार है:

(क) प्रशिक्षण संबंधी समस्याओं का समाधान प्रशिक्षण हेतु निवेशों में वृद्धि करके किया गया।

(ख) परियोजना कार्यान्वयनकर्त्ता अभिकरणों को निधियों की निर्बाध निर्मुक्ति सुकर बनाने के उद्देश्य से राज्यों को विभिन्न स्तरों पर पत्र लिखे गए।

(ग) स्व-सहायता दलों के उत्पादों के विपणन से संबंधित समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से मुख्यत: स्व-सहायता दलों के उत्पादों के खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग नेटवर्क के माध्यम से विपणन के लिए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के साथ 9.9.2005 को समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

विवरण I

गठित स्व-सहायता दलों की संख्या

क्र.सं.	राज्य	गठित स्व-सहायता दल	
		स्वयंसिद्धा	स्व-शक्ति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	3874	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	263	–
3.	असम	2400	–
4.	बिहार	6324	441
5.	छत्तीसगढ़	1713	560
6.	गुजरात	2772	2706
7.	हिमाचल प्रदेश	800	–
8.	हरियाणा	1300	1550
9.	जम्मू-कश्मीर	1250	–
10.	झारखंड	2427	1687
11.	कर्नाटक	2992	2149
12.	केरल	2390	–
13.	मध्य प्रदेश	3667	2462
14.	महाराष्ट्र	3885	–
15.	मणिपुर	300	–
16.	मेघालय	531	–
17.	मिजोरम	301	–
18.	नागालैण्ड	600	–
19.	उड़ीसा	3600	–
20.	पंजाब	1823	–
21.	राजस्थान	3000	–
22.	सिक्किम	572	–
23.	तमिलनाडु	5452	–
24.	त्रिपुरा	327	–
25.	उत्तर प्रदेश	8466	5530
26.	उत्तरांचल	1100	571
27.	पश्चिम बंगाल	5184	–
28.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	149	–
29.	दिल्ली	175	–
30.	लक्षद्वीप	226	–
31.	पाण्डिचेरी	300	–
	कुल	68,163	17,647

विवरण II

महिला और बाल विकास मंत्रालय की स्कीमों की उपलब्धियां

क्र.सं.	घटक	स्वयंसिद्धा	स्व-शक्ति
1.	गठित स्व-सहायता दलों की संख्या	68,163	17,647
2.	सदस्याओं की संख्या	9,94,492	2,43,962
3.	गठित समूहों की संख्या	8,126	1,213
4.	बचत राशि (रुपये लाखों में)	8,663.20	2,575.38
5.	ऋणों का परस्पर लेन-देन करने वाले स्व-सहायता दलों की संख्या	55,649	16,846
6.	पारस्परिक ऋण की राशि (रुपये लाखों में)	6,387.96	6,145.75
7.	बैंकों से जुड़े स्व-सहायता दलों की संख्या	61,060	12,256
8.	बैंकों द्वारा दिए गए ऋणों की राशि (रुपये लाखों में)	8,653.18	3,659.37
9.	सरकारी स्कीमों से जुड़े स्व-सहायता दलों की संख्या	30,617	14,743
10.	निर्मित सामुदायिक परिसंपत्तियों की संख्या	2,540	1,934

पूर्वोत्तर राज्यों के लिए आई.सी.डी.एस.

***364. श्री भर्तृहरि महताब:**
श्री परसुराम माझी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश के विभिन्न राज्यों में समेकित बाल विकास सेवाओं (आई.सी.डी.एस.) के अंतर्गत आरंभ किए गए विभिन्न कार्यक्रमों से सरकार को प्राप्त उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार पूर्वोत्तर राज्यों हेतु आई.सी.डी.एस. में संशोधन करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या ये संशोधन देश के अनुसूचित क्षेत्रों के लिए भी प्रस्तावित हैं; और

(ङ) यदि हां, तो पूर्वोत्तर राज्यों और देश के अन्य अनुसूचित क्षेत्रों में ये संशोधन कब तक क्रियान्वित होने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.-डी.एस.) एक केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम है, जिसका उद्देश्य अन्य बातों के साथ-साथ, 6 वर्ष से कम आयु के बच्चों के पोषण एवं स्वास्थ्य स्तर में सुधार करना है। यह स्कीम पूर्वोत्तर राज्यों तथा अनुसूचित क्षेत्रों सहित देश के सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में क्रियान्वित की जा रही है।

31.3.2003 तक स्वीकृत 5652 आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं में से 4531 परियोजनाएं देश के ग्रामीण क्षेत्रों में, 763 जनजातीय क्षेत्रों में तथा 358 शहरी (मलिन बस्तियों) क्षेत्रों में थीं। इन 5652 परियोजनाओं में से 440 परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में थीं। सरकार ने वर्ष 2005-06 में 466 और आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं को स्वीकृति प्रदान की है, जिनमें से 257 ग्रामीण क्षेत्रों में, 46 जनजातीय क्षेत्रों में तथा 163 शहरी क्षेत्रों में है। इन 466 परियोजनाओं में से 72 परियोजनाएं पूर्वोत्तर राज्यों में हैं। इसी प्रकार, 31.3.2003 तक भारत सरकार द्वारा स्वीकृत 7.58 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 42999 आंगनवाड़ी केन्द्र पूर्वोत्तर राज्यों में हैं तथा सरकार द्वारा 2005-06 में संस्वीकृत 1.88 लाख आंगनवाड़ी केन्द्रों में से 11502 आंगनवाड़ी केन्द्र पूर्वोत्तर राज्यों में हैं।

पूर्वोत्तर राज्यों की विशेष जरूरतों के मद्देनजर, सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु निर्धारित मंत्रालय के बजट में से आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण को भी स्वीकृति प्रदान की है, हालांकि स्कीम के अंतर्गत सामान्य रूप से, देश के अन्य भागों में आंगनवाड़ी केन्द्रों के निर्माण का प्रावधान नहीं है। इसके अलावा, विरल आबादी वाले जनजातीय क्षेत्रों में आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं एवं आंगनवाड़ी केन्द्रों की स्वीकृति हेतु जनसंख्या मानक भी देश के अन्य भागों की तुलना में कम हैं।

इस प्रकार, सरकार ने आई.सी.डी.एस. स्कीम में पूर्वोत्तर राज्यों एवं अनुसूचित/जनजातीय क्षेत्रों को पर्याप्त रूप से शामिल करने के लिए आवश्यक उपाय किए हैं।

इस स्कीम के प्रभाव में सुधार करने के लिए सरकार ने पिछले लगभग दो वर्षों में कई उपाय किए हैं। इन उपायों में प्रमुख इस प्रकार हैं:

(i) पूरक पोषण हेतु वित्तीय मानकों को दोगुना करना।

(ii) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पूरक पोषण की 50 प्रतिशत लागत का भुगतान करना।

(iii) पूरक पोषण के लाभार्थियों के चयन हेतु गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन अब मानक नहीं रहा है।

31.3.2003 तक स्वीकृत काफी परियोजनाएं एवं आंगनवाड़ी केन्द्र गत लगभग दो वर्षों के दौरान प्रचालित हो चुके हैं, जिसके परिणामस्वरूप लाभार्थियों की संख्या में निम्नानुसार वृद्धि हुई है:

	प्रचालित परियोजनाओं की संख्या	प्रचालित आंगनवाड़ी केन्द्रों की संख्या	पूरक पोषण के लाभार्थियों की संख्या	शाला-पूर्व शिक्षा के लाभार्थियों की संख्या
31.03.2004	5267	649307	415.08 लाख	204.38 लाख
31.03.2005	5422	706872	484.42 लाख	218.41 लाख
31.12.2005	5653	745943	546.71 लाख	237.64 लाख

(ख) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

समेकित वस्त्र पार्कों हेतु योजना

***365. श्री महेश कनोडीया:**
श्री पी.एस. गढ़वी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विद्यमान वस्त्र योजनाओं का विलय करके समेकित वस्त्र पार्क नामक एक नई योजना तैयार की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नई योजना सरकारी क्षेत्र के हितों के लिए घातक है; और

(घ) यदि नहीं, तो इससे सरकारी क्षेत्र को किस प्रकार लाभ होने की संभावना है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) वर्ष 2005-06 में पूर्व की निर्यात के लिए अपैरल पार्क योजना (एपीईएस) और वस्त्र केंद्र अवसंरचना विकास योजना (टीसीआईडीएस) का विलय कर शुरू की गई थी।

(ख) एसआईटीपी सार्वजनिक निजी भागीदारी (पीपीपी) माडल पर आधारित है जिसमें विशेष उद्देश्य वाहन (एसपीवी) बनाकर उद्योग संघ/उद्यमी समूह वस्त्र पार्क के मुख्य संवर्द्धक होंगे। इस योजना में भारत सरकार, राज्य सरकार, राज्य औद्योगिक विकास निगम से इक्विटी/अनुदान तथा बैंकों/वित्तीय संस्थाओं से ऋण के मिश्रण के माध्यम से परियोजना का वित्तपोषण किए जाने का प्रावधान है। तथापि, भारत सरकार/राज्य सरकार/राज्य औद्योगिक विकास निगम का यदि कोई संयुक्त इक्विटी दावा है, तो वह 49% से अधिक नहीं होना चाहिए। शेष 51% इक्विटी एसपीवी द्वारा रखी जानी होगी ताकि उसकी प्रचालनात्मक स्वायत्ता रहे। अनुदान अथवा इक्विटी के माध्यम से इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार की सहायता 40 करोड़ रुपए की सीमा के अध्यधीन परियोजना लागत के 40% तक सीमित है।

अब तक 2428.23 करोड़ रुपए की अनुमानित परियोजना लागत से 26 परियोजनाएं स्वीकृत की गई हैं जिसमें से भारत सरकार का अनुदान 866 करोड़ रुपए होगा। इन पार्कों में अनुमानित निवेश 13445 करोड़ रुपए का है और अनुमानित वार्षिक उत्पादन लगभग 19200 करोड़ रुपए का है। अनुमानित रोजगार सृजन लगभग 5.29 लाख (1.93 लाख प्रत्यक्ष और 3.36 लाख अप्रत्यक्ष) हैं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) सार्वजनिक क्षेत्र इन वस्त्र पार्कों में इक्विटी भागीदारी ले सकते हैं।

सीआरएफ/एनसीसीएफ की पुनरीक्षा

***366. श्री अनंत कुमार:**
श्री रघुनाथ झा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आपदा राहत कोष (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिक कोष (एन.सी.सी.एफ.) के अपेक्षित उद्देश्य पूरे हो रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के अंतर्गत प्राकृतिक आपदा राहत कार्यों हेतु राहत देने के लिए मौजूदा दिशा-निर्देशों की पुनरीक्षा के लिए एक विशेषज्ञ समूह गठित किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) प्राकृतिक आपदायें आने की सूरत में आपदा राहत निधि (सी.आर.एफ.) और राष्ट्रीय आपदा आकस्मिकता निधि (एन.सी.सी.एफ.) नामक योजनाओं से राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। इन योजनाओं की प्रत्येक पांच वर्ष बाद क्रमिक वित्त आयोगों द्वारा समीक्षा की जाती है। सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. की वर्तमान योजनायें, जो वर्ष 2005-06 से 2009-10 के दौरान परिचालन में हैं, बारहवें वित्त आयोग (टी.एफ.सी.) की सिफारिशों के आधार पर भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई है। टी.एफ.सी. ने सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. से सहायता पाने के लिए पात्र प्राकृतिक आपदायें निर्धारित की हैं अर्थात् चक्रवात, सूखा, भूकंप/सूनामी, अग्निकांड, बाढ़, ओलावृष्टि, भूस्खलन, हिमस्खलन, बादल का फटना और कीटों का हमला।

योजना के अनुसार, प्रत्येक राज्य के लिए एक सी.आर.एफ. का गठन किया गया है, जिसमें भारत सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा 75:25 के अनुपात में अंशधान किया जाता है। सी.आर.एफ. का केन्द्र का हिस्सा, राज्यों को दो किस्तों में जारी किया जाता है, पहली किश्त जून में और दूसरी किश्त दिसम्बर में जारी की जाती है। यदि कोई भयंकर स्वरूप की आपदा आती है तो निर्धारित प्रक्रिया का पालन करने के बाद, राज्यों को एन.सी.सी.एफ. से भी सहायता प्रदान की जाती है। सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. से व्यय, सरकार द्वारा अनुमोदित मदों और शर्तों के अनुसार खर्च करना होता है।

सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. नामक दो योजनाओं का उद्देश्य निर्धारित प्राकृतिक आपदाओं के शिकार लोगों और तात्कालिक स्वरूप के क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे की मरम्मत/बहाली के लिए तत्काल राहत प्रदान करने के वास्ते व्यय की पूर्ति करना है ताकि बचाव और राहत अभियान सुकर बनाए जा सकें। सी.आर.एफ. और एन.सी.सी.एफ. के मूल उद्देश्यों को इन योजनाओं का कार्यान्वयन करके पूरा किया जा रहा है।

राज्यों में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसे राहत व्यय के वित्तपोषण से जुड़े सभी मामलों पर निर्णय लेने और यह सुनिश्चित करने की शक्ति प्रदान की गई कि सी.आर.एफ. से आहरित की गई राशि, वस्तुत: उन्हीं प्रयोजनाओं के लिए प्रयोग में लाई गई है जिसके लिए सी.आर.एफ. का गठन किया गया है और इसे भारत सरकार द्वारा अनुमोदित सहायता की मदों और मानदंडों के अनुसार व्यय किया गया है। संबंधित राज्य के महालेखाकार से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इन निधियों के संबंध में हिसाब-किताब रखें।

आमतौर पर, प्रत्येक वित्त आयोग के पंचाट के बाद सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. से सहायता की मदों और मानदंडों में संशोधन किया जाता है। टी.एफ.सी. के पंचाट के बाद, भारत सरकार, गृह मंत्रालय ने सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. से सहायता की वर्तमान मदों और मानदंडों की समीक्षा और संशोधन करने के लिए एक विशेषज्ञ ग्रुप का गठन किया। इस ग्रुप में संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों और कुछ राज्य सरकारों के प्रतिनिधि शामिल थे।

सहायता की वर्तमान मदों और मानदंडों की विस्तृत समीक्षा को सुकर बनाने के उद्देश्य से विशेषज्ञ ग्रुप ने सभी राज्यों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों/संगठनों के विचार/सुझाव मांगे। ग्रुप ने संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों के साथ अनेक बैठकें की और उनके साथ परामर्श किया।

विशेषज्ञ ग्रुप ने सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। भारत सरकार, विशेषज्ञ ग्रुप की सिफारिशों की जांच कर रही है। इसके बाद तत्काल ही सी.आर.एफ./एन.सी.सी.एफ. से सहायता की मदों और मानदंडों में संशोधन करने का एक प्रस्ताव उच्च स्तरीय समिति के सम्मुख उसके विचारार्थ प्रस्तुत किया जाएगा। एच.एल.सी. के अनुमोदन के बाद अनुमोदित संशोधित मदों और मानदंडों को अधिसूचित किया जाएगा और उन्हें सभी राज्यों और संबंधित केन्द्रीय मंत्रालयों/विभागों में कार्यान्वयन हेतु परिचालित किया जाएगा।

औद्योगिक निर्यात की वृद्धि दर

*367. **श्री डी.वी. सदानन्द गौडा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान औद्योगिक वस्तुओं के निर्यात की वृद्धि दर का ब्यौरा क्या है;

(ख) देश भर में, विशेषकर कर्नाटक राज्य में रोजगार अवसरों पर इसका क्या प्रभाव पड़ा है; और

(ग) उच्च वृद्धि प्राप्त करने और इसे बनाए रखने के लिए निर्यातोन्मुख उद्योगों की सहायता के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) पिछले 2 वर्षों के दौरान औद्योगिक वस्तुओं (कुछ प्रमुख क्षेत्रों द्वारा) के निर्यातों में प्रतिशत वृद्धि और मूल्य के ब्यौरे निम्नलिखित हैं। वर्तमान वर्ष के लिए क्षेत्रवार सूचना उपलब्ध नहीं है।

वस्तु	निर्यात (अम. मिलि. डालर)		पिछले वर्ष की तुलना में प्रतिशत परिवर्तन	
	2004-05	2005-06 (अ.)	2004-05	2005-06
अयस्क एवं खनिज	5079	6189	114.4	21.9
चर्म एवं विनिर्मितियां	2422	2626	12.0	8.4
रत्न एवं आभूषण	13762	15547	30.2	13.0
खेल सामग्री	102	132	3.0	29.4
रसायन एवं संबद्ध उत्पाद	13164	15514	32.2	17.9
इंजीनियरिंग वस्तुएं	15383	19169	46.3	24.6
इलेक्ट्रानिक वस्तुएं	1890	2244	4.7	18.7
परियोजना सामग्री	75	135	-10.7	80.0
वस्त्र	12918	15206	5.8	17.7
हस्तशिल्प	377	410	-24.6	8.8
कालीन	636	829	8.5	30.3
पेट्रोलियम उत्पाद	6989	11515	95.9	64.8
अवर्गीकृत निर्यात	2263	3011	20.3	33.1
गैर-औद्योगिक वस्तुओं सहित कुल निर्यात	83536	102725	30.1	23.0

(अ.) अनंतिम आंकड़े

(ख) निर्यातों के जरिए सृजित रोजगार के कोई पक्के अनुमान उपलब्ध नहीं हैं तथापि गुट-निरपेक्ष देशों के लिए अनुसंधान और सूचना प्रणाली (आरआईएस) द्वारा किए गए एक अध्ययन के निष्कर्षों के अनुसार निर्यात क्षेत्र में कुल रोजगार वर्ष 2004-05 में 16 मिलियन था जिसमें से 9 मिलियन प्रत्यक्ष रोजगार था और 7 मिलियन अप्रत्यक्ष रोजगार था। कर्नाटक राज्य सहित राज्य-वार निर्यातों के जरिए सृजित रोजगार अवसरों के कोई अनुमान नहीं हैं।

(ग) निर्यात संवर्धन सरकार का सतत प्रयास है। निर्यातों को और बढ़ाने के लिए हाल में अनेक पहलें की गई हैं। इनमें अन्य बातों के साथ-साथ 10 फरवरी, 2006 से एसईजेड अधिनियम, 2005 को लागू करना, निर्यातकों की सौदा लागत को कम करने के लिए प्रक्रियात्मक सरलीकरण पर मुख्य बल देना और भारत के तुलनात्मक लाभ के अनुरूप निर्यातों को बढ़ाने के लिए क्षेत्रीय व्यापार करारों पर हस्ताक्षर करना शामिल है। इसके अतिरिक्त विदेश व्यापार नीति (2006-07) में अनेक नई पहलें की गई हैं जिनमें फोकस उत्पाद स्कीम, फोकस बाजार स्कीम, विशेष कृषि और ग्राम उद्योग योजना, शुल्क मुक्त आयात प्राधिकार स्कीम और रत्न एवं आभूषण क्षेत्र के लिए अनेक उपाय शामिल हैं। सरकार नए निर्यात बाजारों के विकास के लिए निर्यातकों का सहायता भी प्रदान करती है।

नाथूला दर्रे से भारत-चीन व्यापार

***368. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड:**
श्री मोहन सिंह:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन के साथ व्यापार करने के लिए नाथूला दर्रे को खोल दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नाथूला दर्रे के रास्ते भारत और चीन के बीच कौन-कौन सी वस्तुओं का व्यापार करने की अनुमति दी गई है;

(ग) क्या नाथूला दर्रे को व्यापार के लिए खोलने से पहले भारत-चीन व्यापार के वाणिज्यिक प्रभाव का आकलन किया गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसका विशेषकर सिक्किम की अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी हां। चीन के साथ सीमा व्यापार हेतु नाथुला दर्रे को दिनांक 6 जुलाई, 2006 से खोल दिया गया है। भारत-चीन सीमा के दोनों तरफ रहने वाले लोगों द्वारा स्थानीय रूप से उत्पादित निम्नलिखित वस्तुओं का मुक्त रूप से आयात व निर्यात, विद्यमान परम्परा के अनुसार अनुमत्य है-

आयात

1. बकरी की खाल, 2. भेड़ की खाल, 3. घोड़े, 4. भेड़ें, 5. बकरियां, 6. ऊन, 7. रेशम, 8. याक की पूंछ, 9. याक के बाल, 10. चीनी मिट्टी, 11. बोरेक्स, 12. जाइबेलाइट, 13. मक्खन, 14. कश्मीरी बकरी (पशम), 15. नमक

सीमा व्यापार के जरिए चीन से भारत में आयात किए जाने पर उपर्युक्त वस्तुओं को अधिसूचना सं. 158/9-सीमाशुल्क, दिनांक: 29 जुलाई, 1994 के तहत शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।

निर्यात

1. कृषि उपस्कर, 2. कम्बल, 3. तांबे के उत्पाद, 4. कपड़े, 5. वस्त्र, 6. साइकिलें, 7. कॉफी, 8. चाय, 9. जौ, 10. चावल, 11. आटा, 12. मेवे, 13, सूखी और ताजी सब्जियां, 14. वनस्पति तेल, 15. गुड़ व मिश्री, 16. तम्बाकू, 17. नसवार, 18. सिगरेट, 19. डिब्बाबंद खाद्य, 20. कृषि रसायन, 21. स्थानीय जड़ी-बूटियां, 22. रंजक, 23. मसाले, 24. घड़ियां, 25. जूते, 26. मिट्टी का तेल, 27. स्टेशनरी, 28. बर्तन, 29. गेहूं (ऊआ तथा बक)

(ग) और (घ) नाथुला दर्रे से सीमा व्यापार की शुरूआत सीमा व्यापार के विस्तार हेतु भारत और चीन के बीच हस्ताक्षरित ज्ञापन के अनुसरण में हुई है। नाथुला दर्रे को व्यापार हेतु खोलने से पहले वाणिज्यिक प्रभाव का आकलन करने के लिए कोई अध्ययन नहीं कराया गया था।

[हिन्दी]

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना

***369. श्री टेक लाल महतो:** क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा प्रायोजित आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) के अंतर्गत कितनी महिलाएं लाभान्वित हुईं;

(ख) क्या एएमएसवाई संपूर्ण देश में, विशेषकर झारखंड में, संतोषजनक रूप से चल रही है;

(ग) यदि हां, तो राज्य-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या एएमएसवाई के अंतर्गत आबंटित धनराशि का ठीक से उपयोग किया जा रहा है तथा इसे जरूरतमंद लोगों के बीच वितरित किया जा रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ङ) आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना (एएमएसवाई) पात्र अनुसूचित जनजाति महिलाओं के आर्थिक विकास से संबंधित एकमात्र रियायती योजना है। एनएसटीएफडीसी ने वर्ष 2002 में यह योजना शुरू की थी। इस योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जनजातीय महिलाओं को आयसृजक गतिविधियों के लिए रियायती दर पर वित्तीय सहायता दी जाती है।

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वर्ष 2003-04 से 2006-07 तक की अवधि के लिए स्वीकृत ऋण की राशि संवितरित निधियां तथा 31.07.2006 तक इसके उपयोग के बारे में सूचना राज्य माध्यमीकृत अभिकरण-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। झारखंड राज्य ने आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत वित्तीय सहायता हेतु अब तक कोई प्रस्ताव एनएसटीएफडीसी को नहीं भेजा है।

एनएसटीएफडीसी जनजातीय जनसंख्या वाले सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को देश की कुल अनुसूचित जनजातीय जनसंख्या के अनुपात में निधियां आबंटित करता है तथा आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत कोई विशिष्ट आबंटन नहीं किया जाता है। तथापि, एनएसटीएफडीसी अपने माध्यमीकृत अभिकरणों को आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत पात्र अनुसूचित जनजाति महिलाओं को अत्यधिक रियायती वित्तीय सहायता उपलब्ध कराने के लिए निधियों का अधिकतम उपयोग करने की सलाह देता है। उक्त अवधि के दौरान माध्यमीकृत अभिकरणों द्वारा अभिज्ञात पात्र महिलाओं की आवश्यकता के आधार पर 3367.15 लाख रुपए स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 2354.00 लाख रुपए एनएसटीएफडीसी द्वारा संवितरित किए गए हैं तथा 992.83 लाख रुपए का उपयोग कर लिए जाने के बारे में राज्य माध्यमीकृत अभिकरणों से सूचना प्राप्त हुई है। आगे और निधियों की निर्मुक्ति इस बात पर निर्भर करेगी कि मार्गीकृत अभिकरणों द्वारा निधियों का समुचित उपयोग उसी प्रयोजन के लिए किया गया है, जिस प्रयोजन के लिए यह स्वीकृत एवं संवितरित किया गया था।

विवरण

आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना के अंतर्गत 2003-04 से 2006-07 (31.7.2006 की स्थिति के अनुसार) के लिए स्वीकृत राशि, संवितरित निधियों और उपयोग के बारे में सूचना का वर्षवार ब्यौरा दिया गया है

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	एससीए/राज्य का नाम	2003-04		2004-05		2005-06		2006-07 (31.7.2006 तक)		संचयी स्वीकृति		संवितरित संचयी निधि	संचयी निधि उपयोगिता
		एनएसटीएफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	एनएसटीएफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	एनएसटीएफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	एनएसटीएफडीसी का शेयर	लाभार्थियों की संख्या	धनराशि	लाभार्थियों की संख्या		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	आंध्र प्रदेश अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त विकास निगम लि., आंध्र प्रदेश	72.00	300	433.48	2088	427.70	2187			933.18	4575	833.28	165.52
2.	छत्तीसगढ़ राज्य अनंतव्यवसायी सहकारी वित्त विकास निगम लि., छत्तीसगढ़			42.75	95					42.75	95	42.75	19.80
3.	हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति विकास निगम, हिमाचल प्रदेश							54.00	150	54.00	150		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
4.	कर्नाटक अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति विकास निगम, कर्नाटक			18.00	100	90.00	500			108.00	600		
5.	अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति केरल राज्य विकास निगम लि., केरल			8.75	25					8.75	25	8.75	1.32
6.	शहरी आदिवासी वित्त व विकास निगम, नासिक, महाराष्ट्र	20.00	400	100.00	250	140.00	350			260.00	1000	3.55	
7.	राजस्थान अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति सहकारी वित्त एवं विकास निगम लि., राजस्थान	26.25	70	75.00	200	72.00	192	22.50	150	195.75	612	125.49	22.87
8.	सिक्किम अनुसूचित जाति, जनजाति व अपिव विकास निगम लि., सिक्किम					30.07	67			30.07	67	30.07	
9.	त्रिपुरा अनुसूचित जनजाति सहकारी विकास निगम लि., त्रिपुरा	3.50	10							3.50	10	3.50	3.50
10.	पश्चिम बंगाल अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति विकास वित्त निगम, पश्चिम बंगाल	538.12	5412	546.50	5300	646.53	6400			1731.5	17112	1306.61	779.82
	कुल	659.87	6192	1224.48	8058	1406.20	9696	76.50	300	3367.15	24246	2354.00	9092.83

सेवाओं का निर्यात

***370. श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष सेवाओं के निर्यात में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पर्याप्त एवं दक्ष जनशक्ति होने के बावजूद भी सेवाओं का निर्यात कई अन्य देशों की तुलना में बहुत कम है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) सेवाओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) जी, हां। पिछले चार वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में सेवाओं के निर्यात में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गयी है। वास्तव में, इस अवधि में सेवाओं के निर्यात में तीन गुणा वृद्धि हुई है। पिछले चार वर्षों के दौरान सेवाओं के निर्यात का सेवा क्षेत्रवार ब्यौरा निम्नानुसार है-

(मिलि. अम. डालर)

सेवा क्षेत्र	2005-06	2004-05	2003-04	2002-03
कुल	60610	46021	26868	20763
(i) यात्रा	7789	6495	5037	3312
(ii) परिवहन	6277	4798	3207	2536
(iii) बीमा	1042	909	419	369
(iv) जीएनआईई#	305	328	240	293
(v) विविध	45197 *(23600)	33501 *(17200)	17965 *(12800)	14253 *(9600)

स्रोत: आरबीआई

#सरकारी, अन्यत्र शामिल नहीं।

*यह "विविध क्षेत्र" में सॉफ्टवेयर सेवाओं का हिस्सा प्रदर्शित करता है।

(ग) से (ङ) विकसित देशों, जहां सेवाओं का निर्यात अनेक दशकों से होता रहा है, की तुलना में भारत में सेवाओं का निर्यात, निर्यात का अपेक्षाकृत एक नया व उभरता हुआ क्षेत्र है। यदि वृद्धि की वर्तमान दर बनी रहती है, तो भारत द्वारा आगामी चार वर्षों में सेवाओं के निर्यात में विकसित देशों की बराबरी कर लेने की सम्भावना है।

सरकार ने दिनांक 1 अप्रैल, 2006 को विदेश व्यापार नीति की घोषणा करते समय सेवाओं के निर्यात के संबंध में निम्नलिखित पहलें की हैं-

(i) प्रमुख बाजारों में प्रमुख सेवाओं हेतु अवसरों की तलाश करने एवं तत्पश्चात कार्यनीतिक बाजार पहुंच कार्यक्रम तैयार करने, लक्षित बाजारों में गहन ब्राण्ड निर्माण तथा विपणन कार्यक्रमों हेतु प्रयासों का समन्वयन करने और नीति, क्रियाविधि तथा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मुद्दों के संबंध में आवश्यक हस्तक्षेप सुनिश्चित करने के मुख्य कार्य के साथ एक सेवा निर्यात संवर्धन परिषद की स्थापना की जा रही है।

(ii) वाणिज्य विभाग द्वारा लागू की गई सर्व्ड फ्राम इंडिया स्कीम के तहत स्वास्थ्य सुरक्षा तथा शिक्षा सेवा प्रदाताओं के साथ-साथ इंजीनियरी प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग (ईपीओ) तथा ज्ञान प्रक्रिया आऊटसोर्सिंग (केपीओ) सेवा प्रदाताओं सहित सभी सेवा प्रदाताओं के लिए उनके द्वारा पिछले वित्तीय वर्ष में अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 के समतुल्य शुल्क क्रेडिट स्क्रिप की पात्रता है और यह स्क्रिप किसी भी पूंजीगत माल के आयात के लिए विमोचित की जा सकती है।

(iii) परामर्शी सेवा निर्यातक भी बाजार विकास सहायता (एमडीए) तथा बाजार पहुंच पहल (एमएआई) स्कीमों के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त कर सकते हैं। इन स्कीमों के तहत प्रदर्शनियों में सहभागिता, प्रचार सामग्री के मुद्रण, बाजार अध्ययन आदि जैसे नियमित संवर्धन कार्यकलापों आदि को प्रोत्साहित किया जाता है।

विशेष आर्थिक क्षेत्र/निवेश क्षेत्र

***371. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:**
श्री काशीराम राणा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में विशेष आर्थिक क्षेत्र/विशेष निवेश क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन क्षेत्रों के चयन में क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विशेष आर्थिक जोनों को विशेष आर्थिक क्षेत्रों/विशेष निवेश क्षेत्रों के साथ मिलाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) विशेष आर्थिक क्षेत्रों (एसईआर)/विशेष निवेश क्षेत्रों (एसआईआर) के लिए प्रस्ताव अवधारणात्मक चरण में है और उक्त क्षेत्रों के चयन हेतु मानदण्ड अभी तैयार नहीं किए गए हैं।

(ग) और (घ) विशेष आर्थिक जोन अधिनियम/नियमों में एसईजेडों के विलय का उपबंध नहीं है।

[अनुवाद]

समुद्री उत्पादों के निर्यात पर प्रतिबंध

***372. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ देशों ने भारत से समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी देश-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने समुद्री उत्पादों के विनिर्माताओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्पादों के विनिर्माण के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) जी, हां।

(ख) सऊदी अरब ने भारत में कॉलरा के आधार पर भारत से ताजे समुद्री उत्पादों के आयात को प्रतिबंधित कर दिया है।

(ग) जी, हां।

(घ) ताजे, प्रशीतित एवं प्रसंस्कृत मत्स्य एवं मात्स्यिकी के विनिर्देशन निम्नानुसार हैं-

(i) आयातक देशों के राष्ट्रीय मानक; या

(ii) विदेशी क्रेता और निर्यात के बीच सहमत संविदात्मक विनिर्देशन बशर्ते वे आयातक देश की स्वास्थ्य संबंधी तथा अन्य अपेक्षाओं को पूरा करतें हैं;

(iii) उपर्युक्त (i) या (ii) के अभाव में श्रिम्प/झींगा के लिए न्यूनतम साधारण विनिर्देशन यह है कि उनका रूप और रंग, ताजे/ताजे पकाए गए श्रिम्प/झींगा जैसा भी मामला हो, के विशेष प्रकार/रूप का अभिलाक्षणिक होगा। सामग्री निर्जलीकरण, विवर्णन तथा काले धब्बों से उचित रूप से मुक्त होगी। सामग्री में खराब होने का कोई लक्षण प्रदर्शित न होगा और उसमें किसी प्रकार की दुर्गन्ध या अलग महक नहीं होगी। मांस की संरचना नरम तथा समनुरूप होगी और उसमें ताजे/पकाए हुए श्रिम्प/झींगा का लाक्षणिक फ्लेवर होगा। उत्पाद बाह्य पदार्थ से मुक्त होगा। श्रिम्प/झींगों के लिए जीवाणु विज्ञान संबंधी विनिर्देशन निम्नानुसार हैं-

जीवाणु विज्ञान	ताजे/शीतित/ प्रशीतित	पकाए हुए/ उबाले हुए
37 सी प्रति ग्राम पर अधिकतम कुल प्लेट काउंट	5,00,000	1,00,000
अधिकतम ई. कोली काउंट प्रति ग्राम	29	शून्य
अधिकतम कोग्गुलेस पाजिटिव स्टेफिलोकोकस प्रति ग्राम	100	100
प्रति 25 ग्राम में सालमोनेला तथा एस सरीजोना	शून्य	शून्य

(iv) किसी ऐसे ताजे, प्रशीतित एवं प्रसंस्कृत मत्स्य तथा मात्स्यिकी उत्पादों के मामले में, जिनके लिए कोई मानक (उपर्युक्त i, ii तथा iii) उपलब्ध नहीं है, किसी विशेषज्ञ समिति द्वारा तैयार किए गए मानक लागू किए जाएंगे।

वस्त्र कामगारों हेतु कल्याण योजनाएं

***373. श्री किन्जरपु येरननायडु:**
श्री धी.के. दुम्मर:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न कल्याण योजनाओं हेतु बजट में आबंटित धनराशि का पूर्णत: उपयोग नहीं किया गया जिससे कामगारों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कामगारों के हितों की रक्षा के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष वर्कशेड-सह-आवासीय योजना के अंतर्गत राज्य-वार कितनी आवास इकाइयों का निर्माण किया गया तथा ये इकाइयां शिल्पकारों, विशेषकर महिलाओं के जीवन स्तर एवं आय बढ़ाने में कितनी सहायक रहीं;

(घ) क्या सरकार ने शिल्पकारों को चिकित्सा सुविधा दिए जाने के लिए हस्तशिल्प कारीगरों के लिए बीमा योजना शुरू की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इन योजनाओं के अंतर्गत राज्य-वार क्या लक्ष्य हासिल किए गए हैं?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) और (ख) सरकार वस्त्र एकक के किसी विशेष भाग अथवा पूरे वस्त्र एकक के स्थायी रूप से बंद होने के कारण बेरोजगार हुए वस्त्र कामगारों को अंतरिम राहत प्रदान करने के लिए वस्त्र कामगार पुनर्वासन निधि योजना कार्यान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियां और उनका उपयोग तालिका-1 में दिया गया है। इस योजना के तहत वित्तीय एवं वास्तविक प्रगति के लिए कोई लक्ष्य निर्धारित नहीं है तथा निधियों का उपयोग पूर्णत: आवश्यकता के आधार पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त, सरकार कारीगरों, बुनकरों, गडरियों, किसानों आदि के कल्याण के लिए विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही हैं जिनसे पिछले तीन वर्षों के दौरान आवंटित निधियों का अच्छा उपयोग किया गया है।

तालिका 1

क्र.सं.	वर्ष	निधियां (लाख रुपए में)	
		आवंटित	प्रयुक्त
1.	2003-04	126.00	111.43
2.	2004-05	800.00	799.86
3.	2005-06	800.00	799.97

(ग) सरकार हथकरघा बुनकरों के कल्याण के लिए कार्यशाला-सह-आवास योजना कार्यान्वित कर रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान कार्यशाला-सह-आवास योजना के तहत बनाए गए आवासीय इककों की संख्या तालिका-2 में दी गई है। यह बताना संभव नहीं है कि इन एककों से राज्यवार कारीगरों या महिलाओं के जीवन की गुणवत्ता तथा आय सुधारने में किस प्रकार मदद मिली है।

तालिका 2

(लाख रुपए में)

वर्ष	स्वीकृत एककों की संख्या
2003-04	21,718
2004-05	12,008
2005-06	17,971

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

लघु उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी नीति

*374. **श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:** क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु उद्योग क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (एफ.डी.आई.) की सीमा को 24 प्रतिशत से बढ़ाकर 49 प्रतिशत करने के संबंध में सुझाव प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) वर्तमान नीति के अनुसार किसी भी उद्योग से संबंध न रखने वाली इकाई, चाहे वो देशी हो या विदेशी, किसी लघु उद्योग की इक्विटी में 100% तक निवेश कर सकती है। परन्तु, बड़ी इकाइयों द्वारा स्वामित्व या नियंत्रण वाले लघु उद्योगों के अधिक संख्या में स्थापन को रोकने के लिए यह नीति उद्योगों से संबंध रखने वाली इकाइयों पर किसी लघु उद्योग की इक्विटी में 24% से अधिक का निवेश करने पर प्रतिबन्ध भी लगाती है। अगर ऐसी किसी इकाई द्वारा दूसरे लघु उद्योग की इक्विटी में निवेश 24% से बढ़ जाए तो परिणामिक इकाई अपना लघु उद्योग का दर्जा खो देती है।

(ग) सरकार ने दूसरे उद्यमों से संबंध रखने वाली इकाइयों (चाहे वे देशी हों या विदेशी) द्वारा सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की इक्विटी में निवेश की सीमा को 24% से बढ़ाकर 49% करने के बारे में अन्तिम निर्णय नहीं लिया है।

कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध

*375. **श्रीमती अर्चना नायक:**
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश में कुछ चुनिन्दा कच्चे माल के निर्यात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उक्त प्रयोजनार्थ किन-किन वस्तुओं को चुना गया है;

(ग) क्या इस प्रतिबंध का उद्देश्य केवल मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यात को बढ़ावा देने और रोजगार का सृजन करने का है; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश में त्वरित औद्योगिक उत्पादन हेतु कच्चे माल की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठते।

प्रबंधन पाठ्यक्रम

***376. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन:**
श्री वी. विनोद कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को प्रबंधन पाठ्यक्रमों के विनियमन, स्वीकृति तथा मान्यता प्रदान करने के उत्तरदायित्व से मुक्त करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रबंधन शिक्षा के विनियमन, प्रोत्साहन तथा विकास के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् की तर्ज पर अलग से एक विनियामक निकाय का गठन करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

ताज महल की सुरक्षा

***377. श्री अशोक कुमार रावत:**
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने ताज महल की सुरक्षा कड़ी करने के लिए कोई योजना अनुमोदित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस संबंध में कितनी धनराशि स्वीकृत की गई है;

(ग) क्या ताज महल की सुरक्षा का उत्तरदायित्व भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण को सौंपे जाने का है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण है;

(ङ) क्या देश में ऐसे सभी धार्मिक स्थलों/स्थानों की सुरक्षा के लिए कोई योजना सरकार के विचाराधीन है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार ने ताजमहल की वर्तमान सुरक्षा योजना को सुदृढ़ करने के लिए अगस्त, 2005 में एक प्रस्ताव तैयार किया था। इस प्रस्ताव में सुरक्षा उपकरणों के प्रापण और ताजमहल के कतिपय सुरक्षा कार्यों के निर्माण का अनुमोदन किया गया था जिसमें 77.21 लाख रुपए का व्यय शामिल था। चूंकि ताजमहल एक राष्ट्रीय स्मारक है जिसका रख-रखाव भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण द्वारा किया जाता है अत: उपर्युक्त प्रस्ताव, उस संगठन को भेजा गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ताजमहल को भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अनुमोदित योजना के अनुसार सुरक्षा प्रदान की जाती है। सुरक्षा योजना के अनुसार केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) को अंदर के कार्डन में तैनात किया गया है जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा बाह्य सुरक्षा प्रदान की जाती है।

(ङ) और (च) "कानून और व्यवस्था" और "पुलिस" राज्य के विषय होने के कारण धार्मिक स्थलों/स्थानों की सुरक्षा की जिम्मेदारी संबंधित राज्य सरकार/संघ शासित क्षेत्र सरकार की है। गृह मंत्रालय, इन स्थानों को खतरे की आशंका के बारे में संबंधित राज्यों को पूरी जानकारी देता रहता है। गृह मंत्रालय, खतरे की विशिष्ट सूचना प्राप्त होने पर संबंधित राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों को धार्मिक स्थलों/स्थानों की सुरक्षा सुदृढ़ करने के लिए आवश्यक

सलाह भी जारी करता है। पुलिस बल आधुनिकीकरण (एमपीएफ) योजना के तहत राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को उनके पुलिस बलों को सुदृढ़ बनाने और उनका आधुनिकीकरण करने के लिए केन्द्र सरकार द्वारा सहायता भी प्रदान की जाती है।

महिला शिक्षण केन्द्र

*378. **श्री छत्तर सिंह दरबार:**
श्री अविनाश राय खन्ना:

क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने विभिन्न राज्यों में महिला शिक्षण केन्द्रों की स्थापना की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन केन्द्रों से राज्यवार कुल कितनी महिलाएं लाभान्वित हुई हैं;

(घ) क्या सरकार का ऐसे केन्द्रों की संख्या में वृद्धि करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ङ) स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार, केंद्रीय क्षेत्र की महिला समाख्या स्कीम के अंतर्गत मंजूर किए गए 55 महिला शिक्षण केन्द्रों की तुलना में अब तक 48 महिला शिक्षण केंद्र स्थापित किए गए हैं। प्रचालित महिला शिक्षण केन्द्रों और लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-I में दी गयी है। वर्ष 2006-07 के दौरान खोले जाने के लिए अनुमोदित महिला शिक्षण केंद्रों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण-II में दी गयी है।

विवरण I

महिला शिक्षण केन्द्रों और पिछले तीन वर्षों के दौरान लाभार्थियों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	महिला शिक्षण केंद्रों की संख्या 2006-07	लाभार्थियों की संख्या		
			2003-04	2004-05	2005-06
1.	आंध्र प्रदेश	11	483	422	478
2.	*असम	6	–	–	270
3.	बिहार	7	1251	1272	1981
4.	गुजरात	4	104	175	114
5.	झारखण्ड	2	177	282	246
6.	कर्नाटक	1	44	50	49
7.	*केरल	2	–	–	60
8.	उत्तर प्रदेश	12	414	636	514
9.	*उत्तरांचल	3	–	–	76
	कुल	48	2473	2837	3788

*असम, केरल और उत्तरांचल में महिला शिक्षण केंद्रों की शुरूआत वर्ष 2005-06 में की गयी थी।

विवरण II

महिला समाख्या कार्यक्रम के अंतर्गत वर्ष 2006-07 के दौरान खोले जाने के लिए अनुमोदित नए महिला शिक्षण केन्द्रों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य	वर्ष 2006-07 में शुरू किए जाने वाले नए महिला शिक्षण केन्द्र
1.	आंध्र प्रदेश	1
2.	असम	0
3.	बिहार	2
4.	गुजरात	1
5.	झारखण्ड	0
6.	कर्नाटक	0
7.	केरल	2
8.	उत्तर प्रदेश	0
9.	उत्तरांचल	1
	कुल	7

[अनुवाद]

बाल सर्वेक्षण

***379. श्रीमती मनोरमा माधवराज:**
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विशेषज्ञों और पत्रकारों के एक पैनल द्वारा बच्चों के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया गया है जैसाकि दिनांक 19 जुलाई, 2006 के "द हिन्दू" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भारत को बच्चों के लिए विश्व का छठा सर्वाधिक खतरनाक देश घोषित किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ङ) सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने के लिए क्या ठोस उपाय किए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) दिनांक 19 जुलाई, 2006 के 'द हिन्दु' समाचार-पत्र में "ए कन्ट्रोवर्शल सर्वे आन इंडिया" शीर्षक से एक लेख प्रकाशित हुआ। इस लेख में यह बताया गया कि रायटर्स फाउंडेशन ने बच्चों के लिए विश्व के सर्वाधिक खतरनाक स्थानों को उजागर करने हेतु एक मत-सर्वेक्षण किया। इस मत-सर्वेक्षण में 100 से अधिक सहायता विशेषज्ञ तथा पत्रकार शामिल थे।

(ग) जी, हां।

(घ) इस सर्वेक्षण में सशस्त्र संघर्ष में शामिल बच्चों, मानसिक सदमे से प्रभावित बच्चों, कामकाजी बच्चों, बच्चों में कुपोषण आदि को ध्यान में रखा गया है। सरकार इस सर्वेक्षण के निष्कर्षों से सहमत नहीं है, क्योंकि इसमें केवल कुछेक तथ्यों पर ही विचार किया गया है और भारत में शिक्षा, स्वास्थ्य, जल एवं साफ-सफाई जैसे क्षेत्रों में बच्चों को उपलब्ध कराई जा रही सुविधाओं एवं सेवाओं, जो कि बुनियादी जरूरतें हैं, को ध्यान में रखा गया है।

(ङ) सरकार देश भर में बच्चों की समग्र स्थिति में सुधार करने हेतु सभी आवश्यक उपाय कर रही है। विभिन्न मंत्रालय एवं विभाग बच्चों के लिए संवैधानिक उपबंधों, कानूनों तथा नीतियों के कार्यान्वयन के अतिरिक्त अनेक स्कीमें एवं कार्यक्रम भी कार्यान्वित कर रहे हैं, जिनमें समेकित बाल विकास सेवा, सर्व शिक्षा अभियान, प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, पल्स पोलियो टीकाकरण कार्यक्रम, राष्ट्रीय बालिका प्रारंभिक शिक्षा कार्यक्रम, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, मध्याह्न भोजन स्कीम, निराश्रित बच्चों हेतु समेकित कार्यक्रम, समेकित किशोर न्याय कार्यक्रम, चाइल्ड लाइन सेवाएं, शिशु गृह स्कीम, राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजनाएं, कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम इत्यादि शामिल हैं।

चाय बागानों को बंद करना

***380. श्री के. फ्रांसिस जार्ज:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) प्रबंधन द्वारा कितने चाय बागानों को बंद किया गया/छोड़ दिया गया है और इसके परिणामस्वरूप राज्यवार कितने कामगार बेरोजगार हुए हैं;

(ख) क्या सरकार ने बागान क्षेत्र के लिए घोषित सौ करोड़ रुपए के पैकेज का उपयोग करके इन चाय बागानों को पुन: शुरू करने के संबंध में कोई योजना तैयार की है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार इस समय 39 चाय बागान बंद पड़े हुए हैं जिनमें से 20 केरल में, 17 पश्चिम बंगाल में और 2 असम में हैं। प्रभावित हुए कामगारों की अनुमानित संख्या 31,110 है जिनमें से 10,050 केरल में, 18,960 पश्चिम बंगाल में और 2100 असम में हैं।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

कृषि आधारित उत्पादों को विशेष प्रोत्साहन

***381. श्री प्रहलाद जोशी:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि आधारित उत्पादों के निर्यात हेतु दिए जाने वाले विशेष प्रोत्साहनों को वापस ले लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को इस संबंध में विभिन्न निर्यातकों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कमल नाथ): (क) और (ख) फलों, सब्जियों, फूलों, लघु वनोत्पादों और उनके मूल्यवर्धित उत्पादों के निर्यातों का संवर्धन करने के लिए विशेष कृषि उपज योजना के रूप में एक विशेष स्कीम की घोषणा दिनांक 31.8.2004 को की गई थी। इस स्कीम का नवीकरण किया गया था और इसे विशेष कृषि एवं ग्राम उद्योग योजना का नाम दोबारा दिया गया है और यह उत्पादों की एक अधिक व्यापक श्रृंखला के लिए अब भी प्रचालन में है। तथापि, काजू, काली मिर्च और तिल के बीज स्कीम के कार्यढांचे के अनुरूप न होने के कारण उनके लाभों को वापस ले लिया गया था। उसके अलावा, ईओयूएस द्वारा किए जाने वाले निर्यातों को दिनांक 01.04.2006 से निर्यातों के फायदे के संबंध में अपात्र बना दिया गया है क्योंकि किसी भी मामले में ईओयूएस की स्थापना मुख्यत: प्रोत्साहनों के एक विशेष पैकेज के साथ निर्यातों के लिए की जाती है।

(ग) और (घ) काजू निर्यात संवर्धन परिषद, चमड़ा निर्यात संवर्धन परिषद, मेहता एक्सपोर्ट्स, रीटजेल इंडिया, स्टर्लिंग एग्रो प्रोडक्ट प्रोसेसिंग प्रा.लि., रहोड़िया, भारतीय खीरा निर्यातक एसोसिएशन आदि से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। इन पर विचार किया गया है और इन्हें वापस लिए गए लाभों को फिर से लागू करने के लिए व्यवहार्य नहीं पाया गया था।

बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना

***382. श्री रवि प्रकाश वर्मा:**
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत सरकार ने प्रभावी सदस्य भागीदारी एवं आपसी सहयोग के सिद्धांतों पर शिल्पकार समूहों का पेशेवर रूप से संचालन तथा आत्मनिर्भर सामुदायिक उद्यमों के रूप में विकास कर भारतीय हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इस योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, सर्वोच्च समितियों, हस्तशिल्प विकास निगम, न्यासों तथा अन्यों को दी गई वित्तीय सहायता का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार के पास इस योजना के अंतर्गत दी जाने वाली वित्तीय सहायता के उचित उपयोग पर नियंत्रण रखने के लिए कोई तंत्र है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस योजना के अंतर्गत दी गई धनराशि के दुरूपयोग के संबंध में कोई शिकायत जानकारी में आई है/मिली है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): (क) जी, हां।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों, शीर्ष समितियों, हस्तशिल्प विकास निगमों, न्यासों तथा अन्य को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा वर्षवार एवं राज्यवार संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) जी, हां। मानिटरिंग विकास आयुक्त (हस्तशिल्प) कार्यालय के क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से की जाती है। अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना के अंतर्गत किसी प्रस्ताव पर स्वीकृति के लिए विचार जांच समिति, जिसमें राज्य सरकारों के अधिकारी शामिल होते हैं, की सिफारिशों पर ही किया जाता है। चल रहे कार्यक्रमों का क्षेत्रीय कार्यालयों के माध्यम से निरीक्षण किया जाता है और इन रिपोर्टों के प्राप्त होने पर प्रतिपूर्ति की जाती है। विभिन्न मानकों के आधार पर गैर-सरकारी संगठनों की ग्रेडिंग के माध्यम से अच्छा रिकार्ड रखने वाले सुपात्र गैर-सरकारी संगठनों का पता लगाने की प्रणालियां भी तैयार की गई हैं।

(घ) और (ङ) जी, हां। ऐसे मामलों का पता चला है। सभी मामलों में तथ्यों को प्रमाणित करने के लिए जांच के आदेश दिए गए हैं और सभी प्रकार की वित्तीय सहायता पर रोक लगा दी गई है।

विवरण

(धनराशि रुपये में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित प्रदेश का नाम	2003-04 रुपयों में मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा	2004-05 रुपयों में मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा	2005-06 रुपयों में मुहैया कराई गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	1,47,19,882	1,77,42,483	2,67,74,169
2.	अरुणाचल प्रदेश	27,15,572	27,70,751	27,56,467
3.	असम	1,51,53,420	3,26,39,754	3,42,24,013
4.	बिहार	5,45,000	15,63,000	13,76,500
5.	छत्तीसगढ़	17,91,867	19,33,600	11,24,000
6.	दिल्ली	32,56,192	33,60,318	16,31,376
7.	गोवा	2,50,000	–	1,00,000
8.	गुजरात	69,40,979	1,08,03,579	3,29,61,000
9.	हरियाणा	25,14,058	31,71,519	36,56,551
10.	हिमाचल प्रदेश	53,91,622	1,25,02,753	96,79,853
11.	जम्मू-कश्मीर	40,61,168	54,18,259	1,15,14,111
12.	झारखण्ड	6,46,000	10,91,040	17,99,500
13.	कर्नाटक	38,70,696	40,95,909	65,36,785
14.	केरल	74,63,947	44,31,514	94,17,669
15.	मध्य प्रदेश	66,23,241	69,73,483	70,72,925
16.	महाराष्ट्र	23,64,716	33,04,386	18,78,430
17.	मणिपुर	20,01,220	17,73,514	76,37,276
18.	मेघालय	4,57,870	000	1,50,000

1	2	3	4	5
19.	मिजोरम	15,82,250	16,58,500	37,500
20.	नागालैंड	30,11,325	12,03,500	40,06,000
21.	उड़ीसा	79,13,837	76,78,523	2,07,47,866
22.	पाण्डिचेरी	–	16,905	–
23.	पंजाब	41,61,579	15,12,250	56,96,700
24.	राजस्थान	64,69,404	88,01,206	58,59,061
25.	सिक्किम	–	–	–
26.	तमिलनाडु	33,44,689	31,14,809	93,75,986
27.	त्रिपुरा	34,97,284	49,08,529	36,76,317
28.	उत्तर प्रदेश	1,64,25,535	2,61,06,197	3,63,47,707
29.	उत्तरांचल	59,78,205	21,13,500	40,12,521
30.	पश्चिम बंगाल	78,14,680	1,66,41,449	1,20,16,684
	कुल	14,09,66,238	18,73,31,230	26,20,66,967

स्कूल अध्यापकों की अनुपस्थिति

*383. **श्री असादूद्दीन ओवेसी:** क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक की भारत संबंधी विकास नीति समीक्षा में यह कहा गया है कि स्कूलों में अध्यापकों की राष्ट्रव्यापी उपस्थिति केवल 50 प्रतिशत है और आठ प्रमुख राज्यों के शहरी क्षेत्रों में रहने वाले 50 प्रतिशत बच्चे निजी स्कूलों पर निर्भर हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्री (श्री अर्जुन सिंह): (क) से (ग) 'भारत की विकासात्मक नीति की समीक्षा' शीर्ष के अंतर्गत फरवरी, 2006 की विश्व बैंक की रिपोर्ट में अन्य विषयों के अतिरिक्त अवसंरचना, स्वास्थ्य, कृषि, जवाबदेही तथा अभिशासन ढांचे आदि को भी शामिल किया गया था। अन्य विषयों के साथ-साथ प्रारम्भिक शिक्षा को भी शामिल किया गया था। सर्वेक्षण में यह कहा गया है कि अध्यापन कक्ष में उपस्थित तथा अध्यापन गतिविधियों में लगे अध्यापकों की संख्या आधे से भी कम है तथा आठ प्रमुख राज्यों के शहरी क्षेत्रों में प्रारम्भिक स्तर पर आधे से अधिक बच्चे प्राइवेट विद्यालयों में हैं। सर्वेक्षण में दिए गए आंकड़ों में सहायता प्राप्त प्राइवेट तथा गैर-सहायता प्राप्त प्राइवेट संस्थाओं में कोई अंतर नहीं दर्शाया गया है।

प्रारम्भिक स्कूल शिक्षा मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत अध्यापकों की उपस्थिति सहित स्कूलों की मानीटरिंग तथा देख-रेख में ग्राम शिक्षा समितियों तथा स्थानीय निकायों की भूमिका पर बल दिया गया है। स्कूल के समय के दौरान अध्यापकों की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों को भी सलाह दी गई है। जहां तक मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे स्कूलों जैसे केन्द्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों तथा केन्द्रीय तिब्बती स्कूलों का संबंध है, अध्यापकों की अनुपस्थिति के संबंध में ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है।

समेकित जनजातीय विकास एजेंसियां

*384. **श्री रूपचन्द मुर्मू:** क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में जनजातीय क्षेत्रों में जनजातीय विकास कार्यक्रमों को लागू करने के लिए राज्य-वार कितनी समेकित जनजातीय विकास एजेंसियां (आईटीडीए) है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान आईटीडीए का कार्य-निष्पादन कैसा रहा;

(ग) इन आईटीडीए को सुदृढ़ करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने सभी राज्यों में आईटीडीए को जारी किए गए अनुदानों का समुचित उपयोग करने के बारे में कोई समीक्षा की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) आंध्र प्रदेश में 8 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां हैं तथा उड़ीसा में 21 एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां हैं, ये एकीकृत जनजातीय विकास एजेंसियां (आईटीडीए) सोसायटियां-पंजीकरण) अधिनियम, 1860 के अंतर्गत पंजीकृत हैं। इन दोनों राज्यों की आईटीडी एजेंसियों का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। अन्य राज्यों ने एकीकृत जनजातीय विकास परियोजनाओं (आईटीडीपी) की स्थापना की है, जो राज्य सरकारो के अधीन क्षेत्रीय कार्यालय हैं।

(ख) आईटीडीए राज्य सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अधीन कार्य करती हैं। राज्य सरकारें जनजातीय विकास से संबंधित विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन का कार्य आईटीडीए/आईटीडीपी को तथा विभिन्न लाइन विभागों को भी सौंपती हैं। विगत तीन वर्षों में राज्य सरकारों द्वारा सौंपे गए विभिन्न कार्य, मुख्यतया प्रशासनिक, नियामक तथा विकासात्मक स्वरूप के कार्य, आईटीडीए ने संतोषजनक रूप से संपन्न किए।

(ग) मंत्रालय ने जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता के अंतर्गत निधियों का आरक्षण आईटीडीए/आईटीडीपी-वार करना प्रारंभ किया है। मंत्रालय आईटीडीए/आईटीडीपी के प्रत्यक्ष निधिकरण हेतु भी प्रयास कर रहा है। संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदानों में से अनुदानों के 2% तक की ही राशि का उपयोग परियोजना प्रबंधन, प्रशिक्षण एमआईएस, प्रशासनिक व्यय तथा निगरानी एवं मूल्यांकन के लिए किया जा सकता है।

वर्ष 1986 से आंध्र प्रदेश सरकार ने आईटीडीए में सिंगल लाइन प्रशासन की नीति लागू की है तथा वर्ष 2002 में इसे पुनः लागू किया गया। आईटीडीए के परियोजना अधिकारियों को जनजातीय उपयोजना क्षेत्र तक जिला समाहर्त्ता, संयुक्त समाहर्ता तथा जिला राजस्व अधिकारी की शक्तियां प्रत्यायोजित की गई हैं।

उड़ीसा राज्य सरकार ने आईटीडीए में युवा पेशेवरों को पदस्थापित करने हेतु कदम उठाए हैं ताकि लघु वन उत्पादों का मूल्य संवर्धन, प्रसंस्करण, विपणन का लाभ प्रत्यक्ष रूप से जनजातियों को मिल सके।

(घ) और (ङ) जनजातीय कार्य मंत्रालय समय-समय पर मंत्रालय के विभिन्न कार्यक्रमों/योजनाओं के कार्यान्वयन की राज्य सरकारों के साथ समीक्षा करता है तथा निर्मुक्त एवं व्यय की गई निधियों, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ इन आईटीडीए द्वारा उपयोग में लाई गई निधियां सम्मिलित हैं, के संबंध में उपयोगिता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने की मांग करता है। साथ ही, जनजातीय कार्य मंत्रालय ने योजना आयोग के कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन (पीईओ) को जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता एवं संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत दिए जाने वाले सहायता अनुदान से संबंधित योजनाओं के मूल्यांकन का कार्य सौंपा है, जिसके अंतर्गत इन आईटीडीए को निधियां राज्य सरकारों के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती हैं।

विवरण

आईटीडीए की सूची

आंध्र प्रदेश (आईटीडीए का नाम)

1. सीथमपेटा
2. पार्वथीपुरम
3. पडेरू
4. रामपचोदावरम
5. के.आर. पुरम
6. भद्राचलम
7. एथुनगरम
8. उल्लूर

उड़ीसा (आईटीडीए का नाम)

1. नीलगिरी
2. बारीपाड़ा
3. रायरंगपुर

4. करंजिया

5. कपटिपाडा

6. सुंदरगढ़

7. पंपोश

8. बोनाई

9. कुचिंडा

10. क्योंझर

11. चम्पुआ

12. परलाखेमुंडी

13. फुलबनी

14. बल्लीगुडा

15. तहसील रामपुर

16. कोरापुट

17. जेयपुर

18. मल्कानगिरी

19. नवरंगपुर

20. रायगडा

21. गुनुपुर

ग्रामीण उत्पादों का विपणन

*385. **श्री ए.वी. बेल्लारमिन:** क्या कृषि और ग्रामीण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्रामीण उद्योगों द्वारा राष्ट्रीय स्तर पर उत्पादित उत्पादों के विपणन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(ख) क्या ऐसे उत्पादों पर अनुमत्य छूट पात्र लाभार्थियों में शीघ्रतापूर्वक संवितरित की जा रही है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार को छूट निर्धारण तथा उसके संवितरण में कथित अनियमितताओं के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है;

(च) क्या सरकार ने इस मामले में कोई जांच की है;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा जांच के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ज) भविष्य में ऐसी अनियमितताओं को रोकने हेतु सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार (कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) द्वारा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) के माध्यम से खादी व ग्रामोद्योग द्वारा उत्पादित उत्पादों के विपणन के लिए किये गये उपायों में खादी उत्पादों और पालीवस्त्र की बिक्री पर रिबेट प्रदान करना, राष्ट्रीय और उप-राष्ट्रीय स्तरों पर प्रदर्शनियां आयोजित करना, खादी और ग्रामोद्योग उत्पादों के विपणन नेटवर्क को मजबूत बनाने के लिए खादी और ग्रामोद्योग संवर्धन परिसंघ की स्थापना करना, केवीआईसी के चुने हुए बिक्री केन्द्रों का आधुनिकीकरण, ब्रांड संवर्धन, गुणवत्ता आश्वासन और प्रौद्योगिकी उन्नयन के लिए योजनाएं कार्यान्वित करना, उत्पाद विकास, सुधरी हुई डिजाइन और पैकेजिंग आदि के लिए संस्थाओं/ग्रामोद्योग इकाइयों को सहायता देना, अद्यतन डिजाइन के सिले-सिलाये खादी परिधानों के विपणन के संवर्धन के लिए "मिशन खादी" प्रारंभ करना आदि शामिल हैं।

(ख) जी, हां।

(ग) उपरोक्त (ख) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) से (ज) उपरोक्त (घ) के दृष्टिगत प्रश्न नहीं उठता।

निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा किए जा रहे बड़े दावों का मूल्यांकन

2787. **कुंवर मानवेन्द्र सिंह:**
श्री हेमलाल मुर्मू:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उच्च शिक्षा प्रदान करने वाले निजी शैक्षिक संस्थाओं द्वारा प्रवेशार्थियों को लुभाने के लिए प्रिंट व इलेक्ट्रानिक मीडिया में किए जा रहे बड़े-बड़े दावों की जांच व मूल्यांकन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में किन उपचारात्मक कदमों पर विचार किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) उच्चतर और तकनीकी शिक्षा के मानकों का सत्यापन एक सतत प्रक्रिया है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विश्वविद्यालयों में मानकों के समन्वय एवं निर्धारण के लिए उत्तरदायी है। इसी प्रकार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् स्वयं द्वारा मान्य तकनीकी संस्थाओं का अनुवीक्षण करती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 के अनुसार डिग्रियां प्रदान करने का अधिकार केवल केन्द्रीय या राज्य अधिनियम के द्वारा या अधीन स्थापित या समाविष्ट विश्वविद्यालय या अधिनियम की धारा 3 के अंतर्गत सम विश्वविद्यालय समझी जाने वाली संस्था या ऐसी संस्था को है जिसे संसद अधिनियम द्वारा डिग्रियां प्रदान करने का विशेष अधिकार प्राप्त है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् के मानकों के अनुसार, अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद् द्वारा अनुमोदित सभी तकनीकी संस्थाओं को अगले वर्ष के अनुमोदन के लिए प्रति वर्ष 31 अगस्त तक प्रस्तावित प्रोफार्मा में सुविधाओं का ब्यौरा देते हुए अनिवार्य विवरण सहित अनुपालन रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होती है। इसके अतिरिक्त यह अनिवार्य विवरण संस्था की वेबसाईट पर भी प्रस्तुत किया जाना चाहिए ताकि विभिन्न स्टेक होल्डर संस्थाओं के संबंध में निर्णय ले सकें। आगे अनुमोदन देने के लिए इन अनुपालन रिपोर्टों का मूल्यांकन विशेषज्ञ समिति द्वारा किया जाता है।

[हिन्दी]

महिला समाख्या कार्यक्रम

2788. श्री विजय कुमार खंडेलवाल:
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में कौन-कौन से राज्यों में महिला समाख्या कार्यक्रम क्रियान्वित किया जा रहा है;

(ख) उक्त कार्यक्रम के लिए राज्यों के चयन हेतु क्या मानदंड हैं;

(ग) क्या सरकार को मध्य प्रदेश के महिला समाख्या कार्यक्रम को राष्ट्रीय महिला समाख्या कार्यक्रम में विलय के बारे में कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो मध्य प्रदेश के महिला समाख्या कार्यक्रम को कब तक मंजूरी दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) राज्य सरकारों के अनुरोधों के आधार पर, 9 राज्यों, अर्थात् आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, केरल, उत्तर प्रदेश तथा उत्तरांचल में महिला समाख्या कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है और मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ के लिए संस्वीकृत किया गया है।

[अनुवाद]

महिला सशक्तिकरण हेतु राष्ट्रीय योजना

2789. श्रीमती प्रतिभा सिंह: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए कोई राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त योजना के क्रियान्वयन की क्या सम्भावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) राष्ट्रीय महिला शक्तिसंपन्नता नीति, 2001 को प्रचालित करने हेतु कार्य योजना के प्रारूप को अभी तक सरकार का अनुमोदन नहीं मिला है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

हथकरघा/हस्तशिल्प बोर्ड में अनियमितताएं

2790. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील:
श्री सुनिल कुमार महतो:
श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री हरिकेवल प्रसाद:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हथकरघा/हस्तशिल्प बोर्ड में किसी अनियमितता की सूचना प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या हथकरघा/हस्तशिल्प बोर्ड और बिचौलियों के बीच कोई सांठ-गांठ पाई गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या उत्तरदायित्व निर्धारित किया गया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) अखिल भारतीय हथकरघा/हस्तशिल्प बोर्ड एवं बिचौलियों के बीच अनियमितताओं की कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है।

द्विपक्षीय समझौते

2791. **श्री राजीव रंजन सिंह ''ललन'':**
डा. चिन्ता मोहन:
श्री नवीन जिन्दल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विश्व व्यापार संगठन की दोहा दौर की वार्ता की असफलता के बाद अपने व्यापार लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अन्य देशों के साथ द्विपक्षीय समझौते करने तथा क्षेत्र समूह बनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ सरकार द्वारा द्विपक्षीय समझौते किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या विश्व व्यापार संगठन की वार्ता में वर्तमान गतिरोध से व्यापार पर पड़ने वाले असर का कोई आकलन किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं (आरटीए) में भारत का शामिल होना विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में दोहा दौर के अंतर्गत वार्ताओं के आस्थगन पर आधारित नहीं है और संपूरक क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाएं जिनसे समूहों का निर्माण होता है तथा जिनका उद्देश्य भारत की विकास संबंधी अनिवार्यताओं को पूरा करना है, के साथ नियम आधारित बहुपक्षीय व्यापार प्रणाली का समर्थन करने की उसकी व्यापार संबंधी नीति जारी हैं।

(ग) और (घ) भारत के व्यापार के निहितार्थों का आकलन दोहा दौर के अंतर्गत वार्ताओं की आवश्यकताओं के अनुसार किया जाता है। व्यापार पर वार्ताओं के आस्थगन के प्रभावों को विलम्ब की अवधि तथा अंतिम अभिसरणों के संभावित स्वरूप समेत अनेक मापदंडों संबंधी अवधारणाएं निर्धारित किए बिना तत्काल निश्चित नहीं किया जा सकता है।

यह सुनिश्चित करने के लिए कि डब्ल्यूटीओ की वार्ताकारी प्रक्रिया तथा दोहा दौर के परिणाम में दोहा मंत्रिस्तरीय घोषणा पत्र, 1 अगस्त, 2004 के जुलाई, 2004 कार्यढांचे और दिसम्बर, 2005 के हांगकांग मंत्रिस्तरीय घोषणापत्र में स्पष्ट की गई विकासशील देशों की विकास संबंधी अनिवार्यताएं शामिल हों, भारत ने अन्य विकासशील देशों, डब्ल्यूटीओ के समान विचार वाले देशों और प्रमुख व्यापारी देशों के साथ अपने संपर्क बढ़ा दिए हैं। सरकार भी वार्ताओं में अपनी स्थिति और कार्यनीति तैयार करने के लिए पणधारकों के साथ विचार-विमर्श करती रही है ताकि दोहा कार्यक्रम के सभी वार्ताकारी क्षेत्रों में भारत के हितों का संरक्षण और चिंताओं का निवारण किया जा सके।

राष्ट्रीय पुलिस आयोग

2792. **श्री रघुवीर सिंह कौशल:**
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को राष्ट्रीय पुलिस आयोग/विशेषज्ञों से 1:500 के पुलिस-जनसंख्या अनुपात में वृद्धि करने के लिए कोई सुझाव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) इस संबंध में राज्य सरकार को दिए गए निदेश/परामर्श का ब्यौरा क्या है; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक पुलिस-जनता अनुपात का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) राष्ट्रीय पुलिस आयोग ने 1:500 के पुलिस-जनसंख्या के अनुपात को प्राप्त करने के लिए कोई विशिष्ट सिफारिश नहीं की है। तथापि, पुलिस जनसंख्या अनुपात को कम से कम 1:500 तक बढ़ाने के संबंध में विभिन्न विशेषज्ञों की सिफारिशों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राज्य सरकारों को सलाह दी है कि वे नए पदों का सृजन करें, पर्याप्त संख्या में वर्तमान रिक्त स्थानों को भरें और कुछ गैर-महत्वपूर्ण पुलिस ड्यूटियों को आउट-सोर्स करें।

(घ) राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा दिए गए आंकड़ों के अनुसार 2003-2005 के दौरान संबंधित राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में पुलिस जनसंख्या अनुपात (प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कार्मिकों की संख्या) का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

2003-2005 के दौरान पुलिस-जनसंख्या अनुपात

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र	अनुपात (प्रति लाख जनसंख्या पर पुलिस कार्मिकों की संख्या)		
		2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	95	99	98
2.	अरुणाचल प्रदेश	506	500	493
3.	असम	188	184	181
4.	बिहार	61	56	57
5.	छत्तीसगढ़	94	92	103
6.	गोवा	260	242	235
7.	गुजरात	109	108	106
8.	हरियाणा	137	171	159
9.	हिमाचल प्रदेश	194	182	178
10.	जम्मू-कश्मीर	550	535	572
11.	झारखंड	75	74	85
12.	कर्नाटक	96	97	98
13.	केरल	136	132	129
14.	मध्य प्रदेश	96	113	113
15.	महाराष्ट्र	139	134	132
16.	मणिपुर	552	531	535
17.	मेघालय	363	379	364
18.	मिजोरम	770	760	854
19.	नागालैंड	567	567	566
20.	उड़ीसा	93	92	90
21.	पंजाब	272	279	276
22.	राजस्थान	108	100	102
23.	सिक्किम	555	602	609
24.	तमिलनाडु	126	138	130

1	2	3	4	5
25.	त्रिपुरा	512	550	542
26.	उत्तर प्रदेश	90	88	84
27.	उत्तरांचल	148	136	131
28.	पश्चिम बंगाल	100	97	94
	कुल (राज्य)	119	119	118
29.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	720	723	707
30.	चंडीगढ़	411	402	407
31.	दादरा और नगर हवेली	93	94	91
32.	दमन और दीव	148	142	139
33.	दिल्ली	371	360	344
34.	लक्षद्वीप	514	506	420
35.	पांडिचेरी	217	219	211
	कुल (संघ शासित क्षेत्र)	367	357	343
	कुल (अखिल भारत)	123	123	122

[अनुवाद]

इग्नू द्वारा बीसीए/एमसीए कार्यक्रम की मान्यता समाप्त करना

2793. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय (इग्नू) के बीसीए और एमसीए कार्यक्रमों की मान्यता समाप्त कर दी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) दूरस्थ शिक्षा परिषद के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत इग्नू द्वारा कार्यक्रमों हेतु अध्ययन सामग्री का विकास करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(घ) वर्ष 1995 से अब तक बीसीए और एमसीए परीक्षा उत्तीर्ण कर चुके छात्रों द्वारा इग्नू की तरफ से कार्रवाई न किए जाने के कारण परेशानी न उठानी पड़े इस बात को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी नहीं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा भारतीय विश्वविद्यालय संघ ने इग्नू के डिग्री/डिप्लोमा/प्रमाणपत्र कार्यक्रमों को मान्यता प्रदान की है। इग्नू का 'एमसीए' कार्यक्रम अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त है। इन पाठ्यक्रमों में इग्नू द्वारा 1995 से प्रदान की जा रही डिग्रियां अन्य केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के समतुल्य हैं।

(ग) विश्वविद्यालय बीसीए के सभी 23 पाठ्यक्रमों तथा एमसीए के सेमेस्टर 1 से 4 हेतु सभी पाठ्यक्रमों के लिए अपने यहां तैयार सामग्री उपलब्ध करा रहा है। सेमेस्टर 5 और 6 की सामग्री तैयार की जा रही है।

(घ) इग्नू द्वारा तैयार की गई अध्ययन सामग्री उच्च मानकों वाली है और इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त है। छात्रों को दूरस्थ माध्यम से यथासंभव उत्कृष्ट शिक्षा दी जाती है और उन्हें नियोक्ताओं, शैक्षिक एवं समकक्ष संस्थाओं द्वारा स्वीकार किया जाता है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्य क्षेत्र

2794. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बागवानी, कृषि, हथकरघा और हस्तशिल्प उद्योगों पर ध्यान केंन्द्रित करते हुए पूर्वोत्तर क्षेत्र में वाणिज्य क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए कोई योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताओं सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके द्वारा राज्य-वार किन-किन क्षेत्रों को सम्मिलित किया गया है;

(ग) इसके अंतर्गत कितनी केन्द्रीय सहायता/भागीदारी प्रदान किए जाने का प्रस्ताव है; और

(घ) इसे कार्यान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (घ) वाणिज्य विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार निर्यात अवस्थापना और संबद्ध कार्यकलापों के विकास (एएसआईडीई) के लिए राज्यों को सहायता की योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों सहित सभी राज्यों को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। तत्पश्चात् प्रधान मंत्री द्वारा 21-22 जनवरी, 2000 को की गई घोषणा के अनुसार इस क्षेत्र से निर्यात विकास के लिए संसाधनों का उपयोग करने के लिए एक निर्यात विकास निधि (ईडीएफ) गठित की गई है। अब तक ई.डी.एफ. के तहत 42 परियोजनाएं स्वीकृत की जा चुकी हैं।

कृषि और सहकारिता विभाग से प्राप्त सूचना के अनुसार उत्तर पूर्वी राज्यों में बागवानी के एकीकृत विकास के लिए प्रौद्योगिकी मिशन से संबंधित एक केंद्रीय प्रायोजित स्कीम 2001-02 में स्वीकृत की गई थी जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ मूल्य संवर्धन, बागवानी, उत्पाद का प्रसंस्करण और विपणन भी शामिल है। दसवीं योजना के दौरान इस योजना के तहत उत्तर पूर्वी राज्यों के लिए 565 करोड़ रु. की राशि आबंटित की गई थी जिससे 2005-06 तक 445.60 करोड़ रु. की राशि जारी की गई ती। इस स्कीम के मिनी मिशन-II के तहत बहुत से मार्किट स्थापित किए जा चुके हैं। राज्य-वार ब्यौरे इस प्रकार हैं:

राज्य	थोक बिक्री मार्किट	ग्रामीण प्राथमिक मार्किट	अपनी मंडियां	ग्रेडिंग प्रयोगशाला	जारी राशि (करोड़ रु. में)
असम	2	25	–	7	2.17
अरुणाचल प्रदेश	6	24	–	2	2.91
मिजोरम	10	87	–	2	8.79
नागालैंड	8	82	43	–	8.16
सिक्किम	1	14	–	3	0.85
मणिपुर	–	–	–	–	–
मेघालय	2	11	–	2	0.95
त्रिपुरा	–	–	–	–	–
कुल	29	243	43	16	23.83

जहां तक हथकरघा और हस्तशिल्प क्षेत्रों का संबंध है, वस्त्र मंत्रालय ने सूचित किया है कि उत्तर पूर्वी राज्यों में इन दोनों के विकास के लिए बहुत सी स्कीमें कार्यान्वित की जा रही हैं। गत तीन वर्षों के दौरान उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए विभिन्न स्कीमों के तहत जारी निधियां इस प्रकार हैं।

क्र.सं.	वर्ष	जारी राशि (करोड़ रु. में)	
		हथकरघा	हस्तशिल्प
1.	2003-04	22.58	7.13
2.	2004-05	27.08	14.74
3.	2005-06	31.34	18.03

मानित विश्वविद्यालयों द्वारा नए पाठ्यक्रम

2795. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानित विश्वविद्यालयों द्वारा नए पाठ्यक्रमों हेतु यूजीसी की अनुमति प्राप्त करने में कतिपय समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई किए जाने का प्रस्ताव है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने सूचित किया है कि सम-विश्वविद्यालयों की समस्याओं को ध्यान में रखते हुए आयोग ने यह निर्णय लिया है कि "सम-विश्वविद्यालय" का दर्जा प्राप्त संस्थाओं को आयोग के पूर्व-अनुमोदन के बिना विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 22 के तहत विनिर्दिष्ट और सामान्य शिक्षा के तहत शामिल किए गए विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, तथा मानविकी विषयों में डिग्री पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए अधिकृत किया जाएगा बशर्ते कि अध्ययन के ऐसे सामान्य पाठ्यक्रम संस्थाओं के अपने अनुमोदित परिसर में शिक्षण कक्ष अध्यापन के माध्यम से नियमित आधार पर चलाये जाते हों तथा सम-विश्वविद्यालय इस संबंध में समय-समय पर जारी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के विनियमों का अनुपालन करेंगे।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने यह भी बताया है कि अपने अनुमोदित परिसरों में परंपरागत शिक्षण कक्ष के माध्यम से सम-विश्वविद्यालयों द्वारा प्रदान किए जाने वाले व्यावसायिक पाठ्यक्रम, जो पहले से अन्यत्र चल रहे हों, के संबंध में आयोग का पूर्व-अनुमोदन अपेक्षित नहीं होगा; संस्थानों को संबद्ध व्यावसायिक/सांविधिक परिषदों द्वारा निर्धारित मानदंडों तथा मानकों को बनाए रखना होगा तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और उपयुक्त परिषद, जैसा भी मामला हो, द्वारा सत्यापन के लिए तैयार रहना होगा। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 15 जुलाई, 2006 के अपने पत्र के तहत उक्त निर्णयों से सम-विश्वविद्यालयों को अवगत करा दिया है।

केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम

2796. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पूर्वोत्तर भारत को इसके इतिहास, संस्कृति और भूगोल के संबंध में केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यपुस्तकों में पर्याप्त रूप से प्रतिनिधित्व नहीं मिल पाया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या 16वीं सदी के वैष्णव संत महापुरुष श्रीमंत शंकरदेव के योगदान को केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड पाठ्यक्रम में सम्मिलित करने के लिए कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक मूर्त रूप दिए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, नहीं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की पाठ्यचर्या पर आधारित पाठ्यपुस्तकों में पूर्वोत्तर भारत के इतिहास, संस्कृति तथा भूगोल के संबंध में जानकारी समुचित मात्रा में है।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् द्वारा तैयार की जा रही कक्षा-XII की इतिहास की पाठ्यपुस्तक जिसमें "धार्मिक इतिहास: भक्ति-सूफी परंपरा" को व्यापक रूप से शामिल किया गया है, को शैक्षिक सत्र 2007-08 से लागू कर दिया जाएगा।

बाल्को का विनिवेश

2797. श्री गिरिधर गमांग:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बाल्को के संबंध में विनिवेश मंत्रालय और स्टर्लाइट कंपनी के बीच विनिवेश की क्या कार्यविधि अपनायी गई है;

(ख) विनिवेश मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर खान मंत्रालय सहित संबद्ध मंत्रालयों द्वारा क्या दृष्टिकोण अपनाया गया है;

(ग) बाल्को के रणनीतिक साझेदार के साथ हस्ताक्षरित बिक्री हेतु समझौते की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या नोडल मंत्रालय एवं वित्त मंत्रालय ने बाल्को की 49% हिस्सेदारी की बिक्री स्टर्लाइट कंपनी को करने का निर्णय ले लिया है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ग) भारत सरकार ने भारत एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (बालको) ने अपनी शेयर होल्डिंग के 51% शेयरों का 2 मार्च, 2001 को स्ट्रेटेजिक पार्टनर (एसपी) नामत: मै. स्टर्लाइट इण्डस्ट्रीज (इंडिया) लिमिटेड (एसआईआईएल) को विनिवेश किया है। भारत सरकार और एसपी के बीच शेयर होल्डर एग्रीमेंट (एस.एच.ए.) तथा शेयर परचेज एग्रीमेंट (एस.पी.ए.) पर हस्ताक्षर भी किये गये थे। सरकार द्वारा धारित बकाया 49% शेयरों के विनिवेश तथा अधिग्रहण की कार्य-विधि एस.पी.ए. तथा एस.एच.ए. में दी गई हैं।

एस.एच.ए. के प्रावधानों के अनुसार एस.पी. ने बालको के बकाया शेयरों को अधिगृहीत करने के लिए काल नोटिस भेजा था। काल नोटिस के प्राप्त होने के पश्चात् खान मंत्रालय ने विनिवेश विभाग के परामर्श से तथा विनिवेश संबंधी सचिवों के कोर ग्रुप (सी.जी.डी.) की सिफारिशों के अनुसार बकाया 49% शेयरों का एस.एच.ए. के प्रावधानों के अनुसार मूल्यांकन की प्रक्रिया आरम्भ की।

भारत के विद्वान अटार्नी जनरल ने राय व्यक्त की है कि एस.एच.ए. के अंतर्गत काल आपशन तथा मूल्यांकन तारीख के प्रावधान कंपनी अधिनियम के नियम विरुद्ध होने के कारण प्रभावी नहीं है।

(घ) और (ङ) सरकार ने इस बारे में कोई निर्णय नहीं लिया है।

जनजातीय व्यक्तियों की हत्या के संबंध में रिपोर्ट

2798. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने छत्तीसगढ़ सरकार से जनजातीय व्यक्तियों की हत्या के संबंध में रिपोर्ट मांगी है जैसा कि दिनांक 20 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट का ब्यौरा क्या है; और

(ग) जनजातीय व्यक्तियों के विकास हेतु सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने छत्तीसगढ़ राज्य सरकार से एक रिपोर्ट मांगी थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि 16/17 जुलाई, 2006 की रात पांच सौ अज्ञात हथियारबंद नक्सलियों के एक दल ने दांतेवाड़ा जिला में ग्राम-एराबोर स्थित "साल्वा जूदूम" आंदोलन के राहत शिविर पर हमला किया था। इस घटना में, 31 व्यक्ति मारे गए थे और 20 व्यक्ति जख्मी हुए थे। छत्तीसगढ़ राज्य सरकार ने प्रत्येक मृतक व्यक्ति के परिवार को एक लाख रुपए की राशि स्वीकृत की है। राज्य सरकार ने गंभीर रूप से घायल चार व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए 30,000/- रुपए, 13 अन्य घायल व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए 20,000/- रुपए और मामूली रूप से घायल 3 व्यक्तियों में से प्रत्येक के लिए 2000/- रुपए की राशि भी स्वीकृत की है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार ने मृतक व्यक्ति के एक-एक आश्रित को रहने के लिए घर, जिसका मूल्य एक लाख रुपए है और सरकारी नौकरी प्रदान करने का भी निर्णय किया है। राज्य सरकार ने "साल्वा जूदूम" आंदोलन शिविरों की सुरक्षा बढ़ा दी है।

(ग) राज्य सरकार के विकास कार्यक्रमों और भारत सरकार के विभिन्न सेक्टोरल मंत्रालयों द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं, जिसके अंतर्गत जनजाति के लोग और अन्य लोग भी आते हैं, के अतिरिक्त, यह मंत्रालय देश की अनुसूचित जनजातियों के विकास के लिए कई केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं का कार्यान्वयन भी करता है। इन योजनाओं का ब्यौरा मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है।

तंबाकू का उत्पादन

2799. श्री रनेन बर्मन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान तंबाकू के उत्पादन और उसकी मात्रा, मूल्य, भूमि आकार तथा इसकी खेती करने वाले किसानों की संख्या का राज्यवार ब्यौरा क्या है; और

(ख) देश में तंबाकू के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विगत पांच वर्षों के दौरान उत्पादित तम्बाकू की मात्रा, मूल्य, रोपित क्षेत्र और पंजीकृत उपजकर्ताओं की संख्या का राज्यवार ब्यौरा निम्नानुसार है–

फसल वर्ष/राज्य	पंजीकृत उपजकर्ताओं की संख्या	रोपित क्षेत्र (हैक्टे.)	उत्पादित फसल (मात्रा) (मिलियन कि.ग्रा.)	मूल्य रुपए में (करोड़ रुपए)
2001-02				
आंध्र प्रदेश	44029	87753	102.04	398.82
कर्नाटक	18751	47699	57.68	220.97
कुल	62780	135452	177.72	619.79
2002-03				
आंध्र प्रदेश	44782	93209	127.67	444.71
कर्नाटक	19351	56365	63.26	275.82
कुल	64133	149574	190.93	720.53
2003-04				
आंध्र प्रदेश	45583	109373	147.97	516.48
कर्नाटक	19702	69159	73.69	298.09
कुल	65285	178532	221.66	814.57
2004-05				
आंध्र प्रदेश	45387	113334	153.00	553.26
कर्नाटक	39702	69701	90.34	428.41
कुल	85089	183035	243.34	981.67
2005-06				
आंध्र प्रदेश	46551	117244	145.34	673.99
कर्नाटक	40544	73980	82.91	398.51
कुल	87095	191224	228.25	1072.50

(ख) तम्बाकू बोर्ड द्वारा बदलती हुई अंतर्राष्ट्रीय मांग व गुणवत्ता के अनुरूप तम्बाकू की गुणवत्ता एवं उत्पादन में सुधार हेतु विभिन्न विस्तार एवं विकासात्मक स्कीमों के जरिए तम्बाकू उत्पादकों को सहायता प्रदान की जाती है। बोर्ड द्वारा फार्म यंत्रीकरण, समेकित कीट प्रबंधन, खत्तों में वेंचुरी भट्टियां लगाने एवं खत्तों की छत को ऊष्मारोधी बनाने आदि जैसे ऊर्जा संरक्षण के उपायों जैसी विभिन्न स्कीमों के तहत उपजकर्ताओं को 25% से 50% तक सब्सिडी प्रदान की जाती है। बोर्ड, तम्बाकू की फसलों की सिंचाई के लिए छोटे बांधों/खेतों में तालाबों के निर्माण में किसानों को सहायता भी प्रदान करता है और उनके लिए निविष्टि ऋणों व फसल ऋणों की व्यवस्था करता है।

[हिन्दी]

प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि

2800. श्री संतोष गंगवार: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विनिर्माण क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में वृद्धि करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी क्षेत्र-वार ब्यौरा क्या है और इससे विनिर्माण क्षेत्र को कितना लाभ होने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) निम्नलिखित को छोड़कर सभी विनिर्माणकारी कार्यकलापों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है:-

(i) रक्षा (जहां 26 प्रतिशत तक की इक्विटी की सीमा है और प्रवेश मार्ग प्रतिबंधित है);

(ii) सिगार तथा सिगरेट विनिर्माण (जहां प्रवेश मार्ग प्रतिबंधित है);

(iii) जहां प्रेस नोट 1 (2005 श्रृंखला) के उपबंध आकृष्ट होते हैं अर्थात् जहां विदेशी निवेशक का भारत में उसी क्षेत्र में मौजूदा संयुक्त उद्यम हैं (जहां प्रवेश मार्ग प्रतिबंधित है);

(iv) जहां 24 प्रतिशत से भी ज्यादा विदेशी इक्विटी लघु क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए लगाए जाने का प्रस्ताव है (जहां प्रवेश मार्ग प्रतिबंधित है)।

नीति तथा प्रक्रियाओं दोनों को उदार बनाने/युक्तियुक्त बनाने/सरल बनाने के उद्देश्य से एफडीआई नीति की लगातार समीक्षा की जाती है ताकि उद्योग तथा उद्यमियों के लिए अधिकतम लाभ प्राप्त हो सके। इस नीति की जनवरी, 2006 में अंतिम बार समीक्षा की गई थी।

[अनुवाद]

केंद्रीय विद्यालयों/नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती

2801. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार केंद्रीय और नवोदय विद्यालयों में अध्यापकों की भर्ती हेतु न्यूनतम पात्रता मानदंड में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के अभ्यर्थियों को अंकों में 5 प्रतिशत की छूट की अनुमति नहीं दे रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) इस संबंध में अन्य संगठनों की वर्तमान स्थिति क्या है;

(घ) क्या इससे शैक्षिक संस्थाओं सहित सरकारी सेवाओं में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति हेतु सरकारी निर्देशों/संवैधानिक उपबंधों का उल्लंघन होगा; और

(ङ) यदि हां, तो अनुसूचित जाति/जनजाति के कल्याण हेतु इस स्थिति में सुधार करने के लिए सरकार का क्या कदम उठाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण तथा छूट की भारत सरकार की विद्यमान नीति के अनुसार भर्ती नियमावली में जो शैक्षणिक योग्यता निर्धारित की गई है, अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों को उपर्युक्त योग्यता पूरी करनी चाहिए। इसी प्रकार जब शैक्षणिक योग्यता के भाग के रूप में न्यूनतम अंक या न्यूनतम ग्रेड भी निर्धारित किए जाते हैं तो निर्धारित अंक/ग्रेड अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों सहित सभी उम्मीदवारों पर समान रूप से लागू होंगे।

(ग) आशा है कि अन्य संगठन भी भारत सरकार की आरक्षण नीति के प्रावधानों का अनुसरण करेंगे।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

नागरिकों में देशभक्ति की भावना

2802. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का इरादा सीमा पार आतंकवाद का सामना करने के लिए आकाशवाणी और दूरदर्शन के माध्यम से देशवासियों में देशभक्ति की भावना पैदा करने का है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या सरकार की योजना, पाकिस्तान, बांग्लादेश और भूटान की सीमाओं पर रहने वाले लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं को संरक्षण दे उन्हें शामिल करने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) प्रसार भारती, एकता और देशभक्ति की सामान्य भावना को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय एकता और सांप्रदायिक सद्भावना पर कई कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है। सीमा पार से आतंकवाद का सामना करने के लिए कशिर चैनल/पूर्व चैनल और डीडी-1 राष्ट्रीय चैनल और आकाशवाणी के स्टेशनों पर भी विशिष्ट कार्यक्रम प्रसारित किए जा रहे हैं।

(ग) प्रसार भारती, उन लोगों की क्षेत्रीय आकांक्षाओं और सांस्कृतिक विरासत को संरक्षण प्रदान करते हुए जम्मू कश्मीर विशेष रूप से गोजरी, डोगरी, वाल्ती, शीना और पुस्तों आदि में और पूर्वोत्तर राज्यों की क्षेत्रीय भाषाओं/बोलियों, में कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहा है।

इसके अतिरिक्त, सरकार, सीमा प्रबंधन के व्यापक दृष्टिकोण के एक भाग के रूप में सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम (बीएडीपी) को कार्यान्वित कर रही है जिसमें सीमा क्षेत्रों के सामाजिक-आर्थिक विकास और वहां रह रहे लोगों में सुरक्षा की भावना पैदा करने पर जोर दिया जाता है। पाकिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार और बांग्लादेश के साथ पूरी भू-सीमा के साथ लगे हुए राज्यों के 94 जिलों के 345 ब्लाकों को बीएडीपी के अंतर्गत शामिल किया गया है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

खाद्य और पोषण बोर्ड

2803. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान खाद्य और पोषण बोर्ड (एफ.एन.बी.) द्वारा शुरू किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(ख) इसके परिणामस्वरूप खाद्य और पोषण बोर्ड को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा किए गए कार्यकलापों का ब्यौरा मंत्रालय की वर्ष 2005-06 की वार्षिक रिपोर्ट में दिया गया है, जो सदन के पुस्तकालय में उपलब्ध है।

(ख) खाद्य एवं पोषण बोर्ड द्वारा चलाए गए पोषण समर्थन एवं नीति निर्माताओं में संचेतना तथा पोषण शिक्षा एवं प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने निम्नलिखित के क्षेत्र में काफी योगदान दिया है:-

- 17.11.2005 से गैर-आयोडीनयुक्त नमन की बिक्री पर पुनः प्रतिबंध।
- समेकित बाल विकास स्कीम और मध्याह्न भोजन स्कीमों में आयोडीनयुक्त नमक का प्रयोग।
- सार्वजनिक वितरण प्रणाली में आयोडीनयुक्त नमक शामिल करना।
- गेहूं के आटे का आयरन और फालिक एसिड से सम्पुष्टिकरण और पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश और गुजरात में प्रायोगिक आधार पर सार्वजनिक वितरण प्रणाली के जरिए वितरण करना।
- बिहार, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल और गुजरात में समेकित बाल विकास सेवा के लाभार्थियों को अल्पपोषक तत्वों से युक्त कैन्डीज का वितरण करना।
- पोषण के बारे में विभिन्न स्तरों पर जागरूकता उत्पन्न करना।

ट्राइफेड

2804. श्री जोआकिम बखला: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पश्चिम बंगाल और बिहार में ट्राइफेड के माध्यम से आदिवासियों से संबंधित योजनाओं के क्रियान्वयन में स्वैच्छिक संगठनों को शामिल किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और प्रत्येक स्वैच्छिक संगठन को 31 जुलाई, 2006 तक कितनी धनराशि प्रदान की गई है;

(ग) स्वीकृत लेकिन जारी नहीं की गई निधियों का ब्यौरा क्या है और निधियां जारी नहीं किए जाने के क्या कारण हैं;

(घ) क्या प्रत्येक योजना के क्रियान्वयन की कोई समीक्षा की गई है; और

(ङ) यदि हां, तो उनके वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ मर्यादित (ट्राइफेड) जनजातीय कारीगरों के स्व-सहायता समूहों के गठन, कौशल उन्नयन, प्रशिक्षण, डिजाइन और तकनीकी विकास कार्यशालाओं का आयोजन और हस्तशिल्प के उत्पादन के कार्यों में पश्चिम बंगाल के स्वैच्छिक संगठनों को सहभागी बनाता है। बिहार का कोई स्वैच्छिक संगठन इस कार्य में सम्मिलित नहीं है। 31.7.2006 तक पश्चिम बंगाल में अनुसूचित जनजातियों से संबंधित योजनाओं के कार्यान्वयन में सम्मिलित स्वैच्छिक संगठनों को ट्राइफेड द्वारा उपलब्ध कराई गई निधियों का योजनावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) निर्मुक्ति के लिए कोई निधि लंबित नहीं है।

(घ) और (ङ) जी, हां। ट्राइफेड योजनाओं की आवधिक निगरानी एवं समीक्षा करता है। इसके अतिरिक्त, ट्राइफेड के अपने प्रतिनिधि परियोजनाओं का दौरा करते हैं ताकि बाबा साहेब अम्बेडकर हस्तशिल्प विकास योजना (एएचवीवाई) के मार्गदर्शी सिद्धांतों के अनुसार अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

विवरण

पश्चिम बंगाल के स्वैच्छिक संगठनों ट्राइफेड द्वारा प्रदान की गई निधियां

क्र.सं.	वर्ष	स्वैच्छिक संगठन का नाम	गतिविधियां	धनराशि (लाख रुपए में)
1	2	3	4	5
1.	2003-04	इंस्टीट्यूट आफ इंटरनेशनल सोशल डेवलपमेंट (आईआईएसडी), कोलकाता	300 जनजातीय हस्तशिल्प कारीगरों को शामिल कर 24 स्वयं सहायक समूहों (एसएचजी) का निर्माण तथा बेसलाइन सर्वेक्षण मोबलाइजेशन	1.50
2.	2003-04	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट (टीएसआरडी), बोलपुर, पश्चिम बंगाल	200 जनजातीय हस्तशिल्प कारीगरों को शामिल कर 16 स्वयं सहायक समूहों (एसएचजी) का निर्माण तथा बेसलाइन सर्वेक्षण मोबलाइजेशन	1.00
3.	2003-04	प्रेमबाजर इनिशिएटिव, खड़गपुर, पश्चिम बंगाल	262 जनजातीय हस्तशिल्प कारीगरों को शामिल कर 25 स्वयं सहायक समूहों (एसएचजी) का निर्माण तथा बेसलाइन सर्वेक्षण मोबलाइजेशन	1.25
4.	2003-04	कल्याण, रामकृष्ण मिशन, पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	261 जनजातीय हस्तशिल्प कारीगरों को शामिल कर 19 स्वयं सहायक समूहों (एसएचजी) का निर्माण तथा बेसलाइन सर्वेक्षण मोबलाइजेशन	1.25
5.	2005-06	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट (टीएसआरडी), बोलपुर, पश्चिम बंगाल	5 क्राफ्टों में 180 कारीगरों को कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	3.08
6.	2005-06	टैगोर सोसायटी फार रूरल डेवलपमेंट (टीएसआरडी), बोलपुर, पश्चिम बंगाल	5 क्राफ्टों में 150 कारीगरों को डिजाइन तथा तकनीकी विकास कार्यशाला (डीटीडीडब्ल्यू)	3.99

1	2	3	4	5
7.	2005-06	संजीबनी उन्नयन संस्थान (एसयूएस), पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	3 क्राफ्टों में 120 कारीगरों का कौशल उन्नयन प्रशिक्षण	1.43
8.	2005-06	संजीबनी उन्नयन संस्थान (एसयूएस), पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	3 क्राफ्टों में 90 कारीगरों को डिजाइन तथा तकनीकी विकास कार्यशाला (डीटीडीडब्ल्यू)	2.88
9.	2005-06	संजीबनी उन्नयन संस्थान (एसयूएस), पुरुलिया, पश्चिम बंगाल	लीफ कप प्लेट बनाने हेतु प्रशिक्षण का आयोजन	0.04
10.	2006-07 (जुलाई, 2006 तक)	बीरभूम सोसायटी फार कम्यूनिटी डेवलपमेंट (बीएससीडी), बोलपुर पश्चिम बंगाल	उपर्युक्त प्रशिक्षित कारीगरों द्वारा हस्तशिल्प उत्पादन का निरीक्षण एवं निर्माण	1.65

[हिन्दी]

पुलिस बल के आधुनिकीकरण के लिए निधियों का आबंटन

2805. श्री कैलाश मेघवाल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पुलिस बल के आधुनिकीकरण के अंतर्गत निधियों के आबंटन के लिए राज्यों का श्रेणीकरण किस आधार पर किया गया है;

(ख) क्या कुछ राज्यों ने राज्यों का पुन: श्रेणीकरण करने की मांग है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) राज्य पुलिस बलों की आधुनिकीकरण योजना (एमपीएफ योजना) के तहत राज्यों को आवंटन, जनसंख्या, पुलिस बल की स्वीकृत संख्या, पुलिस स्टेशनों की संख्या और प्रति लाख जनसंख्या पर अपराध के आधार पर किया जाता है। शुरू में यह योजना, केंद्र और राज्यों के बीच 50:50 की हिस्सेदारी के आधार पर चलाई गई थी। इसके बाद, उनके सामने आई विद्रोह, उग्रवाद या आतंकवाद की समस्या के कारण 2005-06 में 8 राज्यों को, 100% केन्द्रीय निधि के साथ श्रेणी "क" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। 50% की समान हिस्सेदारी प्रदान करने में बाकी 20 राज्यों की असमर्थता के कारण इन राज्यों को इस योजना के तहत 75% केन्द्रीय निधि के साथ श्रेणी "ख" के रूप में वर्गीकृत किया गया था। यहां तक कि श्रेणी "ख" के राज्यों में नक्सल प्रभावित जिलों को प्रति वर्ष प्रति प्रभावित जिला 2.00 करोड़ रुपए तक की पूरी केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई है। इसी प्रकार, एमपीएफ योजना के लिए राज्य से समग्र परिव्यय के अंदर, भारत-नेपाल और भारत-भूटान सीमाओं पर स्थित जिलों के लिए, प्रति वर्ष प्रति जिले के वास्ते 1.00 करोड़ रुपए की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

(ख) और (ग) राज्यों का वर्गीकरण, सरकार द्वारा निर्धारित विशिष्ट मानदंडों पर आधारित है।

[अनुवाद]

कपास का उत्पादन

2806. श्री जी. करुणाकर रेड्डी: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वर्ष के दौरान आयातित कपास की मात्रा कितनी है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष किन-किन देशों से कपास का आयात किया गया है और प्रत्येक देश से आयातित कपास की मात्रा कितनी है; और

(ग) आगामी वर्षों में वस्त्र उद्योग के निर्यातों में संभावित वृद्धि को पूरा करने के लिए क्या प्रबंध किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) चालू वर्ष के दौरान आयातित कपास की मात्रा (केवल अप्रैल, 2006 की उपलब्ध सूचना) 10783 क्विंटल है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान विभिन्न देशों से आयात की गई कपास के मात्रावार आंकड़े संलग्न विवरण-I में दिए गए हैं।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के लाभार्थ उठाए गए विभिन्न कदम संलग्न विवरण-II में दिए गए हैं।

विवरण I

वर्ष 2003-04, 2004-05 और 2005-06 के दौरान विभिन्न देशों से आयात की गई कपास

(मात्रा में आंकड़े)

देश	2003-04	2004-05	2005-06 (अनंतिम)
1	2	3	4
आस्ट्रेलिया	2910	3182	1402
ऑस्ट्रिया	410	–	–
बंग्लादेश पी आर	1198	11645	12084
बेल्जिम	13	–	–
बेनिन	11030	8042	100
ब्राजील	912	8614	1113
ब्रेनई	7	–	–
बूकिना फासो	5360	5660	296
कैमरून	6096	3804	900
कनाडा	43	19	–
चाड	2690	1154	–
चीन जन. गण.	558	287	16
कोस्टा रिका	–	79	–
मिस्र एआरपी	33893	20466	24425
एथोपिया	460	375	–
एरीट्रेया	60	582	–
फ्रांस	384	–	–
जार्जिया	16	–	–
जर्मनी	281	40	133
घाना	120	134	–
ग्रीस	24150	2639	237
हांग-कांग	–	–	14
हंगरी	–	16	–
इंडोनेशिया	1963	1469	1559
ईरान	1270	285	368
इस्रायल	913	298	2233
इटली	2	–	30
कोटे डी आइवरी	5294	4847	1634
जापान	17	25	21
कजाकिस्तान	703	–	–
कीनिया	191	112	46
कोरिया आर पी	66	121	–
लातिविया	99	218	–
मेडागॉस्कर	–	552	–
मलावी	–	63	–
मलेशिया	278	316	59
माली	20883	9170	1421
मॉरीशश	–	34	–
मोजाम्बिक	667	711	190
नामीबिया	25	–	–
नेपाल	4	–	1342
नाइजीरिया	912	1031	1338

1	2	3	4
पाकिस्तान आईआर	1	4318	–
पेरागुए	–	1833	–
पेरू	46	12	20
पोलैंड	17	–	–
सेनेगल	282	1174	–
सिंगापुर	200	59	40
दक्षिण अफ्रीका	1079	490	–
स्पेन	50	639	–
श्रीलंका डीएसआर	8	97	72
सूडान	10644	3716	7211
स्वीडन	–	17	101
स्विटरलैंड	91	1970	18
सीरिया	1695	1161	270
तजाकिस्तान	2541	1262	3127
तंजानियां	6351	23444	3020
थाइलैंड	204	37	159
टोगो	691	101	–
टर्की	409	908	540
तुर्कमेनिस्तान	4912	6396	6182
यूगांडा	408	3459	435
संयुक्त अरब अमीरात	265	226	26
ब्रिटेन	161	3	97
यूक्रेन	47	5	–
यूएसए	92823	45690	22432
उज्बेकिस्तान	5715	4281	3353
वियतनाम सो. रिप.	–	–	156
वालीस एफआईएस	–	116	–
जाम्बिया	–	1951	–
जिम्बाम्बे	–	2733	–
अवर्णित	381	90	20
कुल	252899	192178	98240

विवरण II

वस्त्र क्षेत्र की सहायता के लिए हाल ही में विगत में सरकार द्वारा उठाए गए महत्वपूर्ण कदम

(1) प्रतिस्पर्धी निचले स्तर के वस्त्र उत्पादों के विनिर्माण एवं निर्यात के लिए कपास की उत्पादकता एवं गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए सरकार ने कपास प्रौद्योगिकी मिशन (टीएमसी) शुरू किया है। इस मिशन में कपास बाजार यार्डों के उन्नयन और जिनिंग एवं प्रैसिंग कारखानों के आधुनिकीकरण के माध्यम से उत्पादकता में वृद्धि करने और प्रदूषण कम करने में सफलता हासिल की है।

(2) संगठित एवं असंगठित दोनों में वस्त्र उद्योग के आधुनिकीकरण एवं उन्नयन को सुकर बनाने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की गई थी। वस्त्र उद्योग के लक्षित उप-क्षेत्रों में तेजी से निवेश बढ़ाने के लिए इस योजना को और अधिक अच्छा बनाया गया है। आयात पर सीमा शुल्क कम करके मशीनों की लागत और भी कम कर दी गई है।

(3) वस्त्र प्रसंस्करण क्षेत्र के तेजी से आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने मौजूदा 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के अलावा टीयूएफएस के तहत 20.4.2005 से 10% की दर से ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना शुरू की है।

(4) लघु वस्त्र एवं पटसन औद्योगिक एककों के लिए सरकार ने ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना (सीएलसीएस) 13.1.2005 से 12% से बढ़ाकर 15% कर दी है।

(5) विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण को सुकर बनाने के लिए उच्च प्रौद्योगिकी बुनाई पार्क, विद्युतकरघा सेवा केन्द्रों का आधुनिकीकरण एवं सुदृढ़ीकरण, समूह कार्यशाला योजना और 20% की दर पर ऋण संबद्ध पूंजीगत सब्सिडी योजना जैसी योजनाएं शुरू की गई हैं।

(6) वस्त्र उद्योग को अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय एवं सामाजिक मानकों को पूरा करने वाले अपने वस्त्र एककों की स्थापना करने के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए अगस्त, 2005 में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) पर आधारित "एकीकृत वस्त्र पार्क योजना" (एसआईटीपी) नामक एक योजना शुरू की गई है।

(7) बजट 2004-05 में, 'मानव निर्मित फाइबर एवं फिलामैंट यार्न' को छोड़कर समस्त वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से वैकल्पिक छूट प्रदान की गई थी। बजट 2005-06

में, 'पोलिएस्टर फिलामेंट यार्न' पर केन्द्रीय मूल्य वर्द्धित कर 24% से घटाकर 16% कर दिया गया है। वित्तीय प्रभारों में इन संशोधनों का उद्देश्य वस्त्र क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए और अधिक निवेश आकर्षित करना है।

(8) कोटा पश्चात व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था में अपने उत्पादों को अंतर्राष्ट्रीय रूप से प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए अत्याधुनिक मशीनरी का आयात सुकर बनाने के लिए बजट, 2005-06 में वस्त्र मशीनों पर सीमा शुल्क कम कर 10% कर दिया गया है जिसमें सूची 49 में दर्शायी गयी 23 मशीनें शामिल नहीं हैं, जिन पर 15% आधारभूत सीमा शुल्क (बीसीडी) है। 5% का रिआयती शुल्क अधिकतर मशीनरी मदों पर 5% ही है।

(9) बजट 2005-06 में निटिंग एवं निटवियर की 30 मदें अनारक्षित कर दी गई हैं इससे अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा का सामना करने के लिए बड़े आकार की आधुनिकीकृत एककों की स्थापना करना सुकर होगा।

(10) बजट 2006-07 में वस्त्र क्षेत्र के लिए निम्नलिखित घोषणाएं की गई हैं:-

* सभी मानवनिर्मित फाइबर यार्न और फिलामेंट यार्न पर उत्पाद शुल्क 16% से घटाकर 8% करना।
* सभी मानवनिर्मित फाइबर और यार्न पर आयात शुल्क 16% से घटाकर 10% करना।
* डीएमटी, पीटीए और एमईजी जैसी कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क 16% से घटाकर 10% करना।
* वर्ष 2006-07 के लिए टीयूएफएस के लिए आवंटन 435 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 535 करोड़ रुपए करना।
* वर्ष 2006-07 के लिए हथकरघा क्षेत्र के लिए प्रावधान 195 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 241 करोड़ रुपए करना।
* एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी) के लिए 2006-07 के दौरान 189 करोड़ रुपए का प्रावधान।
* राष्ट्रीय पटसन बोर्ड की स्थापना के साथ-साथ गोल्डन फाइबर की संभाव्यता बढ़ाने के लिए 2006-07 में पटसन प्रौद्योगिकी मिशन शुरू करना।

(11) सरकार ने बैंकों को वस्त्र क्षेत्र के लिए 8-9% की ब्याज दर पर ऋण देने की अनुमति प्रदान करने के मुख्य उद्देश्य से सितम्बर, 2003 से ऋण पुनर्गठन योजना शुरू की है।

(12) निचले स्तर पर बढ़ती हुई कुशल कार्मिकों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए सरकार मौजूदा अपैरल प्रशिक्षण एवं डिजाइन केन्द्रों (एटीडीसी) को सुदृढ़ बनाने तथा नए एटीडीसी खोलने के लिए सहायता प्रदान कर रही है।

(13) सरकार ने स्वचालित मार्ग के तहत वस्त्र क्षेत्र में 100% प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दी है।

(14) सरकार ने सिले-सिलाए परिधानों, हौजरी और निटवियर को लघु उद्योग क्षेत्र से अनारक्षित कर दिया है ताकि इन क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश बढ़ाया जा सके।

(15) राष्ट्रीय फैशन प्रौद्योगिकी संस्थान (निफ्ट) की स्थापना उद्योग के प्रबंधन के लिए प्रशिक्षित व्यावसायिकों को शामिल करके मूल्य वर्द्धन की संकल्पना के प्रति उद्योग को संवेदनशील बनाने के लिए अग्रणी भूमिका प्रदान करने के लिए की गई है। इसके फलस्वरूप, उद्योग की सेवा में लगे विभिन्न क्षेत्रों में प्रशिक्षित व्यावसायिकों की मांग बढ़ी है।

(16) विश्व अर्थव्यवस्थाओं के खुल जाने से बदलते हुए व्यापार परिवेश में फैशन शिक्षा पर गंभीरता से ध्यान देने के लिए सरकार निम्नलिखित के लिए कदम उठा रही है:-

- अंतर्राष्ट्रीय निर्धारणों से युक्त फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता के संस्थान की स्थापना।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा के मानकीकरण और निर्धारण के लिए एक प्रमुख एजेंसी की नियुक्ति।
- देश में फैशन व्यापार शिक्षा प्रदान करने वाले शिक्षकों/प्रशिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिए एक शीर्ष इकाई की स्थापना।

[हिन्दी]

सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत निधियां

2807. श्री कैलाश बैठा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार सरकार द्वारा केंद्र सरकार को सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत भेजे गए अपने प्रस्ताव में वित्तीय वर्ष 2005-06 में सरकारी प्राथमिक एवं हाई स्कूलों में पेयजल एवं शौचालय सुविधाएं प्रदान करने के लिए कितनी धनराशि मांगी गयी है;

(ख) इस शीर्ष के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा बिहार को कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या इस धनराशि का पूर्ण उपयोग किया गया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सर्व शिक्षा अभियान, जिसके अंतर्गत प्रारंभिक स्तर की शिक्षा शामिल है के तहत स्कूलों में पेयजल तथा शौचालय सुविधाओं के लिए बिहार राज्य को वर्ष 2005-06 में 3396 लाख रु. की राशि संस्वीकृत की गई, जो सर्व शिक्षा अभियान, बिहार द्वारा मांग की गई 2280 लाख रु. की राशि से अधिक थी। बिहार में सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम में 31.3.2006 तक 2165 लाख रु. की राशि प्रयुक्त की गई तथा शेष राशि को वित्तीय वर्ष 2006-07 में समायोजित किया गया।

[अनुवाद]

विशेष बल का गठन

2808. श्री तथागत सत्पथी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा सरकार ने राज्य में नक्सली चुनौती का सामना करने के लिए विशेष बलों के गठन हेतु केन्द्रीय सहायता की मांग की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[हिन्दी]

प्रतिभाशाली छात्रों के लिए कोष की स्थापना

2809. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार स्कूलों/कालेजों की छिपी हुई प्रतिभाओं का विकास करने हेतु कोष की स्थापना करने का है ताकि प्रतिभाशाली छात्रों का दोहन किया जा सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कोष की स्थापना कर दी गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) सरकार राष्ट्रीय बाल भवन के जरिए 'बाल श्री स्कीम' कार्यान्वित कर रही है ताकि बच्चों की सृजनात्मक प्रतिभा की पहचान की जा सके और उनकी सृजनात्मक क्षमता को पोषित करने के निमित्त उपाय किए जा सकें। मानव संसाधन विकास मंत्रालय राष्ट्रीय योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम को भी लागू कर रहा है जिसके तहत राज्यों/संघ शासित प्रशासनों को ग्रामीण क्षेत्रों के कक्षा IX तथा X में अध्ययनरत स्तरों पर अध्ययनरत प्रतिभावान विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियां प्रदान करने के लिए वित्तीय सहायता दी जाती है।

[अनुवाद]

मानव विकास सूचकांक

2810. श्री सुबोध मोहिते: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मानव विकास संस्थान द्वारा किए गए अध्ययन में राष्ट्रीय स्तर पर मानव विकास सूचकांकों एवं अनुसूचित जनजातियों के मानव विकास सूचकांकों में 32 प्रतिशत का अंतर है;

(ख) यदि हां, तो इस सरका को क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) इन विकास सूचकांकों के बीच बड़े अंतरों के क्या कारण हैं; और

(घ) इस अंतर को कम करने के लिए क्या उपाय किए जाने का प्रस्ताव है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां। एक निजी अनुसंधान संस्थान मानव विकास संस्थान (आईएचडी) द्वारा किए गए एक अध्ययन के अनुसार जैसाकि योजना आयोग की राष्ट्रीय मानव

विकास रिपोर्ट, 2001 में उल्लेख है, राष्ट्रीय स्तर की सामान्य आबादी के मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) तथा अनुसूचित जनजातियों (अनुसूचित जनजाति) के लिए वर्ष 1991 के लिए मानव विकास सूचकांक (एचडीआई) जो मानव विकास संस्थान द्वारा परिकलित है, में अंतर को 32 प्रतिशत कम दर्शाया गया है।

(ख) जबकि संपूर्ण जनसंख्या के लिए मानव विकास सूचकांक योजना आयोग द्वारा 2002 में तैयार की गई राष्ट्रीय मानव रिपोर्ट पर आधारित है, वहीं मानव विकास संस्थान द्वारा जनजातियों का आकलन किया गया है। राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2001 में संपूर्ण जनसंख्या के संबंध में कार्यपद्धति का उल्लेख है, लेकिन मानव विकास संस्थान के कागजात से जनजातियों के मानव विकास सूचकांक के परिकलनों का विवरण स्पष्ट नहीं होता है। यह अध्ययन एक गैर-सरकारी संस्थान द्वारा किया गया है तथा राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट (एनएचडीआर) से इसकी यथातथ्य तुलना नहीं हो सकती। यह सुविदित है कि एचडीआई एक मिश्रित सूचकांक है, जो मानव विकास के तीन आयामों, यथा-आर्थिक, शैक्षिक एवं स्वास्थ्य का प्रतिनिधित्व करता है। कई अध्ययनों में यह सुझाव दिए गए हैं कि इन तीनों आयामों के संदर्भ में सामान्य आबादी की तुलना में जनजातीय आबादी की उपलब्धियां निम्न रही हैं। यह एनएसएसओ द्वारा उपयोग व्यय पर सूचकों से जनगणना के शिक्षा संबंधी सूचकों तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण के स्वास्थ्य संबंधी सूचकों से स्पष्ट है।

(ग) और (घ) जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए राष्ट्रीय जनजातीय नीति के प्रारूप में अनुसूचित जनजातियों के निम्न मानव विकास सूचकांक का कारण तथा इसके निवारण हेतु उठाए जाने वाले आवश्यक कदमों का विशद विश्लेषण किया गया है।

आईटी क्षेत्र द्वारा सेवाओं के निर्यात में जीडीपी विकास दर

2811. श्री हितेन बर्मन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आठ प्रतिशत की अनुमानित जीडीपी विकास दर मुख्यतया भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र द्वारा सेवाओं के निर्यात में पर्याप्त वृद्धि हासिल किए जाने पर निर्भर करती है;

(ख) यदि हां, तो क्या विगत में मलेशिया/इंडोनेशिया में तथा हाल ही में इंग्लैंड में भाग के आईटी व्यावसायिकों एवं उद्यमियों का उत्पीड़न किए जाने में विश्व बाजार का दोहन करने से उन्हें हतोत्साहित करने की गही अंतर्राष्ट्रीय साजिश अभिव्यक्त होती है; और

(ग) यदि हां, तो विश्व व्यापार संगठन की भावना के ऐसे अप्रत्यक्ष उल्लंघन से निपटने के लिए की गई पहलों का ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 8% की अनुमानित वार्षिक जीडीपी विकास दर किसी एक क्षेत्र के कार्य निष्पादन पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि समूची अर्थव्यवस्था के संतुलित विकास पर निर्भर करती है।

(ख) भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) व्यावसायिकों और उद्यमियों को विश्व बाजार का दोहन करने से हतोत्साहित करने की कोई गहरी अंतर्राष्ट्रीय साजिश प्रतीत नहीं होती है।

(ग) डब्ल्यूटीओ सदस्य देशों में सेवाओं की आपूर्ति हेतु व्यावसायिकों के दौरों के लिए वीजा और अन्य प्रक्रियाओं का उदारीकरण एक ऐसा मुद्दा है जिस पर सेवा व्यापार संबंधी डब्ल्यूटीओ वार्ताओं, जो इस समय सेवा व्यापार संबंधी सामान्य करार के अंतर्गत डब्ल्यूटीओ में चल रही हैं, के दौरान भारत सक्रिय रूप से बातचीत करता रहा है।

[हिन्दी]

झारखंड में वस्त्र उद्योग की समस्या

2812. डा. धीरेंद्र अग्रवाल:
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में बंद पड़े वस्त्र उद्योग की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) क्या झारखंड में वस्त्र उद्योग को कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) 30.06.2006 की स्थिति के अनुसार बंद सूती/मानव-निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर-एसएसआई) की राज्यवार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त (ख) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठते।

विवरण

30.6.2006 की स्थिति के अनुसार बंद सूती/मानव निर्मित फाइबर वस्त्र मिलों (गैर-एसएसआई) की राज्यवार संख्या

क्र.सं.	राज्य का नाम	मिलों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	41
2.	असम	7
3.	बिहार	5
4.	छत्तीसगढ़	1
5.	दिल्ली	1
6.	गुजरात	63
7.	हरियाणा	26
8.	जम्मू-कश्मीर	1
9.	कर्नाटक	20
10.	केरल	9
11.	मध्य प्रदेश	13
12.	महाराष्ट्र	64
13.	मणिपुर	1
14.	उड़ीसा	14
15.	पांडिचेरी	1
16.	पंजाब	16
17.	राजस्थान	21
18.	तमिलनाडु	123
19.	उत्तर प्रदेश	39
20.	उत्तरांचल	3
21.	पश्चिम बंगाल	14
	कुल	483

औद्योगिक क्षेत्र में शामिल एम.एन.सी.

2813. श्री गणेश सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में बहु-राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा चलाए जा रहे उद्योगों की राज्य-वार संख्या कितनी है; और

(ख) देश में और एम.एन.सी. को आमंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) यह सूचना इस विभाग द्वारा केन्द्रीय तौर पर नहीं रखी जाती है। अत: बहुराष्ट्रीय कंपनियों के नियंत्रण की दृष्टि से, उनके द्वारा "चलाये" जाने वाले उद्योगों की सही संख्या बताना संभव नहीं है।

(ख) सरकार ने एफडीआई पर एक उदार व पारदर्शी नीति लागू की है, जिसके तहत अधिकांश क्षेत्रों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफडीआई की अनुमति दी जाती है। इस नीति को और भी उदारीकृत/युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से इसमें निरंतर आधार पर संशोधन किए जाते हैं। अत्यधिक स्वत: चलन वाली एक आकर्षक एवं निवेशक अनुकूल नीति लागू करने के अलावा, सरकार ने निवेश अवसरों पर जानकारीयुक्त प्रकाशनों के जरिये तथा उद्योग संघों के साथ मिलकर भारत व विदेशों में विभिन्न निवेश समारोहों के आयोजनों के जरिये भी निवेश को बढ़ावा देने पर और अधिक जोर दिया है।

कुपोषण के कारण बच्चों की मौत

2814. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस तथ्य की जानकारी है कि महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र में कुपोषण के कारण बड़ी संख्या में बच्चों की मृत्यु हो रही है;

(ख) यदि हां, तो क्या जनजाति बहुल जिलों में बाल मृत्यु की ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम विफल साबित हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार उत्तरदायित्व निर्धारित करने एवं दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई करने का है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार ने जनजाति बहुल जिलों में कुपोषण के कारण बाल मृत्यु की घटनाओं को रोकने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) से (ग) कुपोषण मृत्यु का प्रत्यक्ष कारण न होकर परोक्ष कारण है, क्योंकि इससे संक्रमण से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है और रुग्णता एवं मृत्यु दर बढ़ जाती है। आई.सी.डी.एस. स्कीम के अंतर्गत महाराष्ट्र राज्य सरकार से प्राप्त आवधिक रिपोर्टों के अनुसार, पिछले दो सालों में विदर्भ क्षेत्र में बच्चों की मृत्यु दर में कोई वृद्धि नहीं हुई है।

राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण (2005-06) के अनन्तिम आंकड़ों के अनुसार, तीन वर्ष से कम आयु के अल्प-वजनी बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1998-99 [राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2] में 50% से घटकर 2005-06 में 40% रह गया है।

इसी प्रकार, भारत के महापंजीयक और जनगणना आयुक्त द्वारा प्रकाशित किए गए प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली के आंकड़ों के अनुसार, महाराष्ट्र में शिशु मृत्यु दर वर्ष 2003 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 42 से कम होकर वर्ष 2004 में प्रति हजार जीवित जन्मों पर 36 रह गई है। तथापि, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण अथवा प्रतिदर्श पंजीकरण प्रणाली में जिला-वार आंकड़े नहीं दर्शाए जाते हैं।

(घ) और (ङ) आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों सहित सभी बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करने के लिए सरकार द्वारा किए जा रहे उपाय इस प्रकार हैं:

(i) समेकित बाल विकास सेवा (आई.सी.डी.एस.) स्कीम;

(ii) राष्ट्रीय पोषाहारीय रक्ताल्पता नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(iii) विटामिन 'ए' की कमी के कारण होने वाले अंधेपन के निवारण हेतु राष्ट्रीय रोग निरोधन कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(iv) राष्ट्रीय आयोडीन न्यूनता जनित विकार नियंत्रण कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(v) प्रजनन एवं बाल स्वास्थ्य कार्यक्रम (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय);

(vi) जननी सुरक्षा योजना (स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय)।

इसके अलावा, महाराष्ट्र सरकार द्वारा क्रियान्वित किए जा रहे कार्यक्रम इस प्रकार हैं:

1. मार्च, 2005 में स्थापित राज माता मातृत्व बाल स्वास्थ्य एवं पोषण मिशन।

2. जनजातीय क्षेत्रों में निम्नलिखित स्कीमों के साथ नव-संजीवनी योजना क्रियान्वित की जा रही है:

   (क) पाडा स्वैच्छिक स्कीम;

   (ख) चल चिकित्सा दल;

   (ग) मातृत्व लाभ स्कीम;

   (घ) दाई मिलन स्कीम;

   (ङ) सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्रों में बाल रोग संबंधी गहन चिकित्सा एकक की स्थापना।

उच्च शिक्षा

2815. श्री राकेश सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने योजना आयोग की उच्च शिक्षा के लिए फीस को बढ़ाने की सिफारिश को स्वीकार कर लिया है जिससे कि शैक्षिक संस्थान अपने संसाधनों को जुटा सकें;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार के पास निम्न एवं मध्यम आय वर्ग के परिवारों के छात्रों के लिए कोई योजना है जिससे कि उन्हें इन प्रतिष्ठित तकनीकी संस्थानों में प्रवेश दिया जा सके जिनमें स्नातकोत्तर स्तर पर ट्यूशन फीस लाखों रुपये है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार इन छात्रों के लिए कोई योजना तैयार करने का है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

(घ) उच्चतर शिक्षा में कमजोर वर्गों के छात्रों के लिए बैंक ऋणों के साथ-साथ छात्रवृत्ति की योजनाएं पहले से ही विद्यमान हैं।

समेकित मूल्य शिक्षा पर सम्मेलन

2816. श्री मिलिन्द देवरा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आर्ट आफ लिविंग ने समेकित मूल्य शिक्षा पर 26 जून, 2006 से बैंगलोर में यूनेस्को, डब्ल्यू बी संस्थान, मानव संसाधन विकास मंत्रालय आदि जैसी अन्य आन्तरिक एजेंसियों के साथ मिल कर त्रि-दिवसीय अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया था;

(ख) यदि हां, तो इस सम्मेलन को आयोजित करने के उद्देश्य क्या थे;

(ग) इस समागम पर कुल कितना खर्च हुआ;

(घ) क्या विदेशी एवं सम्पूर्ण भारत के शिक्षाविदों को इस शैक्षिक सम्मेलन में भाग लेने के लिए आमन्त्रित किया गया था;

(ङ) यदि हां, तो क्या विदेशी वक्ताओं ने इस सम्मेलन में भाग लिया था; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां। इस सम्मेलन में 'यूनेस्को' तथा यूनेस्कों के साथ सहयोग हेतु भारतीय राष्ट्रीय आयोग ने भी भाग लिया।

(ख) आयोजकों के अनुसार सम्मेलन के कुछ उद्देश्य थे-सर्वांगीण विकास हेतु मुख्य मार्ग के रूप में शिक्षा में "समेकित मूल्यों" का संवर्धन, शिक्षा जगत की चुनौतियों का सामना करने में "समेकित मूल्यों" की भूमिका पर विचार-विमर्श करने के लिए एक मंच उपलब्ध कराना आदि।

(ग) सरकार ने इस सम्मेलन के आयोजन में हुए किसी भी प्रकार के व्यय को वहन नहीं किया।

(घ) जी, हां।

(ङ) जी, हां।

(च) जापान, हांग कांग, दक्षिण अफ्रीका और अनेक अन्य देशों के वक्ताओं ने सम्मेलन के विभिन्न सत्रों में अपने विचार प्रस्तुत किए।

[अनुवाद]

लिंगानुपात में कमी लाना

2817. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने चालू योजना अवधि में साक्षरता एवं मजदूरी दर, शिशु मृत्यु दर और जच्चा मृत्यु दर में लिंग भेद में कमी लाने के लिए लक्ष्य निर्धारित किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) अब तक प्राप्त हुई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) योजना अवधि के शेष लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सरकार ने क्या कदम उठाए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) 10वीं योजना और उसके बाद की अवधि के लिए अनुवीक्षण-योग्य लक्ष्य इस प्रकार हैं:-

- वर्ष 2007 तक साक्षरता और मजदूरी की दरों में महिला-पुरुष अंतर को घटाकर कम से कम 50 प्रतिशत कम करना;
- शिशु मृत्यु दर को वर्ष 2007 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर घटाकर 45 और वर्ष 2012 तक 28 करना; और
- मातृ मृत्यु अनुपात को वर्ष 2007 तक प्रति 1000 जीवित जन्मों पर घटाकर 2 और 2012 तक 1 करना।

(ग) उपलब्ध आंकड़े संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(घ) सूचना 10वीं योजना के मध्यावधि मूल्यांकन में दी गयी है। रिपोर्ट योजना आयोग की वेबसाइट www.planningcommission.nic.in में दी गयी है।

विवरण

1. **मातृ मृत्यु दर, 1991, 1998 (नमूना पंजीकरण प्रणाली)**
(1,00,000 जीवित जन्मों पर मातृ-मृत्यु दर)

1991	1998
437	407

(उद्धरण: एमडीजी इंडिया कन्ट्री रिपोर्ट, 2005)

2. साक्षरता दर, 1981-2001 (जनगणना)

(प्रतिशत में)

जनगणना वर्ष	व्यक्ति	पुरुष	महिला	पुरुष-महिला अंतर
1981*	43.6	56.4	29.8	26.6
1991*	52.2	64.1	39.3	24.8
2001*	64.8	75.3	53.7	21.6

*आयु 7+

3. नैमित्तिक मजदूरों की औसत मजदूरी आय

वर्ष 2004 के दौरान नैमित्तिक मजदूरों द्वारा प्रति दिन प्राप्त औसत मजदूरी (एनएसएसओ, 60वां दौर, जनवरी-जून, 2004)

(रुपये में)

	महिला 2004	पुरुष 2004	पुरुष-महिला अंतर 2004
ग्रामीण	36.15	56.53	20.38
शहरी	44.28	75.51	31.23

4. शिशु मृत्यु दर

वर्ष	कुल	पुरुष	महिला
1991*	80	18	80
1995*	74	73	76
2000	68	67	69
2004	58	58	58

*विवरणियां प्राप्त न होने के कारण जम्मू-कश्मीर राज्य के आंकड़े शामिल नहीं हैं।

समान अवसर आयोग की स्थापना

2818. एडवोकेट सुरेश कुरूप: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महिलाओं, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, धार्मिक अल्पसंख्यक एवं शारीरिक रूप से निशक्त व्यक्तियों से संबंधित सभी आरक्षण नीतियों को एक समान अवसर आयोग के क्षेत्राधिकार में लाने के उद्देश्य से इस आयोग के गठन का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जाने वाले कदम क्या हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं। इस मंत्रालय ने ऐसा कोई आयोग गठित नहीं किया है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

तम्बाकू के लिए मूल्य स्पेक्ट्रम बैण्ड

2819. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रबड़, कॉफी और चाय के लिए मूल्य स्पेक्ट्रम बैण्ड की घोषणा की गई है जबकि तम्बाकू के लिए मूल्य स्पेक्ट्रम बैण्ड निर्धारित नहीं किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां।

(ख) और (ग) कीमत स्थिरीकरण निधि स्कीम के तहत कीमत स्पेक्ट्रम बैंड का निर्धारण किया जाता है। चूंकि कोई तंबाकू उपजकर्ता कीमत स्थिरीकरण निधि स्कीम में शामिल नहीं हुआ है, इसलिए कीमत स्थिरीकरण निधि न्यास द्वारा तंबाकू के लिए किसी कीमत स्पेक्ट्रम बैंड का निर्धारण नहीं किया गया है।

आपदा राहत कोष का दुरुपयोग

2820. श्री रायापति सांबासिवा राव:
श्री मंजुनाथ कुन्नुर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या 191वें विधि आयोग ने आपदा राहत कोष के दुरुपयोग पर अंकुश लगाने के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना की सिफारिश की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विधि आयोग की सिफारिशों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) विधि आयोग ने अपनी 191वीं रिपोर्ट में, अन्य बातों के साथ-साथ, सिफारिश की है कि "प्राकृतिक और मानवनिर्मित आपदाओं के शिकार लोगों को राहत और पुनर्वास प्रदान करने या सैनिकों या युद्ध या युद्ध जैसे अभियानों में मारे गए या अशक्त हुए सैनिकों के परिवार के सदस्यों के कल्याण और पुनर्वास के प्रयोजनार्थ नकद और माल के रूप में एकत्र किए गए या जुटाए गए अंशदानों और दोनों सहित निधि एकत्रीकरण और इस प्रकार एकत्र किए गए अंशदानों के उचित उपयोग और वितरण को विनियमित करने के लिए एक कानून अधिनियमित किया जाए और अभिदाय विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की जाए।"

इसी प्रकार के अन्य कई वर्तमान विनियमों/अधिनियमों, जो परिचालन में हैं, का अध्ययन करने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श चल रहा है, ताकि आपदा राहत निधियों के दुरुपयोग को रोकने के लिए इस मामले में अंतिम निर्णय लेने हेतु सरकार से उचित तंत्र की सिफारिश की जा सके।

तेजाब डालने की घटनाएं

2821. श्री गणेश प्रसाद सिंह:
श्री अजीत जोगी:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में देश में तेजाब डालने की घटनाओं, विशेषकर लड़कियों पर, की वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसके क्या कारण है;

(ग) क्या इससे संबंधित कानूनों के मौजूदा प्रावधान ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए पर्याप्त नहीं है; और

(घ) भविष्य में ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए इन कानूनों में संशोधन के लिए सरकार ने क्या उपाय किये हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) ऐसी सूचना केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखी जाती है, "पुलिस" एवं "लोक व्यवस्था" राज्य के विषय होने के कारण, ऐसे अपराध की रोकथाम करना, उन्हें दर्ज करना एवं उनकी जांच पड़ताल करना तथा अपराधियों पर अभियोजन चलाना राज्य पुलिस की जिम्मेवारी है।

(ग) और (घ) गंभीर रूप से चोट पहुंचाने के लिए भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) में पहले से ही कड़े दंड की व्यवस्था है। तेजाब डालने की घटनाओं से निपटने हेतु आईपीसी के किसी भी उपबंध में संशोधन करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

बेरोजगार युवक

2822. श्री धर्मेन्द्र प्रधान: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले वित्तीय वर्ष में बेरोजगार युवकों की बढ़ती संख्या का पता लगाने के लिए कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो इस सर्वेक्षण में शामिल राज्यों का ब्यौरा क्या है और इस सर्वेक्षण के दौरान वास्तव में कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ग) वर्तमान में देश में कितने बेरोजगार युवक हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने सूचित किया है कि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन (एन.एस.एस.ओ.) ने वित्तीय वर्ष 2005-06 के दौरान बेरोजगार युवकों से संबंधित कोई सर्वेक्षण नहीं किया है। हालांकि राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन ने जुलाई 2004 से जून, 2005 के दौरान अपने 61वें दौर के पंचवार्षिक सर्वेक्षण के द्वारा रोजगार और बेरोजगारी सर्वेक्षण किया है। इस सर्वेक्षण की रिपोर्ट प्रकाशित नहीं की गई है। इस सर्वेक्षण (61वां दौर) में (1) जम्मू और कश्मीर के लेह (लद्दाख) तथा कारगिल जिलों, (2) नागालैंड के वैसे दूरस्थ गांव जो बस मार्ग से पांच किलोमीटर से अधिक दूर स्थित हैं, और (3) अंडमान और निकोबार वैसे गांव, जो वर्ष भर दुर्गम बने रहते हैं, को छोड़कर समूचे भारतीय संघ को शामिल किया गया है। चूंकि ये सर्वेक्षण नियमित रूप से पंचवार्षिक आधार पर किए गए थे इसलिए इस सर्वेक्षण के लिए अलग से कोई राशि आवंटित नहीं की गई थी।

अफीम की खेती

2823. श्री दलपत सिंह परस्ते: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादी दलों की छत्रछाया में कश्मीर घाटी की हजारों एकड़ भूमि पर अफीम की अवैध खेती हो रही है जैसा कि दिनांक 9.6.2006 के 'टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसी फसलों को नष्ट करने के लिए स्वापक नियंत्रण ब्यूरो ने क्या कदम उठाए हैं; और

(घ) भविष्य में जम्मू और कश्मीर की घाटी में अफीम की अवैध खेती को रोकने के लिए सरकार द्वारा और क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) सरकार के पास उपलब्ध सूचना से जम्मू और कश्मीर के अनंतनाग और पुलवामा जिलों में कुछ स्थानों में अफीम-पोस्ता पौधों की अवैध खेती का पता चलता है। तथापि, यह सुझाने वाली कोई रिपोर्ट नहीं है कि पोस्ता पौधों की खेती बड़े पैमाने पर अथवा आतंकी ग्रुपों के संरक्षण में हो रही है।

(ग) और (घ) सीमा शुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, राज्य पुलिस तथा राजस्व प्राधिकरणों जैसी एजेंसियों के साथ समन्वय करके स्वापक नियंत्रण ब्यूरो पोस्ता पौधों की अवैध खेती को नष्ट करने के लिए आवधिक रूप से अभियान चलाता है। इसके अतिरिक्त, जम्मू और कश्मीर सरकार द्वारा नशीले पदार्थों पर गठित राज्य स्तरीय शीर्ष के अध्यक्ष ने राज्य में पोस्ता पौधों की अवैध खेती/बढ़ोत्तरी को रोकने के लिए राज्य सरकार के विभिन्न अन्य विभागों तथा स्वापक नियंत्रण ब्यूरो के साथ समन्वय करके आवश्यक निवारक उपाय करने हेतु राज्य उत्पाद शुल्क विभाग, संबंधित पुलिस और प्रभाग स्तरीय व्यापक निरोधी कार्यबल को निर्देश दिए हैं।

कॉयर उद्योग

2824. श्री सुग्रीव सिंह:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में कायॅर उद्योग का निष्पादन कम होता जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इस उद्योग की सहायता के लिए पूर्व में मौजूद विभिन्न सहायता योजनाओं को पुन: लागू करने का है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं। कॉयर उद्योग में सभी प्रमुख मानकों जैसे कि उत्पादन, रोजगार सृजन एवं निर्यात विगत कई वर्षों से वृद्धि का रुझान दर्शा रहे हैं, जैसे कि नीचे विवरण दिया गया है:

(उत्पादन-मीट्रिक टन में निर्यात)
(रोजगार लाख में)

	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
उत्पादन	353700	364000	385000	410000
निर्यात	84183	102253	122927	136027
रोजगार	5.78	5.86	6.06	6.22

(ख) सरकार ने हाल ही में ऐसी कोई वित्तीय सहायता की योजना, जो कॉयर उद्योग की सहायता के लिए प्रचालन में थी, वापस नहीं ली है।

(ग) उपरोक्त (ख) के उत्तर को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों संबंधी अध्ययन

2825. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री काशीराम राणा:

क्या **कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कृषि एवं ग्रामीण उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस अध्ययन में उठाए गए मुद्दों पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) खादी, ग्रामीण उद्योगों एवं कॉयर उद्योगों में विभिन्न कार्यक्रमों को और सुदृढ़ करने एवं इन उद्योगों का संवर्धन करने की दृष्टि से विभिन्न कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की स्थिति का मूल्यांकन करने के लिए सरकार द्वारा समय-समय पर अध्ययन किए गए हैं। उत्पादन विकास, डिजाइनिंग इंटरवेंशन एवं पैकेजिंग (पी आर ओ डी आई पी), ग्रामीण उद्योग सेवा केन्द्रों की स्थापना तथा पारम्परिक उद्योगों के लिए निधि की

योजना की नई योजनाएं लागू की गई हैं। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 का मई, 2006 में संशोधन किया गया और समग्र निष्पादन में सुधार लाने के लिए विशेषज्ञ सदस्यों को शामिल करते हुए खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग का पुनर्गठन किया गया। प्रौद्योगिकी उन्नयनीकरण, अनुसंधान एवं विकास के लिए सहायता, उत्पादनों की गुणवत्ता नियंत्रण, विपणन, इत्यादि के माध्यम से इस क्षेत्र को सरकार द्वारा समर्थन प्रदान किया जा रहा है ताकि यह प्रतिस्पर्धात्मक बना रहे।

[अनुवाद]

भूमि की बिक्री

2826. **श्री अजय चक्रवर्ती:**
श्री गुरुदास दासगुप्त:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में राष्ट्रीय वस्त्र निगम की वस्त्र मिलों की कुछ भूमि बेची गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इससे कितनी धनराशि प्राप्त हुई है;

(ग) इस धनराशि का उपयोग किस प्रयोजन के लिए किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या एक आरोप यह है कि यह भूमि बाजार कीमत से कम कीमत पर बेची गई;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) भूमि के मूल्य निर्धारण के लिए क्या पद्धति अपनाई गई?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) और (ख) जी, हां। राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) ने 1 जनवरी, 2006 से 28 जनवरी, 2006 तक निम्नलिखित मिलों की भूमि बेची है:-

मिल का नाम	क्षेत्र (एकड़ में)	मूल्य (करोड़ रुपए में)
1	2	3	4
1.	मैसूर मिल्स, बेंगलूर (बंगला)	1.88	37.01
2.	नटराज मिल्स, निर्मल	59.00	1.98
3.	विदर्भ जिला, अचलपुर	1.81	0.75
4.	आरएसआरजी मिल्स, अकोला	1.27	0.41
5.	मॉडल मिल्स, नागपुर	1.49	6.32
6.	अकोला मिल्स, मुंबई (बंगला)	1.28	170.01
7.	नंदेड़ मिल्स, नंदेड़	91.42	33.33
8.	राजकोट टेक्स, मिल्स, राजकोट	8.72	18.20

(ग) इन जमीनों की बिक्री से प्राप्त की गई धनराशि का उपयोग औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) द्वारा पहले ही निर्धारित निर्देशों के अनुसार अर्थात् अर्थक्षम मिलों के पुनरुद्धार/आधुनिकीकरण, बांडों के पुनर्भुगतान, सुरक्षित देनदारों के दावों के निपटान तथा संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) के तहत कामगारों को भुगतान के लिए किया जा रहा है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मूल्यांकन के लिए तीन पद्धतियों पर विचार किया जाता है अर्थात् (1) पुनर्वास योजना के प्रारूप के अनुमोदन के समय मूल्यांकन, (2) निजी मूल्यांकन का वर्तमान मूल्यांकन, और (3) चालू सर्किल दर। इन मूल्यों में सर्वाधिक मूल्य को संबंधित भूमि के आरक्षित मूल्य के रूप में निर्धारित किया जाता है।

[हिन्दी]

विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत वस्त्र समझौता

2827. **श्री जीवाभाई ए. पटेल:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चीन और अमरीका ने विश्व व्यापार संगठन के अंतर्गत वस्त्र समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं कि इसका प्रभाव भारतीय वस्त्र उद्योग पर न पड़े?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां। चीन और संयुक्त राज्य अमरीका ने 2006-08 की अवधि में संयुक्त राज्य अमरीका को वस्त्र एवं क्लोदिंग का चीनी निर्यात सीमित करने के उद्देश्य से नवंबर, 2005 में वस्त्र एवं क्लोदिंग संबंधी करार पर हस्ताक्षर किए हैं। यह करार डब्ल्यूटीओ में चीन के अभिगमन-नयाचार के तहत हस्ताक्षरित द्विपक्षीय करार है।

(ख) भारतीय निर्यातकों को सलाह दी गई है कि वे वर्ष 2008 के अंत में इस प्रकार की समाप्ति से पूर्व विशिष्ट श्रेणियों के उत्पादों में चीनी आपूर्ति के विरुद्ध संयुक्त राज्य अमरीका द्वारा लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधों के कारण उत्पन्न होने वाले उपलब्ध अवसरों का लाभ लें।

[अनुवाद]

बायोटेक्नोलॉजी हेतु विशेष आर्थिक जोन

2828. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने बायोटेक्नोलॉजी क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु मानदंड बनाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) जी, हां। सरकार ने विशेष आर्थिक जोन नियमावली, 2006 के अंतर्गत नियम 5 के उपनियम (2) के अनुसार जैव प्रौद्योगिकी हेतु विशिष्ट विशेष आर्थिक जोन की स्थापना के लिए दिनांक 10 अगस्त, 2006 को निम्नानुसार मानक अधिसूचित किए हैं:

> "जैव प्रौद्योगिकी के लिए अनन्य रूप से स्थापना के लिए प्रस्तावित किसी विशेष आर्थिक जोन के मामले में क्षेत्र दस हेक्टेयर या इससे अधिक होगा जिसमें न्यूनतम निर्मित क्षेत्र चालीस हजार वर्गमीटर का होगा।"

अल्पसंख्यक छात्रों को उच्च शिक्षा

2829. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से इंजीनियरिंग महाविद्यालयों में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को प्रवेश देने संबंधी न्यूनतम अंकों में छूट देने के लिए कहा था;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है;

(ग) क्या अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से तकनीकी शिक्षा में आने वाले अल्पसंख्यक समुदायों के छात्रों को बुनियादी शिक्षा प्रदान करने हेतु एक विशेष पैकेज तैयार करने के लिए भी कहा गया था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मानीटरन समिति की स्थायी समिति की आवधिक रिपोर्ट (नवम्बर, 2005-जून, 2006) पर विचार-विमर्श किया गया और इसे दिनांक 11-12 जुलाई, 2006 को आयोजित राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मानीटरन समिति की बैठक में सरकार को प्रस्तुत किया गया। उक्त रिपोर्ट में अन्य बातों के साथ-साथ ये सुझाव दिए गए हैं कि अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्रों की तरह अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों को भी न्यूनतम अंक प्राप्ति के संबंध में छूट दी जानी चाहिए और वे छात्र जिन्होंने न्यूनतम अर्हता अंक प्राप्त कर लिए हैं उन्हें इंजीनियरी कालेजों में प्रवेश की अनुमति दी जानी चाहिए और अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को इस उद्देश्यार्थ एक विशेष पैकेज तैयार करना चाहिए।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के अनुसार, विभिन्न इंजीनियरी कालेजों की प्रवेश प्रक्रिया का निर्धारण संबंधित राज्य सरकारें/सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के क्षेत्राधिकार में आता है, इसलिए इंजीनियरी कालेजों में दाखिले हुए न्यूनतम अंक में छूट का मामला परिषद के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। प्रवेश परीक्षा का आयोजन राज्य विश्वविद्यालयों और/अथवा सम्बद्धन प्रदान करने वाले विश्वविद्यालयों के द्वारा किया जाता है।

एनसीईआरटी द्वारा मुख्य सलाहकार/अध्यक्षों की नियुक्ति

2830. श्री भानुप्रताप सिंह वर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् की नई पाठ्यपुस्तकों के विकास हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के अकादमिक स्टाफ और गैर-सरकारी संगठनों से पाठ्य पुस्तक सलाहकार समिति के लिए कितने मुख्य सलाहकारों/अध्यक्षों की नियुक्ति की गई है; और

(ख) इस मद पर अभी तक कितना व्यय हुआ है अथवा होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) नई पाठ्यपुस्तकें तैयार करने हेतु राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् के शैक्षिक कर्मचारियों में से किसी को भी पाठ्यपुस्तक सलाहकार समिति का अध्यक्ष अथवा मुख्य सलाहकार नियुक्त नहीं किया गया है। वर्ष 2005-2006 के दौरान कक्षा-1 की गणित की पाठ्यपुस्तक तैयार करने हेतु गैर-सरकारी संगठन के केवल एक ही व्यक्ति को मुख्य सलाहकार नियुक्त किया गया है।

(ख) पाठ्यपुस्तकों को तैयार करने के प्रथम चरण के दौरान वर्ष 2005-06 में गैर-सरकारी संगठन से मुख्य सलाहकार हेतु यात्रा भत्ते/दैनिक भत्ते तथा मानदेय पर लगभग 19,200/- रु. खर्च किए गए। पाठ्यपुस्तकें तैयार करने के चरण-II के दौरान गैर-सरकारी संगठन से किसी भी अध्यक्ष तथा मुख्य सलाहकार को शामिल नहीं किया जाएगा।

नई औद्योगिक नीति

2831. श्री इकबाल अहमद सरडगी: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार उद्योग संबंधी नीति में प्रमुख शेयरधारकों को शामिल कर नई औद्योगिक नीति लाने का है;

(ख) क्या औद्योगिक संघों ने विनिर्माण द्वारा समर्थित अधिक टिकाऊ विकासोन्मुख रणनीति के लिए सरकार की नई कार्य-योजना का अनुमोदन कर दिया है;

(ग) क्या नई नीति में पूंजीगत राजसहायता योजनाओं के स्थान पर क्षेत्रों से दूर के स्थानों पर उद्योग द्वारा निवेश को प्रोत्साहन देने पर जोर दिया गया है;

(घ) जिलों के चयन के लिए क्या मानदंड है और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण ने किन-किन जिलों की पहचान की है; और

(ङ) इस नीति की अन्य मुख्य विशेषताएं क्या हैं और इसकी घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ङ) सरकार के पास नई औद्योगिक नीति को लाने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। हालांकि, सरकार ने नीति निर्माण हेतु सूचनाएं उपलब्ध कराने और भारतीय उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता में वृद्धि करने की दृष्टि से उपाय सुझाने हेतु राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धात्मकता परिषद (एनएमसीसी) की स्थापना की है। एनएमसीसी ने उद्योग एसोसिएशनों सहित अन्य पणधारकों (स्टेकहोल्डर्स) के साथ परामर्श कर 'राष्ट्रीय विनिर्माण रणनीति' को अंतिम रूप दे दिया है, जिसका लक्ष्य अन्य बातों के साथ-साथ विनिर्माण क्षेत्र की वृद्धि दर को बढ़ाकर प्रतिवर्ष 12 प्रतिशत करना है।

[हिन्दी]

विद्यालय प्रमाणपत्रों में मां का नाम लिखा जाना

2832. श्री आलोक कुमार मेहता:
डा. के. धनराजू:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विदेशों की तर्ज पर बच्चों के विद्यालय प्रमाणपत्रों पर मां का नाम भी सम्मिलित कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस चलन को कब तक अपनाए जाने की संभावना है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकारों को कुछ मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी किए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा दी गई सूचना के अनुसार बोर्ड ने अपने सभी महत्वपूर्ण रिकार्डों जैसे प्रमाणपत्रों, अंक-तालिकाओं, अनंतिम प्रमाणपत्र और स्थानांतरण प्रमाणपत्र इत्यादि में माता का नाम रिकार्ड करने की व्यवस्था पहले ही कर दी है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। ऐसे मार्गदर्शी सिद्धान्त जारी नहीं किए गए हैं।

(ङ) क्योंकि राज्य बोर्ड संबंधित राज्य सरकारों के नियंत्रण में है इसलिए इस मामले पर उन्हें ही निर्णय लेना है।

[अनुवाद]

अनुसंधान संस्थान का स्थानांतरण

2833. श्री पी.सी. गद्दीगठडर: क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जापान स्थित अग्रणी रेशम कीटपालन अनुसंधान संस्थान के स्थानांतरण के संबंध में कर्नाटक सरकार से कोई अनुरोध प्राप्त हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

द्वीपसमूहों में चिकित्सा सुविधाएं

2834. डा. पी.पी. कोया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप के लोगों को आपातकालीन चिकित्सा के लिए और उस क्षेत्र में संबंधित विशेषज्ञों के अभाव में क्या चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध हैं;

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष विशेष सोर्टी हेलीकाप्टर द्वारा कुल कितने रोगियों को मुख्य स्थानों पर ले जाया गया और ऐसी चिकित्सा के लिए ले जाए जाने पर कुल कितनी धनराशि खर्च हुई;

(ग) क्या सरकार का विचार रोगियों के बाहर ले जाने पर खर्च होने वाले धनराशि से सुदूर द्वीप समूह में आपातकालीन चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने का है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार द्वारा लक्षद्वीप/सुदूर द्वीप समूहों में विशेषज्ञ चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए गए हैं/किए जाएंगे?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) सुदूरवर्ती द्वीपसमूहों में किसी आपातकालीन चिकित्सा की स्थिति में मरीजों को, यदि संबंधित विशेषज्ञ उपलब्ध हैं, तो इंदिरा गांधी अस्पताल, कवारत्ती में लाया जाता है। यदि कवारत्ती में अपेक्षित किसी विशेष बीमारी का विशेषज्ञ चिकित्सक उपलब्ध नहीं है, तो मरीजों को हेलीकाप्टर/भारतीय एयरलाइन्स के विमान द्वारा मुख्य भूमि स्थित मान्यता प्राप्त अस्पताल में पहुंचाया जाता है।

(ख) हेलीकाप्टर की विशेष उड़ान द्वारा मुख्य भूमि और अन्य द्वीप समूहों से कवारत्ती लाए गए मरीजों की कुल संख्या और खर्च की गई कुल धनराशि नीचे दी गई है:-

क्र.सं.	वर्ष	पहुंचने के लिए की गई उड़ानों की संख्या	अनुमानित लागत (रु. लाख में)
1.	2003-04	156	335.40
2.	2004-05	135	295.65
3.	2005-06	166	370.18
	कुल	457	1001.23

(ग) और (घ) स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, रिक्त पदों पर 90 दिनों की अवधि के लिए इंदिरा गांधी अस्पताल, कवारत्ती में विशेषज्ञों (बालरोग विशेषज्ञ, स्त्री रोग विशेषज्ञ, सर्जन और एनस्थिटिस्ट) को तैनात करता है। संघ सासित क्षेत्र प्रशासन मुख्य भूमि स्थित अस्पतालों में विशेषज्ञों की सेवाएं प्राप्त करने का प्रयास कर रहा है।

अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति

2835. श्री अर्जुन सेठी: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को बीच में पढ़ाई न छोड़ने देने तथा उन्हें उच्च स्तर तक अध्ययन सुविधा मुहैया कराने के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2004-05, 2005-06 और 2006-07 के दौरान इस श्रेणी के छात्रों के लिए राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई है;

(ग) क्या राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को आबंटित की गई धनराशि समय पर संवितरित नहीं की जाती है जिसके परिणामस्वरूप अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को अपनी पढ़ाई जारी रखने में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है;

(घ) क्या उड़ीसा सरकार को इन वर्षों में धनराशि जारी करने संबंधी निर्धारित मानदंडों को पूरा करने के बावजूद अभी तक धनराशि प्राप्त नहीं हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) इस धनराशि के कब तक जारी किए जाने की संभावना है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) जी, हां। यह मंत्रालय अनुसूचित

जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की एक केन्द्रीय प्रायोजित योजना का कार्यान्वयन करता है।

(ख) मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत वर्ष 2004-05 से 2006-07 तक निधियों का राज्यवार/संघ शासित क्षेत्र-वार आबंटन संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) छात्रवृत्ति समय पर प्राप्त न होने की स्थिति में विद्यार्थियों को होने वाली कठिनाइयों को ध्यान में रखते हुए जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वर्ष 2004-05 से, राज्य सरकारों से प्राप्त होने वाले प्रस्ताव की प्रतीक्षा किए बिना पिछले वर्ष के केन्द्रीय अंशदान के 50% की सीमा तक, राज्य सरकारों को आन-एकाउंट भुगतान करने का निर्णय लिया है।

(घ) जी, नहीं। वर्ष 2005-06 के दौरान उड़ीसा राज्य सरकार को 100.00 लाख रुपए की राशि तदर्थ अनुदान के रूप में निर्मुक्त की गई थी। वर्ष 2004-05 से 2006-07 के दौरान अनुदानों की निर्मुक्ति की स्थिति निम्नानुसार है:

वर्ष	निर्मुक्त की गई राशि	अभ्युक्ति
2004-05	शून्य	अव्ययित शेष राशि के रूप में राज्य सरकार के पास 216.70 लाख रुपए का केन्द्रीय अंश उपलब्ध था।
2005-06	100.00 लाख रुपए	वर्ष 2005-06 के दौरान 100.00 लाख रुपए की निर्मुक्ति के अतिरिक्त अव्ययित शेष राशि के रूप में राज्य सरकार के पास 100.83 लाख रुपए का केन्द्रीय अंश उपलब्ध था।
2006-07	शून्य	अव्ययित शेष राशि के रूप में राज्य सरकार के पास अभी भी 100.00 लाख रुपए से अधिक का केन्द्रीय अंश उपलब्ध है।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत राज्यवार/संघ शासित क्षेत्रवार आबंटन

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2004-05	2005-06	2006-07
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	2009.68	2700	2700
2.	अरुणाचल प्रदेश	59.33	300	200
3.	असम	1506.64	1500	1200
4.	बिहार	25.49	30	30
5.	छत्तीसगढ़	75.21	2000	1200
6.	गुजरात	227.05	2000	2000
7.	हिमाचल प्रदेश	24.42	15	10
8.	जम्मू-कश्मीर	22.89	200	500
9.	झारखंड	44.28	1600	900

1	2	3	4	5
10.	कर्नाटक	19.83	1500	1500
11.	केरल	7.59	150	300
12.	मध्य प्रदेश	125.74	1000	800
13.	महाराष्ट्र	261.73	700	1000
14.	मणिपुर	1001.23	1500	1500
15.	मेघालय	982.99	1900	1900
16.	मिजोरम	426.41	900	900
17.	नागालैंड	802.10	2000	2050
18.	उड़ीसा	29.55	85	600
19.	राजस्थान	181.13	2000	2300
20.	सिक्किम	14.18	20	10
21.	तमिलनाडु	4.16	50	40
22.	त्रिपुरा	182.78	200	200
23.	उत्तर प्रदेश	3.78	100	50
24.	उत्तरांचल	23.41	150	100
25.	पश्चिम बंगाल	173.40	300	300
26.	गोवा	0	15	10
27.	अंडमान एवं निकोबार	6.00	20	5
28.	दमन व दीव	6.00	10	3
29.	दादर व नगर हवेली	3.00	10	0
30.	लक्षद्वीप	0	10	0
	कुल	8250	22965	22308

[हिन्दी]

नाल्को में हड़ताल

2836. श्री तूफानी सरोज: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उड़ीसा स्थित नाल्को के प्रगलक संयंत्र के कर्मचारी हड़ताल पर गए थे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या उक्त हड़ताल से एल्युमिनियम का उत्पादन प्रभावित हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो ब्यौरा क्या है और इससे नाल्को को कितनी वित्तीय हानि उठानी पड़ी है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) जी, हां। जून 2006 के तीसरे सप्ताह के दौरान, नाल्को के 10% शेयरों का विनिवेश करने के सरकार के निर्णय की खबर छपने के बाद, कम्पनी की सभी यूनियनों और अधिकारी संघों ने इस निर्णय के विरुद्ध विरोध प्रकट किया। कम्पनी की ट्रेड यूनियनों और अधिकारियों के संघों ने अपने-अपने क्षेत्रों यानी अंगुल, दामनजोड़ी और भुवनेश्वर में समन्वय समिति गठित कर दी। उक्त समन्वय समिति द्वारा लिए गए निर्णय के अनुसार, अंगुल स्थित प्रगालक संयंत्र में दिनांक 23.6.2006 और 30.6.2006 को 24 घंटे के लिए हड़ताल हुई।

(ग) और (घ) जी, हां। दिनांक 23.6.2006 और 30.6.2006 को काम रोक देने की वजह से, अंगुल स्थित प्रगालक संयंत्र में एल्युमिनियम का उत्पादन प्रभावित हुआ था। मात्रा की दृष्टि से एल्युमिनियम धातु उत्पादन में 1908 एम.टी. की हानि हुई और इसके फलस्वरूप हुई वित्तीय हानि लगभग 6.46 करोड़ रु. है।

[अनुवाद]

रुग्ण लघु उद्योग

2837. श्री विजय कृष्ण: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) मार्च, 2006 की तिथि के अनुसार देश में विशेषत: बिहार में रुग्ण लघु उद्योगों की संख्या कितनी है;

(ख) बन्द हुए लघु उद्योगों तथा बेरोजगार हुए व्यक्तियों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) वर्ष 2005-06 तक सरकार की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत राज्यवार कितने उद्योगों का पुनरुद्धार किया गया;

(घ) देश में राज्यवार विशेषत: बिहार में लघु उद्योग क्षेत्र में गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की राशि कितनी है; और

(ङ) गैर-निष्पादनकारी आस्तियों की वसूली के लिए सरकार द्वारा राज्यवार क्या प्रयास किए गए हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों से संकलित डाटा के अनुसार, देश में मार्च, 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार (नवीनतम उपलब्ध), रुग्ण लघु औद्योगिक इकाइयों की संख्या 1,38,041 थी। इसमें बिहार की 7,596 रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां शामिल हैं।

(ख) संदर्भ वर्ष 2001-02 के लिए लघु उद्योगों की तृतीय अखिल भारतीय गणना के परिणामों के अनुसार 31.03.2001 तक पंजीकृत 22,62,401 लघु उद्योग इकाइयों में से 39 प्रतिशत (संख्या 8,87,427) इकाइयां बंद पाई गई थीं। इन बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। लघु उद्योगों के बंद होने के कारण बेरोजगार हुए व्यक्तियों की संख्या पर केन्द्र सरकार द्वारा सूचना नहीं रखी जाती है।

(ग) और (घ) मार्च, 2005 के अंत तक की स्थिति के अनुसार, रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की राज्य-वार संख्या, उनके प्रति बकाया ऋण और नसिंग के तहत रखी गई जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ङ) रुग्ण लघु उद्योगों के पुनर्जीवन/रुग्ण लघु उद्योगों से अनुत्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली के लिए निम्नोक्त उपाय किए गए हैं:

(i) जनवरी, 2002 में आरबीआई ने रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्वास पर सभी वाणिज्यिक बैंकों को कार्यान्वयन के लिए विस्तृत दिशानिर्देश परिचालित किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ, बैंकों की आरंभिक चरण पर रुग्णता का पता लगाने में सहायता करने तथा संभावित रूप से जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों के पुनर्जीवन के लिए सुधारात्मक कार्रवाई करने में सहायता करने की दृष्टि से रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की परिभाषा में परिवर्तन, उनकी जीवनक्षमता तय करने के लिए मानक, रियायती वित्त आदि शामिल हैं।

(ii) सितम्बर, 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने सभी पात्र एसएमई को ऋण पुनर्गठन सुनिश्चित करने के लिए लघु एवं मध्यम उद्यमों (एसएमई-लघु उद्योगों सहित) के लिए ऋण पुनर्गठन तंत्र पर बैंकों को नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में अन्य बातों के साथ-साथ जीवनक्षमता मानदंड, पुनर्गठित लेखों के लिए विवेकपूर्ण मानक, अतिरिक्त वित्त का प्रावधान, पुनर्गठन पैकेज तैयार करने एवं उसके कार्यान्वयन के लिए समय सीमा, आदि शामिल हैं।

(iii) सितम्बर, 2005 में भारतीय रिजर्व बैंक ने 10 करोड़ और उससे कम के बकाया शेष वाले लघु एवं मध्यम उद्यमों की अनुत्पादक परिसंपत्तियों (एनपीए) की वसूली के लिए एक बारगी निपटान (ओटीएस) योजना पर सभी सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिशानिर्देश जारी किए हैं। इन दिशानिर्देशों में लघु एवं मध्यम क्षेत्र में पुरानी अनुत्पादक परिसंपत्तियों के निपटान के लिए एक सरलीकृत, गैर-विवेकाधीन एवं गैर-पक्षपातपूर्ण तंत्र का प्रावधान है।

विवरण I

तृतीय अखिल भारतीय गणना (2001-02) के अनुसार बंद लघु उद्योग इकाइयों का राज्य-वार विवरण

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बंद लघु उद्योग इकाइयों की संख्या
1	2	3
1.	जम्मू-कश्मीर	22709
2.	हिमाचल प्रदेश	6509
3.	पंजाब	82731
4.	चंडीगढ़	1405
5.	उत्तरांचल	12100
6.	हरियाणा	27546
7.	दिल्ली	8357
8.	राजस्थान	36847
9.	उत्तर प्रदेश	122282
10.	बिहार	20525
11.	सिक्किम	155
12.	अरुणाचल प्रदेश	248
13.	नागालैंड	129
14.	मणिपुर	1226
15.	मिजोरम	1313
16.	त्रिपुरा	1077
17.	मेघालय	1908
18.	असम	10338
19.	पश्चिम बंगाल	26080
20.	झारखण्ड	13822
21.	उड़ीसा	9708
22.	छत्तीसगढ़	27830
23.	मध्य प्रदेश	65649
24.	गुजरात	39159
25.	दमन और दीव	454
26.	दादर और नगर हवेली	423
27.	महाराष्ट्र	54243
28.	आंध्र प्रदेश	38582
29.	कर्नाटक	46611
30.	गोवा	2327
31.	लक्षद्वीप	16
32.	केरल	74832
33.	तामिलनाडु	127185
34.	पांडिचेरी	2586
35.	अंडमान और निकोबार	515
	अखिल भारतीय	8,87,427

विवरण II

मार्च, 2005 के अंत की स्थिति के अनुसार, रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों, उनके प्रति बकाया ऋण एवं नसिंग के तहत रखी गई जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	रुग्ण लघु उद्योग इकाइयों की संख्या	बकाया ऋण (करोड़ रु. में)	नसिंग के तहत रखी गई जीवनक्षम रुग्ण लघु उद्योग इकाइयां
1	2	3	4	5
1.	असम	2954	48.11	4
2.	मेघालय	104	0.60	1

1	2	3	4	5
3.	मिजोरम	76	0.67	–
4.	बिहार	7696	106.12	104
5.	झारखण्ड	3419	67.14	3
6.	अरुणाचल प्रदेश	4	0.03	–
7.	पश्चिम बंगाल	38612	440.15	912
8.	नागालैंड	154	1.74	1
9.	मणिपुर	786	2.01	–
10.	उड़ीसा	7384	84.71	8
11.	सिक्किम	13	0.89	–
12.	त्रिपुरा	1734	2.20	–
13.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	–
14.	उत्तर प्रदेश	12085	341.10	417
15.	उत्तरांचल	353	9.80	–
16.	दिल्ली	1488	281.31	13
17.	पंजाब	2506	162.81	82
18.	हरियाणा	1000	84.97	7
19.	चंडीगढ़	770	76.57	4
20.	जम्मू-कश्मीर	2630	33.98	18
21.	हिमाचल प्रदेश	332	9.38	6
22.	राजस्थान	2241	44.42	1
23.	गुजरात	3461	350.64	38
24.	महाराष्ट्र	6939	1094.18	47
25.	दमन और दीव	42	1.08	–
26.	गोवा	130	12.57	–
27.	दादर और नगर हवेली	48	4.07	–
28.	मध्य प्रदेश	7640	179.87	12
29.	छत्तीसगढ़	3058	63.00	20
30.	आंध्र प्रदेश	5508	222.37	53

1	2	3	4	5
31.	कर्नाटक	4093	292.62	23
32.	लक्षद्वीप	–	–	–
33.	तमिलनाडु	9938	1033.07	76
34.	केरल	10873	318.81	230
35.	पांडिचेरी	70	9.14	–
	अखिल भारत	138041	5380.13	2080

नि:शुल्क व अनिवार्य शिक्षा

2838. श्री रूपचंद मुर्मू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में केन्द्र और राज्यों द्वारा सर्व शिक्षा अभियान का कितना खर्च उठाया जाता है;

(ख) क्या केंद्र सरकार का ग्यारहवीं योजना से केंद्र और राज्य की 50:50 भागीदारी करने की योजना है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) सर्व शिक्षा अभियान को केंद्र प्रायोजित योजना में प्रारंभिक शिक्षा के सर्वसुलभीकरण की दिशा में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की प्रतिबद्धता की दृष्टि से 9वीं योजनावधि के दौरान 85:15, 10वीं योजना के दौरान 75:25 तथा उसके बाद 50:50 के अनुपात में केन्द्र और राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निधियन पैटर्न की परिकल्पना की गई है।

एम.सी.डी. कर्मचारियों पर सी.बी.आई. का छापा

2839. श्री शैलेन्द्र कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल ही में सी.बी.आई. ने एम.सी.डी. के अधिकारियों के निवास स्थानों पर छापे मारे हैं, जैसा कि दिनांक 29 जुलाई, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो उन एम.सी.डी. अधिकारियों का ब्यौरा क्या है जिनके निवास स्थानों पर सी.बी.आई. ने छापे मारे थे तथा क्या बरामदगी की गई;

(ग) क्या उनके छापों के दौरान एम.सी.डी. और भवन निर्माता माफिया के बीच मिलीभगत का खुलासा हुआ था; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई/किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय जांच ब्यूरो ने 28.7.2006 को दिल्ली नगर निगम के कुछ अधिकारियों के सरकारी/रिहायशी परिसरों की तलाशी ली। इन अधिकारियों के नाम और पदनाम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। चूंकि मामले की अभी जांच पड़ताल की जा रही है, इसलिए इन तलाशियों के दौरान की गई जब्तियों के ब्यौरे प्रकट करने से जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है।

(ग) और (घ) मामले की जांच पड़ताल चल रही है और जांच पड़ताल के नतीजे के आधार पर दोषी अधिकारियों के खिलाफ कानून के अनुसार उपयुक्त कार्रवाई की जाएगी।

विवरण

क्र.सं.	अधिकारी का नाम	पदनाम
1	2	3
1.	श्री ए.सी. गर्ग	कार्यकारी अभियन्ता
2.	श्री एस.ए. खान	सहायक अभियन्ता
3.	श्री नजरूल इस्लाम	कार्यकारी अभियन्ता
4.	श्री राजीव नारंग	कनिष्ठ अभियन्ता
5.	श्री एन.के. गोयल	कनिष्ठ अभियन्ता
6.	श्री बी.पी. राठौड	कनिष्ठ अभियन्ता

1	2	3
7.	श्री रोहताश चौहान	मेट
8.	श्री बिरेन्द्र सिंह यादव	सहायक अभियन्ता
9.	श्री जगवीर सिंह	कनिष्ठ अभियन्ता
10.	श्री पियार सिंह	कार्यकारी अभियन्ता
11.	श्री शिव दत्त	तत्कालीन सहायक अभियंता
12.	श्री एम.एम. कौशिक	तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता
13.	श्री विजय कदयान	कार्यकारी अभियन्ता (बर्खास्त)
14.	श्री विजय कुमार जैन	सहायक अभिवन्ता (बर्खास्त)
15.	मो. अहमद	कनिष्ठ अभियन्ता
16.	श्री मोती लाल शर्मा	हैड क्लर्क
17.	श्री मुखवंत सिंह	अवर श्रेणी लिपिक
18.	श्री ए.पी. शर्मा'	सहायक अभियन्ता

सजावटी मत्स्यन को प्रोत्साहन

2840. डा. के.एस. मनोज: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एमपीईडीए द्वारा सजावटी मत्स्यपालन करने वालों को दी जा रही राजसहायता समाप्त कर दी गयी है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार को राजसहायता पुन: शुरू करने के लिए किसानों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और सजावटी मत्स्यन को प्रोत्साहन देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) देश से अंलकारिक मछलियों के निर्यात में अधिक कारगर ढंग से योगदान करने के लिए अलंकारिक मछली पालकों के प्रति सब्सिडी स्कीम को पुन: अभिमुखी बनाने की दृष्टि से समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा सब्सिडी को निर्यात दायित्व के साथ जोड़ा जा रहा है।

(ग) जी, हां।

(घ) निर्यातों को बढ़ावा देने की दृष्टि से सब्सिडी को निर्यात दायित्व से जोड़ना वांछनीय है।

भारतीय निर्यात

2841. श्री एल. राजगोपाल:
श्री वाडिगा रामकृष्णा:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने वर्ष 2005-06 की अन्तिम तिमाही में अमरीका तथा यूरोपीय संघ के बाजारों को निर्यात में चीन से बढ़त ले ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस वित्त वर्ष के दौरान इस बढ़त को बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) वर्ष 2006 की पहली तिमाही में अमरीका तथा यूरोपीय संघ के देशों को चीन की तुलना में भारत द्वारा किए गए निर्यातों का प्रतिशत तथा मूल्यवार ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) (i) वर्ष 2005-06 की अंतिम तिमाही (जनवरी से मार्च, 2006) के दौरान अमरीका को भारत का निर्यात 5266.82 मिलियन अमरीकी डालर (कुल अमरीकी आयातों का 1.14%) का रहा था जबकि उसी अवधि के दौरान अमरीका को चीन का निर्यात 59,857.56 मिलियन अमरीकी डालर (कुल अमरीकी आयातों का 13.4%) रहा था।

(ii) वर्ष 2005-06 की अंतिम तिमाही के दौरान ईयू को चीन का कुल निर्यात 43.5 बिलियन यूरो का रहा था जो मूल्य के रूप में ईयू में हुए कुल आयातों का 13.2% और मात्रा के रूप में 2.9% था। उसी अवधि के दौरान ईयू को भारत का निर्यात 5.9 बिलियन यूरो का हुआ था जो मूल्य के रूप में कुल आयात का 1.81% तथा मात्रा के रूप में 0.8% था। ईयू को निर्यातक के रूप में भारत ने चीन से बढ़त नहीं ली है।

(ग) भारत तथा चीन से ईयू को हुए निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। अमरीका को भारत के निर्यात का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2006 की प्रथम तिमाही में अमरीका को चीन के निर्यात 42099.86 मिलियन अमरीकी डालर के हुए हैं।

विवरण I

वर्ष 2005 की तुलना में 2006 की पहली तिमाही के दौरान भारत व चीन द्वारा किए गए कुल निर्यातों का ब्यौरा निम्नलिखित है-

		भारत व चीन से ईयू को किए गए निर्यात				
		जनवरी-मार्च 2005	जनवरी-मार्च 2006	% हिस्सा जनवरी-मार्च, 2005	% हिस्सा जनवरी-मार्च, 2006	वृद्धि 2006
ईयू बाह्य	मूल्य	262250	329594	–	–	25.7
	मात्रा	424083	434420	–	–	2.4
चीन	मूल्य	33919	43545	12.9	13.2	28.4
	मात्रा	13084	12710	3.1	2.9	-2.9
भारत	मूल्य	4672	5936	1.8	1.8	27.1
	मात्रा	2991	3475	0.7	0.8	16.2

मूल्य: मिलियन यूरो में
मात्रा: 000 टन में
स्रोत: यूरोस्टेट

विवरण II

अमरीका को भारत से निर्यात

(मिलियन अम. डालर में)
(जनवरी-मार्च, 2006)

एचएस	विवरण	
1	2	3
	भारत से निर्यात	**5266.82**
71	कीमती रत्न, धातुएं	1349.02
62	बुने परिधान	67.60
61	बुनाई वाले परिधान	296.68
63	विविध वस्त्र वस्तुएं	282.01
84	मशीनरी	243.05
85	विद्युत मशीनरी	229.24
29	कार्बनिरक रसायन	221.73
73	लौह/इस्पात उत्पाद	155.13
57	कपड़े के फर्शाच्छादन	152.40
72	लोहा व इस्पात	132.54
27	खनिज ईंधन, तेल आदि	126.46
87	वाहन, रेलवे नहीं	123.70
39	प्लास्टिक	86.04
30	भेषज उत्पाद	84.24
68	पत्थर, प्लास्टर सीमेंट आदि	84.00
94	फर्नीचर एवं बेडिंग	74.30
03	मछली व समुद्री खाद्य	73.92
42	चर्म कलाकृतियां, जीनसाजी एवं थैले	50.49
13	लाख, वनस्पति रस, अवलेह	49.88
08	खाने योग्य फल व गिरियां	48.38
64	फुटवियर	45.71
90	आप्टिक, एनटी 8544, मेड आईएनएसटीआर	41.72

1	2	3
40	रबड़	36.43
32	पैंनिंग, रंजक, पेंट, पुट्टी	34.37
83	बेस मेटल की विविध आर्ट	29.54
76	एल्यूमिनियम	28.48
99	ओ स्पेशल इम्पर प्रोविजन्स	25.96
82	बेस मेटल के औजार, कटलरी	25.36
98	विशेष अन्य	25.15
50	रेशम, रेशम का धागा, कपड़ा	25.08
35	एल्ब्यूमिन, मोड स्टार्च, सरेस	24.92
09	मसाले, काफी तथा चाय	22.32
33	इत्र सौंदर्य प्रसाधन आदि	22.11
52	कपास+धागा, कपड़ा	19.77
12	विविध अनाज, बीज फल	19.40
97	कलाकृति एवं पुरातन कृति	18.88
38	विधि रासायनिक उत्पाद	18.84
74	तांबा+उसकी वस्तुएं	17.50
10	अनाज	14.74
20	परिरक्षित खाद्य	13.97
54	मानव निर्मित तन्तु, कपड़ा	13.95
58	विशेष बुना हुआ कपड़ा आदि	13.79
70	कांच एवं कांच की वस्तुएं	12.66
55	मानव निर्मित स्टेपल रेशे	11.20
34	साबुन, मोप, ईंटी, दंत चिकित्सा संबंधी सामग्री	10.09
96	विविध विनिर्माण	9.66
21	विविध खाद्य	8.72
44	काष्ठ	8.48
16	तैयार मांस, मछली आदि	8.37
28	अकार्बनिक रसायन, दुर्लभ मृदा तत्व	8.18
79	जस्ता+उसके उत्पाद	8.01
53	अन्य वानस्पतिक वस्त्र रेशे	6.71
86	रेलवे टीआरएफ साइन ईक्यू	6.62
07	सब्जियां	6.59
56	रूई, फेल्ट, ट्वाइन, रस्सी	6.25
15	वसा एवं तेल	6.06
04	डेयरी, अण्डे, शहद आदि	5.93
48	कागज, पेपरबोर्ड	5.87
60	बुना, क्रोशिएटेड कपड़ा	5.28
95	खिलौने व खेल उपकरण	5.20
19	बेकिंग से संबंधित	5.06
25	नमक, गंधक, मिट्टी, पत्थर	4.41
49	पुस्तक+समाचार पत्र, पाण्डुलिपि	4.22
59	इम्प्रेग्नेटेड टेक्सटाइल फैब्रिक	4.15
26	अयस्क, स्लैग, भस्म	4.15
17	शर्करा	3.94
46	स्ट्रा, एस्पार्टो	3.03
88	वायुयान, अंतरिक्ष यान	3.03
06	जीवित वृक्ष एवं पौधे	2.95
41	खाल व चर्म	2.89
69	सिरेमिक उत्पाद	2.73
24	तम्बाकू	2.64
51	पशुओं के बाल+धागा, कपड़ा	1.48
91	घड़ियाल व घड़ियां	1.10
65	पगड़ी	0.99
23	खाद्य अवशिष्ट, पशुआहार	0.98
11	मिलिंग; माल्ट; स्टार्च	0.89

1	2	3
22	पेय	0.86
92	संगीत वाद्य	0.85
93	शस्त्र एवं बारूद	0.79
36	विस्फोटक	0.61
05	पशु मूल से इतर	0.60
66	छाता, छड़ी आदि	0.54
81	अन्य बेस मेटल आदि	0.52
67	सजावटी फूल पंख	0.44
75	निकल+उसकी वस्तुएं	0.37
37	फोटोग्राफिक/सिनेमेटोग्राफ	0.28
80	टिन+उसकी वस्तुएं	0.20
14	अन्य सब्जियां	0.13
18	कोको	0.10
89	जहाज व नौकाएं	0.10
31	उर्वरक	0.06
45	कार्क	0.04
43	फर चर्म+कृत्रिम फर	0.02

आंकड़ों का स्रोत: यूएस डिपार्टमेंट आफ कामर्स, ब्यूरो आफ सेंसस

प्राकृतिक रबर क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश

2842. श्रीमती सी.एस. सुजाता: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने प्राकृतिक रबर के उत्पादन में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को अनुमति देने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने सहकारी समितियों तथा व्यक्तियों द्वारा चलायी जा रही वर्तमान प्रसंस्करण इकाइयों पर इसके प्रभावों का मूल्यांकन किया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार रबर क्षेत्र में शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के निर्णय को वापस लेने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) मौजूदा नीति रबड़ रोपण में एफ.डी.आई. की अनुमति नहीं देती है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता। तथापि बेहतर प्रौद्योगिकी के समावेश में सहायता करने के उद्देश्य से प्रेस नोट 4 (2006 श्रृंखला) दिनांक 10 फरवरी, 2006 के तहत कॉफी तथा रबड़ के प्रसंस्करण तथा वेयरहाउसिंग में स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफ.डी.आई.) की अनुमति दी गई है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा

2843. श्रीमती मेनका गांधी:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार दिल्ली मेट्रो रेल की सुरक्षा हेतु सी.आई.एस.एफ. की तैनाती करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सभी मेट्रो स्टेशनों पर कितने सी.आई.एस.एफ. कर्मियों को तैनात किए जाने की संभावना है;

(ग) उक्त कार्य को कब तक शुरू किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार का विचार यात्रियों तथा उनके सामान की जांच करने के लिए मेट्रो रेल स्टेशन पर विशेष एक्सरे मशीनें लगाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) जी हां, श्रीमान। केन्द्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) की छ: कंपनियां पहले ही तैनात कर दी गई हैं। इसे शीघ्र ही और सुदृढ़ किया जाएगा।

(घ) और (ङ) स्थापित किए जाने वाले एक्स-रे सामान स्कैनरों की प्रस्तावित संख्या 100 है। जांच बिन्दुओं (चैक प्वाइंट्स) पर स्थापित करने के लिए 92 और 8 को सुरक्षित रखा जाना है।

[हिन्दी]

आरा मिल का बंद होना

2844. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राजस्थान में कुछ आरा मिलें बंद हो गयी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन आरा मिलों के बंद होने का राजस्थान में हस्तशिल्प उद्योग पर क्या प्रभाव पड़ा है;

(ग) क्या इस कारण निर्यात की मात्रा घटी है; और

(घ) यदि हां, तो उक्त आरा मिलों को दुरुस्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद (ईपीसीएच), नई दिल्ली ने सूचित किया है कि उन्हें बिना लाइसेंस की आरा मिलों के बंद होने और उससे हजारों कारीगरों और उनके परिवारों पर बुरा असर पड़ने के बारे में कारीगरों एवं निर्यातकों के विभिन्न संघों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। तथापि, उनकी संख्या का पता लगाने तथा हस्तशिल्प क्षेत्र पर पड़े इसके प्रभाव के संबंध में कोई विशेष सर्वेक्षण नहीं किया गया है।

(ग) मात्रावार एवं राज्य-वार निर्यात आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, हस्तशिल्प निर्यातों के मूल्य संबंधी आंकड़े देश में समग्र रूप से रखे जाते हैं। काष्ठ हस्तशिल्पों के निर्यात में वृद्धि की प्रवृत्ति दिखाई पड़ती रही है, जैसा कि राजस्थान राज्य सहित देश से हुए निर्यात के पिछले तीन वर्षों के दौरान दर्ज आंकड़ों से देखा जा सकता है:-

(करोड़ रुपये में)

क्र.सं.	वर्ष	काष्ठ हस्तशिल्प का निर्यात
1.	2003-04	609.07 रुपये
2.	2004-05	721.18 रुपये
3.	2005-06	853.06 रुपये

(घ) कारीगरों एवं निर्यातकों के संघ से प्राप्त अभ्यावेदनों के आधार पर, आरा मिलों को (24[11] तक की) आरा मिलों की परिभाषा से छूट देने का मामला केन्द्रीय अधिकारिता समिति के समक्ष उठाया गया है।

[अनुवाद]

भारतीय कंपनियों को विधिक संरक्षण

2845. श्री के.एस. राव: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विभिन्न क्षेत्रों में अनुमत्य प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के प्रतिशत का ब्यौरा क्या है;

(ख) शत-प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के लिए स्वतंत्र भारतीय प्रोमोटरों/भारतीय कंपनियों की स्थिति क्या है और विदेशी निवेशकों/बहुराष्ट्रीय कंपनियों के विरुद्ध क्या विधिक संरक्षण दिए गए हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार विदेशी निवेशकों के विरुद्ध भारतीय कंपनियों और भारतीय प्रोमोटरों के स्वामित्व अधिकारों का संरक्षण करने के लिए कानून बनाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) मौजूदा नीति के अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) की अनुमति है। खुदरा व्यापार (एकल ब्राण्ड उत्पाद संबंधी खुदरा व्यापार के अतिरिक्त), लाटरी, जुआ एवं परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में एफ.डी.आई. वर्जित है। कुछ क्षेत्रों में एफ.डी.आई. प्रतिबंधित है। एफ.डी.आई. हेतु इक्विटी की अधिकतम सीमा आकर्षित करने वाले कुछ मुख्य कार्यकलापों में निम्नलिखित शामिल हैं:)-

(i) एफ एम रेडियो प्रसारण (20 प्रतिशत तक)

(ii) प्रिंट एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया-समाचार एवं समसामयिक विषय (26 प्रतिशत तक)

(iii) रक्षा संबंधी उद्योग (26 प्रतिशत तक)

(iv) बीमा (26 प्रतिशत तक)

(v) प्रसारण (49 प्रतिशत तक)

(vi) अवसंरचना/सेवा क्षेत्र में निवेश करने वाली कंपनियां (49 प्रतिशत तक)

(vii) घरेलू एयरलाइन्स (49 प्रतिशत तक)

(viii) एकल ब्राण्ड उत्पाद संबंधी खुदरा व्यापार (51 प्रतिशत तक)

(ix) गेट वेज, रेडियो-पेजिंग, एण्ड-टू-एण्ड बैण्डविड्थ सहित दूरसंचार सेवाएं एवं आई.एस.पी. (74 प्रतिशत तक)

(x) उपग्रहों की स्थापना एवं परिचालन (74 प्रतिशत तक)

(xi) परमाणु खनिज (74 प्रतिशत तक)

(xii) निजी क्षेत्र के बैंक (74 प्रतिशत तक)

(ख) से (घ) प्रैस नोट सं. 1 (2005 श्रृंखला) के अनुसार विदेशी निवेश/तकनीकी सहयोग हेतु एफ.डी.आई. के नए प्रस्तावों के लिए ऐसे मामलों में स्वत: मार्ग के तहत आने वाले कार्यकलापों के संबंध में सरकार के पूर्वानुमोदन की आवश्यकता होगी, जहां विदेशी निवेशक का उसी क्षेत्र में किसी भारतीय कंपनी के साथ कोई मौजूदा संयुक्त उद्यम या प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण/व्यापार चिह्न समझौता हो। एफ.डी.आई. नीति विदेशी विनियम प्रबन्ध अधिनियम, 1999 के तहत अधिसूचित विदेशी विनियम प्रबन्धन (भारत के बाहर रहने वाले किसी व्यक्ति द्वारा प्रतिभूति का हस्तान्तरण अथवा उसे जारी करना) विनियम, 2000 में समाविष्ट है। यह नीति केवल निगमित कंपनियों में ही एफ.डी.आई. की अनुमति देती है तथा यह भारतीय कानूनों के अध्यधीन है। किसी भारतीय कंपनी के प्रवर्तक के स्वामित्व संबंधी अधिकारों के निर्धारण हेतु भारतीय कंपनी अधिनियम के उपबन्ध तर्क लागू हैं।

गुजरात दंगा मामलों में सीबीआई जांच

2846. श्री स्वदेश चक्रवर्ती: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीबीआई को गुजरात दंगों के कितने मामले सौंपे गए हैं;

(ख) इन मामलों की आज की तिथि में क्या स्थिति है; और

(ग) इन मामलों की जांच कब तक पूरी किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) गुजरात दंगों से संबंधित एक मामला केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया है। मामले का ब्यौरा नीचे दिया गया है:

लिमखेड़ा पुलिस स्टेशन (जिला-दाहोद) अपराध रजिस्टर सं. 59/2002, जिसकी स्थानीय पुलिस द्वारा जांच-पड़ताल की गई थी और विचारण जेएमएफसी, लिमखेड़ा द्वारा किया गया था और "क" अंतिम रिपोर्ट स्वीकार करते हुए जिसे बंद कर दिया गया था, को केन्द्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपा गया था और इसे आपराधिक रिट याचिका सं. 118/2003 और आपराधिक विविध याचिका सं. 8850/2003 में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय के दिनांक 16.12.2002 के आदेशों के तहत 1.1.2004 को सीबीआईएससीबी में मामला सं. आरसी-1/एस/2004-मुम. के रूप में दर्ज किया गया था। मामले की जांच-पड़ताल पहले ही पूरी कर ली गई है और सीबीआई द्वारा 19.4.2004 को आरोप-पत्र दायर कर दिया गया है। मामला विचारणार्थ लंबित है।

[हिन्दी]

महिलाओं पर अत्याचार

2847. श्रीमती करुणा शुक्ला:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:
श्री अविनाश राय खन्ना:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश के विभिन्न भागों में अवयस्क बालिकाओं और महिलाओं के यौन उत्पीड़न एवं इन पर अत्याचारों में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन अत्याचारों में कुछ आई.ए.एस./आई.पी.एस. अधिकारी संलिप्त पाए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो गत एक वर्ष में इस संबंध में राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) महिलाओं के विरुद्ध अत्याचारों को रोकने तथा दोषी व्यक्तियों को सजा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्य नीति तैयार की गई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) गृह मंत्रालय के नियंत्रणाधीन राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो द्वारा एकत्रित वर्ष 2003 से 2005 तक महिलाओं के विरुद्ध अपराधों से संबंधित राज्य-वार एवं वर्ष-वार आंकड़ों संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) और (ग) ऐसा विवरण केन्द्रीय रूप से नहीं रखा जाता है।

(घ) 'कानून व व्यवस्था' तथा 'पुलिस' राज्य के विषय के विषय हैं और इस प्रकार महिलाओं के प्रति अत्याचारों से संबंधित मामलों का अभिज्ञान तथा निवारण, अन्वेषण मुख्यत: राज्य सरकारों का दायित्व है। तथापि, भारत सरकार समय-समय पर राज्य सरकारों

को महिलाओं और समाज के अन्य कमजोर वर्गों के प्रति अपराधों के निवारण हेतु यथावश्यक उपाय करने की सलाह देती रही है। सुझाए गए उपाय इस प्रकार हैं:

* अपराध-प्रवण क्षेत्रों को अभिनिर्धारित करना तथा बालिकाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से स्कूलों/विद्यालयों में कानून के उल्लंघन के मामलों का मानीटरन करने के लिए तंत्र की स्थापना करना।
* महिलाओं के विरुद्ध अपराधों के सभी मामलों की प्राथमिक सूचना रिपोर्ट दर्ज करना।
* महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम के लिए गठित प्रकोष्ठों के हैल्पलाइन नम्बरों का सार्वजनिक स्थलों पर प्रदर्शन।
* पुलिस थानों में महिला पुलिस प्रकोष्ठों तथा जहां आवश्यक हो, महिला थानों की स्थापना।
* महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की रोकथाम से जुड़े पुलिस कर्मियों को विशेष कानूनों का व्यापक प्रशिक्षण प्रदान करना।

सरकार ने परिवार तथा वैवाहिक संबंधों में होने वाली हिंसा को रोकने के लिए महिलाओं को घरेलू हिंसा से संरक्षण अधिनियम, 2005 भी अधिनियमित किया है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न की रोकथाम एवं निवारण पर उच्चतम न्यायालय के दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए सभी मंत्रालयों, राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों पर दबाव बनाए हुए है।

विवरण

2003 से 2005 के दौरान बलात्कार, छेड़छाड़, यौन-उत्पीड़न, अवयस्क बालिकाओं के प्रापण, वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की खरीद तथा वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की बिक्री से संबंधित धाराओं के अंतर्गत दर्ज किए गए मामलों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	बलात्कार (भा.दं.सं. की धारा 376)			छेड़छाड़ (भा.दं.सं. की धारा 354)			यौन उत्पीड़न (भा.दं.सं. की धारा 509)			अवयस्क बालिकाओं का प्रापण (भा.दं.सं. की धारा 366क)			वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की खरीद (भा.दं.सं. की धारा 373)			वेश्यावृत्ति हेतु बालिकाओं की बिक्री (भा.दं.सं. की धारा 372)		
		2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005	2003	2004	2005
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	आंध्र प्रदेश	946	1016	935	4128	3817	3595	2286	2310	2508	46	60	48	0	0	0	1	0	2
2.	अरुणाचल प्रदेश	31	42	35	43	61	67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.	असम	1095	1171	1238	878	883	899	6	11	19	12	8	0	0	0	0	0	1	2
4.	बिहार	985	1390	1147	688	704	451	11	13	13	1	7	5	0	0	0	0	1	0
5.	छत्तीसगढ़	898	969	990	1481	1661	1450	105	131	132	0	1	0	0	0	0	0	0	0
6.	गोवा	31	37	20	19	23	30	7	15	8	5	1	0	0	0	0	0	0	0
7.	गुजरात	236	339	324	722	757	802	92	164	104	2	5	12	0	0	0	0	0	0
8.	हरियाणा	353	386	461	344	403	380	1302	850	597	3	0	0	0	0	0	0	0	0
9.	हिमाचल प्रदेश	126	153	141	250	284	286	18	16	29	4	0	0	0	0	0	1	0	0
10.	जम्मू-कश्मीर	211	218	201	875	990	830	376	264	371	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11.	झारखण्ड	712	797	753	424	411	293	2	3	36	5	5	4	0	0	0	0	0	0
12.	कर्नाटक	321	291	343	1585	1435	1585	84	57	71	1	4	7	0	0	0	0	0	0
13.	केरल	394	480	478	1947	2260	2339	68	133	175	7	20	21	0	0	0	0	0	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
14.	मध्य प्रदेश	2738	2875	2921	6848	6690	6426	705	804	792	13	2	4	0	0	1	25	0	0
15.	महाराष्ट्र	1268	1388	1545	2661	2831	3228	682	862	919	20	14	5	5	11	6	3	3	1
16.	मणिपुर	18	31	25	44	30	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
17.	मेघालय	40	54	63	13	34	44	1	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	0
18.	मिजोरम	54	20	37	88	66	49	0	0	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0
19.	नगालैंड	14	18	17	4	3	7	2	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	उड़ीसा	725	770	799	1669	1811	2238	188	170	184	4	3	0	0	0	0	0	0	0
21.	पंजाब	380	390	398	346	261	308	199	38	43	0	0	2	0	0	1	0	1	0
22.	राजस्थान	1050	1038	993	2715	2825	2503	33	41	28	1	1	1	1	1	0	0	1	1
23.	सिक्किम	10	3	18	25	40	38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
24.	तमिलनाडु	557	618	571	2022	1861	1764	881	1081	665	0	6	0	0	0	0	0	0	0
25.	त्रिपुरा	114	160	162	127	134	161	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.	उत्तर प्रदेश	911	1397	1217	1098	1900	1835	4970	2682	2881	28	23	3	0	0	0	0	0	0
27.	उत्तरांचल	107	115	133	136	143	100	98	110	89	7	32	9	0	0	0	0	0	0
28.	पश्चिम बंगाल	1002	1475	1686	1186	1566	1572	71	64	54	12	13	20	18	9	2	6	12	44
	कुल (राज्य)	15327	17641	17651	32366	33884	33305	12187	9820	9723	171	205	145	24	21	19	36	19	50
29.	अण्डमान व निकोबार द्वीप समूह	2	10	4	9	6	11	2	3	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30.	चण्डीगढ़	18	19	33	11	20	31	4	18	9	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31.	दादर व नगर हवेली	1	7	5	4	5	5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
32.	दमन व दीव	5	1	2	3	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
33.	दिल्ली	490	551	658	489	601	762	105	130	225	0	0	0	0	0	0	0	0	0
34.	लक्षद्वीप	2	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
35.	पाण्डिचेरी	2	4	6	56	50	60	27	30	26	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (संघ राज्य क्षेत्र)	520	592	708	573	683	870	138	181	261	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	कुल (अखिल भारत)	15847	18233	18359	32939	34567	34175	12325	10001	9984	171	205	145	24	21	28	36	19	50

[हिन्दी]

हिन्दू देवी-देवताओं के लिए आपत्तिजनक भाषा

2848. **श्री महावीर भगोरा:**
श्री पंकज चौधरी:
श्री हंसराज जी. अहीर:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इग्नू की पुस्तकों में हिन्दू देवी-देवताओं विशेषत: भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण और मां दुर्गा के लिए आपत्तिजनक भाषा का प्रयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भगवान शिव और मां दुर्गा के शामिल संदर्भों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार पुस्तकों से आपत्तिजनक संदर्भों को हटाने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) इन्दिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय द्वारा दी गई सूचना के अनुसार अप्रैल, 2006 में उपर्युक्त एम.ए. इतिहास कार्यक्रम के वैकल्पिक पाठ्यक्रम, एम.एच.आई.-07 (भारत में धार्मिक विचार और विश्वास) के माड्यूल-3 (अंग्रेजी में 'रिलीजिअस ट्रेडिशनस एण्ड फिलोसिफी आफ भक्ति' और हिन्दी में 'धार्मिक परम्पराएं और भक्ति दर्शन') की अध्ययन सामग्री में कुछ आपत्तिजनक भाग ध्यान में आए।

(ख) पैरा (क) में उल्लिखित अध्ययन सामग्री के माड्यूल-3 के पृष्ठ 29 में भगवान शिव के बारे में आपत्तिजनक भाग और पृष्ठ 31-32 में देवी दुर्गा के विरुद्ध आपत्तिजनक भाग ध्यान में आए।

(ग) और (घ) विश्वविद्यालय ने ऐसे भागों को बदलने और संशोधित करने और सम्पूर्ण पाठ्यक्रम की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निर्णय लिया है और जो इस पर अपने सुझाव देगी/संशोधन करेगी। भावी उम्मीदवारों के लिए इस पाठ्यक्रम को जब तक समाप्त करने का भी निर्णय लिया गया है तब तक समिति इसकी समीक्षा करके इसे अन्तिम रूप नहीं दे देती।

[अनुवाद]

रुग्ण औद्योगिक इकाइयों का पुनरुद्धार

2849. **श्री वाडिगा रामकृष्णा:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष पुनरुद्धार की गयी औद्योगिक इकाइयों के राज्यवार नाम क्या है; और

(ख) बी.आई.एफ.आर. के अनुसार देश में रुग्ण उद्योगों के सम्मुख मुख्य समस्याएं कौन-कौन सी हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) औद्योगिक तथा वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआईएफआर) रुग्ण औद्योगिक कंपनी (विशिष्ट उपबंध) अधिनियम, 1985 (सिका) के उपबंधों के अंतर्गत बोर्ड में पंजीकृत रुग्ण औद्योगिक एककों के पुनरूज्जीवन पर विचार करता है। बी.आई.एफ.आर. से प्राप्त सूचना के अनुसार वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान राज्य-वार पुनरूज्जीवित किए गए औद्योगिक एककों के नाम संलग्न विवरण में दिये गये हैं।

(ख) सामान्यत: यह देखा गया है कि रुग्ण औद्योगिक कंपनियां सरकारी नीतियों में परिवर्तन, प्रबंधकीय समस्याओं, उत्पादन तथा तकनीकी समस्याओं, विपणन समस्याओं, वित्तीय समस्याओं, पर्याप्त अवसंरचना की कमी, वित्तीय संस्थानों तथा बैंकों द्वारा आवधिक ऋणों की मंजूरी तथा वितरण में विलंब तथा उच्च ब्याज लागतों को अपनी रुग्णता के लिए उत्तरदायी ठहराती हैं।

विवरण

बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत औद्योगिक एककों के नाम जिन्हें पुनर्जीवित किया गया है।

I. वर्ष 2003

आंध्र प्रदेश

1. रिलाइंस सैलूलोज प्रोडक्ट्स लि.
2. एआरओएस ब्रूवरीज लि.
3. एनसीसी ब्ल्यूवाटर प्रोडक्ट्स लि.

दादर और नगर हवेली

1. ब्लोसम इंडस्ट्रीज लि.

गुजरात

1. स्पैशिएलिटी पेपर लि.
2. गुजरात साइकल्स लि.
3. रेनुका सिल्क मिल्स लि.

हरियाणा

1. हिसार सीमेंट प्रा. लि.

केरल

1. प्रीमियर टायर्स लि.

कर्नाटक

1. सेफपैक प्लास्टिक्स
2. विगनयन इंडस्ट्रीज लि.
3. कर्नाटक सोप्स एण्ड डिटरजेंट्स लि.
4. कावेरी स्टील्स लि.

मध्य प्रदेश

1. रिलायएबल फूड इंडस्ट्रीज प्रा.लि.
2. वैसमैन हल्वरशिडी फोर्जिंग्स लि.

महाराष्ट्र

1. शारदा सिन्थेटिक्स लि.
2. ईगल आयरन एण्ड मेटल इंड. लि.
3. एन.आर. ब्रदर्स रोलर फ्लोर मिल्स प्रा. लि.
4. शिवाजी वर्क्स लि.
5. बी डैफट इलैक्ट्रोनिक्स लि.
6. वोरा पैकेजिंग प्रा.लि.

एन.सी.टी. दिल्ली

1. राहुल डेयरी एण्ड एलायड प्रोडक्ट्स लि.
2. अल्फा वोवन लेबल्स (इंडिया) लि.

पंजाब

1. कैपसूजैल इंडिया
2. होमलैण्ड स्पेसिएलिटी आयल्स लि.
3. दीदार स्टील कम्पलैक्स (प्रा.) लि.
4. एग्रो कैम पंजाब लि.

तमिलनाडु

1. एशियन बीयरिंग्स लि.
2. क्रोम लैदर्स कं.
3. कुमार मालेबल्स (प्रा.) लि.
4. त्रीची स्टील रोलिंग मिल्स लि.
5. प्रदीप ड्रग्स कं. लि.
6. श्री रानीलक्ष्मी ग्रि. स्पि. एण्ड वी. मिल्स लि.

उत्तर प्रदेश

1. शिवालिक रसायन
2. अमृत वनस्पति कं.लि.

पश्चिम बंगाल

1. एवरेस्ट पेपर मिल्स
2. कमरहट्टी कंपनी लि.
3. दामोदर सीमेंट एण्ड स्लैग लि.
4. क्रिप्टन इंडस्ट्रीज लि.
5. तीस्ता एग्रो इंडस्ट्रीज लिमिटेड

बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत औद्योगिक एककों के नाम जिन्हें पुनर्जीवित किया गया है।

II. वर्ष 2004

आंध्र प्रदेश

1. तेलंगाना पेपर मिल्स लि.
2. वीडीआर एण्ड कं. नाइलोन प्रा.लि.
3. मर्वन ड्रग प्रोडक्ट्स लि.

छत्तीसगढ़

1. मोदी सीमेंट लि.

गोवा

1. अर्लम ब्रूवरीज लि.

गुजरात

1. के.ए. मैली फार्मुस्टीकल्स लि.
2. गुजरात बोरोसिल लि.
3. टोरेन्ट केबल्स लि.

हरियाणा

1. फोर्जिंग्स लि.
2. सैमसन्स पेपर इंडस्ट्रीज लि.
3. जीटीएम सिन्थेटिक्स लि.

केरल

1. यूनीरोयल मरीन एक्सपोर्ट्स लि.

कर्नाटक

1. कर्नाटक सिल्क इंडस्ट्रीज कार्पो. लि.
2. एस एस एस इंजीनियरिंग कं. लि.

मध्य प्रदेश

1. नेशनल इन्फो. टैक्नोलाजीज लि.

महाराष्ट्र

1. स्टैंडर्ड ड्रम एंड बैरल
2. न्यू स्टैंडर्ड इंजी.
3. देवगिरि टैक्सटाइल मिल्स
4. श्री प्रिकोटेड स्टील्स लि.
5. चिमनलाल विजय कुमार स्टील प्रा.लि.

पांडिचेरी

1. वेंकटरामन फूड स्पेशियलिटीज लि.

पंजाब

1. ट्राइडेंट एल्को-कैम लि.

राजस्थान

1. लैंप्स एंड लाइटिंग
2. राजस्थान पालीमर्स एण्ड रेजिन्स लि.

तमिलनाडु

1. काम्टेक्स कंपोनेंट्स लि.
2. जयभुर्गन टैक्सटाइल्स लि.

उत्तरांचल

1. ईस्टर इंड. लि.

पश्चिम बंगाल

1. वेजिटेबल प्रोडक्ट्स लि.
2. शंकर गैस इंड. प्रा.लि.

बी.आई.एफ.आर. में पंजीकृत उन औद्योगिक इकाइयों के नाम जिन्हें पुनरुद्धार कर दिया गया है।

III. वर्ष 2005

आंध्र प्रदेश

1. तेलंगाना स्पिनिंग एंड वीविंग मिल्स लि.
2. मैडनापल्ले स्पिनिंग मिल्स लि.
3. सुलक्षणा सर्किट्स लि.
4. वाजरा ग्रेनाइट्स लि.
5. न्यूट्रीन स्वीट्स प्रा.लि.
6. श्रीवत्स पावर प्रोजेक्ट्स लि.

गुजरात

1. गुजरात सिट्को क्लच
2. टोरेंट गुजरात बायो-टैक लि.
3. कोर एम्ब्लेज लि.
4. गोपी सिंथेटिक्स लि.
5. गोपी सिंथेटिक्स प्रा.लि.

हरियाणा

1. लौरल आर्गेनिक्स लि.

केरल

1. राष्ट्र दीपिका लि.
2. केरल इलेट्रिकल एंड एलाइड इंजी. कं. लि.
3. ट्रैको केबल कंपनी लि.

कर्नाटक

1. भोरूका स्टील लि.
2. ग्लिटैक ग्रेनाइट्स लि.

3. अन्नामलाई काटन मिल्स प्रा. लि.
4. भोरूका गैस लि.
5. जिरकास्ट लि.

मध्य प्रदेश

1. कोर्डीनल ड्रग्स लि.

महाराष्ट्र

1. सिगमा पेंट्स
2. आटोफिल्ड इंजीनियर्स प्रा. लि.
3. हिकसन एण्ड दादाजी लि.
4. बी.सी.एल. फोर्जिंग्स लि.
5. नाइकनावेर कैमिकल्स लि.
6. एशिया फैब लि.
7. अमिताभ बच्चन कार्पो. लिमिटेड
8. वीराज एलायॅज लि.
9. एम.जे. फार्मास्यूटिकल्स लि.
10. यूरीस्को एग्रो लि.
11. प्रदीप मेटल लि.
12. रूबी कोच बिल्डर्स लि.
13. ईनोटेक पोलीफैब्रीक्स लि.
14. एसयू-वीआई फार्मास्यूटिकल्स एण्ड कैमिकल्स लि.
15. महाराष्ट्र इलैक्ट्रोस्माल्ट लि.
16. देवगिरि टैक्सटाइल मिल्स लि.
17. डरीलको सेको लिमिटेड

एन.सी.टी. दिल्ली

1. प्रकाश इंडस्ट्रीज लि.
2. प्रीसिजन इलैक्ट्रोनिक्स लि.
3. इनेक्सको टेक्नोलोजिक्स इंडिया लि.
4. स्टेनसिल अपेरल ब्रांड्स लि.
5. मिंडिया इंस्ट्रुमैन्ट्स
6. तनुक फार्मा (इंडिया) लि.

उड़ीसा

1. मंगलम टिम्बर प्रोडक्ट्स लि.

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी पेपर लि.

पंजाब

1. डालमिया बिस्कुट्स
2. मोहन फाइबर प्रोडक्ट्स लि.
3. नासा एग्रो इंडस्ट्रीज लि.
4. निजर एग्रो फूड्स लि.

राजस्थान

1. राजस्थान एक्सप्लोसिव्ज एण्ड कैमिकल्स
2. मल्टी मेटल लि.
3. एशिया पैक लि.
4. एसील इंडस्ट्रीज लि.

तमिलनाडु

1. पुलीकार मिल्स लि.
2. जी ग्रेनाइट्स लि.
3. आइडल एक्सपो फैब्रीक्स लि.
4. क्वान्टम डिजिटल विजन (इंडिया) लि.
5. नागराज एण्ड कंपनी प्रा. लिमिटेड
6. आटोमोटिव कोचेज एण्ड कंपोन्ट्स लिमिटेड

उत्तर प्रदेश

1. स्पेसियलिटी कोचेज एण्ड ग्रिल्स प्रा.लि.
2. रामा पेपर मिल्स लि.
3. राठी ग्राफिक टेक्नोलाजी लि.
4. रिमझिम इस्पात लि.

पश्चिम बंगाल

1. एंगलो इंडिया जूट मिल्स
2. जयश्री कैमिकल्स लि.
3. श्री बद्रीनारायण अलायॅज एण्ड स्टील लि.

ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम की प्रदर्शनी

2850. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम में निर्धारित मार्ग निर्देशों के अनुसार वंचित मार्गों के लाभार्थियों को प्रत्येक प्रदर्शनी में 25 प्रतिशत स्टाल आवंटित न किए जाने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ताकि वंचित वर्गों के लाभार्थियों को उनका हिस्सा मिल सके?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम (आरईजीपी) के अंतर्गत स्थापित इकाइयों की प्रदर्शनियों में भागीदारी, प्रदर्शनी में भाग लेने वाली कुल इकाइयों/संस्थानों के 40% की सीमा तक है। इकाइयों/संस्थानों में भागीदारी का निर्णय स्थानीय समिति द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ प्रदर्शनियों में बिक्री के लिए स्टाक की उपलब्धता पर आधारित होता है। पूर्वोत्तर क्षेत्र से संबंधित आरईजीपी उद्यमियों/संस्थानों के लिए यात्रा व्यय, परिवहन लागत का 50% और स्टाल के किराये के 50% का वहन देश में किसी भी स्थान पर प्रदर्शनियों के संबंध में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग द्वारा किया जाता है।

सुनामी पीड़ितों हेतु एशियाई विकास बैंक द्वारा अनुदान

2851. श्री पन्नियन रविन्द्रन:
श्री चेंगरा सुरेन्द्रन:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एशियाई विकास बैंक ने विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में दिसम्बर, 2004 को आए सुनामी द्वारा प्रभावित हुए मछुआरा समुदायों तथा अन्यों को सहायता देने हेतु अनुदान की स्वीकृति दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में ऐसी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने वाली प्राधिकारियों के नाम क्या हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) एशियन विकास बैंक (ए.डी.बी.) ने "सुनामी आपातकालीन सहायता (सेक्टर) परियोजना" के लिए 200 मिलियन अमरीकी डालर (100 मिलियन अमरीकी डालर अनुदान के रूप में तथा 100 मिलियन अमेरिकी डालर ऋण के रूप में) की वित्तीय सहायता अनुमोदित की है। इस परियोजना में केरल और तमिलनाडु राज्यों को शामिल किया गया है तथा इसे 2005-06 से तीन वर्ष की अवधि में कार्यान्वित किया जाना है। इस परियोजना में पुनर्वास और क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण तथा आजीविका की बहाली पर जोर दिया गया है।

(ग) तमिलनाडु और केरल राज्यों के लिए परियोजना हेतु निष्पादक एजेंसियां क्रमश: तमिलनाडु, राजस्व प्रशासन, आपदा प्रबंधन और न्यूनीकरण विभाग, तमिलनाडु सरकार और आपदा प्रबंधन विभाग, केरल सरकार हैं।

भारत-पाकिस्तान व्यापार

2852. श्री बालासोचरी वल्लभनेनी:
श्री जसुभाई धनाभाई बारड़:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और पाकिस्तान के बीच अनौपचारिक व्यापार में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी कमी क्या है;

(ग) क्या फेडरेशन आफ पाकिस्तान चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफ.पी.सी.सी.आई.) के एक व्यापार प्रतिनिधिमंडल ने जुलाई, 2006 के अंत में होने वाली अपनी पूर्व निर्धारित भारत यात्रा को भी स्थगित कर दिया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ङ) क्या कोई अगली तिथि निर्धारित की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) भारत और पाकिस्तान के बीच अनौपचारिक व्यापार के कोई स्वीकार किए गए अनुमान नहीं है और इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि दोनों देशों के बीच अनौपचारिक व्यापार में कमी आई है।

(ग) जी, हां। फैडरेशन आफ इंडियन चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (फिक्की) के आमंत्रण पर फैडरेशन आफ पाकिस्तान चैम्बर्स आफ कामर्स एंड इंडस्ट्रीज (एफ.पी.सी.सी.आई.) के एक व्यापार प्रतिनिधिमण्डल को 31 जुलाई से 4 अगस्त, 2006 तक भारत की यात्रा करनी थी लेकिन उन्होंने अपनी यात्रा स्थगित कर दी।

(घ) एफ.पी.सी.सी.आई. ने फिक्की को सूचित किया कि कुछ अपरिहार्य परिस्थितियों के कारण यात्रा स्थगित की गई है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

सिले-सिलाए वस्त्रों की कालाबाजारी

2853. श्री श्रीपाद येसो नाईक:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नकली कंपनियों के नाम पर सिले-सिलाए वस्त्रों की कालाबाजारी की जा रही है और निर्यातक आयात कर की वापसी का लाभ उठाकर सरकार को भारी नुकसान पहुंचा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन गतिविधियों में शामिल होने के लिए सरकार द्वारा अभी तक कितनी कंपनियों और कितने व्यक्तियों के विरुद्ध मामला दर्ज किया गया है; और

(घ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकार को नकली कंपनियों के नाम से सिले-सिलाए परिधानों की काला बाजारी के बारे में जानकारी नहीं है। तथापि अप्रत्याशित लाभ पाने के लिए अधिक बीजक मूल्यों पर फर्जी कंपनियों के नाम से घटिया गुणता के सिले-सिलाए परिधानों के निर्यात की बात ध्यान में आई है।

(ख) वर्ष 2005-06 और 2006-07 (31 जुलाई, 2006 तक) के दौरान फर्जी कंपनियों के नाम से निर्यातित/निर्यातित दिखाए गए सिले-सिलाए परिधानों के गलत दावे/लाभ कमाने के 63 मामलों का पता चला जो 55.76 करोड़ रु. के थे।

(ग) और (घ) पकड़े गए अधिकतर मामले जांच के विभिन्न चरणों में हैं। कुछ मामलों में अप्रत्याशित लाभ की अनुमति न दिए जाने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। 0.97 करोड़ रु. की राशि बरामद की गई है, निर्यातकों के बैंक खातों में पड़ी 1.47 करोड़ रु. की राशि अवरुद्ध कर दी गई है और 1.64 करोड़ रु. का संवितरण रोक दिया गया है। इसके अलावा 15 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है और दो व्यक्तियों को विदेशी मुद्रा संरक्षण एवं तस्करी गतिविधि निरोध अधिनियम, 1974 के अधीन हवालात में रखा गया है।

[अनुवाद]

खनन क्षेत्र में रोजगार का सृजन

2854. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि नई राष्ट्रीय खनन नीति, जिसमें घरेलू और विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की अनुमति निहित है, द्वारा खनन क्षेत्र में वार्षिक रूप से कितने रोजगार का सृजन किया गया है/किए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): राष्ट्रीय खनिज नीति (एनएमपी) वर्ष 1993 में घोषित की गई थी और इसके बाद कोई नई खनन नीति नहीं बनाई गई है।

[हिन्दी]

जनजातीय लोगों के विकास के लिए अनुदान

2855. श्री ब्रजेश पाठक:
श्री जोवाकिम बखला:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जनजातीय लोगों के विकास हेतु अनुदान उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकारों से कुछेक प्रस्ताव मिले हैं;

(ख) यदि हां, तो राज्यवार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) जी, हां। जनजातीय कार्य मंत्रालय, देशभर में जनजातीय लोगों के सामाजिक-आर्थिक विकास से संबंधित विभिन्न केन्द्रीय क्षेत्र/केन्द्रीय प्रायोजित योजनाओं/कार्यक्रमों का कार्यान्वयन करता है। इस मंत्रालय की योजनाओं के

अंतर्गत राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्रस्तावों का प्राप्त होना और उन्हें स्वीकृति प्रदान करना एक सतत प्रक्रिया है। इस मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ शासित क्षेत्र में अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या के प्रतिशत, उनके द्वारा प्रस्तुत प्रस्तावों, संगत योजना की पात्रता संबंधी शर्तों को पूरा करने के आधार पर राज्य/संघ शासित क्षेत्र सरकारों को निधियां इस शर्त पर निर्मुक्त की जाती हैं कि निधियां उपलब्ध हों और पहले निर्मुक्त निधियों का उपयोग कर लिया गया हो। जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को राज्यवार आबंटन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। वर्ष 2006-07 के लिए जनजातीय कार्य मंत्रालय की विभिन्न योजना स्कीमों के लिए 1656.90 करोड़ रुपए के बजट अनुमान के मुकाबले, मंत्रालय ने संबंधित योजनाओं/कार्यक्रमों के अंतर्गत राज्यों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों के प्रस्तावों पर विचार करने के बाद विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्र को 31.7.2006 तक 524.60 करोड़ रुपए की राशि निर्मुक्त की है।

विवरण

वर्ष 2006-07 के दौरान जनजातीय कार्य मंत्रालय की योजनाओं के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को किए गए निर्देशात्मक आबंटन

(लाख रुपए में)

क्र.सं.	राज्य/संघ शासित क्षेत्र का नाम	योजनाओं का नाम																
		अनुसूचित जनजातियों का %	कोचिंग एवं सम्बद्ध और अनुकरणीय सेवा के लिए पुरस्कार सहित अनुसूचित जनजातियों के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता-अनुदान		जनजातीय क्षेत्रों में व्यावसायिक प्रशिक्षण स्कूल		कौशिक परिसर कम साक्षरता वाले पॉकेटों में	लड़कों/लड़कियों के छात्रावास	आश्रम स्कूल	आदिम जनजातीय समूहों का विकास	अनुसूचित जनजातीय विद्यार्थियों के लिए मैट्रिकोत्तर पुस्तक बैंक और प्रतिभा उन्नयन योजना		अनुसंधान एवं विकास	जनजातीय उपयोजना को विशेष केन्द्रीय सहायता	संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अंतर्गत अनुदान		कुल जोड़
			कोचिंग एवं सम्बद्ध	वैकल्पिक संगठनों की सहायता	गैर-सरकारी संगठन	राज्य					मैट्रिकोत्तर योजना	अनुसूचित जनजातीय छात्रों की प्रतिभा का उन्नयन			अवस्संरचना	स्टाफ सिविधाएं	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1.	आंध्र प्रदेश	5.96	142.00	9.00	23.84	3.00	252.00	125.00	100.00	374.00	2700.00	8.91	27.45	2912.00	1044.00	895.00	1939.00	8616.20
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.84	20.00	1.00	3.34	3.00	35.00	18.00	0.00	0.00	200.00	1.25	0.00	0.00	147.00	126.00	273.00	554.59
3.	असम	3.92	94.00	6.00	16.68	14.00	0.00	82.00	70.00	0.00	1200.00	6.45	18.08	3136.00	688.00	690.00	1278.00	5921.21
4.	बिहार	0.9	21.00	1.00	3.60	3.00	38.00	19.00	35.00	0.00	30.00	1.20	0.00	656.00	158.00	135.00	293.00	1100.80
5.	छत्तीसगढ़	7.85	188.00	12.00	31.20	14.00	325.00	165.00	115.00	293.00	1200.00	11.68	36.16	4769.00	1376.00	1179.00	2555.00	9715.04
6.	दिल्ली	0.00	15.00	6.00	0.00	3.00	0.00	1100.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1125.00
7.	गोवा	0.001	0.00	0.00	0.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	10.08
8.	गुजरात	8.87	102.00	13.00	35.43	3.00	368.00	187.00	120.00	168.00	2000.00	13.50	40.88	4251.00	1555.00	1333.00	2888.00	10189.81

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
9.	हिमाचल प्रदेश	0.29	50.00	1.00	34.08	3.00	0.00	6.00	40.00	0.00	10.00	0.45	7.50	890.00	70.00	60.00	130.00	1172.03
10.	जम्मू-कश्मीर	1.31	65.00	2.00	1.60	3.00	0.00	27.00	35.00	0.00	500.00	2.11	0.00	1088.00	230.00	197.00	427.00	2150.71
11.	झारखण्ड	8.4	202.00	10.00	5.24	7.00	356.00	177.00	115.00	483.00	900.00	11.85	38.73	6131.00	1473.00	1263.00	2736.00	11172.82
12.	कर्नाटक	4.11	98.00	6.00	16.43	7.00	174.00	86.00	50.00	59.00	1500.00	6.88	18.93	1242.00	720.00	617.00	1337.00	4601.24
13.	केरल	0.43	30.00	1.00	1.72	3.00	30.00	7.00	40.00	22.00	300.00	0.67	7.50	277.00	76.00	65.00	141.00	860.89
14.	मध्य प्रदेश	14.51	294.00	18.00	57.00	7.00	500.00	305.00	170.00	586.00	800.00	21.00	66.85	8817.00	2543.00	2180.00	4723.00	16364.85
15.	महाराष्ट्र	10.17	244.00	13.00	40.00	7.00	30.00	214.00	135.00	457.00	1000.00	16.50	46.87	3888.00	1783.00	1528.00	3311.00	9402.37
16.	मणिपुर	0.88	21.00	1.00	3.48	7.00	30.00	18.00	35.00	12.00	1500.00	1.32	7.50	796.00	154.00	132.00	286.00	2718.30
17.	मेघालय	2.36	57.00	4.00	9.45	12.00	0.00	49.00	0.00	0.00	1900.00	4.00	0.00	0.00	414.00	355.00	769.00	2804.45
18.	मिजोरम	1	24.00	1.00	4.00	7.00	0.00	21.00	0.00	0.00	900.00	1.49	0.00	0.00	175.00	150.00	325.00	1283.49
19.	नगालैंड	2.1	50.00	3.00	8.00	3.00	0.00	44.00	0.00	0.00	2050.00	2.22	0.00	0.00	369.00	316.00	685.00	2845.22
20.	उड़ीसा	9.66	232.00	12.00	38.60	7.00	350.00	203.00	125.00	76.00	600.00	14.48	44.51	6701.00	1693.00	1451.00	3144.00	11547.59
21.	राजस्थान	8.42	202.00	12.00	33.67	3.00	356.00	177.00	90.00	77.00	2300.00	11.72	38.79	4214.00	1476.00	1265.00	2741.00	10256.18
22.	सिक्किम	0.13	3.00	1.00	1.00	3.00	0.00	06.00	35.00	0.00	10.00	0.20	0.00	118.00	23.00	20.00	43.00	220.20
23.	तमिलनाडु	0.77	19.00	1.00	3.08	7.00	33.00	16.00	35.00	255.00	40.00	1.20	7.50	327.00	135.00	115.00	251.00	995.78
24.	त्रिपुरा	1.18	28.00	2.00	4.68	3.00	30.00	25.00	40.00	145.00	200.00	2.35	7.50	1080.00	207.00	177.00	384.00	1951.53
25.	उत्तर प्रदेश	0.13	3.00	1.00	0.50	3.00	12.00	7.00	40.00	0.00	50.00	0.18	7.50	41.00	22.00	19.00	41.00	206.18
26.	उत्तरांचल	0.3	60.00	1.00	1.20	3.00	30.00	6.00	35.00	47.00	100.00	0.45	7.50	100.00	53.00	46.00	99.00	490.15
27.	पश्चिम बंगाल	5.23	125.00	8.00	21.00	3.00	221.00	110.00	90.00	89.00	300.00	7.50	24.08	2270.00	916.00	785.00	1701.00	4969.58
28.	अंडमान एवं निकोबार	0.03	5.00	1.00	0.14	3.00	30.00	0.00	0.00	7.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	51.20
29.	दादर व नगर हवेली	0.16	4.00	2.00	0.65	3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.22	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9.87
30.	दमन व दीव	0.017	0.00	0.00	0.07	0.00	0.00	0.00	50.00	0.00	3.00	0.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53.10
31.	लक्षद्वीप	0.07	2.00	1.00	0.27	3.00	0.0	0.0	0.0	0.0	0.10	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	6.37
	कुल		2404.00	155.00	406.00	157.00	3208.00	3209.00	1610.00	3161.00	22320.00	163.00	467.83	53719.00	17518.00	15017.00	32518.00	123512.83

*पीर-विभाजित भाग को शामिल किया गया।

[अनुवाद]

एफडीआई का अंत: प्रवाह

2856. श्री देविदास पिंगले: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान और चालू वर्ष में भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश में कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या भारत अन्य विकासशील देशों की तुलना में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश के अंत: प्रवाह के क्षेत्र में काफी पिछड़ रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और एफडीआई अंत: प्रवाह के संबंध में विकासशील देशों में भारत का क्या स्थान है; और

(ङ) इस स्थिति में सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) जी, नहीं। औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा रखे गये आंकड़ा आधार के अनुसार देश में वर्ष 2004-05 से पिछले दो वर्षों में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) अंतर्वाह में निम्न प्रकार से वृद्धि हुई है:

वर्ष	विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह (अमेरिकी डालर बिलियन में)
2004-05	3.2
2005-06	5.5
2006-07 (जून, 2006 तक)	1.7 (विगत वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 47 प्रतिशत वृद्धि)

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) संयुक्त राष्ट्र व्यापार और विकास सम्मेलन (यूएनसीटीएडी) की विश्व निवेश रिपोर्ट (डब्ल्यूआईआर), 2005 के अनुसार वर्ष 2004 के दौरान विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाहों और इनमें स्थान का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है। भारत का 162 विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में 11वां स्थान है।

(ङ) सरकार ने एफ.डी.आई. पर एक उदार व पारदर्शी नीति लागू की है, जिसके अनुसार अधिकांश क्षेत्रों में स्वत: मार्ग के तहत 100 प्रतिशत तक एफ.डी.आई. की अनुमति दी जाती है। इस नीति को और भी उदारीकृत/युक्तिसंगत बनाने के उद्देश्य से इसकी निरंतर समीक्षा की जाती है। अत्यधिक स्वत: चलन वाली एक आकर्षक एवं निवेश अनुकूल नीति लागू करने के अलावा, सरकार ने निवेश अवसरों पर जानकारीयुक्त प्रकाशनों के जरिये तथा उद्योग संघों के साथ मिलकर भारत व विदेशों में विभिन्न निवेश समारोहों के आयोजनों के जरिये भी निवेश को बढ़ावा देने पर और अधिक जोर दिया है।

विवरण

आतिथेय क्षेत्र और अर्थव्यवस्था द्वारा विदेशी प्रत्यक्ष निवेश अंतर्वाह, 2004

(मिलियन डालर)

क्र.सं.	क्षेत्र/अर्थव्यवस्था	वर्ष 2004
1	2	3
	विकासशील देश और क्षेत्र	233227
1.	चीन	60630
2.	हांग कांग, चीन	34035
3.	अरमेनिया	24119
4.	ब्राजील	18166
5.	मैक्सिको	16602
6.	सिंगापुर	16060
7.	तजाकिस्तान	11672
8.	अल्बेनिया	10778
9.	कोरिया गणराज्य	7687
10.	चिली	7603
11.	भारत	5335
12.	सर्बिया और मोन्टैग्रो	5174
13.	बेलारूस	4769
14.	मलेशिया	4624
15.	क्रिजिस्तान	4269
16.	अर्जेन्टीना	4254
17.	बरमुडा	3800
18.	केमैन द्वीप	3000
19.	कोलंबिया	2739
20.	तुर्की	2733
21.	क्रोसिया	2488
22.	नाइजीरिया	2127
23.	अंगोला	2048
24.	चीन का ताइवान प्रांत	1898
25.	सउदी अरब	1867
26.	पेरू	1816
27.	उजबेकिस्तान	1715
28.	भूमध्य रेखीय गैनिया	1664
29.	वियतनाम	1610
30.	वेनजुएला	1518

1	2	3
31.	सूडान	1511
32.	मिस्र	1253
33.	इक्वाडोर	1241
34.	सीरियन अरब गणतन्त्र	1206
35.	चेकोस्लाविया (पूर्व)	1076
36.	थाइलैण्ड	1064
37.	इंडोनेशिया	1023
38.	पनामा	1012
39.	त्रिनीदाद एवं टोबैगो	1001
40.	युगोस्लाविया (पूर्व)	966
41.	पाकिस्तान	952
42.	कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य	900
43.	अल्जीरिया	882
44.	बहरीन	865
45.	मोरक्को	853
46.	संयुक्त अरब अमीरात	840
47.	कतर	679
48.	कांगो	668
49.	जमैका	650
50.	डोमिनीकेन गणराज्य	645
51.	टुनिसिया	639
52.	जोर्डन	620
53.	कोस्टा रिका	618
54.	मकाओ, चीन	600
55.	दक्षिण अफ्रीका	585
56.	म्यामार	556
57.	इथोपिया	545
58.	इस्लामिक गणराज्य, तंजानिया	470
59.	कजाखिस्तान	499
60.	बुल्गारिया	497
61.	चाड	478
62.	संयुक्त गणराज्य तंजानिया	470
63.	फिलीपिंस	469
64.	एल सल्वाडोर	466
65.	बंगलादेश	460
66.	बोसनिया एवं हर्जगोविना	426
67.	कोट डी आइवोर	360
68.	जाम्बिया	334
69.	गबन	323
70.	उरूग्वे	311
71.	मारीतानिया	300
72.	इराक	300
73.	होंडुरस	293
74.	लेबनान	288
75.	नामीबिया	286
76.	तुर्कमेनिस्तान	272
77.	निकारगुआ	250
78.	युगांडा	237
79.	अर्जबेजान	235
80.	श्रीलंका	233
81.	बहमास	206
82.	माली	180
83.	बेलीज	170
84.	जोर्जिया	169
85.	गोतमाला	155
86.	रोमानिया	151

1	2	3
87.	रूस संघ	151
88.	उक्रेन	150
89.	मंगोलिया	147
90.	घाना	139
91.	मोजाम्बिक	132
92.	कम्बोडिया	131
93.	लिबीयन अरब जमहीरिया	131
94.	अरूबा	131
95.	पराग्वे	119
96.	बोलीविया	117
97.	सैंट लूसिया	111
98.	अंटीगुआ और बारमुडा	106
99.	अंगुइला	104
100.	बेरूनी दारूस्लाम	103
101.	गीनिया	100
102.	ब्रिटिश विर्जीन द्वीप	100
103.	मालडोवा, गणराज्य	77
104.	सेनेगल	70
105.	स्वैजीलैण्ड	69
106.	मारीशस	65
107.	सैंट किट्स तथा नेविस	62
108.	बेनीन	60
109.	जाम्बिया	60
110.	टोको	60
111.	साईचेलेज	60
112.	जिम्बावे	60
113.	सेन्ट विन्सेट और दा ग्रीनेडिन्स	56
114.	आऊ टोम और प्रीसिंपे	54
115.	लेसोथो	52
116.	बारबाडोस	50
117.	गुआना	48
118.	बोत्सवाना	47
119.	केन्या	46
120.	मेडागास्कर	45
121.	ग्रेनाडा	42
122.	कोरिया, लोकतांत्रिक जन गणराज्य	40
123.	बुकिना पासो	35
124.	डीजिबोटी	33
125.	इरिट्रिया	30
126.	समोवा	25
127.	प्यूरटो रिको	24
128.	वालीस आर फुतुना द्वीप	22
129.	केव वरडे	20
130.	लाइबेरिया	20
131.	नाइजर	20
132.	डोमिनिका	19
133.	लाव जन लोकतांत्रिक गणराज्य	17
134.	मालवी	16
135.	मालद्वीव	13
136.	रवांडा	11
137.	नेपाल	10
138.	संघ राज्य माइक्रोमेशिया	10
139.	सोमालिया	9
140.	वनाउतू	9
141.	हैती	7
142.	गुआना-बिसाव	5

1	2	3
143.	न्यूवे	5
144.	पपुआ न्यू गीनिया	5
145.	सियरा लियोन	5
146.	तुवालू	4
147.	तिमोर-लेसटे	4
148.	बरूंडी	3
149.	मोन्टसर्ट	2
150.	कोमोरोस	2
151.	क्यूबा	2
152.	अफगानिस्तान	1
153.	भूटान	1
154.	सोलोमोन द्वीप	1
155.	टोकेलो	-5
156.	फिजी	-9
157.	केन्द्रीय अफ्रीकन गणराज्य	-13
158.	ओमान	-18
159.	कुवैत	-20
160.	यमन	-21
161.	नीदरलैण्ड एन्टीलेस	-30
162.	सूरीनाम	-60

स्रोत: यूएनसीटीएडी की विश्व निवेश रिपोर्ट, 2005

अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में अवैध प्रवासी

2857. डा. राजेश मिश्रा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह पड़ोसी देशों के उन अवैध प्रवासियों के केन्द्र बन गये हैं, जो असामाजिक गतिविधियों में लिप्त हैं और स्थानीय लोगों के सामान्य जीवन को प्रभावित कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि उन्हें अतिक्रमण वाली जगहों से हटाने पर वे संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन के विरोध में आमतौर पर हथियार उठा लेते हैं; और

(ग) यदि हां, तो अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सीमा पर उसकी रणनीतिक स्थिति को देखते हुए किसी भी प्रकार के आंतरिक और बाहरी खतरे से निपटने हेतु इस क्षेत्र के प्रशासन को सुदृढ़ बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए हैं/उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी हां, श्रीमान। यह सच नहीं है कि द्वीप समूह पड़ोसी देशों के अवैध प्रवासियों के केन्द्र बन गए हैं। अन्य देशों के अवैध प्रवासियों के प्रवेश पर निगरानी रखने तथा संघ शासित क्षेत्रों में अवैध रूप से रहते हुए पाए जाने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करने के लिए प्रशासन द्वारा उचित और पर्याप्त उपाय किए जा रहे हैं।

(ख) और (ग) ऊपर उल्लिखित स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठते हैं।

राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा

2858. श्री पी. राजेन्द्रन:
श्री हेमलाल मुर्मू:
श्री दलपत सिंह परस्ते:
श्री ई.जी. सुगावनम:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने जून, 2006 में लेक्चररों के पद पर नियुक्ति के लिए एम फिल/पीएचडी उम्मीदवारों को राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट देकर पात्रता की शर्तों में संशोधन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्रीय विश्वविद्यालयों, के विशेषकर दिल्ली विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले विभिन्न कालेजों ने पात्रता की शर्त में महत्वपूर्ण बदलाव को अनदेखा करके नियुक्तियां की है जिसके फलस्वरूप अनेक उम्मीदवार प्रभावित हुए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार/यूजीसी द्वारा ऐसी चूक करने वाले कालेजों के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) स्नातकोत्तर उम्मीदवारों की लेक्चरर के रूप में नियुक्ति हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा अनिवार्य शर्त होगी। तथापि, संबंधित विषय में पी.एचडी. डिग्री वाले उम्मीदवारों को स्नातकोत्तर और अवर स्नातक स्तर पर शिक्षण हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। संबंधित विषय में एम. फिल डिग्री वाले उम्मीदवारों को केवल अवर स्नातक स्तर तक शिक्षण हेतु राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा से छूट दी गई है। ये विनियम, विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के आधार पर तैयार किए गए है।

(ग) दिल्ली विश्वविलद्याय ने सूचित किया है कि उन्हें इस संबंध में ऐसी कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

एन.टी.सी. में संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना

2859. श्री फुरकान अंसारी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बिहार के पटना शहर स्थित राष्ट्रीय वस्त्र निगम (आर एम डी) में संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) शुरू की गई है;

(ख) कितने व्यक्तियों ने एम.वी.आर.एस. को चुना है;

(ग) क्या एम.वी.आर.एस. को चुनने वाले अधिकारियों को तीन बार तीन-तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय वस्त्र निगम (एनटीसी) के खुदरा विपणन प्रभागों से संशोधित स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति योजना (एमवीआरएस) का विकल्प लेने वाले व्यक्तियों की संख्या 1022 हैं जिनमें से 126 कर्मचारी आरएमडी, पटना प्रभाग से हैं।

(ग) और (घ) जिन कार्मिकों को एमवीआरएस दिया गया था, उन्हें एनटीसी प्रबंधन के निर्णय के अनुसार उस तिथि से कार्यमुक्त किया गया था जिस तिथि से उनकी स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति स्वीकृत की गई थी। तथापि, पटना विपणन प्रभाग के तीन अधिकारियों को जिन्हें एमवीआरएस पर 31.12.2005 से कार्यमुक्त किया जाना था, को उनकी सहमति प्राप्त किए जाने के बाद अवशिष्ट कार्य के कारण उनके पदों पर कार्य करते रहने की अनुमति दी गई थी।

सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम

2860. डा. टोकचोम मैन्या: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सशस्त्र बल विशेष शक्तियां अधिनियम (1958) के संबंध में न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) बी.पी. जीवन रेड्डी समीक्षा समिति रिपोर्ट द्वारा दी गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार ने उक्त समिति की सिफारिशों के संबंध में कोई अंतिम निर्णय लिया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अभी तक की-गई-कार्रवाई का ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो सरकार इन सिफारिशों पर अंतिम रूप से कार्रवाई कब तक करेगी?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) 1972 में यथा संशोधित सशस्त्र बल (विशेष शक्तियां) अधिनियम, 1958 की पुनरीक्षा करने के लिए गृह मंत्रालय द्वारा गठित समिति ने अपनी रिपोर्ट 6.6.2005 को गृह मंत्रालय को प्रस्तुत कर दी है। समिति की रिपोर्ट में अन्तर्विष्ट सिफारिशों की जांच की जा रही है और इस मामले में अभी निर्णय लिया जाना है।

दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना

2861. श्री मोहन रावले: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना को कार्यान्वित करने में समस्याओं का सामना कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस योजना के लिए राज्यवार कितनी धनराशि आबंटित की गई है तथा कितनी वास्तविक धनराशि का उपयोग हुआ है और धनराशि का उपयोग न किए जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस योजना की समीक्षा के लिए कोई कदम उठाए जा रहे हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) दीन दयाल हथकरघा प्रोत्साहन योजना के तहत शामिल घटकों के लिए कार्यान्वयन एजेंसियों को दी जाने वाली सहायता को केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच भागीदारी के तहत वहन किया जाता है। राज्यों में निधियों की बाध्यता योजना के कार्यान्वयन में एक समस्या है। हथकरघा एजेंसियों की कमजोर वित्तीय स्थिति से ऋण के लिए बैंक के साथ तालमेल करना कठिन है। इसके अलावा, राज्य सरकारों के माध्यम से कार्यान्वयन एजेंसियों को सहायता देने पर योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन में विलम्ब होता है। पिछले तीन वर्षों के दौरान बजट आबंटन एवं उपयोग की राशि के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं:-

(रुपये करोड़ में)

क्र.सं.	वर्ष	बजटीय आबंटन (ब.अ.)	उपयोग की गई वास्तविक राशि
1.	2003-04	68.27	67.34
2.	2004-05	47.67	83.96
3.	2005-06	82.10	93.15

(ग) से (ङ) जी हां, भारत सरकार, घटकों के लागत में एक उर्ध्वगामी संशोधन सहित इसे 100% केन्द्रीय निधि द्वारा संचालित करके योजना की समीक्षा करने पर विचार कर रही है।

बालिकाओं की शिक्षा के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम

2862. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:
श्री मधुसूदन मिस्त्री:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा प्राथमिक स्तर पर बालिकाओं की शिक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम के अंतर्गत राज्यों, विशेषकर गुजरात के लिए अनुदान स्वीकृत किया गया था;

(ख) यदि हां, तो राज्य सरकार के लिए वर्षवार कितनी अनुदान राशि स्वीकृत की गई;

(ग) क्या चालू वर्ष में उक्त योजना के अंतर्गत राज्यों के लिए कोई अनुदान स्वीकृत नहीं किया गया है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) जी, हां। प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत गुजरात को जारी वर्षवार अनुदान इस प्रकार हैं:-

वित्तीय वर्ष	प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत जारी राशि
2003-04	134.72 लाख रु.
2004-05	2827.00 लाख रु.
2005-06	2454.14 लाख रु.

(ग) और (घ) जी, नहीं। इस योजना को कार्यान्वित कर रहे सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के लिए प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत वर्ष 2006-07 के लिए 813.35 करोड़ रु. की राशि संस्वीकृत की गई है। इस राशि में से 918.57 लाख रु. की राशि प्रारंभिक स्तर पर बालिका शिक्षा के राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत वर्तमान वर्ष के लिए गुजरात को अनुमोदित की गई है।

शिक्षक अध्येतावृत्ति कार्यक्रम

2863. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दसवीं योजना के अंतर्गत शिक्षक अध्येतावृत्ति कार्यक्रम के लिए आबंटित संपूर्ण राशि का व्यय किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार दसवीं योजना के अंतर्गत अनुसंधान कार्यकलापों को जारी रखने वाले शिक्षकों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से एक वर्ष की अतिरिक्त अवधि तक शिक्षक अध्येतावृत्ति कार्यक्रम का विस्तार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध करवाई गई सूचना के अनुसार 10वीं योजना अवधि के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति योजना के अंतर्गत आवंटन तथा व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(रु. करोड़ में)

वर्ष	आवंटन	व्यय
2002-03	13.00	11.26
2003-04	5.87	4.85
2004-05	6.95	6.95
2005-06	17.04	17.04
2006-07	10.00	0.03 (अब तक)

(ग) और (घ) पी.एच.डी. कार्यक्रम के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति 2 वर्ष की अवधि के लिए होगी जिसे मामले के गुण-दोष के आधार पर एक वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। एम.फिल कार्यक्रम के लिए अध्यापक अध्येतावृत्ति एक वर्ष की होगी, जिसे उचित समझे जाने पर अगले छह माह के लिए बढ़ाया जा सकता है।

जनजातीय लोगों को विशेष पैकेज

2864. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पूर्वोत्तर राज्यों में रहने वाले लोगों के समान ही जीवन शैली अपनाने वाले कर्नाटक के मालनद और अर्द्ध मालनद क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों के लिए विशेष पैकेज देने का है;

(ख) यदि हां, तो इस विशेष पैकेज की घोषणा कब तक किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) कर्नाटक के मालनद और अर्द्ध मालनद क्षेत्रों में रहने वाले जनजातीय लोगों को विशेष पैकेज प्रदान करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में अनियमितताएं

2865. श्री उदय सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछेक केन्द्रीय विश्वविद्यालय वित्तीय अनियमितताएं बरतने और केन्द्र सरकार के निदेशों का पालन न करने में लिप्त पाए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार का विचार ऐसे विश्वविद्यालयों के प्रबंधन के खिलाफ कोई कार्रवाई करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) सभी केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे और तुलन पत्र उनकी कार्यकारी परिषदों के निदेशों के तहत तैयार किए जाते हैं तथा भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक तथा उनके द्वारा प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा उन लेखाओं व तुलन पत्रों की लेखापरीक्षा की जाती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालयों के वार्षिक लेखे तथा लेखापरीक्षा रिपोर्टें संसद के दोनों सदनों में भी प्रस्तुत की जाती है। केन्द्रीय विश्वविद्यालय की लेखा परीक्षा रिपोर्टों में छोटी-मोटी अनियमितता/विसंगति, यदि कोई हो तो, उसे विश्वविद्यालय प्राधिकारियों के ध्यान में लाया जाता है जो उनका निदान करते हैं।

पी.एम.एफ. में आतंकवादी

2866. श्री शिवराज कुमार:
श्री अधीर चौधरी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न आतंकवादी समूहों/संगठनों ने अपने आदमियों की देश की अर्द्ध सैन्य बल में घुसपैठ करा दी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार मामले की जांच कराने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या अर्द्ध सैन्य बल में ऐसे आतंकवादियों की घुसपैठ देश की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा कर रही है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) भविष्य में ऐसे मामलों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी नहीं, श्रीमान।

(ख) से (छ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

आरक्षण नीति के अंतर्गत व्याख्याताओं की नियुक्ति

2867. श्री हेमलाल मुर्मू: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली विश्वविद्यालयों में शारीरिक रूप से विकलांग श्रेणी में व्याख्याता पद पर नियुक्ति हेतु विद्यमान मानदण्ड क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में दिल्ली विश्वविद्यालय के प्रत्येक महाविद्यालय में शारीरिक रूप से विकलांगों के लिए आरक्षण नीति के आधार पर व्याख्याता पद पर कुल कितने व्यक्तियों को नियुक्त किया गया है;

(ग) क्या सरकार/विश्वविद्यालय आयोग को, दिल्ली विश्वविद्यालय के किसी महाविद्यालय द्वारा नियमों के उल्लंघन की सूचना मिली है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में सरकार/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के सभा पटल पर रख दी जाएगी।

स्वायतत्ता क्षेत्र के लिए मांग

2868. श्री सी.के. चन्द्रप्पन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अरुणाचल प्रदेश ने "मोठ क्षेत्र" नामक एक स्वायत्त क्षेत्र के सृजन की मांग करते हुए एक सर्वसम्मति से संकल्प पारित किया है तथा इसे अनुमोदन के लिए केन्द्र सरकार को भेजा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा उनकी मांग पर केन्द्र सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) ऐसी मांग पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है/की जा रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) अरुणाचल प्रदेश सरकार ने अरुणाचल प्रदेश को भारत के संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करने के लिए 16 फरवरी, 2004 को राज्य विधान सभा द्वारा पारित एक संकल्प अग्रेषित किया है ताकि क्षेत्रों में विशेष प्रशासन प्रदान करने और तेजी से आर्थिक विकास करने हेतु अरुणाचल प्रदेश में निम्नलिखित दो स्वायत्त जिला परिषदों का गठन किया जा सके:-

(i) तिरप और चांगलांग की स्वायत्त जिला परिषद; और

(ii) तवांग और वेस्ट कामेंग की स्वायत्त जिला परिषद

प्रस्ताव की समुचित रूप से जांच और उस पर विचार करने के लिए अंतर-मंत्रालयी परामर्श किया जा रहा है। इस मामले में अभी निर्णय लिया जाना है।

गुजरात दंगा पीड़ितों की सहायता

2869. श्री मधुसूदन मिस्त्री: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने गुजरात राज्य में वर्ष 2001 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा हेतु राज्य सरकार को सहायता प्रदान की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदान की गई केन्द्रीय सहायता के 150 करोड़ रुपये में से कुछ राशि गुजरात सरकार के पास खर्च किए बिना पड़ी है;

(घ) यदि हां, तो इस धनराशि को गुजरात सरकार द्वारा दंगा पीड़ितों को नहीं दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) उस शीर्ष का ब्यौरा क्या है जिसमें उक्त सहायता धनराशि को राज्य सरकार द्वारा खर्च किया गया है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) केन्द्र सरकार ने, राज्य में 2001 के दंगा पीड़ितों को मुआवजा देने के लिए गुजरात राज्य सरकार को कोई सहायता उपलब्ध नहीं कराई है। तथापि, 2002 में गुजरात के विभिन्न भागों में गोधरा ट्रेन दुर्घटना से संबंधित साम्प्रदायिक दंगों के दौरान तत्कालीन प्रधान मंत्री ने उस राज्य में दंगा पीड़ितों को राहत और पुनर्वास के लिए 30 अप्रैल, 2002 को लोक सभा में आर्थिक

पुनर्वास हेतु 150 करोड़ रुपए के पैकेज की घोषणा की थी। सहायता के पैकेज में मुख्य रूप से निम्नलिखित शामिल होना था:-

* ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में क्षतिग्रस्त घरों और दुकानों का पुनर्निर्माण और मरम्मत।
* स्व रोजगार वाले सभी वर्गों, जिनकी आमदनी के साधन समाप्त हो गए, को सहायता का प्रावधान।
* व्यापारिक, वाणिज्यिक और औद्योगिक गतिविधियों को पुन: शुरू करने हेतु वित्तीय सहायता।
* प्रभावित क्षेत्रों में शैक्षणिक, चिकित्सा और अन्य संस्थानों का पुनरुद्धार और विधवाओं, तथा बच्चों के लाभ हेतु विशेष कार्यक्रम।

उपलब्ध सूचना के अनुसार, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और विभागों से कुल 155.61 करोड़ रुपए प्राप्त हुए, जिसमें से राज्य सरकार द्वारा 136.51 करोड़ रुपए खर्च किए गए तथा खर्च न किए गए बकाया के रूप में केन्द्र सरकार को 19.10 करोड़ रुपए की राशि लौटा दी गई है। जारी की गई राशि और किए गए व्यय के विभिन्न शीर्षों के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

विवरण

गुजरात में 2002 के दंगा पीड़ित व्यक्तियों के राहत और पुनर्वास के लिए 150 करोड़ रुपए के प्रधान मंत्री के पैकेज के अंतर्गत भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों द्वारा जारी तथा इसमें से गुजरात राज्य सरकार द्वारा व्यय की गई राशि

क्र.सं.	मद और मंत्रालय	जारी की गई राशि (रुपए करोड़ों में)	31.01.2005 तक किया गया व्यय करोड़ों में)	लाभार्थी
1	2	3	4	5
1.	दंगों में मारे गए व्यक्तियों के निकटतम रिश्तेदार को अनुग्रहपूर्वक अदायगी प्रधानमंत्री कार्यालय: 1 लाख रुपए की दर से प्रधान मंत्री राष्ट्रीय राहत निधि से प्रदान किए गए - 11.69 करोड़ रुपये 0.5 लाख रुपए की दर से गुजरात सरकार द्वारा प्रदान किए गए - 5.85 करोड़	11.30	17.54	1169 मामले
2.	घायल होने पर सहायता-प्रधानमंत्री कार्यालय	2.20	2.21	2548 मामले
3.	लाभान्वित परिवारों को घरेलू सामान प्रधानमंत्री कार्यालय	10.34	10.28	42786 मामले
4.	नि:शुल्क खाद्यान्न (गेहूं और चावल)- खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग	62.60 (1,27,441 टन)	100.45 (1,77,519 टन)	दंगा प्रभावित बीपीएल परिवार और उन पर निर्भर
5.	आवासन सहायता (शहरी) बैम्बे-शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	26.37	12.28	18037 मामले
6.	आवासन सहायता (ग्रामीण) आईएवाई (ग्रामीण विकास मंत्रालय)	15.31	17.82	11204 मामले
7.	लघु व्यवसायों को सहायता (शहरी) एसजेएसआरवाई-शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	4.21	4.40	10564 मामले

1	2	3	4	5
8.	आमदनी के साधन संबंधी सहायता (ग्रामीण) पीएमआरवाई-एआरवाई	4.00	4.73	6631 मामले
9.	लघु व्यवसायों को सहायता (शहरी) एसजेएसआरवाई-शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन मंत्रालय	1.80	1.34	2149 मामले
10.	लघु व्यवसायों को सहायता (ग्रामीण) पीएमआरवाई-एआरआई	1.20	0.48	723
11.	औद्योगिक इकाईयों, दुकानों होटलों आदि को सहायता (शहरी) एसजेएसआरवाई शहरी रोजगार और गरीबी उन्मूलन	9.83	5.09	2083 इकाइयां
12.	औद्योगिक इकाइयों, दुकानों होटलों आदि को सहायता (ग्रामीण) पीएमआईवाई-एआरआई	1.40	1.16	545 इकाइयां
13.	सेवा द्वारा पुनर्वास (i) शांता कार्यक्रम (कार्यकौशल प्रशिक्षण तथा जीविका) महिला और बाल विकास विभाग	0.74	0.47	271 विधवाएं
	(ii) शान्ता-एकल अभिभावक और अपंग बच्चों के पुनर्वास हेतु हमारे बच्चे कार्यक्रम-सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय	0.60	0.55	606 बच्चे
	(iii) नोराड स्कीम के अंतर्गत कार्य कौशल उन्नयन कार्यक्रम-महिला और बाल विकास विभाग	0.09	0.06	267 औरतें
14.	महिलाओं के जीविकापार्जन की बहाली (नोराड)-महिला और बाल विकास विभाग	2.37	2.01	5858 लाभार्थी
15.	स्वाधार स्कीम के अंतर्गत विधवा गृहों की स्थापना-महिला और बाल विकास विभाग	1.25	0.45	196 औरतें 148 बच्चे (3 विधवा गृह)
	प्रधानमंत्री पैकेज के तहत कुल प्राप्त राशि और व्यय	155.61	181.32	

राहत और पुनर्वास पर किया गया कुल व्यय

(i) भारत सरकार की निधियों में से : 136.51 करोड़ रुपए

(ii) राज्य सरकार की निधियों में से : 68.50 करोड़ रुपए

कुल योग : 205.01 करोड़ रुपए

[हिन्दी]

नक्सलियों से निपटने के लिए हथियार

2870. **श्री अजीत जोगी:** क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नक्सल प्रभावित राज्यों विशेषकर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों से निपटने के लिए नामनिर्दिष्ट 'विशेष अधिकारियों' को रात के समय अपने हथियार जमा कराने होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या नक्सली आदिवासियों पर तब आक्रमण करते हैं जब ये विशेष अधिकारी रात के समय अपने हथियार जमा करा देते हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार ऐसे विशेष अधिकारियों को रात के समय अपने हथियार जमा करने की आवश्यकता से छूट देने का है; और

(ङ) यदि हां, तो यह व्यवस्था कब तक वापस ले लिये जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ङ) विशेष पुलिस अधिकारियों को शस्त्र सज्जित/निरस्त्र करने के संबंध में कोई मानक दिशानिर्देश नहीं है। व्यापक वास्तविक स्थिति के आधार पर हर राज्य में स्थिति भिन्न-भिन्न है। तथापि, केन्द्रीय सरकार, नक्सलवादियों के ऐसे हमलों का मुकाबला करने के लिए सतर्कता और आसूचना-संग्रहण तंत्र को सुदृढ़ करने और प्रक्रियाओं को सख्त बनाने की आवश्यकता के बारे में नक्सल प्रभावित राज्यों पर निरंतर जोर देती रहती है।

पड़ौसी देशों के साथ व्यापार

2871. **श्री मनसुखभाई डी. वसावा:**
श्री जीवाभाई ए. पटेल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन देशों के नाम क्या हैं जिनके साथ गत तीन वर्षों के दौरान व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) ऐसी वृद्धि कितने प्रतिशत है;

(ग) क्या सरकार ने चालू वर्ष के दौरान व्यापार में और वृद्धि करने तथा अन्य देशों के साथ अपने व्यापार में वृद्धि करने के लिए कोई कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है एवं इसके क्या परिणाम निकले?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान जिन देशों के साथ व्यापार में वृद्धि हुई है उनके संबंध में ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ग) और (घ) हमारे निर्यातों को बढ़ाने के लिए सरकार व्यापार मेलों, प्रदर्शनियों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में भागीदारी को सुकर बनाने जैसी पहलें कर रही है। द्विपक्षीय व्यापार करारों, मुक्त व्यापार करारों आदि की समीक्षा करने के लिए संयुक्त व्यापार समिति की बैठक और आवधिक बैठकों जैसी संस्थागत व्यवस्थाएं भी की गई हैं। व्यापार की वृद्धि में आने वाले अवरोधों को दूर करने और व्यापार में और अधिक वृद्धि करने के लिए शुल्क संरचना आदि को युक्तिसंगत बनाया जाता है। अवसंरचना एवं उत्पादनकारी क्षमता में निवेश के प्रवाह को बढ़ाने के लिए एसईजेड अधिनियम, 2005 लागू हो गया है। राज्यों में व्यापार समर्थकारी वातावरण मुहैया कराने के उपायों की सिफारिश करने तथा भारत के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार एवं निर्यात प्रयास में राज्यों को भागीदार बनाने के उद्देश्य से एक अंतर्राज्यीय व्यापार परिषद का गठन किया गया है।

विवरण

(मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	कुल व्यापार 2003-04	कुल व्यापार 2005-06	प्रतिशत वृद्धि
1	2	3	4
I. पश्चिमी यूरोप	33401.92	54397.9	63
(क) यूरोपीय संघ देश	28318.88	45789.83	62

1	2	3	4
बेल्जियम	5699.54	7558.54	33
डेनमार्क	462.67	787.54	70
फ्रांस	2344.35	3811.91	63
एफआरजी	5433.66	9335.38	72
यूनान	240.86	602.69	150
आयरलैंड	250.89	436.22	74
इटली	2774.03	4318.69	56
नीदरलैंड्स	1811.4	3495.21	93
पुर्तगाल	180.32	281.23	56
स्पेन	1250.22	2139.18	71
यूनाइटेड किंगडम	6209.24	9044.18	46
आस्ट्रेलिया	305.3	472.21	55
फिनलैंड	379.8	1354.9	257
साइप्रस	0	38.07	3807
माल्टा	0	121.93	12193
लिथुआनिया	0	61.05	6105
एस्टोनिया	0	21.21	2121
लाटीविया	0	31.48	3148
चेक गणराज्य	198.12	347.39	75
स्लोवाक गणराज्य	0	61.33	6133
पोलैंड	181.66	329.49	81
स्लोवानिया	0	98.94	9894
(ख) शेष पश्चिमी यूरोप	5083.03	8608.07	69
नार्वे	341.25	394.55	16
तुर्की	638.25	1192.56	87
स्विट्जरलैंड	3753.7	6999.67	86
रोमानिया	0	334.59	33459
बुल्गारिया	0	47.35	4735

1	2	3	4
सर्बिया एवं मोंटेनेग्रो	0	10.19	1019
II. राष्ट्रकुल राष्ट्र एवं बाल्टिक राज्य	2281.88	4118.94	81
रूस	1668.19	2721.9	63
शेष सीआईएस	613.69	1397.04	128
कजाकिस्तान	79.22	115.19	45
यूक्रेन	344.05	1016.85	196
III. एशिया एवं ओशीनिया	56017.38	97519.57	74
(क) एस्कैप	41920.22	72251.04	72
बंगलादेश	1708.32	1751.2	3
नेपाल	915.34	1239.36	35
श्रीलंका	1514.84	2590.17	71
आस्ट्रेलिया	3198.61	5662.87	77
चीन जन. गण.	7007.57	17460.65	149
हांगकांग	4742.89	6624.79	40
इंडोनेशिया	3219.47	4304.04	34
जापान	4356.6	6011.14	38
कोरिया गणराज्य	3215.73	6162.34	92
मलेशिया	2934.17	3540.15	21
सिंगापुर	4146.5	8800.14	112
थाइलैंड	1436.39	2264	58
पाकिस्तान	344.29	859.33	150
(ख) अन्य	14097.16	25538.53	81
सऊदी अरब	1857.17	3424.33	84
संयुक्त अरब अमीरात	7139.68	12904.9	81
इजरायल	1392.5	2272.3	63
IV. अफ्रीका	6988.55	11822.59	69
मिस्र	463.65	882.24	90

1	2	3	4
नाइजीरिया	640.32	979.36	53
दक्षिण अफ्रीका	2426.39	4001.08	65
V. अमरीका	20008.13	32257.74	61
(क) उत्तरी अमरीका	17673.06	26890.34	52
कनाडा	1350.47	1903.75	41
यूएसए	16322.59	24981.51	53
(ख) लैटिन अमरीकी देश	2287.36	5328.08	133
ब्राजील	588.1	1946.71	231
अर्जेंटीना	523.9	898.62	72
मैक्सिको	335.76	531.66	58
पनामा नहर जोन	3.73	5.01	34

[अनुवाद]

खादी और ग्रामोद्योग आयोग तथा खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड का कार्यकरण

2872. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड (के.वी.आई.बी.) तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग (के.वी.आई.सी.) के कार्यकरण के लिए अलग-अलग वार्षिक रूप से कुल कितनी धनराशि आबंटित की गई;

(ख) कुल आबंटन का कितना प्रतिशत लाभान्वितों तथा सोसाइटी तक पहुंचा है;

(ग) ग्रामीण भारत के उत्थान के लिए खादी और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग को सौंपे गए उत्तरदायित्वों एवं परिकल्पित कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या खाद्य और ग्रामोद्योग बोर्ड तथा खादी और ग्रामोद्योग आयोग निर्धारित दिशा-निर्देशों के अनुसार अपने दायित्वों का निर्वहन कर रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या सरकार ने इन संगठनों के कार्यकरण की निगरानी/पर्यवेक्षण के लिए किसी निकाय का गठन किया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) वर्ष 2006-07 के लिए बजट अनुमानों में खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) को 677.75 करोड़ रु. की राशि (योजना के अंतर्गत 592.93 करोड़ रु. और योजना-भिन्न के अंतर्गत 84.82 करोड़ रु.) आबंटित की गई है। खादी एवं ग्रामोद्योग बोर्ड (केवीआईबी) संबंधित राज्य विधानमंडलों द्वारा पारित अधिनियमों के अंतर्गत स्थापित किए गए सांविधिक निकाय हैं और इन निकायों को भारत सरकार द्वारा कोई राशि आबंटित नहीं की जाती है। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र केबीआईबी के प्रशासनिक व्यय का वहन संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र की सरकारों द्वारा किया जाता है।

(ख) योजना शीर्ष के अंतर्गत केबीआईसी को आबंटित की गई राशियां इसके द्वारा कार्यान्वित किए जाने वाले कार्यक्रमों/योजनाओं के लाभार्थियों के प्रत्यक्ष लाभ के लिए प्रयुक्त की जाती हैं।

(ग) केवीआईसी को परिकल्पित कार्यों एवं सौंपे गए उत्तरदायित्वों का ब्यौरा खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 15 (आज की तारीख तक यथासंशोधित) में दिया गया है। केबीआईबी के मुख्य कार्य उनके संबंधित राज्य/संघ राज्य

क्षेत्र में खादी एवं ग्रामोद्योगों की स्थापना एवं विकास में सहायता देना, योजना बनाना, संवर्धन करना, सुविधा प्रदान करना तथा आयोजन करना है।

(घ) जी, हां।

(ङ) और (च) केवीआईबी के कार्यों का पर्यवेक्षण संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा किया जाता है। जहां तक केवीआईसी के कार्य करने का संबंध है, केवीआईसी द्वारा कार्यान्वित की जा रही योजनाओं/कार्यक्रमों की निगरानी केन्द्रीय सरकार (कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्रालय) द्वारा की जाती है।

(छ) उपर्युक्त (ङ) एवं (च) के उत्तर को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता है।

[हिन्दी]

परंपरागत सिले-सिलाए वस्त्रों को प्रोत्साहन

2873. श्री एम. अंजनकुमार यादव:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परंपरागत सिले-सिलाए वस्त्रों के प्रोत्साहन हेतु योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष इन योजनाओं पर कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(ग) योजना-वार इनसे क्या लाभ हुए?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकार पारंपरिक परिधानों के संवर्धन के लिए कोई विशिष्ट योजना कार्यान्वित नहीं कर रही है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विदेशी नागरिकों की सम्पत्ति

2874. श्री प्रबोध पाण्डा: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विदेशी मुद्रा प्रबन्धन अधिनियम (फेमा), 1999 के उल्लंघन में विदेशी नागरिक कुछ राज्यों विशेषकर गोवा में सम्पत्तियों के मालिक हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उन्हें सभी प्रकार का संरक्षण मिलता है तथा स्थानीय लोगों की उपेक्षा कर प्लस बिजनेस हाऊस चलाते है; और

(घ) यदि हां, तो विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम का उल्लंघन करने वाले विदेशी नागरिकों के विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) रूसी राष्ट्रिको द्वारा गोवा के उत्तरी भाग में सम्पत्ति की खरीद संबंधी सूचना इस मंत्रालय के ध्यान में लाई गई है। गोवा प्रशासन को इस मामले में जांच-पड़ताल करने की सलाह दी गई है।

केन्द्रीय सरकार ने, सभी राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों को सलाह दी है कि वे उन संबंधित प्राधिकारियों, जो संपत्तियों के अंतरण का पंजीकरण करते हैं, को यह सुनिश्चित करने के अनुदेश दें कि ऐसे मामलों, जिसमें कोई विदेशी राष्ट्रिक शामिल हों, को निपटाते समय भारतीय रिजर्व बैंक के दिशानिर्देशों का ईमानदारी से पालन किया जाए।

बिजनेस प्रोसेसिंग आर्गेनाइजेशन

2875. श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने चालू वर्ष के दौरान सबसे बड़ा आउटसोर्सिंग सौदा हासिल किया है;

(ख) यदि हां, तो इस वर्ष तथा वर्ष 2005 एवं 2004 के दौरान अलग-अलग भारतीय बीपीओ द्वारा किस सीमा तक आउटसोर्सिंग हासिल की गई;

(ग) इस व्यापार को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए/उठाए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या इस संबंध में कोई नीति बनाई गई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या हाल ही में आउटसोर्सिंग फोकस में कोई बदलाव देखने में आया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) नासकोम के अनुसार, भारतीय

सेवा प्रदाताओं द्वारा प्राप्त किए गए बड़े ठेकों का हिस्सा वर्ष 2003 में 1% से बढ़कर वर्ष 2006 के पूर्वार्द्ध में 5% हो गया है। मै. हिन्दुस्तान कम्प्यूटर्स लि., इंफोसिस, सत्यम, टीसीएस और विप्रो द्वारा हाल में कुछ बड़े सौदे प्राप्त किए गए हैं।

(ख) सूचना प्रौद्योगिकी समर्थकारी सेवाओं (आईटीईएस) - बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग (बीपीओ) निर्यातों का यथा उपलब्ध कुल मूल्य इस प्रकार है:-

(1)	2004-05	5.2 बिलि. अम. डा.
(2)	2005-06	6.3 बिलि. अम. डा.

(ग) से (ङ) सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी साफ्टवेयर और सेवा उद्योग की वृद्धि को बढ़ाने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं जैसे सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित सभी विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्रस्तावों के लिए अनुमोदनों को आटोमैटिक रूट के अंतर्गत रखा जाता है। सीमाशुल्क की ऊंची दर को कम कर दिया गया है। सूचना प्रौद्योगिकी करार (आईटीए-1) मदों से संबंधित सीमाशुल्क समाप्त कर दिया गया है, विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) स्थापित किए जा रहे हैं, साफ्टवेयर प्रौद्योगिकी पार्क (एसटीपी)/निर्यातोन्मुखी इकाइयों (ईओयू) के लिए निर्यात लाभों पर आयकर की छूट आदि।

(च) और (छ) नासकोम द्वारा फोकस में किसी परिवर्तन की सूचना नहीं दी गई है। इस क्षेत्र में वर्ष दर वर्ष आधार पर 40% की दर से वृद्धि हो रही है।

मत्स्य उत्पादों पर पाटनरोधी शुल्क

2876. डा. एम. जगन्नाथ: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश से मत्स्य उत्पादों का औसत वार्षिक निर्यात कितना है;

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष तथा चालू वर्ष में कुल कितनी मात्रा में विभिन्न मत्स्य उत्पाद निर्यात किये गए तथा इनसे किस्म-वार तथा देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ग) मत्स्य उत्पादों का निर्यात बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं;

(घ) भारतीय मत्स्य उत्पादों को अस्वीकार करने की दर क्या है; और

(ङ) मछली तथा मत्स्य उत्पादों की खेप को अस्वीकार करने की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान देश से मत्स्य उत्पादों का औसत वार्षिक निर्यात लगभग 1484 मिलियन अमरीकी डालर का हुआ था।

(ख) पोत परिवहन बिलों तथा बीजकों के आधार पर समुद्री उत्पाद निर्यात विकास प्राधिकरण (एम्पीडा) द्वारा संकलित निर्यात संबंधी आंकड़ों के अनुसार पिछले तीन वर्षों तथा चालू वर्ष (जून, 2006 तक) के दौरान प्रमुख आयातक देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात और समुद्री उत्पादों की प्रमुख मदों का निर्यात निम्नानुसार रहा था:-

I. प्रमुख आयातक देशों को समुद्री उत्पादों का निर्यात

(मात्रा टन में तथा मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007 (जून, 06 तक) (अनन्तिम)
अमरीका	मात्रा	53153	50045	55817	8819
	मूल्य	365.84	345.52	372.62	55.76
जापान	मात्रा	50020	57832	59785	18543
	मूल्य	253.86	266.96	262.79	69.99
यूरोपीय संघ	मात्रा	96284	117742	1368442	33609
	मूल्य	319.95	405.40	484.02	128.32
भारत से कुल निर्यात	मात्रा	412017	461329	512164	102700
	मूल्य	1330.76	1478.48	1644.21	353.35

II. समुद्री उत्पादों की प्रमुख मदों का निर्यात

(मात्रा टन में तथा मूल्य मिलियन अमरीकी डालर में)

		2003-2004	2004-2005	2005-2006	2006-2007 (जून, 06 तक) (अनन्तिम)
		निर्यात	निर्यात	निर्यात	निर्यात
प्रशीतित श्रिम्प	मात्रा	129768	138085	145180	30315
	मूल्य	876.64	938.41	970.43	205.27
प्रशीतित फिनफिश	मात्रा	138023	159689	182344	24591
	मूल्य	135.82	168.70	225.94	34.81
प्रशीतित स्क्विड	मात्रा	37832	48124	52352	7864
	मूल्य	81.00	106.63	130.49	23.81
प्रशीतित कट्लफिश	मात्रा	39610	44239	49651	15858
	मूल्य	94.92	104.89	124.48	39.84
भारत से कुल निर्यात	मात्रा	412017	461329	512164	102700
	मूल्य	1330.76	1478.48	1644.21	353.35

(ग) समुद्री उत्पादों के निर्यात को बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा कई कदम उठाए जा रहे हैं, जिनमें शामिल हैं:- समुद्री खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु स्कीमें; स्वच्छता एवं गुणवत्ता संबंधी अंतर्राष्ट्रीय मानकों को पूरा करने के लिए प्रसंस्करण सुविधाओं को उन्नत बनाने हेतु उपाय, जलकृषि का विस्तार, प्रबंधन की ठोस पद्धतियों को अपनाने के लिए जल कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करना; निर्यात हेतु मूल्यवर्धित उत्पादों के उत्पादन के लिए सहायता और विपणन सहायता।

(घ) भारतीय मत्स्य उत्पादों को अस्वीकार किए जाने की दर 1% से भी कम रही है।

(ङ) एम्पीडा द्वारा अंतर्राष्ट्रीय अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए जोखिम विश्लेषण एवं निर्णायक नियंत्रण कार्यक्रम (एचएसीसीपी) के कार्यान्वयन के संबंध में प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया जाता रहा है। सुविधाओं के उन्नयन के लिए प्रसंस्करण प्रतिष्ठानों में कार्य कर रहे समुद्री खाद्य प्रौद्योगिकीविदों/ गुणवत्ता नियंत्रण कार्मिकों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाए जाते हैं। एम्पीडा द्वारा प्रसंस्कर्ताओं की एचएसीसीपी पुस्तिकाओं की भी संवीक्षा की जाती है और संवीक्षा एवं अनुपालन प्रमाण-पत्र जारी किए जाते हैं।

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक विकास

2877. श्री श्रीचन्द कृपलानी:
श्री के. सुब्बारायण:

क्या उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए ध्यान केंद्रित किए जाने वाले क्षेत्रों की पहचान कर ली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ पैकेज उपलब्ध कराए गए हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस क्षेत्र में सड़क तथा रेल नेटवर्क के विकास/विस्तार के लिए कोई योजना बनाई है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(च) क्या सरकार के पास इस क्षेत्र में घरेलू तथा अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन के विकास के लिए कोई विशिष्ट रणनीति भी है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (ग) अवसंरचना अवरोधों, संपर्क, संचार और मूलभूत सेवाओं की समस्या को चिन्हित करते हुए क्षेत्र के सामाजिक आर्थिक विकास की तरफ विशेष ध्यान दिया जाता है। खाद्य उपभोग के पर्याप्त स्तर, मूलभूत सेवाओं तक पहुंच, आर्थिक और सामाजिक अवसरों को बढ़ाकर असमानताओं को घटाने आदि के माध्यम से दसवीं योजना के दृष्टिकोण में मानव कल्याण को बढ़ाने सहित आर्थिक विकास के उद्देश्य निर्धारित किए गए। दसवीं योजना के दृष्टिकोण में निर्धारित उद्देश्यों को ध्यान में रखते हुए एनईआर के राज्यों ने अपनी योजनाओं में प्राथमिकता क्षेत्रों की पहचान की है। इससे आगे विभिन्न केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, विशेष रूप से छूट प्राप्त को छोड़कर, को 1998-99 से अपने सकल बजटीय सहायता (जीबीएस) का 10 प्रतिशत उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए आबंटित करना अपेक्षित है। खर्च न हुई राशि का शेष अव्यपगत केंद्रीय संसाधन पूल (एनएलसीपीआर) में जमा हो जाता है जिसका उपयोग नोडल मंत्रालय द्वारा क्षेत्र में सामाजिक-आर्थिक अवस्थापना को बढ़ाने के लिए किया जाता है।

(घ) से (छ) (i) **सड़क**-सरकार ने एनईआर के लिए विशेष त्वरित सड़क विकास कार्यक्रम (एसएआरडीपी-एनई) तैयार किया है। इस कार्यक्रम का चरण-क राष्ट्रीय राजमार्गों, राज्य सड़कों और जीएस सड़कों की 1310 कि.मी. लंबाई के सुधार सहित 4618 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत के साथ कार्यान्वयन के लिए अनुमोदित किया गया है और चरण-ख जिसमें 6306 किलोमीटर की सड़क शामिल है, की विस्तृत परियोजना रिपोर्टों को तैयार करने के लिए अनुमोदित किया गया है।

(ii) **रेल** - जहां तक रेल नेटवर्क के विकास का संबंध है राजधानी शहरों, अपर असम और अरुणाचल प्रदेश को संपर्क उपलब्ध कराते हुए 6 नई लाइनें और 5 गेज परिवर्तन और गेज परिवर्तन के कारण ट्रांसशिपमेंट प्वाइंट्स को हटाते हुए कार्य प्रगति पर है। विभिन्न कोटियों के तहत चल रहे कार्य निम्न प्रकार से हैं:

परियोजनाएं जो कि राजधानी शहरों को संपर्क उपलब्ध कराएंगी	(i)	कुमारघाट-अगरतला एन एल
	(ii)	हारमुती-ईटानगर (बेदती-ईटानगर के वैकल्पिक अलाइनमेंट का सर्वेक्षण किया जा रहा है) एनएल
	(iii)	जिरीबाम-इंफाल (तुपुल) एनएल
उत्तरी और दक्षिणी किनारों को मिलाते हुए मैगा ब्रिज परियोजना	(i)	डिब्रूगढ़ के नजदीक बोगीबिल में रेल और सड़क पुल
अन्य कार्य	(i)	नई जलपाईगुड़ी/सिलिगुड़ी-नए बोंगाई गांव का गेज परिवर्तन (जुड़ी हुई ब्रांच लाइनें)
	(ii)	सेनचा-सलघाट (56 कि.मी.) एवं जुड़ी हुई ब्रांचों सहित लम्डिंग लम्डिंग-डिब्रूगढ़ की हाइबरगांव-मैराबाड़ी
	(iii)	बदरपुर से बराईग्राम तक लम्डिंग-सिल्चर और विस्तार का गेज परिवर्तन
	(iv)	नई मैनागुड़ी-जोगीघोपा तक नई लाईन
	(v)	दुधनोई से देपा तक नई लाईन (अभी तक भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई)
	(vi)	कटखल-बैराभी का गेज परिवर्तन
	(vii)	रंगिया-मरकोंगसेलेक जीसी जुड़ी हुई शाखाओं के साथ

(iii) **पर्यटन** - पर्यटन मंत्रालय से प्राप्त सूचना के अनुसार परिप्रेक्ष्य और दृष्टिकोण 'जागरूक स्वतंत्र यात्री' पर बल देते हुए उत्तर पूर्व को एक विलक्षण व्यवहार्य पारि-पर्यटन गंतव्य के रूप में तीन पर्यटन स्तंभों उत्तर पूर्व की प्रकृति, संस्कृति एवं धर्म को प्रकट करते हुए विकसित करने का लक्ष्य है ताकि इस क्षेत्र को स्पर्धात्मक लाभ उपलब्ध कराया जा सके।

राज्यों में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह

2878. **श्री अनन्त नायक:**
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) किन-किन राज्यों में इस समय प्रत्यक्ष विदेशी निवेश परियोजनाएं क्रियान्वित की जा रही हैं;

(ख) अब तक प्रत्येक राज्य में क्षेत्र-वार एवं वर्ष-वार प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह कितना रहा है;

(ग) क्या देश के कुछ राज्यों विशेषकर गुजरात में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का अन्तर्प्रवाह कम रहा है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इन राज्यों में और अधिक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) अप्रैल, 2003 से मई, 2006 के दौरान प्राप्त राज्य-वार अंतर्वाहों का ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है।

(ख) अप्रैल, 2003 से मई, 2006 के दौरान प्राप्त क्षेत्र-वार अंतर्वाहों का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है।

(ग) और (घ) विगत तीन वर्षों के दौरान गुजरात ने 2463.41 करोड़ रुपये का विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त किया है और अधिकतम विदेशी प्रत्यक्ष निवेश प्राप्त करने वाले राज्यों/क्षेत्रों में इसका छठा स्थान है।

(ङ) सरकार ने विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की एक उदार और पारदर्शी नीति स्थापित की है जिसके अंतर्गत अधिकांश क्षेत्रों में स्वत: मार्ग के अंतर्गत 100 प्रतिशत तक विदेशी प्रत्यक्ष निवेश करने की अनुमति है। उदारीकृत अर्थव्यवस्था के अंतर्गत, स्थापना स्थल सहित निवेश से संबंधित निर्णय निवेशक तकनीकी-आर्थिक विवेचन के आधार पर लेते हैं।

विवरण I

अप्रैल, 2003 से मई, 2006 तक राज्य-वार वित्तीय वर्ष-वार विदेशी प्रत्यक्ष निवेश इक्विटी अन्तर्वाहों का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	भारतीय रिजर्व बैंक के क्षेत्रीय कार्यालय	शामिल राज्य	2003-04 अप्रैल-मार्च एफ.डी.आई. रुपये में	2004-05 अप्रैल-मार्च एफ.डी.आई. रुपये में	2005-06 अप्रैल-मार्च एफ.डी.आई. रुपये में	2006-07 अप्रैल-मई एफ.डी.आई. रुपये में	योग एफ.डी.आई. रुपये में
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	हैदराबाद	आंध्र प्रदेश	353.49	747.85	1,056.78	336.29	2,494.41
2.	गुवाहाटी	असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैण्ड, त्रिपुरा	19.48	13.39	0.00	0.00	32.87
3.	पटना	बिहार, झारखण्ड	1.13	0.00	0.00	0.00	1.13
4.	अहमदाबाद	गुजरात	917.12	610.53	666.36	269.40	2,463.41
5.	बंगलौर	कर्नाटक	926.53	1,131.34	1,818.05	497.87	4,373.78
6.	कोच्चि	केरल, लक्षद्वीप	44.53	33.77	57.90	0.57	136.77

1	2	3	4	5	6	7	8
7.	भोपाल	मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ	34.85	69.25	42.55	0.38	147.03
8.	मुंबई	महाराष्ट्र, दादरा और नागर हवेली, दमन और दीव	1,355.31	3,183.13	4,290.17	301.23	9,129.85
9.	भुवनेश्वर	उड़ीसा	0.00	0.00	315.88	0.00	315.88
10.	जयपुर	राजस्थान	1.89	4.58	3.32	0.00	9.78
11.	चेन्नई	तमिलनाडु, पांडिचेरी	603.80	358.47	1,190.10	1,467.96	3,620.33
12.	कानपुर	उत्तर प्रदेश, उत्तरांचल	0.00	0.03	0.00	0.00	0.03
13.	कोलकाता	पश्चिम बंगाल, सिक्किम अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह	84.50	467.37	407.83	135.78	1,095.47
14.	चंडीगढ़	चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश	76.71	13.49	378.16	0.00	468.36
15.	नई दिल्ली	दिल्ली, उत्तर प्रदेश और हरियाणा के हिस्से	2,123.46	3,717.53	4,564.93	2,064.37	12,470.29
16.	पणजी	गोवा	160.59	100.66	33.73	0.67	295.65
17.	वे राज्य को दर्शाये नहीं गये	–	3,360.72	4,201.34	9,758.63	341.30	17,661.98
18.	अग्रिम अंतर्वाह	–	1,880.76	2,485.15	0.00	0.00	4,365.90
19.	विनिमय किया गया स्टाक	–	172.50	0.00	28.37	0.00	200.87
	कुल योग		12,177.36	17,137.87	24,612.74	5,415.81	59,283.78

विवरण II

अप्रैल, 2003 से मई, 2006 तक क्षेत्र-वार वित्तीय वर्ष-वार एफ.डी.आई. इक्विटी अन्तर्वाहों का विवरण

(राशि करोड़ में)

क्र.सं.	क्षेत्र	2003-04 अप्रैल-मार्च एफ.डी.आई. रुपये में	2004-05 अप्रैल-मार्च एफ.डी.आई. रुपये में	2005-06 अप्रैल-मार्च एफ.डी.आई. रुपये में	2006-07 अप्रैल-मई एफ.डी.आई. रुपये में	योग एफ.डी.आई. रुपये में
1	2	3	4	5	6	7
1.	धातुकर्मी उद्योग	146.06	880.95	680.84	160.09	1,867.94
2.	ईंधन (विद्युत तथा तेल शोधनशाला)	502.94	759.00	415.71	387.84	2,083.94

1	2	3	4	5	6	7
3.	बॉयलर तथा भाप उत्पादन संयंत्र	0.20	2.34	0.00	0.00	2.54
4.	विद्युत के अलावा प्राईम मूवर	0.00	0.25	0.00	0.00	0.25
5.	विद्युत उपकरण (साफ्टवेयर तथा विद्युत सहित)	2,449.32	3,280.58	6,499.06	358.36	12,587.33
6.	दूरसंचार	531.95	588.41	3,023.46	1,383.83	5,527.65
7.	परिवहन उद्योग	1,417.13	815.10	982.99	318.09	3,533.31
8.	औद्योगिक मशीनरी	13.93	40.74	187.52	20.11	262.29
9.	मशीन औजार	250.75	50.73	100.25	3.43	405.16
10.	कृषि मशीनरी	0.11	0.01	415.97	0.00	416.09
11.	अर्धमूविंग मशीनरी	0.05	0.47	231.30	0.00	231.82
12.	विविध मैकेनिकल और इंजीनियरिंग	100.07	56.73	226.21	3.37	386.37
13.	वाणिज्यिक, कार्यालय तथा घरेलू उपकरण	40.96	62.46	111.41	4.50	219.33
14.	चिकित्सा और शल्य चिकित्सा उपकरण	9.26	24.05	6.72	0.00	40.03
15.	औद्योगिक उपकरण	4.16	4.95	1.69	0.00	10.80
16.	वैज्ञानिक उपकरण	0.07	0.14	0.45	0.00	0.66
17.	उर्वरक	99.29	61.90	19.31	0.00	180.50
18.	रसायन (उर्वरकों के अतिरिक्त)	93.69	908.68	1,979.06	81.93	3,063.36
19.	फोटोग्राफी कच्ची फिल्म और कागज	1.35	27.62	0.00	0.00	28.97
20.	डाईस्टफ	2.00	5.42	0.00	0.00	7.42
21.	ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स	501.67	1,342.91	759.70	10.32	2,614.60
22.	वस्त्र (रंजक, मुद्रण सहित)	42.84	196.84	414.67	26.21	680.56
23.	कागज तथा लुग्दी कागज उत्पाद सहित	31.68	12.41	122.90	1.80	168.80
24.	चीनी	0.25	13.51	13.10	0.00	26.86
25.	किण्वन उद्योग	7.82	41.64	28.57	0.00	78.03

1	2	3	4	5	6	7
26.	खाद्य प्रसंस्करण उद्योग	510.85	174.08	182.94	3.75	871.63
27.	वनस्पति तेल तथा वनस्पति	7.79	41.03	54.00	0.74	103.56
28.	साबुन, प्रसाधन तथा प्रसाधन सामग्री	0.00	4.09	388.49	1.74	394.32
29.	रबड़ उत्पाद	29.31	184.18	150.77	0.70	364.96
30.	चमड़ा, चमड़ा वस्तुएं तथा पिकर्स	32.18	2.03	4.89	0.34	39.44
31.	कांच	24.11	38.47	3.54	1.37	67.50
32.	सिरेमिक	6.78	123.09	25.02	4.40	159.29
33.	सीमेंट तथा जिप्सम उत्पाद	44.04	0.73	1,969.82	1.99	2,016.58
34.	टिम्बर उत्पाद	0.50	0.31	465.64	0.00	466.45
35.	रक्षा उद्योग	0.00	0.24	0.00	0.00	0.24
36.	परामर्श सेवाएं	257.13	1,166.83	206.44	13.61	1,644.02
37.	सेवा क्षेत्र	1,235.27	2,105.53	2,565.04	1,089.25	6,995.11
38.	होटल तथा पर्यटन	226.80	168.85	315.59	22.33	733.58
39.	व्यापार	104.66	65.72	123.43	108.95	402.77
40.	विविध उद्योग	1,319.11	1,399.71	1,907.83	1,406.75	6,033.39
41.	अग्रिम अंतर्वाह	1,880.76	2,485.15	0.00	0.00	4,365.90
42.	स्टाक विनिमय	172.50	0.00	28.37	0.00	200.87
	कुल योग	12,117.36	17,137.87	24,612.74	5,415.81	59,283.78

जैविक विविधता के संबंध में ट्रिप्स में परिवर्तन करना

2879. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ट्रिप्स को कन्वेंशन आन बायोलोजिकल डाइवर्सिटी (सी.बी.डी.) के अनुरूप बनाने हेतु सरकार की ट्रिप्स काउंसिल में क्या परिवर्तन करने की योजना है; और

(ख) इस संबंध में अब तक कितनी सफलता हासिल की गई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) व्यापार संबंधी बौद्धिक सम्पदा अधिकार (ट्रिप्स) करार को जैव विविधता संबंधी अभिसमय (सीबीडी) के उद्देश्यों के अनुरूप बनाने की दृष्टि से विश्वव्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में अन्य विकासशील देशों के साथ भारत में पेटेंट आवेदनों में "प्रकटन संबंधी अपेक्षाओं" को शामिल करने का प्रस्ताव किया है। इस उद्देश्य के लिए मई, 2006 में डब्ल्यूटीओ की व्यापार वार्ताकारी समिति (टीएनसी) और

डब्ल्यूटीओ महापरिषद के समक्ष भारत, ब्राजील, पाकिस्तान, पेरू, थाईलैंड और तंजानिया द्वारा संयुक्त रूप से अनुच्छेद 29 बीआईएस को शामिल करते हुए ट्रिप्स करार में संशोधन का प्रस्ताव किया गया है। यह प्रस्ताव डब्ल्यूटीओ के हांगकांग मंत्रिस्तरीय सम्मेलन के अधिदेश के अनुरूप है।

अनेक अन्य विकासशील देशों ने पाठ आधारित वार्ताएं शुरू करने की इस नीति का समर्थन किया है। नार्वे ने भी पाठ आधारित वार्ताएं शुरू करने के लिए एक अलग प्रस्ताव प्रस्तुत किया है। ईसी और स्विट्जरलैंड ने पाठ आधारित नीति का समर्थन किया है। तथापि, अमरीका, जापान और कोरिया यह मानते हैं कि इस विषय पर तथ्य आधारित बातचीत जारी रहनी चाहिए।

[हिन्दी]

विश्व बैंक द्वारा लघु उद्योगों को ऋण

2880. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत में लघु तथा मध्यम उद्योगों के विकास के लिए लगभग 120 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण स्वीकृत किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या आदिवासी तथा अल्पसंख्यक क्षेत्रों तथा महिलाओं द्वारा संचालित लघु उद्योगों को भी उक्त ऋण के उपयोग में आरक्षण का लाभ प्रदान करने का प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) महाराष्ट्र को कितने प्रतिशत धनराशि आबंटित किये जाने का प्रस्ताव है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी) वित्तपोषण तथा लघु एवं मध्यम उद्यमों के विकास के लिए विश्व बैंक की अगुआई में मल्टी-एजेन्सी/मल्टी-एक्टिविटी परियोजना का क्रियान्वयन कर रहा है। विश्व बैंक ने परियोजना की क्रेडिट फैसिलिटी के तहत 120 मिलियन अमेरिकी डालर का ऋण स्वीकृत कर दिया है। यह फैसिलिटी मुख्यत: एस.एम.ई. को पूंजी निर्माण तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के लिए दीर्घ-कालिक क्रेडिट प्रदान करती है।

(ग) से (ङ) विश्व बैंक क्रेडिट लाइन (एल.ओ.सी.) के अंतर्गत निधियों का आबंटन श्रेणीवार/राज्य-वार नहीं किया गया है। महिलाओं, आदिवासी तथा अल्पसंख्यक आवेदकों सहित सभी पात्र प्रस्तावों को परियोजना के तहत ऋण प्रदान किया जाता है। एल.ओ.सी. का प्रचालन करने वाली सिडबी की 13 शाखाओं में से 2 शाखाएं महाराष्ट्र में स्थित हैं।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर राज्यों में कैम्पों की स्थापना

2881. श्री मणि शारेनामै: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर क्षेत्र में विभिन्न सुरक्षा बलों द्वारा स्थापित कैम्पों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) सरकारी भवनों, सामुदायिक भवनों, धार्मिक भवनों तथा निजी भूमि पर स्थापित स्थाई तथा अस्थायी कैम्पों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या भवनों तथा भूमि के मालिकों को नियमित रूप से किराया दिया जाता है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) आंतरिक सुरक्षा स्थिति के आधार पर सुरक्षा बलों के कैम्पों की संख्या, समय-समय पर, भिन्न-भिन्न होती है। जबकि स्थायी प्रतिष्ठान केन्द्रीय पुलिस बलों के अपने होते हैं, अस्थायी कैम्प राज्य सरकारों द्वारा प्रदान किए जाते हैं और उनके लिए किराए की अदायगी की जाती है।

[हिन्दी]

रेशम और ऊन संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

2882. श्री रशीद मसूद:
श्रीमती जयाप्रदा:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रेशम तथा ऊन के विकास हेतु एक प्रौद्योगिकी शुरू करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वस्त्र क्षेत्र में श्रम सुधारों के लिए कोई नीति बनाई गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) वस्त्र मंत्रालय, भारत सरकार "रेशम एवं ऊन क्षेत्रों के लिए प्रौद्योगिकी मिशन" का प्रस्ताव करने पर विचार कर रही है। इसके ब्यौरों को अभी अंतिम रूप दिया जाना है।

(ग) और (घ) वस्त्र मंत्रालय ने वस्त्र क्षेत्र में श्रम सुधारों के लिए कुछ सुझाव दिए हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित शामिल हैं:-

(i) वस्त्र निर्यातक एककों को श्रमिक लेने में लचीलापन, बशर्ते कि मांग में अंतरों को पूरा करने के लिए कम से कम 100 दिन का रोजगार आश्वस्त करें।

(ii) दैनिक घंटों की आवश्यकताओं के लचीलेपन के साथ दैनिक कार्य घंटे 9 घंटों से बढ़ाकर 12 घंटे और साप्ताहिक कार्य घंटे 48 घंटे से बढ़ाकर 60 घंटे करना।

(iii) निर्यात क्रियाकलाप को वस्त्र क्षेत्र में औद्योगिक विवादों के प्रयोजन से एक सार्वजनिक उपयोगिता सेवा के रूप में मानना।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय महिला आयोग

2883. डा. के. धनराजू: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना महिलाओं के हितों तथा अधिकारों की सुरक्षा, उन्नयन तथा संरक्षण के उद्देश्य से की गई थी;

(ख) यदि हां, तो उक्त आयोग की संरचना तथा कार्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश की ग्रामीण महिलाएं न तो अपने अधिकारों के प्रति जागरूक हैं और न ही उन्हें आयोग के कार्यों के कार्यकरण की जानकारी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके बारे में ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता फैलाने के लिए सरकार का विचार क्या कदम उठाने का है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय महिला आयोग में एक अध्यक्ष, पांच सदस्य और एक सदस्य-सचिव हैं। राष्ट्रीय महिला आयोग के कृत्य राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम, 1990 की धारा 10 में निर्धारित किए गए हैं।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं एवं बालिकाओं को उनके कानूनी अधिकारों एवं कर्त्तव्यों की जानकारी देने के लिए महिलाओं एवं बालिकाओं हेतु कानूनी जागरूकता कार्यक्रम जैसे विभिन्न कार्यक्रम आरम्भ किए हैं, ताकि वे अंततोगत्वा सत्ता में बराबर की भागीदार बन सकें, विकास के सभी अवसर उन्हें सुलभ हो सकें तथा वे बराबरी और न्याय पाने के लिए एकजुट होकर कार्य कर सकें। परिवारिक महिला लोक अदालत कार्यक्रम के माध्यम से विभिन्न न्यायालयों में लंबित वैवाहिक एवं पारिवारिक मामलों के शीघ्र निपटान में महिलाओं की सहायता की जाती है।

राष्ट्रीय महिला आयोग ने महिलाओं में उनके अधिकारों, उनके सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के लिए उपलब्ध केंद्र एवं राज्य सरकारों की स्कीमों के संबंध में जागरूकता लाने तथा उनके साथ होने वाली हिंसा के विरुद्ध संघर्ष करने हेतु उन्हें सशक्त बनाने के लिए 'चलो गांव की ओर' कार्यक्रम दिनांक 3.2.2006 को आरंभ किया। इस कार्यक्रम के कार्यकलापों का लक्ष्य वर्ग मुख्यत: ग्रामीण महिलाएं हैं।

ग्रामीण महिलाओं में जागरूकता उत्पन्न करने के लिए राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रयास जारी हैं।

नकदी फसलों के लिए विशेष प्रयोजन कोष

2884. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार नकदी फसलों विशेष रूप से काली मिर्च तथा रबड़ के लिए विशेष प्रयोजन कोष की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसकी स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) रबड़ बोर्ड और मसाला बोर्ड द्वारा विशेष प्रयोजनी चाय निधि की तर्ज पर एक विशेष प्रयोजनी निधि स्थापित करने की व्यवहार्यता की जांच की जा रही है। रबड़ बोर्ड ने प्रथम दृष्टया इसे व्यवहार्य नहीं पाया है और उसने नाबार्ड पुनर्वित्त स्कीम के तहत ऋण जारी रखने को तरजीह

दी है। मसाला बोर्ड द्वारा केरल की राज्य सरकार, नाबार्ड और राष्ट्रीय बागवानी मिशन के परामर्श से कार्य किया जा रहा है। इस स्तर पर यह अनुमान लगाना संभव नहीं है कि इस निधि को कब स्थापित किया जाएगा।

हीरों का निर्यात

2885. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश से कटाई किए गए तथा पालिश किए गए हीरों के निर्यात का ब्यौरा क्या है तथा इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गई;

(ख) क्या राजस्थान तथा गुजरात से हीरे के निर्यात को बढ़ावा देने की काफी संभावनाएं हैं; और

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) वर्ष 2003-2004, 2004-2005 और 2005-2006 (अप्रैल-दिसम्बर) के दौरान देश से तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों (एचएस कोड 71023990 और 71023910) के निर्यात के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार और उसके साथ उनसे देशवार अर्जित विदेशी मुद्रा निम्नानुसार है:-

(मिलियन अमरीकी डालर में)

देश	2003-04	2004-05	2005-06 (अप्रैल-दिसम्बर)
यूएसए	2522.42	2455.40	1888.68
यूएई	791.79	1429.46	656.43
हांगकांग	2261.27	2604.83	2238.57
बेल्जियम	1014.34	1214.49	889.36
सिंगापुर	138.90	515.03	1165.13
इजराइल	470.31	675.86	531.46
जापान	328.04	453.40	313.34
थाइलैंड	175.48	254.87	189.91
यू.के.	77.18	58.27	50.59
स्विटजरलैंड	123.08	133.03	87.25
जर्मनी	32.88	43.17	31.11
आस्ट्रेलिया	47.03	56.29	40.51
इटली	17.1	18.45	9.45
अन्य	626.45	219.86	135.24
कुल	8626.27	10132.41	8227.03

(स्रोत: निर्यात आयात आंकड़ा बैंक, वाणिज्य विभाग)

(ख) और (ग) व्यापार के एक प्रतिनिधि निकाय रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जीजेईपीसी) के अनुसार हीरा तराशने और पालिश करने के उद्योग मुख्यत: गुजरात राज्य में केन्द्रित हैं और राजस्थान में बहुत सीमित हीरा प्रसंस्करण कार्य होता है।

तराशे हुए और पालिश किए हुए हीरों सहित रत्न एवं आभूषण के निर्यात को 1 सितम्बर, 2004 से लागू विदेश व्यापार नीति में एक बल दिए जाने वाले क्षेत्र के रूप में अभिज्ञात किया गया है। 7 अप्रैल, 2006 तक अद्यतन विदेश व्यापार नीति में इस क्षेत्र को निम्नलिखित सुविधाएं प्रदान की गई हैं:-

(i) 8 कैरेट और उससे अधिक के स्वर्ण के आयात को पुन: पूर्ति स्कीम के अंतर्गत अनुमति दी गई है बशर्ते आयात के साथ एक जांच प्रमाण-पत्र लगा हो जिसमें शुद्धता, भार और मिश्रधातु का हिस्सा विनिर्दिष्ट किया गया हो।

(ii) स्वर्ण और प्लेटिनम को छोड़कर धातुओं के लिए उपभोज्य वस्तुओं की शुल्क मुक्त आयात हकदारी गत वित्तीय वर्ष में निर्यातों के एफओबी मूल्य का 2% होगी।

(iii) वाणिज्यिक नमूनों के शुल्क मुक्त आयात की हकदारी 300000 रुपए होगी।

(iv) अस्वीकृत आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुन: आयात, निर्यातों के एफओबी का 2% होगी।

(v) रत्न एवं आभूषण को तराशने और पालिश करने के कार्य को आयकर अधिनियम की धारा 10क के अंतर्गत छूट के प्रयोजनार्थ विनिर्माण समझा जाएगा।

(vi) बहुमूल्य धातु स्क्रैप/प्रयोग किए हुए आभूषणों के आयात की अनुमति, पिघलाने और पुन: परिष्कृत करने और आभूषणों के पुन: निर्यात के लिए दी गई है। तथापि ऐसे आयात की अनुमति व्यक्तिगत रूप से साथ लाने वाले सामान के जरिए नहीं दी जाएगी।

(vii) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को नियमानुसार परेषण आधार पर आभूषणों के निर्यात के लिए अनुमति दी गई है।

(viii) रत्न एवं आभूषण निर्यातकों को नियमानुसार तराशे हुए और पालिश किए हुए कीमती और अर्द्धकीमती रत्नों को परिष्कृत करने और पुन: आयात करने के बाद निर्यात की अनुमति दी गई है।

(ix) गैर-जड़ाऊ स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी के आभूषणों, वस्तुओं और गहनों के निर्यात को बढ़ाने और उनकी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए ऐसी मदों के लिए मूल्यवर्द्धन मानकों को 7% से घटाकर 4.5% कर दिया गया है।

रत्न एवं आभूषण निर्यात क्षेत्र को प्रदत्त कुछ अन्य सुविधाएं आभूषण डिजाइनिंग में कुशलता प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण अवसंरचना के सृजन को प्रोत्साहित करना, वाणिज्य विभाग की विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत विदेशों में अंतर्राष्ट्रीय मेलों और क्रेता-विक्रेता बैठकों में रत्न एवं आभूषण निर्यातकों की भागीदारी है। उपर्युक्त कदमों से गुजरात और राजस्थान सहित देश से रत्न एवं आभूषणों के उत्पादों के निर्यात का संवर्धन होता है।

[हिन्दी]

घटिया गुणवत्ता की बाड़ लगाया जाना

2886. श्री मो. ताहिर:
श्री शिशुपाल पटले:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:
श्री अशोक कुमार रावत:
श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत-बांग्लादेश सीमा पर घटिया गुणवत्ता की बाड़ लगाई गई है और जिससे घुसपैठिये सीमा पार से घुसपैठ करने में कामयाब हो जाते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा कितने किलोमीटर की दूरी तक ऐसी बाड़ लगाई गई है;

(ग) ऐसी घटिया सामग्री का प्रयोग करने वाली एजेंसियों के विरुद्ध की गई कार्यवाही का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन क्षेत्रों में बाड़ लगाने का कार्य पुन: शुरू करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर कितनी धनराशि खर्च किए जाने की संभावना है; और

(च) ऐसे क्षेत्रों में बाड़ लागने का कार्य कब तक पूरा किये जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (च) जी, नहीं। भारत-बांग्लादेश सीमा पर बाड़ की गुणवत्ता,

सीपीडब्ल्यूडी की निर्धारित विशिष्टियों के अनुसार है। यह कार्य असम पीडब्ल्यूडी, त्रिपुरा पीडब्ल्यूडी, सीपीडब्ल्यूडी, बीआरओ और सार्वजनिक क्षेत्र के कुछ उपक्रमों द्वारा निष्पादित किया जा रहा है।

पश्चिम बंगाल, मेघालय और असम में चरण-I के अतंर्गत लगाई गई 854 कि.मी. सीमा पर बाड़ एकल पंक्ति में है। इस बाड़ को दोहरी पंक्ति की बाड़ के संशोधित और उन्नत डिजाइन के साथ बदलने का निर्णय लिया गया है जैसा कि चरण-II में किया जा रहा है। इस कार्य को 2008 तक पूरा किया जाना है।

तथापि, कार्य की गुणवत्ता का प्रबोधन सुनिश्चित करने के लिए भारत सरकार ने तीसरी पार्टी द्वारा निरीक्षण के लिए इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड (ईआईएल) तथा रेल इंडिया टेक्नीकल एंड इकोनोमिक सर्विसेज (राइट्स) को लगाया है।

सीमा पार से घुसपैठ रोकने के लिए भारत सरकार ने निम्नलिखित कदम उठाए हैं:-

(1) राज्य सरकारों सहित अन्य एजेंसियों के साथ निकट समन्वय;

(2) गश्त लगा कर सीमा की चौबीसों घंटे निगरानी करना;

(3) विशेष अभियान चलाना;

(4) आसूचना नेटवर्क का उन्नयन;

(5) गश्त/नाका ड्यूटी के लिए कार्मिकों की संख्या में वृद्धि करना;

(6) सीमा पर बाड़ खड़ी करना तथा सीमा सड़कों का निर्माण करना।

[अनुवाद]

पड़ोसी देशों के साथ शांति समझौता

2887. श्री बंसगोपाल चौधरी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमावर्ती क्षेत्रों में शांति बनाए रखने के लिए चीन, म्यांमार तथा बंगलादेश सरकार के साथ किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो आतंकवाद तथा घुसपैठ को रोके जाने संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) हमारे देश की राष्ट्रीय सुरक्षा पर लम्बित निर्णय को कार्यान्वित करने के लिए दूसरी सरकारों के साथ क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ग) भारत सरकार ने चीन के साथ दो समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं अर्थात् सितम्बर, 1993 में "भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर शान्ति और अमन-चैन बनाए रखने के लिए समझौता" तथा नवम्बर, 1996 में "भारत-चीन सीमा क्षेत्रों में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर सेना क्षेत्र में विश्वास निर्माण उपायों पर समझौता"। हालांकि, म्यांमार और बांग्लादेश सरकारों के साथ ऐसे किसी समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं, परन्तु भारत, म्यांमार और बांग्लादेश सरकारों के बीच संयुक्त कार्य ग्रुप की बैठकों, गृह सचिव स्तरीय वार्ता आदि के रूप में संस्थागत तंत्र मौजूद है जहां आतंकवाद और घुसपैठ की रोकथाम के उपायों सहित सुरक्षा संबंधी विषयों पर नियमित चर्चा की जाती है तथा ऐसी बैठकों में लिए गए निर्णयों पर अनुवर्ती कार्रवाई की जाती है।

ग्रेफाइट आधारित उद्योग

2888. श्री जुएल ओराम: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का देश विशेष रूप से उड़ीसा में ग्रेफाइट आधारित उद्योगों की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो इसके लिए चयन किए गए स्थलों का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे उद्योगों की स्थापना को कब तक अंतिम रूप दिए जाने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) उपलब्ध सूचना के अनुसार, देश में ग्रेफाइट आधारित उद्योग स्थापित करने के लिए सरकार के पास कोई प्रस्ताव नहीं है।

(ख) और (ग) उपरोक्त (क) के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

कोलार सोने की खानों में खनन

2889. श्री एम. शिवन्ना: क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोलार सोने की खानों में खनन कार्य पुन: शुरू किए जाने की संभावना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त खान में कितने लोगों को रोजगार दिए जाने की संभावना है;

(घ) क्या पहले के सभी कर्मचारियों को पुन: नियुक्त किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (ङ) कर्नाटक उच्च न्यायालय ने दिनांक 26.9.2003 के अपने आदेश में सिफारिश की थी कि सरकार, ऐसे कर्मचारियों को जिन्होंने स्वैच्छिक सेवा निवृत्ति योजना (वीआरएस) को स्वीकार किया है, समुचित भूमि और ऐसी मशीनरी तथा उपस्कर, जिसे वह दे सकती है, मुहैया कराकर कर्मचारी सहकारी समिति का गठन करने में उन्हें समर्थ बनाने के लिए उपयुक्त कदम उठाए ताकि वे अपने विशिष्ट ज्ञान और अनुभव से परियोजनाएं आरंभ कर सकें। इस संदर्भ में, बीजीएमएल के कर्मचारियों, सुपरवाइजरों तथा अधिकारियों के संयुक्त फोरम ने भारत गोल्ड माइन्स लि. (बीजीएमएल) की सम्पत्तियों का अधिग्रहण करने और खान चलाने तथा टेलिंग डम्पों से सोना निकालने का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। सरकार का बीजीएमएल की सम्पत्तियों का आंकलन करने के लिए वैश्विक निविदाएं आमंत्रित करने और संयुक्त फोरम/कर्मचारियों की सोसाइटी को, प्राप्त सबसे बड़ी बोली अथवा आन्तरिक (इन-हाउस) समिति द्वारा किए गए मूल्यांकन (हस्तांतरण के समय पुन: मूल्यांकन किया जाएगा) इनमें से जो भी अधिक हो, का काउन्टर आफर प्रदान करने का प्रस्ताव है। ऊपर उल्लिखित खरीद प्राथमिकता (परचेज प्रेफेरेन्स) जिसका संयुक्त फोरम/कर्मचारियों की सोसाइटी को दिए जाने का प्रस्ताव है, में अन्य बातों के साथ-साथ यह शर्त होगी कि वह बीजीएमएल के पूर्व कर्मचारियों को प्राथमिकता के आधार पर नियुक्त करेगी। तथापि, ऊपर उल्लिखित योजना, कर्नाटक उच्च न्यायालय (कंपनी न्यायालय) के अनुमोदन के अधीन होगी।

विश्वविद्यालय डिग्री कार्यक्रमों में चल रही कक्षाओं को बन्द किया जाना

2890. श्रीमती निवेदिता माने: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एआईसीटीई/मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने एक ही कैम्पस से केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय डिग्री कार्यक्रमों जैसे कि पीजीडीबीएम की चल रही कक्षाओं को बंद करने के कोई निर्देश जारी किए हैं जिससे विश्वविद्यालयों के छात्र दूसरे कोर्सों में जाने के लिए बाध्य हो गए हैं तथा इससे शिक्षा में बाधा आ रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने एक ही परिसर में पीजीडीबीएम तथा विश्वविद्यालय की अन्य कक्षाओं के लिए अलग-अलग अवसंरचना निर्धारित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने एक ही परिसर में सभी कक्षाओं को सस्ती दरों पर शिक्षा देने तथा लागत कम करने के लिए एक समय में ही व्यवस्था करने या अतिरिक्त शिफ्ट चलाकर पीजीडीबीएम की अवसंरचना का उपयोग विश्वविद्यालयों के अन्य पाठ्यक्रमों के लिए करने देने की अनुमति देने का निर्णय भी लिया है;

(च) यदि हां, तो क्या इस संबंध में एआईसीटीई द्वारा कोई निदेश जारी किए गए हैं;

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ज) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ज) अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद ने परिषद द्वारा अनुमोदित पीजीडीबीएम कार्यक्रम चला रहे परिसरों में केन्द्रीय/राज्य विश्वविद्यालय डिग्री कार्यक्रमों की चल रही कक्षाओं को बंद करने के संबंध में कोई निर्देश जारी नहीं किए हैं।

परिषद ने पीजीडीबीएम पाठ्यक्रम के संबंध में वर्ष 2006-2007 के लिए निम्नलिखित नीति लागू की है:-

1. उन कालेजों में जहां एमबीए/एमएमएस जैसे विश्वविद्यालय सम्बद्ध प्रबंध पाठ्यक्रमों सहित पीजीडीबीएम कार्यक्रम चल रहे हैं; उन कालेजों का जिनमें पहले से चल रहे एमएमएस पाठ्यक्रमों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का अनुमोदन प्राप्त नहीं है, को मान्यता हेतु आवेदन देने के लिए कहा जा रहा है।

2. उन कालेजों के लिए जहां पीजीडीबीएम चल रहा है, में उसी स्थान पर किसी नए एमबीए पाठ्यक्रम की अनुमति प्रदान नहीं की जा रही है।

3. अन्य अवर स्नातक स्तर के पाठ्यक्रमों/गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रमों सहित पीजीडीबीएम चला रहे कालेजों को परिषद ने सशर्त अनुमोदन प्रदान किया है जिसके तहत संबंधित सभी गैर-अनुमोदित पाठ्यक्रमों को अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद द्वारा अनुमोदित पाठ्यक्रम हेतु निर्धारित भवन/स्थान से स्थानान्तरित बन्द कर दिया जाना है।

अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के मानदण्डों के अनुसार अनुमोदित कार्यक्रमों में विशिष्ट सुविधाओं/संसाधनों की

अपेक्षा की जाती है और इनकी हिस्सेदारी अनुमत्य नहीं है ताकि तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता को बनाये रखा जा सके। पीजीडीबीएम पाठ्यक्रम चलाने के लिए अखील भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद के दिशानिर्देशों के अनुसार पृथक भूखंड, भवन, संकाय और अन्य आधारभूत सुविधाओं की अपेक्षा की जाती है।

आईआईएम तथा आईआईटी में अन्य पिछड़े वर्ग के कोटे को लागू किया जाना

2891. **श्री एकनाथ महादेव गायकवाड:**
श्रीमती निवेदिता माने:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने आईआईएम/आईआईटी को अन्य पिछड़े वर्ग के कोटे को लागू करने तथा सामान्य वर्ग के लिए 54 प्रतिशत सीटें बढ़ाने के लिए स्वतंत्रता देने का निर्णय लिया है जैसा कि 3 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या विभिन्न आईआईएम/आईआईटी द्वारा इस निर्णय को लागू करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ये दिशा-निर्देश ओवरसाइट कमेटी की सिफारिशों के अनुरूप हैं;

(ङ) यदि हां, तो क्या इन संस्थानों द्वारा कोई वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(च) इस निर्णय को पूर्णत: लागू करने में कितना समय लगने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया है।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

गुजरात से प्राप्त परियोजनाएं

2892. **श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम:** क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार तथा निजी औद्योगिक घरानों से ब्रास-गनमेटल तथा अन्य धातुओं संबंधी कोई प्रस्ताव/परियोजना मिली है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है तथा राज्य को कितनी सहायता प्रदान की गई है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) से (ग) सरकार को गुजरात सरकार से लघु उद्योग क्लस्टर विकास कार्यक्रम (एस.आई.सी.डी.पी.), के तहत वित्तीय सहायता हेतु ब्रास पार्ट्स क्लस्टर, जामनगर, गुजरात में एक प्रौद्योगिकी प्रदर्शन-सह-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना के लिए एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ है। चूंकि प्रस्ताव सभी प्रकार से पूर्ण नहीं है, आवश्यक सूचना गुजरात सरकार से मांगी गई है।

वस्त्र योजनाओं का प्रचार

2893. **श्री एस.के. खारवेनथन:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ वस्त्र इकाइयों को क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी सिस्टम (सीएलसीएसएस), टेक्नालाजी अपग्रेडेशन फण्ड स्कीम के अंतर्गत उपलब्ध ऋण सुविधाओं की जानकारी नहीं है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई अध्ययन किया है; और

(ग) यदि हां, तो इसका क्या परिणाम निकला तथा योजना का व्यापक प्रचार-प्रसार करने के लिए राज्य-वार क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) 1.4.1999 से लागू है। ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी योजना (सीएलसीएसएस) इस योजना का एक संघटक है और इसे सितम्बर, 2003 में शुरू किया गया था। टीयूएफएस की शुरूआत से ही सरकार द्वारा वस्त्र संघों, स्थानीय उद्योग, वस्त्र अनुसंधान संघों आदि के सहयोग से सभी वस्त्र समूहों में 1000 से अधिक जागरूकता एवं प्रचार कार्यक्रम आयोजित किये गये हैं? साथ ही 44 विद्युतकरघा सेवा केन्द्र तथा वस्त्र आयुक्त के 8 क्षेत्रीय कार्यालय देश में कार्य कर रहे हैं और इन दो योजनाओं के संबंध में नियमित रूप से संगोष्ठियां, कार्यशालाएं और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। उन दो योजनाओं का पूरा ब्यौरा वस्त्र आयुक्त के कार्यालय की वेबसाइट (txcindia.com) पर उपलब्ध करा दिया गया है और एक पुस्तिका

जिसमें दोनों योजनाएं हैं, वस्त्र आयुक्त का कार्यालय, मुंबई द्वारा प्रकाशित कर दी गई है। इन प्रयासों के फलस्वरूप 30.6.2006 की स्थिति के अनुसार 48004 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत वाले कुल 5563 आवेदन-पत्र टीयूएफएस (मुख्य योजना) के तहत प्राप्त हुए हैं। इसी प्रकार सीएलसीएसएस के तहत 25.07.2006 की स्थिति के अनुसार 402.27 करोड़ रु. की कुल परियोजना लागत वाले कुल 1165 आवेदन-पत्र प्राप्त हुए हैं।

(ख) उपर्युक्त (क) को देखते हुए जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

मानित विश्वविद्यालयों द्वारा तकनीकी शिक्षा

2894. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तकनीकी शिक्षा देने वाले मानित विश्वविद्यालयों के संबंध में यूजीसी तथा एआईसीटीई के बीच दायित्वों का स्पष्ट बंटवारा नहीं है;

(ख) यदि हां, तो इसके मुख्य कारण क्या हैं;

(ग) क्या यूजीसी तथा एआईसीटीई द्वारा विश्वविद्यालय के संयुक्त निरीक्षण की कमी से तकनीकी शिक्षा देने वाले मानित विश्वविद्यालयों के लिए समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (ङ) केंद्र सरकार ने विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 20(1) तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद अधिनियम, 1987 की धारा 20(1) के अंतर्गत निहित अपनी शक्तियों को प्रयुक्त करते हुए दिनांक 5 अप्रैल, 2006 की अधिसूचना के तहत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद को निदेश जारी किए हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह भी प्रावधान है कि यद्यपि सम-विश्वविद्यालयों के लिए नए पाठ्यक्रम/कार्यक्रम आरंभ करने के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना आवश्यक नहीं है, फिर भी उनके लिए इतना अनिवार्य है कि वे शिक्षा क्षेत्र में शिक्षा के स्तरों को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार संबद्ध सांविधिक निकाय द्वारा निर्धारित न्यूनतम मानकों को बनाए रखें। इसमें यह भी उल्लेख है कि शिक्षा के स्तरों के सुनिश्चयन हेतु विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद इन सांविधिक निकायों के नियमों/विनियमों में यथानिर्धारित तरीके से सम-विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं तथा निरीक्षण रिपोर्ट के आधार पर विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अपेक्षित होने पर आवश्यक कार्रवाई करेगा।

दि.न.नि. लाइसेंसिंग विभाग में भ्रष्टाचार

2895. श्री आनन्दराव विठोवा अडसूल: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को जन प्रतिनिधियों और व्यापार संघों से दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) विशेषकर सदर क्षेत्र (ईदगाह रोड) स्वास्थ्य प्रभाग के लाइसेंसिंग विभाग के विरुद्ध शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या इस मामले में कोई जांच की गई है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है और चूककर्त्ता अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) दिल्ली नगर निगम ने सूचित किया है कि ऐसा कोई मामला उसके सतर्कता विभाग में जांचाधीन नहीं है और लाइसेंसिंग विभाग सदर-पहाड़गंज क्षेत्र (ईदगाह रोड), स्वास्थ्य विभाग, दिल्ली नगर निगम के विरुद्ध कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

बाढ़ प्रभावित राज्यों को सुनामी की तर्ज पर सहायता

2896. श्री प्रह्लाद जोशी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने गत वर्ष आश्वासन दिया था कि बाढ़ प्रभावित राज्यों की सुनामी प्रभावित राज्यों की तर्ज पर क्षतिपूर्ति की जाएगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने सुनामी प्रभावित राज्यों की तर्ज पर बाढ़ प्रभावित राज्यों की क्षतिपूर्ति करने की कोई योजना बनाई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (ङ) बाढ़ के कारण 2005 में हुए अत्यधिक नुकसान और दीर्घकालीन पुनर्वास और क्षतिग्रस्त आधारभूत ढांचे के पुनर्निर्माण के लिए राज्यों की जरूरतों के बारे में सरकार को जानकारी है। राज्यों से प्राप्त विस्तृत योजना प्रस्तावों की जांच करने और उन्हें आगे बढ़ाने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। 11 राज्यों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं।

प्राकृतिक आपदा सूचना प्रणाली

2897. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने प्राकृतिक आपदा सूचना प्रणाली शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ग) सरकार द्वारा देश में प्राकृतिक आपदा के प्रकोप को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं। श्रीमान।

(ख) उपर्युक्त भाग (क) के उत्तर के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) सरकार ने कई उपाय किए हैं जिनमें आपदा की रोकथाम, न्यूनीकरण, मुकाबला करने की तैयारी, निपटने की कार्रवाई और राहत शामिल है। इन उपायों में, अन्य बातों के साथ-साथ, बहु-जोखिम न्यूनीकरण के लिए प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण; माडल भवन-निर्माण उप कानूनों, नगर और ग्राम योजना विधायन, भूमि उपयोग के जोनिंग विनियमों और विकास नियंत्रण विनियमों का विकास; आपदा प्रबंधन और आपात सहायता कार्य योजनायें (ईएसएफ) तैयार करना; आपात आपरेशन केन्द्र (ईओसी) स्थापित करना; विशेषज्ञ खोजी और बचाव टीमें गठित करना; हिंद महासागर में सुनामी और तूफानी लहरों के लिए पूर्व चेतावनी प्रणाली स्थापित करना; आपदा से निपटने के संसाधनों की आन-लाइन राष्ट्रीय सूची का विकास करना और लोक शिक्षा में आपदा प्रबंधन शुरू करना शामिल है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के पास चक्रवात और भयंकर मौसमी घटनाओं पर नजर रखने और उनका पूर्वानुमान लगाने के लिए एक सुस्थापित तंत्र है।

[हिन्दी]

आतंकवादियों द्वारा मोबाइल बमों का निर्माण

2898. श्री रघुवीर सिंह कौशल: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आतंकवादियों ने मोबाइल बम निर्मित किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने आतंकवादियों द्वारा विकसित की गई ऐसी नई तकनीक से निपटने के लिए किसी विशेष कृतिक बल का गठन किया है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध जानकारियों से यह पता चलता है कि कुछ आतंकवादी रिमोट नियंत्रित इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाईसिज में विस्फोट करने के लिए मोबाइल फोनों का इस्तेमाल करने के प्रयास करते रहे हैं।

(ग) और (घ) ऐसी किसी विशेष कार्य बल का गठन नहीं किया गया है। कारगर निरोधी उपाय करने के लिए आसूचना और सुरक्षा एजेंसियां, आतंकवादियों द्वारा इस्तेमाल की जा रही नई प्रौद्योगिकी में सुपरिचित रहती है।

पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी

2899. श्री कैलाश नाथ सिंह यादव:
श्री मो. ताहिर:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार खनन क्षेत्रों में विदेशी सहायता से उन्नत पर्यावरण अनुकूल प्रौद्योगिकी अपनाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान खनन क्षेत्र में खनिजों के खनन और अन्वेषण के संबंध में निर्धारित लक्ष्य हासिल नहीं किए जा सके हैं; और

(घ) यदि हां, तो उक्त अवधि के दौरान निर्धारित/हासिल लक्ष्यों का ब्यौरा क्या है और चालू वर्ष के लिए क्या लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) राष्ट्रीय खनिज नीति, 1993 खान विकास रणनीति के एक अभिन्न भाग के रूप में, उच्च मूल्य वाले और दुर्लभ खनिजों के गवेषण और खनन में विदेशी प्रौद्योगिकी और विदेशी भागीदारी को शामिल करने तथा खनन और खनिजों की प्रोसेसिंग की वजह से होने वाले प्रतिकूल पर्यावरणीय प्रभावों का निवारण और उपशमन करने की घोषणा करती है।

(ग) देश में खनन, सार्वजनिक क्षेत्र के साथ-साथ निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा भी किया जाता है। देश में गवेषण विभिन्न एजेंसियों अर्थात् भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण, राज्यों के खनन एवं भूविज्ञान निदेशालयों, खनिज गवेषण निगम लिमिटेड, हिन्दुस्तान कापर लिमिटेड जैसे सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, राज्यों के सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और विभिन्न निजी पार्टियों द्वारा किया जाता है और खनिज गवेषण के लिए इनके अपने लक्ष्य हैं।

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण में बड़े पैमाने पर मानचित्रण और विस्तृत मानचित्रण से संबंधित निर्धारित लक्ष्यों को पार कर लिया गया है और वेधन से संबंधित निर्धारित लक्ष्य को लगभग प्राप्त कर लिया गया है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और चालू फील्ड सत्र में आरंभ किए गए खनिज अन्वेषण नीचे दिए गए हैं:-

	परिमाणवाचक कार्यकलाप	2002-03	2003-04	2004-05	2005-06
1.	बड़े पैमाने पर मानचित्रण (वर्ग कि.मी. में) 1:25,000 से 1:10,000 के पैमाने पर				
	कार्यक्रम लक्ष्य	1189.54	1021.05	922.135	1076.14
	उपलब्धि	1254.80	1027	1041.05	*
2.	1:10,000 से बड़े पैमाने पर विस्तृत मानचित्रण (वर्ग कि.मी. में)				
	कार्यक्रम लक्ष्य	30.316	30.745	27.237	32.96
	उपलब्धि	32.286	36.26	34.772	*
3.	वेधन (मीटर में)				
	कार्यक्रम लक्ष्य	92,797.60	88,540.70	87,129.44	85,501.42
	उपलब्धि	93,388.78	81,995.90	82,209.86	*

*सितम्बर में फील्ड सीजन के पूर्ण होने पर आकलन किया जाएगा।

खान मंत्रालय के अधीन एक सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम नामत: खनिज गवेषण निगम लिमिटेड ने वर्ष 2003-04 के विकासात्मक खनन के लक्ष्य को छोड़कर गत तीन वर्षों के लिए निर्धारित लक्ष्यों को प्रात कर लिया है। गत तीन वर्षों के दौरान लक्ष्य और उपलब्धियां और वर्ष 2006-07 के लक्ष्य नीचे दिए गए हैं:-

कार्यकलाप	इकाई	2003-04			2004-05			2005-06 (अनंतिम)			2006-07
		लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य	उपलब्धि	%	लक्ष्य
वेधन	मीटर	165000	172281	104	165000	173144	105	170000	178425	105	175000
विकासात्मक खनन	मीटर	5000	3357	67	6000	7525	125	6200	8281	134	6850
सकल राजस्व	लाख रुपए	6436	6089	95	6600	7535	114	6930	8140	117	7550
सकल मार्जिन	लाख रुपए	1362	1253	92	1304	1918	147	1500	2102	140	1891

[अनुवाद]

एलुमिना की बिक्री

2900. **श्री गिरिधर गमांग:** क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को निजी कंपनियों/नाल्को से उनके स्वामित्व वाले एलुमिनियम संयंत्रों के उपयोग के लिए दामनजोड़ी एलुमिना संयंत्र से एलुमिना की बिक्री के लिए कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा एलुमिना के निर्यात में कमी करके निजी कंपनियों को एलुमिना की आपूर्ति के लिए क्या नीति निर्णय लिया गया है; और

(घ) नालको द्वारा कुल कितने एलुमिना का उत्पादन और निर्यात किया गया तथा नाल्को को स्वयं अपने उपयोग हेतु कितने एलुमिना की आवश्यकता है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) खान मंत्रालय को भारत एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (बालको) से नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लिमिटेड (नालको) से स्पाट/दीर्घावधिक टेण्डर के आधार पर एल्युमिना खरीदने का एक प्रस्ताव प्राप्त हुआ था।

(ग) नेशनल एल्युमिनियम कम्पनी लि. (नालको) ने सूचित किया है कि गैर-शुल्क प्रदत्त निर्यात माल को शुल्क का भुगतान करने के पश्चात घरेलू बाजार में बेचे गए माल के साथ मिलाने से केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क की दृष्टि से जटिलताएं उत्पन्न हो सकती हैं और इसलिए, बालको के अनुरोध को स्वीकार नहीं किया जा सकता।

(घ) वर्ष 2005-06 के दौरान नालको द्वारा उत्पादित कुल चूर्ण एल्युमिना 15,78,000 मीट्रिक टन (एमटी) था जिसमें से 8,62,616 एमटी, का निर्यात किया गया था और 12,994 एम.टी. घरेलू बाजार में बेचा गया था तथा शेष लगभग 7,00,000 एम.टी. एल्युमिना की नालको द्वारा स्वयं खपत की गई थी।

तेजपुर विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र

2901. **श्री नारायण चन्द्र बरकटकी:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को तेजपुर विश्वविद्यालय से विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र शुरू करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा और इसकी स्थिति क्या है;

(ग) ऐसे केन्द्र के कब तक शुरू होने की संभावना है; और

(घ) इसके लिए कुल कितनी धनराशि निर्धारित की गई है और कितने पद स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ग) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा प्रदत्त सूचना के अनुसार, आयोग को तेजपुर विश्वविद्यालय में महिला अध्ययन केंद्र की स्थापना का एक प्रस्ताव इस विश्वविद्यालय से प्राप्त हुआ है। इस संबंध में कोई निर्णय लेने हेतु आयोग के विचारार्थ अपनी सिफारिशें पेश करने के लिए विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की महिला अध्ययन संबंधी स्थायी समिति ने तेजपुर विश्वविद्यालय का निरीक्षण करने का निर्णय लिया है।

(घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की मौजूदा योजना के तहत एक विश्वविद्यालय आवर्ती अनुदान के रूप में प्रतिवर्ष 10.00 लाख रु. (जिसमें वेतन के लिए 7.00 लाख रु. शामिल हैं) और अनावर्ती अनुदान के रूप में 20.00 लाख रु. तक प्राप्त करने का पात्र है। महिला अध्ययन केंद्र के लिए संस्वीकृत की जाने वाली पद संख्या आवश्यकता के वास्तविक निर्धारण पर निर्भर करेगी।

राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना

2902. **श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर:** क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशुगृह योजना के तहत इसके प्रारंभ से स्थापित शिशुगृहों की राज्य-वार संख्या कितनी है;

(ख) उक्त योजना का ब्यौरा क्या है और योजना के तहत कितनी प्रगति हुई है; और

(ग) इस उद्देश्य के लिए आबंटित धनराशि का राज्य-वार ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) शिशु गृहों की राज्य-वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) स्कीम का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट www.wcd.nic.in पर उपलब्ध है। अभी तक स्कीम के अंतर्गत 6227 नए शिशुगृह संस्वीकृत किए गए हैं।

(ग) यह एक केन्द्रीय क्षेत्र की स्कीम है, जिसका क्रियान्वयन केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड तथा दो राष्ट्र-स्तरीय स्वैच्छिक संगठनों, अर्थात् भारतीय बाल कल्याण परिषद एवं भारतीय आदिम जाति सेवक संघ द्वारा किया जाता है। स्कीम के अंतर्गत राशि का राज्य-वार आबंटन नहीं किया जाता है।

विवरण

कामकाजी माताओं के बच्चों हेतु राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम के अंतर्गत स्कीम के क्रियान्वयन से अभी तक स्थापित शिशु गृहों की राज्य-वार संख्या

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	शिशुगृहों की संख्या
1	2	3
1.	आंध्र प्देश	618
2.	असम	140
3.	अरुणाचल प्रदेश	59
4.	बिहार	669
5.	छत्तीसगढ़	426
6.	चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र	15
7.	दिल्ली	100
8.	गोवा	20
9.	गुजरात	118
10.	हिमाचल प्रदेश	112
11.	हरियाणा	18
12.	जम्मू-कश्मीर	171
13.	झारखण्ड	141
14.	केरल	35
15.	कर्नाटक	308
16.	लक्षद्वीप	20
17.	मध्य प्रदेश	822
18.	मणिपुर	24
19.	महाराष्ट्र	480
20.	मेघालय	3
21.	मिजोरम	76
22.	नागालैंड	16
23.	उड़ीसा	87
24.	पाण्डिचेरी	96
25.	पंजाब	166
26.	राजस्थान	423
27.	सिक्किम	1
28.	त्रिपुरा	19
29.	तमिलनाडु	168
30.	उत्तर प्रदेश	547
31.	उत्तरांचल	84
32.	पश्चिम बंगाल	237
33.	दादरा व नगर हवेली	0
34.	अण्डमान व निकोबार द्वीपसमूह	8
35.	दमन व दीव	0
	कुल	6227

विश्वविद्यालयों को अनुदान

2903. **श्री अशोक कुमार रावत:**
श्री जोवाकिम बखला:
श्री सुव्रत बोस:
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव:
प्रो. महादेवराव शिवनकर:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा केंद्रीय/राज्य/मानद विश्वविद्यालयों और उनके संबद्ध कालेजों को वर्ष 2006-07 के लिए योजना और गैर-योजना व्यय के लिए स्वीकृत/आबंटित की गई धनराशि का ब्यौरा क्या है और उक्त अवधि के दौरान पश्चिमी बंगाल और पूर्वोत्तर राज्यों के सभी विश्वविद्यालयों और इन विश्वविद्यालयों के संबद्ध कालेजों को समान अवधि के दौरान दिए गए अनुदानों की राज्य-वार और विश्वविद्यालय-वार राशि कितनी है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): दसवीं योजना के दौरान विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा राज्य विश्वविद्यालयों को दी जाने वाली विकास सहायता की स्थिति को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-I में दिया गया है। राज्य विश्वविद्यालयों को योजनेतर सहायता राज्य सरकारों का विषय है। वर्ष 2006-07 (18.8.2006 तक) के दौरान सम-विश्वविद्यालयों को दिया गया सामान्य विकास योजनागत अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-II में दिया गया है। वर्ष 2006-07 के दौरान सम-विश्वविद्यालयों को दिए गए योजनेतर अनुदान को दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण-III में दिया गया है और वर्ष 2006-07 के दौरान, केन्द्रीय विश्वविद्यालयों को संस्वीकृत योजनागत तथा योजनेतर अनुदान का ब्यौरा संलग्न विवरण-IV में दिया गया है।

उपर्युक्त विवरणों में पश्चिम बंगाल राज्य तथा पूर्वोत्तर राज्यों को जारी अनुदानों से संबंधित सूचना शामिल है।

विवरण I

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय का नाम	10वीं योजना आबंटन 2002-2007	जारी किए गए अनुदान 2006-07
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	आंध्र विश्वविद्यालय	571.50	–
2.	ककातिया विश्वविद्यालय	385.00	–
3.	नागार्जुन विश्वविद्यालय	370.50	–
4.	उस्मानिया विश्वविद्यालय	558.67	–
5.	पी.एस. तेलुगु विश्वविद्यालय	243.75	–
6.	एस.वी. विश्वविद्यालय	454.93	–
7.	एस.पी.एम. विश्वविद्यालय	337.50	–
8.	एस.के.डी. विश्वविद्यालय	350.00	–
9.	जे.एन.टी.यू., हैदराबाद	429.00	–
10.	नालसार विश्वविद्यालय	200.00	–
	गोवा		
11.	गोवा विश्वविद्यालय	405.00	–
	गुजरात		
12.	भाव नगर विश्वविद्यालय	337.50	72.50
13.	गुजरात विश्वविद्यालय	429.00	–
14.	एम.एस. यूनिवर्सिटी आफ बड़ौदा	752.05	–
15.	उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय	205.50	–

1	2	3	4
16.	सरदार पटेल विश्वविद्यालय	331.50	–
17.	सौराष्ट्र विश्वविद्यालय	390.00	–
18.	दक्षिण गुजरात विश्वविद्यालय	429.00	85.80
	कर्नाटक		
19.	बैंगलोर विश्वविद्यालय	574.40	–
20.	गुलबर्ग विश्वविद्यालय	310.50	–
21.	कर्नाटक विश्वविद्यालय	405.00	–
22.	कुवेम्पु विश्वविद्यालय	281.25	–
23.	कनाडा विश्वविद्यालय	130.00	–
24.	मंगलौर विश्वविद्यालय	305.00	10.00
25.	मैसूर विश्वविद्यालय	381.00	–
26.	नेशनल ला स्कूल आफ इंडिया यूनिवर्सिटी	105.00	–
	केरल		
27.	कालीकट विश्वविद्यालय	370.50	–
28.	कोचिन यूनिवर्सिटी आफ साईंस एंड टेक्नालाजी	578.00	–
29.	केरल विश्वविद्यालय	400.35	–
30.	महात्मा गांधी विश्वविद्यालय	347.30	–
31.	कन्नूर विश्वविद्यालय	361.20	–
32.	श्री शंकराचार्य संस्कृत विश्वविद्यालय	80.00	–
	मध्य प्रदेश		
33.	ए.पी.एस. विश्वविद्यालय	318.00	–
34.	बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय	390.50	–
35.	देवी अहिल्या विश्वविद्यालय	318.00	–
36.	डा. एच.एस. गौड विश्वविद्यालय	441.30	5.00
37.	जीवाजी विश्वविद्यालय	315.00	–
38.	एम.जी. ग्रामोदय विश्वविद्यालय	210.00	84.00
39.	रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय	409.50	12.50
40.	विक्रम विश्वविद्यालय	410.00	–

1	2	3	4
41.	नेशनल ला इंस्टीट्यूट यूनिवर्सिटी	215.00	–
	महाराष्ट्र		
42.	अमरावती विश्वविद्यालय	313.75	–
43.	डा. बी.ए. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	350.00	–
44.	मुम्बई विश्वविद्यालय	683.50	–
45.	नागपुर विश्वविद्यालय	459.90	–
46.	नार्थ महाराष्ट्र विश्वविद्यालय	259.00	103.60
47.	पुणे विश्वविद्यालय	412.50	–
48.	शिवाजी विश्वविद्यालय	359.25	–
49.	एस.एन.डी.टी. महिला विश्वविद्यालय	542.94	–
50.	एस.आर.टी. मराठवाड़ा विश्वविद्यालय	225.00	–
	तमिलनाडु		
51.	अन्ना विश्वविद्यालय	761.00	–
52.	अलगप्पा विश्वविद्यालय	203.15	–
53.	अनामलाई विश्वविद्यालय	532.73	–
54.	भारतीदासन विश्वविद्यालय	331.50	–
55.	भरतियार विश्वविद्यालय	330.00	–
56.	मदुरई कामराज विश्वविद्यालय	390.00	–
57.	मद्रास विश्वविद्यालय	450.00	–
58.	एम.एस. विश्वविद्यालय, तिरूनेलवेली	280.00	–
59.	मदर टेरेसा महिला विश्वविद्यालय	243.75	–
60.	तमिल विश्वविद्यालय	225.00	–
61.	पेरियार विश्वविद्यालय, सलेम	80.00	–
	अरुणाचल प्रदेश		
62.	अरुणाचल विश्वविद्यालय	400.00	–
	असम		
63.	गुवाहाटी विश्वविद्यालय	405.00	–
64.	डिब्रुगढ़ विश्वविद्यालय	405.00	–

1	2	3	4
	बिहार		
65.	पटना विश्वविद्यालय	302.50	–
66.	बी.बी.ए. अम्बेडकर बिहार विश्वविद्यालय	293.07	–
67.	टी.एम. भागलपुर विश्वविद्यालय	328.00	131.20
68.	के.एस.डी. संस्कृत विश्वविद्यालय	203.95	–
69.	मगध विश्वविद्यालय	309.05	–
70.	एल.एन. मिथिला विश्वविद्यालय	318.00	–
71.	बी.एन. मंडल विश्वविद्यालय	236.00	–
	दिल्ली		
72.	गुरु गोविंद सिंह इन्द्रप्रस्थ विश्वविद्यालय	225.00	–
	हरियाणा		
73.	एम.डी. विश्वविद्यालय, रोहतक	429.00	–
74.	कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय	380.00	109.50
75.	गुरु जाम्भेश्वर विश्वविद्यालय	205.00	–
	हिमाचल प्रदेश		
76.	हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय	405.00	300.00
	जम्मू-कश्मीर		
77.	कश्मीर विश्वविद्यालय	405.00	5.00
78.	जम्मू विश्वविद्यालय	400.00	–
	झारखंड		
79.	रांची विश्वविद्यालय	312.00	–
80.	विनोबा भावे विश्वविद्यालय	264.25	–
	मणिपुर		
81.	मणिपुर विश्वविद्यालय	398.60	–
	उड़ीसा		
82.	उत्कल विश्वविद्यालय	367.50	–
83.	बहरामपुर विश्वविद्यालय	390.00	156.00
84.	संबलपुर विश्वविद्यालय	454.70	181.88

1	2	3	4
85.	श्री जगन्नाथ संस्कृत विश्वविद्यालय	235.00	–
	पंजाब		
86.	पंजाब विश्वविद्यालय	489.70	–
87.	पंजाबी विश्वविद्यालय	370.50	–
88.	गुरु नानक देव विश्वविद्यालय	429.00	–
	राजस्थान		
89.	राजस्थान विश्वविद्यालय	420.00	–
90.	जय नारायण व्यास विश्वविद्यालय	419.80	–
91.	मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय	257.00	–
92.	महर्षि दयानन्द सरस्वती विश्वविद्यालय	280.00	–
	त्रिपुरा		
93.	त्रिपुरा विश्वविद्यालय	371.50	–
	उत्तर प्रदेश		
94.	बुंदेलखंड विश्वविद्यालय	225.00	–
95.	चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय	358.00	–
96.	डा. बी.आर. अंबेडकर विश्वविद्यालय	300.00	–
97.	डा. आर.एम.एल. अवध विश्वविद्यालय	234.75	–
98.	डी.डी.यू. गोरखपुर विश्वविद्यालय	269.66	–
99.	लखनऊ विश्वविद्यालय	431.00	82.80
100.	एम.डी. काशी विद्यापीठ	213.00	–
101.	वी.बी.एस. पूर्वांचल विश्वविद्यालय	225.00	–
102.	एम.जे.पी. रोहिलखंड विश्वविद्यालय	280.50	–
103.	संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय	200.00	–
104.	चौधरी शाहूजी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय	201.50	40.30
105.	जगद्गुरु रामभद्राचार्य हैंडीकैप्ड यूनिवर्सिटी	227.40	–
	उत्तरांचल		
106.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय	325.00	–
107.	कुमाऊं विश्वविद्यालय	370.50	–

1	2	3	4
	पश्चिम बंगाल		
108.	कलकत्ता विश्वविद्यालय	577.00	–
109.	जादवपुर विश्वविद्यालय	742.75	–
110.	बर्दवान विश्वविद्यालय	347.00	–
111.	कल्याणी विश्वविद्यालय	340.00	–
112.	नार्थ बंगाल विश्वविद्यालय	372.00	74.40
113.	रबीन्द्र भारती विश्वविद्यालय	405.00	200.43
114.	विद्यासागर विश्वविद्यालय	300.00	–
115.	बंगाल इंजीनियरिंग विश्वविद्यालय, हावड़ा	375.00	–
	छत्तीसगढ़		
116.	गुरु घासीदास विश्वविद्यालय	300.00	–
117.	इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय	225.00	148.00
118.	पं. रविशंकर शुक्ला विश्वविद्यालय	318.00	63.60

विवरण II

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्य/विश्वविद्यालय/संस्था	आवंटित अनुदान	जारी किये गये अनुदान (18.8.2006) 2006-07
1	2	3	4
	आंध्र प्रदेश		
1.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश एंड फारेन लेंग्वेजेज, हैदराबाद	475.00	–
2.	श्री सत्य साई इंस्टीट्यूट आफ हायर लर्निंग, प्रशांतिनिलयम	300.00	–
3.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरूपति	306.00	1.44
	दिल्ली		
4.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	633.00	53.96
5.	श्री एल.बी.एस. राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, नई दिल्ली	401.25	–
	इंडियन ला इंस्टीट्यूट, नई दिल्ली	300.00	–
	गुजरात		
6.	गुजरात विद्यापीठ, अहमदाबाद	333.00	–

1	2	3	4
	झारखंड		
7.	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालाजी, मेरसा	272.47	42.98
	महाराष्ट्र		
8.	डेक्कन कालेज पी.जी. एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	225.00	–
9.	गोखले इंस्टीट्यूट आफ पालिटिक्स एण्ड इकानामिक्स, पुणे	300.00	–
10.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंसेज, मुम्बई	687.50	40.00
11.	तिलक महाराष्ट्र विद्यापीठ, पुणे	232.50	–
12.	भारती विद्यापीठ, पुणे	21.50	–
	पंजाब		
13.	थापर इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नोलाजी, पटियाला	340.00	10.90
	राजस्थान		
14.	वनस्थली विद्यापीठ, वनस्थली	375.00	–
15.	बिरला इंस्टीट्यूट आफ टेक्नालोजी एण्ड साइंस, पिलानी	329.70	–
16.	जैन विश्वभारती इंस्टीट्यूट, लाडनू	125.00	–
17.	राजस्थान विद्यापीठ, उदयपुर	300.00	–
	तमिलनाडु		
18.	अविनाशीलिगम इंस्टीट्यूट फार होम साइंस एण्ड हायर एजुकेशन फार वूमेन, कोयम्बटूर	364.75	8.29
19.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम	464.35	–
20.	श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्व महाविद्यालय, कांचीपुरम	225.00	–
	उत्तर प्रदेश		
21.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ हायर तिब्बतन स्टडीज, सारनाथ, वाराणसी	150.00	–
21.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, आगरा	272.00	43.00
23.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार	297.00	–
	पश्चिम बंगाल		
24.	बंगाल इंजीनियरिंग कालेज, हावड़ा*	375-175=200	–
25.	आर.के.एम. विवेकानंद एजुकेशनल रिसर्च इंस्टीट्यूट, बेल्लूरमठ, हावड़ा*	200.00	–
	कुल	8080.02	202.57

*सितम्बर 2004 में राज्य विश्वविद्यालय के रूप में घोषित।

**भवन हेतु विशेष अनुदान के रूप में संस्वीकृत।

विवरण III

(रु. लाख में)

क्र.सं.	विश्वविद्यालय का नाम	अनुमोदित बजट अनुमान	प्रदत्त अनुदान (18.8.2006 तक) 2006-07
1.	सेंट्रल इंस्टीट्यूट आफ इंग्लिश एंड फारेन लेंग्वेजेज, ओ.यू. कैम्पस, हैदराबाद	1202.05	601.02
2.	राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, तिरुपति	465.52	232.76
3.	श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ, कटवारिया सराय, न्यू महरौली रोड, नई दिल्ली	663.75	331.88
4.	गुजरात विद्यापीठ, आश्रम रोड, अहमदाबाद	984.39	492.20
5.	टाटा इंस्टीट्यूट आफ सोशल साइंस, मुम्बई	940.67	470.33
6.	अविनाशीलिंगम इंस्टीट्यूट फार होम साइंस एंड हायर एजुकेशन फार वूमेन, कोयम्बटूर	1089.91	544.95
7.	गांधीग्राम रूरल इंस्टीट्यूट, गांधीग्राम, डिंडीगल	1094.13	547.06
8.	दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, दयालबाग, आगरा	565.70	282.85
9.	गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय, हरिद्वार निर्धारित अनुरक्षण अनुदान प्राप्त करने वाले विश्वविद्यालय	687.70	343.72
10.	जामिया हमदर्द, नई दिल्ली	400.00	200.00
11.	वनस्थली, विद्यापीठ, वनस्थली	300.00	150.00
12.	श्री चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती विश्वविद्यालय, एनाथुर, कांचीपुरम	7.00	3.50
	कुल	8400.57	4200.27

विवरण IV

(रु. लाख में)

विश्वविद्यालय का नाम	योजनेतर (अनुरक्षण) 2006-07		योजनागत (सामान्य विकास योजना)	
	आवंटित	जारी	10वीं योजना में आवंटन 2002-2007*	2006-07 जारी की गई
1	2	3	4	5
उत्तर प्रदेश				
अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय	20125.00	10062.50	4814.85	700.00
बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय	20528.00	10264.00	7896.20	1667.00
इलाहाबाद विश्वविद्यालय	4096.00	2048.00	4177.90	1334.00
बी.आर. अम्बेडकर विश्वविद्यालय	270.00	135.00	2246.44	434.00
असम				
असम विश्वविद्यालय	755.00	377.50	2300.00	234.00
तेजपुर विश्वविद्यालय	563.00	281.50	3550.00	734.00
दिल्ली				
दिल्ली विश्वविद्यालय	15077.00	7538.50	5911.50	1334.00
जामिया मिलिया इस्लामिया	5105.00	2552.00	5123.85	1000.00
जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	7058.00	3529.00	5912.50	1334.00
मेघालय				
पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय	4070.00	2035.00	4252.00	1000.00
मिजोरम				
मिजोरम विश्वविद्यालय	860.00	430.00	7600.00	667.00
महाराष्ट्र				
एम.जी.ए. हिंदी विश्वविद्यालय	254.00	127.00	3333.15	717.00
नागालैंड				
नागालैंड विश्वविद्यालय	1640.00	8.20	2600.00	334.00
आंध्र प्रदेश				
एम.ए.एन. उर्दू विश्वविद्यालय	295.00	147.50	3091.90	734.00
हैदराबाद विश्वविद्यालय	3990.00	1995.00	5375.00	1267.00

1	2	3	4	5
पांडिचेरी				
पांडिचेरी विश्वविद्यालय	1753.00	876.50	3575.00	667.00
पश्चिम बंगाल				
विश्व भारती विश्वविद्यालय	5299.00	2649.50	3800.00	834.00
मणिपुर				
मणिपुर विश्वविद्यालय	990.00	495.00	2818.88	834.00
कुल	92728.00	45551.70	78379.17	15825.00

इलाहाबाद विश्वविद्यालय और मणिपुर विश्वविद्यालय वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय विश्वविद्यालय बने थे।
*वर्ष 2006-07 के लिए अतिरिक्त आवंटन सहित।

[हिन्दी]

इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन

2904. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विज्ञापन के माध्यम से विदेशों में स्वदेशी वस्तुओं को प्रोत्साहन देने के लिए 1996 में गठित इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन (आईबीईएफ) अपने उद्देश्यों को प्राप्त करने में विफल रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) कृषि, डेयरी और अन्य उत्पादों की गुणवत्ता में अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुधार करने में कितनी सफलता हासिल हुई है; और

(घ) सरकार द्वारा इस धनराशि के सही उपयोग के लिए क्या नए कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउन्डेशन का गठन अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भारतीय उत्पादों और सेवाओं तथा भारतीय अर्थव्यवस्था की शक्ति प्रदर्शित करने के मुख्य उद्देश्य से वर्ष 1996 में किया गया था। आईबीईएफ वैश्विक रूप से सकारात्मक आर्थिक जानकारी देने के लिए भारत को आगे बढ़ाने, इसकी स्थिति कायम करने और इसे प्रदर्शित करने में सफल रहा है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) आईबीईएफ अभी तक भारत की समग्र ब्रांडिंग का संवर्धन कर रहा है। इसने हाल ही में क्षेत्र विशिष्ट संगठन अर्थात् हस्तशिल्प, चमड़ा आदि के साथ कार्य करना शुरू किया है।

(घ) आईबीईएफ को एक नया फोकस एवं व्यावसायिक प्रबंधन देने के लिए भारत सरकार ने सीआईआई के साथ एक करार किया था। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ ने अक्तूबर, 2002 में एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए थे और तब से आईबीईएफ के प्रबंधन दल द्वारा आईबीईएफ के उद्देश्यों को सुदृढ़ करने के लिए कई पहलें की गई हैं और पिछले चार वर्षों में अनेक समूह बनाये गए हैं और पहलें की गई हैं।

[अनुवाद]

लड़कियों की शिक्षा और साझा विद्यालय प्रणाली

2905. श्री कैलाश मेघवाल:
श्री कैलाश बैठा:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या "लड़कियों की शिक्षा और साझा विद्यालय प्रणाली" के संबंध में योजनाओं, प्रोत्साहन और लिंग भेद को कम करने और शिक्षा के सभी क्षेत्रों में निरंतर प्रक्रिया के तौर पर लड़कियों की भागीदारी और संख्या बनाए रखने के लिए किए गए विशेष उपायों की जांच करने हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड समिति (सीएबीई) का गठन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो समिति की प्रमुख सिफारिशें क्या हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार सरकारी और निजी विद्यालयों में प्रवेश में लड़कियों के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने का है जैसा कि सीएबीई द्वारा सिफारिश की गई है;

(घ) यदि हां, तो कार्यान्वित की जाने वाली अन्य सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर की गई अनुवर्ती कार्रवाई का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, हां।

(ख) "लड़कियों की शिक्षा और साझा विद्यालय प्रणाली" हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति ने अन्य सिफारिशों के साथ-साथ बालिकाओं की शिक्षा हेतु निम्नलिखित सिफारिशें की हैं:

* सभी स्कूलों में महिला अध्यापक तथा महिला अटेंडेंट होने चाहिए।
* प्रत्येक स्कूल में एक शिशु देखभाल केन्द्र होना चाहिए।
* विशेष रूप से लड़कों तथा पुरुष अध्यापकों में महिला-पुरुष के बीच संवेदनशीलता हेतु अधिक प्रयास।
* लक्ष्यों को सिर्फ नामांकन तथा बच्चों को स्कूल में बनाए रखने तक ही सीमित नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि तुलनात्मक सफलता तथा प्रदर्शन को भी आधार बनाया जाना चाहिए।
* सभी स्तरों पर बालिकाओं तथा बालकों हेतु पढ़ाई के लिए पाठ्यक्रम एक जैसा होना चाहिए तथा बालिकाओं हेतु आसान तथा 'नारी-सुलभ' विषयों से बचना चाहिए चूंकि यह बालकों तथा बालिकाओं हेतु समान बर्ताव के विपरीत है।
* बालिकाएं राज्यों द्वारा स्वीकारात्मक कार्रवाई के जरिए किए जाने वाले सकारात्मक भेद-भाव की हकदार हैं।
* बालिकाओं हेतु अंशकालिक स्कूली शिक्षा के स्थान पर नियमित स्कूलों में प्रवेश हेतु बालिकाओं के लिए 50 प्रतिशत आरक्षण लागू किया जाना चाहिए।
* अभिभावकों द्वारा बालिकाओं को रोजगार में लगाने पर रोक लगाई जानी चाहिए।
* शिशु देखभाल तथा शिक्षा कार्यक्रम को पूरी गम्भीरता से लागू किया जाना चाहिए।
* 18 वर्ष तक की आयु हेतु नि:शुल्क बालिका शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए।
* बालिका शिक्षा हेतु दिए जाने वाले प्रोत्साहनों को दुबारा तैयार किया जाना चाहिए।

(ग) से (ङ) सुझावों का क्रियान्वयन एक सतत् प्रक्रिया है। चूंकि शिक्षा समवर्ती सूची में है इसलिए 'लड़कियों की शिक्षा और साझा विद्यालय प्रणाली' हेतु केन्द्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड की समिति की रिपोर्ट को भी आवश्यक कार्रवाई हेतु राज्य सरकारों को भेज दिया गया है।

चाय कारखाने

2906. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चाय बोर्ड की असम और अन्य चाय उत्पादक राज्यों में लघु चाय उत्पादकों के लिए चाय कारखानों की स्थापना की योजना है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इन परियोजनाओं से पैदा होने वाली रोजगार क्षमताओं सहित इनके स्थान, लागत, क्षमता और अन्य ब्यौरे क्या हैं; और

(ग) इस संबंध में अभी तक क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं। प्रसंस्करण इकाइयां बागान मालिकों/उद्यमियों द्वारा स्वयं स्थापित की जाती हैं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आईआईटी, खड़गपुर का कैम्पस खोलना

2907. श्री तथागत सत्पथी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने उड़ीसा में आईआईटी, खड़गपुर का एक कैम्पस खोलने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए कितनी धनराशि व्यय होने की संभावना है; और

(घ) प्रस्तावित कैम्पस के कब तक शुरू होने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खड़गपुर का एक लघु परिसर पहले से ही भुवनेश्वर, उड़ीसा में संचालित किया जा रहा है। छात्रों की संख्या में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए, संस्थान परिसर के विस्तार की संभावनाओं का पता लगा रहा है। निधियन, विस्तार योजनाओं को अंतिम रूप दिए जाने पर निर्भर करेगा।

तम्बाकू के लिए विशेष आर्थिक जोन

2908. श्री सुबोध मोहिते: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार तम्बाकू के निर्यात के लिए देश में विशेष आर्थिक जोन/निर्यात उन्मुख इकाइयां स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार को ऐसे राज्यों की स्थापना के लिए बहुराष्ट्रीय कम्पनियों से प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) केन्द्र सरकार का किसी नए विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) अथवा 100% निर्यातोन्मुख इकाइयां (ईओयू) स्थापित करने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तम्बाकू के निर्यात हेतु किसी विशेष आर्थिक जोन (एसईजेड) अथवा 100% निर्यातोन्मुखी इकाइयां (ईओयू) स्थापित करने के लिए सरकार द्वारा कोई अनुमोदन प्रदान नहीं किया जा रहा है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राष्ट्रीय जूट बोर्ड

2909. श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई:
श्री फुरकान अनसारी:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार जूट उत्पादकों के हितों की रक्षा करने और जूट की मांग बढ़ाने के लिए व्यापक योजना तैयार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार राष्ट्रीय जूट बोर्ड स्थापित करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) उक्त बोर्ड को कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ङ) जी, हां। पटसन उत्पादकों के हितों के संरक्षण के लिए तथा पटसन की मांग बढ़ाने के लिए एक व्यापक योजना तैयार करने की दृष्टि से सरकार ने राष्ट्रीय पटसन नीति, 2005 की घोषणा की जिसमें एक राष्ट्रीय पटसन बोर्ड स्थापित करने का प्रस्ताव है। तदनुसार, एक राष्ट्रीय पटसन बोर्ड विधेयक, 2006 को लोक सभा में दिनांक 22.05.2006 को पेश किया गया था। इस विधेयक को जांच के लिए लोक सभा सचिवालय द्वारा श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को सौंप दिया गया है। समिति की सिफारिशें अभी प्राप्त नहीं हुई हैं। इसके बाद, इस विधेयक को संसद के दोनों सदनों द्वारा पास किया जाना है। उपरोक्त विधेयक के अधिनियम बनने के बाद तथा अधिनियम के लागू होने के तुरंत बाद पटसन बोर्ड की स्थापना होने की संभावना है।

तांबे के तार का आयात/निर्यात

2910. श्री हितेन बर्मन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान और चालू वर्ष के दौरान तांबे के तार की कितनी छड़ों का आयात किया गया और इससे देश-वार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित की गयी;

(ख) क्या अन्य देशों से ऐसी छड़ों के निर्यात पर 25 प्रतिशत सीमाशुल्क लगाया जाता है जबकि श्रीलंका से आयात पर केवल 2 प्रतिशत सीमा शुल्क लगाया जाता है; और

(ग) यदि हां, तो श्रीलंका से तांबे के तार की छड़ों के आयात पर अधिमान्य शुल्क लगाने के पीछे क्या तर्क है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) आयातित/निर्यातित तांबे के तार (आईटीसी एचएस कोड 7408) का मूल्य निम्नानुसार है:-

(मूल्य करोड़ रुपए में)

	2003-2004	2004-05	अप्रैल 2005-फरवरी, 2006 नवीनतम उपलब्ध
आयात	107.94	203.08	336.84
निर्यात	635.43	1065.19	1567.57

तांबे के तार के निर्यात तथा आयात का देश-वार ब्यौरा वाणिज्यिक आसूचना एवं सांख्यिकी महानिदेशालय द्वारा प्रकाशित "भारत के विदेश व्यापार की मासिक सांख्यिकी; खण्ड-1 (निर्यात) और खण्ड-2 (आयात) वार्षिक अंक" नामक प्रकाशनों में दिया गया है, जो संसद के पुस्तकालय में उपलब्ध हैं।

(ख) अन्य देशों से तांबे के तार के आयात पर लगाया जाने वाला सीमा शुल्क 7.5% है जबकि श्रीलंका से आयात पर कोई शुल्क नहीं लगाया जाता है। इसके अलावा, उत्पाद शुल्क के स्थान पर अतिरिक्त सीमा शुल्क और 4% अतिरिक्त सीमा शुल्क लगाया जाता है।

(ग) श्रीलंका से तांबे के तार के आयात की अनुमति अधिमानी शुल्क पर दी जाती है जो केवल भारत-श्रीलंका मुक्त व्यापार करार (आईएसएलएफटीए) के तहत निर्धारित उद्गम संबंधी नियमों की पूर्ति के अध्यधीन है, जिनमें यह निर्दिष्ट किया गया है कि घरेलू मूल्यवर्द्धन की अपेक्षा 35% होगी और यह कि वस्तु को टैरिफ वर्गीकरण की 4 अंकीय सुमेलीकृत प्रणाली में रूपान्तरित होना चाहिए।

सचल पुस्तक प्रदर्शनी

2911. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नेशनल बुक ट्रस्ट देश के विभिन्न भागों में सचल पुस्तक प्रदर्शनी आयोजित कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेषकर तमिलनाडु राज्य की भावी योजनाएं क्या हैं; और

(ग) सरकार ने विद्यार्थियों, युवक-युवतियों और अन्य देशवासियों की पढ़ने की आदत को प्रोत्साहित करने के लिए क्या कदम उठाये हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) वर्षवार कार्यक्रमों की कुल संख्या इस प्रकार है:-

(i) अप्रैल, 2003 से मार्च, 2004 तक - 1428 प्रदर्शनियां

(ii) अप्रैल, 2004 से मार्च, 2005 तक - 1595 प्रदर्शनियां

(iii) अप्रैल, 2005 से मार्च, 2006 तक - 2000 प्रदर्शनियां

भविष्य में न्यास द्वारा चल प्रदर्शनी कार्यक्रम को सुदृढ़ करने का प्रस्ताव है और इस उद्देश्यार्थ पांच अतिरिक्त प्रदर्शनी वाहन प्राप्त करने की कार्यवाही पहले से ही की जा रही है। इस कार्यक्रम को अधिक सुदृढ़ करने के लिए अगली योजना अवधि के दौरान और अधिक प्रदर्शनी वाहन प्राप्त करने का प्रस्ताव है।

तमिलनाडु राज्य के लिए भविष्य में तात्कालिक कार्यक्रम के भाग के रूप में दिनांक 1.1.2007 से 31.3.2007 तक एक कार्यक्रम की योजना पहले ही बना ली गई है।

(ग) राष्ट्रीय पुस्तक न्यास पूरे वर्ष सम्पूर्ण देश में चल पुस्तक परिक्रमा, राष्ट्रीय पुस्तक मेलों, क्षेत्रीय पुस्तक मेलों, पुस्तक प्रदर्शनियों, सेमिनारों, संगोष्ठियों, पुस्तक विमोचन समारोहों, बाल-कार्यक्रमों और लेखकों से मिलिए कार्यक्रमों के रूप में व्यापक पुस्तक संवर्धन कार्यक्रम संचालित करता है। इसके अतिरिक्त, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास का स्वयं का श्रृंखला प्रकाशन-बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नेहरू बाल पुस्तकालय, युवाओं के लिए युवा भारत पुस्तकालय, वन-साक्षरों के लिए विशेष श्रृंखला, भारत-देश और लोग, आसानी से समझ में आने वाली सूचना और सही, सरल तथा समृद्ध अध्ययन सामग्री प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय जीवनी और अन्य प्रकार की सामग्री किफायती मूल्य पर पुस्तकों के रूप में है। इसके साथ-साथ न्यास देश के अधिकांश व्यक्तियों को अपनी पुस्तकें सुलभ कराने का प्रयास करता है।

[हिन्दी]

सीमा विवाद के समाधान के लिए बैठक

2912. श्री हंसराज जी. अहीर: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक के बीच सीमा विवाद के समाधान के लिए दोनों राज्यों के संबंधित दलों के साथ हाल ही में कोई बैठक की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त बैठक के दौरान चर्चा के मुख्य बिन्दुओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इस मुद्दे को निपटाने के लिए कोई कदम उठाये हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता है।

(ग) और (घ) महाराष्ट्र, कर्नाटक और केरल के बीच सीमा विवाद सुलझाने की दृष्टि से, केन्द्र सरकार ने एक-सदस्यीय महाजन आयोग का गठन किया था, जिसने अगस्त 1967 में अपनी रिपोर्ट

प्रस्तुत की थी। महाराष्ट्र और कर्नाटक सरकारों ने महाजन आयोग की सिफारिशों पर विपरीत दृष्टिकोण अपनाया है। इस मामले में केन्द्र सरकार का सदैव यह दृष्टिकोण रहा है कि इस विवाद को केवल संबंधित राज्य सरकारों के सम्मत सहयोग से ही सुलझाया जा सकता है और यह कि केन्द्र सरकार, आपसी सहयोग और समझ-बूझ से विवाद का सौहार्दपूर्ण हल निकालने के लिए केवल एक मददगार के रूप में कार्य करती है। महाराष्ट्र सरकार ने वर्तमान में भारत के माननीय उच्चतम न्यायालय में एक मामला दायर किया है जो उच्चतम न्यायालय में लंबित है।

चावल का आयात

2913. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और वर्तमान वर्ष के दौरान वर्ष-वार कितने चावल का आयात किया गया और इस पर कितनी विदेशी मुद्रा खर्च की गयी;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान चावल के निर्यात की तुलना में इसके आयात में भारी वृद्धि हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार आयात कम करने के लिए क्या कदम उठा रही है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) चावल के आयात के देश-वार ब्यौरे निम्नानुसार हैं:-

(मात्रा टन में)
(मूल्य लाख रु. में)

	2003-04		2004-05		2005-06 (अन.)		अप्रैल, 06 (अन.) नवीनतम उपलब्ध	
	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य	मात्रा	मूल्य
बांग्लादेश जन. गण.	14	10.43			शून्य		शून्य	
इंडोनेशिया	32	14.23			शून्य		शून्य	
इटली	शून्य				3	0.13	3	2.45
जापान	0.4	0.69	शून्य		शून्य		शून्य	
कोरिया गणराज्य	शून्य				1	1.80	शून्य	
नेपाल	6	1.2			शून्य		शून्य	
अमरीका	2	0.56			19	1.04	शून्य	
कुल	54	27.11			23	2.97	3	2.45

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) उपर्युक्त की दृष्टि से प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लोहित और खबोलु पर पुल

2914. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौवीं योजना के दौरान कार्यान्वयन के लिए उत्तर-पूर्व परिषद की नौवीं योजना अवधि के अंतर्गत सर्वेक्षण और जांच के लिए आरंभ की गई योजनाओं की छटाई कर ली गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उत्तर पूर्व परिषद ने लोहित और खबोलु नदी पर पुलों और 'लखीमपुर, असम पशु चिकित्सा महाविद्यालय का सुदृढ़ीकरण' संबंधी डीपीआर की जांच कर ली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) पूर्वोत्तर परिषद की 11वीं योजना के प्रस्तावों और प्राथमिकताओं को अभी अंतिम रूप दिया जाना है। पूर्वोत्तर परिषद वर्तमान में सदस्य राज्यों के साथ 11वीं योजना चलाने के संबंध में विचार-विमर्श कर रही है।

(ग) और (घ) लोहित और खबोलू नदी के ऊपर पुलों के लिए डीपीआर अभी असम राज्य पीडब्ल्यूडी से प्रतीक्षित है। "लखीमपुर कालेज आफ वेटिरनरी साईंस, असम का सुदृढ़ीकरण" के संबंध में पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय को योजना एवं विकास विभाग, असम सरकार से डीपीआर प्राप्त हो चुकी है। पूर्वोत्तर परिषद सचिवालय में इसकी जांच पूरी नहीं हुई है।

मिडिल स्कूलों में सैकेंडरी स्कूलों में परिवर्तन

2915. श्री हरिकेवल प्रसाद: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गत दो वर्षों के दौरान राजस्थान में कुछ विद्यालयों को मिडिल स्कूलों से सैकेंडरी स्कूल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और केन्द्र सरकार ने उक्त उद्देश्य के लिए कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की है;

(ग) इन स्कूलों का स्तर बढ़ाने के क्या मानदंड निर्धारित किये गये हैं;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने कुछ राज्य सरकारों को अपने-अपने राज्यों में अपने विद्यालयों का स्तर बढ़ाने के निर्देश दिये हैं;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) उक्त उद्देश्य के लिए केन्द्रीय सहायता के रूप में कितनी धनराशि नियत की गयी?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) पिछले दो वर्षों के दौरान समुदाय और विद्यार्थियों की स्थानीय मांग के आधार पर राजस्थान में 917 विद्यालयों को अपर प्राथमिक से माध्यमिक स्तर तक स्तरोन्नत कर दिया गया है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठते।

आश्रम विद्यालयों का मूल्यांकन

2916. श्री किसनभाई वी. पटेल: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हाल के मूल्यांकन अध्ययन ने यह दिखा दिया है कि देश में आश्रम विद्यालय भवनों और बुनियादी सुविधाओं का उचित ढंग से रखरखाव/उपयोग नहीं किया जाता;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है;

(ग) दसवीं योजना परिव्यय का ब्यौरा क्या है और अब तक कितनी धनराशि खर्च की गई है; और

(घ) उक्त योजना अवधि के दौरान आज की तिथि तक विभिन्न राज्यों में कितनी जनजातियां लाभान्वित हुई हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) मार्च, 2006 में आश्रम विद्यालयों की स्थापना की योजना के मूल्यांकन हेतु इस मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किए गए अध्ययन की रिपोर्ट अभी प्राप्त नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) दसवीं योजना का परिव्यय एवं वहन किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:

(करोड़ रुपए)

योजना का नाम	दसवीं योजना का परिव्यय	अब तक व्यय
जनजातीय उपयोजना क्षेत्रों में आश्रम स्कूलों की स्थापना	78.30	30.04

(घ) दसवीं योजना अवधि के दौरान सृजित सीटों का राज्यवार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

क्र.सं.	राज्य का नाम	सृजित सीटों की संख्या
1.	आंध्र प्रदेश	3800
2.	गुजरात	4560
3.	मध्य प्रदेश	7000
4.	कर्नाटक	1875
	कुल	17235

आईआईटी, आईआईएम में आरक्षण

2917. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री एम. अंजनकुमार यादव:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव आईआईटी, आईआईएम और आईआईएफटी में अल्पसंख्यक समुदायों के लिए सीटें आरक्षित करने का है;

(ख) क्या अल्पसंख्यक शिक्षा पैनल ने सरकार से ऐसी नीति की सिफारिश की है;

(ग) इन सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या मंत्रालय की स्थायी समिति ने भी आईआईएम, आईआईटी और आईआईएफटी के लिए कोटा आरक्षण की सिफारिश की है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा अल्पसंख्यक समुदायों के लिए इस नीति को कार्यान्वित करने और सीटें आरक्षित करने के लिए क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (च) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शिक्षा मानीटरन समिति की स्थायी समिति ने अपनी आवधिक रिपोर्टों में अन्य के साथ-साथ सिफारिश की है कि-

"आई.आई.टी., आई.आई.एम./आई.आई.एफ.टी. आदि जैसी प्रतिष्ठित संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों की संख्या में गिरावट को देखते हुए इन संस्थाओं में अल्पसंख्यक समुदाय के छात्रों के दाखिले हेतु समुचित आरक्षण होना चाहिए।"

सरकार ने इस संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया है।

विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के अंतर्गत कृषि उत्पाद के रूप में कॉयर

2918. **श्री सुग्रीव सिंह:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कॉयर उत्पादों का उत्पादन करने वाले राज्यों से विश्व व्यापार संगठन समझौते के अंतर्गत कॉयर को एक कृषि उत्पाद के रूप में घोषित करने के लिए अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। सरकार को विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) के कृषि करार के दायरे में कायर को लाने के संबंध में केरल सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं। सरकार ने कृषि करार के उत्पाद कवरेज को युक्तिसंगत बनाने के लिए कायर जैसे उत्पादों को शामिल करने के लिए डब्ल्यूटीओ में अपने वार्ताकारी प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत कर दिए हैं। इस प्रकार वार्ताओं में अब तक सहमत तत्वों एवं सिद्धांतों के अनुरूप वार्ताओं के अंतिम परिणाम में भारत जैसे विकासशील देशों में खाद्य सुरक्षा, आजीविका सुरक्षा एवं कृषि उत्पादकों की ग्रामीण विकास संबंधी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा।

गैर-कृषि उत्पादों के बारे में बाजार पहुंच संबंधी वार्ताओं में भारत द्वारा वार्ता हेतु अपनाए गए दृष्टिकोण एवं कार्यनीति में समग्र गैर-कृषि उत्पादों से संबंधित संवेदनशीलताओं को विकसित देशों की वचनबद्धताओं की तुलना में विकासशील देशों की टैरिफ कमी संबंधी वचनबद्धताओं में विशिष्ट लोचशीलताओं एवं पूर्ण से कम पारस्परिकता जैसे उपायों के जरिए भी रेखांकित किया जाएगा।

विशेष आर्थिक जोनों के लिए प्रस्ताव स्वीकृत करने के मानदंड

2919. **श्री इकबाल अहमद सरडगी:**
श्री ज्योतिरादित्य माधवराव सिंधिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना करने के आवेदनों को स्वीकृति प्रदान करने के लिए क्या मानदंड अपनाए जाते हैं;

(ख) क्या विशेष आर्थिक जोन अधिनियम में शक्ति विकसित करने वाले (पावर डिवलेपर्स) को पूरी आजादी देने का उपबंध है ताकि उन्हें जगह आवंटित की जा सके अथवा बुनियादी अवसंरचना प्रदान की जा सके और इकाइयों के साथ हुई सहमति की शर्तों के आधार पर प्रयोक्ता प्रभार लगाया जा सके; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और विशेष आर्थिक जोनों की स्थापना उन परियोजनाओं के लिए कितनी सहायक सिद्ध हुई है जिनके लिए इन पर विचार किया गया था?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विशेष आर्थिक जोन की स्थापना हेतु प्रस्तावों की स्वीकृति के लिए एसईजेड अधिनियम/नियमावली में यथानिर्धारित न्यूनतम आधारभूत अपेक्षा में एसईजेड की विभिन्न श्रेणियों के लिए न्यूनतम भू-क्षेत्र तथा राज्य सरकार की अनुशंसा शामिल हैं।

(ख) और (ग) एसईजेड अधिनियम, 2005 और एसईजेड नियमावली, 2006 के उपबंधों तथा विकासकर्त्ता को प्रदत्त अनुमोदन पत्र के अधीन विकासकर्त्ता अनुमोदित इकाइयों को उसके द्वारा ऐसी इकाइयों के उद्यमियों के साथ किए गए करार के अनुसार स्थान या निर्मित क्षेत्र आवंटित कर सकता है या अवसंरचनात्मक सेवाएं उपलब्ध करा सकता है। एसईजेडों की स्थापना परियोजनाओं में मददगार रही है जिनमें लगभग 948 इकाइयां पहले से प्रचालनरत हैं और जिनसे लगभग 1.23 लाख लोगों को रोजगार मिल रहा है।

जामिया मिलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय बंद किया जाना

2920. श्री भर्तृहरि महताब: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जामिया मलिया इस्लामिया विश्वविद्यालय बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस विश्वविद्यालय में बार-बार विद्यार्थीगण की हड़तालें होती हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) सामान्य हालात बहाल करने और विश्वविद्यालय को पुन: खोलने और भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (ङ) जामिया मिलिया इस्लामिया द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार 18 जुलाई, 2006 को विश्वविद्यालय कैम्पस में हिंसा की कुछ घटनाएं हुई थी। सामान्य स्थिति बहाल करने के उद्देश्य से विश्वविद्यालय को अनिश्चितकाल के लिए बंद कर दिया गया था। विश्वविद्यालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय से सेवानिवृत्त न्यायाधीश माननीय (न्यायाधीश) श्री एस.के. अग्रवाल को इस मामले की छानबीन करने तथा एक विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए नियुक्त किया है। इसी बीच, दिनांक. 27 जुलाई, 2006 से विश्वविद्यालय को पुन: खोल दिया गया है।

यह कहना सही नहीं है कि विश्वविद्यालय में अक्सर छात्रों की हड़ताल होती रहती है। भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति रोकने और अपने छात्रों के दीर्घकालीन हितों की रक्षा करने के लिए विश्वविद्यालय अपने कैंपस से अवांछित तत्वों को बाहर करने के लिए प्रतिबद्ध है।

लक्षद्वीप विकास निगम

2921. डा. पी.पी. कोया: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र में कुल कितने विकास निगम हैं;

(ख) लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (एलडीसीएल) की स्थापना के लक्ष्य क्या हैं;

(ग) एलडीसीएल वर्तमान समय में कौन-कौन से कार्य-कलाप कर रहा है;

(घ) क्या सरकार का कोई प्रस्ताव अगले तीन वर्षों के लिए ऐसे निगम के कार्यकलापों में वृद्धि करने का है; और

(ङ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान एलडीसीएल को कुल कितना घाटा, लाभ हुआ?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) लक्षद्वीप में केवल एक निगम अर्थात् लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड (एलडीसीएल) है।

(ख) लक्षद्वीप विकास निगम लि. के उद्देश्य निम्नानुसार हैं:

(i) सभी प्रकार की मछलियों, सीपियों, मछली पकड़ने के लिए चारे, कैटल फिश, आक्टोपस, आयोटर, मोती और समुद्र की सेवार जैसे समुद्री उत्पादों और मूंगे और सामुद्रिक जंतु विशेष जो समुद्र और अन्य जलाशयों से उपलब्ध होते हैं, की कृत्रिम नस्ल का सर्वेक्षण करना, संभावना का पता लगाना और खोजना, विकास करना, विनिर्माण करना, परिरक्षण करना, पालन करना, थोक व्यापार और/या खुदरा व्यापार में लेन-देन को सुरक्षित रखना, संसाधित करना और परिवर्तित करना, खरीद, बिक्री, विपणन, आयात और निर्यात करना।

(ii) कृषि उत्पाद का प्रापण, विपणन, बिक्री, संरक्षण, विकास, आयात और निर्यात का कारोबार करना, नागरिक आपूर्ति आपरेशन, औद्योगिक कच्चे माल और तैयार औद्योगिक उत्पादों का कार्य करना।

(iii) यात्री और कार्गो, दोनों प्रकार के जहाजों को परिचालन करना तथा लक्षद्वीप प्रशासन और सरकारी तथा निजी निकायों के यात्री और कार्गो, दोनों प्रकार के जहाजों के परिचालन और रखरखाव के लिए एजेंटों के रूप में कार्य करने हेतु जहाजों का भी अधिग्रहण करना।

(ग) लक्षद्वीप विकास निगम लि. द्वारा हाल में की गई प्रमुख गतिविधियां नीचे दी गई हैं:-

(i) मिनिकाय में ट्रूना केनिंग फैक्टरी, कदमत में डेसिकेटिड कोकोनट पावडर यूनिट, एंड्राट में कोकोनट मिल्क प्लांट का परिचालन करना।

(ii) जिब्बाबंद ट्रूना, डेसिकेटिड कोकोनट पाउडर, कोकोनट मिल्क आदि जैसे एलडीसीएल उत्पादों का विपणन।

(iii) तीन यात्री और चार कार्गो पोत चलाना और रखरखाव करना।

(iv) फ्लीट प्रबंधन और नियंत्रण।

(v) मछली/समुद्री खाद्य पदार्थों का निर्यात और संबंधित मामले।

(vi) नाविक दल का प्रबंधन और संबंधित मामले।

(vii) मरम्मत करने के लिए इसे सौंपे गए जहाज।

(viii) प्रमुख शुष्क गोदी (ड्राइ डाक) और संबंधित मामले।

(ix) जहाजों फैक्ट्रियों के लिए सामग्री का प्रापण और प्रेषण।

(x) द्वीप समूहों तथा कोचीन, बेपुर और मंगलोर में मुख्य-भूमि के बंदरगाहों में स्थित सभी नियंत्रित मीनारों का प्रबंधन।

(घ) अगले तीन वर्षों में लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड की गतिविधियों का विस्तार करने के लिए इसके पास निम्नलिखित प्रस्ताव हैं:

(i) नए जहाजों, जिनका प्रापण लक्षद्वीप प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, के लिए निगम की संकल्पना से कमीशनिंग तक में सहायता करने हेतु परामर्शदाता विंग स्थापित करने की एक योजना है।

(ii) यह कोचीन बंदरगाह में लक्षद्वीप प्रशासन के लिए निर्मित किए जाने वाले समर्पित लंगरगाह से संबंधित मामलों में सक्रिय रूप से शामिल है।

(iii) निदेशक मंडल ने यह निर्णय भी लिया है कि मछली आधारित मूल्य संवर्धित उत्पादों के लिए मुख्य भूमि में संसाधन की सुविधायें हों और मुख्य भूमि में भंडारण और फ्रीजिंग की अतिरिक्त सुविधाओं का भी सृजन किया जाए ताकि फिशिंग डिविजन के निर्यात कार्य-निष्पादन में सुधार किया जा सके।

(iv) निगम की अगले 2 से 3 वर्षों में पर्यटन के क्षेत्रों में भी प्रवेश करने की योजना है।

(v) निगम की जहाज प्रबंधन, बेड़ा (फ्लीट) प्रबंधन के क्षेत्र में चहुंमुखी सेवायें प्रदान कर नौवहन सेवा उद्योग में प्रमुख संगठन होने और जहाज प्रबंधन के क्षेत्र में तकनीकी और इंजीनियरिंग सेवाओं में कार्यकुशलता का उच्च स्तर प्राप्त करने की योजनायें हैं।

(ङ) गत तीन वर्षों के दौरान लक्षद्वीप विकास निगम लिमिटेड का लाभ निम्नानुसार है:

	2005-06 (लाख रु. में)	2004-05 (लाख रु. में)	2003-04 (लाख रु. में)
लाभ (पी बी टी)	248.34 (अनंतिम)	156.78	136.41

बेघर बच्चों को शिक्षा

2922. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने कामगार बेघर बच्चों को अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से कोई योजना तैयार की है ताकि उन्हें शिक्षा की मुख्यधारा में लाया/वापिस लाया जा सके;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त योजना लागू हो गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त योजना की व्याप्ति तथा इससे अब तक प्राप्त की गई उपलब्धियों का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) से (घ) "देखभाल एवं संरक्षण के जरूरतमंद कामकाजी बच्चों के कल्याण की स्कीम" नामक स्कीम वित्तीय वर्ष 2004-05 से कार्यान्वित की जा रही है। इस स्कीम का उद्देश्य कामकाजी बच्चों का शिक्षा की मुख्यधारा में प्रवेश/पुनर्प्रवेश सुकर बनाने के लिए उन्हें अनौपचारिक शिक्षा और व्यावसायिक प्रशिक्षण आदि के अवसर प्रदान करना है।

उन क्षेत्रों को छोड़कर, जहां श्रम मंत्रालय की मौजूदा स्कीमें चलाई जा रही हैं, यह स्कीम पूरे देश के शहरी क्षेत्रों में कार्यान्वित की जा रही है। वर्ष 2004-05 से 2006-07 (आज तक) तक निर्मुक्त राशि तथा लाभार्थियों की संख्या इस प्रकार है:-

वर्ष	निर्मुक्त राशि (रुपये लाखों में)	लाभार्थियों की संख्या
2004-05	7.55	292
2005-06	111.92	1800
2006-07 (आज तक)	39.53	900

एन सी एम ई आई के सुझाव

2923. सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माध्यमिक कक्षाओं में प्रोन्नति हेतु छात्रों के अंग्रेजी तथा गणित विषयों में प्रदर्शन पर विचार किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों आयोग (एनसीएमईआई) ने अंग्रेजी तथा गणित विषयों को वैकल्पिक विषय बनाने का सुझाव दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा माध्यमिक कक्षाओं हेतु अधिनिर्धारित अध्ययन स्कीम के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा दो भाषा विषयों, जिनमें एक विषय अंग्रेजी अथवा हिन्दी हो, सहित पांच विषयों को चुनना अपेक्षित है। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा निर्धारित उत्तीर्णता शर्तों के अनुसार विद्यार्थियों द्वारा गणित तथा अंग्रेजी, यदि वे चुनते हैं, सहित सभी पांच विषयों में कम से कम 33 प्रतिशत अंक प्राप्त करना अपेक्षित होता है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[हिन्दी]

निर्यात केन्द्र

2924. श्री टेकलाल महतो: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा कृषि उत्पादों के निर्यात हेतु देश, विशेष रूप से झारखण्ड में निर्यातोन्मुखी केन्द्र स्थापित करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ख) पिछले तीन वर्षों तथा वर्तमान वर्ष के दौरान झारखण्ड में वे स्थान कौन से हैं जहां निर्यातोन्मुखी केन्द्रों का विकास किया गया है तथा उनकी क्षमता का ब्यौरा क्या है तथा उन पर कितना खर्च आया तथा उनके द्वारा कितना लाभ अर्जित किया गया?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विभिन्न कृषि वस्तुओं के निर्यात के संवर्धन हेतु बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध कराने की दृष्टि से देश में 60 कृषि निर्यात जोन (एईजेड) स्थापित किए गए हैं। सब्जियों के लिए एक एईजेड झारखंड में स्थापित किया जा रहा है।

(ख) झारखंड में सब्जियों के लिए उक्त एईजेड में रांची, हाजारीबाग और लोहारडागा जिले शामिल हैं। डीजीएफटी द्वारा यह एईजेड 15.01.2006 को अधिसूचित किया गया था और इस एईजेड में पांच वर्षों में 7.09 करोड़ रुपए के निवेश की परिकल्पना की गई है। एईजेड लाभ कमाने वाली या हानि उठाने वाली इकाइयों के रूप में कार्य नहीं करते हैं।

सीमावर्ती क्षेत्रों में संस्थाएं तथा पूजा स्थल

2925. श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन':
डा. चिन्ता मोहन:
श्रीमती कल्पना रमेश नरहिरे:
डा. एच.टी. संगलिआना:
श्री श्रीचन्द कृपलानी:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को भारत, पाकिस्तान, बांगलादेश तथा नेपाल के साथ सीमावर्ती क्षेत्रों में स्थापित पूजा स्थलों तथा शैक्षणिक संस्थानों के संबंध में कोई रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष स्थापित किए गए शैक्षणिक संस्थानों तथा पूजास्थलों की संख्या सहित ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन स्थलों से देश की आंतरिक सुरक्षा को किसी प्रकार के खतरे के संबंध में कोई सूचना प्राप्त हुई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनके विरुद्ध सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) और (ख) उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार, विगत तीन वर्षों के दौरान सीमावती क्षेत्रों में स्थापित शैक्षणिक संस्थानों और पूजा स्थलों की सही-सही संख्या बता पाना सम्भव नहीं है।

(ग) और (घ) उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर, इस सामान्य निष्कर्ष पर पहुंचना कठिन है कि ये संस्थान देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए गंभीर समस्या उत्पन्न करते हैं। देश के प्रतिकूल किसी भी प्रकार की गतिविधियों की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं पर उचित निगरानी की आवश्यकता से सरकार पूरी तरह अवगत है।

[अनुवाद]

वस्त्र पार्क

2926. श्री धनुषकोडी आर. अतिचन:
श्री एल. राजगोपाल:
श्री हरिश्चंद्र चव्हाण:
श्री दुष्यंत सिंह:

क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वस्त्र पार्कों के उद्देश्यों सहित इन पार्कों में प्रदान की जा रही सुविधाओं का ब्यौरा क्या है;

(ख) प्रत्येक राज्य में वस्त्र विनिर्माण इकाइयां स्थापित करने की राज्यवार अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या कितनी है; और

(ग) वस्त्र पार्कों को स्थापित करने पर सृजित होने वाले रोजगार अवसरों की राज्य वार संख्या कितनी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) सरकार ने वस्त्र उद्योग को उनके वस्त्र एककों की स्थापना के लिए विश्व श्रेणी की अवसंरचना सुविधाएं प्रदान करने के लिए 'एकीकृत वस्त्र पार्क योजना (एसआईटीपी)' शुरू की है। एकीकृत वस्त्र पार्क (आईटीपी) में सुविधाएं स्थापित किए जाने वाले एककों की आवश्यकता पर निर्भर है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ कैप्टिव विद्युत संयंत्र, बहिस्राव आशोधन, दूरसंचार लाइनों आदि तथा परीक्षण प्रयोगशाला, डिजायन केन्द्र, प्रशिक्षण केंद्र, व्यापार केंद्र/प्रदर्शन केंद्र, भंडारण सुविधा/कच्ची सामग्री आगार, शिशु सदन, कैंटीन, कामगारों का होस्टल, सेवा प्रदाताओं के कार्यालयों, श्रमिक विश्राम एवं मनोरंजन सुविधाओं सहित चार-दीवारी, सड़कों, नालियों, जलापूर्ति, विद्युत आपूर्ति जैसी सामान्य अवसंरचना शामिल है।

(ख) और (ग) प्रत्येक एकीकृत वस्त्र पार्क (आईटीपी) में विनिर्माण एककों और रोजगार अवसरों की संख्या परियोजना-वार अलग-अलग होती है। अब तक स्वीकृत 26 परियोजनाओं में विनिर्माण एककों की संख्या और अनुमानित रोजगार अवसरों का राज्य-वार ब्यौरा नीचे दिया गया है:-

राज्य	स्वीकृत परियोजना संख्या	विनिर्माण एककों की संख्या	अनुमानित रोजगार अवसर	
			प्रत्यक्ष	अप्रत्यक्ष
आंध्र प्रदेश	04	325	85,900	1,35,000
गुजरात	06	318	44,750	78,500
कर्नाटक	01	90	2,000	2,000
महाराष्ट्र	06	952	21,900	33,100
राजस्थान	02	122	7,000	17,000
तमिलनाडु	05	259	16,000	30,500
उत्तर प्रदेश	01	80	3,500	5,000
पश्चिम बंगाल	01	73	11,600	34,800

केन्द्रीय सतर्कता आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन

2927. श्री रघुनाथ झा:
श्री प्रभुनाथ सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय ने जून, 2006 में इस शर्त के साथ एक निविदा आमंत्रित की थी कि खरीद समिति को वार्ता के बाद एल-1 कंपनी की दर पर एक से अधिक कंपनियों को अनुबंध देने का अधिकार होगा;

(ख) यदि हां, तो क्या यह केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निर्देशों का उल्लंघन नहीं है क्योंकि उत्तर निविदा वार्ता एल-1 के अतिरिक्त और किसी से नहीं की जा सकती;

(ग) यदि हां, तो क्या मामले की जांच करने तथा ऐसी सभी निविदाओं को रद्द करने का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो मंत्रालय तथा उसके अंतर्गत संगठनों जिनमें दिल्ली पुलिस भी है द्वारा 1.8.2005 से लेखन सामग्री तथा अन्य सामान्य वस्तुओं की खरीद के लिए आमंत्रित निविदाओं का ब्यौरा क्या है तथा निविदाओं में क्या यह दर प्राप्त हुई थी अब तक अंतिम रूप दी जा चुकी निविदाओं का ब्यौरा क्या है तथा किन दरों पर वस्तुएं खरीदी गई; और

(ङ) दी गई निविदाओं का ब्यौरा मंत्रालय की वेबसाइट पर न डालने के क्या कारण हैं तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग के निदेशों के अनुसार इसे वेबसाइट पर डालने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी हां, श्रीमान।

(ख) और (ग) इस मामले में सीवीसी से सलाह मांगी गई है।

(घ) और (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी अपराधी

2928. श्री छत्तर सिंह दरबार: क्या गृह मंत्री पाकिस्तानी अपराधियों के बारे में 6 दिसम्बर, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1990 के उत्तर में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मांगी गयी सूचना एकत्र कर ली गयी है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो विलम्ब के क्या कारण हैं; और

(घ) इसे कब तक एकत्र किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) 2003 से 2005 (06.12.2005 तक) की अवधि के दौरान राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्र प्रशासनों से प्राप्त सूचना के अनुसार देश में विभिन्न प्रकार की अपराधिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए 150 पाक राष्ट्रिकों को गिरफ्तार किया गया है। उनके विरुद्ध शस्त्र अधिनियम/स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ (एनपीडीएस) अधिनियम/शासकीय गुप्त बात अधिनियम/सीमा शुल्क अधिनियम/विस्फोटक पदार्थ अधिनियम/विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) संशोधन अध्यादेश, 2004/भारतीय दंड संहिता/दण्ड प्रक्रिया संहिता, आदि जैसे विभिन्न अधिनियमों के उपबंधों के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं।

इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के दौरान, 15 भारतीय राष्ट्रिक, पाकिस्तानी अपराधियों को शरण देते हुए पाए गए हैं। इन भारतीय राष्ट्रिकों को भी गिरफ्तार किया गया है तथा उनके विरुद्ध उपरलिखित विभिन्न अधिनियमों के अंतर्गत मामले दर्ज किए गए हैं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते हैं।

[अनुवाद]

विद्युत करघा क्षेत्र को सहयोग

2929. श्री एल. राजगोपाल: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वर्ष 2010 तक 90 बिलियन मीटर कपड़ा उत्पादन प्राप्त करने के लिए वर्ष 2010 तक 90,000 शटल रहित विद्युत करघे स्थापित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) विद्युत करघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लक्ष्य प्राप्त करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) विद्युतकरघा क्षेत्र के आधुनिकीकरण के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) शुरू की है जिसके तहत बैंक ऋण पर 5% ब्याज सब्सिडी प्रस्तावित है। विकेंद्रीकृत विद्युतकरघा क्षेत्र को 5% ब्याज प्रतिपूर्ति के बदले 20% ऋण संबद्ध पूंजी सब्सिडी (सीएलसीएस) लेने का एक अतिरिक्त विकल्प दिया गया है। सरकार ने वस्त्र उत्पादन में उन्नत एवं नये डिजायनों के सृजन को सुकर बनाने के लिए कंप्यूटर साहायित डिजाइन केन्द्रों की भी स्थापना की है।

कपास संबंधी प्रौद्योगिकी मिशन

2930. **श्री सी.एस. सुजाता:**
श्री मोहन रावले:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को कपास प्रौद्योगिकी मिशन के कार्यान्वयन के संबंध में कोई शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए जा रहे हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

बन्दूकों का निर्माण

2931. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में राज्यवार बन्दूक निर्माण करने वाली निजी फैक्टरियों की संख्या कितनी है;

(ख) इन फैक्टरियों द्वारा बन्दूक निर्माण हेतु कोटा निर्धारण के मानदण्ड क्या हैं;

(ग) क्या इस प्रकार के कोटा निर्धारण में राज्य सरकार के मत भी प्राप्त किए जाते हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) देश में बंदूक निर्माण करने वाली 95 फैक्टरियां हैं और वे निम्नलिखित राज्यों में स्थित हैं:-

क्र.सं.	राज्य का नाम	फर्मों की संख्या
1.	बिहार	36
2.	हिमाचल प्रदेश	04
3.	जम्मू-कश्मीर	31
4.	कर्नाटक	02
5.	मध्य प्रदेश	06
6.	राजस्थान	12
7.	उत्तर प्रदेश	03
8.	उत्तरांचल	01

(ख) और (ग) भारत सरकार बंदूक निर्माण करने वाली फैक्टरियों के लिए कोटा निर्धारित नहीं करती है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना

2932. **श्री वी.के. ठुम्मर:**
श्री काशीराम राणा:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान सरकार द्वारा प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अंतर्गत आवेदनों की संख्या कितनी है;

(ख) स्वीकृत/अस्वीकृत तथा लंबित आवेदनों की संख्या क्या है;

(ग) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान स्वीकृत आवेदनों को प्रदान की गई निधियों का वर्ष-वार ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत निधियों के दुरूपयोग को रोकने हेतु मौजूदा प्रावधानों का ब्यौरा क्या है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) पिछले प्रत्येक तीन वर्षों के दौरान प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या, स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या तथा स्वीकृत

आवेदन-पत्र के लिए दी गयी धनराशि का वर्ष-वार ब्यौरा निम्नलिखितानुसार है-

वर्ष	प्राप्त आवेदन पत्रों की संख्या	स्वीकृत आवेदन-पत्रों की संख्या	स्वीकृत ऋण के ब्यौरे (करोड़ रु. में)
2003-04	867	884	1341
2004-05	986	986	2990
2005-06	1086	1078	6776

(घ) चूंकि यह योजना बैंकों और वित्तीय संस्थाओं के माध्यम से कार्यान्वित की जा रही है अत: उनका मौजूदा तंत्र स्वत: ही प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना (टीयूएफएस) के तहत निधियों का ध्यान रखता है। तथापि, इस योजना की समग्र मानिटरिंग के लिए निम्नलिखित द्विस्तरीय व्यवस्थाएं हैं-

* मंत्रालय स्तर पर सचिव (वस्त्र) की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालीय संचालन समिति (आईएमएससी)
* अधीनस्थ स्तर पर वस्त्र आयुक्त की अध्यक्षता में तकनीकी सलाहकार एवं मानिटरिंग समिति (टीएएमसी)।

[अनुवाद]

सम विश्वविद्यालय

2933. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने विश्वविद्यालयों को उनके द्वारा संचालित किए जा रहे पाठ्यक्रमों और उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेश लेने वाले छात्रों से संबंधित सूचना की मांग करते हुए पत्र लिखा था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2005 में यही प्रक्रिया अपनाई गई थी और 103 सम विश्वविद्यालयों को पत्र प्रेषित किए गए थे परंतु केवल लगभग 40 ने ही जवाब दिया;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने 26 मई, 2006 के अपने पत्र के तहत 'सम-विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित संस्थाओं से अनुरोध किया है कि वे पाठ्यक्रमवार अपनी प्रवेश क्षमता तथा शुल्क के संबंध में सूचना भेजें।

(ग) से (ङ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने दिनांक 19 अप्रैल, 2005 के अपने पत्र के तहत अन्य बातों के साथ-साथ उस समय मौजूद 'सम-विश्वविद्यालय' का दर्जा प्राप्त उन सभी संस्थाओं से पाठ्यक्रमवार प्रवेश क्षमता तथा उपलब्ध अवसंरचना आदि के संबंध में सूचना मांगी थी। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार केवल 36 सम-विश्वविद्यालयों का उत्तर प्राप्त हुआ है। एक स्वायत्त निकाय की हैसियत से विश्वविद्यालय अनुदान योग को सम-विश्वविद्यालय संस्थाओं में शिक्षा के मानकों के अनुरक्षण एवं समन्वय की पर्याप्त शक्तियां प्रदान की गई हैं।

विदेशी शैक्षणिक संस्थाएं

2934. श्री अजय चक्रवर्ती:
श्री सी.के. चन्द्रप्पन:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने देश में उच्च शिक्षा प्रदान करने हेतु विदेशी शैक्षणिक संस्थाओं को अनुमति देने के लिए विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) को प्रस्ताव दिया है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव का ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) सरकार ने 'विश्व व्यापार संगठन' के तत्वावधान में 'जनरल एग्रीमेंट आन ट्रेड इन सर्विसेज' हेतु बातचीत के लिए बनाए गए मंच के तहत उच्चतर शिक्षा के क्षेत्र में भारत के व्यापारिक सहयोगियों को पेशकश की है।

(ख) की गई पेशकश इस प्रकार हैं:-

शिक्षा सेवाएं	मार्केट तथा पहुंच की सीमाएं	राष्ट्रीय स्तर व्यवहार की सीमाएं
उच्चतर शिक्षा सेवाएं	(1) कोई नहीं, बशर्ते सेवा प्रदत्त ऐसे विनियमों के अधीन होंगे जो उनके मूल देश में स्थानीय प्रदाताओं पर लागू होते हैं।	(1) कोई नहीं
	(2) कोई नहीं	(1) कोई नहीं
	(3) कोई नहीं, बशर्ते कोई उपयुक्त प्राधिकरण लिए जाने वाले शुल्क को नियत कर सकता है और वह शुल्क 'प्रति व्यक्ति-शुल्क' के रूप में अथवा लाभ कमाने के लिए नहीं वसूल जाएगा। साथ ही, यह पहले से लागू, अथवा उपयुक्त विनियामक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित विनियमों के अधीन होगा। यदि कोई विदेशी निवेशक भारत में किसी विशिष्ट सेवा क्षेत्र में पहले से ही संयुक्त रूप से कार्य कर रहा है तो उसे एफ.आई.पी.बी. से अनुमति लेनी होगी।	(1) कोई नहीं
	(4) समानांतर वर्ग को छोड़कर, असीमित	(1) समानांतर वर्ग को छोड़कर, असीमित

सेवा आपूर्ति का माध्यम: (1) सीमापार आपूर्ति; (2) विदेशों में खपत; (3) व्यावसायिक उपस्थिति; (4) मूल्य व्यक्तियों की आवाजाही

बातचीत अभी किसी नतीजे पर नहीं पहुंची है। इन पेशकशों को बातचीत के अधीन कभी भी संशोधित किया अथवा वापस लिया जा सकता है।

सरकार पर्याप्त रक्षात्मक उपायों के बिना एक बहुपक्षीय व्यवस्था के तहत शिक्षा क्षेत्र को विदेशी भागीदारों के लिए खोल देने में किसी जल्दबाजी के पक्ष में नहीं है और न ही सरकार यह चाहती है कि अन्य क्षेत्रों में लाभ पाने के लिए शिक्षा क्षेत्र को सौदेबाजी के लिए इस्तेमाल किया जाए।

आर्थिक और सामाजिक प्रगति में तीव्र वृद्धि को बढ़ावा देने और उसे बनाए रखने के लिए मानव संसाधनों के विकास में शिक्षा क्षेत्र की भूमिका की आवश्यकता से अधिक आशा नहीं की जा सकती। सरकार का यह सुविचारित मत है कि सरकार को राष्ट्रीय हित के उपयुक्त समय में उपयोग हेतु शिक्षा क्षेत्र में सभी विकल्प खुले रखने चाहिएं।

गैर-प्रशुल्क अवरोध

2935. श्री बाडिगा रामकृष्णा:
श्री के.सी. पल्लानी शामी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने भारत और इसके पड़ोसी देशों के बीच व्यापार तथा प्रशुल्क अवरोधों के संबंध में कोई अध्ययन कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन देशों से विभिन्न वस्तुओं के आयात पर प्रशुल्क रियायत शुरू की है अथवा प्रशुल्क कम करने का विचार है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या विशेष रूप से प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में गैर-प्रशुल्क अवरोध भारत की निर्यात क्षमताओं पर विपरीत प्रभाव डाल रहा है;

(च) यदि हां, तो उन मुख्य व्यापार भागीदारों का ब्यौरा क्या है जो भारतीय निर्यात पर गैर-प्रशुल्क अवरोध लगा रहे हैं;

(छ) क्या चालू विश्व व्यापार संगठन की बातचीत में भारत ने इस मुद्दे को उठाया है; और

(ज) यदि हां, इस विषय पर अन्य विकासशील देशों का क्या विचार है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। वाणिज्य विभाग ने भारत द्वारा पड़ोसी देशों व अन्य व्यापारिक भागीदारों को किए गए अपने निर्यातों में आ रही गैर-टैरिफ बाधाओं (एनटीबी) पर अध्ययन कराया है। अध्ययन विभाग में वर्ष 2001 में "भारत के समक्ष गैर-टैरिफ बाधाएं एवं नीतिगत उपाय" संबंधी अध्ययन किया था। विभाग ने "पाकिस्तान के साथ भारत के व्यापार से संबंधित गैर-टैरिफ बाधाएं" विषय पर भारतीय अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संबंध अनुसंधान परिषद (आईसीआरआईईआर) द्वारा तथा "बहुक्षेत्रीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग (बिमस्टेक) देशों हेतु पहल" विषय पर इकानामिक लाज प्रैक्टिस (ईएलपी) द्वारा भी अध्ययन कराए हैं।

(ग) और (घ) विश्व व्यापार संगठन में व्यापार वार्ताओं के उरुग्वे दौर में भारत द्वारा की गई वचनबद्धताओं के एक भाग के रूप में भारत ने अपना भारित टैरिफ औसत 71.4% से घटाकर 32.4% कर दिया है। भारत मुक्त व्यापार करार, अधिमानी व्यापार करार तथा अन्य क्षेत्रीय व्यापार करार भी कर रहा है, जिनमें निम्नलिखित देशों/क्षेत्रों से टैरिफ रियायतों का आदान-प्रदान किया जाता है-

(1) मुक्त व्यापार क्षेत्रों की स्थापना अथवा आर्थिक सहयोग हेतु श्रीलंका, भूटान, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) के देशों, थाईलैण्ड, बिमस्टेक सदस्यों, दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के संगठन (आसियान) तथा खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के साथ एफटीए अथवा कार्यढांचा करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(2) मर्कोसुर देशों (अर्जेंटीना, ब्राजील, पैराग्वे एवं उरुग्वे), चिली तथा अफगानिस्तान के साथ पीटीए पर भी हस्ताक्षर किए गए हैं।

(3) भारत दो पीटीए का सदस्य है अर्थात वैश्विक व्यापार अधिमान प्रणाली (जीएसटीपी) एवं बैंकाक करार, जिसका नाम बदलकर एशिया प्रशांत व्यापार करार (एपीटीए) रखा गया है।

(4) सिंगापुर के साथ एक व्यापक आर्थिक सहयोग करार (सीईसीए) पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

इन एफटीए/पीटीए तथा अन्य क्षेत्रीय व्यापार व्यवस्थाओं के तहत टैरिफ संबंधी कमियां एवं समाप्तियां उत्पाद दर उत्पाद भिन्न-भिन्न होती हैं और रियायतें 0-100 प्रतिशत के बीच होती हैं। प्रत्येक एफटीए में सामान्यत: एक नकारात्मक सूची होती है जिस पर टैरिफ में किसी कमी की पेशकश नहीं की जाती है और एक चरणबद्ध टैरिफ कटौती कार्यक्रम होता है, जिसमें सहमत समयावधि के दौरान टैरिफों में कमी की जाती है।

(ङ) और (च) खास तौर से प्रसंस्कृत खाद्य क्षेत्र में गैर टैरिफ बाधाओं से भारत का निर्यात प्रभावित हुआ है। भारतीय निर्यातकों ने आस्ट्रेलिया, कनाडा, चीन, यूरोपीय समुदायों, इंडोनेशिया, ईरान, जापान, न्यूजीलैंड, फिलिपीन्स, रूस, श्रीलंका तथा अमरीका को निर्यात में गैर-टैरिफ बाधाओं का सामना किया है।

(छ) और (ज) जी हां। भारत सहित अनेक विकासशील देशों ने एनबीटी का उल्लेख उनके लिए पर्याप्त हितों के मुद्दे के रूप में किया है और एनटीबी को हटाए जाने सहित उनके लिए समुचित निदान की मांग की है। विकासशील देशों के नामा-11 समूह (अर्जेंटीना, ब्राजील, मिस्र, भारत, इण्डोनेशिया, नामीबिया, फिलिपिन्स, दक्षिण अफ्रीका, ट्यूनीशिया तथा वेनेजुएला) ने एक पत्र तैयार करके प्रस्तुत किया है जिसमें एनटीबी समाधान तंत्र की स्थापना का प्रस्ताव किया गया है।

लघु उद्योग विकास संस्थान

2936. श्री लक्ष्मण सिंह: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लघु क्षेत्र के उद्यमियों को सहायता देने के उद्देश्य से सरकार का लघु उद्योग सेवा संस्थान (एसआईएसआई) की संख्या में वृद्धि करने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्योरा क्या है; और

(ग) पिछले दो वर्षों के दौरान इन एसआईएसआई में स्थापित प्रौद्योगिकी संस्थान केन्द्रों की संख्या कितनी रही है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

निर्यातोन्मुखी क्षेत्र

2937. श्री जी. करूणाकर रेड्डी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश के पिछड़े जिलों में निर्यातोन्मुखी क्षेत्र स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(ग) इन क्षेत्रों की स्थापना के लिए पिछड़े जिलों के चयन हेतु मानदंड क्या हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

एनटीसी द्वारा अर्जित लाभ

2938. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी:
श्री सुबोध मोहिते:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 तथा चालू वर्ष की प्रथम तिमाही के दौरान प्रत्येक वस्त्र मिल को राज्यवार कितना लाभ/घाटा हुआ है;

(ख) घाटे में चल रही मिलों को लाभ में चलाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) वस्त्र मिलों को पुन: चालू करने के लिए सार्टलिस्टेड सलाहकारों के विचारार्थ विषय क्या हैं; और

(घ) सलाहकारों द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपे जाने की संभावना है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) चल रही 40 एनटीसी मिलों का अर्जित लाभ/उन्हें हुए घाटे का राज्य-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में है।

(ख) औद्योगिक एवं वित्तीय पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा अनुमोदित संशोधित पुनर्वासन योजना के अनुसार एनटीसी नई मशीनों की खरीद का आदेश देकर खुद ही 22 मिलों का आधुनिकीकरण करने की प्रक्रिया में है। बीआईएफआर के निर्देशों के अनुसार निजी भागीदारों के साथ संयुक्त उद्यम के माध्यम से 29 मिलों का आधुनिकीकरण करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) सलाहकारों को निजी भागीदारों के साथ भागीदारी में आने के लिए 29 मिलों का पुनरुद्धार के लिए उपयुक्त माडल बनाना है। सलाहकारों को रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के लिए विज्ञापन सहित सभी प्रपत्र भी तैयार करने होंगे और वे प्राप्त उत्तरों का मूल्यांकन करेंगे।

(घ) सलाहकारों के आगे की कार्रवाई के लिए तीन माह के भीतर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करने की संभावना है तथा इस परियोजना के संविदा की तारीख से एक वर्ष के भीतर पूरा होने की संभावना है।

विवरण

वर्ष 2005-06 एवं प्रथम तिमाही (2006-07) के दौरान प्रत्येक एनटीसी वस्त्र मिलों द्वारा अर्जित लाभ/उठाए गए घाटे

(लाख रु. में)

क्र.सं.	राज्य/कार्य कर रही मिल का नाम	लाभ/(घाटा) 2005-06	लाभ/(घाटा) 2006-07 (प्रथम तिमाही)	नकद लाभ 2006-07 (प्रथम तिमाही)
1	2	3	4	5
	राजस्थान			
1.	महालक्ष्मी कॉटन मिल्स	(1426.32)	(316.61)	
	मध्य प्रदेश			
2.	बुरहानपुर ताप्ती मिल्स	(847.05)	(214.31)	
3.	न्यू भोपाल टेक्सटाइल्स मिल्स	(1032.28)	(304.60)	
	उत्तर प्रदेश			
4.	स्वदेशी कॉटन मिल्स, मऊ	(187.54)	(21.68)	
	आंध्र प्रदेश			
5.	तिरूपति स्पि. मिल्स	(287.74)	(75.20)	
	कर्नाटक			
6.	मिनर्वा मिल्स	(4079.32)	(561.14)	
	केरल			
7.	पार्वती मिल्स	(1373.73)	(279.90)	
8.	अलगप्पा मिल्स	(477.35)	(31.93)	71.14
9.	कन्नानोर स्पि. व विविंग मिल्स, कन्नानोर	(269.29)	3.55	10.63
10.	केरल लक्ष्मी मिल्स	(456.06)	(28.48)	18.63
11.	विजय मोहिनी मिल्स	(458.10)	(18.47)	30.74
	पांडिचेरी			
12.	कन्नानोर स्पि. व विविंग मिल्स, माहे	(393.51)	(67.91)	
	महाराष्ट्र			
13.	बारसी टेक्सटाइल मिल्स	(160.42)	(22.65)	1.82

1	2	3	4	5
14.	न्यू सिटी ऑफ बाम्बे मैन्यू. मिल	(2471.71)	(456.71)	
15.	औरंगाबाद टेक्सटाइल मिल्स	(457.10)	(102.35)	
16.	चालीसगांव टेक्सटाइल मिल्स	(973.19)	(216.34)	
17.	अपोलो टेक्सटाइल मिल्स	(934.80)	(218.11)	
18.	फिनले मिल्स	(3513.46)	(542.30)	
19.	गोल्ड मोहर मिल्स	(2405.83)	(422.18)	
20.	धूले टेक्सटाइल मिल्स	(996.90)	(265.17)	
21.	नांदेड टेक्सटाइल मिल्स	(1210.62)	(264.06)	
22.	टाटा मिल्स	(3006.58)	(712.04)	
23.	पोद्दार मिल्स	(2282.08)	(448.24)	
24.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 1	(3178.42)	(877.75)	
25.	इंडिया यूनाइटेड मिल्स सं. 5	(1898.60)	(430.24)	
26.	आरबीबीए स्पि. व विविंग मिल्स	(1254.42)	299.30)	
27.	सावतरम मिल्स	(717.84)	(170.71)	
	तमिलनाडु			
28.	कम्बोडिया मिल्स	(241.02)	(37.61)	23.89
29.	श्री रंगाविलास जिनिंग, स्पि. व विविंग मिल्स	(223.02)	(37.36)	26.14
30.	पंकजा मिल्स	(241.18)	(47.84)	22.33
31.	पायनियर स्पिनर्स	(120.63)	(13.33)	15.07
32.	कालिश्वर 'बी'	(68.99)	(29.96)	27.07
33.	कोयम्बटूर मरूगन मिल्स	(177.98)	(57.30)	
34.	कोयम्बटूर स्पि. व विविंग मिल्स	(969.68)	(214.38)	
35.	श्री शारदा मिल्स	(632.40)	(6120.86)	5.14
	असम			
36.	एसोसिएट्स इंडस्ट्रीज	(224.38)	(183.23)	
	उड़ीसा			
37.	उड़ीसा काटन मिल्स	(424.22)	(266.95)	
	पश्चिम बंगाल			
38.	आरती काटन मिल्स	(845.71)	(278.02)	
39.	लक्ष्मीनारायण काटन मिल्स	(1287.60)	(359.52)	
40.	सोदंपुर काटन मिल्स	(738.64)	(408.56)	

सम विश्वविद्यालय द्वारा नए पाठ्यक्रमों को स्वीकृति

2939. श्रीमती अर्चना नायक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सम विश्वविद्यालय विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की स्वीकृति के बिना नए पाठ्यक्रम शुरू कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो ऐसे दोषी विश्वविद्यालयों का ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गयी है;

(ग) क्या सरकार का प्रत्येक पाठ्यक्रम में विद्यार्थियों की संख्या के ऊपर नियंत्रण नहीं है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) से (घ) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अनुसार 'सम-विश्वविद्यालय' के रूप में घोषित संस्थाएं, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तथा मानविकी विषयों में सामान्य पाठ्यक्रम प्रदान करने के प्रयोजनार्थ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग अधिनियम, 1956 की धारा 2(च) के तहत परिभाषित राज्य विश्वविद्यालयों तथा केंद्रीय विश्वविद्यालयों के समकक्ष हैं अतएव ऐसे सामान्य पाठ्यक्रम आरंभ करने के लिए आयोग का पूर्व-अनुमोदन अपेक्षित नहीं हैं। दिनांक 5 अप्रैल, 2006 की सरकार की अधिसूचना में स्पष्ट किया गया है कि व्यावसायिक/तकनीकी पाठ्यक्रमों के मामले में सम-विश्वविद्यालयों के लिए अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद का पूर्व-अनुमोदन आवश्यक नहीं है। तथापि, उनका दायित्व है कि व्यावसायिक शिक्षा में संगत सांविधिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित न्यूनतम स्तरों को वे बनाए रखें। इसके अतिरिक्त अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग संगत नियमों तथा विनियमों के अंतर्गत प्रावधानों के अनुसार सम-विश्वविद्यालयों का निरीक्षण कर सकते हैं तथा निरीक्षण दल की रिपोर्ट के आधार पर, आवश्यक होने पर, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग आवश्यक कार्रवाई कर सकता है।

[हिन्दी]

बाल भवन का निर्माण

2940. श्री छजेश पाठक: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास देश में, विशेषकर पिछड़े और ग्रामीण क्षेत्रों में बाल भवनों के निर्माण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) देश के विभिन्न राज्यों में आज की तिथि के अनुसार स्थानवार कितने बाल भवन बनाये गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) सरकार द्वारा ऐसी किसी योजना को अंतिम रूप नहीं दिया गया है।

(ग) देश में राज्य बाल भवनों की क्षेत्र-वार संख्या दर्शाने वाला ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

विवरण

राज्य बाल भवनों की क्षेत्र-वार संख्या

राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम			बाल भवनों की संख्या
1			2
उत्तरी क्षेत्र			
	1.	हरियाणा	10
	2.	जम्मू-कश्मीर	2
	3.	पंजाब	2
	4.	दिल्ली	1
	5.	उत्तरांचल	1
	6.	चंडीगढ़	1
केंद्रीय क्षेत्र			
	1.	मध्य प्रदेश	2
	2.	उत्तर प्रदेश	6
पूर्वी क्षेत्र			
	1.	उड़ीसा	3
	2.	पश्चिम बंगाल	2
	3.	मणिपुर	1
	4.	असम	1
पश्चिमी क्षेत्र			
	1.	गुजरात	5

1		2
2.	गोवा	1
3.	महाराष्ट्र	5
4.	दादरा और नगर हवेली	1
5.	दमन और दीव	2
6.	राजस्थान	1
दक्षिणी क्षेत्र		
1.	तमिलनाडु	7
2.	आंध्र प्रदेश	5
3.	केरल	7
4.	कर्नाटक	5
5.	पांडिचेरी	1

[अनुवाद]

राजभाषा आयोग

2941. श्री बी. विनोद कुमार: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने किसी भी भाषा को राजभाषा के रूप में घोषित किए जाने से संबंधित मुद्दे की जांच के लिए आयोग गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो ऐसी रिपोर्ट के कब तक सौंपे जाने की सम्भावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) सरकार ने अन्य बातों के साथ-साथ, संविधान की आठवीं अनुसूची में शामिल भाषाओं को राजभाषा घोषित किए जाने संबंधी मांग पर विचार करने के लिए श्री श्रीताकांत महापात्र की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी।

(ख) समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

(ग) समिति ने अपनी रिपोर्ट जून, 2004 में सरकार को प्रस्तुत कर दी है।

(घ) उपर्युक्त 'ख' के उत्तर के आलोक में प्रश्न नहीं उठता।

इंडियन इंस्टिट्यूट आफ हैंडलूम टेक्नालाजी

2942. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण कार्यक्रम के उन्नयन हेतु इंडियन इंस्टिट्यूट आफ हैंडलूम टेक्नालाजी की स्थापना की है और उसमें छात्रों का राज्यवार कोटा क्या है;

(ख) क्या सरकार प्रत्येक आई.आई.एच.टी. में हर शैक्षणिक वर्ष के लिए इन छात्रों को छात्रावास सुविधा मुहैया करा रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या छात्रावासों में जगह के बावजूद आई.आई.एच.टी. में प्रवेश प्राप्त छात्र अत्यधिक ऊंचे किराए वाले मकानों में रह रहे हैं;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(च) सरकार का विचार आई.आई.एच.टी. में अध्ययनरत छात्रों के कल्याण हेतु छात्रावास क्षमता का उपयोग करने का है; और

(छ) प्रत्येक आई.आई.एच.टी. में कितना कोटा आरक्षित है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) इस समय 4 भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईएचटी) वाराणसी, सेलम, गुवाहाटी एवं जोधपुर में तकनीकी योग्य मानवशक्ति, मुख्यतया हथकरघा क्षेत्र की प्राथमिक जरूरत को पूरा करने के उद्देश्य से कार्य कर रहे हैं। ये भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान कुल 225 विद्यार्थियों (सेलम-75, वाराणसी-60, गुवाहाटी-45 एवं जोधपुर-45) के लिए हथकरघा प्रौद्योगिकी में 3-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। इसके अलावा, भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान सेलम एवं वाराणसी भी 28 विद्यार्थियों के लिए वस्त्र रसायन में 1-वर्षीय डिप्लोमा पाठ्यक्रम आयोजित कर रहे हैं। प्रत्येक संस्थान का अपना अधिकार क्षेत्र है और उनके अधिकार क्षेत्र में आने वाले संबंधित राज्यों के लिए प्रत्येक संस्थानों को सीट का कोटा आबंटित किया गया है। इन प्रत्येक संस्थानों द्वारा शामिल राज्यों एवं हथकरघा प्रौद्योगिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में राज्यों की भागीदारी के लिए आबंटित सीटों की संख्या के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ख) हां, हास्टल सुविधा अधिकांश विद्यार्थियों को उपलब्ध करवाई जाती है जो उसे चुनते हैं।

(ग)	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर में 94 विद्यार्थियों की क्षमता वाला एक बाल हास्टल है। वर्तमान में बालक हास्टल में 88 विद्यार्थी रह रहे हैं और 8 विद्यार्थी प्रथम वर्ष में शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिए गये हैं। कुल 12 बालिकाएं बालिका हास्टल में रह रही हैं।
	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी में 92 विद्यार्थियों की क्षमता वाला एक बालक हास्टल तथा 30 विद्यार्थियों वाला एक बालिका हास्टल है। इस समय 66 विद्यार्थी बालक हास्टल में रह रहे हैं और 8 विद्यार्थी प्रथम वर्ष में शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिए गये हैं। कुल 16 लड़कियां बालिका हास्टल में रह रही हैं।
	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेलम	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेलम में 160 विद्यार्थियों की क्षमता वाले दो बालक हास्टल हैं तथा 32 विद्यार्थियों वाला बालिका हास्टल है। इस समय 151 विद्यार्थी बालक हास्टल में रह रहे हैं और 32 लड़कियां बालिका हास्टल में रह रही हैं।
	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी में 146 विद्यार्थियों की क्षमता वाले दो बालक हास्टल हैं और 30 विद्यार्थियों वाला बालिका हास्टल है। इस समय 129 विद्यार्थी बालक हास्टल में रहे है तथा 22 विद्यार्थी प्रथम वर्ष में शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिए गये हैं। कुल 27 लड़कियां बालिका हास्टल में रह रही हैं और 3 विद्यार्थी प्रथम वर्ष में शामिल करने के लिए स्वीकार कर लिए गये हैं।

(घ) हां, कुछ विद्यार्थी विभिन्न कारणों से संस्थान से बाहर रहे हैं जैसा कि (ङ) में दर्शाया गया है परंतु वे हास्टल की सुविधा की अनुपलब्धता के कारण संस्थान से बाहर नहीं रह रहे हैं। तथापि, इन संस्थानों को उनके द्वारा दिए जा रहे किराए के बारे में सूचना नहीं है।

(ङ) कुछ विद्यार्थी या तो अपनी इच्छा से बाहर रह रहे हैं या कुछ हास्टल में अनुशासन एवं मर्यादा कायम रखने में अनुशासन हीनता/अनैतिक गतिविधियों में संलिप्त पाए गए हैं।

(च) संस्थान में हास्टल पूर्ण क्षमता से कार्य कर रहे हैं।

(छ) हथकरघा प्रौद्योगिकी डिप्लोमा पाठ्यक्रम में सीटों का आरक्षण संबंधित राज्य सरकारों में उनकी आरक्षण नीति के अनुसार है। वस्त्र रसायन में पोस्ट डिप्लोमा पाठ्यक्रम के लिए सीट का आरक्षण अनुसूचित जाति के लिए 15% तथा अनुसूचित जनजाति के लिए 7.5% है जबकि शेष सीटें सामान्य वर्ग के अभ्यर्थियों से भरी जाती हैं।

विवरण

भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थानों में विभिन्न राज्यों को सीटों के आबंटन का ब्यौरा

क्र.सं.	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान का नाम	शामिल राज्य	सीटों की संख्या
1	2	3	4
1.	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, वाराणसी	उत्तर प्रदेश	18
		उत्तरांचल	2

1	2	3	4
		बिहार	4
		झारखंड	3
		उड़ीसा	8
		पश्चिम बंगाल	10
		हिमाचल प्रदेश	3
		जम्मू-कश्मीर	4
		महाराष्ट्र	8
		कुल	60
2.	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, सेलम	आंध्र प्रदेश	15
		कर्नाटक	15
		केरल	15
		पांडिचेरी	3
		तमिलनाडु	26
		गोवा	1
		कुल	75
3.	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, गुवाहाटी	असम	14
		मणिपुर	10
		त्रिपुरा	8
		मेघालय	2
		मिजोरम	2
		नागालैंड	4
		अरुणाचल प्रदेश	3
		सिक्किम	2
		कुल	45
4.	भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान, जोधपुर	राजस्थान	14
		मध्य प्रदेश	9
		छत्तीसगढ़	4
		दिल्ली	6
		पंजाब	2
		हरियाणा	4
		गुजरात	6
		कुल	45
		कुल योग	225 सीट

एन.टी.सी. की पुनरुद्धार योजना

2943. श्री पी. राजेन्द्रन: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पार्वती मिल केरल द्वारा मिल के पुन: चालू करने के संबंध में कोई ज्ञापन दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर क्या कार्रवाई की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

आईटीपीओ की भूमि पर अनधिकृत निर्माण

2944. डा. टोकचोम मैन्या: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रगति मैदान में आईटीपीओ की भूमि पर से सभी खाद्य और पेय इकाइयों के अनधिकृत निर्माण हटा दिए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे सभी अवैध निर्माणों को कब तक हटाए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) अनधिकृत निर्माण के ब्यौरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं। इस चरण पर अनधिकृत निर्माण को हटाने के लिए कोई अंतिम सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती क्योंकि कई लाइसेंसधारकों द्वारा अनधिकृत निर्माण से संबंधित मामला निर्णयाधीन है।

विवरण

क्र.सं.	लाइसेंसधारक का नाम	करार के अनुसार	अक्टूबर, 2005 और मार्च, 2006 में विद्यमानता के अनुसार	अक्टूबर, 2005 और मार्च, 2006 में परिवर्तन (ग-घ)
1	2	3	4	5
1.	पैलेस रेस्टो (के-4)	186.00	298.00	112.00
2.	तृप्ति (के-6)*	92.90	99.71	6.81 (भूतल) 7.28 (टैरेस)
3.	हिन्दुस्तान कोका कोला (के-7) (भारतीयम)	92.00 155.00	92.00 275.00	29 (भूतल) 91 (भूतल-अर्द्ध स्थायी)
4.	मदर डेयरी (के-8 एवं 9)	216.00	231.00	15.00
5.	प्रकृति रेस्टोरेंट (गुलाटी रेस्टोरेंट) तंदू. जंक्स. (के-11)	148.6	354.68	205.84
6.	पेप्सी (के-13)**	91.85	–	–
7.	गुलाटी कैटरर्स (आदर सत्कार)	226.59	411.00	184.41 (भूतल) 186.44 (टैरेस)

1	2	3	4	5
8.	फूड प्लाजा रेस्टो. (फुलवारी)	992.82	1537.00	544.18
9.	सिंगला कुशन (ओकेजन)	230.00	230.00	–
10.	भयाना टेंट्स (वाटिका रेस्टो.)	659.00	871.00	212.00

परिवर्तन के मामलों की कुल संख्या - 8

*दिनांक 12.8.2006 को लाइसेंस की अवधि समाप्त
**लाइसेंसधारक ने 18.5.2006 को परिसर को खाली कर दिया है।

[हिन्दी]

शिशु-गृहों की स्थापना के लिए प्रस्ताव

2945. श्री चन्द्रभान सिंह: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मध्य प्रदेश राज्य सरकार द्वारा राष्ट्रीय शिशु-गृह कोष के अंतर्गत राज्य में शिशु-गृहों की स्थापना के लिए भेजे गए प्रस्ताव सरकार के पास विचाराधीन हैं;

(ख) यदि हां, तो उक्त प्रस्तावों के लिए धनराशि कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है और विलंब के क्या कारण हैं;

(ग) महिला और बाल विकास योजनाएं/कार्यक्रम के कितने और कौन-कौन से प्रस्ताव सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) कितने प्रस्ताव स्वीकृत किए गए हैं; और

(ङ) सभी प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किए जाने की संभावना है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेणुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) सूचना संलग्न विवरण में दी गयी है।

(ङ) प्रस्ताव विचाराधीन हैं।

विवरण

क्र.सं.	स्कीम/कार्यक्रम का नाम	मध्य प्रदेश से प्राप्त प्रस्ताव	स्वीकृत प्रस्ताव	विचाराधीन प्रस्ताव
1.	कामकाजी महिला होस्टल	शून्य	शून्य	शून्य
2.	अल्पावास गृह	शून्य	शून्य	शून्य
3.	प्रशिक्षण, रोजगार एवं कार्यक्रम हेतु सहायता	11	शून्य	11
4.	स्वावलंबन	शून्य	शून्य	शून्य
5.	राजीव गांधी राष्ट्रीय शिशु गृह स्कीम	894 शिशु गृह	822	72
6.	स्वाधार	शून्य	शून्य	शून्य
7.	व्यावसायिक यौन शोषण हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण हेतु प्रायोगिक परियोजना	शून्य	शून्य	शून्य
8.	किशोर न्याय हेतु कार्यक्रम	26	26	शून्य

[अनुवाद]

हथकरघा क्षेत्र में रोजगार का लक्ष्य

2946. श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हथकरघा क्षेत्र में नौकरियां देने हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में क्या उपलब्धि हासिल की गयी है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) से (ग) हथकरघा विकास आयुक्त कार्यालय द्वारा हथकरघा क्षेत्र की योजनाओं में उत्पाद विविधीकरण, डिजाइन एवं कौशल उन्नयन एवं बाजार पहुंच के लिए हथकरघा बुनकरों को उनकी जीविका बढ़ाने तथा उनकी आय बढ़ाने के लिए सहायता देने पर सामान्य रूप से जोर दिया जाता है। भारत सरकार हथकरघा क्षेत्र को सहायता दे रही है जो विभिन्न विकासात्मक एवं कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन के माध्यम से रोजगार को कायम रखने में विकेन्द्रीकृत किस्म का है। संयुक्त हथकरघा एवं विद्युतकरघा गणना 1995-96 के अनुसार हथकरघा क्षेत्र देश के लगभग 65.51 लाख लोगों को रोजगार मुहैया करवाता है।

[हिन्दी]

औद्योगिक विकास हेतु निधियों का आबंटन

2947. श्री अब्दुल रशीद शाहीन:
श्री जीवाभाई ए. पटेल:
श्री जी. करूणाकर रेड्डी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) औद्योगिक विकास हेतु राज्यों को धनराशि के आबंटन का मानदंड क्या है;

(ख) क्या कर्नाटक राज्य को अन्य दक्षिणी राज्यों की तुलना में न्यूनतम निवेश प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या उद्योगों के विकास हेतु विशेषकर देश के ग्रामीण क्षेत्रों में आबंटित धनराशि पर्याप्त नहीं है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाये जा रहे हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) से (ग) तथा (ङ) और (च) विशिष्ट स्कीमों के अलावा, औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा ऐसी कोई सामान्य स्कीम नहीं चलाई जाती, जिसके तहत राज्यों को औद्योगिक विकास के लिए निधियां आबंटित की जाती हों। जहां औद्योगिक विकास की प्राथमिक जिम्मेदारी राज्य सरकारों की होती है, भारत सरकार द्वारा ढांचागत सुविधाएं उपलब्ध कराकर एवं अपनी विभिन्न स्कीमों के तहत प्रोत्साहन प्रदान करके उनकी यथासंभव सहायता की जाती है। वर्तमान में ये स्कीमें हैं विकास केन्द्र योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज, विशेष श्रेणी राज्य पैकेज, चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास और औद्योगिक पार्क योजना, जो औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा चलाई जाती हैं और इन स्कीमों के तहत निधियां आबंटित की जाती हैं। उदारीकृत आर्थिक वातावरण में, उद्योगों के स्थापन-स्थल संबंधी चुनाव सहित निवेश के निर्णय उद्यमियों द्वारा तकनीकी-आर्थिक पहलुओं के आधार पर लिये जाते हैं। 1.4.2003 से 30.6.2006 तक औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्राप्त किए गए औद्योगिक ज्ञापनों तथा जारी किए गये आशय-पत्रों/प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की राज्य-वार सूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(घ) प्रासंगिक स्कीमों को औद्योगिक विकास की दृष्टि से सार्थक बनाने के लिए सरकार द्वारा देश भर में उनकी समीक्षा एवं मूल्यांकन समय-समय पर किए जाते हैं। लघु उद्योग मंत्रालय तथा कृषि और ग्रामीण उद्योग मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों के औद्योगिक विकास हेतु विशेष योजना तैयार की हैं।

विवरण

2003-2004 से आगे राज्य-वार और वित्तीय वर्ष-वार निवेश आशय (आईईएम+एलओआई+डीआईएल)

क्र.सं.	राज्य का नाम	2003-2004		2004-2005		2005-2006		2006-2007 (अप्रैल-जून)		योग	
		संख्या	प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़)	संख्या	प्रस्तावित निवेश (रु. करोड़)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अण्डमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0	0	2	31	0	0	2	31

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2.	आंध्र प्रदेश	266	16527	422	16596	493	19001	178	18392	1359	70516
3.	अरुणाचल प्रदेश	7	68	6	51	7	41	2	5	22	165
4.	असम	39	163	73	430	71	809	18	443	201	1845
5.	बिहार	5	27	12	314	36	3913	25	2688	79	6942
6.	चंडीगढ़	0	0	2	1	0	0	0	0	2	1
7.	छत्तीसगढ़	212	16155	453	47602	242	39914	49	14750	956	118421
8.	दादरा और नगर हवेली	227	4137	96	834	88	2374	25	1069	436	8414
9.	दमन और दीव	91	390	54	418	73	780	13	37	230	1625
10.	दिल्ली	9	14	7	20	5	20	2	6	23	60
11.	गोवा	33	325	29	171	36	286	10	191	108	983
12.	गुजरात	447	32341	613	29695	753	82901	169	7848	1982	152785
13.	हरियाणा	185	8372	198	2737	232	5578	70	915	685	17602
14.	हिमाचल प्रदेश	63	1126	107	3384	115	1774	42	862	327	7146
15.	जम्मू-कश्मीर	56	774	126	2719	134	2058	28	726	344	6277
16.	झारखंड	65	1861	88	10539	202	54089	28	5068	383	71557
17.	कर्नाटक	180	14074	224	10969	268	15353	94	5706	766	46102
18.	केरल	20	417	26	294	48	610	10	167	104	1488
19.	लक्षद्वीप	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20.	मध्य प्रदेश	70	1616	139	8538	175	18782	45	2094	429	31030
21.	महाराष्ट्र	685	8878	709	13256	826	24694	217	5524	2437	52352
22.	मणिपुर	0	0	1	9	1	7	0	0	2	7
23.	मेघालय	32	99	32	215	33	634	4	819	101	1767
24.	मिजोरम	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25.	नागालैंड	5	16034	1	2	0	0	0	0	6	16036
26.	उड़ीसा	155	17718	248	45565	167	38255	26	13064	596	114602
27.	पांडिचेरी	51	252	34	263	48	411	13	60	146	986
28.	पंजाब	110	1844	170	4190	195	7127	52	2750	527	15911
29.	राजस्थान	170	1096	156	2162	186	5077	63	3779	575	12114

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
30.	सिक्किम	2	18	5	243	7	541	1	10	15	819
31.	तमिलनाडु	256	2898	419	54481	630	11841	206	6884	1511	76064
32.	त्रिपुरा	2	2	7	251	0	0	1	0	10	253
33.	उत्तर प्रदेश	238	2179	565	21633	631	31710	251	21418	1685	76940
34.	उत्तरांचल	142	1334	174	2441	392	5706	156	6330	864	15811
35.	पश्चिम बंगाल	450	7637	452	14078	380	12047	86	1520	1368	35282
36.	एक से अधिक राज्यों में स्थित इकाइयां	2	9	1	2	0	0	0	0	3	11
	योग	4275	158385	5649	294094	6476	386381	1884	123085	18284	961945

नोट: नवंबर, 2003 से दायर किए गए औद्योगिक उद्यमिता ज्ञापन (आईईएम) जारी किए गए आशय-पत्रों (एलओआई) तथा प्रत्यक्ष औद्योगिक लाइसेंसों की दृष्टि से निवेश।

[अनुवाद]

तम्बाकू उत्पादकों के लिए ईंधन स्रोत

2948. श्री सी.एच. विजयशंकर: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कर्नाटक के मैसूर जिले के वर्जिनिया क्वालिटी के तम्बाकू की भारत और विदेश में भारी मांग है;

(ख) क्या तम्बाकू के प्रसंस्करण में लकड़ी का प्रयोग ईंधन के रूप में किया जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार तम्बाकू उत्पादकों को राजसहायता प्राप्त दरों पर वैकल्पिक ईंधन प्रदान करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, हां। कर्नाटक के मैसूर जिले में उत्पादित वर्जीनिया तम्बाकू की भारत और विदेशों में मांग है।

(ख) और (ग) कर्नाटक के तम्बाकू उपजकर्त्ता तम्बाकू की क्योरिंग के लिए जंगलों से प्राप्त लकड़ी के ईंधन पर पूर्णत: आश्रित नहीं हैं। कुछ उपजकर्त्ता पेड़ों से प्राप्त जलाऊ लकड़ी के अलावा अपने खेतों के कृषि अपशिष्ट जैसे नारियल के खोल, धान की भूसी, मक्का की गुल्ली, कपास की डंठल, कृषि अपशिष्ट से बने ब्रिकेट्स, काफी की भूसी, सामाजिक वानिकी से प्राप्त लकड़ी के टुकड़े आदि का भी प्रयोग करते हैं।

(घ) और (ङ) तम्बाकू बोर्ड उपजकर्त्ताओं से उनके खेतों के किनारों पर तेजी से बढ़ने वाले वृक्षों को लगाने के अलावा 6 से 10 वर्ष तक एक तम्बाकू बार्न के लिए लगातार ईंधन की आपूर्ति बनाए रखने के लिए उनकी भूमि में 0.5 से 1 एकड़ तक के हिस्से में तेजी से बढ़ने वाले पेड़ लगाकर स्वयं अपना ईंधन तैयार करने का आग्रह कर रहा है। बोर्ड इन पौधों को उगाने के लिए उपजकर्त्ताओं को तेजी से बढ़ने वाले पेड़ों के पौधों की सब्सिडीकृत दरों पर आपूर्ति का प्रस्ताव करता है। बोर्ड तम्बाकू और कपास के डंठलों से ब्रिकेट्स के विनिर्माण को भी बढ़ावा दे रहा है और इसने आंध्र प्रदेश के तम्बाकू उपजकर्त्ता क्षेत्रों में पहले ही इसका प्रदर्शन भी किया है। बोर्ड तम्बाकू की क्योरिंग के लिए ब्रिकेट निर्माण इकाइयों की स्थापना के लिए सब्सिडी प्रदान करने का भी प्रस्ताव करता है। बोर्ड सौर ऊर्जा केन्द्र, नई दिल्ली जो भारत सरकार का एक संगठन है, की सहायता से सौर बर्नों के विकास का कार्य कर रहा है। सौर उर्जा केन्द्र द्वारा शीघ्र ही परियोजना शुरू किए जाने की संभावना है।

पाठ्यपुस्तकों की कमी

2949. **श्री उदय सिंह:**
श्री अधीर चौधरी:
डा. के.एस. मनोज:
श्री एम.पी. वीरेन्द्र कुमार:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एन.सी.ई.आर.टी. ने वितरकों पर पाठ्य-पुस्तकों की कमी के आरोप लगाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य और ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विभिन्न वितरक जिन्हें पाठ्य-पुस्तक छापने का काम सौंपा गया था उन्हें समय पर नहीं छाप रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं और सरकार द्वारा पाठ्य पुस्तकों की कमी को पूरा करने लिए आगे क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने संवितरकों को मुद्रण संबंधी कोई कार्य नहीं दिया है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् जिसे केन्द्रीय विद्यालयों तथा नवोदय विद्यालयों सहित केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध सभी विद्यालयों हेतु पाठ्यपुस्तकों के मुद्रण तथा संवितरण का अधिशेष प्राप्त है, ने यह सुनिश्चित करने के बावत हर संभव उपाय किए हैं कि देशभर में केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों को समय पर ये पाठ्यपुस्तकें उपलब्ध कराई जाएं। केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से सम्बद्ध विद्यालयों में जब कभी भी पाठ्यपुस्तकों की कमी की सूचना प्राप्त हुई है, राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद् ने अपने 235 अनुमोदित थोक विक्रेता एजेंसियों के नेटवर्क के जरिए इस समस्या का निदान किया है।

[हिन्दी]

विश्वविद्यालय की स्थापना

2950. **श्री संतोष गंगवार:** क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूसी तेल कंपनी गेजप्राम तथा उसट्राखस यूनिवर्सिटी ने गुजरात में पेट्रोलियम से संबंधित विषयों के अध्ययन के लिए विश्वविद्यालय की स्थापना हेतु सहायता की पेशकश की है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह मुद्दा सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) पेट्रोलियम क्षेत्र को इससे क्या लाभ मिलने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना राज्य विधानमंडल के अधिनियमों द्वारा की जाती है और राज्य विश्वविद्यालयों की स्थापना में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं होती।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

प्रधानमंत्री आवास पर सुरक्षा

2951. **श्री हेमलाल मुर्मू:**
श्री पी.सी. चाको:
डा. के. धनराजू:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रधानमंत्री आवास में वी आई पी नम्बर वाली अनधिकृत कार बिना किसी जांच के प्रवेश कर गई थी, जैसाकि 28 जुलाई, 2006 के 'दैनिक जागरण' में खबर छपी थी;

(ख) यदि हां, तो वांछित सुरक्षा जांच न किए जाने के क्या कारण हैं और सुरक्षा खामियों हेतु क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) क्या कोई जांच कराई गई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी परिणाम क्या निकले;

(ङ) सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं कि ऐसी सुरक्षा खामियों की पुनरावृत्ति न हो;

(च) कत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान आज की तिथि के अनुसार सरकार के ध्यान में प्रधानमंत्री और वी.वी.आई. व्यक्तियों की सुरक्षा में लापरवाही के संबंध में कुल कितने मामले लाए गए हैं; और

(छ) सरकार द्वारा सुरक्षा कर्मियों और अपराधियों के विरुद्ध अलग-अलग क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (छ) जी नहीं। जैसा कि 28 जुलाई, 2006 के 'दैनिक जागरण' में छापा है, वीआईपी नम्बर वाली किसी भी कार ने प्रधानमंत्री आवास में अनधिकृत प्रवेश नहीं किया था। चूंकि सुरक्षा में कोई चूक नहीं हुई थी इसलिए इस संबंध में कोई जांच नहीं की गई है।

[अनुवाद]

पेटेंट का प्रभाव

2952. श्री विजय कृष्ण: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जाब पेटेंट कानूनों के स्थान पर प्रोडक्ट पेमेंट को अपनाने से लघु उद्योगों (एस.एस.आई.) पर विपरीत प्रभाव पड़ा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार लघु उद्योग पर प्रोडक्ट पेमेंट के पड़ने वाले कुप्रभावों की समीक्षा करने का है;

(ग) लघु उद्योग के वित्तीय संकट को देखते हुए नई प्रौद्योगिकी को अपनाने और प्रोडक्ट अनुसंधान करने के लिए सरकार द्वारा दी जा रही सहायता/दी जाने वाली प्रस्तावित सहायता के संबध में ब्योरा क्या है; और

(घ) लघु उद्योग में मौजूदा प्रोडक्ट रायल्टी के संबंध में सरकार की भूमिका का ब्योरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) ड्रग्स, खाद्य तथा रसायनों के संबंध में पेमेंट (संशोधन) अधिनियम, 2005 के तहत शुरू किया गया उत्पाद पेमेंट संरक्षण 1 जनवरी, 2005 से प्रभावी हो गया है, चूंकि अन्य क्षेत्रों के लिए उत्पाद पेमेंट संरक्षण पहले ही विद्यमान है। लघु उद्योगों (एसएसआई) पर नवीनतम उत्पाद पेमेंट संरक्षण के प्रभाव का मूल्यांकन करना अभी जल्दी होगी। तथापि, सरकार (लघु उद्योग मंत्रालय में) लघु उद्योग संघों तथा अन्य स्टेकहोल्डर्स के साथ परस्पर बातचीत के माध्यम से स्थिति की मोनीटरिंग कर रही है।

(ग) सरकार अनेक योजनाओं का क्रियान्वयन करती है जिनके तहत लघु उद्योगों को प्रौद्योगिकी उन्नयन, सुधरी हुई संयंत्र और मशीनरी की अधिप्राप्ति तथा प्रबन्धन और सिस्टम की सुधरी हुई गुणवत्ता के लिए वित्तीय सहायता सहित प्रोत्साहन प्रदान किए जाते हैं। इसके अलावा, अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता के लिए लघु उद्योग इकाइयों को वार्षिक राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान करने की योजना है। लघु उद्योग इकाइयों, उनके संघों तथा बौद्धिक सम्पदा अधिकारों तथा क्षेत्र पर उनके प्रभावों से संबंधित अन्यों में जागरूकता का सृजन करने की दृष्टि से सरकार समग्र देश में सुग्राहीकरण कार्यक्रमों का आयोजन भी कर रही है।

(घ) लघु उद्योग सहित किसी औद्योगिक क्षेत्र को प्रौद्योगिकी/जानकारी के हस्तान्तरण के लिए रायल्टी राशि प्रौद्योगिकी/जानकारी के मार्किट मूल्य पर आधारित होती है। इसके संबंध में कोई विधिक मानदंड निर्धारित नहीं किए गए हैं।

कार्यकारी अधिकारियों के रिक्त पद

2953. श्री चन्द्रभूषण सिंह: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मंत्रालय के अंतर्गत कई उपक्रम बिना शीर्ष कार्यकारी अधिकारियों के ही चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी उपक्रमवार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या ये उपक्रम इन कार्यकारी अधिकारियों के अभाव में घाटे में चल रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) तत्कालीन सी.एम.डी. को सेवा से हटाने के लिए जारी किए गए आदेशों के बाद, नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक (सी.एम.डी.) का पद 29.05.2006 को रिक्त हो गया था। तथापि, दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा पारित व्यादेश (इन्जन्कशन) के मद्देनजर, उक्त आदेशों को आस्थगित रखा गया है।

(ग) और (घ) रिक्त पद के लिए प्रभारी-अधिकारी की व्यवस्था कर दी गई है और इसलिए, नालको को कोई हानि होने की आशंका नहीं है।

छात्रवृत्ति के लिए अनुदान

2954. श्री ए.वी. बेल्लारमिन:
श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार बैंकिंग प्रणाली और अन्य एजेंसियों के माध्यम से वृहत 'मैरिट-कम-मिन्स' आधारित ऋण और छात्रवृत्ति कार्यक्रमों को विकसित करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने उन सभी पात्र आवेदकों को छात्रवृत्ति प्रदान की है जिन्होंने गत वर्ष आवेदन किया था;

(घ) यदि नहीं, तो छात्रवृत्ति न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ङ) छात्रवृत्ति का शीघ्र भुगतान करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) और (ख) भारतीय बैंक संघ की संशोधित माडल शिक्षा ऋण स्कीम में बैंकों को भारत और विदेश में उच्चतर अध्ययन करने के लिए पात्र/प्रतिभावान विद्यार्थियों को बैंकिंग पद्धति से वित्तीय सहायता प्रदान करने के वास्ते व्यापक मार्गदर्शी सिद्धांतों की व्यवस्था की गई है। इसमें मुख्य बल इस बात पर दिया गया है कि प्रत्येक प्रतिभावान विद्यार्थी चाहे वह गरीब ही क्यों न हो, को वहनीय निबंधन और शर्तों पर बैंकिंग पद्धति की वित्तीय सहायता से शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान किया जाए और कोई भी पात्र विद्यार्थी वित्तीय सहायता के अभाव में उच्चतर अध्ययन करने के अवसर से वंचित न रह जाए। इस प्रकार के 4.00 लाख रुपए तक के ऋणों के लिए किसी प्रतिभूति की आवश्यकता नहीं है। 4.00 लाख रुपए से अधिक और 7.5 लाख रुपए तक के ऋण के लिए उपयुक्त तृतीय पक्ष के रूप में गारंटी की आवश्यकता होती है। यदि बैंक "संयुक्त कर्जदार" के रूप में दस्तावेज को निष्पादित करने वाले माता-पिता के निवल मूल्य/स्रोतों से संतुष्ट हो तो वह अपने विवेक से तृतीय पक्ष की गारंटी से छूट दे सकता है। 7.5 लाख रुपए से अधिक के ऋण के लिए किश्तों के भुगतान के लिए विद्यार्थी की भावी आय के समनुदेशन के साथ उपयुक्त मूल्य की संपार्श्विक प्रतिभूति अथवा तृतीय पक्ष की उपयुक्त गारंटी अपेक्षित होती है।

माता-पिता/विद्यार्थियों की ऋण वापस करने की क्षमता की शर्त के अधीन वित्त की मात्रा के संबंध में निम्नलिखित सीमा निर्धारित की गई है:

1. भारत में अध्ययन के लिए - अधिकतम 7.5 लाख रुपए
2. विदेश में अध्ययन के लिए - अधिकतम 1.5 लाख रुपए

ब्याज की दर:

4 लाख रुपए तक - बी.पी.एल. की दर

4 लाख से अधिक - बी.पी.एल. की दर + 1 प्रतिशत

राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम जो कि भारत सरकार के उच्चतर शिक्षा विभाग द्वारा वित्त पोषित स्कीम है, के अंतर्गत कक्षा 9 तथा 10 में पढ़ने वाले ग्रामीण क्षेत्रों के गरीब प्रतिभावान विद्यार्थियों और राजकीय स्कूलों, कालेजों तथा विश्वविद्यालयों में पढ़ने वाले मैट्रिकोत्तर से स्नातकोत्तर स्तर के प्रतिभावान विद्यार्थियों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। स्कीम के अंतर्गत पात्र अभ्यर्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को भुगतान किया जाता है।

केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड तथा विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने निम्नलिखित छात्रवृत्ति स्कीमों के अंतर्गत छात्रवृत्ति प्राप्त करने वालों के एकाउंट में छात्रवृत्तियों की इलेक्ट्रानिक अदायगी हेतु आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं:

(1) व्यावसायिक अध्ययन हेतु सी.बी.एस.ई. योग्यता छात्रवृत्ति स्कीम।

(2) अवर स्नातक पाठ्यक्रमों हेतु सी.बी.एस.ई. योग्यता-छात्रवृत्ति स्कीम।

(3) अपने माता-पिता की इकलौती बालिका संतान हेतु यू.जी.सी. इंदिरा गांधी स्नातकोत्तर छात्रवृत्ति।

(4) विश्वविद्यालय रैंक होल्डरों हेतु यू.जी.सी. स्नातकोत्तर योग्यता छात्रवृत्ति।

छात्र आई.सी.आई.सी.आई. बैंक के ए.टी.एम. कार्ड/स्मार्ट कार्ड के द्वारा भी पैसे निकाल सकते हैं।

सामान्यत: नई योजना स्कीमों हेतु नई योजना अवधि के लिए नई संस्वीकृति अपेक्षित होती है तथा उस समय फीडबैक के आधार पर संशोधन किया जा सकता है।

(ग) से (ङ) राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों हेतु भुगतान के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्रों को 25,220 छात्रों हेतु 8.36 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की दोनों स्कीमों के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान अब तक उन विश्वविद्यालयों/कालेजों जिनमें छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों ने स्नातकोत्तर कार्यक्रम के प्रथम वर्ष में प्रवेश लिया है, से प्राप्त दस्तावेजों के आधार पर

2340 छात्रों को मेरिट छात्रवृत्ति प्रदान की गई है। छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले 1370 छात्रों के नाम उनके एकाउंट में छात्रवृत्ति की राशि के संवितरण/जमा करने के लिए आई.सी.आई.सी.आई. बैंक को अग्रेषित कर दिए गए हैं।

वर्ष 2005-06 के दौरान केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चुने गए 1050 अभ्यर्थियों में से 776 को छात्रवृत्ति प्रदान कर दी है। शेष छात्रवृत्तियों को अभ्यर्थियों द्वारा भेजी गई अधूरी जानकारी के कारण जारी नहीं किया जा सका।

आंगनवाड़ी केन्द्रों में आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाएं

2955. डा. के.एस. मनोज: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को आंगनवाड़ी की आधारभूत संरचना संबंधी सुविधाओं में सुधार के लिए विभिन्न राज्य सरकारों से, विशेषकर केरल से, प्रस्ताव मिला है जिससे कि आंगनवाड़ी को प्री-नर्सरी स्कूलों के रूप में विकसित किया जा सके; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पाकिस्तानी नागरिकों को भारतीय नागरिकता

2956. श्री श्रीचन्द कृपलानी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत आए पाकिस्तानी नागरिकों ने भारतीय नागरिकता के लिए आवेदन किया है;

(ख) यदि हां, तो ऐसे परिवारों की राज्यवार संख्या कितनी है;

(ग) उन्हें कब तक नागरिकता प्रदान किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या केन्द्र सरकार गुजरात की तर्ज पर अन्य राज्यों में रह रहे परिवारों और डाक्टरों को नागरिकता प्रदान करने पर विचार कर रही है; और

(ङ) यदि हां, तो उन परिवारों के लिए क्या प्रावधान किए गए हैं जिनके पासपोर्ट और वीजा की अवधि समाप्त हो गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (ग) पाक राष्ट्रिकों सहित भारतीय मूल के व्यक्तियों, जो भारतीय नागरिकता (आईसी) प्रदान करने हेतु आवेदन करते हैं, पर नागरिकता अधिनियम, 1955 की धारा 5(1)(क) के उपबंधों के अंतर्गत विचार किया जाता है। ऐसे आवेदनकर्त्ताओं की कोई निश्चित संख्या और भारतीय नागरिकता प्रदान करने हेतु समय सीमा का उल्लेख नहीं किया जा सकता है क्योंकि आवेदनों को राज्य/केन्द्रीय सरकार में विभिन्न अवस्थाओं से गुजरना होता है।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता है।

[अनुवाद]

जेल में एनएचआरसी का दौरा

2957. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का विभिन्न जेलों में यह जानने के लिए कि देश की जेलों में कैदियों के मानव अधिकारों की रक्षा होती है या नहीं, नियमित दौरा होता है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष एनएचआरसी द्वारा दौरा किए गए जेलों का राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे दौरे के पश्चात् एनएचआरसी द्वारा मुख्य रूप से राज्यवार क्या टिप्पणियां की गईं;

(घ) ऐसे टिप्पणियों पर सरकार और राज्य सरकारों द्वारा क्या कार्यवाही की गई; और

(ङ) देश में मानव अधिकारों के उल्लंघन पर अकुंश लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) जी, हां।

(ख) गत तीन वर्षों के दौरान राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा दौरा की गई जेलों की राज्य-वार सूची संलग्न विवरण में दी गई है।

(ग) जेलों का दौरा करने के बाद एनएचआरसी द्वारा राज्यवार की गई मुख्य टिप्पणियां नीचे दी गई हैं:

(i) महाराष्ट्र: भीड़भाड़, साफ-सफाई संतोषजक नहीं।

(ii) छत्तीसगढ़: भीड़भाड़, भरी नहीं गयी रिक्तियां।

(iii) कर्नाटक: जेल आधारभूत ढांचे के उन्नयन की आवश्यकता, स्वास्थ्य देखभाल सुविधाएं अपर्याप्त। आगन्तुकों के बोर्ड की प्रणाली अप्रचलित हो गई।

(iv) पश्चिम बंगाल: विचाराधीन कैदियों की अत्यधिक संख्या। साफ-सफाई संतोषजनक नहीं है।

(v) हिमाचल प्रदेश: स्टाफ की दशा संतोषजनक नहीं है। आवासीय सुविधाओं में सुधार की आवश्यकता।

(vi) हरियाणा: भीड़भाड़। साफ-सफाई संतोषजनक नहीं। पद खाली है।

(vii) दिल्ली: भीड़भाड़। आवासीय सुविधाएं संतोषजनक नहीं हैं।

(viii) राजस्थान: अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं पद भरे नहीं गए हैं।

(ix) त्रिपुरा: रहने-सहने की दशा निराशाजनक। पैरोल के मुद्दे पर जांच की आवश्यकता।

(x) केरल: अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं। ज्यादातर स्थानों पर सफाई की कमी। मनोरंजन सुविधाएं अपर्याप्त।

(xi) आंध्र प्रदेश: भीड़भाड़। अपर्याप्त स्वास्थ्य सुविधाएं।

(xii) गोवा: पुरानी इमारत को मरम्मत की आवश्यकता। जेल अदालतें नहीं लग रही हैं। आगन्तुकों के बोर्ड की प्रणाली अप्रचलित हो गई है।

(घ) जेल राज्य का विषय है और एनएचआरसी की टिप्पणियों पर उपयुक्त कार्रवाई करने का काम राज्य सरकारों का है। तथापि, अनेक राज्यों ने एनएचआरसी को सूचित किया है कि उन्होंने एनएचआरसी द्वारा बताई गई कमियों, विशेषकर साफ-सफाई में सुधार, नई जेलों और जेल स्टाफ के लिए निवासों के निर्माण के लिए कदम उठाए हैं।

(ङ) सरकार, मानवाधिकार उल्लंघनों को रोकने के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से राज्य पुलिस बलों और जेल अधिकारियों को सुग्राही बना रही है। एनएचआरसी भी पुलिस अधिकारियों के लिए मानव अधिकारों पर नियमित रूप से प्रशिक्षण पाठ्यक्रम चलाती है।

विवरण

राज्य का नाम	2003-2004	2004-2005	2005-2006
1	2	3	4
महाराष्ट्र	केन्द्रीय जेल, पुणे		
पश्चिम बंगाल	प्रेजीडेंसी करेक्शनल होम, कोलकाता जिला करेक्शनल होम हावड़ा		
हिमाचल प्रदेश	माडर्न सैन्ट्रल जेल, कांडला, उप-जेल, बिलासपुर		
हरियाणा	सेन्ट्रल जेल, अम्बाला		
राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली	महिला जेल, दिल्ली		
राजस्थान	सेन्ट्रल जेल, जयपुर, जिला एवं उप जेल, टौंक, ओपन जेल, सांगनेर		

1	2	3	4
	त्रिपुरा	सेन्ट्रल जेल, अगरतला, जिला-जेल, उदयपुर, उप-जेल, सोनामुरा	
	केरल	सेन्ट्रल ओपन और महिला जेल, तिरूवन्तपुरम, जिला जेल, कोल्लम, उप जेल, पथनमथीटा	
	आंध्र प्रदेश	सैन्ट्रल और ओपन जेल हैदराबाद, जिला जेल, करीमनगर, उप-जेल, भोंगीर	
	गोवा	सेन्ट्रल जेल, पणजी	
	संघ शासित प्रदेश, चंडीगढ़	सेन्ट्रल जेल, चंडीगढ़	
	छत्तीसगढ़		सेन्ट्रल जेल, रायपुर जिला जेल, दुर्ग, उप जेल, संजारी, बलोड
	कर्नाटक		सेन्ट्रल जेल, बंगलोर, ओपन एअर जेल, कोरारमंगला, तालुक, उप जेल, चीकाबल्लापुर, जिला जेल, मंगलोर

अन्तर्राष्ट्रिक-व्यापार परिषद की स्थापना

2958. श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु:
डा. वल्लभभाई कथीरिया:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ऐसे कौन-कौन से राज्य हैं जिन्होंने अभी तक अन्तर्राष्ट्रिक व्यापार परिषद की स्थापना नहीं की है और इसके राज्यवार कारण क्या हैं;

(ख) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे राज्यों के खिलाफ क्या कार्यवाही की गई है;

(ग) कितने राज्यों में डब्ल्यूटीओ सेल कार्य कर रहे हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार इन सेलों के कार्यकलापों में समन्वय स्थापित करने की योजना बनाने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) भारत सरकार के नीतिगत कार्यढांचे में राज्य स्तर पर अंतर-राज्यीय व्यापार परिषद की स्थापना किए जाने की परिकल्पना नहीं की गई है।

अंतर-राज्यीय व्यापार परिषद दिनांक 24.06.2005 को भारत सरकार द्वारा माननीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री, भारत सरकार की

अध्यक्षता में गठित एक स्थाई सलाहकार निकाय है, जिसके सदस्य राज्यों के मुख्यमंत्री अथवा संबंधित मुख्य मंत्रियों द्वारा नामित राज्य मंत्रिमंडल के मंत्री तथा कुछेक अन्य गणमान्य व्यक्ति हैं। विदेश व्यापार महानिदेशक परिषद के सदस्य सचिव हैं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

(घ) और (ङ) राज्यों में कार्यरत डब्ल्यूटीओ प्रकोष्ठों के कार्यों को समन्वित करने की योजना बनाने का कोई प्रस्ताव नहीं है। तथापि, डब्ल्यूटीओ की वार्ताओं से संबंधित मामलों के विषय में राज्य सरकारों से नियमित रूप से परामर्श किया जाता है।

पूर्वोत्तर के राज्यों को प्रारंभिक शिक्षा के लिए ईएफसी अनुदान

2959. श्री मणि चारेनामैः क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पूर्वोत्तर के राज्यों के लिए प्रारंभिक शिक्षा के लिए ईएफसी अनुदान के अंतर्गत धन का ब्यौरा क्या है;

(ख) आज की तारीख में कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है;

(ग) शेष राशि का उपयोग कब तक किया जाएगा; और

(घ) धन का पूरा उपयोग करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत वर्ष 2005-06 के दौरान सिक्किम सहित पूर्वोत्तर राज्यों को जारी केंद्र का हिस्सा 364.36 करोड़ रु. था।

(ख) और (ग) पूर्वोत्तर राज्यों द्वारा दी गई सूचना के अनुसार वर्ष 2005-06 के दौरान उपलब्ध कुल निधियों में से किया गया व्यय 511.45 करोड़ रु. था, जिसमें केंद्र का हिस्सा, राज्य का हिस्सा तथा वर्ष के आरंभ में अव्ययित शेष शामिल था। वर्ष के अंत में राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास उपलब्ध अव्ययित शेष को अगले वर्ष अग्रेनीत कर दिया जाता है।

(घ) सर्व शिक्षा अभियान की निधियों का बेहतर उपयोग सुनिश्चित करने के लिए क्षमता निर्माण हेतु पूर्वोत्तर राज्यों के लिए कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। राज्यों की प्रगति पर निगरानी रखने के लिए सर्व शिक्षा अभियान के मानीटरन का एक कठोर तंत्र भी बनाया गया है।

कंपनियों का कार्यनिष्पादन

2960. श्री परसुराम माझी: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मंत्रालय के अंतर्गत मिनी नवरत्न कंपनियों के कार्य निष्पादन की समीक्षा की है; और

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान तत्संबंधी कंपनीवार ब्यौरा क्या है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) और (ख) खान मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन केवल एक मिनी रत्न कम्पनी अर्थात् नेशनल एल्युमिनियम कंपनी लिमिटेड (नालको) है। खान मंत्रालय और नालको के बीच प्रतिवर्ष एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए जाते हैं। नालको के कार्य निष्पादन की समीक्षा समझौता ज्ञापन (एमओयू) के मानदण्डों के अनुसार की जाती है। नालको को पिछले तीन वर्षों के दौरान सर्वोत्तम रेटिंग दी गई है।

केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड

2961. डा. के. धनराजू: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में महिलाओं को व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड चलाई जा रही व्यावसायिक प्रशिक्षण योजनाओं का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान प्रति वर्ष इन योजनाओं के अंतर्गत व्यवसाय के विभिन्न क्षेत्रों में राज्यवार कितनी महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया गया;

(घ) क्या प्रशिक्षित महिलाओं को नौकरियां भी दी जा रही हैं; और

(ङ) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान राज्यवार कितनी नौकरियां दी गईं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

निर्यात बीमा योजना

2962. **श्री सर्वे सत्यनारायण:** क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार कोई निर्यात बीमा योजना लाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके लक्ष्य और उद्देश्य क्या हैं; और

(ग) इसे कब तक कार्यान्वित किए जाने की संभावना है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) से (ग) भारत सरकार ने निर्यातकों द्वारा विदेशी क्रेताओं को दिए जाने वाले ऋणों के बीमा हेतु वर्ष 1957 में भारतीय निर्यात ऋण गारंटी निगम लि. (ईसीजीसी) की स्थापना की थी। तब से ईसीजीसी वस्तु एवं सेवा के निर्यातकों तथा परियोजनाओं और ऐसे निर्यातों का वित्त पोषण करने वाले बैंकों को सहायता प्रदान करते हुए, निर्यात ऋण बीमा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। मध्यावधि एवं दीर्घावधि निर्यातों को सुकर बनाने के मद्देनजर और स्वयंमेव पर्याप्त कवर प्रदान कर पाने में निर्यात ऋण गारंटी निगम की सीमितताओं और ऐसे निर्यातकों हेतु पुनर्बीमा कवर की अनुपलब्धता पर विचार करते हुए सरकार ने एक राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता (एनईआईए) की स्थापना करने का निर्णय लिया है तथा 7 मार्च, 2006 से स्कीम का प्रचालन कर रही है। एनईआईए स्कीम का उद्देश्य मध्यावधि और दीर्घावधि उच्च मूल्य की परियोजनाओं हेतु, जो वाणिज्यिक रूप से कार्यक्षम और राष्ट्रीय हित की दृष्टि से वांछनीय हो, उस समय ऋण जोखिम कवर की उपलब्धता को सुनिश्चित करना है जहां पुनर्बीमा या तो उपलब्ध नहीं है अथवा उसकी लागत बहुत अधिक है। राष्ट्रीय निर्यात बीमा खाता की संग्रह निधि 2000 करोड़ रुपए होगी, जिसमें से 246 करोड़ रुपए का अंशदान 10वीं योजना अवधि के दौरान और 1754 करोड़ रुपए का अंशदान 11वीं योजना अवधि के दौरान किया जाएगा। खाते का रख-रखाव और प्रचालन एक सार्वजनिक न्यास द्वारा किया जाएगा जिसे वाणिज्य विभाग एवं ईसीजीसी द्वारा संयुक्त रूप से गठित किया गया है।

अनुसूचित जनजाति की सूची में बंजारा जाति को शामिल किया जाना

2963. **श्री हरिभाऊ राठौड़:**
श्री संतोष गंगवार:

क्या **जनजातीय कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जनजाति की सूची में बंजारा जाति सहित कुछ जातियों को शामिल करने संबंधी उत्तर प्रदेश सरकार का कोई प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो क्या केन्द्र सरकार ने इस प्रस्ताव को रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के पास उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा है;

(ग) यदि हां, तो क्या रजिस्ट्रार ने उस प्रस्ताव को कुछ प्रश्नों के साथ केन्द्र सरकार के पास वापस भेज दिया है;

(घ) यदि हां, तो क्या उन प्रश्नों के उत्तर तैयार किए जा चुके हैं;

(ङ) रजिस्ट्रार जनरल आफ इंडिया के विचारार्थ उक्त प्रस्ताव को कब तक भेज दिया जाएगा; और

(च) इस विषय का शीघ्र निपटान करने के लिए सरकार द्वारा अन्य क्या उपाय किए गए हैं, जिससे कि बंजारा समुदाय को अविलंब अनुसूचित जनजाति का लाभ मिल सके?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) से (च) जनजातीय कार्य मंत्रालय को उत्तर प्रदेश सरकार से उत्तर प्रदेश की अनुसूचित जनजाति सूची में बंजारा समुदाय को सम्मिलित करने के बारे में प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। अनुमोदित प्रक्रियाओं के अनुसार, यह प्रस्ताव भारत के महापंजीयक (आरजीआई) को उनकी टिप्पणियों के लिए भेजा गया था। भारत के महापंजीयक के कार्यालय ने अपनी टिप्पणियां भेज दी थीं और वे उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जनजाति की सूची में बंजारा समुदाय को सम्मिलित करने के प्रस्ताव से सहमत नहीं थे। यह मामला राज्य सरकार को उनके प्रस्ताव के समर्थन में टिप्पणी एवं आगे और औचित्य बताने के लिए वापिस भेज दिया गया था। राज्य सरकार से अभी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। राज्य सरकार को सावधिक रूप से अपना उत्तर शीघ्र भेजने के लिए स्मरण कराया जाता रहा है।

चंदन/बांस का निर्यात

2964. **श्री एम. शिवन्ना:**
श्री राजनरायन बुधौलिया:
श्रीमती किरण माहेश्वरी:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष और चालू वर्ष के दौरान राज्यवार बांस/चंदन/चंदन उत्पादों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया और इससे देशवार कितनी विदेशी मुद्रा का अर्जन किया गया;

(ख) क्या सरकार को इन वस्तुओं के आयात के लिए अन्य देशों से प्रस्ताव मिले हैं; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और उन वस्तुओं के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान बांस, चंदन और चंदन की लकड़ी के उत्पादों के निर्यात की मात्रा और मूल्य निम्नानुसार हैं:-

	2003-2004		2004-2005		2005-2006 (अप्रैल, 2005-जनवरी, 2006)	
	मात्रा	मूल्य (रु./लाख)	मात्रा	मूल्य (रु./लाख)	मात्रा	मूल्य (रु./लाख)
बांस	1201.99 क्विंटल	32.33	3864.61 क्विंटल	97.89	1194.8 क्विंटल	24.49
चंदन की लकड़ी	1778 घन मीटर	192.66	34 घन मीटर	4.62	2118 घन मीटर	376.11
चंदन की लकड़ी के उत्पाद	3780.36 क्विंटल	2554.56	1293.40 क्विंटल	2636.15	1379.54 क्विंटल	3588.71

राज्य-वार निर्यात संबंधी आंकड़े नहीं रखे जाते हैं, तथापि उपर्युक्त उत्पादों के प्रमुख निर्यात गंतव्य अमरीका, ईयू, मध्य पूर्व, अफ्रीकी देश, आस्ट्रेलिया, आदि हैं।

(ख) और (ग) भारत से इन उत्पादों के आयात हेतु किसी विशिष्ट अनुरोध की सूचना नहीं मिली है। बांस, चंदन की लकड़ी और उसके उत्पादों सहित समस्त वस्तुओं के निर्यात का संवर्धन करने के लिए निर्यातकों को अग्रिम लाइसेंस स्कीम (एएलएस), शुल्क हकदारी पासबुक स्कीम (डीईपीबी), विपणन विकास सहायता (एमडीए), बाजार पहुंच पहल स्कीम (एमएआई) आदि जैसी स्कीमों के लाभ उठाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

एचसीएल का आधुनिकीकरण

2965. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **खान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हिंदुस्तान कापर लिमिटेड (एचसीएल) का विस्तार/आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो विस्तार/आधुनिकीकरण कार्यक्रम के अंतर्गत प्रस्तावित निवेश का ब्यौरा क्या है;

(ग) एचसीएल के विस्तार/आधुनिकीकरण के मुख्य उद्देश्य क्या हैं; और

(घ) उक्त विस्तार/आधुनिकीकरण का कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) उपरोक्त (क) के मद्देनजर प्रश्न नहीं उठता।

समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां

2966. श्री चेंगरा सुरेन्द्रन: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार देश को एक समुद्री खाद्य प्रसंस्करण केन्द्र बनाने के मद्देनजर कच्ची सामग्री का आयात करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार को राज्यों से विशेषकर केरल सरकार से समुद्री खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां स्थापित करने संबंधी अनुरोध प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) अग्रिम आयात प्राधिकार स्कीम के अंतर्गत निर्यात प्रयोजनों के लिए अनन्य रूप से कच्ची सामग्री के आयात हेतु विदेश व्यापार नीति में एक प्रावधान पहले से ही विद्यमान है। विदेश व्यापार नीति में समुद्री क्षेत्र के लिए एक पैकेज भी शामिल कर लिया गया है जिसके अंतर्गत पूर्ववर्ती वित्त वर्षों के निर्यात के एफओबी मूल्य के 1 प्रतिशत तक विनिर्दिष्ट विशिष्टीकृत निविष्टियों/रसायनों तथा फ्लेवरिंग तेलों आदि के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है और शुल्क की रियायती दर पर ट्यूना मत्स्यन हेतु मोनोफिलामैंट लागलाइन प्रणाली के आयात की अनुमति है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार

2967. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सुरक्षा संबंधी चिन्ताएं भारत और चीन के द्विपक्षीय निवेश संरक्षण करार (बीआईपीए) में बाधा उत्पन्न कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में गृह मंत्रालय द्वारा उठाई गई आपत्तियों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा सुरक्षा संबंधी चिन्ताओं को दूर करने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) वित्त मंत्रालय (आर्थिक कार्य विभाग) ने सूचित किया है कि भारत और चीन के बीच द्विपक्षीय निवेश प्रोत्साहन और संरक्षण समझौते (बीआईपीए) पर 1996 से बातचीत चल रही है। मार्च, 2006 में नई दिल्ली में आयोजित बातचीत के पिछले दौर में बीआईपीए के पाठ पर दोनों पक्षों के बीच सहमति हुई थी। आंतरिक अनुदान प्राप्त करने के लिए गृह मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, विधि कार्य विभाग, औद्योगिक नीति और प्रोत्साहन विभाग तथा भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से आर्थिक कार्य विभाग में सहमत पाठ पर कार्रवाई की जा रही है।

जेल में शिक्षा

2968. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को गुजरात सरकार से जेल में तकनीकी शिक्षा संबंधी कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) गृह मंत्रालय में ऐसा कोई प्रस्ताव प्राप्त नहीं हुआ है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

दिल्ली पुलिस बल की संख्या में वृद्धि

2969. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) दिल्ली पुलिस बल की श्रेणीवार वर्तमान संख्या कितनी है;

(ख) क्या सरकार का विचार राजधानी में कानून और व्यवस्था की स्थिति को बेहतर तरीके से बनाये रखने हेतु दिल्ली पुलिस बल की वर्तमान संख्या में वृद्धि करने का है;

(ग) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार दिल्ली पुलिस बल के प्रस्तावित विस्तार में महिला अधिकारियों की संख्या बढ़ाने का भी है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) दिल्ली पुलिस की रैंकवार स्वीकृत संख्या नीचे दी गई है:

क्र.सं.	रैंक	स्वीकृत संख्या
1	2	3
1.	पुलिस आयुक्त	1
2.	विशेष पुलिस आयुक्त	3

1	2	3
3.	संयुक्त पुलिस आयुक्त	15
4.	अतिरिक्त पुलिस आयुक्त	10
5.	पुलिस उपायुक्त	44
6.	जे ए ग्रेड अधिकारी	28
7.	सहायक पुलिस आयुक्त	269
8.	निरीक्षक	1055
9.	उप-निरीक्षक	3834
10.	सहायक उप-निरीक्षक	5624
11.	हैड कांस्टेबल	14448
12.	कांस्टेबल	32419
13.	सिविलियन	74
14.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	1786
	कुल	59610

इसके अतिरिक्त, सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के लिए नीचे दर्शाए अनुसार 5035 कार्मिकों के साथ इंडिया रिजर्व पुलिस की पांच बटालियनें भी स्वीकृत की हैं:

क्र.सं.	रैंक	स्वीकृत संख्या
1.	पुलिप आयुक्त	20
2.	सहायक पुलिस आयुक्त	35
3.	निरीक्षक	40
4.	उप-निरीक्षक	130
5.	सहायक उप-निरीक्षक	115
6.	हैड कांस्टेबल	955
7.	कांस्टेबल	3375
8.	सिविलियन	20
9.	चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी	345
	कुल	5035

(ख) से (ङ) पुलिस बल को सुदृढ़ करना एक निरंतर प्रक्रिया है। सरकार, समय-समय पर, दिल्ली पुलिस की संख्या शक्ति की समीक्षा करती है और निधियों की आवश्यकता और उपलब्धता के अनुसार पद स्वीकृत करती है। सरकार ने दिल्ली पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या दिल्ली पुलिस की कुल संख्या शक्ति के 10% तक बढ़ाने का निर्णय लिया है।

आई.सी.डी.एस. के लिए प्राप्त सहायता

2970. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या को-आपरेटिव फार असिस्टेंस एंड रिलीफ ऐवरीवेयर (केयर) और वर्ल्ड फूड प्रोग्राम आदि जैसे अंतर्राष्ट्रीय स्वैच्छिक संगठन देश में आई.सी.डी.एस. परियोजनाओं को सहायता/राशि प्रदान कर रहे हैं; और

(ख) यदि हां, तो विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में दी गई सहायता का ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) जी, हां। देश में समेकित बाल विकास सेवा परियोजनाओं के लिए विभिन्न अंतर्राष्ट्रीय संगठनों द्वारा पिछले तीन वर्षों के दौरान दी गई सहायता का वर्ष-वार ब्यौरा संलग्न विवरण में दर्शाया गया है।

विवरण

1. कोआपरेटिव फार एसिस्टेंस एंड रिलीफ एवरीवेयर (केयर)

(रुपये करोड़ों में)

वर्ष	वस्तु का मूल्य	#नकदी घटक	कुल सहायता
2003-04	46.59	32.15	78.74
2004-05	53.21	42.96	96.71
2005-06	55.17	40.45	95.62

#भारत सरकार को सीधे कोई नकद राशि नहीं दी गई है, किंतु कार्मियों के क्षमता विकास, व्यवहार परिवर्तन संप्रेक्षण, आपूर्ति क्रम प्रबंधन में सुधार, मानीटरन तथा सहायक पर्यवेक्षण जैसे कार्यकलापों पर निधियां खर्च की गईं।

2. विश्व खाद्य कार्यक्रम

वर्ष	संपुष्ट मिश्रित खाद्य पदार्थों की आपूर्ति (मीट्रिक टनों में)	प्रदत्त संपुष्ट मिश्रित खाद्य पदार्थों का मूल्य (रुपए करोड़ों में)
2003	7,967	6.28
2004	18,639	14.69
2005	25,976	20.48

3. यूनीसेफ

(मिलियन अमरीकी डालर में)

वर्ष	नियमित संसाधन	अन्य संसाधन	कुल
2003 (व्यय)	3.64	2.60	6.25
2004 (व्यय)	4.07	3.74	7.82
2005 (आबंटन)	4.75	6.26	11.01

आतंकवादी गुटों को धन देना

2971. श्री कुलदीप बिश्नोई: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हवाला कारोबार के माध्यम से आतंकवादी गुटों को धन मिलने पर रोक लगाने के लिए कोई कानून है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा आतंकवादी गुटों को धन की प्राप्ति रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) सितम्बर, 2004 में यथासंशोधित विधि विरुद्ध क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1967 में आतंकवाद का वित्त पोषण रोकने संबंधी उपबंध हैं। अधिनियम में आतंकवादी संगठन की सम्पत्तियां और/या आतंकवादी आगम को कुर्क अथवा फ्रीज करने की अनुमति है। इसमें ऐसा करने के लिए विस्तृत प्रक्रिया भी निर्धारित की गई है। इसके अतिरिक्त, विदेशी अभिदाय (विनियमन), अधिनियम, 1976, (एफसीआरए) भी प्राप्तकर्त्ताओं द्वारा विदेशी धनराशि की प्राप्ति और इस्तेमाल को विनियमित और मानीटर करता है। विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम (एफईएमए) में हवाला के जरिए विदेशी मुद्रा के अप्राधिकृत स्थानांतरण के मामलों से निपटने के उपबंध हैं। धन शोधन निवारण अधिनियम तथा वित्तीय आसूचना यूनिट (एफआईयू-आईएनडी) भी प्रभावी हो गई हैं। अंतर-एजेंसी दृष्टिकोण अपनाने, माध्यमों का पता लगाने तथा आंतकवादी ग्रुपों द्वारा प्राप्त की जा रही धनराशि के इस्तेमाल का पता लगाने और आतंकवादियों को धनराशि के प्रवाह को रोकने के लिए तदनुसार वैधानिक उपबंध लागू करने के लिए समय-समय पर सुरक्षा और विधि प्रवर्तन और राजस्व एजेंसियों को सुग्राही बनाया जाता है।

व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान

2972. श्री मणी कुमार सुब्बा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र और राज्य सरकार के सहयोग से असम में 1998 में स्थापित किए गए दस व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थानों की स्थिति शोचनीय है जैसाकि दिनांक 27 जून, 2006 के 'असम ट्रिब्यून' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो सरकार द्वारा इन संस्थानों के कार्यकरण की देखरेख हेतु क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) इनमें से प्रत्येक संस्थान में क्या व्यावसायिक पाठ्यक्रम चलाए जाते हैं और प्रत्येक संस्थान में प्रशिक्षुओं और अनुदेशकों की संख्या कितनी है;

(घ) क्या प्रशिक्षुओं और अनुदेशकों को वर्ष 2004 से छात्रवृत्तियां और वेतन नहीं मिल रहा है; और

(ङ) यदि हां, तो इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जाने का विचार है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ङ) सूचना एकत्र की जा रही है और सभा पटल पर रख दी जाएगी।

मसालों का निर्यात

2973. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष तथा चालू वर्ष के दौरान देश-वार मसालों की कितनी मात्रा का निर्यात किया गया;

(ख) क्या उक्त अवधि के दौरान मसालों के निर्यात से हुई आय में कमी आई है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार मसालों के निर्यात हेतु राजसहायता देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) सरकार द्वारा मसालों का निर्यात बढ़ाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष में तथा चालू वर्ष के दौरान निर्यातित मसालों की मात्रा का देश-वार विवरण निम्नानुसार है-

प्रमुख देश	2003-04		2004-05(अ)		2005-06(अ)		2006-07 (अप्रैल-जून)	
	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)	मात्रा (मी. टन)	मूल्य (लाख रुपए)
यूएसए	36525.0	42934.1	40880.3	46929.1	39813.4	47738.6	11361.25	12743.81
मलेशिया	19585.3	9013.5	39625.3	14340.9	42609.3	14461.3	14397.94	5034.98
यूके	14453.0	12632.2	15080.5	12981.6	15291.5	13363.9	4460.70	3282.93
चीन	2590.3	7172.4	2767.7	8866.9	2976.7	13180.2	476.21	2362.33
जर्मनी	4680.9	10417.8	4916.7	11215.0	5018.4	11763.8	1257.68	2921.15
जापान	7749.8	10119.5	6686.3	11472.2	6902.4	10482.5	1733.21	1935.97
यूएई	22615.7	9511.6	22865.5	8684.5	25265.7	9291.4	8150.69	3029.08
श्रीलंका	29168.9	9980.4	36816.7	9463.3	33427.3	8538.4	4440.86	1625.30
सिंगापुर	4971.8	5886.0	6717.1	6733.2	5657.4	7160.8	1703.75	2074.94
सऊदी अरब	9191.9	5794.4	10114.1	5574.6	7365.3	5647.5	1840.86	1324.77
फ्रांस	2818.0	4753.4	2836.3	4768.4	2264.4	5033.5	568.25	689.17
अन्य	100031.4	62945.0	146182.1	78970.2	133935.3	82863.1	32983.59	24990.12
कुल	254381.8	191160.2	335488.5	220000.00	320527.0	229525.0	83375.00	62014.55

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) मसालों के निर्यात के लिए सब्सिडी प्रदान करने का इस समय कोई नया प्रस्ताव नहीं है। तथापि, सरकार द्वारा 20,000 टन काली मिर्च के निर्यात हेतु 20,000 टन की अधिकतम सीमा पर पहुंचने तक आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मालभाड़े के हिस्से की पूर्ति हेतु मालभाड़ा सब्सिडी पहले से ही प्रदान की जा रही है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

(च) मसालों के निर्यात को बढ़ाने हेतु सरकार द्वारा मसाला बोर्ड के माध्यम से उठाए गए कदमों का ब्यौरा निम्नलिखित है-

* उच्च अन्तिम मूल्यवर्धन हेतु प्रौद्योगिकी उन्नयन एवं उभरते वैश्विक खाद्य-सुरक्षा मानकों को पूरा करने के लिए क्षमताओं का विकास।
* हाईटेक प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां जैसे क्रोयोग्राइण्डिंग स्टीम स्टरलाइजेशन, सुपर फ्लूड एक्सट्रैक्शन तथा पैकेजिंग की उन्नत प्रणाली अपनाना।
* अन्य परीक्षणों के साथ-साथ कीटनाशी अवशिष्टों, एफ्लाटाक्सिन, भौतिक, रासायनिक तथा सूक्ष्मजैविक सन्दूषकों एवं मसालों की रासायनिक संरचना के परीक्षण हेतु निर्यातकों के परिसरों में ही प्रयोगशालाओं की स्थापना/उन्नयन हेतु सहायता।
* गुणवत्ता प्रमाणन प्रक्रियाएं अपनाना ताकि आईएसओ, एचएसीसीपी, एसएफक्यू 2000 के तहत मान्यता, जैविक प्रमाणन आदि हासिल हो सके।
* मसालों तथा मसाला उत्पादों के लिए ब्राण्ड युक्त उपभोक्ता पैकों हेतु नवीनतम पैकेजिंग का विकास करना एवं बार कोड अपनाना।

* निर्यातकों को अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों, बैठकों आदि में भाग लेने और सहायता की पेशकश के जरिए विदेशी क्रेताओं से व्यक्तिगत संपर्क एवं संबंध बनाने के लिए व्यावसायिक दौरे करने के लिए प्रोत्साहित करना।

* विदेशों में व्यावसायिक नमूने भेजने के लिए सहायता देना।

* मार्च, 2005 से ब्राण्डेड भारतीय मसालों की प्रमुख श्रेणी अर्थात् ''फ्लेवरिट'' की विश्वव्यापी प्रत्यक्ष बिक्री का संवर्धन करना।

* जैविक मसालों के निर्यात का संवर्धन करना।

* गुणवत्ता सुधार।

* नए बाजारों का पता लगाने हेतु व्यापारी शिष्टमण्डल भेजने अलावा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य मेलों व प्रदर्शनियों में सहभागिता के माध्यम से भारतीय मसालों का प्रजातीय संवर्धन।

* काली मिर्च को 20,000 टन मात्रा के निर्यात हेतु 20,000 टन की अधिकतम सीमा पर पहुंचने तक आंतरिक एवं अंतर्राष्ट्रीय मालभाड़े के एक भाग की पूर्ति हेतु डब्ल्यूटीओ सुसंगत सब्सिडी स्कीम।

महिलाओं और बच्चों का दुर्व्यापार

2974. श्रीमती पी. सतीदेवी: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सामाजिक विज्ञान संस्थान ने चालू वर्ष के दौरान यौन-कर्म के लिए महिलाओं और बच्चों के दुर्व्यापार के संबंध में कोई अनुसंधान किया है;

(ख) क्या यौन-कर्म के लिए असंगठित श्रम क्षेत्र से बच्चों की भर्ती की घटनाओं की जानकारी मिली है;

(ग) क्या मंत्रालय ने बच्चों के साथ दुर्व्यवहार को रोकने के लिए कोई पहल की है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) समाज विज्ञान संस्थान द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, संस्थान ने वर्ष 2003-05 के दौरान महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार पर एक अखिल भारतीय अध्ययन किया था। शोध कार्यक्रम के दौरान, असंगठित क्षेत्र में बच्चों के व्यावसायिक यौन उत्पीड़न के कई मामले उनकी जानकारी में आए।

(ग) और (घ) भारतीय दंड संहिता के साथ-साथ अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 में वेश्यावृत्ति हेतु बच्चों सहित सभी मानवों का अवैध व्यापार निषिद्ध है तथा देह व्यवसायियों के लिए कठोर दंड निर्धारित है। अब अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में संशोधन किया जा रहा है, जिसमें बच्चों सहित व्यक्तियों के अवैध व्यापार के लिए और कठोर सजा का प्रावधान होगा। संशोधित विधेयक को लोक सभा में 22 मई, 2006 को पेश किया गया और इस समय यह विधेयक मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति के विचाराधीन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय स्वाधार आश्रय गृहों को भी चला रहा है, जहां बाल यौन कर्मियों सहित सभी यौन कर्मियों को आश्रय, भोजन, कपड़ा, भावनात्मक समर्थन, परामर्श, पुनर्वास तथा अन्य सुविधाएं प्रदान की जाती हैं। यौन उत्पीड़न हेतु महिलाओं एवं बच्चों के अवैध व्यापार के निवारण हेतु एक प्रायोगिक परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित बाल वेश्यावृत्ति निवारण संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति प्रत्येक तिमाही में अवैध देह व्यापार तथा वेश्यावृत्ति के निवारणार्थ राज्यों के कार्यकलापों की समीक्षा करती है। मंत्रालय अवैध देह व्यापार के निवारण हेतु समर्थन, जागरूकता विकास तथा संचेतना कार्यक्रमों का भी आयोजन करता है।

शैक्षिक संस्थानों के लिए यूजीसी अनुदान

2975. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछड़े जिलों के संस्थान, जूनियर कालेजों आदि जैसे विशेष सुस्पष्ट प्रयोजनों हेतु अनुदानों सहित यूजीसी के माध्यम से उच्च संस्थानों को खेल, पुस्तकालय, दक्षता उन्नयन, आधुनिकीकरण सहित अवसंरचना और क्षमता वृद्धि हेतु दिए जाने वाले प्रत्येक श्रेणी के अनुदान हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ख) क्या बदलती परिस्थितियों के मद्देनजर इन मानदंडों के आधार की समीक्षा की जा रही है;

(ग) क्या यूजीसी ने योजना आयोग द्वारा कई संकेतकों के आधार पर नियत किए गए पिछड़े जिलों के अद्यतन श्रेणीकरण को अपना लिया है ताकि पिछड़े जिलों के योग्य कालेजों को अनुदान मिलना सुनिश्चित हो सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) सरकार द्वारा वर्तमान आवश्यकतानुकूल नए क्षेत्रों को शामिल करना अनिवार्य बनाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अस्सी अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के अनुसार, आयोग विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत सहायता के अनुमोदित तरीके के अनुसार उन पात्र विश्वविद्यालयों/कालेजों को वित्तीय सहायता प्रदान करता है जो धारा 2(च) के अंतर्गत शामिल किए गए हैं और जो विश्वविद्यालय अनुदान प्राप्त करने के उपयुक्त घोषित किए गए हैं। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग योजनागत के अंतर्गत पात्र राज्य विश्वविद्यालयों को केवल विकास अनुदान प्रदान करता है जबकि केन्द्रीय विश्वविद्यालयों और पात्र सम-विश्वविद्यालयों को योजनागत और योजनेतर दोनों तरह के अनुदान प्रदान किए जाते हैं। कालेजों को विकास सहायता की योजना के अंतर्गत कालेजों को बुनियादी अवसंरचना को मजबूत करने और पुस्तकों और शोध पत्रिकाओं और वैज्ञानिक उपकरणों जैसी उनकी बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

पिछड़े क्षेत्रों में विश्वविद्यालयों/कालेज हेतु विशेष विकास अनुदान की योजना के अंतर्गत, आयोग पहचान किए गए पिछड़े क्षेत्रों में स्थित पात्र कालेजों को विशेष विकास अनुदान प्रदान करता है ताकि योग्य कालेजों की समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित की जा सके। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा संस्तुत कालेज 'एककालिक अनुदान' के रूप में 10.00 लाख रु. तक प्राप्त करने का पात्र होता है। इस योजना के अंतर्गत पात्र विश्वविद्यालयों को 10वीं योजना आवंटन के अतिरिक्त 70.00 लाख रु. का एककालिक अतिरिक्त अनुदान प्रदान किया जाता है। आयोग समानता और उच्च शिक्षा तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए पात्र और योग्य नए कालेजों को भी वित्तीय सहायता प्रदान करता है।

(ख) जी, हां। प्रत्येक योजना में विशेषज्ञ समिति की सहायता से स्कीमों/दिशानिर्देशों की समीक्षा की जाती है।

(ग) से (च) जी, हां। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग उन पात्र विश्वविद्यालयों/कालेजों को अनुदान प्रदान कर रहा है जो ऐसे पिछड़े जिले में स्थित हैं जिसका साक्षरता स्तर योजना आयोग द्वारा वर्ष 2001 की जनगणना के आधार पर यथानिर्धारित कुल साक्षरता स्तर से नीचे है।

केन्द्रीय विद्यालयों को बंद करना

2976. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर असम में कार्यरत कुछ केन्द्रीय विद्यालयों को वहां पर पढ़ रहे छात्रों के लिए कोई वैकल्पिक प्रबंध किए बिना ही हाल में बंद कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थानवार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या नजदीक स्थित अन्य केन्द्रीय विद्यालय के स्कूल प्राधिकारियों ने केन्द्रीय विद्यालय से इस वर्ष दसवीं कक्षा पास करने वाले विद्यार्थियों को प्रवेश देने से मना कर दिया है; और

(घ) यदि हां, तो केन्द्रीय विद्यालय को बंद करने के औचित्य सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और नजदीक स्थित दूसरे केन्द्रीय विद्यालय के संबंधित प्राधिकारी द्वारा प्रवेश देने से मना करने के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) केन्द्रीय विद्यालय, बोंगाईगांव रिफायनरी एंड पैट्रोकैमिकल्स लि., असम, जो कि परियोजना क्षेत्र के अंतर्गत आता था, को परियोजना अधिकारियों द्वारा यह व्यवस्था करते हुए कि इस केन्द्रीय विद्यालय में पढ़ने वाले सभी इच्छुक छात्रों को नजदीकी केन्द्रीय विद्यालयों में प्रवेश दिया जाएगा, 1.4.2006 को बन्द कर दिया गया था।

(ग) और (घ) जी, नहीं। केन्द्रीय विद्यालय में कक्षा-XI में प्रवेश के सभी मामले केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार नियंत्रित किए गए थे।

मुसलमान बहुल क्षेत्रों में सर्व शिक्षा अभियान हेतु निधियां

2977. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार ने सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत 87 मुसलमान बहुल जिलों की पहचान की है जैसाकि दिनांक 12 जुलाई, 2006 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत इन जिलों को उपलब्ध कराई जाने वाली निधियों का ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) 1981 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर 20% से अधिक मुस्लिम जनसंख्या वाले 99 जिलों को सर्व शिक्षा अभियान के तहत अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों के रूप में अभिचिह्नित किया गया था। इनमें से 22 जिले उत्तर प्रदेश राज्य में, 15 बिहार में, 11 पश्चिम बंगाल में, 7 केरल में, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में प्रत्येक में 6, राजस्थान और गुजरात में प्रत्येक में 5, असम और महाराष्ट्र में प्रत्येक में 4, मध्य प्रदेश और झारखंड में प्रत्येक में 3, तमिलनाडु में 2 तथा अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दिल्ली, लक्षद्वीप, पांडिचेरी, उत्तरांचल और हरियाणा में प्रत्येक में एक जिला है।

(ग) वर्ष 2006-07 के लिए सर्व शिक्षा अभियान के तहत कुल परिव्यय का लगभग 25% इन अल्पसंख्यक बाहुल्य वाले जिलों के लिए प्रदान किया गया है।

हिमाचल प्रदेश में चाय उत्पादक

2978. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ राज्यों में विशेषकर हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में बड़ी संख्या में चाय उत्पादकों ने चाय की फसल उगाना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इन राज्यों में चाय उत्पादकों को बचाने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) उपलब्ध सूचना के अनुसार हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में कुछेक उपजकर्त्ताओं को छोड़कर अन्य चाय उत्पादक राज्यों में उपजकर्त्ताओं ने चाय की फसल उगाना बंद नहीं किया है। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में तीन सहकारी कारखाने बंद हो जाना और पारिवारिक बंटवारे के कारण चाय की खेती का क्षेत्र छोटे-छोटे भूखण्डों में विभक्त हो जाना आदि कुछेक ऐसे कारण हैं जिनसे कुछेक चाय उपजकर्त्ताओं ने पत्तियां तोड़ना बंद कर दिया है।

(ग) हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले में चाय के बंद पड़े कारखानों में से दो का निजीकरण राज्य सरकार द्वारा उन्हें निजी फर्मों को पट्टे पर देकर किया गया है और इन कारखानों के आसपास के चाय उपजकर्त्ताओं ने अब चाय की खेती करना और पत्तियों को नियमित रूप से तोड़ना फिर शुरू कर दिया है। दो पुराने चाय कारखानों ने चाय बोर्ड की वित्तीय सहायता से अपनी प्रसंस्करण क्षमताओं को काली परम्परागत चाय के विनिर्माण में परिवर्तित कर उनका उन्नयन किया है। छोटी विनिर्माण इकाईयों को अच्छी गुणवत्ता की हरी चाय के उत्पादन हेतु प्रोत्साहित किया जा रहा है और 17 यूनिटों ने अपना पंजीयन चाय बोर्ड में कराया है। इसके अलावा, उपजकर्त्ताओं को पुन:रोपण/नवीकरण, कटाई-छंटाई और भराई के जरिए उनके परित्यक्त बागानों के पुनरुद्धार करने के लिए भी चाय बोर्ड द्वारा सहायता दी जाती है। चाय बोर्ड द्वारा स्थान विशिष्ट अनुसंधान एवं विस्तार कार्यकलापों के लिए सहायता अनुदान के रूप में वित्तीय सहायता भी प्रदान की जा रही है।

[हिन्दी]

उद्योग-विहीन जिला

2979. श्री हरिसिंह चावड़ा:
डा. धीरेंद्र अग्रवाल:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्तमान में उद्योग-विहीन जिलों के रूप में राज्य-वार कितने जिलों की पहचान की गई है;

(ख) किसी जिले को उद्योग विहीन जिला घोषित करने हेतु क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं;

(ग) सरकार द्वारा उद्योग-विहीन जिलों में विकास कार्यों को आरंभ करने हेतु क्या प्रयास किए गए हैं; और

(घ) इस संबंध में किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप सरकार को कितनी सफलता प्राप्त हुई है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग ने उद्योग रहित जिलों की पहचान करने के लिए कोई अभियान नहीं चलाया है। तथापि, वित्त मंत्रालय ने आयकर छूट के प्रयोजनार्थ 53 जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में श्रेणी 'क' तथा 70 जिलों को श्रेणी 'ख' के रूप में अधिसूचित किया है। इन जिलों का उल्लेख करने वाली अधिसूचना संलग्न विवरण में दी गई है।

(ख) वित्त मंत्रालय द्वारा उन जिलों को औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले श्रेणी 'क' के रूप में अधिसूचित किया था जो निम्नलिखित शर्तें पूरी करते थे:

(1) वह जिला जिसकी अखिल भारतीय ग्रेडेशन सूची में कुल वेटेड सूचकांक की गिनती 250 अथवा उससे कम है अथवा।

(2) जिस जिले को अखिल भारतीय ग्रेडेशन सूची में उद्योग रहित जिले के रूप में दर्शाया गया था जिसे वित्तीय, अवसंरचनात्मक तथा औद्योगिक मानदण्डों के आधार पर तैयार किया गया था, अथवा

(3) जो जिला पहाड़ी क्षेत्र जिला दूरस्था था जैसा कि आठवीं योजना दस्तावेज में दर्शाया गया है और जिसकी कुल वेटेड सूचकांक की गिनती अखिल भारतीय ग्रेडेशन सूची में 500 अथवा उससे कम थी, अथवा

(4) जिस जिले के पास 01 अप्रैल, 1994 को कोई रेल शीर्ष नहीं था और जिसकी कुल वेटेड सूचकांक की गिनती अखिल भारतीय ग्रेडेशन सूची में 500 अथवा उससे कम थी।

(ग) और (घ) विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत पिछड़े क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य तथा केन्द्र सरकारों द्वारा ठोस प्रयास किये जा रहे हैं जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ राजकोषीय रियायतें, बेहतर औद्योगिक अवसंरचना विकास तथा उद्योग की स्थापना के लिए एक अनुकूल निवेश माहौल की व्यवस्था करना शामिल है। इनमें विकास केन्द्र योजना, औद्योगिक अवसंरचना उन्नयन योजना, पूर्वोत्तर औद्योगिक नीति पैकेज, विशिष्ट श्रेणी राज्य पैकेज, चमड़ा क्षेत्र का एकीकृत विकास तथा औद्योगिक पार्क नीति योजना औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा चलाई जा रही योजना में शामिल हैं।

विवरण

अधिसूचना : का.आ. 714(ई)
संदर्भित धारा (एं): 80 आई ए
स्थिति : आयकर
जारी करने की तिथि : 7.10.1997

आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 15) की धारा-3 द्वारा यथासंशोधित आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 80-1ए द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, राजस्व विभाग (केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड) की दिनांक 3 सितम्बर, 1997 की अधिसूचना संख्या 636(ई) के अतिक्रमण में उक्त अतिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किये जाने से हटाई गई वस्तुओं के अतिरिक्त, केन्द्र सरकार एतद्द्वारा आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11-ईए के साथ पठित 80-1ए की उपधारा (2) के खण्ड (4) के उपखण्ड (ग) के अंतर्गत निम्नलिखित जिलों को श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों के रूप में विनिर्दिष्ट करती है, नामत:-

क. औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले श्रेणी 'क'

1. गोड्डा बिहार, 2. गुमला बिहार, 3. अररिया बिहार, 4. गढ़चिरोली महाराष्ट्र, 5. माधेपुरा बिहार, 6. सिद्धार्थनगर उत्तर प्रदेश, 7. दुमका बिहार, 8. मांडला मध्य प्रदेश, 9. खगड़िया बिहार, 10. किशनगंज बिहार, 11. मालदा पश्चिम बंगाल, 12. पलामू बिहार, 13. फुलबनी उड़ीसा, 14. मधुबनी बिहार, 15. कालाहांडी उड़ीसा, 16. जहानाबाद बिहार, 17. सहरसा बिहार, 18. पश्चिम दिनाजपुर पश्चिम बंगाल, 19. नवादा बिहार, 20. बहराइच उत्तर प्रदेश, 21. सीतामढ़ी बिहार, 22. साहबगंज बिहार, 23. मुर्शिदाबाद पं. बंगाल, 24. कूच बिहार पं. बंगाल, 25. बांकुरा पं. बंगाल, 26. पन्ना मध्य प्रदेश, 27. प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, 28. महाराजगंज, उत्तर प्रदेश, 29. जालौर राजस्थान, 30. औरंगाबाद बिहार, 31. पूर्वी चंपारन बिहार, 32. बांदा उत्तर प्रदेश, 33. बाड़मेर राजस्थान, 34. पूर्णियां बिहार, 35. बस्तर मध्य प्रदेश, 36, सीवान बिहार, 37. वैशाली बिहार, 38. बस्ती उत्तर प्रदेश, 39. सरगुजा मध्य प्रदेश, 40. चमौली उत्तर प्रदेश, 41. जैसलमेर राजस्थान, 42. लोहरदग्गा बिहार, 43. छतरपुर, मध्य प्रदेश, 44. उत्तरकाशी उत्तर प्रदेश, 45. चुरू राजस्थान, 46. वायनाड केरल, 47. इडुक्की केरल, 48. जलपाइगुड़ी पश्चिम बंगाल, 49. अल्मोड़ा उत्तर प्रदेश, 50. पिथौरागढ़ उत्तर प्रेदश, 51. टिहरी गढ़वाल उत्तर प्रदेश, 52. द. डांग्स गुजरात, 53. बांसवाड़ा राजस्थान।

ख. औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले श्रेणी 'ख'

1. श्रीकाकुलम आंध्र प्रदेश, 2. महबूबनगर आंध्र प्रदेश, 3. कटिहार बिहार, 4. भागलपुर बिहार, 5. गोपालगंज बिहार, 6. दरभंगा बिहार, 7. पश्चिम चंपारन बिहार, 8. सारण बिहार, 9. भोजपुर बिहार, 10. समस्तीपुर बिहार, 11. देवघर बिहार, 12. नालंदा बिहार, 13. गया बिहार, 14. मुजफ्फरपुर बिहार, 15. रोहतास बिहार, 16. बनासकांठा गुजरात, 17. साबरकांठा गुजरात, 18. बिदर कर्नाटक, 19. सिओनी मध्य प्रदेश, 20. टीकमगढ़ मध्य प्रदेश, 21. शिवपुरी मध्य प्रदेश, 22. बालाघाट मध्य प्रदेश, 23. झाबुआ मध्य प्रदेश, 24. सिधि मध्य प्रदेश, 25. विदिशा मध्य प्रदेश, 26. रायगढ़ मध्य प्रदेश, 27. मुरैना मध्य प्रदेश, 28. बेतुल मध्य प्रदेश, 29. राजगढ़ मध्य प्रदेश, 30. राजनंदगांव मध्य प्रदेश,

31. सागर मध्य प्रदेश, 32. बीड़ महाराष्ट्र, 33. बोलनगीर उड़ीसा, 34. मयूरभंज उड़ीसा, 35. बालासोर उड़ीसा, 36. गंजम उड़ीसा, 37. डूंगरपुर राजस्थान, 38. धौलपुर राजस्थान, 39. सवाई माधोपुर राजस्थान, 40. टोंक राजस्थान, 41. नागौर राजस्थान, 42. झालावाड़ राजस्थान, 43. सीकर राजस्थान, 44. हरदोई उत्तर प्रदेश, 45. ललितपुर उत्तर प्रदेश, 46. हमीरपुर उत्तर प्रदेश, 47. बदायूं उत्तर प्रदेश, 48. फतेहपुर उत्तर प्रदेश, 49. आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, 50. एटा उत्तर प्रदेश, 51. बाराबंकी उत्तर प्रदेश, 52. इटावा उत्तर प्रदेश, 53. देओरल उत्तर प्रदेश, 54. गाजीपुर उत्तर प्रदेश, 55. बलिया उत्तर प्रदेश, 56. जौनपुर उत्तर प्रदेश, 57. सीतापुर उत्तर प्रदेश, 58. जालोन उत्तर प्रदेश, 59. उन्नाव उत्तर प्रदेश, 60. फैजाबाद उत्तर प्रदेश, 61. कानपुर देहात उत्तर प्रदेश, 62. मानपुरी उत्तर प्रदेश, 63. गौंडा उत्तर प्रदेश, 64. फरूखाबाद उत्तर प्रदेश, 65. सुलतानपुर उत्तर प्रदेश, 66. मिर्जापुर उत्तर प्रदेश, 67. मऊ उत्तर प्रदेश, 68. पुरूलिया पश्चिम बंगाल, 69. बीरभूम पश्चिम बंगाल, 70. मिदनापुर पश्चिम बंगाल।

स्पष्टीकरण: इस अधिसूचना के प्रयोजनार्थ, जिले दिनांक 4 अक्तूबर, 1994 की पिछड़े जिलों की पहचान पर अध्ययन दल की रिपोर्ट में उल्लिखित जिलों के अनुसार हैं और उन जिलों पर आधारित हैं जो 1991 की जनगणना में थे। जहां धारा 80-1ए के प्रयोजनार्थ औद्योगिक रूप से पिछड़े जिले के रूप में विनिर्दिष्ट किसी जिले का 1991 की जनगणना के बाद पुनर्गठन किया जाता है, चाहे विभाजित कर या अन्यथा, तो 1991 की जनगणना रिपोर्ट के समय उस जिले में शामिल सभी क्षेत्र इस नियम के प्रयोजन हेतु पात्र होंगे।

2. यह अधिसूचना अक्टूबर, 1994 के प्रथम दिन से लागू मानी जाएगी।

व्याख्यात्मक ज्ञापन

केन्द्र सरकार ने आयकर अधिनियम 1961 की धारा 80-1ए के प्रयोजनार्थ औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों की पहचान के लिए एक अध्ययन दल का गठन किया था। इस दल ने अपनी रिपोर्ट केन्द्र सरकार को अक्टूबर, 1994 के माह में प्रस्तुत की थी। उक्त रिपोर्ट की समीक्षा के लिए केन्द्र सरकार ने एक और अध्ययन दल का गठन किया। दोनों ही अध्ययन दलों की रिपोर्टों के आधार पर, केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया कि औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को दो श्रेणियों अर्थात् श्रेणी 'क' और श्रेणी 'ख' में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। आयकर (संशोधन) अध्यादेश, 1997 (1997 का 15) के द्वारा धारा 80-1ए में संशोधन किया गया था ताकि श्रेणी 'क' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों तथा श्रेणी 'ख' के औद्योगिक रूप से पिछड़े जिलों को वर्गीकृत किया जा सके। उक्त अध्यादेश 16 सितंबर, 1997 को लागू हो गया। आयकर नियमावली, 1962 के नियम 11ईए में भी पूर्व प्रभाव से, 1.10.1994 से इस प्रकार संशोधन कर दिया गया है कि उक्त अध्यादेश के द्वारा आयकर अधिनियम की धारा 80-1ए में किया गया संशोधन प्रभावी हो जाए। यह प्रमाणित किया जाता है कि इस संशोधन को पूर्व प्रभाव से लागू करने से करदाताओं के हितों के साथ भेदभाव नहीं होगा।

हस्ता/- डा. धीरज भटनागर, अवर सचिव, भारत सरकार
[अधिसूचना सं. 10441/फा.सं. 142/20/94-टीपीएल (भाग-3)]

[अनुवाद]

भारत-अमरीका व्यापार

2980. श्री धनुषकोडी आर. अतिथन: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत और अमरीका वर्ष 2008 तक दोनों देशों के बीच व्यापार को दोगुना करने पर सहमत हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या अमरीका ने भारत में नए पद सृजित करने का निर्णय लिया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इन कदमों से भारत को अमरीका के साथ व्यापार में वृद्धि करने में कितनी सहायता मिलेगी?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) नवम्बर, 2005 में नई दिल्ली में आयोजित भारत-अमरीका व्यापार नीति मंच की पहली बैठक में दोनों पक्ष इस बात पर सहमत हुए थे कि भारत और अमरीका का उद्देश्य वर्ष 2008 तक द्विपक्षीय व्यापार को दुगुना करके कम से कम 40 बिलियन अम. डा. करना होगा।

(ग) और (घ) यह पता चला है कि अमरीकी राज्य विभाग ने भारत में कुछ नए पदों का सृजन किया है। ट्रेजरी विभाग द्वारा नई दिल्ली स्थित अमरीकी दूतावास में अटैची के पद पर किसी अधिकारी को नामित किए जाने की सूचना मिली है। अमरीकी व्यापार प्रतिनिधि (यूएसटीआर) के कार्यालय ने भी यह इंगित किया है कि एक अधिकारी को आईपीआर (बौद्धिक सम्पदा अधिकार) अटैची के पद पर नामित किया गया है। अब फेडरल एविएशन एजेंसी के एक अधिकारी ने भी कार्यभार ग्रहण कर लिया है।

(ङ) भारत-अमरीका द्विपक्षीय व्यापार में वृद्धि की प्रवृत्ति रही है। वर्ष 2005 में द्विपक्षीय व्यापार में 26.79 बिलियन तक की वृद्धि हुई है जिससे 2004 की तुलना में 2005 में 23.62% की वृद्धि प्रदर्शित होती है। जनवरी से मई, 2006 तक की अवधि के दौरान वर्ष 2005 की इसी अवधि के दौरान हुई वृद्धि की तुलना में 20.34% की वृद्धि हुई है। वर्ष 2005 के पहले 5 महीनों के दौरान कुल द्विपक्षीय करार 12.66 बिलियन अमरीकी डालर का रहा है।

[हिन्दी]

दिल्ली में बम की झूठी सूचना

2981. श्री गणेश सिंह: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान दिल्ली पुलिस को बम की कितनी झूठी सूचनाएं प्राप्त हुई हैं;

(ख) इस संबंध में की गई जांच का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में कितने व्यक्तियों को गिरफ्तार किया गया है;

(घ) उक्त व्यक्तियों को दिए गए दंड का स्वरूप क्या है एवं इसकी अवधि कितनी है; और

(ङ) दिल्ली पुलिस दिल्ली में बम की झूठी सूचना देने वालों पर किस प्रकार लगाम लगाने का प्रयास कर रही है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (घ) वर्ष 2003, 2004, 2005 और 2006 (31 जुलाई तक) के दौरान दिल्ली पुलिस द्वारा प्राप्त कुल झूठी सूचनाओं, गिरफ्तार किए गए व्यक्तियों और उनके विरुद्ध की गई कार्रवाई के ब्योरे संलग्न विवरण में दिए गए हैं।

(ङ) बम की झूठी सूचनाओं को नियंत्रित करने हेतु दिल्ली पुलिस द्वारा उठाए गए कदमों में, एसटीडी/पीसीओ बूथ मालिकों के साथ समय-समय पर बैठकें आयोजित करना; उन्हें सूचना देने वालों का उचित रिकार्ड रखने की सलाह देना; मीडिया और जनसभाओं के माध्यम से आम जनता को सुग्राही बनाना; पुलिस नियंत्रण कक्ष के प्रत्येक नम्बर को कालर आईडी प्रदान करना; और पुलिस स्टेशनों के स्टाफ को इस संबंध में ब्रीफ करना शामिल हैं।

विवरण

झूठी सूचना देने वालों के विरुद्ध की-गई-कार्रवाई

वर्ष	प्राप्त झूठी सूचनाओं की संख्या	दर्ज की गई झूठी सूचनाएं	दर्ज किए गए मामलों	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	गिरफ्तार व्यक्तियों का निपटारा			दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 107/151 के अंतर्गत निवारक कार्रवाई (कालंद्र)				भारतीय दंड संहिता की धारा 182 के अंतर्गत कार्रवाई (कालंद्र)				दिल्ली पुलिस अधिनियम 93/97 (कालंद्र)			
					जांच पड़ताल चल रही है	विचारण चल रहा है	रिहा किए गए	कालंद्र	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निपटारा: विचारण चल रहा है	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निपटारा: दोषसिद्ध व्यक्ति	कालंद्र	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निपटारा: विचाराधीन व्यक्ति	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निपटारा: दोषसिद्ध व्यक्ति	कालंद्र	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निपटारा: विचाराधीन व्यक्ति	गिरफ्तार किए गए व्यक्ति का निपटारा: दोषसिद्ध व्यक्ति
2003	118	114	4	5	1	3	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2004	97	95	2	1	–	1	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–	–
2005	137	129	4	3	1	2	–	2	2	2	–	1	1	–	1	1	1	–	1
															500/- रु. का जुर्माना किया गया				100 रु. का जुर्माना किया गया
2006 (31.7.2006)	76	67	6	8	8	–	–	1	1	1	–	2	2	2	–	–	–	–	–

लाटरी

2982. **श्री छत्तर सिंह दरबार:**
श्री थावरचन्द गेहलोत:
श्री सी.एच. विजयशंकर:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) लाटरी (विनियम) अधिनियम 1998 (सं. 17/1998) को अधिनियमित करने के क्या कारण हैं;

(ख) क्या यह अधिनियम राज्य सरकारों को लाटरी प्रणालियों को नियंत्रित करने की स्वतंत्रता का प्रावधान करता है;

(ग) यदि हां, तो वे राज्य अलग-अलग कौन-कौन से हैं जिनमें लाटरियों की अनुमति दी गई है और इस पर पूर्णत: प्रतिबंध लगाया गया है;

(घ) क्या देश में कतिपय स्थानों पर लाटरी टिकटों की अभी भी बिक्री की जा रही है;

(ङ) यदि हां, तो लाटरी के व्यापार से सरकार द्वारा राज्य-वार कितनी आय अर्जित की जा रही है;

(च) क्या सरकार ने लाटरियों पर प्रतिबंध लगाने की कोई योजना तैयार की है; और

(छ) यदि हां, तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) लाटरी के संचालन में सूचित अनाचार और समाज के गरीब वर्ग पर इसके प्रभाव के कारण सरकार लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 अधिनियमित करने के लिए उद्यत हुई।

(ख) राज्य सरकारें लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 4 के अंतर्गत लगाई गई शर्तों के अनुसार अपने राज्यों में लाटरियों का संचालन करती हैं। इस अधिनियम की धारा 5 के अनुसार, राज्य सरकार, राज्य के भीतर, प्रत्येक अन्य राज्य आयोजित, संचालित या प्रोत्साहित किसी लाटरी की टिकटों की बिक्री को रोक सकती है। उच्चतम न्यायालय ने 1999 की सिविल अपील सं. 2747, मैसर्स बीआर एनटरप्राइजिस बनाम उत्तर प्रदेश और अन्य, में दिनांक 7.5.1999 के अपने निर्णय में यह आदेश पारित किया कि राज्य सरकारें अपने क्षेत्राधिकार में, अन्य सभी राज्यों की लाटरियों की टिकटों की बिक्री पर केवल तभी प्रतिबंध लगा सकती हैं जब वह यह निर्णय करे कि वह अपने क्षेत्र में अपनी लाटरी सहित कोई भी लाटरी नहीं चलने देगी।

(ग) और (घ) उपलब्ध सूचना के अनुसार, अरुणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, पंजाब, सिक्किम, त्रिपुरा और पश्चिम बंगाल सरकारें अपने राज्यों में लाटरियों का संचालन कर रही हैं। गोवा और मणिपुर सरकार ने इस समय अस्थायी रूप से लाटरियों पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और उत्तरांचल सरकारों ने लाटरी (विनियमन) अधिनियम, 1998 की धारा 5 के अंतर्गत अपने राज्यों के भीतर लाटरी टिकटों की बिक्री पर रोक लगाई हुई है।

(ङ) केन्द्रीय रूप से ऐसे कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं।

(च) और (छ) लाटरी (निषेध) विधेयक, 1999 राज्य सभा में 23.12.1999 को पेश किया गया था।

संगमरमर का आयात/निर्यात

2983. **श्री जसवंत सिंह बिश्नोई:** क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वे राज्य कौन-कौन से हैं जहां से वर्तमान में संगमरमर का निर्यात किया जा रहा है;

(ख) सरकार द्वारा देश में विशेषकर राजस्थान में संगमरमर उद्योग को बढ़ावा देने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार संगमरमर के आयात पर प्रतिबंध लगाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) देश में राजस्थान राज्य में संगमरमर सर्वाधिक है और इसलिए संगमरमर तथा संगमरमर के उत्पादों का अधिकांश निर्यात राजस्थान से किया जा रहा है। मध्य प्रदेश, उड़ीसा, और गुजरात में संगमरमर और संगमरमर उत्पादों का अल्प मात्रा में उत्पादन किया जाता है और निर्यात भी किया जाता है।

(ख) खान मंत्रालय ने सचिव (खान) की अध्यक्षता में संगमरमर विकास संबंधी समूह (जीएमडी) का गठन किया है जिसके सदस्य राज्य सरकारों, वाणिज्य मंत्रालय, भारतीय भू-विज्ञान सर्वेक्षण, भारतीय खान ब्यूरो एवं उद्योग के प्रतिनिधि हैं। जीएमडी

के विचारार्थ विषयों में अन्य बातों के साथ-साथ संगमरमर के त्वरित विकास हेतु उपायों की सिफारिश करना तथा संगमरमर हेतु प्रौद्योगिकी का उन्नयन करना और उसका वैज्ञानिक ढंग से खनन करना शामिल है। संगमरमर, खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम (एमएमडीआर अधिनियम), 1957 की धारा 3(ङ) के तहत एक गौण खनिज है और इसलिए, राज्य सरकारों को संगमरमर के लिए खनिज रियायत प्रदान करने हेतु नियम बनाने की शक्ति प्राप्त है। तथापि, खान मंत्रालय ने संगमरमर के संसाधनों को संरक्षित करने के लिए उसके संरक्षण और व्यवस्थित विकास तथा वैज्ञानिक रीति से खनन करने और पूरे देश में संगमरमर के योजनाबद्ध और वैज्ञानिक तरीके से खनन करने के संबंध में एक समान कार्यढांचा उपलब्ध कराने के लिए एमएमडीआर अधिनियम, 1957 की धारा 18 के तहत संगमरमर विकास संरक्षण नियमावली, 2002 को अधिसूचित किया है।

(ग) से (ङ) संगमरमर के आयात पर रोक लगाने के लिए कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन नहीं है।

[अनुवाद]

एनसीईआरटी की बैठकें

2984. श्री प्रहलाद जोशी:
डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2005-06 के दौरान एनसीईआरटी द्वारा आयोजित संगोष्ठियों, सम्मेलनों और परामर्शदात्री बैठकों की संख्या कितनी है;

(ख) इनमें से प्रत्येक से संबंधित स्थानों, विषयों एवं इन पर किए गए व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ग) एनसीईआरटी की ओर से एनसीईआरटी की निधियों से कितनी संगोष्ठियों, सम्मेलनों, बैठकों का आयोजन किया गया था; और

(घ) इस पर कुल कितना व्यय किया गया है और इस प्रयोजनार्थ वर्तमान वर्ष हेतु बजट में कितना धन नियत किया गया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) सूचना एकत्र की जा रही है तथा सभा पटल पर रख दी जाएगी।

शिक्षा नीति हेतु सहायता

2985. श्री रवि प्रकाश वर्मा:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केंद्र सरकार शिक्षा नीति के क्रियान्वयन हेतु संस्थानों एवं संगठनों को अध्ययन, संगोष्ठियों के मूल्यांकन आदि के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध करा रही है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान इस संबंध में विभिन्न संस्थानों एवं संगठनों को उपलब्ध कराई गई सहायता का राज्य-वार ब्यौरा क्या है; और

(ग) शिक्षा नीति के क्रियान्वयन में इन संस्थानों एवं संगठनों का कितना योगदान है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) ब्यौरे संलग्न विवरण में हैं।

(ग) योजना के अंतर्गत सहायता प्राप्त संस्थाएं शिक्षा के संवर्धन में रत हैं।

विवरण

गत तीन वर्षों के दौरान विभिन्न संस्थाओं तथा संगठनों को प्रदान की जाने वाली सहायता का राज्यवार ब्यौरा

क्र.सं.	संस्था/संगठन का नाम व पता	2003-04 रु.	2004-05 रु.	2005-06 रु.
1	2	3	4	5
आंध्र प्रदेश				
1.	डा. डी. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, हैदराबाद	1,99,398	-	-

1	2	3	4	5
2.	आंध्र विश्वविद्यालय, विशाखापट्टनम	1,50,000	–	–
3.	विज्ञान भारती और महर्षि भारद्वाज सोसायटी, आंध्र प्रदेश	1,50,000	–	–
4.	डा. डी. स्वामीनाथन रिसर्च फाउंडेशन, हैदराबाद	1,23,578	–	–
असम				
1.	दी गोरगोरीपार रूरल डेवलपमेंट आर्गनाइजेशन, कचार, असम	50,000	–	–
2.	पठारी वोकेशनल इंस्टीट्यूट, नगांव, असम	1,00,000	1,00,000 75,000	75,000
बिहार				
1.	इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, पटना	–	3,50,000	–
गुजरात				
1.	सेंटर फार एनवायरमेंट एजुकेशन, अहमदाबाद	–	1,50,000	–
हरियाणा				
1.	आई.डी.एफ., गुड़गांव	–	–	18,33,000
जम्मू-कश्मीर				
1.	कश्मीर विश्वविद्यालय, हजरतबल, श्रीनगर	–	30,000	–
केरल				
1.	केरल हिस्ट्री एसोसिएशन, कोच्चि	–	–	2,50,000
महाराष्ट्र				
1.	दी स्पास्टिक सोसायटी आफ इंडिया, मुम्बई	–	1,50,000	1,50,000 1,09,730
2.	डेक्कन कालेज पोस्ट ग्रेजुएट एण्ड रिसर्च इंस्टीट्यूट, पुणे	–	–	1,00,000
उड़ीसा				
1.	बाटा गोस्वामी रिक्रिएशन क्लब, भुवनेश्वर	–	–	1,50,000
पंजाब				
1.	डी.ए.वी. कालेज आफ एजुकेशन अमृतसर, पंजाब	67,101	1,89,853 83,000	–

1	2	3	4	5
2.	संत लोंगोवाल इंस्टीट्यूट आफ इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नालोजी, लोंगोवाल जिला, पंजाब	42,707	–	–
3.	सेंटर फार रिसर्च एण्ड इंडस्ट्रियल रिसर्च, चंडीगढ़	–	–	2,50,000
राजस्थान				
1.	मित्र मण्डली तरूण समाज समिति, भरतपुर	3,00,000 1,50,000	1,50,000	1,50,000
2.	संस्कार ज्योति, जयपुर	–	1,00,000	–
3.	भारतीय शिक्षा शोध एवं निर्देशन संस्थान, जयपुर	–	1,00,000	–
उत्तर प्रदेश				
1.	भारतीय विद्या अध्ययन केंद्र, वाराणसी	–	50,000	–
2.	इंस्टीट्यूट फार रूरल एंटरप्रिन्योरशिप, डेवलपमेंट आफ रिसर्च, 32 नरेन्द्र नगर, उन्नाव-उत्तर प्रदेश	1,50,000	1,50,000	–
3.	निर्बल वर्ग ग्रामोदय विकास समिति, गाजीपुर, उत्तर प्रदेश	1,14,400	1,14,400	–
4.	इंडियन सोशल एजुकेशनल फार्मर्स एसोसिएशन, इलाहाबाद	1,50,000	1,50,000	–
5.	आई.आई.आई.टी., इलाहाबाद	–	3,00,000	–
6.	गांधियन इंस्टीट्यूट आफ स्टडीज, वाराणसी	–	2,50,000	2,00,000 2,50,000
7.	अलीगढ़ हिस्टोरियन सोसायटी, अलीगढ़	–	75,000 67,160	75,000
8.	ज्ञानदीप शिक्षा भारती, मथुरा, उत्तर प्रदेश	–	1,20,000	1,20,000
9.	आई.आई.एम., लखनऊ	–	–	3,13,932
10.	लखनऊ विश्वविद्यालय	–	–	18,973
11.	पिपुल्स काउंसिल आफ एजुकेशन, इलाहाबाद	–	–	1,50,000
12.	इंडियन एकेडमी आफ सोशल साइंसेज, इलाहाबाद	–	2,50,000	2,39,759 2,50,000

1	2	3	4	5
उत्तरांचल				
1.	एच.एन.बी. गढ़वाल विश्वविद्यालय (गढ़वाल)-उत्तर प्रदेश	1,19,412	–	–
पश्चिम बंगाल				
1.	साइंस कम्यूनिकेटर्स फोरम, कोलकाता	–	1,50,000	–
2.	इंडियन इंस्टीट्यूट आफ बायो सोशल रिसर्च एंड डेवलपमेंट, कोलकाता	1,50,000	1,50,000	–
3.	विक्रमशिला एजुकेशन रिसोर्स सोसायटी, कोलकाता	–	1,84,020	–
4.	इंस्टीट्यूट आफ डेवलपमेंट स्टडीज, कोलकाता	–	2,50,000	2,00,000
5.	यूनिवर्सिटी आफ कल्याणी	–	–	50,000
6.	इंडियन हिस्ट्री कांग्रेस, विश्वशांति, पश्चिम बंगाल	–	–	1,37,500
7.	एच.आई.जे.एल.आई. इंस्पायरेशन, कोलकाता	–	–	1,27,000
दिल्ली				
1.	काउंसिल आफ बोर्ड्स आफ स्कूल एजुकेशन इन इंडिया, दिल्ली-52	2,08,000 47,850	1,00,000 1,37,559 50,000	92,331 74,552 46,000 1,50,000
2.	सोसायटी फार सोशल सर्विसेज	–	50,000	–
3.	मीडिया मैनेजमेंट ग्रुप फार लिटरेसी एंड डेवलपमेंट, नई दिल्ली	–	1,60,000	–
4.	गांधी हिन्दुस्तानी साहित्य सभा, नई दिल्ली-110002	1,00,000	–	–
5.	खास किताब फाउंडेशन, 205, गुलमोहर एन्कलेव, नई दिल्ली-110049	96,301	–	–
6.	हिमालयन बुद्धिस्ट कल्चरल एसोसिएशन, दिल्ली-54	1,00,000	–	–
7.	स्पंदन, नई दिल्ली-54	50,000	50,000	–
8.	इंडियन एसोसिएशन आन पार्लियामेंटेरियंस आन पापुलेशन एंड डेवलपमेंट, दिल्ली	–	1,50,000	–
9.	हरियाली सेंटर फार रूरल डेवलपमेंट, नई दिल्ली	–	1,50,000	–

1	2	3	4	5
10.	साक्षी, नई दिल्ली	–	80,000	70,700
11.	भारतीय शिक्षा शोध एवं निर्देशन संस्थान, जयपुर	–	1,00,000	–
12.	स्पास्टिक सोसायटी आफ इंडिया	–	–	1,50,000
13.	विलियम केरे स्टडी एंड रिसर्च सेंटर	–	–	60,000
14.	आल इंडिया ट्राईबल स्टुडेंट्स एसोसिएशन	–	1,00,000	75,705
15.	नेशनल काउंसिल आफ एप्लाइड एसोसिएशन	–	–	13,48,725
16.	जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय	–	1,16,700	1,50,000
17.	सोसायटी फार डिस्बेलिटी एंड रिहेबिलीटेशन स्टडीज	–	–	1,50,000
18.	एस. एंड टी. एजुकेटर फोरम	–	–	1,50,000
19.	फाउंडेशन आफ सार्क राइटर्स एंड लिटरेचर (फोसवाल)	–	–	2,50,000
20.	जामिया मिलिया विश्वविद्यालय	–	77,000	–
21.	सी.टी.एस.ए., दिल्ली	–	1,90,000	–
22.	नीपा	–	1,35,105	–
		–	93,499	–

[हिन्दी]

दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जनजाति कोटे के पद को भरना

2986. श्री रामदास आठवले: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 1998 से दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जनजाति कोटे के पदों को नहीं भरा गया है;

(ख) यदि हां, तत्संबंधी पद-वार ब्यौरा क्या है और इसका क्या कारण है;

(ग) क्या केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण ने अनुसूचित जनजाति कोटे के रिक्त पदों को भरने की सिफारिश की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या संघीय गृह मंत्रालय और दिल्ली पुलिस ने आरक्षण नीति के अनुसार रिक्त पदों को भरने हेतु कोई कदम उठाए हैं;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) से (छ) दिल्ली पुलिस में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित प्रोन्नति कोटे में 270 पद और सीधे भर्ती कोटे में 86 पद भरे नहीं गए हैं। इन पदों की रैंक/संवर्ग-वार संख्या, वह तारीख जब से यह पद खाली पड़े हैं, उनके खाली पड़े होने के कारण और इन पदों को भरने हेतु उठाए गए कदम संलग्न विवरण में दिए गए हैं। अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों के लिए आरक्षित रिक्त पदों को भरने हेतु केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण से कोई निदेश प्राप्त नहीं हुए हैं।

विवरण

क्र.सं.	रैंक और संवर्ग	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के रिक्त पदों की संख्या	तारीख/वर्ष जब से पद खाली पड़े हैं	पदों के खाली पड़े होने के कारण और रिक्त पदों को भरने हेतु उठाए गए कदम
1	2	3	4	5
(1) प्रोन्नति कोटा				
1.	निरीक्षक (कार्यकारी)	21	नवम्बर, 2005 से आगे	अनुसूचित जनजाति श्रेणी के 22 उप-निरीक्षक (कार्यकारी) प्रोन्नति सूची में उपलब्ध हैं और रिक्त पदों के शीघ्र ही भरे जाने की संभावना है।
2.	निरीक्षक (लिपिक वर्गीय)	03	1.1.998	ये पद सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके। तथापि, रिक्ति वर्ष 2004-05 के दौरान, अनुसूचित जनजाति श्रेणी के तीन पद नियमानुसार अदला-बदली आधार पर अनुसूचित जाति उम्मीदवार द्वारा भरे गए।
3.	निरीक्षक (ऑप्स)/संचार	01	1.1.2001	यह पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका।
4.	निरीक्षक (टैक)/संचार	01	23.11.01	यह पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका।
5.	उप निरीक्षक (कार्यकारी)	20	जनवरी, 2005 से आगे	ये पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके।
6.	उप निरीक्षक (लिपिक वर्गीय)	17	1.1.1998 से आगे	ये पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके।
7.	उप निरीक्षक (आर्मर)	1	1998	यह पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका।
8.	उप निरीक्षक (एमटी)/टैंक	1	1.1.04	यह पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका।
9.	उप निरीक्षक/अंगुली छाप	1	1.1.98	यह पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरा नहीं जा सका।

1	2	3	4	5
10.	सहायक उप निरीक्षक (कार्यकारी)	109	15.11.01 से आगे	ये पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके।
11.	सहायक उप निरीक्षक (महिला)	02	4.12.98 और 11.5.06	ये पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके।
12.	सहायक उप निरीक्षक (लिपिक वर्गीय)	09	1998 से आगे	ये पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके।
13.	सहायक उप निरीक्षक (चालक)	16	1998 से आगे	ये पद, सामान्य और विचारार्थ बढ़ाए गए जोन में अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण भरे नहीं जा सके।
14.	सहायक उप निरीक्षक (डब्ल्यूओ)	1	17.4.06	रिक्ति वर्ष 2006-07 के लिए प्रोन्नति पैनल तैयार करने की प्रक्रिया चल रही है।
15.	हैड कांस्टेबल (एडब्ल्यूओ)	47	जनवरी/05 से आगे	ये रिक्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं।
16.	डब्ल्यू/हैड कांस्टेबल (कार्यकारी)	4	जुलाई/06	ये रिक्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं।
17.	हैड कांस्टेबल (चालक)	16	नवम्बर/05 से आगे	ये रिक्त पद पदोन्नति द्वारा भरे जा रहे हैं।
(2)	**सीधी भर्ती कोटा**			
1.	उप निरीक्षक (कार्यकारी)	26	जनवरी, 2005 से आगे	रिक्तियां शीघ्र ही विज्ञापित की जा रही हैं।
2.	सहायक उप निरीक्षक (अंगुली छाप)	01	16.11.01	भर्ती की प्रक्रिया चल रही है। साक्षात्कार शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा।
3.	सहायक उप निरीक्षक (स्टेनो)	06	1998	रिक्तियां शीघ्र ही विज्ञापित की जाएंगी।
4.	सहायक उप निरीक्षक (रेडियो टैक)	6	1998 से आगे	रिक्तियां शीघ्र ही विज्ञापित की जाएंगी।
5.	हैड कांस्टेबल (फिटर बैटरी)	01	दिसम्बर 2001	यह पद उपयुक्त अनुसूचित जनजाति उम्मीदवार की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पड़ा हुआ है।
6.	हैड कांस्टेबल (लिपिक वर्गीय)	26	2 (सितम्बर/04) 1 (नवम्बर/04) 2 (मार्च/05) 1 (अप्रैल/05) 4 (अक्तूबर/05) 16 (जनवरी/06 और इससे आगे)	7 पदों की भर्ती की प्रक्रिया जारी है। साक्षात्कार शीघ्र ही आयोजित किया जाएगा। शेष 19 पद शीघ्र विज्ञापित किए जाएंगे।

1	2	3	4	5
7.	महिला/कांस्टेबल (कार्यकारी)	15	मई/2006	ये पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पड़े हुए हैं।
8.	कांस्टेबल (बैंडमैन)	4	3 (दिसम्बर/1997), 1 (जनवरी/06)	ये पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पड़े हुए हैं।
9.	कांस्टेबल (डॉग हैंडलर)	01	जुलाई/2005	यह पद अनुसूचित जनजाति श्रेणी के उपयुक्त उम्मीदवारों की अनुपलब्धता के कारण रिक्त पड़ा हुआ है।

परम्परागत उद्योगों के पुनरोत्थान हेतु धन

2987. श्री कैलाश मेघवाल: क्या **लघु उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) परम्परागत उद्योगों के पुनरोत्थान हेतु धन की योजना (एसएफयूआरटीआई) की प्रमुख विशेषताएं क्या हैं; और

(ख) दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान और आज की तिथि तक इस योजना के अंतर्गत राज्यों को आबंटित एवं इनके द्वारा उपयोग किए गए धन का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) सरकार ने वर्ष 2005-06 से शुरू करके पांच वर्षों में खादी, ग्रामीण एवं कॅयर उद्योगों के 100 क्लस्टरों में पारम्परिक उद्योगों के पुनरुद्धार के लिए निधि योजना (स्फूर्ति) के कार्यान्वयन का हाल ही में अनुमोदन किया है। योजना में उत्पादन उपकरणों की प्रतिस्थापना के लिए आवश्यकता-आधारित सहायता, सामान्य सुविधा केन्द्रों (सीएफसी) की स्थापना, उत्पाद विकास/गुणवत्ता सुधार, प्रशिक्षण एवं क्षमता निर्माण, नए उत्पादों का विकास, सुधरी हुई पैकेजिंग, नए डिजाइन, विपणन संवर्धन, इत्यादि पर विचार किया गया है।

(ख) स्फूर्ति एक केन्द्रीय क्षेत्र की योजना है और इसलिए निधियों का आबंटन राज्य-वार नहीं किया जाता है। तथापि, वर्ष 2005-06 तथा 2006-07 के दौरान इस योजना के अंतर्गत क्लस्टरों के विकास के लिए नोडल अभिकरणों अर्थात् खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) तथा कॅयर बोर्ड को आबंटित निधियों का ब्यौरा निम्नलिखित है:

(करोड़ रु.)

वर्ष	आबंटित निधियां			प्रयुक्त
	अन्य क्षेत्र	पूर्वोत्तर क्षेत्र	जोड़	
2005-06	1.35	0.15	1.50	1.50
2006-07	23.37	2.60	25.97	संकलन के अधीन

[अनुवाद]

एच.आई.वी. पीड़ित छात्र

2988. श्री डी. करूणाकर रेड्डी: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत में एच.आई.वी. और एड्स पर सामाजिक आर्थिक प्रभाव के संबंध में किए गए अद्यतन सर्वेक्षण में यह पाया गया है कि एच.आई.वी. प्रभावित घरों में बच्चों में शिक्षा की अत्यंत कमी है;

(ख) यदि हां, तो अध्ययन में यह भी पाया गया है कि एच.आई.वी. प्रभावित घरों के बच्चों का विद्यालयों में नामांकन और गैर एच.आई.वी. प्रभावित घरों के बच्चों से न केवल कम है बल्कि बीच में पढ़ाई छोड़ने वाले बच्चों की दर अधिक और उपस्थिति भी कम है;

(ग) यदि हां, तो अध्ययन के अन्य निष्कर्ष क्या हैं; और

(घ) केन्द्र सरकार द्वारा इस स्थिति में सुधार करने हेतु क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (ग) एन.ए.सी.ओ., एन.सी.ए.ई.आर. तथा यू.एन.डी.पी. द्वारा संचालित भारत में एच.आई.वी. और एड्स के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव से संबंधित अध्ययन में अन्य बातों के साथ-साथ यह दर्शाया गया है कि विद्यालयों में एच.आई.वी. प्रभावित गृहों के बच्चों का नामांकन केवल कुछ सीमा तक ही प्रभावित हुआ है जबकि ऐसे बच्चों की अध्ययन बीच में छोड़ने और अनुपस्थिति की दर इसकी तुलना में अधिक है।

(घ) किशोर शिक्षा कार्यक्रम (2005-06) की कार्य योजना में अन्य बातों के साथ-साथ इस बुराई और प्रशिक्षुओं/विद्यार्थियों

तथा शिक्षकों के साथ भेदभाव को दूर करने के उपाय शामिल करने और एच.आई.वी. रोकथाम के लिए जीवन दक्षता शिक्षा की सुलभता सुनिश्चित करने के लिए शिक्षा नीति को संशोधित करने की परिकल्पना की गई है।

[हिन्दी]

खनन प्रस्ताव

2989. **श्री राजेश पाठक:**
श्री अनन्त नायक:
श्री चंद्रकांत खैरे:

क्या खान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्र सरकार को प्राप्त खनन प्रस्तावों की राज्य-वार और खनिज-वार संख्या कितनी है और इनमें से कितनों को मंजूरी प्रदान की गई है;

(ख) क्या विदेशी कंपनियों को भी खनन क्षेत्र में राज्य-वार, खनिज-वार अनुमति प्रदान की गई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) विभिन्न राज्यों में बंद पड़ी खानों का खनिज-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) उक्त खानों को बंद करने से राज्य-वार कितने कामगार बेरोजगार हो गए हैं; और

(च) उनको वैकल्पिक रोजगार हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

खान मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. टी. सुब्बारामी रेड्डी): (क) से (च) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन के पटल पर रख दी जाएगी।

[अनुवाद]

मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत अनुदान

2990. **श्री सुग्रीव सिंह:**
श्री कृष्णा मुरारी मोघे:
श्री जसुभाई धानाभाई बारड़:
श्री किसनभाई वी. पटेल:

क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) चालू वित्तीय वर्ष 2006-07 में विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति हेतु मांगे गए धन का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) अब तक केन्द्र सरकार द्वारा विभिन्न राज्यों को जारी किए गए धन का ब्यौरा क्या है;

(ग) वर्ष 2005-06 के दौरान विभिन्न राज्यों में उक्त छात्रवृत्ति से कितने छात्रों को लाभ पहुंचा है और वर्तमान वर्ष में कितने छात्रों को लाभ दिए जाने का प्रस्ताव है;

(घ) क्या सरकार का विचार मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना पर राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे व्यय को मिलकर वहन करने का है;

(ङ) यदि हां, तो इस आशय के आदेश कब तक जारी करने का प्रस्ताव है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत दिए गए प्रस्ताव तथा मांगी गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

क्र.सं.	राज्य सरकार का नाम	पीएमएस योजना के लिए मांगी गई राशि
1.	आंध्र प्रदेश	4330.95
2.	छत्तीसगढ़	724.36
3.	मिजोरम	1153.07
4.	मणिपुर झारखण्ड	1316.45
5.	झारखण्ड	1002.33

(ख) और (ग) वर्ष 2006-07 के दौरान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत निर्मुक्त की गयी सहायता अनुदान राशि तथा वर्ष 2005-06 के दौरान इसके अंतर्गत लाए गए लाभार्थियों की संख्या तथा वर्ष 2006-07 के दौरान इसके अंतर्गत लाए जाने वाले लाभार्थियों की प्रस्तावित संख्या का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) अनुसूचित जनजातीय छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना एक केन्द्रीय योजना है तथा राज्य सरकार/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन द्वारा इस छात्रवृत्ति पर व्यय की गई निधियों में जनजातीय कार्य मंत्रालय की हिस्सेदारी पहले से ही 100% है, जो राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों की प्रतिबद्ध देयता के अतिरिक्त है। पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में 100% केन्द्रीय सहायता दी जाती है, क्योंकि प्रतिबद्ध देयता की शर्तें उन पर लागू नहीं होती।

(ङ) और (च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

(लाख रुपए)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र का नाम	2005-06	2006-07	
		प्रत्याशित लाभार्थी	निर्मुक्त राशि (लाख रुपए में)	वर्ष 2006-07 के लिए भौतिक लक्ष्य (लाभार्थियों की संख्या)
1	2	3	4	5
1.	आंध्र प्रदेश	132252	1750	100000
2.	अरुणाचल प्रदेश	13347	–	13000
3.	असम	64898	–	64000
4.	बिहार	2982	–	3000
5.	गुजरात	98673	500	90000
6.	हिमाचल प्रदेश	3520	–	3500
7.	जम्मू-कश्मीर	8688	200	8700
8.	कर्नाटक	41218	518	41000
9.	केरल	6600	117	6600
10.	मध्य प्रदेश	46000	235	46000
11.	महाराष्ट्र	88908	750	87000
12.	मणिपुर	34570	635	34000
13.	मेघालय	45000	550	44000
14.	मिजोरम	27475	450	27000
15.	नागालैंड	32000	2103.8	32000
16.	उड़ीसा	39898	–	39000
17.	राजस्थान	80373	2976.22	80000
18.	सिक्किम	1232	–	1200
19.	तमिलनाडु	2231	–	2200

1	2	3	4	5
20.	त्रिपुरा	8802	125	9000
21.	उत्तर प्रदेश	4900	–	4900
22.	पश्चिम बंगाल	19360	161	18000
23.	अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह	292	1.5	270
24.	दमन व दीव	30	–	30
25.	उत्तरांचल	10937	–	10000
26.	छत्तीसगढ़	53658	–	54000
27.	झारखंड	21637	290	21000
28.	गोवा	590	–	600
	कुल	890071	11362.5	840000

वर्ष 2005-06 के लिए आंध्र प्रदेश के लाभार्थियों की संख्या वास्तविक लाभार्थियों की संख्या है।

जनजातीय लोगों के कल्याण हेतु संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी

2991. श्री बालासाहिब विखे पाटील: क्या जनजातीय कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली में आयोजित सिविल सोसायटी सेमिनार एंड एग्जिबिशन में भारत समाज के सर्वाधिक वंचित वर्ग जनजातीय लोगों तक नवीन एवं प्रायोगिक अभिगम को पहुंचाने के तरीके को दर्शाया गया;

(ख) यदि हां, तो सेमिनार के क्या निष्कर्ष निकले; और

(ग) इनकी विकास संबंधी आवश्यकताओं और जनजातीय पहचान को परिभाषित करने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

जनजातीय कार्य मंत्री तथा उत्तर पूर्व क्षेत्र विकास मंत्री (श्री पी.आर. किन्डिया): (क) और (ख) संस्कृति मंत्रालय के अधीन भारतीय मानवविज्ञान सर्वेक्षण ने नई दिल्ली में दो संगोष्ठियों का आयोजन किया। इनमें अभिनव तथा प्रायोगिक दृष्टिकोण पर भी परिचर्चा की गई थी, जिसका उद्देश्य जनजातीय लोगों तक पहुंच बनाना था। मानव उत्पत्ति, जीनोम तथा भारत के लोगों पर प्रथम संगोष्ठी वर्ष 2004 में आयोजित की गई थी, जिसमें परिचर्चा के विषय थे—भारतीय उपमहाद्वीप में पुरातन व्यक्ति, भारतीय लोगों में पायी जाने वाली जैव विविधता तथा खाद्यान्नवेशी, उद्यान विशेषज्ञ, कृषक, झूम कृषक (शिफ्टिंग कल्टीवेटर्स) एवं मछुआरे, जिनमें से अधिकांशत: अनुसूचित जनजातीय समुदाय से संबंधित होते हैं, किस प्रकार बदलती परिस्थितियों के अनुकूल बदलाव कर रहे हैं तथा कैसे विकास कार्यक्रमों तक इनकी पहुंच बन पाई है। दूसरी संगोष्ठी वर्ष में "पहचान, सांस्कृतिक विविधता तथा राज्य" विषय पर हुई, जिसमें इस बात पर बल दिया गया कि जैव विविधता से संबंधित लोगों के ज्ञान, अक्षुण्ण सांस्कृतिक विरासत तथा संपोषणीय विकास के लोक ज्ञान को व्यापक विकास के मुद्दों से जोड़ा जाना चाहिए। संगोष्ठियों से प्राप्त परिणामों के आधार पर भारतीय मानव-विज्ञान सर्वेक्षण ने मानव जेनेटिक मैटेरियल के एक प्राकृतिक संग्रह की स्थापना करने तथा पूरे देश की देसी ज्ञान प्रणाली प्रलेखन का भी कार्य प्रारंभ किया है।

(ग) जनजातीय कार्य मंत्रालय ने अनुसूचित जनजातियों की सुरक्षा एवं विकास से संबंधित विभिन्न विषयों पर ध्यान देने के लिए जनजातीय नीति का प्रारूप तैयार किया है।

एनएससीएन (आईएम) के साथ संघर्ष विराम समझौता

2992. डा. टोकचोम मैन्या:
श्री सुग्रीव सिंह:
श्री मणी कुमार सुब्बा:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एनएससीएन (आईएम) के साथ संघर्ष विराम समझौते को बढ़ा दिया गया है जैसा कि दिनांक 01 अगस्त, 2006 को 'जनसत्ता' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो नागा नेताओं के साथ जिन मुद्दों पर चर्चा हुई, उसका ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या एनएससीएन (आईएम) ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य गुटों को हथियार बेचने अथवा किराए पर देने शुरू कर दिए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या एनएससीएन (आईएम) अब भी अवैध वसूली तथा अवैध कराधान में लगा हुआ है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) नागा मुद्दों के स्थायी समाधान की दिशा में हुई प्रगति का ब्यौरा क्या है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) और (ख) 29-31 जुलाई, 2006 के दौरान भारत सरकार के दल और एनसीएन (आई/एम) नेताओं के बीच हुए विचार-विमर्श के अनुसरण में संघर्ष विराम को एक वर्ष अर्थात् 31 जुलाई, 2007 तक बढ़ा दिया गया है। मूल मुद्दों के अतिरिक्त, संघर्ष-विराम प्रबोधन तंत्र को सुदृढ़ करने संबंधी उपायों पर चर्चा की गई।

(ग) और (घ) सरकार के पास एनएससीएन (आई/एम) द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र में अन्य गुटों को हथियार बेचने/किराये पर देने संबंधी कोई रिपोर्ट नहीं है।

(ङ) और (च) एनएससीएन (आई/एम) द्वारा जबरन धन उगाही की कुछेक रिपोर्टें हैं, तथापि, उन्होंने ऐसी किसी गतिविधि में अपनी संलिप्तता से इन्कार किया है।

(छ) वार्ता जारी है, और ब्योरे प्रकट करना वांछनीय नहीं होगा।

वस्त्र उद्योग में निवेश

2993. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल:
श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव:

क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना के अंतर्गत उदार प्रोत्साहनों के बावजूद वस्त्र उद्योग में निवेश क्रियाकलाप अपेक्षित स्तर से कम हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा अपेक्षित स्तरों से यह कितना कम रहा है;

(ग) क्या सरकार का विचार उद्योग में निवेश को और बढ़ाने के लिए प्रोत्साहनों में वृद्धि करने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या वस्त्र तथा सिले-सिलाए वस्त्र उद्योग में निवेश हेतु श्रम कानून प्रमुख अवरोध हैं; और

(च) यदि हां, तो निवेश में और कमी को रोकने के लिए श्रम कानूनों में संशोधन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) श्रम कानूनों में संशोधन के लिए राजनीतिक सहमति बनाए जाने की आवश्यकता है।

[हिन्दी]

साक्षरता पर विश्व बैंक की रिपोर्ट

2994. श्री अब्दुल रशीद शाहीन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विश्व बैंक ने भारत की साक्षरता दर पर टिप्पणी की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त रिपोर्ट में किन बातों का उल्लेख किया गया है;

(ग) क्या सरकार ने राज्य सरकारों से उक्त रिपोर्ट का अध्ययन करने तथा साक्षरता दर में सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने का अनुरोध किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस पर राज्य सरकारों की क्या प्रतिक्रिया है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) "इंडिया-इनक्लूसिव ग्रोथ एंड सर्विस डिलीवरी:

बिल्डिंग आन इंडियाज सक्सेस-डेवलपमेंट पालिसी रिव्यू'' नामक जून, 2006 के विश्व बैंक के प्रकाशन में देश में साक्षरता दर संबंधी कोई टिप्पणी नहीं की गई है।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

लघु उद्योग क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कंपनियां

2995. श्री चंद्रकांत खैरे: क्या लघु उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़ी कम्पनियां लघु उद्योगों के अंतर्गत छूट/लाभ प्राप्त करने के लिए वस्तुओं को आंशिक रूप से लघु उद्योगों से बनवाती हैं और फिर अन्य स्रोतों से उन्हें संयोजित करवाती हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) अब तक ऐसी कितनी कम्पनियों को काली सूची में डाला गया है?

लघु उद्योग मंत्री तथा कृषि एवं ग्रामीण उद्योग मंत्री (श्री महावीर प्रसाद): (क) और (ख) लघु उद्योगों (एसएसआई) द्वारा विशिष्ट विनिर्माण के लिए आरक्षित उत्पादों का विपणन गैर-लघु उद्योग इकाइयों द्वारा किया जा सकता है। गैर-लघु उद्योग इकाइयों द्वारा इन उत्पादों का विनिर्माण लघु उद्योग इकाइयों से जाब-कार्य आधार पर कराए जाने पर भी कोई प्रतिबंध नहीं है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता है।

शिक्षा छात्रवृत्ति

2996. श्री ए.वी. बेल्लारमिन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार गरीब छात्रों को छात्रवृत्ति देने के लिए राज्यों को धनराशि प्रदान करती है; और

(ख) यदि हां, तो पिछले तीन वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में इस प्रयोजनार्थ आवंटित धनराशि का राज्यवार ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) जी, हां।

(ख) एक विवरण संलग्न है।

विवरण

(क) राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम तथा पूर्व राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम तथा माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों हेतु छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी निधियां

(रु. लाख में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2003-04*	2004-05*	2005-06	2006-07 (17.08.2006 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	–	–	57.00	–
2.	अरुणाचल प्रदेश	–	–	2.99	–
3.	असम	–	–	30.68	–
4.	बिहार	–	–	–	–
5.	छत्तीसगढ़	–	–	19.56	–
6.	दिल्ली	0.22	0.26	9.79	–

1	2	3	4	5	6
7.	गोवा	–	0.34	1.44	–
8.	गुजरात	–	–	71.55	–
9.	हरियाणा	0.96	0.63	48.25	–
10.	हिमाचल प्रदेश	–	–	1.43	–
11.	जम्मू-कश्मीर	–	–	11.94	–
12.	झारखण्ड	–	–	28.24	–
13.	कर्नाटक	–	–	–	88.51
14.	केरल	–	–	–	–
15.	मध्य प्रदेश	–	23.23	47.13	–
16.	महाराष्ट्र	–	15.95	68.10	–
17.	मणिपुर	–	1.33	3.27	–
18.	मेघालय	0.29	0.33	2.36	–
19.	मिजोरम	–	–	1.24	–
20.	नागालैंड	–	–	3.30	–
21.	उड़ीसा	–	–	93.13	–
22.	पंजाब	11.85	12.00	–	–
23.	राजस्थान	–	–	30.95	–
24.	सिक्किम	–	–	0.03	–
25.	तमिलनाडु	–	–	51.59	–
26.	त्रिपुरा	0.55	1.27	3.50	–
27.	उत्तर प्रदेश	–	8.42	153.70	–
28.	उत्तरांचल	–	–	9.80	–
29.	पश्चिम बंगाल	–	–	74.49	–
30.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	–	–	0.16	–
31.	चंडीगढ़	1.52	–	0.43	–
32.	दादरा और नगर हवेली	–	–	5.23	–
33.	दमन और दीव	0.35	0.24	0.16	–
34.	लक्षद्वीप	–	–	4.29	–
35.	पांडिचेरी	0.57	0.20	0.48	–
	कुल	16.31	64.21	836.21	88.51

*नोट: वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के आंकड़ों में दो पूर्व योजनाओं यथा राष्ट्रीय छात्रवृत्ति स्कीम तथा माध्यमिक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों के प्रतिभावान बच्चों हेतु छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत जारी निधियां शामिल हैं जिन्हें आपस में मिलाकर राष्ट्रीय मेरिट छात्रवृत्ति स्कीम को बनाया गया है तथा कार्यान्वयन हेतु 16.2.2005 को राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को अधिसूचित किया गया है।

(ख) अनुसूचित जनजातियों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (17.08.2006 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	2435.7	1084.23	3606.79	1750
2.	अरुणाचल प्रदेश	65.19	0	0	–
3.	असम	0	100	1200.32	–
4.	बिहार	0	0	0	–
5.	छत्तीसगढ़	0	206.45	1254.04	290
6.	गोवा	0	12.09	6.04	–
7.	गुजरात	185.27	222.43	2447.59	500
8.	हिमाचल प्रदेश	0	9.17	6.61	–
9.	जम्मू-कश्मीर	0	196.07	508.08	200
10.	झारखण्ड	0	200	841.26	290
11.	कर्नाटक	0	400	2020.5	518
12.	केरल	0	146.14	289.72	117
13.	मध्य प्रदेश	81.62	899.04	288.7	235
14.	महाराष्ट्र	391.92	1042.86	1031.44	750
15.	मणिपुर	928.92	538.97	1794	635
16.	मेघालय	339.99	926.28	1925.31	550
17.	मिजोरम	369	900.99	840.85	450
18.	नागालैण्ड	1028.61	507	982.5	2103.8
19.	उड़ीसा	0	0	100	–
20.	राजस्थान	484	1792.57	1261.98	2976.22
21.	सिक्किम	12.69	15.01	9.94	–
22.	तमिलनाडु	0	49.05	17.86	–
23.	त्रिपुरा	161.09	196.19	195.14	125

1	2	3	4	5	6
24.	उत्तर प्रदेश	0	107.62	56.07	–
25.	उत्तरांचल	0	137.5	85.05	–
26.	पश्चिम बंगाल	94.57	20764	19360	161
27.	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0.89	2.74	3.09	1.5
28.	दमन और दीव	0	0	0	–
	कुल	6579.47	10137.71	21018.09	11362.52

(ग) अनुसूचित जातियों के छात्रों हेतु मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों तथा चालू वित्त वर्ष के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को जारी अनुदान

(रु. लाखों में)

क्र.सं.	राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम	2003-04	2004-05	2005-06	2006-07 (17.08.2006 तक की स्थिति के अनुसार)
1	2	3	4	5	6
1.	आंध्र प्रदेश	5449.142	8434.74	9435.46	1814.24
2.	असम	412.412	228.28	490.41	264.86
3.	बिहार	0	1000	1100.00	1892.74
4.	छत्तीसगढ़	352.718	1567.79	526.00	0
5.	दिल्ली	22.16	6.65	0.00	0
6.	गोवा	0	1.93	3.00	3.45
7.	गुजरात	1373.702	463.838	940.12	521.13
8.	हरियाणा	228.53	425.9	456.00	657.99
9.	हिमाचल प्रदेश	11.82	31.21	143.87	0
10.	जम्मू-कश्मीर	95.986	28.8	136.31	111.71
11.	झारखण्ड	281.037	84.31	0.00	0
12.	कर्नाटक	2481.937	2699.58	2642.00	1242.22
13.	केरल	677.5735	999.49	3771.00	453.14
14.	मध्य प्रदेश	1278.931	1366.6	3064.10	1327.98
15.	महाराष्ट्र	2765.576	4220.47	8490.95	1433.36

1	2	3	4	5	6
16.	मणिपुर	82.768	84.13	126.43	11.57
17.	मेघालय	15.553	4.67	8.33	1.62
18.	उड़ीसा	0	–	0.00	1739.68
19.	पांडिचेरी	99.737	85.38	90.00	59.71
20.	पंजाब	0	–	0.00	0
21.	राजस्थान	1207.7	1157.87	1508.34	1992.21
22.	सिक्किम	0	0	0.00	4.48
23.	तमिलनाडु	2184.453	2891.78	6982.18	1719.97
24.	त्रिपुरा	174.2355	195.84	222.39	80.61
25.	उत्तर प्रदेश	5137.5815	5937.7	11087.00	5098.37
26.	उत्तरांचल	0	302.25	296.13	220.07
27.	पश्चिम बंगाल	2165.81	807.19	3279.00	2676.6
28.	दमन और दीव	0	0.89	0.50	2.23
29.	दादरा और नगर हवेली	0	–	0.00	0
	कुल	26499.3625	33027.288	54809.52	23329.94

भारतीय कारावास अधिनियम, 1894 का प्रतिस्थापन

2997. **श्री किसनभाई वी. पटेल:**
श्री सुग्रीव सिंह:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग भारतीय कारावास अधिनियम (आइ.पी.ए.), 1894 को सभी राज्यों में समान रूप से लागू होने वाले एक आदर्श कारावास विधेयक से प्रतिस्थापित करने की वकालत कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने उक्त आदर्श कारावास विधेयक की रूपरेखा तैयार तथा परिचालित की है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त आदर्श कारावास विधेयक का निरीक्षण किया है;

(च) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है; और

(छ) भारतीय कारावास अधिनियम, 1894 को कब तक परिवर्तित किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) देश में कामगारों के प्रशासन और कैदियों के प्रबंधन से संबंधित मामलों में बुनियादी एकरूपता लाने और कैदियों की ठोस और सुरक्षित अभिरक्षा तथा उनके साथ सुधारात्मक बर्ताव करने के लिए सिद्धान्त और मानदंड निर्धारित करने की दृष्टि से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) ने वर्तमान कारागार अधिनियम, 1894 के स्थान पर एक नए कारागार विधेयक की रूप रेखा तैयार की थी।

(ङ) से (छ) चूंकि "कारागार" राज्यों का विषय है इसलिए राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (एनएचआरसी) द्वारा तैयार की गई रूपरेखा के आधार पर कारगार प्रबंधन विधेयक का एक मसौदा तैयार किया गया था और उनके विचार जानने हेतु सभी राज्य सरकारों में परिचालित किया गया था। राज्यों से अनुकूल प्रतिक्रिया न मिलने के कारण आगे कार्रवाई नहीं की गई।

उड़ीसा में खनिज एवं धातु व्यापार निगम के क्रियाकलाप

2998. श्री बृज किशोर त्रिपाठी: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या खनिज एवं धातु व्यापार निगम (एमएमटीसी) तथा उसके प्रमुख प्रमोटरों ने उड़ीसा में स्थानीय जनजातीय लोगों की भर्ती की है;

(ख) यदि हां, तो 2004-05 तथा 2005-06 के दौरान राज्य में एमएमटीसी द्वारा कितने लोगों की भर्ती की गई है;

(ग) उक्त अवधि के दौरान राज्य में निगम द्वारा किए गए क्रियाकलापों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा उन्हें क्या अतिरिक्त सुविधाएं प्रदान करने का प्रस्ताव है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी, हां। एमएमटीसी का एक क्षेत्रीय कार्यालय (आरओ) भुवनेश्वर में है और बारबिल तथा पारदीप में इसके फील्ड कार्यालय हैं। इसके उप क्षेत्रीय कार्यालयों समेत भुवनेश्वर स्थित क्षेत्रीय कार्यालय के कर्मचारियों की कुल संख्या 173 है जिसमें से 42 कर्मचारी अनुसूचित जनजाति (एसटी) श्रेणी के तथा 41 कर्मचारी अनुसूचित जाति श्रेणी के हैं।

(ग) एमएमटीसी उड़ीसा में खनिजों, ढलवां लोहा, कोयला, अलौह धातुओं, उर्वरकों, बहुमूल्य धातुओं आदि के निर्यात एवं आयात से संबंधित कार्य करता है।

(घ) सरकार का प्रयास जनजातीय आबादी को मुख्यधारा में लाने की दृष्टि से उनके उत्थान के लिए सतत रूप से नीतियों को तैयार करने का रहा है।

[हिन्दी]

वेश्यावृत्ति में बढ़ोत्तरी

2999. श्री हंसराज जी. अहीर:
श्री दलपत सिंह परस्ते:

क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि देश में वेश्याओं की संख्या निरंतर बढ़ रही है जैसा कि दिनांक 2 जुलाई, 2006 के 'दैनिक नवभारत' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो इसमें प्रकाशित तथ्यों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग तथा राष्ट्रीय महिला आयोग में देह व्यापार में लड़कियों तथा महिलाओं के मानव दुर्व्यापार पर चिन्ता जताई है;

(घ) यदि हां, तो देश में देह व्यापार के लिए लड़कियों तथा महिलाओं के दुर्व्यापार का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार ने उक्त मानव दुर्व्यापार को देखते हुए इस मुद्दे के सामाजिक/आर्थिक पहलुओं का मूल्यांकन करने का निर्णय लिया है;

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) ऐसी कुरीतियों को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) और (ख) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित 'गर्ल्स/विमेन इन प्रोस्टिट्युशन इन इंडिया' विषय पर 2002-04 के बीच किये गए अध्ययन, जिसे दिनांक 2.7.2006 के 'दैनिक नवभारत' में उद्धृत किया गया है, में कहा गया है कि देश में वेश्याओं की संख्या बढ़ रही है। अध्ययन में यह आकलन किया गया कि देश में 28 लाख वेश्याएं हैं, जिनमें से 35.47% वेश्याएं 18 वर्ष से कम आयु में ही इस व्यवसाय में आ गई थीं।

(ग) जी, हां।

(घ) राष्ट्रीय महिला आयोग तथा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से प्राप्त सूचना के अनुसार, देह-व्यापार के उद्देश्य से जिन बालिकाओं एवं महिलाओं का अनैतिक व्यापार किया गया, उनके संबंध में विशिष्ट राज्य-वार आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

(ङ) और (च) महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा प्रायोजित अध्ययन में यह पाया गया है कि वेश्यावृत्ति हेतु मानवों के अनैतिक व्यापार के सामाजार्थिक कारणों में निरक्षरता, कौशलों की कमी, गरीबी, परिवार द्वारा दुर्व्यवहार, पति द्वारा छोड़ा जाना आदि शामिल हैं।

(छ) अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम, 1956 के साथ-साथ भारतीय दंड संहिता में भी वेश्यावृत्ति के प्रयोजनार्थ मानवों के अनैतिक व्यापार को निषिद्ध किया गया है तथा अनैतिक व्यापारियों के लिए कठोर दंड निर्धारित किया गया है। अनैतिक व्यापार (निवारण) अधिनियम में अब और संशोधन करके व्यक्तियों

के अनैतिक व्यापार के लिए पहले से अधिक कठोर दंड का उपबंध किया जा रहा है। यह संशोधन विधेयक लोक सभा में 22 मई, 2006 को पेश किया गया और अब मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति इसकी जांच कर रही है। यौन शोषण के प्रयोजनार्थ महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम के संबंध में प्रायोगिक परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित बाल वेश्यावृत्ति रोकथाम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति अनैतिक व्यापार तथा वेश्यावृत्ति की रोकथाम के विषय में राज्यों के कार्यकलापों की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है। मंत्रालय अनैतिक व्यापार के निवारण हेतु समर्थन, जागरूकता विकास तथा संचेतना कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

[अनुवाद]

महिला पुलिस थाने

3000. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं से संबंधित पुलिस मामलों को तुरन्त तथा कुशलता से सुलझाने के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाने की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची में पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए प्रत्येक जिले में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत महिला पुलिस कार्मिकों के लिए सुविधाओं सहित पुलिस के आधारभूत ढांचे के उन्नयन हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। राज्यों को, निर्धारित समय-सीमा में, पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या बल की संख्या के 10% तक करने की सलाह दी गई है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना का विस्तार

3001. श्री दुष्यंत सिंह: क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए 50 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2010 तक निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना को मार्च 2007 से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना की अवधि को मार्च, 2007 से आगे विस्तार देने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना से अब तक किन-किन राज्यों को लाभ हुआ है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2006 में 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के वस्त्र और अपैरल निर्यात करने के लक्ष्य की परिकल्पना है जिसमें परिधान का हिस्सा 25 बिलियन अमरीकी डालर का होगा।

(ग) से (ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन उन अनेक कारकों में से एक है जो निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होंगे। भारतीय वस्त्र क्षेत्र की क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अलावा पहले ही कपास प्रौद्योगिकी मिशन, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना जैसी योजनाएं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मानव निर्मित फाइबर पर उत्पाद शुल्क को घटाना, समग्र वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से छूट (मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र को छोड़कर), कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क को घटाना, लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र से कुछ मदों का अनारक्षण, वस्त्र क्षेत्र को शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना आदि जैसे विभिन्न नीतिगत कदम उठाए गए हैं। टीयूएफएस को मार्च, 2007 के आगे बढ़ाने के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) टीयूएफएस से अभी तक लाभान्वित होने वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के नाम हैं: आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना

3002. श्री एस.के. खारवेलधन: क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा वर्तमान में इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या जूजीसी में कुछ पद लंबे समय से रिक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956' की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लिंग समानता को बढ़ावा

3003. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2004 में 'लिंग समानता को बढ़ावा' नामक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु यू.एन.डी.पी. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जे.एस. (डब्ल्यू.डब्ल्यू.) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का भी गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के तहत अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने वाली यू.एन.डी.पी. परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है:

1. 'नेतृत्व कर रही महिलाएं' विषय पर दस्तावेज;
2. 'असुरक्षित महिलाओं पर कार्रवाई शोध' विषय पर दस्तावेज;
3. महिला विकास रिपोर्ट की तैयारी;
4. वृहत् अर्थशास्त्र एवं वृहत् आर्थिक नीतियों को महिलोन्मुख बनाने संबंधी दस्तावेज;
5. 'जैण्डर एंड मैक्रोइकानोमिक्स' विषय पर मुम्बई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी;
6. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया को महिलोन्मुख बनाने के विषय में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परामर्श;
7. महिलोन्मुख बजट आयोजना विषय पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं;
8. भारत में महिलाओं पर व्यापार एवं वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन;
9. महिला नेताओं के संबंध में दस्तावेज तैयार करना;
10. भारत में अक्षम महिलाओं की असुरक्षा को कम करने के विकल्पों के अभिनिर्धारण एवं मूल्यांकन पर अध्ययन;
11. भारत में वृद्ध महिलाओं की असुरक्षा को कम करने के विकल्पों के अभिनिर्धारण एवं मूल्यांकन पर अध्ययन;
12. गृह-आधारित कर्मियों के विषय में दस्तावेज तैयार करना।

नकली वस्तुओं हेतु कानून

3004. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों संबंधी कार्यकारी-दल से प्राप्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों पर एक समेकित कानून बनाने का है जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य विभाग ने जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों के संबंध में जनवरी, 2004 में एक कार्यदल का गठन किया था। मई, 2006 में कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें इसने अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सामान्य सिफारिशें की हैं:

(1) गृह मंत्रालय, पर्याप्त दंडात्मक प्रावधानों और विस्तृत प्रक्रियाओं के साथ जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों पर एक एकीकृत अधिनियम लाने पर विचार कर सकता है।

(2) उपभोक्ताओं को जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों के खतरों सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए अपनी ओर से कार्रवाई शुरू करने हेतु व्यापक शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किए

के अनैतिक व्यापार के लिए पहले से अधिक कठोर दंड का उपबंध किया जा रहा है। यह संशोधन विधेयक लोक सभा में 22 मई, 2006 को पेश किया गया और अब मंत्रालय से संबंधित संसदीय स्थायी समिति इसकी जांच कर रही है। यौन शोषण के प्रयोजनार्थ महिलाओं एवं बच्चों के अनैतिक व्यापार की रोकथाम के संबंध में प्रायोगिक परियोजना भी क्रियान्वित की जा रही है। सचिव, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, भारत सरकार की अध्यक्षता में गठित बाल वेश्यावृत्ति रोकथाम संबंधी केन्द्रीय सलाहकार समिति अनैतिक व्यापार तथा वेश्यावृत्ति की रोकथाम के विषय में राज्यों के कार्यकलापों की तिमाही आधार पर समीक्षा करती है। मंत्रालय अनैतिक व्यापार के निवारण हेतु समर्थन, जागरूकता विकास तथा संचेतना कार्यक्रमों का आयोजन भी करता है।

[अनुवाद]

महिला पुलिस थाने

3000. श्री सर्वे सत्यनारायण: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार महिलाओं से संबंधित पुलिस मामलों को तुरन्त तथा कुशलता से सुलझाने के लिए प्रत्येक जिले में एक महिला पुलिस थाने की स्थापना करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं/ उठाए जा रहे हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) से (घ) संविधान की सातवीं अनुसूची में पुलिस राज्य का विषय है, इसलिए प्रत्येक जिले में महिला पुलिस स्टेशन स्थापित करने के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेवारी मुख्यतया राज्य सरकारों की हैं। तथापि, केन्द्रीय सरकार, राज्य पुलिस बलों के आधुनिकीकरण की योजना के तहत महिला पुलिस कार्मिकों के लिए सुविधाओं सहित पुलिस के आधारभूत ढांचे के उन्नयन हेतु राज्य सरकारों को सहायता प्रदान करती है। राज्यों को, निर्धारित समय-सीमा में, पुलिस में महिला कार्मिकों की संख्या बल की संख्या के 10% तक करने की सलाह दी गई है।

प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना का विस्तार

3001. श्री दुष्यंत सिंह: क्या वस्त्र मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने वस्त्र क्षेत्र के लिए 50 बिलियन अमरीकी डालर का निर्यात लक्ष्य निर्धारित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या वर्ष 2010 तक निर्यात लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना को मार्च 2007 से आगे बढ़ाने की आवश्यकता है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना की अवधि को मार्च, 2007 से आगे विस्तार देने का है;

(ङ) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं; और

(च) प्रौद्योगिकी उन्नयन कोष योजना से अब तक किन-किन राज्यों को लाभ हुआ है?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): (क) और (ख) राष्ट्रीय वस्त्र नीति, 2006 में 2010 तक 50 बिलियन अमरीकी डालर के वस्त्र और अपैरल निर्यात करने के लक्ष्य की परिकल्पना है जिसमें परिधान का हिस्सा 25 बिलियन अमरीकी डालर का होगा।

(ग) से (ङ) प्रौद्योगिकी उन्नयन उन अनेक कारकों में से एक है जो निर्यात लक्ष्य को पूरा करने में सहायक होंगे। भारतीय वस्त्र क्षेत्र की क्षमता और प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रौद्योगिकी उन्नयन निधि योजना के अलावा पहले ही कपास प्रौद्योगिकी मिशन, एकीकृत वस्त्र पार्क योजना जैसी योजनाएं शुरू कर दी हैं। इसके अलावा मानव निर्मित फाइबर पर उत्पाद शुल्क को घटाना, समग्र वस्त्र क्षेत्र को उत्पाद शुल्क से छूट (मानव निर्मित फाइबर क्षेत्र को छोड़कर), कच्ची सामग्री पर आयात शुल्क को घटाना, लघु उद्योग (एसएसआई) क्षेत्र से कुछ मदों का अनारक्षण, वस्त्र क्षेत्र को शतप्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देना आदि जैसे विभिन्न नीतिगत कदम उठाए गए हैं। टीयूएफएस को मार्च, 2007 के आगे बढ़ाने के बारे में निर्णय नहीं लिया गया है।

(च) टीयूएफएस से अभी तक लाभान्वित होने वाले राज्यों/ संघ शासित क्षेत्रों के नाम हैं: आंध्र प्रदेश, चंडीगढ़, दादरा एवं नगर हवेली, दमन और दीव, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल।

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग की संरचना

3002. श्री एस.के. खारवेनथन: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) में सदस्यों की नियुक्ति के लिए क्या मानदंड निर्धारित किए गए हैं तथा वर्तमान में इसके सदस्य कौन-कौन हैं;

(ख) क्या जूजीसी में कुछ पद लंबे समय से रिक्त हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) रिक्त पदों को भरने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): (क) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के सदस्यों की नियुक्ति 'विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, अधिनियम, 1956' की धारा 5 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

लिंग समानता को बढ़ावा

3003. श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर: क्या **महिला और बाल विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने जुलाई, 2004 में 'लिंग समानता को बढ़ावा' नामक परियोजना के कार्यान्वयन हेतु यू.एन.डी.पी. के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं और कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए जे.एस. (डब्ल्यू.डब्ल्यू.) की अध्यक्षता में एक स्थायी समिति का भी गठन किया है; और

(ख) यदि हां, तो उक्त परियोजना के तहत अभी तक कितनी प्रगति हुई है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) जी, हां।

(ख) महिला-पुरुष समानता को बढ़ावा देने वाली यू.एन.डी.पी. परियोजना के अंतर्गत संस्वीकृत परियोजनाओं की सूची इस प्रकार है:

1. 'नेतृत्व कर रही महिलाएं' विषय पर दस्तावेज;
2. 'असुरक्षित महिलाओं पर कार्रवाई शोध' विषय पर दस्तावेज;
3. महिला विकास रिपोर्ट की तैयारी;
4. वृहत् अर्थशास्त्र एवं वृहत् आर्थिक नीतियों को महिलोन्मुख बनाने संबंधी दस्तावेज;
5. 'जैण्डर एंड मैक्रोइकानोमिक्स' विषय पर मुम्बई विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी;
6. ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना प्रक्रिया को महिलोन्मुख बनाने के विषय में क्षेत्रीय एवं राष्ट्रीय परामर्श;
7. महिलोन्मुख बजट आयोजना विषय पर क्षेत्रीय प्रशिक्षण कार्यशालाएं;
8. भारत में महिलाओं पर व्यापार एवं वैश्वीकरण के प्रभाव का अध्ययन;
9. महिला नेताओं के संबंध में दस्तावेज तैयार करना;
10. भारत में अक्षम महिलाओं की असुरक्षा को कम करने के विकल्पों के अभिनिर्धारण एवं मूल्यांकन पर अध्ययन;
11. भारत में वृद्ध महिलाओं की असुरक्षा को कम करने के विकल्पों के अभिनिर्धारण एवं मूल्यांकन पर अध्ययन;
12. गृह-आधारित कर्मियों के विषय में दस्तावेज तैयार करना।

नकली वस्तुओं हेतु कानून

3004. श्री एम. राजामोहन रेड्डी:
श्री असादुद्दीन ओवेसी:

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों संबंधी कार्यकारी-दल से प्राप्त सिफारिशों का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या सरकार का विचार जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों पर एक समेकित कानून बनाने का है जैसा कि दिनांक 17 जुलाई, 2006 के 'हिन्दुस्तान टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): (क) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य विभाग ने जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों के संबंध में जनवरी, 2004 में एक कार्यदल का गठन किया था। मई, 2006 में कार्यदल ने अपनी रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया, जिसमें इसने अन्य बातों के साथ-साथ, निम्नलिखित सामान्य सिफारिशें की हैं:

(1) गृह मंत्रालय, पर्याप्त दंडात्मक प्रावधानों और विस्तृत प्रक्रियाओं के साथ जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों पर एक एकीकृत अधिनियम लाने पर विचार कर सकता है।

(2) उपभोक्ताओं को जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों के खतरों सहित विभिन्न प्रकार की समस्याओं से बचाने के लिए अपनी ओर से कार्रवाई शुरू करने हेतु व्यापक शक्तियों के साथ एक स्वतंत्र प्राधिकरण स्थापित किए

जाने की जरूरत है। उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य विभाग, राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण स्थापित करने पर पहले ही विचार कर रहा है।

(3) उपभोक्ता के स्वास्थ्य और सुरक्षा को प्रभावित करने वाले जल, दूध, भोजन और दवाई जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर प्राथमिकता के आधार पर ध्यान दिए जाने की जरूरत है और ऐसे क्षेत्रों में उपभोक्ता जागरूकता बढ़ाने हेतु सभी संबंधित मंत्रालयों/विभागों/संगठनों को मिल कर काम करने चाहिए और एक व्यापक अभियान चलाना चाहिए।

(ख) और (ग) उपभोक्ता कार्य, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा कार्य दल की सिफारिशों पर कार्रवाई की जा रही है। पर्याप्त दंडात्मक प्रावधानों और विस्तृत प्रक्रियाओं के साथ जाली, नकली, फर्जी और निषिद्ध उत्पादों पर एकीकृत अधिनियम से संबंधित विशिष्ट सिफारिश, जिसे गृह मंत्रालय को भेजा गया था, की जांच की गई थी। गृह मंत्रालय ने इस सिफारिश पर अपनी असहमति जताई थी और उपभोक्ता खार्क, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, उपभोक्ता कार्य विभाग को अपनी अस्वीकृति की सूचना दे दी है।

मध्य-पूर्व के देशों के साथ व्यापार

3005. श्री ई.जी. सुगावनम: क्या वाणिज्य और उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले दो वर्षों के दौरान तथा चालू वर्ष में मध्य-पूर्व के देशों के साथ भारत के व्यापार में वृद्धि हुई है;

(ख) यदि हां, तो किए गए आयात/निर्यात का ब्यौरा क्या है तथा उससे देशवार कितनी विदेशी मुद्रा अर्जित हुई है; और

(ग) भारत तथा मध्य-पूर्व के देशों के बीच व्यापार संबंधों को और सुधारने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) और (ख) जी हां। पिछले दो वर्षों और चालू वर्ष के दौरान सभी मध्य-पूर्व देशों के साथ व्यापार में समग्र वृद्धि हुई है। इस क्षेत्र के सभी देशों के संबंध में 2004-05, 2005-06 और चालू वर्ष 2006-07 के दौरान निर्यात/आयात, व्यापार संतुलन और प्रतिशत वृद्धि के ब्यौरे संलग्न विवरण-I, II और III में दिए गए हैं।

(ग) व्यापार संबंधों में सुधार करने के लिए सरकार-दर-सरकार के बीच संपर्कों में वृद्धि, नियमित अंतराल पर इन देशों के साथ संयुक्त आयोग की बैठकें आयोजित करने, द्विपक्षीय सरकारी एवं संस्थागत सहयोगी कार्यढांचे को सुदृढ़ करने के लिए समय-समय पर व्यापार प्रदर्शनियों में भागीदारी तथा व्यापार शिष्टमंडलों के दौरों को प्रोत्साहित करने आदि की शुरूआत की गई है।

विवरण I

वाणिज्य विभाग
भारत के मासिक विदेश व्यापार के आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं एवं देश)
वाना क्षेत्र के लिए क्षेत्रवार सभी देशों का व्यापार
(अवधि: अप्रैल-मार्च)

दिनांक: 17.8.2006
मूल्य: मि. अम. डा. में

क्र.सं.	देश	2003-2004			2004-2005			% वृद्धि	
		निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	वाना								
1.	अल्जीरिया	122.15	4.47	117.68	231.22	6.31	224.90	89.28	41.17
2.	बहरीन	111.63	74.52	37.11	156.46	121.87	34.59	40.16	63.54

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3.	मिस्र एआरपी	367.49	98.21	269.28	444.73	152.64	292.09	21.02	55.43
4.	ईरान	918.11	266.83	651.29	1,231.39	410.21	821.18	34.12	53.74
5.	इराक	75.17	0.14	75.03	131.19	1.12	130.07	74.53	711.18
6.	इजरायल	723.98	669.76	54.23	1,005.76	988.11	17.65	38.92	47.53
7.	जार्डन	150.99	230.27	-79.28	128.25	355.89	-227.64	-15.06	54.55
8.	कुवैत	319.09	142.48	176.61	421.44	305.94	115.49	32.07	114.72
9.	लेबनान	59.05	7.68	51.37	67.46	20.46	47.00	14.24	166.55
10.	लीबिया	18.73	10.38	8.35	173.53	13.60	169.93	826.34	30.99
11.	मोरक्को	87.72	255.61	-167.89	112.48	362.16	-249.68	28.23	41.69
12.	ओमान	258.99	50.88	208.11	267.67	20.61	247.06	3.35	-59.49
13.	कतर	128.44	187.05	-58.61	209.42	672.85	-463.44	63.04	259.71
14.	सऊदी अरब	1,123.31	737.77	385.54	1,412.06	1,301.15	110.91	25.71	76.36
15.	सूडान	107.38	31.22	76.16	317.45	22.88	294.57	195.64	-26.71
16.	सीरिया	201.46	4.65	196.81	253.18	3.82	249.37	25.67	-17.89
17.	ट्यूनीशिया	68.16	64.71	3.46	74.46	94.94	-20.48	9.23	46.72
18.	संयुक्त अरब अमीरात	5,125.61	2,059.85	3,065.76	7,347.88	4,641.10	2,706.78	43.36	125.31
19.	यमन गणराज्य	217.55	29.76	187.80	246.41	30.82	215.59	13.27	3.58
	वाना का कुल	10,185.03	4,926.22	5,258.81	14,232.44	9,526.51	4,705.94	39.74	93.38
	भारत के कुल में वाना का % हिस्सा	15.95	6.30		17.04	8.54			
	भारत का कुल	63,842.97	79,149.62	-14,306.65	83,535.94	111,517.44	-27,981.50	30.85	42.70
	विनिमय दर: (1 अम. डा. = रु.)		45.9513			44.9315			

डाटा का स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

विवरण II

वाणिज्य विभाग
भारत के मासिक विदेश व्यापार के आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं एवं देश)
वाना क्षेत्र के लिए क्षेत्रवार सभी देशों का व्यापार
(अवधि: अप्रैल-मार्च)

दिनांक: 17.8.2006
मूल्य: मि. अम. डा. में

क्र.सं.	देश	2004-2005			2005-2006			% वृद्धि	
		निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात
	वाना								
1.	अल्जीरिया	231.22	6.31	224.90	268.52	14.65	253.87	16.13	132.01
2.	बहरीन द्वीप	156.46	121.87	34.59	189.82	186.92	2.90	21.32	53.37
3.	मिस्र एआरपी	444.73	152.64	292.09	664.27	217.97	446.31	49.37	42.79
4.	ईरान	1,231.39	410.21	821.18	1,176.41	685.86	490.55	-4.46	67.20
5.	इराक	131.19	1.12	130.07	145.39	2.05	143.34	10.83	83.06
6.	इजरायल	1,005.76	988.11	17.65	1,213.76	1,058.54	155.22	20.68	7.13
7.	जार्डन	128.25	355.89	-227.64	181.74	435.46	-253.72	41.71	22.36
8.	कुवैत	421.44	305.94	115.49	507.71	460.50	47.20	20.47	50.52
9.	लेबनान	67.46	20.46	47.00	71.01	18.43	52.57	5.26	-9.92
10.	लीबिया	173.53	13.60	159.93	103.01	11.79	91.22	-40.64	-13.35
11.	मोरक्को	112.48	362.16	-249.68	125.77	431.46	-305.68	11.82	19.13
12.	ओमान	267.67	20.61	247.06	404.57	256.66	147.91	51.15	1,145.39
13.	कतर	209.42	672.85	-463.44	251.04	894.06	-643.02	19.88	32.88
14.	सऊदी अरब	1,412.06	1,301.15	110.91	1,806.94	1,617.39	189.55	27.96	24.30
15.	सूडान	317.45	22.88	294.57	313.47	31.66	281.81	-1.25	38.38
16.	सीरिया	253.18	3.82	249.37	273.61	4.99	268.63	8.07	30.63
17.	ट्यूनीशिया	74.46	94.94	-20.48	79.70	101.13	-21.43	7.04	6.52
18.	संयुक्त अरब अमीरात	7,347.88	4,641.10	2,706.78	8,592.78	4,312.12	4,280.67	16.94	-7.09
19.	यमन गणराज्य	246.41	30.82	215.59	276.58	9.89	266.69	12.24	-67.91
	वाना का कुल	14,232.44	9,526.51	4,705.94	16,646.11	10,751.51	5,894.60	16.96	12.86
	भारत के कुल में वाना का % हिस्सा	17.04	8.54		16.20	7.55			
	भारत का कुल	83,535.94	111,517.44	-27,981.50	102,725.10	142,416.28	-39,691.18	22.97	27.71
	विनिमय दर: (1 अम. डा. = रु.)		44.9315			44.2735			

डाटा का स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

विवरण III

वाणिज्य विभाग
भारत के मासिक विदेश व्यापार के आंकड़े (प्रमुख वस्तुएं एवं देश)
वाना क्षेत्र के लिए क्षेत्रवार सभी देशों का व्यापार
(अवधि: अप्रैल-मार्च)

दिनांक: 17.8.2006
मूल्य: मि. अम. डा. में

क्र.सं.	देश	2005-2006			2006-2007			% वृद्धि	
		निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात	व्यापार संतुलन	निर्यात	आयात
	वाना								
1.	अल्जीरिया	28.48	1.83	26.65	27.87	0.30	27.57	-2.15	-83.72
2.	बहरीन द्वीप	36.06	12.60	23.46	9.05	14.69	-5.64	-74.90	16.56
3.	मिस्र एआरपी	50.21	15.41	38.40	43.53	14.58	28.95	-13.30	-5.41
4.	ईरान	50.45	23.64	26.81	134.61	55.77	78.84	166.85	135.97
5.	इराक	2.43	0.19	2.24	20.69	0.12	20.56	752.80	-34.87
6.	इजरायल	89.89	101.98	-12.10	115.14	86.25	28.89	28.10	-15.42
7.	जार्डन	10.32	19.78	-9.46	15.92	21.15	-5.23	54.28	6.91
8.	कुवैत	35.91	24.64	11.27	58.00	18.34	39.65	61.48	-25.56
9.	लेबनान	4.05	2.01	2.04	5.44	2.21	3.23	34.51	10.08
10.	लीबिया	11.20	1.74	9.46	7.82	-	7.82	-30.16	-
11.	मोरक्को	11.08	13.10	-2.02	11.98	13.66	-1.68	8.14	4.26
12.	ओमान	24.60	5.67	18.92	33.52	41.78	-8.26	36.29	636.58
13.	कतर	14.20	43.16	-28.96	13.51	68.04	-54.53	-4.87	57.65
14.	सऊदी अरब	137.22	114.00	23.23	136.97	101.83	35.14	-0.18	-10.67
15.	सूडान	42.09	1.51	40.58	25.74	1.55	24.19	-38.85	2.30
16.	सीरिया	14.41	0.55	13.86	31.42	0.74	30.69	118.05	33.97
17.	ट्यूनीशिया	8.31	8.46	-0.15	7.27	7.05	0.22	-12.45	-16.62
18.	संयुक्त अरब अमीरात	543.50	292.81	250.69	854.73	301.53	553.19	57.26	2.98
19.	यमन गणराज्य	14.68	2.10	12.58	46.64	1.21	45.42	217.71	-42.35
	वाना का कुल	1,129.08	685.20	443.89	1,599.86	750.82	849.04	41.70	9.58
	भारत के कुल में वाना का % हिस्सा	14.80	6.27		18.30	5.90			
	भारत का कुल	7,627.20	10,764.70	-3,137.50	8,743.09	12,732.76	-3,989.67	14.63	18.28
	विनिमय दर: (1 अम. डा. = रु.)		43.7412			44.9491			

डाटा का स्रोत: डीजीसीआईएस, कोलकाता

एन.डी.एम.सी. द्वारा कनाट प्लेस में सेंट्रल पार्क का विकास

3006. श्री के.सी. पल्लानी शामी: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नई दिल्ली नगरपालिका परिषद् का विचार कनाट प्लेस, नई दिल्ली में सेंट्रल पार्क का पुन: विकास करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस परियोजना की अनुमानित लागत कितनी है; और

(ग) इस पार्क का पुन: विकास कब तक किए जाने की संभावना है?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी नहीं, श्रीमान। इस समय ऐसा कोई प्रस्ताव नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के विचाराधीन नहीं है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता है।

केंद्रीय विद्यालय भवनों का निर्माण

3007. डा. अरुण कुमार शर्मा: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कुछ नव सृजित केंद्रीय विद्यालयों के संबंध में स्थायी भवन का निर्माण राज्य सरकार से भूमि की खरीद के कारण कई वर्ष विलम्बित हो जाता है;

(ख) यदि हां, तो विलम्ब के क्या कारण हैं;

(ग) ऐसे विद्यालयों का राज्य-वार ब्यौरा एवं इसमें अंतर्ग्रस्त राशि एवं अवधि क्या है;

(घ) विद्यालय भवनों के निर्माण के लिए शीघ्र भूमि अधिग्रहण के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाएंगे;

(ङ) क्या कुछ केंद्रीय विद्यालयों ने वर्ष 2003 से भारत सरकार के अनुमोदन के बिना कार्य आरंभ कर दिया है;

(च) यदि हां, तो तदन्तर स्वीकृति प्राप्त नहीं होने के क्या कारण हैं;

(छ) इसे कब तक प्राप्त किए जाने की संभावना है; और

(ज) असम में केंद्रीय विद्यालय लखीमपुर के स्थायी भवन के निर्माण की स्थिति क्या है और वार्षिक रूप से आबंटित राशि, निर्धारित लक्ष्य एवं विलम्ब के क्या कारण हैं?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) उन केन्द्रीय विद्यालयों की संख्या जो 1.4.2003 के पश्चात् खोले गए थे तथा भूमि की अनुपलब्धता के कारण पक्के भवन का निर्माण किया जाता है, का विवरण संलग्न है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन ने राज्य सरकारों तथा प्रायोजित एजेंसियों को उपयुक्त भूमि नि:शुल्क उपलब्ध कराने के लिए कहा है।

(च) से (छ) केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा वर्ष 2003-04 तथा 2004-2005 के दौरान सरकार की पूर्व अनुमति के बिना खोले गए केन्द्रीय विद्यालयों को सरकार ने जून, 2006 में नियमित किया है।

(ज) असम राज्य सरकार द्वारा अभी लखीमपुर में केन्द्रीय विद्यालय हेतु भूमि उपलब्ध नहीं कराई गई है। प्रायोजक एजेंसी के रूप में राज्य सरकार द्वारा भूमि उपलब्ध कराने पर ही पक्के स्कूल भवन का निर्माण कार्य शुरू किया जा सकता है।

विवरण

उन केन्द्रीय विद्यालयों की सूची को दर्शाने वाला विवरण जिन्हें अभी राज्य सरकारों तथा रक्षा मंत्रालय द्वारा भूमि हस्तांतरित की जानी है

राज्य	केन्द्रीय विद्यालय का नाम	आदेश की तारीख	सैक्टर
1	2	3	4
अरुणाचल प्रदेश	1. रोईंग	22.02.2003	सिविल
	2. मियोन	06.02.2004	सिविल
	3. खोनसा	04.03.2004	सिविल
असम	4. मंगलाडोई	22.02.2003	सिविल

1	2	3	4
	5. आरआरएल जोरहाट	22.02.2003	सिविल
बिहार	6. बक्सर	27.02.2003	सिविल
	7. बेतिया	27.02.2003	सिविल
	8. हाजीपुर	04.03.2003	सिविल
	9. मोतिहारी	03.03.2003	सिविल
	10. बरौनी	08.07.2004	सिविल
	11. दरभंगा	08.07.2004	सिविल
	12. पटना नं. 3	04.08.2004	सिविल
	13. बांका	04.08.2004	सिविल
	14. पूर्णिया	04.08.2004	सिविल
	15. आराह	04.08.2004	सिविल
	16. सीवान	04.08.2004	सिविल
	17. छपरा	06.02.2004	सिविल
	18. गोपालगंज	06.02.2004	सिविल
छत्तीसगढ़	19. जसपुर	03.03.2003	सिविल
	20. बेलाडिला, दांतेवाडा	22.02.2003	सिविल
दमन और दीव	21. दीव	22.02.2003	सिविल
गुजरात	22. द्वारका	04.03.2003	सिविल
	23. जेतपुर	27.06.2003	सिविल
हरियाणा	24. नं. 3 फरीदाबाद	22.02.2003	सिविल
	25. नं. 2 गुड़गांव	12.03.2003	सिविल
	26. हरसिंगापुरा, करनाल	19.06.2003	सिविल
झारखण्ड	27. धनबाद	03.04.2003	सिविल
	28. सुरदा, घाटशिला	04.03.2004	सिविल
	29. एचईसी, रांची	22.02.2003	सिविल
	30. भूरकुंडा	17.02.2004	सिविल
जम्मू-कश्मीर	31. अनन्तनाग	22.02.2003	सिविल
	32. पहलगाम	22.02.2003	सिविल

1	2	3	4
	33. जनसकर	22.02.2003	सिविल
	34. कारगिल	22.02.2003	सिविल
	35. नूरबा	22.02.2003	सिविल
	36. चौसुल	22.02.2003	सिविल
	37. हीरा नगर	22.02.2003	सिविल
	38. कथुआ	22.02.2003	सिविल
	39. भादरवाह	24.02.2003	सिविल
	40. चेनानी एट कुद	22.02.2003	सिविल
	41. गुलमर्ग (तनमार्ग)	23.10.2004	सिविल
कर्नाटक	42. करवार (नेवल बेस)	09.03.2005	रक्षा
लक्षद्वीप	43. कारावाठी	22.02.2003	सिविल
मध्य प्रदेश	44. सागर नं. 3	06.02.2004	सिविल
	45. शाजापुर	06.02.2004	सिविल
	46. मुगावोली	12.09.2005	सिविल
राजस्थान	47. बीएसएफ पोखरण	22.02.2003	सिविल
	48. कारौली	20.02.2004	सिविल
तमिलनाडु	49. मदुरै नं. 2	06.02.2004	सिविल
उत्तर प्रदेश	50. गोरखपुर	04.03.2003	सिविल
	51. देवरिया	10.03.2003	सिविल
	52. बलरामपुर	20.05.2003	सिविल
	53. रक्षा विहार, कानपुर	22.02.2003	रक्षा
	54. वाराणसी	22.02.2003	रक्षा
उत्तरांचल	55. ऋषिकेश, हरिद्वार	31.03.2003	सिविल
	56. पौड़ी गढ़वाल	29.05.2003	सिविल
	57. राजगढ़ी	07.10.2003	सिविल
	58. अगस्तमुनि, रूद्रप्रयाग	04.02.2004	सिविल
	59. सौरखाड, टिहरी	06.02.2004	सिविल
	60. आईटीबीपी मिर्थी, पिथौरागढ़	17.02.2004	सिविल
	61. लोहाघाट, चम्पावत	17.02.2004	सिविल

[हिन्दी]

विदेशी कम्पनियों द्वारा नियमों का उल्लंघन

3008. **श्री हरिसिंह चावड़ा:**
श्री सुनिल कुमार महतो:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विदेशी निवेश के लिए निर्धारित नियमों के उल्लंघन के लिए कौन-कौन सी विदेशी कम्पनियों के विरुद्ध कार्यवाही की गई; और

(ख) उनके विरुद्ध कौन-सी तारीख को मामले दर्ज किए गये थे और उनके विरुद्ध की गई कार्यवाही की वर्तमान स्थिति क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): (क) और (ख) विदेशी मुद्रा प्रबंध अधिनियम (एफईएमए) 1999 की धारा 13 में अधिनियम के उपबंधों अथवा इसके अंतर्गत जारी किये गये नियमों/विनियमों, अधिसूचना, आदेश के उल्लंघन के लिए अधिनिर्णय के बाद दण्ड देने की व्यवस्था होती है। राजस्व विभाग के अंतर्गत प्रवर्तन निदेशक को इस तरह के उल्लंघनों की जांच करने के लिए प्राधिकृत किया गया है और पिछले तीन वर्षों के दौरान नियमों के उल्लंघन हेतु विदेशी कंपनियों के बारे में कोई जांच नहीं की गई है।

[अनुवाद]

इतिहास की पाठ्य पुस्तकों का मुद्रण

3009. **श्री प्रहलाद जोशी:**
डा. लक्ष्मी नारायण पाण्डेय:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2000 में उपलब्ध इतिहास की पाठ्य पुस्तकों की विषयवस्तु में बिना कोई परिवर्तन किए उन्हें वर्ष 2004 से पुन: मुद्रित किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने इन पाठ्य पुस्तकों का पुन: मुद्रण इसलिए आरंभ किया है क्योंकि ये पाठ्य पुस्तकें वर्ष 2000 के राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा के अनुसार हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) इतिहास की निम्नलिखित पाठ्यपुस्तकों जो वर्ष 2000 में उपलब्ध थीं, और जिन्हें 2004 से पुन: मुद्रित करके शैक्षिक सत्र 2006-07 से पढ़ाई जा रही हैं वे इस प्रकार हैं:-

1. मिडिएवल इंडिया-प्रो. रोमिला थापर रचित कक्षा-VII हेतु इतिहास की पाठ्यपुस्तक
2. माडर्न इंडिया-प्रो. अर्जुन देव तथा प्रो. इंदिरा अर्जुन देव द्वारा रचित कक्षा-VIII हेतु इतिहास की पाठ्यपुस्तक
3. स्टोरी आफ सिविलाइजेशन, खंड 2 - प्रो. अर्जुन देव द्वारा रचित कक्षा-X हेतु इतिहास की पाठ्यपुस्तक
4. मार्डन इंडिया-प्रो. बिपिन चंद्र द्वारा रचित कक्षा-XII हेतु पाठ्यपुस्तक
5. कन्टेम्प्रेरेरी वर्ल्ड हिस्ट्री-प्रो. अर्जुन देव द्वारा रचित कक्षा-XII हेतु इतिहास की पाठ्यपुस्तक का भाग-1 तथा 2 आदि।

प्रत्येक वर्ष सभी पुन: मुद्रित संस्करणों में उचित संपादकीय संशोधन एवं परिवर्तन किए जाते हैं। ये संशोधन विभिन्न व्यक्तियों तथा संगठनों से प्राप्त सुझावों के अनुरूप किए जाते हैं। विशेषत: प्रो. अर्जुन देव द्वारा रचित कक्षा-X हेतु इतिहास की पाठ्यपुस्तक—'स्टोरी आफ सिविलाइजेशन', भाग-दो जो वर्ष 2000 में उपलब्ध थी, को नीलाद्रि भट्टाचार्य समिति की सिफारिशों के आधार पर दो भागों में बांट कर कक्षा-IX तथा X हेतु मार्च, 2005 में इन पाठ्यपुस्तकों को पुन: मुद्रित करवाया गया। इन दो पुस्तकों में से कक्षा-IX की पाठ्यपुस्तक के स्थान पर शैक्षिक सत्र 2006-07 से 'इंडिया एंड द कंटेम्प्रोरेरी वर्ल्ड-1 नामक नई पुस्तक चलाई गई है।

(ग) और (घ) जी, नहीं। चूंकि राष्ट्रीय पाठ्यचर्चा संरचना-2005 को शैक्षिक सत्र 2006-07 से लागू किया गया है अत: राष्ट्रीय पाठ्यचर्या संरचना-2005 पर आधारित नई पाठ्यपुस्तकें चरणबद्ध तरीके से लागू की जा रही हैं।

वस्त्र क्षेत्र में रोजगार वृद्धि

3010. **श्री रवि प्रकाश वर्मा:** क्या **वस्त्र मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वस्त्र और पटसन संबंधी एक कार्य समूह ने दसवीं योजना के दौरान हस्तशिल्प क्षेत्र में 3 प्रतिशत वार्षिक दर से रोजगार वृद्धि का अनुमान लगाया है;

(ख) यदि हां, तो अब तक उक्त अनुमान कितना पूरा हुआ है;

(ग) वस्त्र और पटसन क्षेत्र में अब तक कितने शिल्पकारों को रोजगार मिला है;

(घ) क्या सरकार ने हस्तशिल्प क्षेत्र में अनुमानित रोजगार वृद्धि को ग्यारहवीं योजना के दृष्टिकोण-पत्र में शामिल किए जाने के लिए योजना आयोग को सौंपा है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान अनुमानित रोजगार वृद्धि को प्राप्त करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2005-06 अर्थात् दसवीं पंचवर्षीय योजना का उपान्त्य वर्ष तक हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार की प्रस्तावित वृद्धि को पूरा करने के लिए संतोषजनक प्रगति हासिल की गई है।

(ग) राष्ट्रीय अनप्रयुक्त आर्थिक अनुसंधान परिषद (एनसीएईआर) द्वारा 1995-96 के दौरान की गई हस्तशिल्प कारीगरों की अखिल भारतीय जनगणना के अनुसार नियुक्त कारीगरों की अनुमानित संख्या 47.61 लाख थी। तथापि, हस्तशिल्प क्षेत्र में रोजगार के संबंध में कोई निश्चित आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। दसवीं योजना के संबंध में हस्तशिल्प संबंधी उपसमूह ने अनुमान लगाया था कि इस क्षेत्र में रोजगार दसवीं योजना के अंत (2006-07) तक 67.70 लाख तक पहुंच जाएगा।

(घ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए उपसमूह इस मुद्दे की जांच कर रहा है और शीघ्र ही अपनी सिफारिशें योजना आयोग को प्रस्तुत कर देगा जिसमें हस्तशिल्प क्षेत्र में वृद्धि की अनुमान संबंधी आंकड़े शामिल होंगे।

(ङ) उपर्युक्त को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(च) दसवीं योजना की शेष अवधि के दौरान रोजगार की प्रस्तावित वृद्धि हासिल करने के लिए नये कदम उठाये गये हैं जिनमें नई योजनाएं शुरू करना तथा मौजूदा योजनाओं में संघटक जोड़ना शामिल है यथा-ऋण गारंटी योजना बीमा योजना और सार्वजनिक निजी भागीदारी से सुविधा केंद्र योजना।

[हिन्दी]

नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक

3011. श्री रामदास आठवले: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार नि:शुल्क और अनिवार्य शिक्षा विधेयक को अंतिम रूप दे रही है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) राज्यों द्वारा अपनाए जाने के लिए शिक्षा के अधिकार से संबंधित एक मसौदा माडल विधेयक हाल ही में संबद्ध केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों तथा राज्य सरकारों को उनकी टिप्पणी के लिए परिचालित किया गया है जिसमें समतुल्य गुणवत्ता वाली नि:शुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा हेतु बच्चों के अधिकार, राज्य तथा उपयुक्त सरकारों के उत्तरदायित्व, इत्यादि से संबंधित प्रावधान शामिल हैं।

[अनुवाद]

कुपोषित बच्चे

3012. श्री असादुद्दीन ओवेसी: क्या महिला और बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सी.ए.जी. (सिविल) की एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2004-05 में राज्यों में 55 प्रतिशत से भी अधिक बच्चे कुपोषित हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या अन्य राज्यों सहित मध्य प्रदेश राज्य में बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण स्थिति के संबंध में समन्वित बाल विकास सेवाओं का प्रभाव हाशिए पर रख दिया गया था;

(ग) यदि हां, तो क्या घटिया पोषक खाद्य की खरीद तथा खरीद में निर्धारित प्रक्रिया को न अपनाया जाना इसके लिए उत्तरदायी थे;

(घ) क्या केन्द्र सरकार ने इस संबंध में राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी है;

(ङ) यदि हां, तो इस पर राज्य की क्या प्रतिक्रिया है; और

(च) पिछले तीन वर्षों के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा इस संबंध में कुल कितनी सहायता प्रदान की गई है तथा इसमें से राज्यों द्वारा कितनी धनराशि का उपयोग किया गया है?

महिला और बाल विकास मंत्रालय की राज्य मंत्री (श्रीमती रेनुका चौधरी): (क) बच्चों में कुपोषण संबंधी राष्ट्रीय स्तर के आंकड़ों का संकलन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा संचालित राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के जरिए कराया जाता है। राष्ट्रीय परिवार कल्याण स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 (1998-99) के अनुसार, मध्य प्रदेश में 3 वर्ष तक की आयु के बच्चों में 55.1% बच्चे कम वजनी हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सिविल) की रिपोर्ट में राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के ही इन आंकड़ों का प्रयोग किया गया है।

(ख) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के कार्य-निष्पादन का मूल्यांकन विगत में अनेक अभिकरणों द्वारा किया गया है। पिछली बार इसका सर्वेक्षण राष्ट्रीय जन सहयोग एवं बाल विकास संस्थान ने वर्ष 2005-06 में किया था। मूल्यांकन रिपोर्ट से यह पता चला है कि:

- 0-3 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों में अत्यधिक कुपोषित बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1992 में 7 से घटकर वर्ष 2006 में 1 रह गया और 3-5 वर्ष आयु वर्ग के बच्चों के मामले यह प्रतिशत 1992 में 4 से घटकर वर्ष 2006 में 0.8 रह गया।
- कम वजनी जन्मे बच्चों का प्रतिशत वर्ष 1992 में 41 से घटकर वर्ष 2006 में 29 रह गया।

बच्चों में कुपोषण कम करने के लिए मध्य प्रदेश में वर्ष 2001 से बाल संजीवनी अभियान चलाया जा रहा है। बाल संजीवनी अभियान के 8वें दौर (मई, 2006) के आंकड़ों के मुताबिक, राज्य में कुपोषण का प्रतिशत घटकर 49.21 रह गया है। तथापि, राष्ट्रीय स्वास्थ्य सर्वेक्षण-3 (2005-06) से संबंधित कार्य अभी चल रहा है और वर्ष के अंत तक इसके निष्कर्ष आने की उम्मीद है। इस प्रकार, मध्य प्रदेश में बच्चों में कुपोषण के प्रतिशत की जानकारी वर्ष के अंत तक ही उपलब्ध होगी, जिसकी तुलना राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-2 के साथ की जा सकती है।

(ग) से (ङ) तथ्यों को एकत्र कर सभा पटल पर रख दिया जाएगा।

(च) समेकित बाल विकास सेवा स्कीम के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों के दौरान भारत सरकार द्वारा निर्मुक्त सहायतानुदान और राज्यों द्वारा किए गए व्यय का ब्यौरा इस प्रकार है:-

वर्ष	कुल निर्मुक्त राशि (करोड़ रुपए में)	राज्यों द्वारा सूचित कुल व्यय (करोड़ रुपए में)
2003-04	1458.68	1735.43
2004-05	1726.55	1795.25
2005-06	3273.99*	2666.65**

*इसमें पूरक पोषण हेतु निर्मुक्त 974.59 करोड़ रुपए शामिल हैं।
**केवल 27 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किया गया व्यय, जिनसे अब तक रिपोर्टें प्राप्त हुई हैं।

नेशनल टी आक्शन प्लेटफार्म की स्थापना

3013. श्री नवजोत सिंह सिद्धू: क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चाय के आक्शन के लिए नेशनल स्टाक एक्सचेंज की तर्ज पर ई-आक्शन प्लेटफार्म की स्थापना करने का है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के वाणिज्य विभाग में राज्य मंत्री (श्री जयराम रमेश): (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

निजी विद्यालयों को धनराशि

3014. डा. के.एस. मनोज:
श्री के.जे.एस.पी. रेड्डी:

क्या **मानव संसाधन विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार द्वारा देश में सरकारी/निजी विद्यालयों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है;

(ख) यदि हां, तो इसकी प्रमुख विशेषताएं क्या हैं;

(ग) क्या दिल्ली में स्थित संस्कृति स्कूल को इसकी स्थापना के समय से ही सरकार से वित्तीय सहायता मिलती रही है जैसा कि हाल ही में विभिन्न राष्ट्रीय समाचार-पत्रों में प्रकाशित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार के पास वित्तीय सहायता देने संबंधी संस्कृति स्कूल के कतिपय प्रस्ताव लम्बित हैं; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) और (ख) स्कूलों को सहायता अनुदान मुख्य रूप से राज्य सरकारों का उत्तरदायित्व है। कुछ केन्द्रीय प्रायोजित स्कीमों के अंतर्गत राज्य सरकारों/गैर-सरकारी संगठनों को स्कूलों/छात्रों के कल्याण हेतु अनुदान जारी किया जाता है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय की ऐसी कोई स्कीम नहीं है जिसके अंतर्गत प्राइवेट स्कूलों को स्कूल भवन के निर्माण अथवा दिन-प्रतिदिन के कार्यकलापों हेतु रख-रखाव अनुदान दिया जाए।

(ग) और (घ) कार्मिक, जन शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सरकार द्वारा संस्कृति स्कूल, दिल्ली को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(ङ) जी, नहीं।

(च) प्रश्न नहीं उठता।

विवरण

सरकार द्वारा संस्कृति स्कूल दिल्ली को दी गई वित्तीय सहायता

(रुपये लाख में)

क्र.सं.	भारत सरकार/राज्य सरकारों के मंत्रालय/विभाग	1994-95 से अब तक जारी राशि
1	2	3
1.	रक्षा मंत्रालय	500.00
2.	वित्त मंत्रालय	300.00
3.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय	500.00
4.	रेल मंत्रालय	20.00
5.	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय	1.50
6.	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग	550.00
7.	केरल सरकार	5.00
8.	आंध्र प्रदेश सरकार	10.00
9.	त्रिपुरा सरकार	1.00
10.	कर्नाटक सरकार	25.00
	कुल	1912.50

[हिन्दी]

चंडीगढ़ का सौंदर्यीकरण

3015. श्री अविनाश राय खन्ना: क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार चंडीगढ़ के सौंदर्यीकरण हेतु केंद्रीय विनियामक निकाय का गठन करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे निकाय को कब तक गठित किए जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने चंडीगढ़ के शहरीकृत गांवों के विकास और उन्हें आधुनिक सुविधाएं भी प्रदान करने के लिए कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सर्वेक्षण में किन-किन गांवों को सम्मिलित किया गया है;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं; और

(छ) ऐसे गांवों के विकास हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एस. रघुपति): (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते हैं।

(घ) से (छ) बुरेल, बधेरी, बटरेला और अटावा चारों गांव चंडीगढ़ शहर के सेक्टोरल ग्रिड के अभिन्न अंग हैं। ये नगर निगम, चंडीगढ़ के क्षेत्राधिकार में आते हैं जो इन गांवों में आधुनिक अवसंरचनात्मक सुविधाएं जैसे सड़क, जल आपूर्ति, मल निकासी, वर्षा की जल निकासी, सड़कों की बिजली, बागवानी संबंधी कार्य और साफ-सफाई की व्यवस्था करता है। इन चारों गांव के बुनियादी ढांचे के विकास के लिए 5.50 करोड़ रुपए की एक विशेष योजना

का भी प्रावधान है। इसलिए, इस प्रयोजनार्थ अलग से सर्वेक्षण की आवश्यकता नहीं है।

[अनुवाद]

केन्द्रीय विद्यालय संगठन द्वारा अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति

3016. श्री सुदाम मरन्डी: क्या मानव संसाधन विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान केन्द्रीय विद्यालय संगठन के अंतर्गत अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति हेतु पद-वार, क्षेत्र-वार कितने अनुरोध प्राप्त हुए और कितने व्यक्ति नियुक्त किए गए;

(ख) केन्द्रीय विद्यालय के पास विचारार्थ आज तक कितने आवेदन लंबित हैं;

(ग) आवेदनों के लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(घ) इन व्यक्तियों को अनुकंपा के आधार पर कब तक नियुक्त किए जाने की संभावना है?

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): (क) से (घ) दिनांक 1.4.2003 तक केन्द्रीय विद्यालय संगठन में अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए 136 अनुरोध प्राप्त हुए थे। वर्षवार, पदवार और क्षेत्रवार ब्यौरा संलग्न विवरण में है। केन्द्रीय विद्यालय संगठन में पिछले तीन वर्षों के दौरान अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति पर विचार करने के लिए रिक्तियां न होने के कारण अनुकम्पा के आधार पर कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति अन्य बातों के साथ-साथ रिक्तियों की उपलब्धता पर भी निर्भर होती है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष अनुकम्पा के आधार पर नियुक्ति के लिए प्राप्त कुल प्रस्ताव इस प्रकार हैं:-

वर्ष		प्राप्त अनुरोधों की संख्या	
		क्षेत्र समूह-ग	पदों की श्रेणियां समूह-घ
1	2	3	4
2003-2004	अहमदाबाद	01	01
	बंगलौर	02	01
	भोपाल	02	02
	भुवनेश्वर	00	01
	चंडीगढ़	00	05
	चेन्नई	00	01
	देहरादून	02	03
	दिल्ली	01	01
	गुवाहाटी	00	04
	हैदराबाद	01	03
	जबलपुर	01	02
	जम्मू	00	01
	कोलकाता	01	01

1	2	3	4
	लखनऊ	04	03
	पटना	00	01
	सिलचर	00	01
	कुल	15	31
2004-05	बंगलौर	01	00
	भोपाल	01	02
	भुवनेश्वर	03	02
	चंडीगढ़	03	00
	चेन्नई	01	00
	देहरादून	01	03
	दिल्ली	02	05
	हैदराबाद	00	03
	जबलपुर	00	02
	जयपुर	00	01
	जम्मू	02	00
	लखनऊ	01	00
	सिलचर	02	00
	कुल	17	18
2005-2006	अहमदाबाद	01	02
	भोपाल	01	02
	भुवनेश्वर	07	01
	चंडीगढ़	00	01
	देहरादून	02	02
	दिल्ली	01	01
	गुवाहाटी	00	02
	हैदराबाद	00	02
	जबलपुर	02	00
	जयपुर	01	02

1	2	3	4
	जम्मू	00	00
	कोलकाता	00	02
	लखनऊ	00	02
	मुम्बई	01	02
	पटना	04	00
	सिलचर	01	01
	कुल	21	22
2006-2007	अहमदाबाद	01	00
	भुवनेश्वर	01	00
	चंडीगढ़	01	00
	देहरादून	02	00
	दिल्ली	00	01
	गुवाहाटी	00	01
	हैदराबाद	01	00
	मुम्बई	02	00
	पटना	01	01
	कुल	09	03
	कुल जोड़	62	74

कुल समूह "ग" - 62
कुल समूह "घ" - 74
136

अध्यक्ष महोदय: सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

पूर्वाह्न 11.52 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 12.00 बजे

लोक सभा मध्याह्न 12.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[अध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, जो होना था वह हो गया लेकिन

माननीय सदस्यों से मेरा सिर्फ यह निवेदन है कि भोजनावकाश पर गए बिना ही हमें सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करना चाहिए। महोदय, इस संबंध में आपके माध्यम से मैं सभा का सहयोग चाहता हूं। मुझे उम्मीद है कि श्री मलहोत्रा मेरी इस बात से सहमत होंगे कि भोजनावकाश पर बिना गए ही सूचीबद्ध कार्यों को पूरा करना चाहिए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): अध्यक्ष जी, 'जीरो आवर' में बहुत सारे इश्यूज महत्वपूर्ण हैं। आज देश भर से ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: 'जीरो आवर' कहने से, ऐसा कोई आवर नहीं होता।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.07 बजे

अल्प सूचना प्रश्न

[अनुवाद]

शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशक

1. **श्री उदय सिंह:**
श्री के. फ्रांसिस जार्ज:
श्री रायापति सांबासिवाराव:
श्री पारसनाथ यादव:
श्री रवि प्रकाश वर्मा:

क्या **स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेंटर फार साइंस एंड एनवायरमैंट (विज्ञान और पर्यावरण केन्द्र) ने शीतल पेय पदार्थों में बड़े स्तर पर कीटनाशकों के होने के संबंध में अपने अध्ययन को हाल में जारी किया है;

(ख) यदि हां, तो उसमें प्रकाशित मामले के तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या सरकार ने उसकी जांच की है;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार शीतल पेय पदार्थों के विनिर्माण तथा बिक्री पर रोक लगाने का है;

(ङ) क्या शीतल पेय पदार्थ विनिर्माता कम्पनियों ने शीतल पेय पदार्थों में कीटनाशी अवशेष की मात्रा के बारे में केन्द्र सरकार द्वारा दिए गए अनुदेशों की अवहेलना की है; और

(च) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कार्यवाही की गई है/किए जाने का विचार है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री (डा. अंबुमणि रामदास): (क) से (च) एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट (सीएसई) ने दिनांक 2.8.06 को "शीतल पेयों में पेस्टीसाइड अवशिष्टों का विश्लेषण" (एनालिसिस आफ पेस्टीसाइड रेसिड्यूज इन साफ्ट ड्रिंक्स) नामक एक रिपोर्ट जारी की है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि:-

* 15 आर्गेनोक्लोरीन पेस्टीसाइडों एवं 13 आर्गनोफास्फोरस पेस्टीसाइडों के संबंध में 11 ब्रांडों (पेप्सी कं. के 7 ब्रांड तथा कोका कोला के 4 ब्रांड) के कुल 57 शीतल पेय नमूनों की जांच की गई।
* सभी 57 नमूनों में कुल पेस्टीसाइडों (आर्गनोक्लोरीन एवं आर्गनोफास्फोरस) की सान्द्रता की मात्रा 2.65 पीपीबी से 31.55 पीपीबी थी।

सीएसई की रिपोर्ट की जांच करने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 4.8.2006 को एक विशेषज्ञ समिति गठित की जिसने सीएसई द्वारा अपनायी गई कार्यप्रणाली सहित सीएसई रिपोर्ट में निहित सभी पहलुओं की समीक्षा की। विशेषज्ञ समिति का निष्कर्ष यह है कि सेंटर फार साइंस एंड एनवायरनमेंट की रिपोर्ट में सूचित सान्द्रण में विभिन्न पेस्टीसाइडों की विद्यमानता का निश्चयात्मक साक्ष्य प्रदान नहीं किया गया है। विशेषज्ञ समिति की रिपोर्ट मंत्रालय की वेबसाइट में रखी गई है। समिति की विशिष्ट टिप्पणियां निम्नलिखित हैं:-

* इस रिपोर्ट में प्रमात्रा परिणामों की पुष्टिकारक विवेचना के लिए अपेक्षित ब्यौरे नहीं दिए गए हैं।
* जीसी-मास कनफर्मेशन पर आधारित सूचित अवशिष्ट अनिर्णायक है।
* एचसीएच (हेक्सा क्लोरो साइक्लोहेक्सेन) के विभिन्न समावयवों की व्याप्तता उनकी जैविक प्रकृति के प्रतिकूल है। इसके अतिरिक्त सामान्य क्रियानुसार परिणाम की पुष्टि के लिए कोई भी पुष्टिकारक साक्ष्य नहीं दिए गए हैं।
* शीतल पेयों के अम्लीय माध्यम में मैलाथियान जल-अपघटन की प्रक्रिया से गुजरता है। अत: ऐसी सांद्रता में इसके विशिष्ट तकनीकी रूप से असंभाव्य होते हैं। इसके अतिरिक्त सीएसई द्वारा प्रदत्त जीसीएमएस क्रोमाटोग्राम से भी मैलाथियान की अनुपस्थिति की पुष्टि होती है।

* हेप्टाक्लोर वर्ष 1996 से प्रतिबंधित है। अंत: ऐसी सांद्रता में इसकी उपस्थिति असंभाव्य है। सीएसई द्वारा प्रदत्त जीसीएमेस क्रोमाटोग्राम से भी हेप्टाक्लोर की अनुपस्थिति की पुष्टि होती है।

* क्लोरपाइरिफोस- नमूने में क्लोरपाइरिफोस की उपस्थिति के प्रति मानक (19.36 मिनट का प्रतिधारण समय) और नमूने (18.54 मिनट का प्रतिधारण समय) बिंदुओं का द्रव्यमान विखंडन पैटर्न। तथापि दोनों के प्रतिधारण समय में कोई मेल नहीं है।

इस प्रकार उपरोक्त असंगतियों को देखते हुए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने सीएसई से और ब्यौरे मांगे है।

संसद द्वारा गठित संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के अनुपालन में, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने दिनांक 15 जुलाई, 2004 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 451(अ) के तहत पैकेज्ड पेय जल के मानकों के अनुसार साफ्ट ड्रिंक्स के विनिर्माण में उपयोग किए जाने वाले जल के मानकों को पहले ही संशोधित कर दिया है।

इसके अलावा संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश पर कार्बोनेटिड पेयों के लिए सम्मिश्रित मानकों को विकसित करने के उद्देश्य से स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्बोनेटिड पेयों, फलों और सब्जियों के जूस तथा अन्य तैयार उत्पादों में पेस्टीसाइडों के एमआरएल के निर्धारण पर एक राष्ट्रीय स्तर की विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया है। समिति ने निर्णय लिया है कि शर्करा जो कि जल के अलावा साफ्ट ड्रिंक्स के घटकों में से एक घटक है, के माध्यम से आने वाले पेस्टीसाइड अवशिष्टों की संभावना को पहले से ही अधिकृत करने के लिए शर्करा नमूनों में पेस्टीसाइड अवशिष्ट स्तरों का मूल्यांकन करने के लिए विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों से शर्करा के उपयुक्त नमूने लेने के साथ बहु केन्द्रिक मानिटरिंग अध्ययनों की आवश्यकता है। मानिटरिंग अध्ययन की रिपोर्ट जनवरी, 2007 तक पूरी हो जायेगी जिससे भारत सरकार अधिसूचना की विविधवत प्रक्रिया अपनाने के बाद कार्बोनेटिड जल के लिए सम्मिश्रित मानकों का निर्धारण करने में समर्थ होगी।

खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम, 1954 राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के माध्यम से कार्यान्वित किया जाता है जो विभिन्न खाद्य उत्पादों के नमूनों लेती हैं और नमूनों के खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अनुरूप नहीं पाए जाने पर खाद्य अपमिश्रण निवारण नियम, 1955 के अंतर्गत कार्रवाई करती है।

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कार्बोनेटिड पेयों के नमूनों उठाने और उनकी जांच करने हेतु राज्य और केन्द्रीय प्रयोगशालाओं को पहले ही निदेश जारी किए हैं। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशालाओं के निदेशकों को भी सलाह दी गई है कि वे पेस्टीसाइड अवशिष्टों सहित गुणवत्ता मापदण्डों की जांच करने हेतु कार्बोनेटिड पानी और पैकेज्ड पीने के पानी के नमूनों को स्वीकार करें। 14 राज्यों से कुल 213 नमूने लिए गए हैं और जांच के लिए भेजे गए हैं। गुजरात से जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है। गुजरात राज्य से प्राप्त हुई रिपोर्ट के अनुसार विश्लेषित किए गए 28 नमूनों में से किसी भी नमूने में किसी भी पेस्टीसाइड की मौजूदगी नहीं दर्शायी गई है। केन्द्रीय खाद्य प्रयोगशाला, मैसूर से भी जल के दो नमूनों तथा कार्बोनेटिड पेयों के दो नमूनों के बारे में रिपोर्ट प्राप्त हुई है। नमूनों से पता चलता है कि पेस्टीसाइड के स्तर सांविधिक सीमाओं से कम हैं।

श्री उदय सिंह: महोदय, इस अल्प सूचना प्रश्न को अनुमति देने के लिए मैं आपको मुक्त कंठ से धन्यवाद देना चाहता हूं। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। सरकार की इस पर विचित्र निष्क्रियता रही है, लेकिन मुझे मंत्री जी से उत्तर मिल चुका है। स्थिति हास्यास्पद बन चुकी है। यह 7000 करोड़ रुपये का उद्योग है जिस पर आजीविका के लिए लाखों लोग निर्भर हैं। सीएसई की रिपोर्ट आने के बाद गत एक महीने में हमने देखा कि कई राज्य सरकारों ने अपनी ओर से कार्रवाई की है। कई राज्य सरकारें है जिन्होंने शीतल पेय पदार्थों के उत्पादन तथा वितरण पर रोक लगा दी है। कईयों ने आधी-अधूरी कार्रवाई की है। लेकिन केन्द्र सरकार कोई स्पष्ट नीति नहीं बना रही है।

महोदय, वर्ष 2002 या 2003 में उच्चाधिकार प्राप्त संयुक्त संसदीय समिति का गठन किया गया था तथा इस संयुक्त संसदीय समिति ने कतिपय सिफारिशें की थीं। भारतीय मानक ब्यूरो ने भी देश के लिए शीतल पेय पदार्थों के लिए मानक निर्धारित कर दिए लेकिन उन्हें अधिसूचित नहीं किया गया। वस्तुत: भारतीय मानक ब्यूरो की बैठक में अन्तिम दिन, जब भारतीय मानक ब्यूरो अधिसूचित करने ही वाला था, भगवान जाने किसके निर्देश पर केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारतीय मानक ब्यूरो को आगे कार्रवाई करने से रोकने के लिए लिखा। पूर्णतया असमंजस की स्थिति है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपना पूरक प्रश्न पूछिए।

श्री उदय सिंह: महोदय, केन्द्र सरकार बहुत ही जल्द कार्रवाई करेगी जो आज चल रही असमंजस की स्थिति को स्पष्ट कर देगा। क्योंकि कई मिलियन लोगों का स्वास्थ्य दांव पर है।

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपनी स्थिति स्पष्ट करना चाहते हैं।

डा. अंबुमणि रामदास: निश्चित रूप से, सीएलई द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद हम आज विद्यमान कीटनाशकों के मुद्दे पर बहुत चिंतित है। संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिशों के बाद मानक बना रहे हैं। मानक बनाने के लिए हमें गहन वैज्ञानिक अध्ययन करना होगा। तीन मुख्य मानक है जिन्हें निर्धारित किया जाना है, एक पानी के लिए, दूसरा चीनी के लिए तथा तीसरा सान्द्रता के लिए। कार्बनकृत पेय पदार्थों में तीन अलग-अलग उत्पाद है। वस्तुत:, कार्बनीकृत पेय पदार्थों के लिए मानक तय करने के संबंध में भारत पहले देशों में से था जिसने काफी पहले 1955 में ही ये मानक निर्धारित कर दिए थे। वर्तमान मुद्दे के संबंध में पहले से ही जल के लिए मानक हैं। जो मानक बोतल बंद पेय जल के लिए है वही मानक कार्बनीकृत पेय के उत्पादन में उपयोग होने वाले जल के लिए हैं।

चीनी के मानकों पर आते हुए हम इन बातों का परीक्षण कर रहे हैं। जनवरी 2007 तक, शायद तीन से चार महीने के साथ में हम किसी कार्बनीकृत पेय की सभी विशिष्टताओं के लिए व्यापक मानक तय करेंगे। चीनी के मानक तय किए जाएंगे। क्योंकि हमें वैज्ञानिक परीक्षण तथा वैधता प्रदान करने की प्रक्रिया से गुजरता है जिसे न्यायालय में सही ठहराया जा सके। आईसीएमआर के प्रमुख डा. गांगुली उस उच्च स्तरीय समिति का नेतृत्व कर रहे हैं जोकि इस मुद्दे से संबंधित है। तीसरा भाग कांसन्ट्रेट के बारे में है जो एक पेटेंट युक्त स्वामित्व वाली वस्तु है तथा कांसन्ट्रेट में कीटनाशक न हों, यह जिम्मेदारी निर्माताओं की है।

हालांकि मानक शीघ्र ही निर्धारित कर दिए जाएंगे, वर्तमान स्थिति के अनुसार किसी भी कार्बनीकृत पेय में कीटनाशकों का कोई अवशेष नहीं होना चाहिए। हमने शीतल पेयों में कीटनाशकों के न्यूनतम अवशेषों के लिए मानक निर्धारित किए हैं।

माननीय सदस्य को मैं बताना चाहता हूं कि हम इन कार्बनीकृत पेयों के बारे में शीघ्र ही मानक निर्धारित करने की प्रक्रिया में हैं।

श्री उदय सिंह: महोदय, माननीय मंत्री महोदय का उत्तर वस्तुत: सीएसई की रिपोर्ट को नकारता है। हर बात पर कहा जा रहा है कि इसे सही नहीं पाया गया। मैं इस बात को इतना सीधे तरीके से नहीं कहना चाहता था परन्तु मुझे लगता है कि सरकार और शीतल पेय निर्माताओं के बीच...* है और इसलिए मुझे लगता है कि *...(व्यवधान)* की स्थापना...

अध्यक्ष महोदय: मैं इसे देखूंगा। उस शब्द का प्रयोग मत कीजिए। कड़े शब्द अधिक प्रभावी नहीं होते।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री उदय सिंह: ठीक है, महोदय, मैं उस शब्द को वापस लेता हूं तथा उसे हल्के शब्दों में बदलता हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं इसे हल्के शब्दों में नहीं चाहता। आप इसे संसदीय शब्दों में कहें।

श्री उदय सिंह: इस संबंध में सरकार द्वारा कार्रवाई न करना हमारे मन में संदेह उत्पन्न कर रहा है। एक के बाद एक समितियों का गठन किया जा चुका है। इतनी समितियों के गठन की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि सीएसई की रिपोर्ट सही है तो शीतल पेयों पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए अथवा यदि सीएसई की रिपोर्ट गलत है तो राज्य सरकारों को सलाह दी जानी चाहिए कि शीतल पेयों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जाना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: आप सुझाव दे रहे हैं। आप अनुपूरक पूछ सकते हैं। आप बहुत अच्छी तरह से बोल सकते हैं। कृपया प्रश्न पूछें।

श्री उदय सिंह: महोदय, मैं निश्चित समय-सीमा जानना चाहता हूं कि केन्द्र सरकार कब तक सुस्पष्ट नीति बनाएगी क्योंकि अगले वर्ष जनवरी अथवा मई की अलग-अलग तारीखें देने से काम नहीं चलेगा। हम पहले ही देख चुके हैं कि इतने वर्ष बीत चुके हैं। मैं सरकार से, माननीय मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि ऐसा किस तारीख तक किया जाएगा।

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, माननीय सदस्य से कुछ कड़े शब्दों का प्रयोग किया है।

अध्यक्ष महोदय: उनको कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है। आप चिंता क्यों करते हो?

डा. अंबुमणि रामदास: कार्यवाही-वृत्तांत से उनके निकाल दिए जाने के बावजूद भी मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार का इरादा उपभोक्ता की रक्षा करना है। उपभोक्ता की रक्षा करना मेरी प्राथमिकता है। मैं अपने उत्तर में कह चुका हूं कि हम सीएसई की रिपोर्ट का खण्डन नहीं कर रहे हैं। यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है इसलिए हमने सीएसई से और ब्यौरा मांगा है। सीएसई की रिपोर्ट पर विशेषज्ञों की व्याख्या पहले की वेबसाइट पर है। वेबसाइट पर कोई भी सीएसई की रिपोर्ट की व्याख्या देख सकता है। हमने सीएसई से और जानकारी मांगी है। जब वे जानकारी दे देंगे तो हम मुद्दे पर फिर से विचार करेंगे। ऐसा नहीं है कि सीएसई की रिपोर्ट सही है अथवा गलत है। वर्तमान में यह रिपोर्ट अंतिम नहीं है और हमें रिपोर्ट का और ब्यौरा चाहिए। कुछ ही दिनों में हमें सीएसई की और अधिक अंतिम रिपोर्ट मिल जाएगी।

समिति के बारे में मैं कहना चाहता हूं कि इसे कानून की प्रक्रिया से गुजरता होता है। जल्दबाजी से आज कोई भी समस्या हल नहीं होगी। हमें जो कुछ भी करना है उसे वैज्ञानिक रूप से करना होगा। ऐसा नहीं है कि समिति सिर्फ अपना काम करती है। हम जो कुछ भी करेंगे, उसे न्यायालय में सिद्ध करना होगा। हम इसे वैज्ञानिक रूप से करने का प्रयास कर रहे हैं।

श्री उदय सिंह: महोदय, मैं उत्तर से संतुष्ट नहीं हूं। यह बहुत ही असंतोषजनक उत्तर है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको और अनुमति नहीं दूंगा।

श्री फ्रांसिस जार्ज-उपस्थित नहीं।

श्री रायापति सांबासिवा राव: महोदय, सीएसई की अध्ययन रिपोर्ट के अनुसार भारत के विभिन्न राज्यों से इकट्ठा किए गए शीतल पेयों के नमूनों में कीटनाशकों के अवशेष भारतीय मानक ब्यूरो के औसत से 24 गुना अधिक है। अमरीका में शीतल पेयों के नमूनों पर किए गए परीक्षण में कीटनाशकों का कोई अवशेष नहीं मिला। यहां यह अंतर क्यों है? वे भारत में कीटनाशकों के कतिपय अधिक स्तर के साथ शीतल पेयों का उत्पादन क्यों कर रहे हैं तथा वे अमरीका अथवा अन्य देशों में ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? हम उन्हें ऐसा करने की अनुमति क्यों दे रहे हैं?

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, सबसे पहले तो मैं देश की आम जनता के साथ-साथ सरकार के लिए भी यह मुद्दा उठाने के लिए सीएसई और सुश्री सुनीता नारायण का धन्यवाद करता हूं। वह अच्छी मित्र हैं। मैं पहले ही कह चुका हूं कि सीएसई की रिपोर्ट अंतिम नहीं है और हमने इसके बारे में और जानकारी मांगी है। यह वेबसाइट पर पहले ही उपलब्ध है। अब हम सीएसई की अंतिम रिपोर्ट की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमने राज्य सरकारों से और नमूने लेने को कहा है और आज 14 राज्यों से इन कार्बनीकृत पेयों तथा इन पेयों के उत्पादन में प्रयुक्त होने वाले कार्बनीकृत जल के 200 से अधिक नमूने उठाए गए हैं।

प्रक्रिया जारी है। हमारे पास गुजरात की एक प्रयोगशाला के परिणाम हैं, जिसका कहना है कि पेयों में कीटनाशकों के कोई अवशेष नहीं हैं। यह एक उच्च स्तरीय प्रयोगशाला है। सेन्ट्रल फूड लेबोरेट्री, मैसूर जोकि नैब (एनएबी) द्वारा मान्यताप्राप्त प्रयोगशाला है, उसने खुदरा बाजार से चार नमूने लिए थे। उनका भी कहना है कि इन शीतल पेयों में स्वीकार्य सीमा से अधिक कीटनाशक अवशेष नहीं हैं। इसके बावजूद भी हमें सभी परिणामों के आने की प्रतीक्षा करनी होगी तथा हमें प्रक्रिया तथा परीक्षण के प्रोटोकाल से गुजरना होगा। ये प्रयोगशालाएं खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम के प्रोटोकाल से गुजर रही हैं। इन प्रयोगशालाओं का न्यायालय में मूल्यांकन किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही खराब आदत है।

[हिन्दी]

श्री पारसनाथ यादव: माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से एक सवाल पूछना चाहता हूं। माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि सीएसई ने "शीतल पेयजलों में पैस्टिसाइड अवशिष्ट का विश्लेषण" नाम एक रिपोर्ट जारी की है। शीतल पेयजलों का उद्योग आजकल शहरों के अलावा ग्रामीण अंचलों में भी बहुत तेजी से चल रहा है। इस रिपोर्ट से यह उद्योग प्रभावित हुआ है। इसी विषय में यह सवाल उठा था और सवाल के उत्तर में, माननीय मंत्री जी के लंबे चौड़े उत्तर के बाद भी अनिश्चितता की स्थिति बनी हुई है। मंत्री जी अभी भी एक कमेटी का गठन कर रहे हैं, जिसी अध्ययन रिपोर्ट जनवरी, 2007 में आएगी। 2007 में आने वाली रिपोर्ट में अभी काफी समय है। तब तक के लिए मेरा माननीय मंत्री जी से सीधा सवाल है कि जब तक यह रिपोर्ट न आए कि यह पेयजल स्वास्थ्य के लिए ठीक हैं या नहीं, तब तक के लिए क्या मंत्री जी इन शीतल पेयों पर प्रतिबंध लगाने जा रहे हैं या नहीं, क्योंकि आज ग्रामीण अंचलों में छोटे-छोटे दुकानदार भी इन पेयजलों को रख रहे हैं और यह उद्योग बहुत प्रभावित हो रहा है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वे पहले ही विस्तारपूर्वक जवाब दे चुके हैं।

[हिन्दी]

एक ही उत्तर आप मांगते हैं।

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, मैं उपभोक्ता संरक्षण के बारे में ज्यादा चिंतित हूं। जहां तक कीटनाशक अवशिष्टों के मुद्दे का संबंध है। आज जिम्मेदारी विनिर्माताओं के ऊपर है कि इन कार्बोनेटिड पेय पदार्थों में से किसी में भी अनुमत्य सीमा से ज्यादा कोई कीटनाशक अवशिष्ट नहीं होने चाहिए। आज, मानक मौजूद हैं। ऐसा नहीं है कि मानक नहीं बने हुए हैं। हम व्यापक मानदंड बनाने का प्रयास कर रहे हैं और वर्ष 2007 के शुरू में, इनके बन जाने की संभावना है, लेकिन आज भी ऐसा नहीं है कि कोई मानक मौजूद नहीं है और विनिर्माता इनमें से किसी भी पेय पदार्थ में कितनी भी मात्रा में प्रदूषक मिला सकते हैं। ऐसा नहीं है। वस्तुत:, हमारे पास जल, सांद्र पदार्थों और चीनी के लिए भी मानक मौजूद हैं। प्रथम दृष्टि में आरम्भिक अध्ययन यह बताता है कि चीनी में भी कोई कीटनाशक अवशिष्ट नहीं हैं। अत:, अन्ततोगत्वा

कार्बोनेटिड पेय पदार्थ के विनिर्माताओं को आज भी अधिकतम अनुमत्य सीमा से ज्यादा कीटनाशक अवशिष्टों का प्रयोग नहीं करना चाहिए। हमारे पास आज भी मानकों की एक श्रृंखला मौजूद है। ऐसा नहीं है कि हमें वर्ष 2007 तक प्रतीक्षा करनी होगी और जिम्मेदारी विनिर्माताओं पर है।

मैं उल्लेख करना चाहता हूं कि हम दो मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। एक तो कीटनाशक मुद्दा है और दूसरा स्वास्थ्य का मुद्दा है। स्वास्थ्य बड़ा मुद्दा है। मैं सभा को जानकारी देना चाहता हूं कि भविष्य में, कार्बोनेटिड पेय पदार्थों सहित सभी प्रकार के तैलीय और मसालेदार खाद्य पदार्थों की वजह से स्वास्थ्य के मुद्दे पर हम भारी परेशानी उठाने जा रहे हैं। आज, स्वास्थ्य अध्ययन यह बताते हैं कि इन तथाकथित पेय पदार्थों से बच्चों में मोटापा हो जाता है, मधुमेह हो जाता है, दंत संबंधी समस्याएं हो जाती हैं और हड्डी की समस्याएं हो जाती हैं जिससे फ्रेक्चर हो जाता है। ये कतिपय स्वास्थ्य संबंधी मुद्दे हैं, जिन पर विस्तृतव्यापी अध्ययन किया गया है। हमें स्वास्थ्य के मुद्दे पर व्यापक निर्णय लेना होगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: किसी भी और हरेक प्रश्न का उत्तर मत दीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री रवि प्रकाश वर्मा: अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे भी इस प्रश्न पर सप्लीमेंटरी पूछने का मौका दिया। कोल्ड बिवरेजेस में पेस्टीसाइड का मामला कितना संवेदनशील है, इसे आप भी जानते हैं। जिस दिन यह मामला सदन के फ्लोर पर उठाया गया था, उस दिन लगभग सभी पार्टियों की तरफ से एक जैसी प्रतिक्रिया हुई थी। उसके बाद से पूरे हिन्दुस्तान में इसके खिलाफ आंदोलन चलाए जा रहे हैं। लोगों को यह महसूस हो रहा है कि सरकार ने उन्हें छला है। आज उसे तीन साल हो गए हैं, जेपीसी की रिपोर्ट भी आ चुकी है, उसके हिसाब से ब्यूरो आफ इंडियन स्टैंडर्ड्स ने भी नये स्टैंडर्ड ले-आउट कर लिए हैं, क्या कारण है कि सरकार उन्हें नोटीफाई करने से रोक रही है?

अध्यक्ष महोदय, मुझे इस बारे में कोई शंका नहीं है, जैसा अभी उदय सिंह जी ने यह बात कही थी कि जनमानस को ये सवाल उद्वेलित कर रहे हैं कि सरकार की जवाबदेही जनता के प्रति है, इस संसद के प्रति है या कोल्ड ड्रिंक्स, कोला मैनेजमैंट के प्रति है, मंत्री जी को आज यह बात संसद के अंदर साफ कर देनी चाहिए। अध्यक्ष महोदय, मैं आज यही बात आपके माध्यम से स्पष्ट पूछना चाहता हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह भाषण का टाइम नहीं है, प्रश्न पूछने का टाइम है। आप प्रश्न पूछिए।

श्री रवि प्रकाश वर्मा: मंत्री जी क्लियर नहीं कर रहे हैं। मंत्री जी ने कहा है कि हम और समय लेना चाहते हैं। यहां हमारे सभी सहयोगी सांसद बैठे हैं। उनकी भावनाओं को ध्यान में रखते हुए मैं कहना चाहता हूं कि जब तक सेफ्टी रिपोर्ट क्लियर नहीं होती, तब तक के लिए हिन्दुस्तान के अंदर कोला की सेल बैन हो जानी चाहिए, क्या मंत्री जी ऐसा करना चाहते हैं या नहीं?

[अनुवाद]

डा. अंबुमणि रामदास: महोदय, संयुक्त संसदीय समिति के प्रतिवेदन के पश्चात् न केवल कार्बोनेटिड पेय पदार्थों अपितु फ्रूट जूसों में भी कीटनाशक अवशिष्टों के मुद्दे के संबंध में खाद्य मानक संबंधी केन्द्रीय समिति को परामर्श देने हेतु एक राष्ट्र स्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था।

समिति के सदस्य थे- डा. गांगूली, महानिदेशक, आईसीएमआर, डा. खन्ना, निदेशक (सेवानिवृत्त), औद्योगिक विषविज्ञान अनुसंधान केन्द्र लखनऊ, कृषि अनुसंधान संस्थान के डा. अग्निहोत्री और डा. त्यागराजन पूर्व निदेशक, भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान, हैदराबाद। यह एक उच्च स्तरीय समिति थी। उन्होंने न केवल कार्बोनेटिड पेय पदार्थों बल्कि फ्रूट जूसों में भी कीटनाशक अवशिष्टों के मुद्दों पर व्यापक रूप से जांच की।

महोदय, यह साफ्ट ड्रिंकों पर प्रतिबंध लगाने या प्रतिबंध न लगाने का प्रश्न नहीं है। खाद्य अपमिश्रण निवारण अधिनियम की धारा VII के अंतर्गत कोई भी राज्य सरकार किसी भी खाद्य वस्तु की नागरिकों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाए जाने पर कार्रवाई कर सकती है। लेकिन यदि कोई ऐसा निर्णय लिया जाता है, तो वह केवल अल्पकालिक उपाय होगा। तभी, मैं कहना चाहता हूं कि यदि हमें कोई निर्णय लेना है, तो हमें यह स्वास्थ्य के आधार पर लेने की आवश्यकता है। कीटनाशक अवशिष्ट का मुद्दा एक अल्पकालिक समस्या है। स्वास्थ्य मुद्दा एक दीर्घकालिक समस्या होने जा रही है। साफ्ट ड्रिंकों में कीटनाशक अवशेषों की तुलना में साफ्ट ड्रिंकों में चीनी सांद्रता अधिक खतरनाक है। वास्तविक तौर पर, साफ्टड्रिंकों में पांच से दस प्रतिशत तक चीनी सांद्रता होती है। इसीलिए, मैं कह रहा हूं कि हमें स्वास्थ्य आधार पर निर्णय लेने की आवश्यकता है। सरकार इस मुद्दे से हट नहीं रही

है। हमें इसकी बहुत चिंता है। पूरा देश इस मुद्दे के संबंध में सरकार की ओर देख रहा है। हम उपभोक्ता संरक्षण के बारे में चिंतित हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई निर्णय नहीं ले रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

अपराह्न 12.18 बजे

सभा पटल पर रखे गए पत्र

[अनुवाद]

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): मैं निजी सुरक्षा एजेंसी (विनियमन) अधिनियम, 2005 की धारा 24 के अंतर्गत जारी निजी सुरक्षा एजेंसी सेन्ट्रल माडल नियम, 2006, जो 26 अप्रैल, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या का.आ. 617(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4763/06]

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, मैं प्रो. सैफुद्दीन सोज की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(क) (एक) यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) यू.पी. प्रोजेक्ट्स कारपोरेशन लिमिटेड, लखनऊ के वर्ष 2002-2003 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4764/06]

(ख) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2000-2001 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4765/06]

(ग) (एक) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) आंध्र प्रदेश स्टेट इरिगेशन डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2001-2002 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले तीन विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4766/06]

श्रम और रोजगार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री चंद्रशेखर साहू): महोदय, मैं श्री के. चन्द्रशेखर राव की ओर से कर्मचारी राज्य बीमा निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सभा पटल पर रखता हूं।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4767/06]

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल): महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं-

(1) मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम, 1993 की धारा 20 की उपधारा (2) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 का वार्षिक प्रतिवेदन।

(दो) राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली का वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन पर की-गई-कार्यवाही ज्ञापन।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4768/06]

ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सूर्यकान्ता पाटील): महोदय, मैं दसवीं, ग्यारहवीं, तेरहवीं तथा चौदहवीं लोक सभा के विभिन्न सत्रों के दौरान मंत्रियों द्वारा दिए गए आश्वासनों, वचनों तथा परिवचनों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही को दर्शाने वाले निम्नलिखित विवरणों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखती हूं:-

दसवीं लोक सभा

1. विवरण संख्या चौंतीस तेरहवां सत्र, 1995

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4769/06]

ग्यारहवीं लोक सभा

2. विवरण संख्या इकतीस तीसरा सत्र, 1996

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4770/06]

3. विवरण संख्या पैंतीस चौथा सत्र, 1997

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4771/06]

तेरहवीं लोक सभा

4. विवरण संख्या पैंतीस दूसरा सत्र, 1999

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4772/06]

5. विवरण संख्या छत्तीस तीसरा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4773/06]

6. विवरण संख्या इकतीस चौथा सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4774/06]

7. विवरण संख्या उनतीस पांचवां सत्र, 2000

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4775/06]

8. विवरण संख्या उनतालीस छठा सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4776/06]

9. विवरण संख्या सैंतीस सातवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4777/06]

10. विवरण संख्या चौबीस आठवां सत्र, 2001

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4778/06]

11. विवरण संख्या बाइस नौवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4779/06]

12. विवरण संख्या उन्नीस दसवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4780/06]

13. विवरण संख्या सत्रह ग्यारहवां सत्र, 2002

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4781/06]

14. विवरण संख्या पन्द्रह बारहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4782/06]

15. विवरण संख्या बारह तेरहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4783/06]

16. विवरण संख्या ग्यारह चौदहवां सत्र, 2003

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4784/06]

चौदहवीं लोक सभा

17. विवरण संख्या नौ दूसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4785/06]

18. विवरण संख्या सात तीसरा सत्र, 2004

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4786/06]

19. विवरण संख्या छह चौथा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4787/06]

20. विवरण संख्या चार पांचवां सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4788/06]

21. विवरण संख्या तीन छठा सत्र, 2005

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4789/06]

22. विवरण संख्या दो सातवां सत्र, 2006

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4790/06]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री मोहम्मद अली अशरफ फातमी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग एक और दो) दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) दिल्ली विश्वविद्यालय (भाग एक और दो) दिल्ली के वर्ष 2001-2002 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4791/06]

(3) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4792/06]

(5) विश्व भारती, शांति निकेतन के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(6) उपर्युक्त (5) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4793/06]

(7) (एक) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, खडगपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(8) उपर्युक्त (7) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4794/06]

(9) (एक) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2000-2001 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(10) उपर्युक्त (9) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4795/06]

(11) तेजपुर विश्वविद्यालय, तेजपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(12) उपर्युक्त (11) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4796/06]

(13) (एक) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय संस्कृत संस्थान, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(14) उपर्युक्त (13) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4797/06]

(15) (एक) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन स्कूल ऑफ माइन्स, धनबाद के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(16) उपर्युक्त (15) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4798/06]

(17) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से प्रथम डिग्री प्रदान करने हेतु अनुदेश के न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4799/06]

(18) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (औपचारिक शिक्षा के माध्यम से स्नातकोत्तर डिग्री प्रदान करने हेतु अनुदेश के न्यूनतम मानक) विनियम, 2003 को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4800/06]

(19) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालयों द्वारा सूचना की वापसी) नियम, 2004 को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4801/06]

(20) विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा सूचना की वापसी) नियम, 2004 को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4802/06]

(21) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2002-2003 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2002-2003 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(22) उपर्युक्त (21) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4803/06]

(23) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(24) उपर्युक्त (23) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4804/06]

(25) (एक) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) अटल बिहारी वाजपेयी-इंडियन इंस्टिट्यूट ऑफ इन्फार्मेशन टेक्नालॉजी एण्ड मैनेजमेंट, ग्वालियर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(26) उपर्युक्त (25) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4805/06]

(27) (एक) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) इंडियन काउंसिल ऑफ फिलॉसोफिकल रिसर्च, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4806/06]

(28) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ एडवांस्ड स्टडी, शिमला के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(29) उपर्युक्त (28) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4807/06]

(30) (एक) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) राष्ट्रीय शैक्षणिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(31) उपर्युक्त (30) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4808/06]

(32) (एक) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) ओरोविले फाउंडेशन, ओरोविले के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(33) उपर्युक्त (32) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4809/06]

(34) (एक) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) असम विश्वविद्यालय, सिलचर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(35) उपर्युक्त (34) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4810/06]

(36) बाबासाहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, लखनऊ के वर्ष 2000-2001, 2001-2002, 2002-2003, 2003-2004 और 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदनों तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को संबंधित लेखा वर्षों की समाप्ति के पश्चात् नौ माह की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर न रखे जाने के कारणों को दर्शाने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4811/06]

(37) मिजोरम विश्वविद्यालय अधिनियम, 2000 की धारा 46 की उपधारा (2) के अंतर्गत अधिसूचना संख्या एफ. 13-10/2003-डेस्क(यू) जो 24 जून, 2006 के भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा मिजोरम विश्वविद्यालय के परिनियमों में कतिपय संशोधन और परिवर्धन किए गए हैं, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। देखिए संख्या एल.टी. 4812/06]

(38) (एक) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, हमीरपुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(39) उपर्युक्त (38) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4813/06]

(40) (एक) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान, इलाहाबाद के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(41) उपर्युक्त (40) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4814/06]

(42) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग अधिनियम, 2004 की धारा 24 की उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (लेखाओं का वार्षिक विवरण) नियम, 2006, जो 16 मई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 286(अ) में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्था आयोग (अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों के वेतन तथा भत्ते और सेवा शर्तें) नियम, 2006, जो 12 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 416(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4815/06]

संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय में राज्य मंत्री (डा. शकील अहमद): महोदय, मैं श्री नमो नारायन मीना की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4816/06]

(3) (एक) सेंट्रल जू अथॉरिटी, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल जू अथॉरिटी, दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4817/06]

(5) जैव विविधता अधिनियम, 2002 की धारा 62 के उपधारा (3) के अंतर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (अधिकारी और अन्य कर्मचारियों की भर्ती और सेवा की शर्तें) विनियम, 2006 जो, 1 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 156 में प्रकाशित हुए थे।

(दो) राष्ट्रीय जैव विविधता प्राधिकरण (वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखाओं का वार्षिक विवरण) नियम, 2005 जो 5 दिसम्बर 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 1689(अ) में प्रकाशित हुए थे।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4818/06]

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग में राज्य मंत्री (श्री अश्विनी कुमार): महोदय, मैं श्री जयराम रमेश की ओर से निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) तम्बाकू बोर्ड, गुंटुर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) तम्बाकू बोर्ड, गुंटुर के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। **देखिए** संख्या एल.टी. 4819/06]

(2) चाय अधिनियम, 1953 की धारा 49 की उपधारा (3) के अंतर्गत, चाय बोर्ड (सरकार द्वारा नियुक्त अधिकारियों की भर्ती और सेवा शर्तें) संशोधन नियम, 2006, जो 18 जुलाई, 2006 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 428(अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4820/06]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):-

(एक) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एसटीसीएल लिमिटेड, बंगलौर के वर्ष 2005-2006 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक-महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गयी। **देखिए** संख्या एल.टी. 4821/06]

मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी): मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखती हूं:-

(1) (एक) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक लेखाओं की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा उन पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन।

(तीन) नवोदय विद्यालय समिति, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) उपर्युक्त (1) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4822/06]

(3) (एक) सर्व शिक्षा अभियान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), पोर्टब्लेयर के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सर्व शिक्षा अभियान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह), पोर्टब्लेयर के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गये। देखिए संख्या एल.टी. 4823/06]

अपराह्न 12.20 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी

(एक) गत सप्ताह के दौरान सभा द्वारा किए गए कार्य के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, आपकी जानकारी के लिए मैं पिछले सप्ताह सभा द्वारा निपटाए गए कार्य की मुख्य मदों को संक्षेप में दोहराना चाहता हूं।

स्वीकृत किए गए 60 तारांकित प्रश्नों में से मात्र 14 प्रश्नों का उत्तर मौखिक रूप से दिया जा सका। शेष तारांकित प्रश्नों के उत्तर एवं 444 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर सभा पटल पर रखे गए।

सभा ने प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा द्वारा उठाए गए "न्यायिक प्राधिकारियों द्वारा की गई टिप्पणियों के संदर्भ में दिल्ली कानून (विशेष उपबंध) अधिनियम, 2006 की प्रयोज्यता" तथा श्री बृज किशोर त्रिपाठी द्वारा उठाए गए "उड़ीसा में कालाहांडी-बोलांगीर-कोरापुट (के.बी.के.) के लिए संशोधित दीर्घावधिक कार्य योजना के प्रस्तावित विच्छेदन से उत्पन्न स्थिति" से संबंधित दो ध्यानाकर्षण प्रस्तावों पर विचार किया।

सभा में श्री मोहन सिंह द्वारा उठाए गए "देश के किसानों में व्यापक रूप से व्याप्त व्यथा" के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत एक अल्पकालिक चर्चा पर लगभग 2 घंटे 50 मिनट तक बहस हुई। हालांकि चर्चा पूरी नहीं हुई।

इस अवधि के दौरान प्रश्न काल के पश्चात् तथा सभा को उस दिन स्थगित किए जाने के पूर्व अविलम्बनीय लोक महत्व के 67 मामलों को उठाया गया। इसके साथ ही इस अवधि के दौरान नियम 377 के अधीन 22 मामलों को उठाया गया।

जहां तक विधायी कार्य का संबंध है, सभा में राज्य सभा द्वारा यथा पारित छावनी विधेयक, 2006 पर इसे पारित करने से पहले लगभग 4 घंटे और 27 मिनट तक चर्चा हुई।

जहां तक गैर-सरकारी सदस्य के कार्य का संबंध है, 5 विधेयक पुर:स्थापित किए गए। श्री इकबाल अहमद सरडगी द्वारा 12 मई, 2006 को फसलों की बीमा के लिए तथा उनसे संबंधित मामलों के लिए फसल बीमा विधेयक, 2005 पर भी लगभग 18 मिनट और चर्चा हुई। सभा की अनुमति से विधेयक को वापस ले लिया गया।

श्रीमती कृष्णा तीरथ द्वारा सफाई कर्मचारियों के व्यापक एवं अनिवार्य बीमा की व्यवस्था के लिए लाए गए सफाई कर्मचारी बीमा योजना विधेयक, 2005 पर लगभग 1 घंटे और 10 मिनट तक विचार एवं चर्चा हुई। यह विधेयक सभा की अनुमति से वापस ले लिया गया। श्री सी.के. चन्द्रप्पन द्वारा देश में मृत्यु दण्ड के उन्मूलन की व्यवस्था के लिए लाए गए मृत्यु दण्ड उन्मूलन विधेयक, 2004 को भी चर्चा के लिए लिया गया। तथापि, चर्चा पूरी नहीं हो सकी।

सभा में देश के विभिन्न भागों, विशेषकर सुदूर क्षेत्रों के संतुलित एवं साम्यपूर्ण विकास के लिए श्री सर्वानन्द सोनोवाल द्वारा लाए गए संकल्प पर भी लगभग 2 घंटे और 25 मिनट तक चर्चा हुई। तथापि, चर्चा पूरी नहीं हुई।

आवश्यक कार्य मदों को निपटाने के लिए सभा देर तक बैठी और लगभग 2 घंटे 42 मिनट अतिरिक्त कार्य किया।

सभा के 2 घंटे 42 मिनट के देर तक बैठक में से 1 घंटा 22 मिनट सभा द्वारा सामान्य कार्य निपटाए जाने के उपरांत अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर चर्चा में व्यतीत हुआ।

मैं माननीय सदस्यों को कार्यवाही संचालन में उनके सहयोग के लिए धन्यवाद देता हूं।

अपराह्न 12.23 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

(एक) बारहवें से चौदहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धन्धुका): मैं निम्नलिखित प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं:-

(1) "केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमा शुल्क बोर्ड में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति का वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) के बारे में 12वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(2) "देना बैंक में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनके नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें प्रदान की गई ऋण सुविधाएं" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के पहले प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में वित्त मंत्रालय (बैंकिंग प्रभाग) के बारे में समिति का 13वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) "अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लोगों पर अत्याचार और उनके प्रति होने वाले सामाजिक अपराध के पैटर्न" के बारे में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के चौथे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की-गई-कार्यवाही के संबंध में गृह, सामाजिक न्याय और अधिकारिता तथा जनजातीय कार्य मंत्रालयों के बारे में समिति का 14वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा समिति की तत्संबंधी बैठकों का कार्यवाही सारांश (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

दो. विवरण

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: मैं अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के निम्नलिखित की-गई-कार्यवाही संबंधी प्रतिवेदनों के अध्याय-1 में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा अंतिम की-गई-कार्यवाही उत्तरों को दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) पन्द्रहवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)-स्टेट बैंक आफ पटियाला में अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण और उनका नियोजन तथा बैंक द्वारा उन्हें दी गई ऋण सुविधाएं।

(2) उन्नीसवां प्रतिवेदन (13वीं लोक सभा)-मध्य प्रदेश में समेकित जनजातीय विकास परियोजना के कार्यकरण।

अपराह्न 12.25 बजे

कार्य मंत्रणा समिति

उनत्तीसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): मैं कार्य मंत्रणा समिति का उनत्तीसवां प्रतिवेदन प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.26 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) स्कूली शिक्षा और साक्षरता विभाग से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति के 158वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***मानव संसाधन विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी):** महोदय, मैं श्री अर्जुन सिंह की ओर से निम्नलिखित वक्तव्य देती हूं:

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एलटी—4824/06

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा संसदीय बुलेटिन भाग-II में प्रकाशित माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के दिशानिर्देशन के अनुसरण में, मैं प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों 2005-06 (मांग सं. 57) पर मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति की एक सौ अठावनवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह वक्तव्य दे रहा हूं।

मानव संसाधन विकास संबंधी स्थायी समिति ने वर्ष 2005-06 के लिए प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), मानव संसाधन विकास मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच की और 21 अप्रैल, 2005 को लोक सभा में अपनी एक सौ अठावनवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में निहित सिफारिशों की प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), मानव संसाधन विकास मंत्रालय में जांच की गई है और इन सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट स्थायी समिति को प्रस्तुत किया गया था जिसे दिनांक 16.12.2005 को लोक सभा के पटल पर रखा गया था। प्रारंभिक शिक्षा और साक्षरता विभाग (जिसे अब स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग के रूप में जाना जाता है), मानव संसाधन विकास मंत्रालय समिति की सिफारिशों को ईमानदारी से कार्यान्वित करने का हरसंभव प्रयास कर रहा है।

मैं इसके साथ इन सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति भी सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.27 बजे

(दो) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***कृषि मंत्री तथा उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री (श्री शरद पवार):** मैं यह वक्तव्य लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा के बुलेटिन के भाग 2 के अंतर्गत जारी लोक सभा में कार्य पद्धति और संहिता की नियमावली के नियम 389 के अनुसरण में खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की नौवीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के क्रियान्वयन की स्थिति के बारे में दे रहा हूं।

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्थायी समिति, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की उपर्युक्त रिपोर्ट के संबंध में निहित सभी सिफारिशों पर की गई कार्रवाई/उनकी स्थिति बताने वाले विवरण अलग से संलग्न हैं। कृपया यह नोट करें कि नौवीं रिपोर्ट में 14 सिफारिशें हैं। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा समिति की इन सिफारिशों की सावधानीपूर्वक जांच की गई है। उन सिफारिशों के ब्यौरे नीचे दिए गए हैं जो स्वीकार कर लिए गए हैं/आंशिक रूप से स्वीकार कर ली गई है/स्वीकार नहीं की गई है।

सिफारिशों की कुल संख्या	स्वीकृत	आंशिक रूप से स्वीकृत	स्वीकार न की गई
14	7	6	1

जो सिफारिशें स्वीकार नहीं की जा सकी हैं उनके स्वीकार न करने के कारण उन सिफारिशों के सामने दिए गए हैं। रिपोर्ट संबंधी विवरण संलग्न है और इसे पृष्ठ 1 से 24 पर देखा जा सकता है।

इस रिपोर्ट के संबंध में की गई कार्रवाई के उत्तर समिति को 21.4.2006 और 4.8.2006 को भेज दिए गए हैं।

अपराह्न 12.28 बजे

(तीन) गृह मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2006-2007) पर गृह मामलों संबंधी स्थायी समिति के 119वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री श्रीप्रकाश जायसवाल):** महोदय, मैं श्री शिवराज वि. पाटील की ओर से यह वक्तव्य उपर्युक्त विषय पर, दिनांक 1 सितम्बर, 2004 को लोक सभा

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी—4825/06

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एलटी—4826/06

बुलेटिन भाग-II के तहत माननीय अध्यक्ष, लोक सभा द्वारा जारी लोक सभा में प्रक्रिया और कार्य संचालन संबंधी नियमों के नियम 389 के अनुसरण में दे रहा हूं।

विभाग संबंधित गृह कार्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति ने 25 अप्रैल, 2006 को आयोजित अपनी बैठक में, मंत्रालय के लक्ष्यों, उद्देश्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में गृह मंत्रालय की 2006-07 की अनुदान मांगों पर विचार किया था और इस मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का मौखिक साक्ष्य भी लिया था। समिति ने अनुदान मांगों की जांच की तथा लोक सभा में 19 मई, 2006 को अपनी 119वीं रिपोर्ट प्रस्तुत की।

अपराह्न 12.29 बजे

(चार) अरब टी.वी. चैनलों को जारी रखने की तथ्यात्मक स्थिति

[अनुवाद]

***संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु केबल नेटवर्क/डीटीएच के जरिए प्रसारित/पुन: प्रसारित किए जा रहे टेलिविजन चैनलों की विषय-वस्तु पर नियंत्रण करने वाले तंत्र को मजबूत बनाने के उद्देश्य से सरकार ने दिनांक 11 नवंबर, 2005 को डाउनलिंकिंग दिशानिर्देश अधिसूचित किए हैं।

भारत में प्रसारित किए जा रहे सभी निजी टीवी चैनल जो भारत में सार्वजनिक प्रदर्शन हेतु केबल नेटवर्क/डीटीएच के जरिए प्रसारित/पुन: प्रसारित किए जा रहे हैं, को उक्त दिशानिर्देशों के अंतर्गत अपने आप को पंजीकृत करवाना होता है। निर्बाध कार्यान्वयन को सुकर बनाने हेतु सभी टीवी चैनलों को डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के प्रावधानों का अनुपालन करने और अपने आप को पंजीकृत करवाने के लिए छ: माह का समय (10 मई, 2006 तक) उपलब्ध करवाया गया था।

इसके अतिरिक्त, सरकार ने दिनांक 11 मई, 2006 की अधिसूचना के तहत उन चैनलों को अनुमति दी थी जो विदेश से अपलिंक किए जा रहे थे और जिन्होंने छ: माह की समयावधि अर्थात् नवंबर 2006 तक अथवा ऐसे पंजीकरण की अनुमति दिए जाने या अस्वीकृत किए जाने तक केन्द्र सरकार के पास 11 मई, 2006 तक पंजीकरण की अनुमति दिए जाने या अस्वीकृत किए जाने तक केन्द्र सरकार के पास 11 मई, 2006 तक पंजीकरण करवाने हेतु आवेदन कर दिया था।

दिनांक 2 दिसंबर, 2005 से पहले अपलिंकिंग हेतु दी गयी अनुमति के अनुसार भारत से अपलिंक किए जा रहे हैं निजी टीवी चैनलों को डाउनलिंकिंग दिशानिर्देशों के अंतर्गत "पंजीकृत" टेलीविजन चैनल माना गया था।

मंत्रालय की जानकारी में, यह लाया गया है कि मीडिया के एक छोटे संवर्ग ने सूचित किया है कि भारत में इजराईल के दबाव में आयकर अरब टीवी चैनलों पर "रोक" लगा दी है। भारत सरकार इस बात को बिल्कुल नकारती है क्योंकि यह तथ्यों के बिल्कुल विपरीत है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा हाल ही में विशेष रूप से किसी चैनल पर "रोक" नहीं लगायी गयी है। यह स्वार्थी तत्वों द्वारा सरकार के विरुद्ध दुर्भावनापूर्ण और आधारहीन आरोप है।

संयुक्त प्रगतिशील गठबंधन सरकार इस बात को पुन: दोहराती है कि अल-जजीरा, अल अरबिया, क्यू टीवी जैसे अरब टी.वी. चैनलों ने आज की तिथि तक भारत में डाउनलिंक के लिए अभी आवेदन नहीं किया है। अत: वे भारत में केबल नेटवर्क/डी.टी.एच. के माध्यम से लोगों को अपने चैनल नहीं दिखा सकते। तथापि यदि वह ऐसा करना चाहते है तो वह डाउनलिंकिंग मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अंतर्गत पंजीकरण के लिए नया आवेदन देने के लिए अभी भी स्वतंत्र है और उन्हें अन्य लोगों की तरह सभी अवसर प्राप्त होंगे।

डाउनलिंकिंग के लिए मार्ग-दर्शी नीति को 11 नवम्बर, 2005 को जारी किया गया था। 10 मई, 2006 तक आवेदन करने वाले विदेशों के 65 चैनलों को अपलिंक किया गया था और उन्हें 11 मई, 2006 को जारी की गई अधिसूचना के माध्यम से बीमिंग जारी रखने की अनुमति दी गई थी और इससे संबंधित अन्य दस्तावेज मंत्रालय की वेबसाईट: डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम.आई.बी.एन.आई.सी.आई.एन. पर उपलब्ध है।

मंत्रालय द्वारा 07.08.2006 को उपर्युक्त स्थिति से संबंधित स्पष्टीकरण के संबंध में एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की गई थी। जिस पर देश और विदेश के समाचार पत्रों ने रिपोर्ट प्रकाशित की थी। विदेश मंत्रालय ने दिनांक 7.8.2006 को खाडी और डब्ल्यूएएनए क्षेत्रों में स्थित सभी मिशनों को एक विस्तृत फैक्स भेजा था जिसमें समाचार पत्रों में प्रकाशित हुई विद्वेषपूर्ण और झूठी जानकारी का खंडन करने के लिए कहा गया था।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी.-संख्या 4827/06

अपराह्न 12.30 बजे

(पांच) सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "भारत के समाचार पत्रों का रजिस्ट्रार (आर.एन.आई.) के कार्यकरण" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के चौबीसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

***संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी):** महोदय, मैं लोक सभा अध्यक्ष के दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के समाचार भाग-दो द्वारा जारी किए गए अनुदेश 73ए के अनुसरण में सूचना और प्रसारण मंत्रालय से संबंधित "भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) के कार्यकरण" के बारे में सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति के 24वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर वक्तव्य दे रहा हूं।

लोक सभा को 20.12.2005 को सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोक सभा) का 24वां प्रतिवेदन सौंपा गया था। यह प्रतिवेदन "भारत के समाचार पत्रों के पंजीयक (आर.एन.आई.) के कार्यकरण" से संबंधित है।

24वें प्रतिवेदन में समिति ने छः सिफारिशें की हैं। इन सिफारिशों/टिप्पणियों से संबंधित की गई कार्रवाई नोट्स को 28.04.2006 को समिति को सौंपे गए थे।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों/टिप्पणियों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दी गई है जिसे सभा पटल पर रखा दिया गया है।

मैं आपसे अनुरोध करता हूं कि इसे पढ़ा हुआ माना जाए।

अपराह्न 12.31 बजे

अध्यक्ष द्वारा टिप्पणी—*जारी*

(दो) विशेषाधिकार के प्रश्न के सूचना के बारे में

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री सांताश्री चटर्जी मुझे दिनांक 13 अगस्त, 2006 के "दी टाइम्स आफ इंडिया" में प्रकाशित एक लेख में लोक सभा अध्यक्ष के विरुद्ध कथित टिप्पणियां करने वाले श्री शत्रुघन सिन्हा, सांसद राज्य सभा और श्री विश्वनाथन, समाजशास्त्री के विरुद्ध आपका दिनांक 18 अगस्त, 2006 का विशेषाधिकार के प्रश्न का नोटिस प्राप्त हुआ है। मैंने पहले इस पर ध्यान नहीं दिया था। मैंने इसे अभी देखा है। मैं इसे अवमानना मानता हूं जिसका कि यह समाचार पत्र है। मैं इस नोटिस की अनुमति नहीं दूंगा इसे छोड़ देना चाहिए।

अपराह्न 12.32 बजे

सदस्यों द्वारा निवेदन—*जारी*

(दो) अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षण के बारे में

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा (धनुका): अध्यक्ष महोदय, आज सारे देश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति और पिछड़े वर्ग के लोग दुखी हैं। कई जगह पर बाढ़ होते हुए, रास्ते बन्द होते हुए भी हजारों की संख्या में अनुसूचित जाति, जनजाति और भारतीय जनता पार्टी मोर्चा के लोग जन्तर-मन्तर रोड पर हजारों की संख्या में धरना दे रहे हैं, क्योंकि इसी सदन के अन्दर अनुसूचित जाति, जनजाति के लोगों को जो पढ़ाई के लिए सहयोग मिल रहा था, वह छीन लिया गया है।

संविधान की धारा 15(5) के अनुसार सरकार सामाजिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से वर्ग तथा अनुसूचित जाति, जनजाति के बच्चों को सभी शिक्षण संस्थाओं में प्रवेश देने हेतु आवश्यक कानून बना सकती है। लेकिन माननीय मंत्री जो कानून लाये थे और जो पास किया, उसके अन्दर इतना गलत हुआ है कि ये अल्पमती की जो संस्थाएं होंगी, उनमें ईसाई और मुस्लिम धर्म की जो संस्थाएं हैं, उनमें अनुसूचित जाति, जनजाति के विद्यार्थियों को एडमीशन नहीं मिलेगा। यह एक तरह से अन्याय है। इस समाज के लोग इस देश में रह रहे हैं और वहां एडमीशन नहीं मिलेगा तो वे कहां पढ़ने जाएंगे। लेकिन इस कानून से अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को मुक्त कर दिया गया है, उन्हें स्वतंत्रता दे दी गई है। अगर उनकी इच्छा हो तो वे एडमीशन दे सकते हैं। हर तरह से एक के बाद एक इस सरकार के द्वारा मदद लेती हैं, हर तरह का सहयोग प्राप्त करती हैं तो हर स्तर का सहयोग जहां प्राप्त करती हों, वहां अनुसूचित जाति जनजाति को वही अधिकार मिलना चाहिए, जो डा. बाबासाहेब अम्बेडकर जी ने दिया है कि हर जगह प्रवेश पाने के लिए वे हकदार हैं।

---

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4828/06

जब सरकार प्राइवेट कम्पनियों को, प्राइवेट फैक्टरियों को, प्राइवेट इण्डस्ट्रीज को रिजर्वेशन कायम रखने के लिए दबाव डाल रही है तो सरकार के द्वारा सहयोग प्राप्त करने वाली ईसाई संस्थाओं और मुस्लिम संस्थाओं पर क्यों दबाव नहीं डाल रही, उनको मुक्त कर दिया। मुझे लगता है, सरकार ने ईसाई धर्म के लोगों और मुस्लिम धर्म के लोगों को खुश करने के लिए अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के साथ अन्याय किया है। अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों ने 50 साल तक अंधानुकरण करके आंख मूंदकर कांग्रेस को सत्ता में लाने का काम किया है। आज उनके ही सही करने का काम ये लोग नहीं कर रहे हैं, इसलिए मेरी आपसे मांग है कि राष्ट्रीय अल्पसंख्यक जो शैक्षणिक संस्था कानून विधेयक लोक सभा में पारित करते समय माननीय फातमी जी ने कहा था, उनकी मंशा उस वक्त मालूम पड़ गई थी, उन्होंने उस वक्त अपनी मंशा दिखाते हुए कहा था कि संविधान की संशोधित धारा 15(5) के अनुसार किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्था में पिछड़े वर्ग तथा अनुसूचित जाति वर्ग के छात्र को प्रवेश प्राप्त नहीं होगा। यह उन्होंने हाउस में कहा। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह पहले ही बोल रहे है। उनकी अनावश्यक प्रशंसा मत किजिए। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जा रहा है। आप केवल इन्हें परेशान कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: उपरोक्त कानून के अंतर्गत आप के द्वारा मेरी सरकार से प्रार्थना है कि अल्पसंख्यक समुदाय को नयी शिक्षण संस्थाएं खोलने का जो अधिकार देना है, उसको रोकना चाहिए। जब तक आप परमीशन नहीं देंगे, तब तक यह नहीं होगा, इसलिए आप उनको एडमीशन देने की व्यवस्था करें। सरकार के सर्व शिक्षा अभियान का जो उद्देश्य है, उसको आपने मार डाला है। सर्व शिक्षा अभियान सब के लिए है। *...(व्यवधान)* अंत में मेरी केंद्र सरकार से यह मांग है कि संविधान की धारा 15(5) में संशोधन करके उस प्रावधान को हटा दें। अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थाओं को अनुसूचित जातियों और पिछड़े वर्गों के छात्रों को प्रवेश देने से मुक्त कर दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम अविलम्बनीय लोक महत्व के मामलों पर केवल आधे घंटे की चर्चा करवाने के लिए सहमत हुए है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री वर्मा मैंने आपको अनुमति दी थी। आप ऐसा नहीं कर सकते। आप दस मिनट तक नहीं बोल सकते।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा: इस संशोधन के अनुरूप राष्ट्रीय अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थान आयोग अधिनियम 2004 में भी संशोधन किया जाए, ताकि सभी अल्पसंख्यक संस्थाओं में उनको भी शिक्षा मिल सके। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री महेश कनोडीया, श्रीमती करूणा शुक्ला, श्री पुन्नू लाल मोहले और श्री रामस्वरूप कोली ने अपने आपको इस मामले से संबद्ध किया है।

अब श्री गौरीशंकर चर्तुभुज बिसेन बोलेंगे। कृपया अपने मंत्री को परेशान न करे। वह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा उठा रहे है। मैं किसी और चीज की अनुमति नहीं दूंगा। आप चिल्ला सकते है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी पर्ची भेजिए।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, जहां तक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अल्पसंख्यकों का संबंध है तो मैं श्री रतिलाल कालीदास वर्मा द्वारा सरकार पर लगाए गए सभी आरोपों से दृढ़तापूर्वक इनकार करता हूं।

सर्वप्रथम, मैं इन्हें वाद-विवाद के समय सिद्ध कर सकता हूं। संप्रग सरकार ने अब तक बिना किसी भेदभाव के अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के उत्थान के संबंध में सभी क्षेत्रों पर पूरा ध्यान दिया है। यदि आप इसे एक मुद्दा बनाने का प्रयास करते हैं तो यह आपकी अपनी राजनीति है न कि संप्रग सरकार की नीति। हम इस देश में किसी अन्य सरकार की अपेक्षा उनके अधिकारों का अधिक समर्थन कर रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। कृपया अपने सदस्य को परेशान मत कीजिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: वह एक अति महत्वपूर्ण मामले को उठा रहे हैं। मैंने आपके सदस्य का नाम बोला है। वह मध्य प्रदेश में बाढ़ से संबंधित अति महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। आप उन्हें परेशान कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, हमने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)* यह पहली बार हो रहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए। सभी लोग एक साथ अपनी बात नहीं कह सकते हैं।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: तो, मैं सभा की कार्यवाही कल तक के लिए स्थगित करता हूं। मेरे विचार से आप नहीं चाहते कि सभा की कार्यवाही चले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जो कुछ श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन कह रहे हैं सिर्फ वही कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा उसके अतिरिक्त और कुछ कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। कृपया आप संपादकों को लिखे गए कुछ पत्र जो आज प्रकाशित किए गए हैं को देखें। क्या आपको इससे गर्व महसूस हो रहा है कि लोग हमारी आलोचना कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.37 बजे

(तीन) मध्य प्रदेश को बाढ़ राहत प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री गौरीशंकर चतुर्भुज बिसेन (बालाघाट): अध्यक्ष महोदय, जुलाई और अगस्त माह में आज की दिनांक तक मध्य प्रदेश में भीषणतम वर्षा हो रही है। मध्य प्रदेश के 22 जिले अत्यधिक वर्षा से बरबाद हो चुके हैं, लगभग 1000 गांव प्रभावित हुए हैं और लगभग 2 करोड़ आबादी इस वर्षा से क्षतिग्रस्त हुई है। इससे करोड़ों की फसलें बरबाद हो गयी है। अभी तक जो आंकड़े प्राप्त हुए हैं, उसके अनुसार 74 लोगों की जानें चली गयी हैं और 1500 से ज्यादा मवेशियों की मृत्यु हो चुकी है। यह क्षति इतनी ज्यादा हुयी है कि इससे आर्थिक रूप से पिछड़े हुए मध्य प्रदेश को इस स्थिति से ऊपर उठने में काफी समय लगेगा। हम भारत सरकार से अपेक्षा करते हैं कि फसलों की नुकसानी और वहां जो मकान ढहे हैं और साथ ही वहां जो जन-धन की हानि हुयी है, उसकी पूर्ति के लिए भारत सरकार एक विशेष पैकेज दे और केंद्र सरकार एक अध्ययन दल इस नुकसानी का आकलन करने के लिए तत्काल वहां भेजे और भारत के प्रधानमंत्री जी इस पर विशेष रुचि लेकर मध्य प्रदेश की घाटापूर्ति में अपना अधिक से अधिक योगदान दें और अधिक से अधिक राशि प्रदान करें। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह सभा की कार्यवाही का संचालन करने का तरीका नहीं है तो कृपया आप सभा की कार्यवाही का संचालन कीजिए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए।

श्री चन्द्रमणि त्रिपाठी (रीवा): अध्यक्ष महोदय, हमने भी सूचना दी है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री गणेश सिंह और चन्द्रमणि त्रिपाठी अपने आपको इससे संबद्ध करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री छत्तर सिंह दरबार अपने आपको इससे संबद्ध करेंगे। श्री कृष्णा मुरारी मोघे अपने आपको इससे संबद्ध कर रहे हैं। वे सूचनाएं दे चुके हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री सत्यनारायण जटिया (उज्जैन): अध्यक्ष महोदय, भीषण बरसात के कारण मध्य प्रदेश में हजारों लोग बेघर-बार हो गए हैं और जन-धन की भारी क्षति हुई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत अनुचित है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: थोड़ा स्पीकर के बारे में भी सोचिए। वह भी इंसान है, कोई मशीन नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां एक मशीन बिठा दीजिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.40 बजे

(चार) उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों के लिए केन्द्रीय सहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): अध्यक्ष महोदय, हाल ही में उड़ीसा में अभूतपूर्व बाढ़ आई है। वर्तमान मानसून के दौरान जुलाई के प्रथम सप्ताह से शुरू होकर आज तक राज्य में तीन चरणों में बाढ़ आई है। कुल मिलाकर जुलाई और अगस्त के दौरान आज तक बाढ़, भारी वर्षा, आंधी तूफान और भूस्खलन से राज्य के 24 जिले प्रभावित हुए हैं। *...(व्यवधान)*

128 खंडों के 7920 गांव प्रभावित हुए हैं। बाढ़ और समुद्री तूफान के कारण 61 व्यक्तियों की जान चली गई थी। खरीफ फसल की 2.51 लाख हैक्टेयर भूमि क्षतिग्रस्त हो चुकी है। 49390 मकान ध्वस्त हो गए थे और अब तक 18,36,153 व्यक्ति प्रभावित हो चुके हैं। बाढ़ के अतिरिक्त कीटों के हमले के कारण तीन अन्य जिले भी प्रभावित हुए थे जिसके कारण 4571 हैक्टेयर भूमि पर खरीफ फसल को क्षति पहुंची। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या आप एक ही समय पर बोल सकते हैं?

...(व्यवधान)

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: इन बाढ़ों ने विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्गों लोक निर्माण विभाग की सड़कों और ग्रामीण सड़कों, पेयजल आपूर्ति प्रणाली और सरकारी भवनों को व्यापक क्षति पहुंचाई है। बड़ी संख्या में नदियों और नहर तटबंधों में दरार आ गई है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया संक्षेप में बोलिए। हमने इस पर पूरी चर्चा की थी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: आरंभिक आकलन पर सरकारी संपत्तियों को 1000 करोड़ रुपये की हानि का अनुमान लगाया गया। सीआरएफ के अंतर्गत उपलब्ध धनराशि इस चुनौती से निपटने के लिए पूर्णत: अपर्याप्त है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने दिनांक 12 अगस्त 2005 को माननीय प्रधानमंत्री से बाढ़ की स्थिति से निपटने के लिए 750 करोड़ रु. की केंद्रीय सहायता का अनुरोध किया है। यद्यपि केंद्र सरकार ने अन्य राज्यों के लिए केंद्रीय सहायता की घोषणा की है, परंतु न तो केंद्रीय उच्च स्तरीय दल ने अब तक उड़ीसा के बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा किया है और न ही अब तक कोई केंद्रीय सहायता प्रदान की गई है।

अत: मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध है कि वह उड़ीसा की जनता को बचाने और उसे केंद्रीय सहायता देने के लिए आगे आए ताकि उड़ीसा अपनी आवश्यकता को पूरा कर सके तथा पीड़ितों, बाढ़-प्रभावित व्यक्तियों का ध्यान रख सकें। गरीब व्यक्ति कष्ट भोग रहे हैं। वे अब पानी से घिर चुके हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर हमने दो दिन पूर्व चर्चा की थी। यह वही मुद्दा है। मैंने इस मुद्दे को उठाने की अनुमति दी है क्योंकि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमने इस पर पूरी चर्चा की थी।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी: अत: मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि वह तत्काल उड़ीसा को बचाने और उड़ीसा की जनता का ध्यान रखने के लिए आगे आए और केन्द्रीय सहायता द्वारा राज्य की तात्कालिक आवश्यकता को पूरा करने के लिए तत्काल 750 करोड़ रुपए प्रदान करने की माननीय मुख्यमंत्री के अनुरोध को स्वीकार किया जाए।

अध्यक्ष महोदय: श्री भर्तृहरि महताब स्वयं को सम्बद्ध कर रहे हैं। कृपया सहयोग करें।

[अनुवाद]

श्री एन.एन. कृष्णदास (पालघाट): महोदय, यह एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे मैं सभा में उठाना चाहता हूं। प्रमुख समाचार-पत्रों में एक मुख्य समाचार प्रकाशित हुआ है।

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाए।

...(व्यवधान)

श्री एन.एन. कृष्णदास: केरल की एक छात्रा को राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक की संबंधित शाखा से शिक्षा ऋण उपलब्ध न होने को वजह से आत्महत्या करनी पड़ी। वह बी.एड. की छात्रा थी जिसने केवल 35,000 रुपये के ऋण के लिए आवेदन किया था। इस समाचार के अनुसार संबंधित बैंक की शाखा-स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर ने आंख मूंद कर मना कर दिया। यह छात्रा अनुसूचित जाति समुदाय की थी। उसने आत्महत्या कर ली। इसलिए मैं यह मुद्दा आपके माध्यम से उठाना चाहता हूं। महोदय, सरकार को संबंधित राष्ट्रीयकृत बैंकों को जरूरत मंद लोगों को बिना किसी कठिनाई के शिक्षा ऋण प्रदान करने के लिए कहना चाहिए।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह स्टेट बैंक आफ त्रावणकोर की संबंधित शाखा से स्पष्टीकरण मांगे और उस शाखा के विरुद्ध कार्यवाही भी करे।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैंने भी नोटिस दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम आपको बोलने के लिए बुलायेंगे। जो हमको बार-बार रिमाइंड करायेगा, हम उसको उतनी ही देर से बुलाएंगे।

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): हम इसलिए चुप बैठे हुए हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: अभी तो आप चुपचाप बैठे हुए नहीं हैं। आप बैठे-बैठे हुए बातें कर रहे हैं।

...(व्यवधान)

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मंहगाई की मार से *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप लोग गिरधारी लाल भार्गव को देखिये। वे चुपचाप बैठे रहते हैं इसलिए हम उनको रोज बोलने का चांस देते हैं।

...(व्यवधान)

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): प्रभुनाथ सिंह जी हमेशा शोर मचाते हैं तब भी आप उन्हें सबसे पहले बोलने का मौका दे देते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: हम कभी शोर नहीं मचाते। हम अनुशासित सिपाही की तरह बैठे रहते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: सारा देश जानता है कि आपकी भूमिका क्या है?

...(व्यवधान)

अपराह्न 12.46 बजे

(पांच) बिहार में सूखा प्रभावित किसानों को डीजल पर राजसहायता प्रदान किए जाने की आवश्यकता के बारे में

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, महंगाई की मार से पूरा देश परेशान है। लेकिन इसका सबसे ज्यादा असर किसानों पर पड़ा है। अभी बिहार में सुखाड़ की स्थिति पैदा हो गयी है जिससे निपटने के लिए किसान अपने को असमर्थ महसूस कर रहे हैं। उसका कारण यह है कि वहां सिंचाई के कोई साधन न तो केन्द्र सरकार की तरफ से उपलब्ध कराये गये और न राज्य सरकार की तरफ से उपलब्ध कराये गये। उस परिस्थिति को देखकर बिहार सरकार ने देहाती इलाकों में जिन किसानों ने धान की फसल बोई है, उनकी फसल को बचाने के लिए डीजल पर 10 रुपये की सब्सिडी दी है। जो पैसा जिले में चला गया

है, यह तय किया गया है कि पंचायत के माध्यम से किसान अपनी खेत का पटवन करेंगे, धान की फसल बचायेंगे, उनको 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब के सब्सिडी दी जायेगी। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार सरकार ने किसानों की धान की फसल को बचाने के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दी जायेगी। हम आपके माध्यम से केन्द्र सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जिस तरह से बिहार सरकार ने किसानों की धान की फसल को बचाने के लिए 10 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी डीजल पर देने का काम किया है, उसी तरह केन्द्र सरकार भी 15 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी दे ताकि किसान अपनी फसल को बचा सकें। हम आपके माध्यम से लालू यादव जी से भी कहना चाहते हैं कि आप सरकार के ताकतवर मंत्री हैं।*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे हटा दिया जायेगा।

[हिन्दी]

आप उसे छोड़िये और आगे बोलिये।

...(व्यवधान)

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, अभी तक बिहार सरकार ने केन्द्रीय टीम की मांग भी नहीं की है। *...(व्यवधान)* हम बिहार गये थे। यहां पर हमने स्टेटमैंट दिया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, हो गया।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आपके पास भी पहले से तैयार उत्तर है।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: अध्यक्ष महोदय, हम इसलिए कह रहे हैं कि लालू यादव जी बड़े ताकतवर मंत्री हैं। हम लोग यह जानते भी हैं। आप अपनी ताकत का परिचय देकर केन्द्र सरकार से सब्सिडी दिलवाइये ताकि किसान अपनी फसल को बचा सके। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 12.47 बजे

(छह) बिहार के लखीसराय जिले में दलित महिलाओं पर हुए कथित अत्याचार के बारे में

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से केन्द्र सरकार के गृह मंत्री का ध्यान बिहार राज्य के लखीसराय जिलान्तर्गत एक अत्यंत संवेदनशील और शर्मनाक घटना की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। विगत 6 अगस्त, 2006 को रात्रि 12 बजे से 2 बजे के बीच लखीसराय जिला के सूर्यगढ़ा प्रखंड के ग्राम रामनगर में दबंग अपराधी जो सामंती प्रवृत्ति के रहे हैं, के द्वारा आधा दर्जन दलित महिलाओं के साथ बलात्कार की घटना होने के बाद प्राथमिकी दर्ज करने में थानेदार से लेकर आरक्षी-अधीक्षक तक आना-कानी करते रहे। महिलाएं इंसाफ के लिए चिखती-चिल्लाती रहीं, लेकिन इंसाफ मिलने की जगह उन्हें हर तरह से प्रताड़ना मिली। ऐसा कानून का राज कायम रखने और कानून अपना काम करेगा, की बात करने वाली सरकार में हुआ। दलित महिलाओं के साथ अत्याचार और उत्पीड़न की घटना का अब तक प्राथमिकी दर्ज नहीं होना, क्या यह साबित नहीं करता है कि बिहार में सामंती प्रवृत्ति एवं दबंग अपराधियों को दलितों के साथ ऐसी घटना के लिए खुली छूट मिली हुई है। राज्य में सुशासन के नाम पर दलितों पर अत्याचार का शासन चल रहा है। *...(व्यवधान)* इसलिए हम मांग करना चाहते हैं कि इस अत्यंत गंभीर और मानवता को शर्मसार करने वाली इस घटना के प्रति मैं केंद्र सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं तथा मांग करता हूं कि वह इस मामले को गंभीरता से ले और इसमें हस्तक्षेप करें। मैं यह भी मांग करता हूं कि केंद्र सरकार इस प्रकार की घटना की जांच के लिए केन्द्रीय टीम भेजी जाये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री प्रभुनाथ सिंह सहमत नहीं हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अभी हमने भारत की आजादी की 60वीं जयंती मनाई है। ऐसे समय में इस तरह की घटना बिहार में हो रही है। इसलिए मैं गृह मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि राज्य से रिपोर्ट लेकर दोषी लोगों को तुरंत गिरफ्तार कराया जाये। *...(व्यवधान)* इसके साथ-साथ वहां एफआईआर दर्ज कराने का भी आदेश दिया जाये। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: महोदय, वहां जो क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी हैं, उनके अलावा इसके लिए जो दोषी अधिकारी हैं, उनके खिलाफ एफआईआर लॉज की जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ और कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: जो माननीय सदस्य एसोशिएट करना चाहते हैं, वे स्लिप भेज दें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट बोलने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप डिनाई कर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठ जाइए, हो गया।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। श्री प्रभुनाथ सिंह, श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह यादव के आरोपों का खण्डन करते हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: प्रभुनाथ सिंह जी, आप बैठ जाइए, मैंने आपकी ओर से बोल दिया है।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह: महोदय, जब-जब कोई बात होती है तो माननीय रेलमंत्री जी की बिहार के मुख्य मंत्री जी से बात होती है और ये जैसा कहते हैं, मुख्यमंत्री जी उसी तरह किया करते हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: जी, नहीं कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं होगा।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने श्री मधुसूदन मिस्त्री को बोलने के लिए आमंत्रित किया है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री मधुसूदन मिस्त्री की अभ्युक्ति को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, आज पूरा गुजरात। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने आपकी ओर से कह दिया है कि आप इसे डिस्प्युट कहते हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आप बैठ जाइए, कोई भी बात रिकार्ड नहीं हो रही है।

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: ठीक है। मैं सभा को स्थगित कर दूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: सुनिए, आप क्यों बोल रहे हैं, कुछ भी रिकार्ड में नहीं जा रहा है। अन्य माननीय सदस्य को अपनी बात कहने दीजिए।

...(व्यवधान)

श्री मधुसूदन मिस्त्री: महोदय, आज पूरा गुजरात पानी की बाढ़ से त्रस्त और परेशान है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। आप क्या कर रहे हैं? अपनी सीट पर जाकर बैठ जाइए। मुझे लगता है कि अब इस देश के लोग तय करेंगे कि यह पूरी प्रणाली कायम रहेगी अथवा नहीं। जो रवैया अपनाया जा रहा है वह आश्चर्यजनक है। क्या आप इस पर गर्व महसूस करते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप लोग बैठ जाइए। इससे आपको क्या मिलने वाला है।

[अनुवाद]

मैं केवल यह कह सकता हूं कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। आप मेरी आलोचना कर रहे हैं, अध्यक्षपीठ के विरुद्ध सभी प्रकार का लांछन लगा रहे हैं और कोई भी यह नहीं सोच रहा है कि इसके साथ क्या हो रहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आइए, यहां पर बैठिए। सभी लोग बोल रहे हैं, मैंने किसी को बोलने का अवसर देने में फर्क नहीं किया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप लोग तय कर लीजिए और रोटेशन से यहां पर आकर बैठिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: 50 मिनट हाउस नहीं चला और कोई काम नहीं हुआ।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: केवल माननीय मंत्री जी का वक्तव्य कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही शर्मनाक है। मुझे बहुत खेद है। मैं केवल यही बोल सकता हूं। राजनीति इतनी टकरावपूर्ण हो गई है। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मैं सबको कह रहा हूं, जो चेयर की बात नहीं सुनते हैं। आप बैठ जाएं, खड़े न रहें।

[अनुवाद]

तोपदार जी, आप खड़े क्यों हैं? कृपया सभा को परेशान न करें।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। मैं अवसर देने का प्रयास कर रहा हूं। हम केवल आधे घंटे की चर्चा के लिए सहमत हुए हैं। मैंने श्री वर्मा से शुरूआत की है, तब मध्य प्रदेश की ओर गया हूं।

[हिन्दी]

जिनकी प्राब्लम थी, मैंने उन सबको मौका दिया है, तब भी आप खुश नहीं है।

मैं सबको कह रहा हूं, जो चेयर की बात नहीं सुनते हैं। आप बैठ जाएं, खड़े न रहें।

श्री प्रभुनाथ सिंह: खुश हैं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, अब मंत्री जी को सुनें।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील): श्रीमन्, मैं दो मुद्दों पर सरकार की ओर से निवेदन करना चाहूंगा। एक तो नैसर्गिक आपदा के बारे में है और दूसरा बिहार में जो घृणित कार्य हुआ है, उसके बारे में है। बिहार में सूखा पड़ा है, यह मुद्दा पहले भी यहां उठाया गया था। बिहार की सरकार की तरफ से इस बारे में निवेदन आने पर हम जरूर इस पर विचार करेंगे।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): उड़ीसा के बारे में भी करें।

श्री शिवराज वि. पाटील: जरूर करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: क्या सब्सिडी देंगे? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील: कृपया शांत रहिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आपको इसका उत्तर देने की आवश्यकता नहीं है।

श्री शिवराज वि. पाटील: यदि आपको यह नहीं सुनना तो मैं बैठ जाऊंगा।

[हिन्दी]

उड़ीसा के लोगों को भी जो तकलीफ हो रही है, हम उस पर ध्यान देंगे। वहां की सरकार से कोई निवेदन आएगा, तो हम उसे देखकर जो भी मदद कर सकते हैं, वह करेंगे। यहां पर दूसरा मुद्दा घृणित कार्य का उठाया गया।

श्री गणेश सिंह (सतना): मध्य प्रदेश को भी शामिल कर लें।

श्री शिवराज वि. पाटील: वह भी करेंगे।

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): गुजरात को भी ले लीजिए, अभी मिस्त्री जी उस पर कहेंगे।

श्री शिवराज वि. पाटील: प्रदेश सरकारों की तरफ से नैसर्गिक आपदा के बारे में जो भी निवेदन आएंगे, हम उन्हें देखकर जो कर सकते हैं, वह करेंगे। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मुझे नहीं लगता कि सदस्यगण सभा को चलाने में उत्सुक है। मुझे सभा स्थगित करने दीजिए। हम लोग घर जाएं। जनता बहुत जल्दी ही हमें घर पहुंचा देगी।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री शिवराज वि. पाटील: बिहार का जो दूसरा मुद्दा यहां उठाया गया, वह दलित महिलाओं और अन्य बहुत सारी महिलाओं के बारे में था। इस मामले पर राज्य सरकार से हम मालूमात करके जो कुछ भी करना होगा, वह करेंगे। राज्य सरकार भी इस पर कार्रवाई करेगी और हम भी करेंगे।

श्री प्रभुनाथ सिंह: एक तरफ कहा जाता है कि विधि व्यवस्था का मामला राज्य सरकार का विषय है और दूसरी तरफ मंत्री जी ऐसा कह रहे हैं। यह नाइंसाफी की बात है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक माननीय सदस्यगण महत्वपूर्ण मामला उठा रहे हैं। कृपया उन्हें बोलने दीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री राम कृपाल यादव, आप वहां से कैसे चिल्ला सकते हैं।

[हिन्दी]

यह ठीक नहीं है।

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अध्यक्ष महोदय, नार्थ गुजरात, दक्षिण गुजरात और सेंट्रल गुजरात यानी सारे गुजरात में इस समय बाढ़

का प्रकोप जारी है। आज गुजरात में बाढ़ से गांव के गांव और शहर के शहर त्रस्त हैं। गुजरात में जो बारिश हुई, उसकी वजह से बाढ़ आई, लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि यह मैनमेड डिसास्टर भी है। वहां के बांधों में जब पानी ज्यादा आ गया तो, उसे समय पर रिलीज करना चाहिए था। लेकिन गुजरात सरकार के अधिकारियों ने समय पर वह रिलीज नहीं किया और न ही इसके बारे में लोगों को कोई सूचना दी। इसका परिणाम यह हुआ कि जब इन बांधों से पानी छोड़ा गया तो सूरत, अहमदाबाद आदि इलाकों में पानी आ गया। इसकी वजह से कई गांव बह गए। केन्द्र सरकार ने गुजरात सरकार को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी है। इससे पहले भी प्रदेश सरकार को 500 करोड़ रुपए की सहायता राशि दी गई थी, लेकिन उसका हिसाब आज तक प्रदेश सरकार ने नहीं दिया है। यह जो सहायता राशि प्रदेश सरकार को उपलब्ध कराई गई है, उसका आज के दिन तक कैश डोल गुजरात के लोगों को नहीं पहुंचा। मेरे खुद के इलाके में सर्वे नहीं हुआ है। वहां पर लोग एक हफ्ते से परेशान हैं। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद): गुजरात सरकार अपना पूरा प्रयास कर रही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाएं, आपकी बात पूरी हो गई है।

अपराह्न 1.00 बजे

श्री मधुसूदन मिस्त्री: अध्यक्ष जी, नैशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथारिटी की ओर से इसकी इंक्वायरी की जाए। धन्यवाद।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब, श्री काशीराम राणा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप अपनी इच्छानुसार किसी भी समय बोल सकते हैं। आप अपनी सीट पर बैठेंगे या नहीं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई भी खड़ा होकर अपनी इच्छानुसार कुछ भी बोल सकता है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह ग्लानिजनक बर्ताव है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: लगभग 76 सदस्यों ने अपना मामला उठाने के लिए नोटिस दिए है। अब श्री काशीराम राणा।

[हिन्दी]

श्री काशीराम राणा (सूरत): अध्यक्ष जी, बाढ़ से पूरा सूरत शहर तबाह हो चुका है। यह वह सूरत है जो सेंट्रल गवर्नमेंट को 7-8 हजार करोड़ रुपये का रैवेन्यू कस्टम, एक्साइज और इन्कम-टैक्स के रूप में देता है। वहां की पूरी इंडस्ट्रीज खत्म हो चुकी हैं, मकान गिर चुके हैं और हजारों की संख्या में पशु मारे जा चुके हैं। इतनी बड़ी तबाही सूरत शहर की हो चुकी है कि वह आने वाले 10 वर्षों तक भी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकेगा। सूरत शहर के अलावा, जैसा माननीय मधुसूदन जी ने कहा कि राज्य का बहुत बड़ा भाग पानी की वजह से तबाह हो चुका है। मेरा केन्द्रीय सरकार के अनुरोध है कि इन हालातों में केन्द्र सरकार ने सूरत शहर को मदद करने के लिए जो 500 करोड़ रुपये की घोषणा की है वह बहुत कम है। राज्य के चीफ-मिनिस्टर ने 25 हजार करोड़ रुपये की सहायता के लिए एक मैमोरेंडम केन्द्रीय सरकार को भेजा है। मैं चाहूंगा कि जिस तरह से केन्द्र सरकार ने कच्छ में भूकम्प के समय सहायता की थी, उसी प्रकार से सूरत शहर को फिर से अपने कदमों पर खड़ा होने के लिए, 25 हजार करोड़ की मांग को पूरा करे। गुजरात की पूरी की पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है, किसान बर्बाद हो चुके हैं। इतनी बड़ी बर्बादी इससे पहले गुजरात में देखी नहीं गयी है। इसलिए मेरी विनती है कि इस बर्बादी में से सूरत शहर और गुजरात को बाहर लाने के लिए जल्दी से जल्दी सहायता करें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री पी.एस. गढ़वी को इस मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति है। अब, श्री पी. करूणाकरन।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अब, मुझे लगता है कि मुझे कुछ सदस्यों से छुटकारा पाना पड़ेगा। कुछ सदस्यों को बाहर जाना पड़ेगा तब, संभवत: कुछ असर पड़ेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: क्या आप बैठेंगे?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले, एक भी शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए और मेरी अनुमति की प्रतीक्षा करें।

*...(व्यवधान)**

श्री पी. करूणाकरन (कासरगोड): महोदय, मैं केरल और अन्य राज्यों के बीड़ी कामगारों के कतिपय मुद्दों के संबंध में सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं।

महोदय, यद्यपि बीड़ी तथा सिगार कर्मकार (नियोजन की शर्तें) अधिनियम इस सभा में 1958 में पारित किया गया था, तथापि इसे पूरे देश, विशेष रूप से बीड़ी उद्योग की प्रधानता वाले राज्यों में लागू नहीं किया गया था। ऐसे अधिनियम के अभाव में बीड़ी कर्मकारों को न्यूनतम मजदूरी तथा अन्य लाभ नहीं मिल पाते, जो कि उन्हें मिलने ही चाहिए।

बीड़ी उद्योग से संबंधित अन्य मुद्दा यह है कि उत्पाद शुल्क बीड़ी के कुल उत्पादन पर लगाया जाता है। इसके फलस्वरूप सहकारी समितियां तथा सरकारी फर्मों को वास्तव में कठिनाई होती है क्योंकि उन्हें समय पर अपना हिसाब दायर करना पड़ता है। दूसरी ओर निजी व्यापारी सरकार को ऐसा हिसाब नहीं दे रहे हैं। यूनियनों ने सरकार से कुल बीड़ी उपज की बजाय तम्बाकू पर उत्पाद शुल्क लगाने का पहले ही अनुरोध किया है।

इससे संबंधित एक अन्य ज्वलंत मुद्दा यह है कि बीड़ी कामगारों के बच्चों को पिछले कई सालों से छात्रवृत्तियां मिल रही थीं। वर्ष 2004 से उन्हें छात्रवृत्तियां नहीं दी जा रही। दुख की बात है कि 1,80,000 करोड़ रुपया लम्बित हैं।

लगभग 16,000 छात्रों को ये छात्रवृत्तियां नहीं मिल रही। इसके फलस्वरूप सरकार को इन छात्रवृत्तियों की राशि बीड़ी कामगार कल्याण कोष से लेनी पड़ी। अत: मैं सरकार से इस मुद्दे पर तुरंत कार्यवाही करने का अनुरोध करता हूं।

श्री रामदास आठवले (पंढरपुर): महोदय, मैं भी इस मुद्दे से संबद्ध होना चाहूंगा।

श्रीमती वी. राधिका सेलवी (तिरूचेन्दूर): महोदय, मैं भी श्री करूणाकरन की बात से सम्बद्ध होना चाहती हूं।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है आप अपने नाम भेज सकते हैं।

अब डा. अरूण कुमार शर्मा-उपस्थित नहीं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

माननीय सदस्यगण अभी काफी काम करना बाकी है। आपने किसानों के मुद्दे पर एक चर्चा की मांग की थी, परन्तु ऐसा लगता है इसमें कोई भी भाग नहीं लेना चाहता। अभी भी शून्य काल चल रहा है।

अब श्री रामजीलाल सुमन।

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन (फिरोजाबाद): अध्यक्ष महोदय, उच्च शिक्षा संस्थान में अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देने का मसौदा कल कैबिनेट ने मंजूर किया है। बहुत दिनों से यह बात चर्चा में थी कि सरकार अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों को 27 प्रतिशत आरक्षण देना चाहती है। बराबर समाचारों में आता रहा है कि मंत्रिपरिषद का रूख परस्पर विरोधाभास का है और सरकार की राय एक नहीं है। जब यह दबाव बढ़ा कि सरकार को यह बिल इसी सत्र में लाना चाहिए, तो बहुत जल्दबाजी में सरकार यह आधा-अधूरा बिल ले कर सदन में आ रही है। जो बिल आ रहा है उसमें एम्स, आईआईटी एवं अन्य सरकारी सहायता प्राप्त संस्थानों में आरक्षण लागू किया जाएगा, लेकिन गैर सहायता प्राप्त संस्थानों के लिए फैसले को फिलहाल अलग रखा गया है, इनमें लागू नहीं होगा। अध्यक्ष जी, यह बहुत गंभीर मामला है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्व के तीन संस्थानों को भी आरक्षण के दायरे से बाहर रखा गया है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह कोई वाद-विवाद नहीं है। यदि मुझे बार-बार ऐसा करना पड़ेगा तो मैं इस शून्य काल को समाप्त कर दूंगा। कृपया संक्षेप में करें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री रामजीलाल सुमन: क्या प्रोफेसर्स की कमी है कि वहां आरक्षण लागू नहीं होगा। यह आरक्षण चरणबद्ध तरीके से लागू किया जा रहा है और एक तरह से हीला-हवाली की जा रही है, इस आरक्षण के मुद्दे पर और इसमें क्रीमी लेयर को अलग रखा जाएगा। यह बहुत गंभीर मामला है। इस तरह से इसमें लीपापोती की जा रही है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसीलिए तो इस गंभीर मुद्दे को उठाने की प्रमीशन दी है।

...(व्यवधान)

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: अध्यक्ष महोदय, आप हमें भी इस विषय से संबद्ध कीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री रति लाल वर्मा, श्री पारसनाथ यादव, श्री चन्द्र भूषण सिंह श्री शैलेन्द्र कुमार, श्री अखिलेश यादव, श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव तथा श्री रघुराज सिंह शाक्य को इस मामले से सम्बद्ध होने की अनुमति है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव आप दूसरों को बोलने के लिए नहीं कह सकते। आप उन्हें उठने के लिए इशारा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

प्रो. राम गोपाल यादव (सम्भल): अध्यक्ष महोदय, आप आधा मिनट मेरी बात सुन लीजिए।

अध्यक्ष महोदय: आप अपनी पार्टी के सदस्यों को बैठने के लिए कहिए।

प्रो. राम गोपाल यादव: यह क्रीमी लेयर का मामला है। क्लास-3 का कर्मचारी है, यह भी क्रीमी लेयर में आ जाता है। मैं सरकार से जानना चाहता हूं कि फिर दाखिला लेने कौन जाएगा, जो घास बीजते हैं, जिनके पास दो पैसे नहीं हैं। आप क्रीमी लेयर का बहाना लेकर सारे पिछड़े वर्ग को हायर एजुकेशन से वंचित करना चाहते हैं। इससे बचने की कोशिश होनी चाहिए और हम इसका विरोध करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: एक अपवाद के रूप में प्रो. राम गोपाल यादव को बोलने की अनुमति है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): इस विषय पर हमें संबद्ध किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप सभा में व्यवधान डाले बिना पर्चियां भेज सकते हैं। श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव मैं आपसे आसन पर बैठने को कहूंगा!

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: "क्रीमी लेयर" संवैधानिक शब्द नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री रामजीलाल सुमन: अध्यक्ष महोदय, यह सरकार आधा-अधूरा बिल ले कर आ रही है। अजीब स्थिति पैदा हो गई है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण किसानों के मुद्दे पर वाद-विवाद के लिए एक अनुरोध किया गया था।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री रामदास आठवले जी आप बार-बार गलती कर रहे हैं।

सरकार द्वारा यह अनुरोध किया गया था कि कुछ महत्वपूर्ण कार्य विशेष रूप से किसानों की कार्य सूची में सूचीबद्ध ध्यानाकर्षण प्रस्ताव बाद में लिये जा सकते हैं। क्या मैं इसे विधेयकों के बाद करूं? विधेयकों के बाद हम ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ले सकते हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: जी नहीं, महोदय।

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): महोदय, ध्यानाकर्षण को बाद में लिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय: वे सहमत नहीं हैं।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: मैं सहमत नहीं हूं।

[हिन्दी]

यह बहुत संवेदनशील मामला है। इसे ले लिया जाए। यह विषय आधे घंटे में पूरा हो जाएगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अविलम्बनीय लोक महत्व के अन्य मामले शाम को सभा स्थगित होने से पहले लिये जाएंगे। कृपया अध्यक्षपीठ से सहयोग करें।

अब ध्यानाकर्षण-श्री रघुनाथ झा।

अपराह्न 1.09 बजे

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

भारत-नेपाल सीमा पर सीमा सड़क के न होने, जिसके कारण आई.एस.आई. और नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा (बेतिया): अध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्री जी का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"भारत-नेपाल सीमा पर सीमा सड़क के न होने, जिसके फलस्वरूप आईएसआई और नक्सलवादी गतिविधियों में वृद्धि हुई है, से उत्पन्न स्थिति तथा इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए कदम।"

[अनुवाद]

***गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील):** भारत-नेपाल सीमा एक खुली सीमा है जिसकी लम्बाई 1751 कि.मी. है और यह सीमा पांच राज्यों अर्थात् उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम से लगी हुई है। दोनों देशों के राष्ट्रिक, भारत-नेपाल मैत्री संधि, 1950 के तहत दोनों ओर आने जाने के लिए स्वतंत्र हैं।

भारत सरकार को सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क के विकास सहित भारत-नेपाल सीमा के साथ आधारभूत ढांचे के विकास संबंधी मामले की जानकारी है ताकि सशस्त्र सीमा बल (एस एस बी), जिसे भारत-नेपाल सीमा पर सीमा चौकसी बल के रूप में और साथ ही सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास को और बढ़ावा देने के लिए तैनात किया गया है, द्वारा गश्त को सुकर बनाया जा सके। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया शांति रखिए। महत्वपूर्ण मामले पर चर्चा चल रही है। माननीय मंत्री वक्तव्य दे रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील: कृपया नोट कीजिए। एसएसबी ने बिहार के सीमावर्ती जिलों में 657 कि.मी. लम्बी सड़कों की पहले ही पहचान कर ली गई है जो उनके लिए आपरेशनल दृष्टि से महत्वपूर्ण है और भारत-नेपाल सीमा के साथ लगे क्षेत्रों में जिनका निर्माण/उन्नयन किया जाना चाहिए। संबंधित राज्य सरकारों के साथ अभी विचार-विमर्श चल रहा है और यह आशा की जाती है कि निर्माण/उन्नयन के लिए शुरू की जाने वाली सड़कों की सूची को शीघ्र ही अंतिम रूप दे दिया जाएगा। सीमावर्ती जिलों अर्थात् बेतिया, मोतिहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया में माननीय सदस्यों द्वारा सड़कों के लिए दिए गए सुझावों और अदापुर-रक्सौल-घोरासहन-शिवहर-सीतामढ़ी-दरभंगा-सहरसा-किशनगंज की विशिष्ट सड़क पर एस एस बी की आपरेशनल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा।

भारत सरकार, बिहार में रक्सौल और जोगबनी तथा भारत-नेपाल सीमा पर उत्तर प्रदेश में सोनौली और नेपाल गंज सड़क पर चार एकीकृत जांच चौकियां (आईसीपी) की स्थापना के बारे में भी सक्रियता से विचार कर रही है। इन जांच चौकियों में, सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एक एकल परिसर में पार्किंग, गोदाम, बैंकिंग, होटल इत्यादि जैसी सहायक सुविधाओं के साथ नियामक एजेंसियां नामत: आप्रवासन, सीमा-शुल्क, सीमा सुरक्षा स्थित होंगी। इन आई सी पी को जोड़ने वाली सड़कों में भी साथ-साथ सुधार किया जाएगा।

अवांछित तत्वों की गतिविधियों पर कड़ाई से नजर रखने हेतु भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ एसएसबी की 18 बटालियनें तैनात की गई हैं। सीमा पर उचित ढंग से नियंत्रण रखने के लिए सरकार ने पहले ही एसएसबी की 20 अतिरिक्त बटालियनें मंजूर कर दी हैं। एसएसबी ने पहले ही पूरी भारत-नेपाल सीमा के साथ-साथ 266 सीमा चौकियां स्थापित कर दी हैं और अवांछित तत्वों की घुसपैठ रोकने के लिए कारगर सतर्कता बरतने हेतु फील्ड यूनिटों को उचित निदेश दिए गए हैं। गहन गश्त और "नाकेबंदी" सतत रूप से की जा रही है।

[हिन्दी]

श्री रघुनाथ झा: अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने इसके महत्व को समझते हुए इस बात को स्वीकारा है कि शीघ्र ही राज्य सरकार से वार्ता करके बिहार की 600 किलोमीटर से ऊपर की इंडो-नेपाल बार्डर की सड़क को मजबूत और अपग्रेड करके बनाया जाएगा। मैंने अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में कुछ बातों का जिक्र किया था लेकिन उन सब का माननीय गृह मंत्री जी ने कोई उत्तर नहीं दिया है।

महोदय, ट्रीटी के मुताबिक हमारे इलाके में आम आदमी को इधर से उधर जाने की स्वतंत्रता है लेकिन बड़े पैमाने पर हथियारबंद माओवादी बिहार में घुसते हैं, क्राइम करते हैं, थाना लूटते हैं,

*ग्रंथालय में रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 4829/06

पुलिस के हथियार लूटते हैं, दर्जनों से ऊपर राइफल्स लूटे गए हैं और लोगों की हत्याएं की हैं।

हमारे माननीय सदस्य श्री सीताराम सिंह जी सदन में बैठे हैं, बिहार में इनके घर पर हमला हुआ। सैकड़ों की संख्या में औरतों-मर्दों पर हमला किया, कुछ गिरफ्तारियां हुईं तथा कुछ लोग घायल हुए और कुछ लोग मारे गए। उनमें से अधिकांश लोग नेपाल के माओवादी हैं। चूंकि ध्यानाकर्षण में बताया है कि बार्डर पर सुरक्षा के लिए आपने एस.एस.बी. को लगाया है। लेकिन हमारे यहां नेपाल से निकलने वाली कोसी, गंडक, बागमती, कमला तथा अदवारा समूह की जो नदियां हैं, इन नदियों के कारण लगभग पांच-छः महीने तक एस.एस.बी. का जो मूवमैन्ट होना चाहिए, वह मूवमैन्ट अच्छी सड़कें न होने के कारण नहीं हो पाता है और वहां व्यापक रूप से तस्करी होती है। नकली करेन्सी, नकली नोट लाते हुए तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। पाकिस्तान की एजेन्सी आई.एस.आई. के जरिये पांच सौ रुपये के नकली नोटों के साथ अधिकतर लोग बिहार में प्रवेश करते हैं। वहां इनकी गिरफ्तारियां हुई हैं। आधुनिकतम हथियारों में ए.के.-47, ए.के.-56 जैसे हथियार दूसरी जगह मिलने मुश्किल हैं, लेकिन नेपाल के बाजार से चाहे हमारे यहां के क्रिमिनल्स हों, वहां के क्रिमिनल्स हों या नक्सली लोग हों, उनके कारण पूरा उत्तर बिहार, पश्चिमी चम्पारण और पूर्वी चम्पारण, गोपालगंज, सिवान, शिवहर, सीतामढ़ी, मधुबनी और दरभंगा से लेकर किशनगंज तक तथा पूर्णिया, सहरसा और सुपौल ये सारे क्षेत्र प्रभावित हो चुके हैं। इनको रोकने के लिए आपने नदी के किनारे जवान तो बढ़ाये हैं। लेकिन सुरक्षा बल दौरे सर्के, पूरी विजिल रख सकें और सीमाओं की सुरक्षा कर सकें, इसके लिए आपने कोई प्रबंध नहीं किया है। हम चाहेंगे कि माननीय मंत्री जी इस संबंध में भी विचार करें।

अपराह्न 1.17 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

मैं माननीय मंत्री जी से एक बात कहना चाहता हूं कि अब भारत सरकार को गफलत में नहीं रहना चाहिए तथा हमें अपनी स्थिति को समझना चाहिए। पहले हमने तिब्बत को बफर स्टेट समझा था और हम अपनी सीमा का चौकसी नहीं कर पाये। हमें तब जितना मुस्तैद होना चाहिए था, हम उतने मुस्तैद नहीं रह पाये। आज का नेपाल वह नेपाल नहीं है, जिसके साथ 1950 में संधि हुई थी। आज नेपाल में ल्हासा तथा चीन से 24 से 48 घंटे में हमारी सीमा पर बड़े से बड़े हथियार आ सकते हैं। बड़े से बड़े लड़ाई के साज-सामान तथा गाड़ियां आ सकती हैं। लेकिन हमारी स्थिति ऐसी नहीं है। इसलिए आपको इन सारी चीजों पर विचार करना चाहिए। आपने नेपाल की सड़क को स्वीकार किया है, लेकिन आप इसे जल्द से जल्द बनवाने, चालू करने और इन इलाकों में विशेष नियंत्रण करने की कार्रवाई करने का कष्ट करें। यही मेरा आपसे निवेदन है।

उपाध्यक्ष महोदयः श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव जी, आप केवल प्रश्न पूछें।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर): उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लेकिन मैं सबसे पहले माननीय गृह मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि उन्होंने इस विषय की गंभीरता को समझा है। लेकिन इसे कुछ और अधिक महत्व देने की आवश्यकता है। यह विषय भारत-नेपाल सीमावर्ती क्षेत्रों में सीमा सड़क निर्माण का विषय है। यह विषय न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़ा हुआ है, बल्कि भारत और नेपाल के बीच मैत्री बनाये रखने से संबंधित है तथा भारत-नेपाल की सीमा में हो रही माओवादी गतिविधियों के कारण वहां के अमन-चैन और शांति से जुड़ा हुआ है। इसलिए यह विषय अत्यंत संवेदनशील है। यह राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व का विषय है। चूंकि सामरिक दृष्टिकोण से नेपाल हमारा मित्र देश है। हमारी और नेपाल की मित्रता है। लेकिन भारत-नेपाल के बार्डर के इलाकों में आये दिन जो घटनाएं घटती हैं, जिनके विषय में माननीय सदस्य रघुनाथ झा ने बताया है। मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि सरकार का जो वक्तव्य आया है, उसमें दो बातें और स्पष्ट करने की आवश्यकता है। एक बात आई है कि सीमावर्ती क्षेत्रों में विकास को बढ़ावा देने के लिए भारत नेपाल सीमा पर गश्त को सुकर बनाने के लिए एस.एस.बी. ने बिहार की सीमा से लगे सीमावर्ती जिलों में 657 किलोमीटर लम्बी सड़कों की पहले ही पहचान कर ली है। उनके लिए आपरेशनल दृष्टि से महत्वपूर्ण है। एक उन्होंने यह जवाब दिया है और यह पाजीटिव है। लेकिन इसके बाद जो जवाब आया है, भारत नेपाल सीमा के साथ लगे क्षेत्र जिनका निर्माण किया जाना है, उसके बारे में संबंधित राज्य सरकारों के साथ अभी विचार-विमर्श चल रहा है। यह विचार-विमर्श किस अवधि तक चलेगा? मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या इसके लिए कोई समय-सीमा निर्धारित होगी? यह जो विचार-विमर्श की प्रक्रिया है, यह विचार-विमर्श क्या किसी समय-सीमा के अंदर होगा?

आशा की जाती है और उसमें जवाब यह है कि निर्माण उन्नयन के लिए शुरू की जाने वाली सड़कों की सूची को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाएगा। अंतिम रूप कब तक दिया जाएगा जब ध्यानाकर्षण प्रस्ताव में जो विषय उठाया गया है, यह जो सीमावर्ती क्षेत्र जो मोतीहारी, सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया, पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और किशनगंज हैं। माननीय मंत्री जी ने कहा है कि आपरेशनल आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। दोनों तरफ आपरेशनल मामला है। एक तरफ यह है कि

[श्री देवेन्द्र प्रसाद सिंह यादव]

आपरेशनल दृष्टि से यह 657 कि.मी. महत्वपूर्ण है और दूसरी तरफ फिर कहा गया है कि जो विशेष सड़क है, उस पर भी एसएसपी की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुए विचार किया जाएगा। मैं माननीय मंत्री जी से सीधा यह कहना चाहता हूं कि आप इस पर विचार नहीं करिए, बल्कि जब यह स्पष्ट रूप से रेखांकित है कि जो नेपाल-भारत सीमावर्ती इलाका है, वहां राष्ट्रीय सड़क का निर्माण करना है, इन सड़कों के निर्माण की दिशा में सरकार क्या कोई सकारात्मक पहल करेगी और कब से यह निर्माण का कार्य प्रारम्भ किया जाएगा? जो विचार-विमर्श की प्रक्रिया है, तो विचार-विमर्श तो सिर्फ एक ही राज्य सरकार, उत्तर बिहार से करना है तथा और जो पांच राज्यों से यह मसला जुड़ा हुआ है और उनसे विचार-विमर्श करना है, मैं खासकर यह जानना चाहता हूं कि आज जो सबसे ज्यादा घटना घट रही है, उत्तर बिहार से जो नेपाल की सीमा सटी हुई है, 19 जिलों में सबसे ज्यादा माओवादी गतिविधियां और राष्ट्रविरोधी गतिविधियां चल रही हैं तथा स्मगलिंग भी हो रही है और अपराध करने वाले लोगों को नेपाल के रास्तों से आधुनिक अस्त्र-शस्त्र मिल जाता है। हालांकि नेपाल से हमारी दोस्ती है और नेपाल की जनता और भारत की जनता शांति और चैन चाहती है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: आपका प्वाइंट आ गया है। अब आप अपनी बात समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव: इसीलिए वहां शांति और अमन कायम रखने के लिए आपके सुरक्षा बल को मूवमेंट में करने के लिए इस सीमा सड़क को कब से प्रारम्भ किया जाएगा? इस सीमा-सड़क के निर्माण की दिशा में सरकार क्या सकारात्मक कदम उठा रही है, मैं माननीय मंत्री जी से इसका जवाब चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव (पटना): उपाध्यक्ष महोदय, मैं भी इस विषय पर बोलना चाहता हूं। मुझे भी इस पर बोलने का समय दिया जाए। ...*(व्यवधान)*

योगी आदित्यनाथ (गोरखपुर): उपाध्यक्ष जी, मेरा भी कालिंग अटैंशन का मामला है, मैंने सुबह ही नोटिस दिया है। कृपया करके मुझे भी बोलने का अवसर दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मेरी एक बात सुन लीजिए। पहले आप बैठ जाइए। पहली बात यह है कि नियमों के अनुसार जिन माननीय सदस्यों के नाम आए हैं, उनको ही बोलने का समय दिया जा सकता है। दो मैम्बर्स के नाम थे, उनको मैंने बोलने का समय दे दिया। मैं आप सभी से पर्सनली रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आज मेरे पास बहुत बिजनैस है, उस बिजनैस को खत्म भी करना है, इसलिए अन्य माननीय सदस्यों को इस विषय पर बोलने के लिए समय नहीं दिया जा सकता।

...*(व्यवधान)*

श्री राम कृपाल यादव: सर, यह बहुत ही महत्वपूर्ण मामला है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अगर मैंने एक माननीय सदस्य को समय दिया तो सभी को समय देना पड़ेगा। योगी जी, अगर मैं आपको बोलने के लिए समय दूंगा तो मुझे सभी को समय देना पड़ेगा। इसलिए आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: योगी जी, आप बैठ जायें, आपकी बात रिकार्ड में नहीं जा रही है। आप बैठ जायें।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय गृह मंत्री ध्यानाकर्षण पर उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: अब, माननीय गृह मंत्री ध्यानाकर्षण पर उत्तर देंगे। वे खड़े हुए हैं।

...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: माननीय गृह मंत्री खड़े हुए हैं। कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैं आपको अलाऊ नहीं कर सकता।

[अनुवाद]

श्री आदित्यनाथ मैं आपको लेकर दुखी हूं, किन्तु कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: उनका नोटिस नहीं आया है।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लिस्ट में से देख सकते हैं, इसमें आपका नाम नहीं है। अगर मैं एक को भी अलाऊ करूंगा तो सब को अलाऊ करना पड़ेगा। मैं यह नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आदित्य नाथ, इस समय मेरे लिए आपको समय देना संभव नहीं है। इसलिए कृपया बैठ जाइए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन): महोदय, आप उन्हें इस तरह करते रहने की अनुमति कैसे दे सकते हैं? *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है। कृपया बैठ जाइए।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: श्री आदित्य नाथ, आपको मेरी समस्या भी समझनी चाहिए। यदि मैं आपको बोलने का समय देता हूं तो मुझे सभी माननीय सदस्यों को बोलने का मौका देना होगा, इसलिए कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: नियमों के अनुसार केवल उन्हीं माननीय सदस्यों को बोलने का मौका दिया जा सकता है जिन्होंने लिखित में अपने नाम दिए हैं। इसलिए, कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: योगी जी, आप बैठ जायें। अगर मैं आपको टाइम दूंगा तो सब को टाइम देना पड़ेगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: योगी जी, आप बैठ जायें। आप मेरी बात समझ लें।

श्री शिवराज वि. पाटील: उपाध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्यों द्वारा पूछा गया कि नक्सलवादी लोग, जो उधर से आ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: योगी, जी, आप बैठ जायें, आपकी बात रिकार्ड पर नहीं जा रही है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी रिकार्ड पर नहीं जा रहा है। मैं क्या करूं?

*...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, एक ही समय में दो सदस्य किस प्रकार बोल सकते हैं? मंत्री जी को उत्तर देने दिया जाय। यदि माननीय सदस्य कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो वे अंत में पूछ सकते हैं। वे लगातार मंत्री जी के भाषण में व्यवधान डाल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: रिकार्ड पर कुछ भी नहीं जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

श्री शिवराज वि. पाटील: श्रीमन्, यहां पूछा गया कि नक्सलवादी लोग अगर नेपाल से इधर आ रहे हैं तो उनको रोकने

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री शिवराज वि. पाटील]

के लिए क्या किया जा रहा है। यह सही बात है और अच्छा सवाल है। माननीय सदस्यों की जानकारी के लिए मैं बताना चाहूंगा कि वहां पर हमारी जो एस.एस.बी. की फोर्सेज हैं, उसको हम बढ़ाने जा रहे हैं। आज यदि 20 बटालियन वहां पर हैं तो और 20 बटालियन खड़ी करके हम वहां पर सीमा की रक्षा करने का काम हम करने जा रहे हैं।

दूसरी बात यह है कि उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, बिहार और सिक्किम में कुछ सड़कें कच्ची सड़कें हैं। उनको पक्का बनाने के लिए भी सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं। ये जो सड़कें बनने जा रही हैं, यह काम यदि नेशनल हाईवेज का होता तो पूरी तरह से केन्द्र सरकार की तरफ से किया जाता। मगर राज्य में जो सड़कें हैं, उसमें राज्य सरकारों को भी शामिल किया जाता है, उनको भी पूछा जाता है कि किस प्रकार से सड़कें बनानी चाहिए। ये पक्की सड़कें बनाने का काम हमने हाथ में लिया है। यहां पर हमने बताया कि कुल सड़कों की लंबाई 1751 किलोमीटर है। इसमें से 1558 किलोमीटर की सड़कें हम बनाने जा रहे हैं।

जहां तक बिहार का सवाल है, उसकी सीमा 726 किलोमीटर की है और वहां पर हम जो सड़कें बनाने जा रहे हैं, करीब-करीब 607 किलोमीटर की सड़क बनाने जा रहे हैं। ये जो सड़कें बनने जा रही हैं, उसमें प्रांत की सरकारों को भी पूछना है और हम उनसे चर्चा कर रहे हैं। उनको हमने बताया है कि जल्दी से जल्दी आप बता दीजिए कि किस प्रकार से यहां पर सड़कें बननी हैं ताकि उनकी कोई राय और इच्छा हो तो उसको भी इसके अंदर शामिल किया जा सके। हमने सभी राज्यों की सरकारों को लिखा है। उत्तरांचल की सरकार को लिखा है, उत्तर प्रदेश की सरकार को लिखा है और उसी प्रकार से बिहार तथा सिक्किम की सरकार को भी लिखा है। उनकी तरफ से जो जानकारी हमारे पास आएगी, उसको लेकर अंतिम निर्णय करने के समय उसको ध्यान में रखते हुए निर्णय किया जाएगा और उसके मुताबिक यह काम किया जाएगा।

चौथी चीज जो हम इस संबंध में करने जा रहे हैं, वह यह है कि इन बार्डर्स पर हम जो नई बटालियन्स रेज कर रहे हैं, उनके हैडक्वार्टर्स हम वहां पर बनाने जा रहे हैं। हमने खासकर बिहार सरकार को कहा है कि इस बार्डर में ही आप हमें जगह दीजिए जहां पर हमारी नई बटालियन्स हमें रेज करनी हैं, वह वहां पर रखी जाएं। उसमें एस.एस.बी. की बटालियन होंगी, सी.आर.पी. की बटालियन भी होंगी और खासकर सरहद के इलाकों में इन बटालियन्स को खड़ा करने का काम भी किया जा रहा है। उसके बाद राज्य सरकारों को बताया है कि आप भी अपनी इंटैलिजैन्स एजेंसी को स्ट्रांग बनाइए। गांवों में इंटैलिजैन्स कम है। तालुका और जिला में इंटैलिजैन्स लेने के लिए आई.बी. या रॉ उतनी काम में नहीं आती मगर स्टेट की इंटैलिजैन्स मशीनरी को मालूमात लेना जरूरी है। पहले यह काम अच्छा होता था, लेकिन आजकल यह देखा जा रहा है कि उतना अच्छा नहीं हो रहा है। इसलिए सारी प्रांतों की सरकारों को हम यह अनुरोध कर रहे हैं कि आप इस प्रकार से इंटेलीजेंस मशीनरी को बढ़ाइए और फिर कीजिए। उन्होंने यह भी कहा है कि आपका जो डेप्लॉयमेंट फोर्स है, आप कुछ कम्पनियां सिर्फ एक्शन करने के लिए रखिए, उन्हें आफ लॉ-एंड-आर्डर मेन्टेन करने के लिए, ट्रैफिक मेन्टेन करने के लिए मत रखिए, मगर उन कम्पनियों को आप इसी काम के लिए रखिए। इस प्रकार से यह काम किया जा रहा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अंत में मैं यह उत्तर देना चाहूंगा कि केन्द्र सरकार इसमें पैसे से मदद करेगी और प्रांत की सरकार भी करेगी। ये काम कहीं-कहीं बार्डर रोड डेवलपमेंट आर्गेनाइजेशन से होगा और कहीं-कहीं स्टेट गवर्नमेंट के सीपीडब्ल्यूडी से भी हम करवाना चाहते हैं और दूसरे जो पब्लिक सैक्टर अंडरटैकिंग्स हैं, उनसे भी करवाना चाहते हैं। इसलिए यह रोड भी बनेगी और यह जो नकसलिज्म को कंट्रोल करने का मसला है, उस पर भी हम इस प्रकार से नियंत्रण पा सकेंगे।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अपराह्न 1.36 बजे

संसद सदस्य वेतन-भत्ता और पेंशन (संशोधन) विधेयक, 2006*—पुर:स्थापित

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: सभा अब कार्य की अनुपूरक सूची पर विचार करेगी।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये"

*भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-2, दिनांक 22.8.2006 में प्रकाशित।

श्री वरकला राधाकृष्णन (चिरायिंकिल): मैं संसद सदस्य वेतन, भत्ता तथा पेंशन में संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित किए जाने संबंधी प्रस्ताव का विरोध करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाए।

...(व्यवधान)

श्री वरकला राधाकृष्णन: महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि हम अपने वेतन के संबंध में निर्णय लेने वाले व्यक्ति नहीं हैं। यह हमारी विधायी सक्षमता से बाहर की चीज है। जब देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हम अपना वेतन बढ़ा रहे हैं। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और मैं इसका विरोध करता हूं।

इसका निर्णय एक स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा न कि संसद सदस्यों द्वारा किया जाना चाहिए। हमें एक स्वतंत्र एजेंसी नियुक्त करना चाहिए जो साक्ष्य ले, निर्णय करे तथा सिफारिश दे। तभी हम अपना वेतन बढ़ाएं। हमें स्वयं अपना वेतन नहीं बढ़ाना चाहिए। हम यह कहने में सक्षम नहीं हैं कि हमारा वेतन, पारिश्रमिक तथा भत्ता क्या हो। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: केवल श्री वरकला राधाकृष्णन का भाषण कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन: हम इस संबंध में निर्णय लेने में असमर्थ हैं। हमें एक समिति बनानी चाहिए जो संसद सदस्यों की न हो बल्कि इस मामले को देखने तथा सिफारिश करने के लिए एक स्वतंत्र समिति हो।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री वरकला राधाकृष्णन जो भी कहते हैं, उसके सिवा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री वरकला राधाकृष्णन: जब देश के किसान आत्महत्या कर रहे हैं, हमें अपना वेतन बढ़ाने की बात छोड़ देनी चाहिए। यह अच्छा नहीं लगता है। प्रेस में यह खबर आई कि सदस्यों का वेतन लगभग 1 लाख रु. होगा। हम कठिनाई में पड़ जाएंगे। अतएव, मैं अनुरोध करूंगा कि इस चरण में यह विधेयक नहीं प्रस्तुत किया जाना चाहिए। एक नई समिति का गठन होना चाहिए जो इस मामले को देखे तथा निर्णय ले।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट): महोदय, प्रारंभ में, विधेयक को प्रस्तुत किए जाने के चरण में, मैं विधेयक का पुरजोर विरोध करता हूं क्योंकि यह अनुचित, अवैध तथा अनैतिक भी है संसद सदस्य देश के लिए कानून बनाते हैं लेकिन यह दुख की बात है कि सदस्य अपने वेतन और भत्ते बढ़ाने के लिए कानून बना रहे हैं। यह अनैतिक है। आपसे मेरा यह विनम्र निवेदन है कि मंत्रियों तथा संसद सदस्यों को छोड़कर एक स्वतंत्र समिति गठित की जाय। यह स्वतंत्र समिति सदस्यों के वेतन, भत्ते तथा अन्य सुविधाओं से संबंधित सभी मामलों की जांच करे। यदि हम अपना वेतन स्वयं बढ़ाते हैं तो लोगों तक गलत संदेश जायेगा। अतएव, मैं अपने मित्रों से विनम्र निवेदन करूंगा कि वे इस विधेयक को पारित करने के लिए दबाव नहीं बनाएं। मैं माननीय मंत्री से इसे वापस लेने के लिए अनुरोध करूंगा।

महोदय, मैं विधेयक के पुर:स्थापन का पुरजोर विरोध करता हूं। यह विधेयक अनैतिक, अवांछनीय तथा लोकतांत्रिक है। अतएव मैं सरकार से विधेयक को वापस लेने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर): मान्यवर, लाभ के बड़े-बड़े पदों पर कम्युनिस्ट पार्टी के नेता बैठे हैं। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: मंत्री महोदय के भाषण के अतिरिक्त किसी भी माननीय सदस्य की कोई बात रिकार्ड में नहीं जाएगी।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, सर्वप्रथम, सभा में विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध हमेशा विधायी अक्षमता के आधार पर किया जाता है। मैं यह विधेयक पूरी विधायी शक्ति के साथ लाया हूं। यह संविधान के दायरे में है। *...(व्यवधान)* आप अपना निवेदन कर चुके हैं, अब मुझे बोलने दें। भारत के संविधान की धारा 106 के अनुसार "संसद के प्रत्येक सदन के सदस्य ऐसे वेतन और भत्ते, जिन्हें संसद, समय-समय पर, विधि द्वारा, अवधारित करे और जब तक इस संबंध में इस प्रकार का उपबंध नहीं किया जाता है तब तक ऐसे भत्ते, ऐसी दरों से और ऐसी शर्तों पर, जो भारत डोमिनियन की संविधान सभा के सदस्यों को इस संविधान के प्रारंभ से ठीक पहले लागू थी, प्राप्त करने के हकदार होंगे।" *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: वे मेरी अनुमति के बिना बोल रहे हैं इसलिए कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जायेगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: ठीक है, आप बोलते रहे। मैं बैठ जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाता है।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं सीपीआई नेता माननीय श्री अजय चक्रवर्ती और कामरेड राधाकृष्णन का ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि यह सांविधानिक उपबंध संसद के संयुक्त संसदीय समिति के गठन की व्यवस्था करता है। इसने मामले की जांच की है। मेरे विचार से केरल और पश्चिम बंगाल के राज्य विधान सभाओं में भी ऐसा ही होगा। पूरे विचार-विमर्श के पश्चात् संयुक्त संसदीय समिति ने रिपोर्ट सौंपी है। मैं संयुक्त समिति, जिसमें सभी दलों का प्रतिनिधित्व था, के सदस्यों को धन्यवाद देता हूं। श्री गिरिधर गमांग इसके अध्यक्ष हैं। इन्होंने बहुत बढ़िया काम किया है। उन्होंने एक तालिका प्रस्तुत की है जिसमें यह दर्शाया गया है कि भारत के संसद सदस्य विश्व में सबसे कम वेतन प्राप्त करने वाले संसद सदस्य हैं।

दूसरे, मैं यह कहना चाहूंगा कि हमारी सरकार ने इस संबंध में एक निर्णय लिया है जिसे आपको बताते हुए मुझे प्रसन्नता हो रही है कि यह पांच वर्षों तक प्रभावी रहेगा। इसके पश्चात् एक स्थायी संस्थागत तंत्र बनाया जाएगा। यह भी संयुक्त संसदीय समिति की सिफारिश है। मैं सभा में अगले सत्र के दौरान उस तंत्र के बारे में एक संकल्प लाऊंगा। जो 15वीं लोक सभा से भावी स्थिति को सुनिश्चित करेगा। अत: यह केवल अगले पांच वर्षों तक के लिए है।

मेरे विचार से विधायी क्षमता और सांविधानिक समर्थन भी है। समिति की सिफारिश है। अत: मेरे विचार से इस विधेयक के पुर:स्थापन का विरोध उचित नहीं है।

उपाध्यक्ष महोदय: यह प्रश्न है:

"कि संसद सदस्य वेतन, भत्ते तथा पेंशन अधिनियम, 1954 में और संशोधन करने वाले विधेयक को पुर:स्थापित करने की अनुमति दी जाये।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: मैं विधेयक पुर:स्थापित** करता हूं।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

**राष्ट्रपति की सिफारिश से पुर:स्थापित।

अपराह्न 1.45 बजे

नियम 377 के अधीन मामले*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: मेरे पास नियम 377 के अधीन मामलों की लंबी सूची है। मैं माननीय सदस्यगण से अनुरोध करना चाहूंगा कि नियम 377 के अधीन मामलों को सभा पटल पर रखा गया माना जाये। वे कार्यवाही का भाग होंगे।

(एक) अमरेली संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, गुजरात में जेतलसर से ढासा तक मीटरगेज रेलवे लाइन का आमाप परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री वी.के. दुम्मर (अमरेली): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र अमरेली जिले को जोड़ने वाली जेतलसर से ढासा के बीच मीटरगेज रेलवे लाइन है, जहां से कई व्यापारिक गतिविधियां चल रही हैं और पिपावाव पोर्टस भी पास में है, जिसके कारण इस मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में बदलना अति आवश्यक है। ब्राडगेज लाइन के बनने से सौराष्ट्र से कई हिस्सों को देश के कई हिस्सों को रेलवे सेवा से जोड़ा जा सकता है और नयी रेलवे सेवा भी शुरू की जा सकती है। जब तक इस मीटर रेलवे लाइन को ब्राडगेज लाइन में नहीं बदला जायेगा तब तक सौराष्ट्र में आधुनिक रेल सेवा प्राप्त नहीं हो सकती है। इस संबंध में मैंने कई बार रेल मंत्री जी से अनुरोध किया है। माननीय मंत्री जी सदन के माध्यम से बताया कि इस कार्य का सर्वे का कार्य हो रहा है परन्तु इस कार्य में नाहक देरी की जा रही है।

सदन के माध्यम से अनुरोध है कि इस मीटरगेज लाइन को ब्राडगेज लाइन में शीघ्र बदलने हेतु निर्देश दिया जाये।

(दो) आंध्र प्रदेश में "हैंडलूम वीवर्स को-आपरेटिव सोसायटीज के लाभ के लिए ईपीएफ अधिनियम" में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री डी. विट्टल राव (महबूब नगर): मैं सभा का ध्यान आंध्र प्रदेश में हथकरघा बुनकर सहकारी समितियों के कर्मचारियों से अपने ईपीएफ प्रेषण में आने वाली कई समस्याओं की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा।

---

*सभा पटल पर रखे माने गये।

सहकारी समितियां, जिसके सभी सदस्य साझा स्वामी होते हैं, कर्मचारी नियोक्ता की परिभाषा के अंतर्गत नहीं आते हैं।

अतएव, मैं सरकार से अनुरोध करूंगा कि ईपीएफ अधिनियम में आवश्यक संशोधन किए जाएं ताकि हथकरघा बुनकर सहकारी निकायों को ईपीएफ की प्रेषण राशि से छूट दी जाए।

(तीन) तमिलनाडु के पलानी संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में बिना वैध लाइसेंस चलाए जा रहे "कोकोनेट शेल बर्निंग इंडस्ट्रीज" द्वारा फैलाये जा रहे प्रदूषण को रोके जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री एस.के. खारवेनथन (पलानी): मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, पलानी के कंगयाम तालुक में संबंधित प्राधिकारियों से वैध अनुमति अथवा लाइसेंस प्राप्त किए बिना अनेक अवैध 'कोकोनेट शेल बर्निंग इंडस्ट्रीज' चल रही हैं और चारकोल का उत्पादन कर रही हैं। 'कोकोनेट शेल' को जलाकर काफी मात्रा में चारकोल तैयार किया जा रहा है और इसका भण्डारण कंगयाम टाउन के मध्य स्थित आवासीय क्षेत्र में किया जा रहा है। इसके अलावा चारकोल खरीदने वाली एजेन्सी के पास चारकोल के भण्डारण हेतु कोई वैध लाइसेंस नहीं है।

इस चारकोल में ट्राई निट्रो टोलुविन (टी.एन.टी.) मिलाकर देशी बम बनाया जा सकता है और आपराधिक गतिविधियों हेतु इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। जनता को संदेह है कि उपरोक्त चारकोल का प्रयोग अवैध प्रयोजनों हेतु किया जाता है तथा इसे खरीदने वाली एजेन्सी इसे देश के विभिन्न भागों में और श्रीलंका में भी भेज रही है जिससे अवैध विनाशक गतिविधियों को बढ़ावा मिल रहा है।

'कोकोनेट शेल' के जलने से वायु प्रदूषण फैल रहा है जिससे पर्यावरणीय हानि हो रही है तथा निकटवर्ती गांवों के निवासियों का स्वास्थ्य प्रतिकूल प्रभावित हो रहा है और उन्हें विभिन्न प्रकार की बीमारी हो रही है। लोग आंदोलन के माध्यम से इन अवैध 'कोकोनेट शेल बर्निंग इंडस्ट्रीज' को बंद करने की मांग कर चुके हैं परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गयी है।

इसलिए, मैं माननीय पर्यावरण और वन मंत्री से अनुरोध करता हूं कि वह उपरोक्त अवैध उद्योगों के विरुद्ध तत्काल उचित कार्रवाई करने तथा इन उद्योगों के प्रतिकूल प्रभावों से उस क्षेत्र के निवासियों से बचाने हेतु संबंधित प्राधिकारी को निदेश दें।

(चार) बिहार के औरंगाबाद में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के प्रभावी कार्यान्वयन की आवश्यकता

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार): राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम हमारे ग्रामीण क्षेत्रों में, जहां कृषि आजीविका का मुख्य साधन है, व्यापक स्तर पर व्याप्त बेरोजगारी और निर्धनता से निपटने के लिए एक उत्तम अवसर है। ये ग्रामीण मानसून पर निर्भर है और जब कभी भी मानसून धोखा देता है सूखा पड़ जाता है जैसा कि मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, औरंगाबाद में लगातार पिछले दो वर्षों से सूखा पड़ा है। इसका परिणाम किसानों और खेतीहर मजदूरों के लिए भारी संकट की घड़ी के रूप में दिखता है जो वैकल्पिक रोजगार के अभाव में और भी कष्टप्रद हो जाता है।

यह योजना ग्रामीण जरूरतमंदों के लिए कुछ रोजगार के अवसर मुहैया कराती है और उन्हें मुआवजा प्राप्त करने हेतु अर्ह बनाती है। इससे गरीबी उन्मूलन भले ही संभव न हो परन्तु यदि इसे निष्ठा के साथ क्रियान्वित किया जाता है तो यह गरीबी कम करने की दिशा में एक बड़ा प्रगतिशील कदम होगा। परन्तु दुर्भाग्यवश इसे निष्ठापूर्वक क्रियान्वित नहीं किया जा रहा है। काफी कम संख्या में रोजगार कार्ड जारी किए जा रहे हैं तथा जहां जारी किए गए हैं, वहां काफी कम लोगों को रोजगार प्राप्त हुए हैं। अपेक्षित भत्तों का भी भुगतान किया गया है। इस योजना के निमित्त निधि को निकाल लिया गया है परन्तु संवितरित नहीं किया गया है।

सरकार को यह असंतोषजनक स्थिति नहीं आने देनी चाहिए। सरकार के पास देश में विशेषकर बिहार में वास्तविक प्रगति की जांच करने हेतु जिलावार निगरानी तंत्र होने चाहिए। इससे इस योजना का अर्थपूर्ण क्रियान्वयन सुनिश्चित होगा।

(पांच) आंध्र प्रदेश में औद्योगिक विकास के लिए प्रोत्साहन पैकेज प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री एम. राजा मोहन रेड्डी (नरसारावपेट): केन्द्र ने औद्योगिक निवेशों को आकर्षित करने हेतु आंध्र प्रदेश को छोड़कर कतिपय अन्य राज्यों को दस वर्षों के लिए आयकर में छूट देने के अलावा उन्हें केन्द्रीय उत्पाद और बिक्री कर में छूट देने संबंधी प्रोत्साहन पैकेज की पेशकश की है। इसके परिणामस्वरूप आंध्र प्रदेश से उद्योगों का पलायन हो रहा है।

आंध्र प्रदेश पिछले 10 वर्षों के दौरान काफी संकट से गुजर चुका है तथा यह राज्य विनिर्माण क्षेत्र में वृद्धि के संबंध में राष्ट्रीय औसत से पीछे चल रहा है। पिछले 10 वर्षों के दौरान इस राज्य में कोई भी नयी वृहत औद्योगिक परियोजना स्थापित नहीं हुई है।

[श्री एम. राजा मोहन रेड्डी]

उद्योगों की औसत वार्षिक वृद्धि दर 2.4% से घटकर 1.1% हो गयी है। पिछले दशक के दौरान इस राज्य में देश में हुए कुल प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का मात्र 4% ही आ पाया है।

यह अनुरोध है कि केन्द्र सरकार उत्तरांचल और हिमाचल प्रदेश को विनिर्माण उद्योगों को बढ़ावा देने के संबंध में पेश किए गए प्रोत्साहनों की तरह आंध्र प्रदेश के तीन क्षेत्रों यथा, तटीय आंध्र प्रदेश, तेलांगाना और रायलसीमा में से एक-एक सर्वाधिक पिछड़े जिलों को प्रोत्साहन मुहैया कराने पर विचार करे।

(छह) गुजरात के मेहसाना संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में ओएनजीसी द्वारा उन किसानों को, जिनकी भूमि का कम्पनी द्वारा अधिग्रहण किया गया है, शेयरों का आबंटन किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल (मेहसाना): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र मेहसाना में जिन लोगों की जमीन ओएनजीसी ने तेल एवं गैस निकालने के लिए अधिग्रहीत की है, वह मध्यम एवं छोटे किसान हैं, जो अपने परिवार के लालन पालन हेतु इन्हीं जमीनों पर आश्रित हैं और जमीन को कम राशि पर मुआवजा देकर उनकी जमीन ले ली जाती है और ओएनजीसी इन जमीनों से करोड़ों रुपये का तेल एवं गैस निकालती है परन्तु जिन लोगों की जमीन से तेल एवं गैस निकलता है, रोजगार के अभाव में उनके परिवार का जीवन नारकीय हो जाता है। ओएनजीसी एक कम्पनी है और उसके शेयर खरीदने एवं बेचने का विचार सरकार कर रही है। अत: मेरा सरकार से कहना है कि जिन लोगों की जमीन को लिया गया है उनको ओएनजीसी कम्पनी का शेयर होल्डर बनाना चाहिए, जिससे गरीब किसान अपने परिवार का लालन पालन कर सके एवं ओएनजीसी के लाभ का कुछ अंश इन गरीब किसानों को मिल सके।

सदन के माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि इस प्रस्ताव पर सहानुभूतिपूर्वक विचार किया जाये।

(सात) गुजरात में प्रभावित औषधियों पर एम.आर.पी. में उत्पाद शुल्क कम करने संबंधी सरकार के निर्णय की समीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वडोदरा): दवाओं के अधिकतम खुदरा मूल्य के 16% से 65% उत्पाद शुल्क लगाने संबंधी भारत सरकार की दिन. 7.1.2005 की अधिसूचना से, जिसे बाद में घटाकर 16% और 60% कर दिया गया, गुजरात में लघु उद्योग गंभीर रूप से प्रभावित हुए हैं। गुजरात के मुख्य मंत्री ने शुल्क दरों और शुल्क ढांचे को तर्कसंगत बनाने हेतु वित्त मंत्री जी को पत्र लिखा था। इस संबंध में राज्य सरकार से अभी तक कोई पत्राचार नहीं किया गया है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इस स्थिति की समीक्षा करे तथा गुजरात में लघु उद्योगों की रक्षा करे जो कि सरकार की हाल की इस अधिसूचना की वजह से प्रतिकूलत: प्रभावित हुए हैं।

(आठ) उच्चतम न्यायालय और विभिन्न उच्च न्यायालयों में न्यायधीशों की नियुक्ति में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रेणी के पात्र व्यक्तियों को आरक्षण प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री कैलाश मेघवाल (टोंक): महोदय, भारत के संविधान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों को केन्द्रीय सरकार एवं राज्य सरकारों के अधीन शासकीय पदों व नौकरियों तथा इनके द्वारा वित्त पोषित एवं नियंत्रित संस्थानों व उपक्रमों की सेवाओं में नियुक्तियों के लिये आरक्षण का प्रावधान किया गया। परन्तु कई क्षेत्रों में आरक्षण के प्रावधानों को लागू नहीं किया जिनमें सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की नियुक्तियों को भी रखा गया। उस समय सन् 1950 की शैक्षणिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए संभवत: यह सोच रहा हो कि सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय की नियुक्तियों हेतु अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में पात्रता व योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की उपलब्धता न हो।

स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद 59 वर्ष का लम्बा अर्सा गुजर जाने के बाद वर्तमान में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों में भी सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालयों में नियुक्ति की पात्रता एवं योग्यता रखने वाले व्यक्तियों की पर्याप्त उपलब्धता है। अत: आरक्षण के प्रावधान अविलंब लागू कर सामाजिक न्याय की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त किया जाये।

(नौ) उड़ीसा में तलचर-बिमलगढ़ रेल लाईन पर निर्माण कार्य को शीघ्र पूरा करने के लिए पर्याप्त निधि स्वीकृत किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री जुएल ओराम (सुंदरगढ़): उड़ीसा के लोगों में 154 कि.मी. तालचर बिमलागढ़ रेलमार्ग के निर्माण में अत्यधिक विलंब

के कारण असंतोष बढ़ रहा है। वर्ष 2004-05 में जब इस मार्ग को संस्वीकृत किया गया था तो इसकी अनुमानित लागत 726.96 करोड़ रुपए थी। परन्तु अब लागत वृद्धि 8000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।

रेलमार्ग का अंतिम अवस्थिति सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया है। परन्तु अभी तक भूमि अधिग्रहण का कार्य आरंभ नहीं किया गया है। रेल मंत्रालय ने वर्ष 2006-07 में भूमि अधिग्रहण के लिए अनुरोध किया था जिसे अभी तक आबंटित नहीं किया गया है।

प्रस्तावित रेलमार्ग से तालचर स्थित एनटीपीएल और अंगुल औद्योगिक क्षेत्रों सहित कोयला, एल्युमीनियम एवं अन्य खनिज पट्टी का बिमलागढ़ के साथ संपर्क स्थापित करेगा जहां अनेक छोटे उद्योग पनपे हैं। इस मार्ग से इस क्षेत्र में खनिज एवं कोयले की ढुलाई में सुविधा मिलेगी और यह एक किफायती मार्ग होगा और माल ढुलाई से रेलवे को काफी राजस्व प्राप्त होगा। इससे जनजातीय लोगों का आर्थिक विकास होगा क्योंकि यह एक ऐसे क्षेत्र से गुजरेगा जहां पारंपरिक रूप से जनजातीय लोग बहुतायत में रहते हैं।

इसलिए मैं, यह मांग करता हूं कि तालचर-बिमलागढ़ रेलमार्ग हेतु पर्याप्त धनराशि संस्वीकृत की जाए ताकि निर्माण कार्य को यथाशीघ्र पूरा किया जा सके।

(दस) मध्य प्रदेश के रीवा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र को ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री चन्द्र मणि त्रिपाठी (रीवा): महोदय, मध्य प्रदेश स्थित मेरा संसदीय क्षेत्र रीवा जो कि अत्यंत पिछड़ा क्षेत्र है। राजनैतिक एवं शैक्षिक रूप से समृद्ध होने के बावजूद विकास एवं औद्योगिक दृष्टि से बिल्कुल ही पिछड़ा क्षेत्र है। यहां पर किसी भी प्रकार के उद्योग धंधे एवं रोजगार प्रदान करने का कोई साधन नहीं होने के कारण क्षेत्र का पढ़ा लिखा नौजवान वर्ग जहां अपने को अंदर से कुंठित महसूस कर रहा है, वहीं गलत कार्यों की ओर, गलत दिशा की ओर भी बढ़ रहा है।

मेरे संसदीय क्षेत्र से जुड़े ग्रामीण क्षेत्रों की स्थिति तो और भी गंभीर है। किसान ऋणग्रस्त है। कई बार फसल प्राकृतिक प्रकोप से नष्ट हो जाती है तो कई बार उपज अच्छी होने के बावजूद उसका उचित मूल्य नहीं मिल पाता। मजदूर वर्ग हाथ पर हाथ रखकर बैठा है। उसको काम नहीं मिल रहा है।

अत: मेरा ग्रामीण विकास मंत्री जी से अनुरोध है कि मेरे संसदीय क्षेत्र की स्थिति को देखते हुए मध्य प्रदेश के रीवा जिले को ग्रामीण रोजगार गारंटी में शामिल किया जाये ताकि रीवा जिले के लोगों को रोजगार प्राप्त हो सके।

(ग्यारह) गुजरात के कच्छ जिले में गांधीधाम-मूंदरा रोड को चार लेन वाला बनाए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): मेरे निवार्चन क्षेत्र अर्थात् गुजरात के कच्छ जिले में मूंदरा एक बहुत महत्वपूर्ण कार्गो-संभलाई पत्तन है जो उत्तरी और मध्य भारत के विशाल आंतरिक क्षेत्र के लिए कार्यरत है। गुजरात अदानी पत्तन के विकास के बाद कार्गो ढुलाई में काफी वृद्धि हुई है। भारत सरकार ने हाल ही में मुंद्रा में विशेष आर्थिक जोन स्थापित करने की अनुमति दी है। अदानी और एनटीपीसी इस विशेष आर्थिक जोन में लगभग 6000 मेगावाट क्षमता वाले मेगा ताप विद्युत संयंत्र स्थापित किए जा रहे हैं। कच्छ में पत्तनों द्वारा वस्तु सामग्रियों की भारी मात्रा में ढुलाई और औद्योगिक विकास के कारण, राष्ट्रीय राजमार्ग-8क (0/6 से 60/0 कि.मी.) के गांधीधाम-मुंद्रा खण्ड में यातायात घनत्व काफी अधिक है, जिसमें भविष्य में अत्यधिक वृद्धि होने की संभावना है। पत्तन संपर्क कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए भूतल परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने एनएचडीपी चरण-2 में गांधीधाम-मुंद्रा खंड को दिसम्बर, 2009 तक पूरा करने की लक्षित तिथि के साथ चार लेनों वाला बनाए जाने के कार्यक्रम को शामिल किया है।

इस क्षेत्र में औद्योगिक विकास की गति को देखते हुए, मैं भारत सरकार से मुंद्रा पत्तन को चार लेन वाले राजमार्ग से पूर्वी-पश्चिमी गलियारे को यथाशीघ्र जोड़ने का अनुरोध करता हूं।

(बारह) पश्चिम बंगाल के मथुरापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के सुंदरबन क्षेत्र में रेलवे नेटवर्क का विस्तार किए जाने की आवश्यकता

प्रो. बसुदेव बर्मन (मथुरापुर): सुंदरबन क्षेत्र (दक्षिणी 24 परगना और पूर्वी 24 परगना जिलों) जिसका ज्यादा हिस्सा मेरे संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, 16 मथुरापुर (अ.जा.) में रहने वाले लोग अपर्याप्त रेल सेवा सुविधाओं के कारण काफी परेशानी से जूझ रहे हैं।

मैं माननीय रेल मंत्री से जयनगर से रायदीथी, कैनिंग से जामतला, जयनगर से धमखाली और पार्क सर्कस से धमखाली हेतु रेल नेटवर्क सुविधाओं का विस्तार करने, बरूईपुर-डायमंड हार्बर खंड में रेलमार्ग का दोहरीकरण जिसमें बरुईपुर-मगराहट ठप-खंड पर ज्यादा ध्यान दिए जाने और कार्य किए जाने की आवश्यकता है और बरुईपुर-लक्ष्मीकांतपुर-काकद्वीप-बामखाना खंड का दोहरीकरण

[प्रो. बसुदेव बर्मन]

किए जाने की आवश्यकता है। यह बात दोहराने की आवश्यकता नहीं है कि यात्री विशेषकर दैनिक यात्री इन खण्डों में एकल रेल पटरी पर भारी दबाव के कारण बुरी तरह प्रभावित है। साथ ही, लक्ष्मीकांतपुर-काकद्वीप-बामखाना उप खण्ड में निश्चिंदपुर एवं काशीनगर स्टेशनों के बीच माधवनगर में हाल्ट स्टेशन की तत्काल आवश्यकता है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि पश्चिम बंगाल के सुंदरबन क्षेत्र के आम लोगों की कठिनाईयों को कम करने के लिए शीघ्र कदम उठाए।

(तेरह) भारतीय नाविकों के हितों की रक्षा के उद्देश्य से वाणिज्य पोत परिवहन अधिनियम, 1958 में संशोधन किए जाने की आवश्यकता

श्री सुनील खां (दुर्गापुर): यह रिपोर्ट मिली है कि गहरे समुद्र में नियमित रूप से काफी संख्या में नाविक मारे जाते हैं। यह भी अमानवीय है कि गायब होने वाले भारतीय नाविकों का कुछ पता नहीं चलता है। 12 अक्तूबर, 2005 को पोत एमएससी कारमेन से हसन जहीर का चार अन्य लोगों के साथ दुखद एवं रहस्यमय ढंग से गायब होना इन मामलों में से एक है। भारत सरकार का रवैया अत्यंत ही उदासीन है। यह भी सच है कि साक्ष्य को मिटाना इन मामलों में आम बात हो गई है। दु:खी परिवार न्याय के लिए दर-दर भटकते हैं। मर्चेंट शिपिंग एक्ट, 1958 में संशोधन करने की उचित मांग की गई है।

इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से "भारत के किसी नागरिक की जान की हानि" पंक्ति जोड़ते हुए अधिनियम में संशोधन करने का अनुरोध करता हूं।

(चौदह) उत्तर प्रदेश में दो फिलिंग स्टेशनों के बीच पांच किलोमीटर की दूरी बनाए रखते हुए पेट्रोल पम्पों के आबंटन के लिए एक नीति तैयार किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री तूफानी सरोज (सैदपुर): महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के पेट्रोल पम्प डीलरों में व्याप्त निराशा की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। सरकार ने जब से सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को चयन समिति का अधिकार दे दिया है तबसे पेट्रोल पंप स्थापित करने की गलाघोट प्रतियोगिता शुरू हो गयी है। सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा जो पेट्रोल पंप स्वीकृत किये जाते हैं, नियमत: उनके बीच की दूरी कम से कम पांच कि.मी. होनी चाहिए। लेकिन इस गलाघोट प्रतियोगिता का परिणाम यह हो रहा है कि तेल कंपनियां नियम की धज्जी उड़ाने लगी है और एक कंपनी जहां पेट्रोल पंप स्थापित करने की स्वीकृति देती है दूसरी कंपनी उसके बहुत ही करीब अपना पेट्रोल पंप स्थापित करने की स्वीकृति दे देती है। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्रों में जो पेट्रोल पंप स्वीकृत व स्थापित किए जा रहे हैं दूसरी कंपनियां उससे थोड़ी ही दूर पर अपना पेट्रोल पंप स्थापित करने में अपना सम्मान समझने लगी है। इसका परिणाम यह हो रहा है कि अधिकांश पेट्रोल पंप बंद होने के कगार पर आ गए हैं।

अत: आपके माध्यम से मैं सरकार से आग्रह करना चाहता हूं कि वह सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियों को यह निर्देश जारी करने का कष्ट करें कि जहां एक पेट्रोल पंप स्थापित किया गया हो, दूसरी कंपनी उस पेट्रोल पंप से कम कम पांच कि.मी. की दूरी पर अपना पेट्रोल पंप स्थापित करें।

(पन्द्रह) उत्तर प्रदेश के चायल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में मनौरी रेलवे स्टेशन पर 4164 डाउन संगम एक्सप्रेस तथा चौरी-चौरा एक्सप्रेस को ठहराव दिए जाने की आवश्यकता

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): महोदय, मेरे संसदीय क्षेत्र के रेलवे स्टेशन मनौरी पर 4164 डाउन, संगम एक्सप्रेस एवं चौरी चौरा अप-डाउन का ठहराव किया जाये। क्योंकि मनौरी स्टेशन वायुसेना, जी.टी. रोड, व्यावसायिक कस्बा टाउन एरिया चायल एवं सराय अकिल तथा लगभग 25 गांवों के लोगों को प्रतिदिन कानपुर व इलाहाबाद आना जाना रहता है, जिसमें सैंकड़ों व्यापारी, नौकरीपेशा अधिकारी, कर्मचारी, छात्र व आम जनता सफर करते हैं। उपरोक्त दोनों ट्रेनों के ठहराव से रेलवे की आय भी बढ़ेगी।

मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि जन भावनाओं का आदर करते हुए उपरोक्त दोनों ट्रेनों का मनौरी स्टेशन पर एक-एक मिनट ठहराव कराने की कृपा करें।

(सोलह) बिहार में मुसहर समुदाय के सामाजिक-आर्थिक उद्धार के लिए कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री राजेश कुमार मांझी (गया): महोदय, मैं आपका ध्यान बिहार राज्य में अनुसूचित जातियों में सबसे पिछड़ा मुसहर समुदाय की दुर्दशा की ओर ध्यान आकृष्ट करता हूं। बिहार राज्य में इसकी आबादी 2.5 प्रतिशत है और इस समुदाय की सामाजिक और आर्थिक दशा का आंकलन राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने कराया था और इससे संबंधित सक्सेना रिपोर्ट केन्द्र को सौंप दी गयी थी। इस ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा सक्सेना रिपोर्ट को आधार बनाकर मुसहर परिवारों को आवास हेतु जमीन, इंदिरा आवास, पेयजल, सम्पर्क पथ, खाद्य सुरक्षा, पोषण एवं स्वास्थ्य व्यवस्था, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा, कौशल विकास एवं अत्याचार पर

रोकथाम आदि पर विस्तृत कार्य योजना बनाकर उसे सौंपने के लिए कहने के बावजूद राज्य सरकार आज तक कोई कार्य योजना नहीं बना सकीं, जिसके कारण आज यह समुदाय मुख्य धारा में पिछड़ गया है।

माननीय महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय ग्रामीण विकास मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि सक्सेना रिपोर्ट को आधार बनाकर यथाशीघ्र मुसहर समुदाय के सामाजिक, आर्थिक उत्थान हेतु उपयुक्त सहायता प्रदान करें।

(सत्रह) कृष्णागिरि में एक आयुध कारखाने की शीघ्र स्थापना किए जाने तथा तमिलनाडु के अन्य आयुध कारखानों में विद्यमान अवसंरचनात्मक सुविधाओं का उन्नयन करने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्री ई.जी. सुगावनम (कृष्णागिरि): महोदय, हमारे देश में इस समय 39 आयुध कारखाने हैं जो कि 24 स्थानों पर अवस्थित हैं। इनमें से केवल 6 इकाइयां तमिलनाडु में हैं। आयुध कारखाना संगठन देश का सर्वाधिक विशाल एवं पुराना विभागीय रूप से संचालित उत्पादन इकाई है और यह मुख्यतया रक्षा सेनाओं के लिए रक्षा हार्डवेयर यथा हथियारों, गोलाबारूद, वाहनों (बख्तरबंद एवं परिवहन), कपड़ों, सामान्य भंडारों तथा उपस्करों का उत्पादन करती है।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र कृष्णागिरि में कृष्णागिरि और धरमपुरी दो जिलें हैं। यहां काफी पर्वतीय भूभाग तथा सपाट भूमि है। यह जिला तमिलनाडु के सर्वाधिक पिछड़े जिले के रूप में सूचीबद्ध है और औद्योगिकीकरण में पीछे है। जनगणना-2001 के अनुसार यहां शहरीकृत क्षेत्र मात्र 11.36% है।

कृष्णागिरि जिले में एक आयुध कारखाना की स्थापना किए जाने की मांग काफी समय से लंबित है और इस प्रयोजनार्थ एक प्रस्ताव केंद्र सरकार के पास है। 500 एकड़ से अधिक सरकारी भूमि का विशाल क्षेत्र कृष्णागिरि जिले के पोचमपल्लि तालुक में खाली पड़ी हुई है और इसकी पहचान वहां आयुध कारखाना की स्थापना के लिए की गई है। लेकिन अभी तक इस संबंध में कोई प्रगति नहीं हुई है।

अत:, मैं माननीय मंत्री जी से यह अनुरोध करता हूं कि कृष्णागिरी में आयुध कारखाना की स्थापना के प्रस्ताव पर त्वरित कार्रवाई की जाए और तमिलनाडु स्थित सभी आयुध कारखानों में विद्यमान सुविधाओं एवं अवसंरचना का उन्नयन भी किया जाए।

(अठारह) उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर जिला को-आपरेटिव बैंक के कार्यकरण की निगरानी किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

मो. मुकीम (डुमरियागंज): महोदय, जनपद सिद्धार्थनगर में जिला सहकारी बैंक तथा इसकी समस्त इकाइयां दिवालिया हो गयी हैं। जिला सहकारी बैंक तथा इसकी इकाइयों में जी.आर.वाई. का खाता, प्राथमिक विद्यालयों तथा छात्रवृत्तियों का खाता, ग्राम सभाओं का खाता, विभिन्न विकासात्मक कार्य हेतु खोले गये सरकारी खाते और गरीब व मजलूम किसानों के व्यक्तिगत खातों का संचालन होता है। उक्त बैंक में भारी वित्तीय अनियमितता कर इसको दिवालिया बना दिया गया है। परिणामत: सभी तरह के खाताधारक दर-दर भटकने को मजबूर हैं तथा सभी प्रकार के विकास कार्य अवरुद्ध हो गये हैं।

अत: आपके माध्यम से सरकार से अनुरोध है कि जिला सहकारी बैंक सिद्धार्थनगर को दिवालियापन बनाने वाले जिम्मेदार अधिकारियों और पदाधिकारियों के खिलाफ उच्चस्तरीय जांच करायी जाए, साथ ही खाताधारकों की समस्त देनदारियां यथाशीघ्र सुनिश्चित की जाएं ताकि विकास तथा अन्य कार्य प्रभावित न हो सकें।

(उन्नीस) तमिलनाडु के पोल्लाची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में वलपरई के विकास के लिए विशेष पर्वतीय क्षेत्र निधि प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

डा. सी. कृष्णन (पोल्लाची): चाय और कॉफी बागानों वाला वलपरई पर्वतीय क्षेत्र तमिलनाडु के कोयम्बटूर जिला स्थित मेरे निर्वाचन क्षेत्र का भाग है।

यहां बागानों में काम करने वाले गरीब दिहाड़ी मजदूर केवल 65/- रुपए प्रतिदिन अर्जित करते हैं और यह राशि परिवार का भरण-पोषण करने के साथ ही उनके बच्चों की शिक्षा के लिए पर्याप्त नहीं है। अत:, मैं अनुरोध करता हूं कि वलपरई को पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित किया जाए ताकि इस क्षेत्र में कारोबार परिदृश्य में सुधार हो सके और इसके साथ ही स्थानीय लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए काफी बड़े कॉफी एवं चाय से संबंधित उद्योगों की भी स्थापना की जानी चाहिए।

वलपरई शहरी सड़क का उचित ढंग से रख-रखाव किया जाना चाहिए ताकि पर्यटकों को आकर्षित किया जा सके तथा नए भवनों के साथ अस्पताल सुविधाओं में सुधार किया जाना चाहिए।

[डा. सी. कृष्णन]

इन सभी प्रयोजनों के लिए विशेष पर्वतीय क्षेत्र निधि को आबंटित की जानी चाहिए।

(बीस) नागालैंड में शांति स्थापना के लिए शीघ्र समाधान निकालने हेतु एन.एस.सी.एन. (आई.एम.) के साथ बातचीत आगे बढ़ाए जाने की आवश्यकता

श्री डब्ल्यू. वांग्यू कोन्यक (नागालैण्ड): बार-बार युद्ध विराम की अवधि के विस्तार के माध्यम से नागालैंड राज्य में छिटपुट घटनाओं को छोड़कर शांति व्याप्त है और युद्धविराम की अवधि का विस्तार लगातार किए जाने के कारण नागालैंड में शांति एवं सामान्य स्थिति का बोध बढ़ता हुआ रूप में देखा जा सकता है। लोग अधिकाधिक आश्वस्त हो रहे हैं और अच्छी अवस्था के इस बोध के फलस्वरूप वे विभिन्न सामाजिक और आर्थिक क्रियाकलापों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित हुए हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों सहित राज्य में आने वाले पर्यटक और यात्री अक्सर उन प्रमुख परिवर्तनों को देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं जो कि 1997 में पहली बार युद्धविराम समझौते पर हस्ताक्षर होने के पश्चात् छोटी अवधि में जो यहां हुआ है। अत:, हमारे लोग अब यह मांग कर रहे हैं कि यहां हमेशा के लिए शांति बरकरार रहनी चाहिए।

मैं यह स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि नागालैंड राज्य सरकार डेमोक्रेटिक एलायन्स आफ नागालैंड (डीएएन) की नीति सभी धड़ों के साथ समान रूप से निकटता की है और सरकार ने शांति संबंधी परामर्शदात्री समिति का गठन किया है। सी.सी.पी. के माध्यम से सरकार ने सभी धड़ों से संपर्क किया था और जटिल नगा समस्या के सौहार्दपूर्ण समाधान के लिए भारत सरकार के साथ वार्ता करने का अनुरोध किया था। राज्य सरकार का कर्त्तव्य भारत सरकार तथा संघर्षरत दलों के बीच मध्यस्थ की भूमिका को निभाना है। अब एनएससीएन (आईएम) ने अपना प्रस्ताव भारत सरकार को प्रस्तुत कर दिया है और भारत सरकार इस पर गंभीरतापूर्वक विचार कर रही है। भारत सरकार को मुद्दे का समाधान यथाशीघ्र करने का प्रयास करना चाहिए।

अंत:, मैं भारत सरकार से इस गंभीर मुद्दे के बारे में वार्ता में तेजी लाने तथा जटिल नागा समस्या का राजनैतिक रूप से सम्मानीय तथा नागा जनता के सभी धड़ों को स्वीकार्य रूप में हल करने का अनुरोध करता हूं।

अपराह्न 01.46 बजे

केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा मद सं. 20-केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पर चर्चा करेगी।

वस्त्र मंत्री (श्री शंकर सिंह वाघेला): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार किया जाए।"

श्री अनंत कुमार (बैंगलोर दक्षिण): महोदय, माननीय वस्त्र मंत्री ने इस सभा द्वारा विचार किये जाने हेतु केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 प्रस्तुत किया है। विधेयक पहले ही राज्य सभा द्वारा पारित कर दिया गया है। सर्वप्रथम मैं यह कहना चाहता हूं कि रेशम उत्पादन कृषि का एक हिस्सा है और यह विषय समवर्ती सूची में आता है।

महोदय, हम उदारीकरण की अर्थव्यवस्था के दौर से गुजर रहे हैं। माननीय मंत्री महोदय ने सतत प्रयास किया है कि रेशम उत्पादन की सम्पूर्ण प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण किया जाए। यह सर्वविदित तथ्य है कि रेशम का उत्पादन मुख्यत: कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, असम और बंगाल जैसे राज्यों में होता है। कर्नाटक में पिछले 200 वर्ष से रेशम उत्पादन हो रहा है तथापि मैं मंत्री महोदय के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि इस संशोधन के द्वारा सरकार विकेन्द्रीकरण की जगह केन्द्रीयकरण करने जा रही है। इस विधेयक में समानान्तर तंत्र तथा प्रणालियां बनाए जाने के प्रावधान हैं। इस विधेयक में ऐसी धाराएं हैं जिनसे और अधिक बाधाएं, और अधिक लाइसेंस चरण पैदा होंगे तथा और अधिक विलम्ब होगा जो कि रेशम उद्योग के लिए एक सुखद संकेत नहीं है।

महोदय, कर्नाटक राज्य रेशम का प्रमुख उत्पादक राज्य है। मैं माननीय मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहता हूं कि गत 15 वर्षों के दौरान कर्नाटक सरकार ने उच्च उत्पादकता वाली शहतूत की किस्मों के उत्पादन की नीति को अपनाया है। वहां रेशम कोया उत्पादकता 100 डीएफएल रही है। उत्पादन वर्ष 1991 में प्रति 100 डीएफएल रेशम कोया पर 28 किलोग्राम से बढ़कर वर्ष 2005-06 में प्रति 100 डीएलएफ रेशम कोया पर 53 किलोग्राम हो गया है। प्रति हेक्टेयर रेशम कोया उत्पादन तथा आय वर्ष 1991 में 394 किलोग्राम था लेकिन वर्ष 2005-06 में यह बढ़कर 632 किलोग्राम हो गया।

वर्ष 1991 में रेशम का कुल उत्पादन 66,224 मीट्रिक टन था जो आज 2005-06 में 7071 मीट्रिक टन है। वर्ष 1991 में 9.5 प्रतिशत से वर्ष 2005-06 में 7.42 प्रतिशत वृद्धि हुई है। प्रति हेक्टेयर रेशम उत्पादन में वृद्धि हुई है। वर्ष 1991 में प्रति हेक्टेयर रेशम उत्पादन 41.5 किलोग्राम था। वर्ष 2005-06 में यह बढ़कर 93.6 किलोग्राम हो गया है। इसमें 100 प्रतिशत से अधिक वृद्धि हुई है।

उत्पादन लागत में काफी वृद्धि होने के साथ-साथ किसानों की आय भी बढ़ी है। वर्ष 1991 में प्रति हेक्टेयर औसत आय 29,861 रुपये थी तथा अब यह बढ़कर वर्ष 2005-06 में 78,987 रुपये हो गई है। कच्चे रेशम की गुणवत्ता एवं कीमतों में वृद्धि हुई है। औसत कीमत वर्ष 1991 में 705 रुपये प्रति किलोग्राम थी जो बढ़कर वर्ष 2005-06 में 1052 रुपये प्रति किलोग्राम होगई है।

अपराह्न 01.51 बजे

[श्री मोहन सिंह *पीठासीन* हुए]

अरुचिकर कार्य में भी कमी आई है। जब सभी राज्यों विशेषकर कर्नाटक में रेशम पालन एवं उत्पादन में सुधार हुआ है तो प्रस्तावित विधेयक में कर्नाटक राज्य रेशम कीटपालन मंत्रालय की कुछ शक्तियों को छीनकर केंद्र रेशम बोर्ड को देने की क्या आवश्यकता है। वास्तव में हरेक राज्य ने अपना अधिनियम बनाया है। उदाहरण के लिए, वर्ष 1959 से ही कर्नाटक रेशम कीट कोया, रेशम यार्न विनियम, खरीद, आपूर्ति, वितरण तथा बिक्री अधिनियम, 1959 नामक एक त्रुटिरहित विधान है जो गुणवत्तापूर्ण रेशम कीटों का उत्पादन, रेशम के कीटों का पालन, नियंत्रण, निपटान, बिक्री या खरीद, रेशम कीट कोया, लाइसेंस तथा रीलिंग संस्थापनाओं, रेशम बाजार में रेशम कोयों की स्थापना एवं संरक्षण को विनियमित करता है। यह विद्यमान विधि है तथा यह पर्याप्त है। यह रेशम कीटों की गुणवत्ता, रखरखाव के लिए पर्याप्त है।

आप अच्छी तरह से वाकिफ है तथा यह सभा भी मानती है कि रेशम उत्पादन या रेशम कीटपालन में दो महत्वपूर्ण भाग हैं। एक शहतूत की खेती है जो कि किसान कर रहे हैं तथा दूसरा अण्डों का उत्पादन हैं तथा इन अण्डों का पालन की अनुमानित उत्पादकों अर्थात् किसानों द्वारा किया जाता है। उत्पादन से अण्डे बनने तक, अण्डों के सेवन से पालन तक, रेशम कोया एवं रीलिंग तक की अवस्था तक, सारी गतिविधियां राज्य रेशम कीटपालन विभाग के अंतर्गत आती हैं। एक राज्य प्रमाणीकरण एजेंसी है। जब राज्य प्रमाणीकरण एजेंसी है तो मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड को भी यही दायित्व सौंपने का औचित्य नहीं समझ पा रहा हूं। इस बारे में आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करना चाहता हूं। वे वस्त्र तथा रेशम कीटपालन की और भी अधिक जानकारी रखते हैं। रीलिंग, सुतली बनने तथा बुनाई के बाद फिर वस्त्र तथा बाजार आता है। रीलर्स की दशा काफी खराब है वस्तुत: उनके पास पुरानी प्रौद्योगिकी और मशीनरी हैं। इस वजह से वे लोग और चीन के साथ मशीनरी और प्रौद्योगिकी के मामले में प्रतिस्पर्धा नहीं कर पा रहे हैं। यदि वे स्वचालित रीलर्स खरीदना चाहे तो उन्हें 1.5 करोड़ रुपये खर्च करने पड़ेंगे तथा उनके पास निवेश करने की क्षमता नहीं है।

इसलिए, मेरा सरकार तथा माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध है कि रीलर्स को अत्याधुनिक मशीनरी, जो कि चीन तथा जापान दोनों में प्रयोग की जा रही है। उपलब्ध करायी जाए। दूसरी बात यह है कि वे प्रतिदिन रेशम कोया खरीदते हैं। प्रतिदिन वे चरखे जैसे रीलर्स में उसे समेटते हैं। इसका कारण यह है कि उनके पास धन का अभाव है।

मेरा भाग्य अच्छा है कि वित्त मंत्री भी यहां उपस्थित हैं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: बाई द वे मंत्री जी आ गए हैं।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: उन्हें माननीय वस्त्र मंत्री महोदय तथा सम्पूर्ण रेशम कीटपालन व्यापार, विशेषकर रीलर्स का बचाव करना चाहिए। हमें ऋण सुविधा की आवश्यकता है। हमें दैनिक आधार पर कार्यकारी पूंजी की आवश्यकता है। चीनी और भारतीय रेशम के बीच विपणन तथा समान प्रतिस्पर्द्धात्मक स्थिति का प्रश्न है। हमारे देश में रेशम कोया के अधूरे अनुसंधान तथा विकास कार्य के कारण गुणवत्ता की समस्या है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का प्रमुख कार्य रेशम कोयों और उनकी प्रक्रियाओं का अनुसंधान और विकास हैं। इसलिए उनको इसी क्षेत्र में अधिक ध्यान देना चाहिए।

मैं रेशम कीटपालन तथा रेशम उद्योग में कर्नाटक के योगदान की कुछ महत्वपूर्ण विशेषताओं को उजागर करना चाहता हूं। कर्नाटक में भारत के कच्चे रेशम का पचास प्रतिशत उत्पादन होता है। कर्नाटक विशेषकर बैंगलोर तथा कोलार क्षेत्रों को रेशम की भूमि के रूप में जाना जाता है। हमारे माननीय मंत्री महोदय श्री के.एच. मुनियप्पा भी यहां उपस्थित है। कर्नाटक को स्वर्ण संदल रेशम तथा कॉफी की धरती के रूप में जाना जाता है।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश (कनकपुरा): महोदय, श्री अनंत कुमार जो कह रहे हैं, मैं स्वयं को उससे संबद्ध करती हूं।

श्री अनंत कुमार: मैं श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश की सराहना करता हूं कि उन्होंने मेरा समर्थन किया।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अनंत कुमार जी, आप अपनी बात जल्दी समाप्त कीजिए।

श्री अनंत कुमार: यह महोदय, यह बहुत बड़ा मुद्दा है, इसलिए मुझे थोड़ा समय और दीजिए।

[अनुवाद]

विश्व के लगभग 5.62 प्रतिशत रेशम का उत्पादन कर्नाटक में होता है। हम बारह लाख लोगों को रोजगार प्रदान कर रहे हैं। हमारे यहां 12,252 रीलिंग इकाइयां हैं तथा एक लाख से अधिक रीलिंग कामगार हैं। हमारे यहां 71 सरकारी ग्रेनेज, 477 निजी ग्रेनेज, 66 कोया बाजार तथा 10 रेशम केंद्र हैं। हमारे यहां 96 रेशम फार्म हैं, 246 कोया पूर्व तथा 17 कोया पश्चात् तकनीकी सेवा केंद्र हैं। वहां एक अनुसंधान तथा विकास संस्थान है। इसके लिए हमारे यहां अपेक्षित संख्या में अधिकारी हैं। हमारे यहां विस्तार प्रौद्योगिकी के हस्तांतरण, निरीक्षण तथा निगरानी की सुविधा है। यह सब प्रभावी रूप से किया जा रहा है।

मैं माननीय मंत्री महोदय की जानकारी में वह बात लाना चाहता हूं जो संसद की वाणिज्य संबंधी विभागीय स्थायी समिति ने 31 मई, 1995 को प्रस्तुत रेशम कीटपालन संबंधी अपने चौदहवीं प्रतिवेदन में कही थी। स्थायी समिति ने सर्वसम्मत रूप से पाया:

> "समिति ने पाया कि सीएसबी जिससे कि विकसित होती किस्मों पर अनुसंधान क्रियाकलापों को बढ़ावा देकर तथा शहतूत की खेती, रेशम कीटपालन रीलिंग तथा कटाई संबंधी क्रियाकलापों इत्यादि हेतु बेहतर पद्धतियों के लिए तौर-तरीके तलाशकर रेशम को बढ़ावा देना तथा उसे विकसित करना अपेक्षित था, को राज्य सरकारों के रेशम कीटपालन विभाग के कार्य क्षेत्र के अन्य क्षेत्रों में अपने क्रियाकलापों का विस्तार करना पड़ा।"

अपराह्न 2.00 बजे

> "परिणामस्वरूप सीएसबी द्वारा चलाई गई कुछ विकास योजनाओं/कार्यक्रमों जैसे कि शहतूत की खेती को बढ़ावा देने हेतु विस्तार केन्द्रों, डीएफएल के उत्पादन, बीज वितरण आदि का उचित रूप से गठन नहीं किया जा रहा था। ऐसा लगता है कि सीएसबी को इन गैर-निर्धारित क्षेत्रों में हस्तक्षेप करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि कुछ राज्य सरकारों ने उन्हें सौंपे गए कार्य के प्रति उदासीन रवैये को अपनाया।"

परन्तु कर्नाटक उनमें से नहीं है। रेशम उत्पादन के क्षेत्र में कर्नाटक एक प्रमुख राज्य है। मैं पुन: उद्धृत करता हूं:-

> "हालांकि समिति सीएसबी की विवशताओं को समझती है, फिर भी इसका मानना है कि सीएसबी को जो क्रियाकलाप सौंपे नहीं गए हैं, उन्हें धीरे-धीरे बंद कर देने चाहिएं और राज्य सरकार पर ये क्रियाकलाप छोड़ देने चाहिएं चूंकि वस्तुत: यह उसी का कार्य क्षेत्र है।"

रेशम कीटपालन के संबंध में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति की यह स्पष्ट व सर्वसम्मत सिफारिश है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप समाप्त कीजिए।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: इसलिए, मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि उन्हें विधेयक में से संबंधित उपबंधों को हटा देना चाहिए।

अब मैं आधे मिनट में धारा 8ख समिति की शक्तियां तथा कार्य पढ़कर सुनाता हूं। मैं अनुरोध करता हूं कि रेशम कीट बीज की किस्म के लिए गुणवत्ता मानक निर्धारित करने, व्यावसायिक दोहन हेतु रेशम कीट प्रजातियों तथा संकरों के प्राधिकरण को छोड़कर संपूर्ण उप-धारा 8ख(1)(2) तथा उप-धाराओं और (iii) से (viii) तक की अन्य सभी उप-धाराओं को हटा दिया जाए क्योंकि फील्ड क्रियाकलाप किसान विस्तार सेवा बीज, प्यूपा पालन निगरानी तथा परीक्षण प्रमाणन तथा मोथ की जांच आदि कार्य राज्य सरकारों के अंतर्गत आने चाहिएं। इसलिए, यह राज्य सरकार का क्रियाकलाप है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से यह सब हटा देने का अनुरोध करता हूं।

द्वितीय, मैं माननीय मंत्री महोदय से प्रस्तावित विधेयक की धारा 8(ङ) में उपधारा (1), (2) तथा (3) तथा धारा (3) की उप-धारा (क) से (घ) तथा 8(ङ) की उप-धारा (4) को हटाने का अनुरोध करता हूं।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: सब डिलीट कर दें तो रखें क्या?

श्री अनंत कुमार: इसमें रखने के लिए काफी कुछ है।

सभापति महोदय: अब समाप्त कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: मैं समाप्त कर रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

श्री शंकर सिंह वाघेला: सभापति महोदय, मैं इस बारे में कुछ कहना चाहता हूं।

सभापति महोदय: आप बाद में जवाब दीजिए।

श्री शंकर सिंह वाघेला: मैं पूरी बात बता देता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं एक ही मिनट लूंगा।

सभापति महोदय, इनके मंत्री श्री गोड्डा कल मिले थे। उन्होंने फोन किया था तो मैंने कहा कि आप दिल्ली आ जाइए। कल मेरे आफिसर्स के साथ डिटेल में उनकी मीटिंग हुई है। मंत्री महोदय राजशेखरन जी भी साथ थे। श्री मुनिअप्पा, कर्नाटक की माननीय सदस्य श्रीमती तेजस्विनी और बाकी दोस्त भी हमें कर्नाटक के बारे में मिले हैं। मैं इतना ही कहूंगा कि चाहे कोई भी राज्य सरकार हो, इसकी चिन्ता न करें। हम रियली डीसैंट्रलाइजेशन आफ पावर के बारे में मानते हैं, लेकिन चीन का जो कम्पीटिशन हो रहा है, उसके हिसाब से पूरे देश के 12-14 जितने भी राज्य हैं, बिल सब पर लागू होगा। इसलिए जब रूल फ्रेम करने का मामला आएगा, तब सब राज्यों के साथ बैठकर बात करेंगे, उसके बाद प्लानिंग करेंगे, जिससे आप जो कहते हैं, वह प्राब्लम नहीं आए। मुझे इतना ही इटरवीन करना था। ...*(व्यवधान)* राज्य मंत्री द्वारा विस्तृत उत्तर दिया जाएगा।

सभापति महोदय: आप इसे आश्वासन मान लें।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार: महोदय, इस आश्वासन के लिए मैं माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं। माननीय कीटपालन मंत्री श्री रामचन्द्र गोड्डा, कर्नाटक सरकार तथा श्री के.एच. मुनियप्पा ने विशेष रुचि दिखाई है। हमारे अन्य सभी संसद सदस्यों ने भी विशेष रुचि दिखाई है। मेरा एकमात्र अनुरोध है कि प्रणाली में दोहराव नहीं होना चाहिए। राज्य सरकारों द्वारा किए जा रहे क्रियाकलापों की निगरानी नहीं होनी चाहिए। विकेन्द्रीकरण से केन्द्रीकरण नहीं होना चाहिए।

महोदय, माननीय वस्त्र मंत्री श्री शंकर सिंह वाघेला मेरे साथ-साथ इस सभा को पहले ही आश्वासन दे चुके हैं वे नियम बनाने में पर्याप्त ध्यान रखेंगे। मैं उनसे भी अनुरोध करता हूं कि यदि संभव हो तो नवम्बर में अगले सत्र में विधेयक से इन खण्डों को हटाने के लिए हमें संशोधन लाने की अनुमति भी दी जानी चाहिए।

इन शब्दों के साथ ही यह विधेयक लाने के लिए मैं एक बार फिर माननीय मंत्री महोदय का धन्यवाद करता हूं।

[हिन्दी]

डा. राजेश मिश्रा (वाराणसी): सभापति महोदय, मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 का पुरजोर समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। मैं बधाई देना चाहूंगा कि कर्नाटक में शुरू से रेशम पैदा करने के क्षेत्र में अच्छा काम किया है। लेकिन जब विपक्ष के माननीय साथी इस पर चर्चा कर रहे थे तब हम यह कहना चाहते हैं कि आज की परिस्थितियों में, विश्व के परिवेश में चाइना से रेशम के क्षेत्र में लगातार प्रतिस्पर्धाएं हो रही हैं। जिसका परिणाम यह हुआ कि आज हिन्दुस्तान का बुनकर, यूपीए सरकार जब से सत्ता में आयी है, उसके बाद रेशम के क्षेत्र में, हैंडलूम के क्षेत्र में लगातार सब्सिडी और अन्य सारी सुविधाओं को देने के बाद भी आज तक हम यह नहीं कह सकते कि हिन्दुस्तान का बुनकर अपने पैरों पर खड़ा हो पाया है। यही स्थिति किसानों की हैं। ...*(व्यवधान)* जब यह संशोधन विधेयक पेश हो रहा है, तो हम दो चीजें जानना चाहते हैं कि क्या केन्द्र सरकार का यह अधिकार नहीं है कि वह यह संशोधन कर पाये? माननीय सदस्य समवर्ती सूची की चर्चा कर रहे थे। यह सही है कि समवर्ती सूची का विषय है, लेकिन संशोधन तो हो सकता है। देश के व्यापक इंटरैस्ट में सरकार कोई कानून तो बना सकती है जिससे रेशम के किसान, वीवर्स जो इस क्षेत्र में लगे हुए हैं, उन सबको फायदा हो सके। इस तरह का कानून बनता है। आज कर्नाटक हिन्दुस्तान में 51 परसेंट रेशम प्रोडेक्ट करता है। समय-समय पर सरकारों ने हिन्दुस्तान के दूसरे प्रांतों में और दूसरे प्रान्तों के दूसरे राज्यों में किसानों को ढेर सारी सुविधाएं दीं ताकि लोग रेशम पैदा करें। उस प्रक्रिया को अपनायें जिससे रेशम ज्यादा से ज्यादा हिन्दुस्तान में हो। उसके बाद हम यहां तक कहना चाहेंगे कि इस क्षेत्र में जितनी और सुविधाएं हम दे सकते हैं, उसे भी इसमें इन्कलूड करना चाहिए। उन सुविधाओं को इसमें इन्कलूड करके उन किसानों को, जो इस कारोबार से जुड़े हुए बुनकर हैं, उन्हें और ज्यादा से ज्यादा सुविधाएं दी जायें। हम चाइना को देख रहे हैं। जो कपड़ा हिन्दुस्तान में 800 रुपये में तैयार होता है, उससे कम कीमत पर अच्छा कपड़ा तैयार होकर यहां आ रहा है। यदि उस प्रतिस्पर्धा में हमारे हिन्दुस्तान के किसान और बुनकर कम्पीट नहीं करेंगे, तो करोड़ों लोग जो इस पेशे में लगे हुए हैं, उनका क्या होगा?

जहां तक कर्नाटक की बात है, तो वहां के किसानों को और ज्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है जिससे वह और ज्यादा रेशम पैदा कर सकें। लेकिन उसके साथ-साथ वही दृष्टिकोण पूरे हिन्दुस्तान के लिए अपनाया जाये। सरकार जब उनको और ज्यादा राहत देगी तब हम समझते हैं कि आज की प्रतिस्पर्धा में हिन्दुस्तान

[डा. राजेश मिश्रा]

कम्पीट कर पायेगा। पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने इन संशोधन के लिए रिकमंड किया था। राज्य सभा ने इस संशोधन बिल को आलरेडी पास किया है। हम यह कहना चाहते हैं कि इस संशोधन की स्वीकृति के बाद सरकार को इस बात पर ध्यान देना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा रेशम हिन्दुस्तान में और कैसे पैदा किया जा सकता है? हमें यह देखना होगा कि आज कर्नाटक को 51 प्रतिशत रेशम पैदा कर रहा है, वहां रेशम का उत्पादन 60-65 प्रतिशत तक कैसे बढ़े और उससे जुड़े हुए जो वीवर्स हैं, उनको कितनी ज्यादा सुविधाएं दी जा सकती हैं ताकि चाइना के प्रकोप से मुक्ति पाई जा सके और यहां के रेशम पैदा करने वाले किसानों और वीवर्स की स्थिति में सुधार हो सके।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करते हुए, इस बिल का पुरजोर समर्थन करता हूं और विश्वास करता हूं कि सरकार इस क्षेत्र में बुनकरों और किसानों को और ज्यादा समर्थन देगी ताकि वे मजबूती से खड़े हो सकें।

[अनुवाद]

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): सभापति महोदय, माननीय मंत्री ने यह स्वीकार किया है कि उदारीकरण और वैश्वीकरण के कारण सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों से देश के रेशम उद्योग पर इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप रेशम उद्योग के कुछ क्रियाकलापों का नियमन किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, इस सच्चाई से कोई इंकार नहीं कर सकता कि देश में कर्नाटक एक प्रमुख रेशम उत्पादन करने वाला राज्य है और हमारे देश के कुल रेशम उत्पादन में से 51 प्रतिशत रेशम का उत्पादन कर्नाटक द्वारा किया जाता है। कर्नाटक के अलावा चार अन्य राज्यों में भी रेशम का उत्पादन होता है और इन सभी राज्यों ने अपने अधिनियम बनाए हैं।

मैंने श्रम संबंधी स्थायी समिति के प्रतिवेदन को पढ़ा है। प्रतिवेदन में कहा गया है कि रेशम का उत्पादन करने वाले बड़े राज्यों के विचारों को लिया गया है। कर्नाटक द्वारा जो आपत्तियां उठाई गई है उसका कुछ आधार है इसलिए यह आश्वासन दिया जाना आवश्यक है कि प्रस्तावित संशोधनों से वर्तमान ढांचा प्रभावित नहीं होगा। तमिलनाडु सरकार ने भी विद्यमान संशोधन विधान में प्रस्तावित संशोधनों के संबंध में कुछ गंभीर आपत्तियां उठाई है। कर्नाटक सरकार ने कहा है कि यदि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अपने उद्देश्यों और जनादेश को पूरा करने के लिए कार्य करता है तो उसकी भूमिका स्वागतयोग्य है जबकि ऐसे संशोधन जो दोहरीकरण और अंतर्व्यापी (ओवरलैपिंग) की ओर ले जाते हैं उन्हें इस उद्योग के हित के लिए नहीं लेने चाहिए। कर्नाटक सरकार की मुख्य आपत्ति यही है। इसलिए हमें देखना होगा कि इस संशोधन के माध्यम से जनादेश के महत्व को कम किया जा रहा है अथवा नहीं।

महोदय, हमें पता है कि रेशम उद्योग संकट में है। यह सच है कि बड़े पैमाने पर लोग कोकून और रेशम उत्पादन का काम कर रहे है। यह भी सच है कि कोकून और रेशम के उत्पादन में वृद्धि हुई है। लेकिन इसके अनुपात में किसानों की आय में वृद्धि नहीं हुई है। यहां कर्नाटक, तमिलनाडु, असम, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश जैसे राज्य भी है जो परम्परागत रेशम का उत्पादन करते है लेकिन यहां जम्मू और कश्मीर जैसे गैर परम्परागत राज्य भी है। इसलिए मैं मंत्री महोदय से जानना चाहता हूं कि इस संशोधन को लाने की और विनियमन की क्या आवश्यकता है तथा क्या यह आयात के उदारीकरण के तहत किया जा रहा है। कुछ देशों से रेशम मंगाने के विरुद्ध पाटनरोधी शुल्क कानून पहले ही अधिरोपित किए जा चुके हैं। लेकिन रेशम कीट बीज के उत्पादन की गुणवत्ता और मानदंडों के विनियमन की क्या आवश्यकता है।

मैं जानना चाहता हूं कि क्या राज्य का रेशम कीटपालन विभाग अच्छी गुणवत्ता वाले बीजो का उत्पादन करने में सक्षम है अथवा नहीं।

हमारे यहां पूरे देश में चार से पांच अनुसंधान केंद्र हैं जहां पर अनुसंधान कार्य चल रहे है। आज उन्होंने बाइवोल्टाइन विकसित कर लिया है और रेशम की गुणवत्ता के संबंध में भी कुछ प्रगति हुई है और साथ ही उत्पादन लागत में कमी लाकर रेशम की गुणवत्ता में भी सुधार हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या हम कभी भी विदेशों से प्रतिस्पर्धा नहीं कर पाएंगे जो हमारे देश को रेशम का निर्यात कर रहे हैं और इसके कारण रेशम जैसा परम्परागत उद्योग बर्बाद हो रहा है। हमें इस बात पर गौर करना चाहिए।

स्थायी समिति ने कुछ आशंकाएं व्यक्त की है। मैं माननीय मंत्री महोदय से, जब वह वाद-विवाद का उत्तर दे रहे होंगे। यह जानना चाहूंगा कि स्थायी समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट सौंपने के बाद क्या उसके सुझावों को विधान में सम्मिलित किया गया है। एक महत्वपूर्ण आशंका यह भी व्यक्त की गई है कि प्रस्तावित संशोधन के परिणामस्वरूप छोटे बीज किसान/उत्पादकों को अपने रोजगारों से हाथ धोना पड़ सकता है। समिति ने यह सिफारिश की है कि इस विधेयक में छोटे बीज किसानों/उत्पादकों को रेशम कीट पालन के अन्य क्षेत्रों से संबंधित प्रशिक्षण दिए जाने का उपबंध किया जाना चाहिए ताकि किसान/उत्पादक अपना जीविकोपार्जन करने में समर्थ हो सके। यह बहुत आवश्यक है क्योंकि जो किसान कोकून का उत्पादन करते है वह छोटे और सीमान्त किसान है।

प्रतिवेदन में इस बात की आशंका भी व्यक्त की गई है, इस पर एकाधिकार कायम हो सकता है। समिति ने यह बताया है कि विधेयक में बताई गई विशिष्टताओं के अनुसार एक मल्टीवोलाटाइन ग्रेनेज की स्थापना करने के लिए लगभग 10 लाख रुपए की लागत आती है। शीतागार सहित बाइवोलाटाइन ग्रेनेज की लागत; जोकि बाइवोलाटाइन रेशम कीट बीज के उत्पादन हेतु आवश्यक है, लगभग एक करोड़ रुपए है। यदि ऐसा होता है तो इससे देश में रेशम कीट बीज के उत्पादन पर निजी क्षेत्र के कुछ लोगों का एकाधिकार हो जाएगा और इससे छोटे पैमाने पर बीज का उत्पादन करने वाले 1,300 किसानों/उत्पादकों के हितों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा।

[हिन्दी]

सभापति महोदय: अब आप समाप्त करें।

[अनुवाद]

श्री वसुदेव आचार्य: महोदय, मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं। जब माननीय मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे तब वह इन महत्वपूर्ण मुद्दों का उत्तर देंगे।

अत: मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इससे कुछ लोगों का एकाधिकार हो जाएगा और तत्पश्चात् 1,300 छोटे पैमाने के उत्पादकों का क्या होगा; क्या इनके जीविकोपार्जन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा अथवा नहीं।

महोदय, मैं इस अवसर पर केन्द्रीय रेशम बोर्ड की कुछ समस्याओं को इंगित करना चाहता हूं। हम हाल ही में माननीय मंत्री महोदय से मिले थे। वहां पर वैज्ञानिकों के अधिकतर पद रिक्त है। केन्द्रीय रेशम बोर्ड का मुख्य कार्य गुणवतापूर्ण रेशम के उत्पादन के लिए नई किस्मों और नई प्रकार के रेशम का विकास करना है। जब तक वहां उचित संख्या में वैज्ञानिकों की नियुक्ति नहीं की जाती तब तक रेशम बोर्ड अनुसंधान कार्य कैसे कर पाएगा?

अनेक अनुसंधान केन्द्रों में बहुत से पद है। वहां पर लगभग 2,500 नैमित्तिक कामगार है। उन्हें टाइम स्केल वर्कर कहा जाता है। वे लगभग 15 से 20 वर्षों से टाइम स्केल वर्कर है। दिहाड़ी कामगारों (टाइम स्केल वर्कर) को अस्थाई दर्जा देने का निर्णय लिया गया था। यह निर्णय लिया गया था और आदेश जारी किए गए थे। इसके अतिरिक्त कुछ कामगारों के वेतन में वृद्धि हुई थी लेकिन तत्पश्चात दो महीनों के बाद वस्त्र मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आदेश को वापिस ले लिया था। वस्त्र मंत्रालय ने दो महीनों के बाद अपना निर्णय वापस ले लिया था।

मैं यह अनुरोध करता हूं कि न केवल प्रस्तावित संशोधनकारी विधान पर विचार किया जाए। अपितु केन्द्रीय रेशम बोर्ड के सामने आ रही समस्याओं जैसे वित्त की समस्या, धन की समस्या वैज्ञानिकों की अपर्याप्त संख्या की समस्या और कामगारों की समस्याओं पर भी विचार किया जाए। मैं आशा करता हूं कि अब मंत्री महोदय वाद-विवाद का उत्तर देंगे तब वे इन सभी बातों का उत्तर देंगे।

***श्री ई.जी. सुगावनम** (कृष्णागिरि): माननीय सभापति महोदय, मैं केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पर इस चर्चा में भाग लेने का अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। अपने दल द्रविड़ मुनेत्र कड़गम (डीएमके) की ओर से इस विधेयक का समर्थन करते समय मैं कुछ मुद्दे विचारार्थ प्रस्तुत करता हूं।

रेशम उत्पादन पूरे विश्व में उद्योग के अंतर्गत एक महत्वपूर्ण व्यवसाय है। बहुत कम देशों ने रेशम उत्पादन की कला विकसित की है। हमारे देश में लगभग 70,000 करघा इकाइयां चल रही थीं परंतु अब इन इकाइयों के बंद होने की स्थिति सामने आने के कारण इन करघे वाली इकाइयों की संख्या लगभग 35,000 इकाइयां रह गई हैं। इस स्थिति ने हमारे कुछ पड़ोसी देशों से कड़ी प्रतिस्पर्धा उत्पन्न कर रही है। चीन के रेशम के अत्यधिक आयात के कारण यह गतिरोध उत्पन्न हुआ है। अत:, मैं केंद्र सरकार से आग्रह करता हूं कि चीन से रेशम के आयात पर प्रतिबंध लगाने के लिए समयबद्ध अंतिम चेतावनी दे। यह स्थिति सुनिश्चित करने के लिए, पाटनरोधी कर लगाया गया है। अब भी मैं केंद्र सरकार से रेशम आयात पर स्थायी प्रतिबंध लगाने का आग्रह करता हूं। ऐसा देश में रेशम उत्पादक इकाइयों की सहायता करने के लिए ऐसा उपाय होना चाहिए।

चीन के रेशम के आयात में कई गुणा वृद्धि हुई है। इसमें 6,560 प्रतिशत तक वृद्धि हुई है। इससे हमारी रेशम उत्पादक इकाइयों पर बहुत अधिक प्रभाव पड़ा है। कई इकाइयां कड़ी प्रतिस्पर्द्धा में न टिक पाने के कारण बंद होने वाली हैं। निम्न ब्याज दर पर ऋण सुविधाएं प्रदान किए जाने पर भी रेशम इकाइयां नहीं चल सकती। प्रौद्योगिकी और तकनीक में सुधार करने और उन्हें विकसित करने हेतु धनराशि और सहायता भी इस स्थिति में सुधार नहीं कर सकती। अत:, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि इस रेशम उद्योग को विशेष पैकेज प्रदान करने में विशेष ध्यान दे और रुचि ले।

कोकून का उत्पादन और शहतूत के वृक्ष उगाना फसल बीमा योजना के अंतर्गत नहीं आते है। रेशम उत्पादों के विपणन और निर्यात हेतु अनुकूल माहौल बनाते समय इन्हें फसल बीमा योजना

*मूलत: तमिल में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपांतर।

[डा. ई.जी. सुगावनम]

के अंतर्गत लाना आवश्यक है। जहां कहीं आवश्यक हो वहां पर सरकार को निर्यात सुविधा केंद्र अवश्य स्थापित करने चाहिए।

तमिलनाडु में होसूर स्थित हमारे कृष्णागिरि जिले में रेशम कीटपालन संस्थान है। मेरा आपसे अनुरोध है कि इसका विस्तार और सुदृढ़ीकरण करें। वहां जलवायु संबंधी स्थितियां कोकून के उत्पादन के लिए आदर्श हैं। टीयूएफएस के अंतर्गत वस्त्र क्षेत्र में प्रौद्योगिकीय विकास और उन्नयन का ध्यान रखा जाता है। इसे रेशम उद्योग और विशेषकर रेशम कीटपालन को अवश्य उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

रेशम के वस्त्रों की गुणवत्ता 'हालमार्क' लेबल के द्वारा सुनिश्चित की जाती है। सरकार के इस कदम के बावजूद दुकानें और व्यापारी अब तक घटिया स्तर के रेशम के वस्त्र बेचकर ग्राहकों को लूटते हैं। वे लोगों को धोखा देते हैं, वे घटिया रेशम सामग्री देकर भोली-भाली जनता की पसंद का गलत फायदा उठाते हैं। वे कृत्रिम फाइबर को भी रेशम के रूप में बेच देते हैं। जनता को इन बेईमान व्यापारियों द्वारा किए जा रहे शोषण से बचाने की आवश्यकता है। जनता को अच्छी गुणवत्ता वाली रेशम सामग्री की पहचान करने में सहायता हेतु विशेष बाजारों की व्यवस्था की जानी चाहिए।

केंद्रीय रेशम बोर्ड का एक सदस्य होने के नाते मैंने रेशम उत्पादन में लगे अनेक किसानों से मुलाकात की है और उनकी समस्याओं का अध्ययन किया है। पिछले सप्ताह, केंद्रीय रेशम बोर्ड के सदस्यों और अधिकारियों ने विपणन, निर्यात और वित्तपोषण सुविधाओं के अभाव में रेशम उत्पादन में लगे किसानों को पेश आने वाली समस्याओं पर ध्यान देने की तत्काल आवश्यकता का आग्रह करने के लिए अपने माननीय मंत्री जी से भेंट की। अतः, मैं केन्द्र सरकार से आग्रह करता हूं कि वह वस्त्र निगम अथवा कपास निगम की तरह रेशम निगम की स्थापना करे।

रेशम उद्योग का विकास किए जाने की आवश्यकता है और इसके लिए बनारस, कांचीपुरम और होसूर जैसे आदर्श पारंपरिक केंद्रों को विशेष रेशम क्षेत्र घोषित किया जाना आवश्यक है।

बहुत से व्यक्ति नैमित्तिक और अस्थायी श्रमिकों के तौर पर नियुक्त हैं और उनकी सेवाओं को नियमित किया जाना आवश्यक है और ऐसे कर्मचारियों को अवश्य स्थायी किया जाना चाहिए। वहां रिक्त पदों को तत्काल भरना होगा। मैं पाता हूं दैनिक मजदूरी पर नैमित्तिक श्रमिकों को भी अपनी बकाया राशियां नहीं मिल रही है। उनके लिए दैनिक आधार पर लाभकारी रोजगार सुनिश्चित करना होगा। लंबे समय से उनकी मजदूरी में कोई वृद्धि नहीं की गई है। उनकी मजदूरी में पर्याप्त वृद्धि नहीं की जा रही है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित विशेष एसजीएसवाई परियोजनाओं के अंतर्गत रेशम उद्योग से संबंधित सभी कार्यकलापों के लिए अनुमति और निरंतर धनराशि दिया जाना आवश्यक है।

प्रौद्योगिकी में विकास पर विचार करते हुए रेशम बोर्ड को अनुसंधान शुरू कराने हेतु योग्य वैज्ञानिकों की सेवाएं लेने में सहायता किया जाना आवश्यक है। रेशम बोर्ड का सीएसआईआर के समान मानक और विकास प्राप्त करना आवश्यक है।

रेशम बोर्ड के अधिकारियों के रूप में कोकून उत्पादन में लगे किसानों से मिलने की सुविधा प्राप्त करने की विस्तार सेवा सुविधाएं होना आवश्यक है। उन्हें इन किसानों को बेहतर गुणवत्ता वाले रेशम के धागे प्राप्त करने में नई तकनीकों और प्रौद्योगिकियों का प्रयोग करना सिखाना चाहिए। ऐसे अधिकारियों को पर्याप्त परिवहन सुविधा मिलनी चाहिए ताकि वे रेशमकीट पालन में लगे जरूरतमंद किसानों और कामगारों तक पहुंच सकें। कोकून के निजी क्षेत्र उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाना आवश्यक है।

दसवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान केंद्रीय रेशम बोर्ड की उपलब्धियों का अध्ययन और वर्णन करना आवश्यक है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना अवधि के दौरान रेशम के उत्पादन में वृद्धि किया जाना आवश्यक है।

स्वस्थ कोकून उगाने के लिए किसानों को समय पर सहायता उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है। रोग रोकथाम उपायों को समय पर किए जाने की आवश्यकता है। उसी रूप में उत्प्रेरक विकास कार्यक्रम चलाया गया है। यह ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान भी चलाया जाना आवश्यक है। पेबरीन रोग से रेशम पर प्रभाव पड़ता है। अतः शहतूत के वृक्षों और रेशम कीटों को प्रभावित करने वाले इस पेबरीन रोग का पूरी तरह से उन्मूलन करने के लिए प्रभावी कदम अवश्य उठाए जाने चाहिए।

निजी क्षेत्र द्वारा उत्पादित अच्छी गुणवत्ता वाले धागे की खरीद सीधे केंद्र सरकार को करनी चाहिए। यदि उन्हें सीधे निर्यात के लिए प्रोत्साहित किया जाए तो वे देश के विदेशी मुद्रा भण्डार की वृद्धि में सहायता दे सकते हैं।

हजारों निर्धन कृषक और कृषि मजदूर ग्रामीण क्षेत्रों में रेशम के उत्पादन में संलग्न हैं। रेशम के उत्पादन में इनमें से अधिकतर के सभी पारिवारिक सदस्य संलग्न हैं। कई स्वयं सहायता महिला समूह रेशम कीट पालन को गम्भीरता से अपनाने के लिए आगे आए हैं। उनके जीवन स्तर में सुधार और उनकी आजीविका को सुनिश्चित करने के लिए सरकार को समुचित कदम और उपाय करने चाहिए। हमारे नेता और तमिलनाडु के माननीय मुख्य मंत्री डा. के. करूणानिधि ने इन कृषकों को सहकारी निकायों के

माध्यम से नि:शुल्क बिजली और आवश्यक ऋण सुविधाएं प्रदान की है। इसलिए, मैं केंद्र सरकार से देश के अन्य सभी बुनकरों हेतु ऐसे सार्थक उपायों का विस्तार करने का अनुरोध करता हूं। रेशम कीटपालन को कृष्णागिरि, होसूर, धर्मपुरी, थाली और हमारे माननीय वस्त्र मंत्री श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन के निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत गोपी चेत्तीपालायम एवं सत्यामंगलम में बड़े स्तर पर अपनाया गया है। मैं केन्द्र सरकार से ऐसी योजनाएं तैयार करने के लिए अनुरोध करता हूं जिससे कि यह सुनिश्चित हो सके कि इसमें संलग्न कृषकों को अपने उत्पादों के लिए लाभप्रद मूल्य और अच्छी गुणवत्ता वाले कोकून और रेशम के धागे के उत्पादन हेतु पर्याप्त सुविधाएं मिल सकें। तभी हम अपने रेशम उद्योग को प्रतिस्पर्धात्मक लाभ दे पायेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात पूरी करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): माननीय सभापति महोदय, आपने मुझे केन्द्रीय रेशम बोर्ड संशोधन विधेयक, 2006 पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। वैसे यह विधेयक राज्य सभा में पारित हो चुका है। अब लोक सभा में पारित होने जा रहा है। मैं इस विधेयक के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा अभी श्री अनन्त कुमार ने कहा कि और यह बात भी सत्य है कि रेशम का सबसे ज्यादा कर्नाटक में उत्पादन होता है। वहां करीब 50 प्रतिशत रेशम होता है। यहां तमाम सदस्यों ने अपने विचार प्रकट किए हैं। आपको याद होगा कि आज से कई वर्षों पूर्व हिन्दुस्तान में टेरीकोट और टेरालीन, गर्वाडीन के कपड़े नहीं होते थे। ऐसे कपड़े विदेशों से आते थे। गरीब, मध्यम और अमीर लोगों में यही प्रचलन था कि विदेशी कपड़े पहने जाएं। अब बहुत सी बहुराष्ट्रीय कम्पनियां हमारे यहां आ रही हैं। अभी कहा गया है कि विदेशी कपड़े यहां बहुत सस्ते दामों में आते हैं और यहां का कपड़ा उसके मुकाबले मूल्य में अधिक होता है। उसकी लागत भी ज्यादा पड़ती है। पुराने गाने सुनते थे कि "कानपुर की चप्पल और बनारस की साड़ी।"

मैं उत्तर प्रदेश से आता हूं। इसलिए वाराणसी की साड़ी के विषय में कहना चाहूंगा। वह साड़ी का केन्द्र था। मैं सोच रहा था कि भाई राजेश जी जो बनारस से आते हैं, वह इसका जरूर उल्लेख करेंगे। बनारस की साड़ी बहुत प्रसिद्ध है और वह साड़ी का केन्द्र रहा है लेकिन आज वहां साड़ी उद्योग बिल्कुल बन्द होने के कगार पर है। वह उद्योग बंद होने जा रहा है। बहुत कम लोग उसका व्यवसाय कर रहे हैं। वहां की साड़ी बहुत कम बिकती है। मैं इस विधेयक के माध्यम से कहना चाहूंगा कि कम से कम ऐसे केन्द्र जहां साड़ी का कारोबार ज्यादा होता है, वहां किसानों को रेशम की खेती के लिए सबसिडी, ऋण उपलब्ध कराए, प्रोत्साहन दिए जाए ताकि वे साड़ी उद्योग से जुड़ सकें। उत्तर प्रदेश में बुनकर बहुत ज्यादा हैं।

सभापति महोदय, आप भी उत्तर प्रदेश से आते हैं। चाहे वह मऊ हो या परियावां हो या अकबरपुर हो। तमाम ऐसी जगहों में हथकरघे से बनाए कपड़े बहुत प्रसिद्ध हैं। मैं चाहूंगा कि जिस व्यवसाय से अल्पसंख्यक मुस्लिम भाई जुड़े हैं, वहां रेशम उद्योग में लगे भाइयों को सबसिडी ऋण देकर या उसके कीड़ों को पालने को बढ़ावा देने के लिए सरकार प्रोत्साहन दे। इससे हिन्दुस्तान के कोने-कोने में यह उद्योग बढ़ सकता है और भारतवर्ष बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के मुकाबले में आ सकता है। इसका एक पेड़ होता है जिसमें रेशम की कीड़े होते हैं। किसानों को इसमें बहुत मेहनत करनी पड़ती है और उन कीड़ों को पालने, जेनरेशन का विशेष ध्यान करना पड़ता है। जैसे-जैसे जेनरेशन बढ़ेगा उतने ज्यादा रेशम के कीड़े भी होंगे और रेशम भी ज्यादा मिलेगा। उन रेशम के धागों को निकाला जाता है फिर रिल बनती है। वह तमाम तरह की प्रोसैसिंग में आता है, मिलों में जाता है और कुछ हाथों से बनता है। इसमें किसानों की सहभागिता ज्यादातर देखी गई है। हम सदन में हमेशा चर्चा करते हैं चाहे वह कपास की खेती की हो या रेशम उद्योग की हो या नारियल उद्योग से जुड़े किसानों की हो, वे किसान ज्यादा आत्महत्या करते हैं। चूंकि हम यहां केंद्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर चर्चा कर रहे हैं, इसलिए मैं चाहूंगा कि रेशम के उत्पादन पर यह सरकार विशेष ध्यान दे, खासकर किसानों को सब्सिडी दे और उनके लिए ज्यादा ऋण की व्यवस्था कराए ताकि वहां पर रेशम का ज्यादा उत्पादन हो सके और रेशम उद्योग को भी बढ़ावा मिल सके। इन्हीं बातों के साथ मैं आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

अपराह्न 2.35 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

[अनुवाद]

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): महोदय, मैं केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर विचार-विमर्श करने के लिए खड़ा हुआ हूं। जैसा कि उल्लेख किया गया है, केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में लागू हो गया था। इसका मुख्य प्रयोजन देश में रेशम के व्यापार को विकसित करना और इसका नियमन करना था। आज रेशम का आयात बाजार को बर्बाद कर रहा है। चीन का रेशम शुद्धता को समाप्त कर रहा है।

मैं मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि एक समय उड़ीसा रेशम के उत्पादन और इसके उत्पादों के विपणन के लिए प्रसिद्ध था। कलिंग का समुद्री इतिहास इसके दक्षिण पूर्वी

[श्री भर्तृहरि महताब]

एशियाई देशों के साथ रेशम के व्यापार के दृष्टांतों से भरा पड़ा है और रोम, अरब, चीन और सुदूर पूर्व के देशों के साथ यह कैसे फला-फूला-इसके दृष्टांतों से भरा हुआ है।

जैसा कि कहा जाता है, यूरोपीय व्यापारियों के आगमन के दौरान लिखित दस्तावेजों में उत्कल अथवा उड़ीसा के बुनकरों की उत्कृष्टता और विशेषज्ञता के उल्लेख मिलते है। उड़ीसा के विभिन्न पत्तनों अर्थात् बालेश्वर, चन्दबली, गोपालपुर से व्यापार और वाणिज्य 1930 तक जारी रहा। किन्तु स्वतंत्रता के बाद, उड़ीसा भारत के रेशम मानचित्र में दिखता ही नहीं है, इसका क्या कारण है? मैं नहीं जानता। 60 वर्षों के बाद भी, सरकार नहीं जागी है। उड़ीसा में कई वन हैं जहां आदिवासियों द्वारा विशेषकर मयूरभंज एवं क्योंझार और सभी केबीके जिलों में, घरों में ही रेशम के कीड़े पाले जाते हैं। उन्हें सहायता की आवश्यकता है। बाजार को गति देने की आवश्यकता है।

इस विधेयक में, कई राज्यों का उल्लेख किया गया है किन्तु उड़ीसा राज्य का उल्लेख नहीं है। उड़ीसा सरकार के एक प्रतिनिधि को इस समिति में भी स्थान दिया जाना चाहिए। कटक, गंजम और सम्बलपुर के बुनकरों को रेशम के मूल्य संवर्धन में विशेषता प्राप्त है और यह पेटेंट की भांति कार्य करता हैं। बरहमपुर का बोमकाई रेशम, सम्बलपुर का सम्बलपुरी रेशम और कटक का मनियाबंधी रेशम विश्व प्रसिद्ध है फिर भी उड़ीसा इस देश के रेशम मानचित्र से गायब है। मैं यह जानना चाहता हूं कि यह भेदभाव क्यों हो रहा है। मैं यह जानना चाहता हूं क्या आप इसमें उड़ीसा को शामिल कर रहे हैं।

इसके साथ ही, मैं यह कहना चाहता हूं कि रेशम कीट पालन को केन्द्र सरकार द्वारा उन राज्यों में जहां प्राकृतिक वन है, संगठित रूप से बढ़ावा और समर्थन देना चाहिए। इससे अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को अतिरिक्त आय हो जाएगी। मैं उड़ीसा को शामिल करने के लिए सरकार से पुन: अनुरोध करता हूं।

मेरा दूसरा मुद्दा यह है कि हाल ही में एक समाचार प्रकाशित हुआ था, और मुझे विश्वास है कि मंत्रीजी इससे अवगत होंगे और आंध्र प्रदेश के कुसुमा राजैया और उनकी पद्धति, जिसमें किसी भी जीव का वध नहीं होता है, के बारे में सुना होगा। वह रेशम को निकालने के लिए ककून को गर्म करने से पहले इसके कीड़े को उड़ जाने देता है। शहतूत रेशम के धागे के निर्माण की ऐसी पर्यावरण अनुकूल प्रणाली को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। न केवल जैन अपितु जो अहिंसा के समर्थक है और पारिस्थितिकी को बनाए रखने में रूचि रखते हैं उन्हें भी इसे प्रोत्साहित करना चाहिए। यद्यपि इससे कीड़े की नृशंस हत्या नहीं होती है फिर भी पारम्परिक प्रक्रिया से इसकी लागत अधिक पड़ती है। पारम्परिक प्रक्रिया के अंतर्गत, एक ककून से 500 मीटर तक झिलमिलाता तन्तुमय धागा प्राप्त हो जाता है जबकि अहिंसात्मक प्रक्रिया से कम चमकीला और टूटा-फूटा 60-70 मीटर धागा प्राप्त होता है।

इसलिए, इसे या तो हाथ से बुना जाना चाहिए अथवा मशीन से काता होना चाहिए। रेशम यद्यपि मंहगा होता है और पसीना सोखता है फिर भी परिधानों के प्रति सक्रिय लोग इसे पसंद करते हैं।

यहां तीसरा मुद्दा यह है कि भारत में रेशम क्षेत्र का आधुनिकीकरण किये जाने की आवश्यकता है। इसे कुटीर उद्योग के दर्जे से परे ले जाना चाहिए। तैयार मालों के स्तर में सुधार होना चाहिए। इन बदलावों के बिना, पाटनरोधी प्रयासों से भी कुछ नहीं होगा।

आज चीन को भारत जैसे मुख्य आयातक की आवश्यकता है। रेशम उत्पादों के लिए भारत का घरेलू और निर्यात बाजार बढ़ रहा है। स्थानीय रेशम उत्पादन लगभग रूक सा गया है। पिछले 60 वर्षों में भी ज्यादा सुधार नहीं हुआ है। मेरा प्रश्न यह है कि हमारे देश में रेशम उत्पादन में वृद्धि के लिए क्या कदम उठाए गए हैं? जिससे भारतीय रेशम उत्पादकों को नुकसान हो रहा है। स्थानीय रेशम उत्पादकों की सहायतार्थ सरकार ने क्या मूल्य समर्थन उपाय किये हैं?

पारम्परिक तौर पर, केवल भारत ही ऐसा देश है जहां रेशम की सभी पांच प्रसिद्ध वाणिज्यिक किस्मों अर्थात् टसर, मलबेरी, ओक, टूरी और मूगा का उत्पादन होता है। इनमें से अधिकतर रेशम तीव्र गति वाले पावरलूम और उद्योग क्षेत्र के लिए अनुकूल नहीं है। प्रौद्योगिकी हस्तांतरण के लिए आप क्या कदम उठा रहे हैं?

मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त करता हूं कि पारम्परिक रेशम उत्पादन वाले क्षेत्र को बढ़ावा दिया जाए। आज भारत का रेशम उद्योग विकेन्द्रीकृत है और इस प्रकार का है कि अधिक पूंजी के अन्तर्प्रवाह को रोकता है। इन मुद्दों पर ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है।

***श्री एम. शिवन्ना** (चामराजनगर): महोदय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2006 पर बोलने का अवसर देने के लिए आपको धन्यवाद देता हूं। मैं जनता दल (एस) की ओर से इस विधेयक का समर्थन करता हूं। कर्नाटक मुख्य रेशम उत्पादक राज्य हैं और देश के 50 प्रतिशत से ज्यादा तथा विश्व के 5.62 प्रतिशत मलबरी कच्चा रेशम उत्पादन में इसका योगदान है।

*मूलत: कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

लगभग 88,000 हेक्टेयर पर मलबारी की खेती होती है, जिससे रेशम उत्पादन के जुड़े कार्यकलापों में नीचे तथा ऊपर के स्तर पर 12 लाख लोगों को रोजगार मिला हुआ है। राज्य में लगभग 12252 रीलिंग इकाईयां कार्य कर रही है जिनमें 82500 रीलिंग कामगारों को रोजगार मिला हुआ है। 7 सरकारी ग्रेनेज तथा 477 निजी लाइसेंसधारी बीज उत्पादक केन्द्रीय रेशम बोर्ड के 6 ग्रैनेज अतिरिक्त अच्छी गुणवत्ता वाले बीजों का उत्पादन कर रहे हैं। किसानों द्वारा उत्पादित रेशम कीट के कोकून का 66 सरकारी कोकून बाजारों द्वारा दैनिक रूप से व्यापार किया जाता है और मैं यह बात नोट करवाना चाहूंगा कि इस प्रणाली को किसानों तथा रीलरों द्वारा अच्छी तरह से अपनाया गया है क्योंकि सौदों में पारदर्शिता है। भार सही तौला जाता है तथा जिस दिन सौदा होता है उसी दिन किसानों को नकद भुगतान हो जाता है। सरकार ने कच्चे रेशम के धागों की बिक्री तथा खरीद हेतु राज्य में 10 रेशम एक्सचेंज स्थापित किए हैं। कर्नाटक ने रेशम की कीमतों में स्थिरता लाने के लिए इसमें रेशम विपणन बोर्ड की भी स्थापना की है। राज्य में कर्नाटक रेशम उद्योग निगम की छत्रछाया में एक सुस्थापित रेशम बुनाई सुविधा भी उपलब्ध है जो विश्व प्रसिद्ध मैसूर की क्रेप सिल्क साड़ियों का उत्पादन करती है।

राज्य ने 96 सेरिकल्चर फार्मों की स्थापना की है जो कि पी3, पी2 तथा पी1 मल्टीवोल्टाइन तथा नाइवोल्टाइन दोनों मूल बीज का उत्पादन करते हैं तथा वाणिज्यिक बीज उत्पादन हेतु मूल बीज प्रदान करते हैं। कोकूनों का व्यापार सरकार द्वारा सुगमीकृत बीज कोकून बाजारों में भी किया जाता है, जिससे बीज उत्पादकों को उनकी पसन्द की गुणवत्ता वाले बीज कोकून का चयन करने हेतु एक आधार मिलता है। राज्य ने मैसूर के विशुद्ध मल्टीवोल्टाइन सीड कोकून के उत्पादन के लिए एक बीज क्षेत्र तथा 38 बाइवोल्टाइन बीज क्षेत्रों की स्थापना की है।

ये फार्म तथा बीज क्षेत्र पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु तथा महाराष्ट्र जैसे अन्य राज्यों के बीज कोकूनों की आवश्यकताओं को भी पूरा करते हैं। यह प्रणाली पूरे वर्ष उपयुक्त वंशक्रम के माध्यम से गुणवत्ता वाले बीज कोकूनों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। बीज क्षेत्रों के लाभ यह है कि उगाने के कार्य एक सघन क्षेत्र में किया जाता है, जहां फसल अनुवीक्षण, बीज कोकून उत्पादन, रोग प्रबंधन तथा बीज कोकून की खरीद। विपणन सुव्यवस्थित तरीके से सुनिश्चित किया जाता है। राज्य ने कई वर्षों के बाद रीलर की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 246 तकनीकी सेवा केन्द्रों की स्थापना करके प्रौद्योगिकी के विस्तार तथा स्थानांतरण की एक पूर्ण प्रणाली विकसित की है। राज्य ने किसानों, रीलरों, निजी बीज उत्पादकों तथा रेशम कीट पालन विभाग के कार्मिकों के प्रशिक्षण के लिए एक अनुसंधान और विकास संस्थान तथा 6 रेशम कीट पालन प्रशिक्षण संस्थानों की स्थापना की है। कर्नाटक के रेशम कीट पालन विभाग में 443 योग्य तकनीकी अधिकारी तथा 2506 तकनीकी कर्मचारी हैं जो इसके विस्तार, प्रौद्योगिकी हस्तांतरण, जांच एवं अनुवीक्षण करते हैं। कर्नाटक में रेशम कीट पालन क्षेत्र को योजना के अंतर्गत 50.41 करोड़ रुपये का बजटीय अनुदान (जिसमें केन्द्रीय रेशम बोर्ड का 15 करोड़ रुपये शामिल है) तथा गैर-योजना के अंतर्गत 110 करोड़ रुपये दिए जाते हैं।

कर्नाटक राज्य में 1959 से पूरे राज्य में एक तर्कसंगत त्रुटिरहित कानून लागू है। गुणवत्तायुक्त रेशम कीट बीजों का उत्पादन, रेशम कीटों का पालन, रेशमकीटों, रेशम कीटों के कोकून का अधिग्रहण, प्रबंध बिक्री या खरीद, रील बनाने वाले संस्थानों को लाइसेंस प्रदान करना, कोकून और रेशम बाजारों की स्थापना और उनका रख-रखाव का विनियमन कर्नाटक रेशम कीट बीज, कोकून और रेशम के धागे (उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और बिक्री का विनियमन) अधिनियम, 1959 के अंतर्गत किया जाता है। वर्तमान कानून अच्छी गुणवत्ता वाले रेशम कीट बीज के उत्पादन तथा आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए अपर्याप्त हैं। कर्नाटक रेशमकीट बीज, कोकून और रेशम के धागे (उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और बिक्री का विनियमन) अधिनियम 1959 के उपबंध रेशम कीट बीज के बड़े स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए उदार है तथा गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त रूप से सक्षम है। यहां यह उल्लेख करना उचित होगा कि राज्य में रेशम कीट पालन क्षेत्र को बीज फसलों को रोग मुक्त रखने में सफलता मिली है। राज्य तंत्र द्वारा मूल बीज के रख-रखाव से शुरू करके सभी चरणों पर लगातार देखरेख तथा बार-बार जांच द्वारा घातक पेब्रिन रोग पर प्रभावी रूप से नियंत्रण पा लिया गया है। वर्ष 1991-92 के दौरान कर्नाटक में रेशम कीट को पीड़ित करने वाले घातक पेब्रिन रोग इन प्रयासों से दुबारा नहीं आया है। किसान के स्तर पर किसी भी रेशम कीट रोग के कारण पूरी फसल की हानि नहीं हुई है।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड तथा राज्य अनुसंधान संस्थानों द्वारा हमें उपलब्ध कराई गई मलबरी तथा रेशम कीट की नई जातियों तथा संशोधित प्रणालियों जो कि किसानों को हस्तांतरित कर दी गई है, में निम्नलिखित योगदान मिला है:

(क) अधिक उपज देने वाले मलबरी किस्मों तथा रेशम कीट जातियों को अपनाना।

(ख) प्रति 100 डीएफएलएस कोकून उत्पादकता में बढ़ोत्तरी- 1990-91 में प्रति 100 डीएफएल से 28 कि.ग्रा. से बढ़कर 2005-06 में 53 कि.ग्रा. हो गई।

(ग) प्रति हैक्टेयर कोकून उत्पादकता तथा आय सृजन में बढ़ोत्तरी 1990-91 में 348 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 2005-06 में 632 कि.ग्रा. हो गई।

[श्री एम. शिवन्ना]

(घ) रेशम के कुल उत्पादन में बढ़ोत्तरी 1990-91 में 6224 एमटी से बढ़कर 2005-06 में 7471 एमटी हो गया।

(ङ) रेनडिटा में सुधार 1990-91 में 9.5 से बढ़कर 2005-06 में 7.42 हो गया।

(च) प्रति हैक्टेयर रेशम उत्पादकता में बढ़ोत्तरी 1990-91 में 41.5 कि.ग्रा. प्रति हैक्टेयर से बढ़कर 2005-06 में 93.6 कि.ग्रा. हो गई है।

(छ) उत्पादन लागत में कमी तथा किसानों की आय में वृद्धि 1990-91 में एक हैक्टेयर से 29,861 रु. की औसत आय से बढ़कर 2005-06 में यह 78,987 रु. हो गई।

(ज) कच्चे रेशम की गुणवत्ता तथा कीमत में सुधार 1990-91 में औसत मूल्य 705 रु. प्रति कि.ग्रा. से बढ़कर 2005-06 में 1052 रु. हो गया।

(झ) कड़ी मजदूरी में कमी।

इससे किसानों तथा रीलरों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर सीधा असर पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा किसान उन्नत प्रौद्योगिकी को अपनाते रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा किसान रेशम कीटों की खेती तथा उनके पालन की ओर आकर्षित हो रहे हैं। व्यापारिक रेशम कीट कोकून की दरों में वृद्धि हो रही है, जिसके किसानों को लाभ हो रहा है।

इन परिस्थितियों में केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक, 2005 में प्रस्तावित कुछ उपबंध कर्नाटक रेशम कीट बीज कोकून और रेशम के धागे उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और बिक्री का नियमन) अधिनियम, 1959 के समानांतर चलते है और इसलिए इससे दोहराव, अन्तर्व्याप्ति और शायद भ्रम भी होता है।

(1) रेशमकीट सीड के लिए गुणत्ता प्रतिमान विनिर्दिष्ट करने, रेशमकीट सीड के निर्यात और आयात को विनियमित करने, हाईब्रिड आथोराइजेशन समिति के गठन आदि हेतु केन्द्रीय रेशमकीट सीड समिति के गठन से संबंधित प्रावधानों का स्वागत है।

(2) हालांकि बीज उत्पादकों के पंजीकरण से संबंधित उपबंध और ऐसे उत्पादकों द्वारा इन पर लगाई गई शर्तों आवश्यकताओं को पूरा करना आवश्यक नहीं है। इस संबंध में पहले से ही पर्याप्त उपबंध हैं और कर्नाटक विधान के अनुसार कर्नाटक में व्यवहार में लाए जा रहे हैं।

(3) रेशमकीट बीज उत्पादन का कार्यक्रम निर्माण और नियोजन राज्य के पूर्ण विवेक पर छोड़ देने चाहिए क्योंकि यह राज्य में रेशम कीट पालन निदेशालय के सबसे मूलभूत कार्यों से संबंधित है। यह निदेशालय, जिसमें प्रशिक्षित जनशक्ति वाले 246 तृणमूल स्तरीय तकनीकी सेवा केन्द्र है, रेशमकीट बीज की आवश्यकता का मूल्यांकन करने और इसके समय से उत्पादन और वितरण हेतु नियोजन करने के लिए बेहतर स्थिति में है। कर्नाटक में निदेशालय प्रति माह औसतन एक कोर रोगमुक्त लेइंग का उत्पादन और वितरण सुनिश्चित करता है। उत्पादन की इस महत्ता के लिए राज्य में समयोचितता को ध्यान में रखते हुए वांछित मूलभूत बीज कोकून का पहले से मूल्यांकन किया जाता है, योजना बनाई जाती है और उत्पादन किया जाता है।

(4) कर्नाटक रेशमकीट बीज, कोकून और रेशम के धागे (उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और बिक्री का विनियमन) अधिनियम, रेशमकीट प्रदर्शकों और क्षेत्र में स्तर से ऊपर के कर्मचारियों को अधिसूचित किया गया है। किसानों को जारी करने से पूर्व ग्रेनेज की जांच और रेशमकीट अंडों का इनकी रोगमुक्तता के बारे में प्रमाणन किया जाता है। रेशमकीट अंडों की गुणवत्ता और रोगमुक्तता की जांच किसानों को जारी करने से पूर्व प्यूपा और मदर मोथ की सूक्ष्मदर्शी से जांच करके की जाती है। इन कर्मचारियों को उन्नत उपस्कर और गुणवत्ता प्रमाणन को दर्ज करने के लिए तकनीकी जानकारी प्रदान की गई है।

(5) इसके अतिरिक्त बीज क्षेत्र में उत्पादित, विपणित और अंडों के उत्पादन के लिए प्रयुक्त बीज कोकूनों की गुणवत्ता की भी सख्त निगरानी की जाती है और बाजार में बिक्री से पूर्व प्रमाणन किया जाता है।

(6) इन परिस्थितियों में रेशमकीट बीज प्रमाणन एजेंसियों के गठन से केवल विलंब बढ़ेगा और पूरी प्रक्रिया किसानों की दृष्टि से अधिक उलझी और जटिल बन जाएगी। प्रस्तावित संशोधन में इस उपबंध को शामिल करने से वर्तमान उपबंधों और परिपाटी का दोहराव होगा।

विद्यमान कर्नाटक रेशमकीट बीज कोकून और रेशम के धागे (उत्पादन, आपूर्ति, वितरण और बिक्री का विनियमन) अधिनियम के तहत बीज उत्पादन केन्द्रों में कर्मचारियों द्वारा प्रतिदिन बीज जांच की जाती है। कर्मचारियों का कार्यकरण विनिर्दिष्ट किया गया है और बीज के चयन से पूर्व बीज जांच की जाती है। अंडों के उत्पादन की रोगमुक्तता की दृष्टि से बारंबार जांच की जाती है। प्रमाणन के पश्चात् ही किसानों को उनकी आपूर्ति की अनुमति दी जाती है। अतएव, केन्द्रीय बीज जांच प्रयोगशाला की स्थापना, जांच

और निरीक्षण से संबंधित प्रस्तावित संशोधनों को निर्यात या आयात के लिए रेशम कीट बीज तक ही सीमित रखा जाए।

केन्द्रीय रेशम बोर्ड भारत सरकार और राज्य सरकार को रेशमकीट पालन उद्योग में निहित विभिन्न गतिविधियों के संबंध में पहलुओं पर सलाह देने के लिए देश में प्रमुख एजेन्सी है। नई प्रजातियों के विकास, अनुसंधान, विकास और उन्नत प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देने के क्षेत्र में इसकी भूमिका सर्वोपरि है और निश्चित तौर पर इसकी गतिविधियों का केन्द्र होना चाहिए।

(1) रेशम कीट बीज के उत्पादन और वितरण के विनियमन के लिए केन्द्रीय विधान लाने के विषय पर 1986 से चर्चा की जा रही है। यहां तक कि वाणिज्य संबंधी संसदीय स्थायी समिति (1995-96) ने रेशमकीट पालन पर 31 मई, 1995 को राज्य सभा में प्रस्तुत अपने चौदहवें प्रतिवेदन में इन पहलुओं का वर्णन किया है और यह पाया है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड को इसे न सौंपी गई भूमिका यथा शहतूत कृषि के प्रचार के लिए केन्द्रों का विस्तार डीएफएलएस के उत्पादन, बीज वितरण जैसी धीरे-धीरे मुक्त किया जाना चाहिए जो कि राज्य सरकार के क्षेत्र में है और ऐसे कार्यों को राज्य सरकार के लिए छोड़ देना चाहिए जो कि वास्तव में उनके क्षेत्र में है।

(2) केन्द्रीय रेशम बोर्ड और रेशमकीट पालन के लिए राज्य के विभागों की भूमिकाओं को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए ताकि पूरी प्रणाली को प्रयोक्ता अनुकूल और कुशल बनाया जा सके जिससे सामान्य तौर पर देश में और विशेष तौर पर कर्नाटक में रेशम के गुणात्मक और मात्रात्मक उत्पादन में निश्चित तौर पर सहायता मिलेगी।

(3) केन्द्रीय रेशम बोर्ड को विभिन्न पद्धतियों से एकीकृत किया जाना चाहिए और उच्चतर गुणवत्ता रेशम के उत्पादन के उद्देश्य से सामंजस्य लाना चाहिए जो कि समय की मांग है।

(4) राज्य सरकार केन्द्रीय रेशम बोर्ड और वस्त्र मंत्रालय द्वारा कर्नाटक विधान में सुझाए गए कतिपय संशोधनों पर खुले दिमाग से सोच रही है और रेशमकीट पालन क्षेत्र के वैश्विक चुनौतियों के परिप्रेक्ष्य में उदारीकरण लाने की दृष्टि से समीक्षा कर रही है।

अतएव, रेशमकीट पालन का सुविचारित दृष्टिकोण है कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अधिदेश में निहित उद्देश्यों की सीमा में इसकी भूमिका को बढ़ाने के लिए किसी भी प्रस्तावित संशोधन का स्वागत है जबकि ऐसे संशोधन जिनसे दोहराव और अन्तर्व्याप्ति होती है, उद्योग के हित में छोड़ दिए जाएं। मैं इस विधेयक का मुक्त हृदय से स्वागत करता हूं।

महोदय, मैं इन शब्दों के साथ आपका धन्यवाद करता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: श्री सुरेश अंगड़ि। आप चार या पांच मिनट में समाप्त कर सकते हैं।

श्री सुरेश अंगड़ि (बेलगाम): उपाध्यक्ष महोदय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक माननीय वस्त्र मंत्री द्वारा पेश किया गया है। जैसा कि श्री अनंत कुमार ने पहले ही तथ्य और आंकड़े प्रस्तुत किए हैं, देश में पांच राज्य यथा कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा कश्मीर रेशम का उत्पादन कर रहे हैं। मुझे यह कहते हुए गर्व होता है कि 50 प्रतिशत से ज्यादा रेशम का उत्पादन केवल कर्नाटक में ही होता है। केन्द्रीय अधिनियम होने के चलते यह अधिनियम राज्य अधिनियम को अंतर्व्याप्ति करेगा- यह दोहरीकरण नहीं होना चाहिए-क्योंकि सामान्यत: केन्द्रीय अधिनियम राज्य अधिनियमों को निरस्त करती हैं। अतएव किसानों को दो कानूनों का पालन करना होगा, एक राज्य सरकार द्वारा दूसरा केन्द्रीय सरकार द्वारा अधिनियमित किया गया। इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करता हूं।

इस संबंध में, केन्द्र सरकार के आंकड़े दर्शाते हैं कि गत 20 वर्षों में 7,000 टन रेशम का उत्पादन हुआ तथा इसमें कोई सुधार नहीं आया है। अतएव, केन्द्र सरकार को रेशम की गुणवत्ता में सुधार करने, किसानों को और अधिक रेशम का उत्पादन करने में मदद करने तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार युवकों को प्रोत्साहन देने के लिए पहल करनी चाहिए। हम श्री अनंत कुमार तथा अन्य सहयोगियों द्वारा दिए गए ब्यौरों को देख सकते हैं। आज कर्नाटक तथा इसमें मेरा निर्वाचन क्षेत्र बेलगाम रेशम उत्पादन का एक महत्वपूर्ण केन्द्र है। अतएव, मैं अनुरोध करूंगा कि कर्नाटक के बेलगाम जिले में एक अनुसंधान केन्द्र स्थापित किया जाना चाहिए।

मेरा माननीय मंत्री जी से अनुरोध है कि केन्द्रीय अधिनियम को क्रियान्वित करने की बजाय वे और अधिक रेशम का उत्पादन करने को प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार को और शक्तियां प्रदान करें। जब श्री अनंत कुमार बोल रहे थे, तब माननीय वस्त्र मंत्री ने वादा किया था कि वे अन्तर्व्याप्ति नहीं होने देंगे। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो राज्य किसानों की देख-रेख करेंगे।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश बोलेंगी। आप चार या पांच मिनट तक बोल सकती हैं।

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश (कनकपुरा): महोदय, यह विधेयक रेशम से संबंधित है इसलिए महिलाओं को बोलने के लिए इतना कम समय देना अन्यायपूर्ण है।

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: उन्होंने दो मिनट लिए हैं। मैंने आपको चार-पांच मिनट दिए हैं।

[अनुवाद]

श्रीमती तेजस्विनी श्रीरमेश: महोदय, मैं पीठासीन अधिकारी के आदेश का पालन करूंगी। आप मुझ पर विश्वास कर सकते हैं। *...(व्यवधान)*

रेशम इस देश में सुन्दरता तथा भव्यता का प्रतीक है। प्रत्येक महिला रेशम को पसंद करती हैं। मैं जानती हूं कि आप सभी लोग मेरे भाई तथा पिता समान हैं। इस देश के पुरुषों में महिला के प्रति मां, बहन तथा बेटी के रूप में कमजोरी होती है। सभी पुरुष महिलाओं को अत्यंत प्यार करते हैं। अतएव, स्वाभाविक रूप से जब भी वे नाराज होती हैं, तो उन्हें मनाने के लिए उन्हें रेशम का उपहार दिया जाता है लेकिन निश्चित रूप से रेशम के मामले पर विचार-विमर्श करने के लिए हमें और समय चाहिए क्योंकि कृषि में कार्यरत महिलाओं का 60% रेशम कीट-पालन पर निर्भर है।

महोदय, भारतीय रेशम भारत के दक्षिण भाग में विशेषरूप से प्रसिद्ध है। कर्नाटक भारतीय रेशम की कुल मात्रा का 51 प्रतिशत उत्पादन करता है। भारत विश्व में कच्चे रेशम का उत्पादन करने वाला सबसे बड़ा राष्ट्र है। विश्व में कच्चे रेशम के उत्पादन में इसका योगदान 14 प्रतिशत है तथा केवल चीन ही इससे आगे है।

वर्ष 2005-2006 में भारत का वार्षिक उत्पादन लगभग 17,305 मीट्रिक टन था। साथ ही भारत में रेशम की कुल खपत 25000 मीट्रिक टन थी। इसका अर्थ यह हुआ कि 8,000 मीट्रिक टन और उत्पादन की संभावना है। अब चीन इस अवसर का लाभ उठाकर अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बीवोल्टीन शहतूत रेशम का पाटन कर रहा है। अतएव, घरेलू मांग को पूरा करने के लिए और ज्यादा रेशम का उत्पादन करने की आवश्यकता है। निश्चित रूप से, तसर, वन्या, मूगा, एटी, मलबरी तथा हमारे राज्य का गौरव मैसूर रेशम की काफी ज्यादा संभावना है और इनकी बहुत ज्यादा मांग है।

उत्तर भारतीयों तथा दक्षिण भारतीयों की पसंद में भी बहुत अंतर है। हम लोग रेशम के वजन, साड़ी के वजन, रंग तथा डिजायन पर ध्यान देते हैं। दूसरी ओर, उत्तर भारत में लोग हल्के रेशम को पसंद करते हैं। अतएव, रेशम के उत्पादन तथा इसके पहनावे से संस्कृति, परंपरा और भौगोलिक स्थिति की झलक मिलती है।

हमारे पास इन दिनों काफी ज्यादा निर्यात संभावना है तथा यह हमारे लिए बहुत बड़ा अवसर है। विशेष रूप से यूरोप के देशों में भारतीय रेशम की बढ़ती मांग के चलते रेशम के निर्यात से आय लगातार बढ़ रही हैं। निर्यात आय से इसका पता चलता है जो वर्ष 2002-2003 के दौरान 2,294 करोड़ रु. थी तथा वर्ष 2005-2006 में बढ़कर 3,158 करोड़ रु. हो गयी। इससे पता चलता है कि मांग में 38% वृद्धि हुई है।

हमारे पास निर्यात की अपार संभावनाएं हैं तथा यह निश्चित रूप से ग्रामीण भारतीयों को लाभ पहुंचेगा। जिनका मुख्य व्यवसाय रेशम कीट पालन है। भारतीय रेशम से निर्मित वस्तुओं की निर्यात संभावनाएं भी अपार हैं क्योंकि यह अद्भुत है तथा इसकी उत्पादन लागत कम होती है। इसमें रोजगार संभावनाएं भी हैं क्योंकि रेशम कीट-पालन को देश में कृषि आधारित, श्रम-सघन, ग्रामीणोन्मुख कुटीर उद्योग के रूप में बढ़ावा दिया गया है जो समाज के विशेष रूप से कमजोर तथा सीमांत वर्गों को लाभकारी नियोजन प्रदान कर सकता है। यह काफी ज्यादा लाभदायक व्यवसाय है क्योंकि इस व्यवसाय को शुरू करने के लिए काफी कम पूंजी की आवश्यकता होती है। एक किलो कच्चा रेशम तैयार करने के लिए 11 दिन का मानवश्रम चाहिए जिसकी ओर ध्यान नहीं दिया गया है। हमें रेशम कीट पालन तथा रेशम उद्योग को और मजबूत करना चाहिए।

इससे महिलाओं को भी रोजगार मिलता है। लगभग छह मिलियन लोग इसमें नियोजित हैं तथा उसमें से 61 प्रतिशत महिलाएं हैं। यह इसलिए है क्योंकि वे घरेलू काम जैसे मवेशी आदि का ध्यान रखते हुए भी रेशम का उत्पादन कर सकती हैं। यह कार्य $1^1/_2$ माह में पूरा हो जाता है तथा उनके छोटे परिवार को सहारा प्रदान करता है, अतएव, इसे मजबूत किया जाना चाहिए।

एक और बात जो उल्लेख करने लायक है यह है कि यह पर्यावरण अनुकूल है। हमारी रेशम वस्तुओं का अधिकांश भाग शहरी अमीर तथा मध्यवर्ग उपभोक्ताओं द्वारा खरीदा जाता है तथा रेशम के कपड़ों के अंतिम रेशम मूल्य का लगभग 57% आरम्भिक उत्पादकों के पास जाता है।

महोदय, आप घड़ी की तरफ देख रहे हैं लेकिन मैं आपसे अनुरोध करूंगी कि इस मुद्दे पर बोलने के लिए मुझे और थोड़ा समय दिया जाये।

उपाध्यक्ष महोदय: नहीं, मैं आपको बोलने के लिए केवल एक और मिनट दे सकूंगा। कृपया अपना भाषण एक मिनट में समाप्त करें।

श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश: इस विधेयक का उद्देश्य इस उद्योग को मजबूत करना है। यह राज्य सरकार की शक्तियों में भी दखलंदाजी नहीं करेगा। निश्चित रूप से, यह किसानों, रीलरों तथा बुनकरों को मजबूत करेगा। हमें गुणवत्ता वाले बीज तथा कोकून बनाने चाहिए क्योंकि यही समय की आवश्यकता है। अर्थात् हमें अन्तर्राष्ट्रीय चुनौती का मुकाबला करना है। अन्यथा, हमारे पड़ोसी देश हमारी कमजोरी का फायदा उठाएंगे।

अतएव, भारत के पास सभी संभावनाएं हैं तथा हमारी सरकार इसे लेकर काफी चिंतित है। कर्नाटक से संसद सदस्य होने के नाते, मैं राज्य सरकार द्वारा उपयोग में लायी जा रही सभी प्रजातांत्रिक शक्तियों को संरक्षित करने के लिए बाध्य हूं। इस संबंध में मैंने पहले ही श्री मुनियप्पा से मुलाकात की है। सत्ता पक्ष के कुछ अन्य सदस्यों ने भी उनसे मुलाकात की तथा उन्होंने इस संबंध में हम सबों को आश्वस्त किया था।

अतएव, एक बार फिर मैं अध्यक्षपीठ के माध्यम से सरकार से अनुरोध करूंगा कि वे किसानों, रीलरों तथा बुनकरों की सहायता के लिए केन्द्रीय रेशम बोर्ड को मजबूत करें।

इन शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

श्री मंजुनाथ कुन्नुर (धारवाड़ दक्षिण): महोदय, केन्द्रीय रेशम बोर्ड (संशोधन) विधेयक पर बोलने का अवसर देने के लिए मैं आपको बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूं। इस संदर्भ में पहले ही हमारे नेता, श्री अनन्त कुमार, मेरे एक अन्य सहयोगी तथा मेरी बहन श्रीमती तेजस्विनी बोल चुकी हैं।

दुर्भाग्यवश, हमने आज ही संशोधन प्रस्तुत किए हैं। हमें इन्हें कल प्रस्तुत करना चाहिए ताकि उन पर भी विचार किया जा सकता। यह सुविख्यात है कि कर्नाटक रेशम कीट पालन अर्थात् मलबरी और अन्य मैसूर रेशम का उत्पादन करता है। देश में होने वाले कुल रेशम उत्पादन के 50 प्रतिशत से अधिक का उत्पादन कर्नाटक द्वारा किया जाता है। अतएव, कर्नाटक सकार ने रेशमकीट पालन बोर्ड को सुदृढ़ करने तथा किसानों को प्रोत्साहन देने के लिए 1959 में एक अधिनियम पारित किया था। कर्नाटक का मैसूर रेशम और तमिलनाडु के कांची रेशम, जिनका उत्पादन दक्षिण भारत में किया जाता है, के निर्यात की अपार संभावना है। रेशम उत्पादन में कर्नाटक का अग्रणी स्थान है। भारत के कच्चे रेशम का लगभग 50 प्रतिशत तथा विश्व के रेशम उत्पादन का 5.62 प्रतिशत यहीं से होता है। मलबरी का उत्पादन 88,000 हेक्टेयर में होता है और इससे 12 लाख लोगों को रोजगार मिलता है। इन्होंने 12252 रीलिंग इकाइयों, 71 सरकारी ग्रेनेजों, छह केन्द्रीय ग्रेनेजों और 477 निजी ग्रेनेजों की अवसंरचना खड़ी की है। इसने 66 कोकून बाजार और दस रेशम एक्सचेंज बनाए हैं। अत: यह देखा जा सकता है कि रेशम उत्पादक किसानों की सहायता के लिए कर्नाटक सरकार द्वारा कितना प्रयास किया गया है।

अब केन्द्र सरकार इस अधिनियम में राज्य सरकारों की शक्तियों का अध्यारोहण करने के लिए संशोधन कर रही है। रेशम उत्पादन केवल तीन या चार राज्यों में ही होता है। अत: बेहतर यह होता कि राज्यों से संबंधित मामलों को संबंधित राज्य सरकारों पर ही छोड़ दिया जाता। अत: मैं माननीय मंत्री से पुरजोर अनुरोध करता हूं कि इस विधेयक को पारित करने से पूर्व हमारे कुछ संशोधनों को स्वीकार किया जाना चाहिए।

श्री प्रहलाद जोशी (धारवाड़ उत्तर): महोदय, केवल पांच से छह राज्य ही रेशम उत्पादन कर रहे हैं और कर्नाटक उनमें से एक है। अपने साथियों द्वारा पहले ही बताए जा चुके आंकड़ों को मैं दुहराना नहीं चाहता हूं किन्तु मैं यह कह सकता हूं कि इससे कर्नाटक में 12 लाख लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार उपलब्ध हुआ है। यहां वर्ष 1960 के पश्चात से त्रुटिहीन विधान उपलब्ध है। इस त्रुटिहीन विधान के अस्तित्व में होने से कर्नाटक ने कई क्षेत्रों में प्रगति की है। गत दस वर्षों में 100 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसमें विकास हुआ है और 12 लाख लोगों को रोजगार मिला है। इस संदर्भ में, मैं ज्यादा विस्तार पूर्वक बोलना नहीं चाहता हूं किन्तु मैं केवल इतना कह सकता हूं कि विधि के दोहराव से किसान और उत्पादक भ्रम की स्थिति में पड़ेंगे। उदाहरण के लिए धारा 8(एफ) बीज प्रमाणन अभिकरण के गठन के बारे में है। रेशम कीट बीज, रीलिंग स्तर, बाजार स्तर और ग्रेनेज स्तर पर किसानों को जारी करने से पहले राज्य सरकार के अधिकारी द्वारा प्रमाणित किए जाते हैं।

अपराह्न 3.00 बजे

इस संदर्भ में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसी कार्रवाई से केवल दोहरापन आएगा। इससे केवल दो निगरानी एजेंसियां नामत: केन्द्र सरकार और राज्य सरकारें बन जाएंगी।

महोदय, धारा 8(ङ) में पंजीकरण समिति के गठन की बात की गयी है जिसके पास कतिपय विनियम लागू करने और रेशम कीट उत्पादकों के बीजों का पंजीयन करने का अधिकार होगा। यह अधिकार अब राज्य सरकार के पास है। जब यह पहले ही राज्य सरकार के क्षेत्राधिकार के भीतर है तो इस उपबंध को बनाया ही क्यों जाना चाहिए? मैं केन्द्र सरकार से पुरजोर आग्रह करना चाहूंगा कि इस धारा को इस विधेयक में शामिल नहीं किया जाए। मैं

[श्री प्रहलाद जोशी]

केन्द्र सरकार से अनुरोध करूंगा कि इस धारा को निरसित किया जाये।

महोदय धारा 8(ग) में केन्द्र सरकार द्वारा सभी प्रकार के रेशमकीट बीजों की किस्मों को केन्द्रीय रेशमकीट बीज समिति के परामर्श से अधिसूचित करने की शक्ति का उल्लेख किया गया है। यहां ध्यातव्य है कि 1995 में स्थायी समिति ने इस संबंध में स्पष्ट सिफारिश की थी। इस पहलू पर वर्ष 1986 से चर्चा चल रही है। वर्ष 1986 में ही एक समिति ने धारा 8(सी), 8(डी), 8(ङ) और 8(च) में किए गए उपबन्धों के बारे में जोरदार ढंग से कहा था। इन उपबन्धों की कोई आवश्यकता नहीं है।

महोदय, वैश्विक प्रतिस्पर्धा, पाटनरोधी, और अन्य ऐसी चीजों के संदर्भ में मैं सरकार के विचार का समर्थन करता हूं। सरकार को इन पहलुओं पर उचित ढंग से विचार करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि केवल केन्द्र सरकार ही किसानों की हितैषी है बल्कि राज्य सरकारों के पास भी, मैं केवल अपने राज्य की बात नहीं कर रहा हूं, अपने कानून हैं और वे पहले से ही सर्वाधिक बेहतर तरीके से किसानों के हितों की रक्षा कर रहे हैं। केन्द्रीय रेशम बोर्ड निश्चय ही राज्य सरकारों का मार्ग दर्शन कर सकता है किन्तु ऐसा विधान सहायक होगा। मैं माननीय मंत्री से अनुरोध करना चाहूंगा कि पंजीकरण समिति और रेशमकीट बीज और ऐसी चीजों की अधिसूचना से संबंधित धाराओं का निरसन करें।

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय मंत्री जी को इस संशोधन विधेयक को लाने के लिए बधाई देना चाहता हूं। इस विधेयक के माध्यम से सरकार न केवल कतिपय अधिकार देना चाहती है अपितु केन्द्रीय रेशम बोर्ड पर कतिपय ड्यूटी भी लगाना चाहती है। विशेष रूप से मैं इस बात से बेहद खुश हूं कि माननीय मंत्री जी दो समितियां—एक समिति निर्यात और आयात पर नियंत्रण करने के लिए और दूरी हाइब्रिड प्राधिकरण समिति शुरू करना चाहते हैं। ये समितियां काफी जरूरी हैं। यह संशोधन काफी समय से विलंबित था और इसे काफी पहले लाया जाना चाहिए था।

कर्नाटक के मेरे सहयोगियों ने पहले ही यह बता दिया है कि देश में उत्पादित कुल रेशम में से 65-70 प्रतिशत रेशम कर्नाटक में पैदा किया जाता है। इससे राज्य में काफी लोगों को रोजगार और अपनी आजीविका प्राप्त होती है। रेशम उत्पादकों की प्रमुख समस्या चीन से प्रतिस्पर्धा का होना है। यह सच है कि मैं, मेरे सहयोगी और माननीय मंत्री जी भी इस बात से सहमत होंगे कि भारत और चीन में उगाए जाने वाले रेशम की गुणवत्ता में कुछ अंतर है। भारतीय रेशम की गुणवत्ता चीनी रेशम से बेहतर है। भारत के रेशम में एक चमक होती है जो चीनी रेशम में नहीं पायी जाती है। किंतु दुर्भाग्यवश जब इसे सस्ती कीमत पर बेचा जा रहा है तो लोग भारतीय रेशम की जगह चीनी रेशम को काफी प्राथमिकता देते हैं। इसलिए, हमें चीनी रेशम के आयात को नियंत्रित करने के प्रयास करने चाहिए ताकि हम अपने देश के रेशम उत्पादकों के हित की रक्षा कर सकें।

महोदय, हमारे किसानों को काफी परेशानी हो रही है। यहां तक कि हमारे बुनकरों को भी काफी समस्या हो रही है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि वे इन मुद्दों का समाधान करें। मैं माननीय मंत्री जी से यह भी अनुरोध करता हूं कि वे इस क्षेत्र को विद्युत की अबाधित आपूर्ति करने की व्यवस्था करें।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

श्री आर.एल. जालप्पा: महोदय, आप मुझे दो मिनट और दे सकते हैं। मैं पूर्व वस्त्र मंत्री हूं। फिर भी यदि आप मुझे बात समाप्त करने के लिए कह रहे हैं तो इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं।

वस्त्र मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ई.वी.के.एस. इलैंगोवन): महोदय, वर्तमान केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम में देश में रेशमकीट बीजों के उत्पादन और बिक्री हेतु किसी विनियामक तंत्र का प्रावधान नहीं है। इसलिए प्रस्तावित विधान का उद्देश्य रेशमकीट बीजों के उत्पादन का गुणवत्ता मानदंड सुनिश्चित करना, केवल अधिकृत स्थानों पर ही बीजों के उत्पादन को सीमित करना, उत्पादन और व्यापार को नियंत्रित करना और अन्य देशों से आने वाले बिना जांच वाले हाइब्रिडों, जिनसे रोग या अन्य जोखिम के देश में आने की संभावना है, का प्रवेश रोकना है।

इस विधेयक के अंतर्गत किए गए प्रावधान से केन्द्रीय रेशम बोर्ड के अंतर्गत रेशमकीट बीज समिति का सृजन किया गया है जो उन्हें मानक और अन्य संबंधित मामलों के लिए उत्तरदायी बनाते हैं। एक अन्य प्रावधान हाइब्रिड प्राधिकरण और पंजीकरण समिति का गठन करने और बीज जांच प्रयोगशालाओं और परीक्षण, प्रमाणीकरण और ऐसी बीजों की जांच हेतु एजेंसियों का गठन करना है। अगला प्रावधान सीमा-शुल्क अधिकारियों को निर्यात और आयात की जांच करने और ऐसे मानकों का पालन न करने को एक दंडनीय कृत्य बनाने की शक्ति देना है ताकि अन्य कानून में अंतर्विष्ट असंगति के होते हुए भी केन्द्रीय रेशम बोर्ड को प्रभावी बनाया जा सके।

विधेयक को मूलत: 30.8.2005 को राज्य सभा में पुर:स्थापित किया गया था जिसे श्रम संबंधी संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया था। उक्त समिति ने कुछ सिफारिशें की थी जो वस्त्र मंत्रालय

को 1 मार्च, 2006 को प्राप्त हुई थी। इस मंत्रालय ने सिफारिशों की जांच की और एक संशोधित प्रारूप संशोधन विधेयक तैयार किया जिसे राज्य सभा द्वारा इस सत्र में स्वीकृत और पारित किया गया।

इसके साथ-साथ, मैं माननीय सदस्य श्री आचार्य जी को यह बताना चाहता हूं कि संसदीय स्थायी समिति की अधिकांश सिफारिशें स्वीकार कर ली गई हैं। श्रम संबंधी स्थायी समिति ने कुल सात सिफारिशें की थी जिन पर चर्चा की गई थी और उनमें से अधिकांश को स्वीकार किया गया है। इसके साथ-साथ, वे इस विधेयक की आवश्यकता के बारे में जानना चाहते हैं। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य वैश्वीकरण और उदारीकरण को ध्यान में रखते हुए विधान में एकरूपता लाने तथा रेशम कीट पालन के द्रुत विकास के रास्ते में आने वाली बाधाओं को दूर करना है। जब तक हम अपनी व्यवस्था में बुनियादी परिवर्तन नहीं करते हैं तब तक हम रेशम उत्पादन में चीन से प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते हैं।

आज, सभी प्रमुख रेशम उत्पादक राज्यों के अपने स्वयं के अधिनियम हैं जिनमें उत्पादन और बीज के विपणन तथा उनकी अन्तर-राज्यीय ढुलाई पर कई प्रतिबंध लगाए गए हैं। इस प्रकार किसान और रीलर्स वर्तमान व्यवस्था के शिकार हैं और उदारीकृत राष्ट्रीय और वैश्विक बाजार का लाभ उठाने हेतु उन्हें मुक्त किए जाने की आवश्यकता है। इसलिए राज्य के प्रतिबंधों को हटाया जाना चाहिए। कुछ राज्यों के अधिनियम प्रतिबंधात्मक स्वरूप के हैं और वे निजी क्षेत्र के निवेश के आवक विस्तार और स्वचालन जो वैश्विक प्रतिस्पर्धा की चुनौतियों से निपटने हेतु जरूरी हैं, को प्रतिबंधित करते हैं।

नियमों को बनाते समय श्री अनंत कुमार, श्री राजेश मिश्रा जैसे माननीय सदस्यों द्वारा व्यक्त की गई चिंताओं का ध्यान रखा जाएगा। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि जैसा कि माननीय सदस्य श्री शैलेन्द्र कुमार ने भी बताया है, कि संघ द्वारा संविधान की समवर्ती सूची के अंतर्गत रेशम कीट पालन विषय को लिए जाने पर केन्द्र सरकार अपने कानून बनाने तथा पहले से विद्यमान कानूनों में संशोधन करने हेतु सक्षम है।

तमिलनाडु के श्री सुगावनम ने यह कहा है कि रेशम की साड़ियों पर गुणवत्तापरक नियंत्रण होना चाहिए। मैं उन्हें यह बताना चाहता हूं कि हमने एक रेशम चिह्न की शुरूआत की है और यह दो-तीन महीने से लागू है। उन्होंने यह भी कहा है कि कृष्णागिरि क्षेत्र रेशमकीट पालन में अच्छा काम कर रहा है। मेरे अपने निर्वाचन क्षेत्र सहित तमिलनाडु में कई अन्य स्थान हैं जहां रेशमकीट की खेती हो रही है। कृष्णागिरि को वस्त्र मंत्रालय और केन्द्रीय रेशम बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सहायता भी प्राप्त होगी।

मैं उड़ीसा के माननीय सदस्य श्री महापात्र को यह बताना चाहता हूं कि उड़ीसा में रेशम कीट पालन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। यदि राज्य सरकार कुछ प्रस्ताव लाएगी तो केन्द्र सरकार निश्चित तौर पर उस पर गौर करेगी।

श्री विक्रम केशरी देव (कालाहांडी): हमने उड़ीसा के एक सदस्य को बोर्ड में शामिल करने का अनुरोध किया था। इसका उल्लेख नहीं किया गया है। ...*(व्यवधान)*

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: बोर्ड में सारे देश के सदस्य शामिल होंगे। ...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव: आपने उड़ीसा का नाम नहीं लिया है। ...*(व्यवधान)*

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: हम यह आश्वासन नहीं दे सकते कि उड़ीसा से कोई सदस्य होगा अथवा नहीं है। परन्तु आपके अनुरोध पर विचार किया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव: मैं माननीय मंत्री महोदय से उड़ीसा को खण्ड 3(छ) की धारा (4) में अंत:स्थापित करने का अनुरोध करता हूं।

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: हम इस पर विचार करेंगे।

जब श्री अनंत कुमार बोल रहे थे, तो उन्होंने उल्लेख किया कि स्वचालित रीलिंग इकाइयां काफी महंगी हैं तथा इनकी अनुमानित लागत 1.5 करोड़ रुपये तक है। मैं उन्हें यह भी जानकारी देना चाहूंगा कि करीब 50 लाख रुपये की राजसहायता की घोषणा पहले ही कि जा चुकी है। यदि ऐसी इकाइयों से प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो इन पर विचार किया जाएगा।

कर्नाटक के श्री एम. शिवन्ना, श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश और अन्य माननीय सदस्य तथा अन्य राज्य के कुछ सदस्यों ने भी उल्लेख किया है कि कर्नाटक रेशम का बड़ा उत्पादक है। इस संबंध में मैं यह कहना चाहूंगा कि कर्नाटक 7,000 मीट्रिक टन रेशम का उत्पादन कर रहा है जबकि पूरे भारत में रेशम उत्पादन 17,000 मीट्रिक टन है।

मैं श्री जालप्पा को इस विधेयक का समर्थन करने हेतु धन्यवाद देता हूं। इस अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाते समय, कर्नाटक और अन्य राज्यों के सदस्यों की वास्तविक शंकाओं पर खुले दिमाग से विचार किया जाएगा। वर्तमान विधेयक का उद्देश्य प्रतिबंधात्मक पद्धति से किसानों और 'रीलर' को मुक्त कराना है। नए कानून के अंतर्गत, केन्द्र राज्य अवसंरचना, श्रमशक्ति और विशेषज्ञता का प्रयोग करने तथा उन्हें मजबूत बनाने का प्रयास करेगा।

[श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन]

वस्तुत: हम अन्य राज्यों को प्रगतिशील राज्य कर्नाटक के समकक्ष लाने का प्रस्ताव कर रहे हैं। कर्नाटक के विरुद्ध कुछ भी नहीं किया जा रहा है। हम चाहते हैं कि अन्य राज्य भी कर्नाटक की प्रगतिशील पद्धति और उपलब्धि का अनुकरण करें। किसानों और 'रीलर्स' के हित में, यह अधिनियम बिना किसी संशोधनों के पारित किया जाना चाहिए।

इसलिए, मैं अनुरोध करता हूं कि यह विधेयक पारित किया जाए।

श्री आर.एल. जालप्पा (चिकबलपुर): जब मैं वस्त्र मंत्री था तब मैंने मल्टी-एण्ड रीलिंग यूनिटों को प्रोत्साहित किया था। मैं पचास प्रतिशत राजसहायता दे रहा था। उसका क्या हुआ? क्या यह अभी भी जारी है? मंत्री जी को यह स्पष्ट करना है।

दूसरी बात यह है कि निर्यात करते समय वे इन्हें हाथ की बुनाई किया हुआ बताकर निर्यात करते हैं परन्तु वस्तुत: ये पतली बनावट का प्रयोग करके विद्युतकरघा द्वारा बुने हुए होते हैं। वे उन्हें हथकरघा निर्मित बताकर उनका निर्यात करते हैं। इसे रोका जाना चाहिए।

अन्य बात, जिसका मैं जिक्र करना चाहता हूं कि वह यह है कि मेरे अपने क्षेत्र घोड्डाबेल्ला पोर्ट में 20,000 विद्युतकरघा है जो रेशम उद्योग में लगे हैं। मुझे रेशम के बारे में कुछ जानकारी है। इसी वजह से मैं चंद मिनट और लेना चाहता हूं।

क्या मंत्री जी यह स्पष्ट करेंगे कि क्या इन मल्टी-एण्ड रीलर्स को सहायता दी जा रही है? हमें उन्हें प्रोत्साहित करना है क्योंकि इन मल्टी-एंड रीलर्स में 'रेन्डेटा' और अधिक होगा।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा): मैंने वैज्ञानिकों के बारे में एक प्रश्न पूछा है। वैज्ञानिकों की कमी है। उनके लिए काफी रिक्तियां हैं। कुछ प्रतिबंधों की वजह से वैज्ञानिकों की भर्ती नहीं की जा रही है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन प्रतिबंधों में कोई छूट दी जाएगी। 2,500 कामगार हैं। उनका उन्नयन करके अस्थायी दर्जा दे दिया गया है। इस संबंध में आदेश जारी किए गए थे। परन्तु बाद में इसे वापस ले लिया गया। क्या सरकार उनका उन्नयन करके उन्हें अस्थायी दर्जा देने पर पुन: विचार करेगी?

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: महोदय, मैंने माननीय सदस्यों, श्री बसुदेव आचार्य और पूर्व मंत्री श्री आर.एल. जालप्पा द्वारा उल्लिखित मुद्दों को नोट कर लिया है। यहां मैं यह बताना चाहूंगा कि मैंने उनकी बातों को नोट कर लिया है। मल्टी-एंड स्कीम अभी भी जारी है। जैसाकि मैं पहले ही बता चुका हूं, जहां तक इन स्वचालित रीलिंग यूनिटों का प्रश्न है हमने तमिलनाडु में एक यूनिट स्थापित करने की स्वीकृति दी है तथा 50 लाख रुपये की राजसहायता की घोषणा की गयी है। परन्तु इस यूनिट की स्थापना हेतु स्थान का निर्णय किया जाना शेष है।

जहां तक रेशम बोर्ड के अधिकारियों हेतु वाहनों की व्यवस्था करने से संबंधित माननीय सदस्य, श्री सुगावनम के सुझाव का प्रश्न है, यह विचाराधीन है।

श्री बसुदेव आचार्य: मेरे द्वारा उठाए गए मुद्दे का क्या हुआ? *...(व्यवधान)*

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: मैंने आपके मुद्दे को नोट कर लिया है। हम इस विशेष क्षेत्र में आर. एंड डी. के महत्व से अच्छी तरह अवगत हैं। *...(व्यवधान)*

श्री विक्रम केशरी देव: उड़ीसा को शामिल करने के संबंध में क्या हुआ? धारा 4 में उड़ीसा शामिल नहीं है। कृपया उड़ीसा को भी शामिल करें। *...(व्यवधान)* मैं एक संशोधन प्रस्तावित करना चाहता हूं *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए। मैंने दो बार अवसर दिया है। आपका संशोधन वहां विद्यमान नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री विक्रम केशरी देव: विधेयक की धारा 4 के खण्ड 3 में यह उल्लिखित है कि आंध्र प्रदेश सरकार असम सरकार, बिहार सरकार, छत्तीसगढ़ सरकार, झारखण्ड सरकार, मध्य प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तरांचल सरकार और उड़ीसा सरकार में से प्रत्येक द्वारा एक-एक व्यक्ति नामित किए जाएंगे। मैं चाहता हूं कि शब्द उड़ीसा शामिल किया जाए। उड़ीसा के पास रेशम उत्पादन और रेशम कीट पालन की काफी क्षमता है। इसमें काफी संख्या में जनजातीय लोग शामिल हैं। *...(व्यवधान)*

श्री ई.वी.के.एस. इलेंगोवन: इस संबंध में उचित विचार किया जाएगा।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि केन्द्रीय रेशम बोर्ड अधिनियम, 1948 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय: अब सभा विधेयक पर खंडवार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"कि खण्ड 2 से 15 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 2 से 15 विधेयक में जोड़ दिए गए

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि खंड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

खण्ड 1, अधिनियमन सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए

श्री ई.वी.के.एस. एलेंगोवन: महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

उपाध्यक्ष महोदय: प्रश्न यह है:

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 3.20 बजे

बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अब, हम मद संख्या 21—बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को लेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं:

"कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, भारत आयात-निर्यात बैंक अधिनियम, 1981 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

इस विधेयक को कारपोरेट शासन में सुधार लाने हेतु निदेशक मंडल की मान्यता में वृद्धि करने हेतु 1970 एवं 1980 के बैंकारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियमों एवं अन्य कई अधिनियमों में संशोधन करने हेतु 16 अगस्त, 2005 को लोक सभा में पुर:स्थापित किया गया था।

यह विधेयक साथ ही साथ पूर्णकालिक निदेशकों की विद्यमान संख्या 2 को 4 करने राष्ट्रीयकृत बैंकों के मंडल में सेबी एवं अन्य वित्तीय संस्थानों से दो निदेशकों के नामनिर्देशन के प्रावधान से संबंधित धारा को समाप्त करने, मंडल में अधिकतम तीन निर्वाचित शेयर धारक निदेशकों की व्यवस्था करने, वार्षिक आम बैठक में संबंधित बैंकों के वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र पर चर्चा करने, इन्हें स्वीकार करने एवं अनुमोदन करने में शेयरधारकों को समर्थ बनाने, बैंक की वार्षिक रिपोर्ट के अलावा तुलन-पत्र, लाभ-हानि के लेखाओं एवं लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट जैसे समनुषंगी अथवा समनुषंगियों के ब्यौरों को अनुबंधित करने के अधिकार की व्यवस्था करने, बैंकों को 7 वर्ष से ज्यादा पुराने दावारहित लाभांशों को कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 205ग के अंतर्गत केन्द्र सरकार द्वारा स्थापित निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष में अंतरित करने हेतु समर्थ बनाने, भारतीय रिजर्व बैंक की सिफारिशों के आधार पर केन्द्र सरकार द्वारा कमजोर, संभावित रूप से कमजोर बैंकों के निदेशक मंडल को बर्खास्त करने में समर्थ बनाने, कामगार/अधिकारी कर्मचारी निदेशकों के अलावा गैर-शासकीय/निर्वाचित निदेशकों के कार्यकाल का निर्धारण तीन वर्ष करने और आगे की पुनर्नियुक्ति/पुन-निर्वाचन के बाद कुल अवधि छह वर्ष से अधिक न होने की शर्त के साथ बैंकों और वित्तीय संस्थाओं से संबधित कानूनों में संशोधन करने का प्रावधान करता है।

इस विधेयक को वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के पास भेजा गया था जिसने इस विधेयक के उपबन्धों पर चर्चा की और इस पर विस्तार से विचार-विमर्श करने के पश्चात 24 अप्रैल, 2006 को माननीय अध्यक्ष के समक्ष अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। समिति संशोधन प्रस्तावों के व्यापक उद्देश्यों के साथ सहमत है जो कि बैंकिंग प्रणाली के बढ़ते कार्यकलापों के साथ-साथ आज की जटिलताओं की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए लक्षित हैं। स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर सरकार ने संशोधनों की सूची प्रस्तुत की है जिसे हम इस विधेयक पर चर्चा के अंत

[श्री पवन कुमार बंसल]

में रखेंगे। मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन चाहता हूं कि स्थायी समिति की सिफारिशों के आधार पर व्यापक चर्चा के बाद और अन्य माननीय सदस्यों जिन्हें कुछ बताने का अवसर मिला था, के साथ भी चर्चा के बाद आवश्यक संशोधन के साथ कई संशोधनों को जोड़ा गया है। यह सूची माननीय सदस्यों को भेजी गई है। संशोधनों को बाद में रखा जाएगा।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं यही आग्रह करता हूं कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 के साथ प्रस्ताव सरकारी संशोधनों को इस सम्मानीय सभा द्वारा विचार किया जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ:

"कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) अधिनियम, 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, जमा बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961, भारत आयात-निर्यात बैंक अधिनियम, 1981 एवं राष्ट्रीय आवास बैंक, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

मैं यहां एक घोषणा भी करना चाहता हूं। इस विधेयक के पारित होने के पश्चात। हम किसानों की समस्याओं से संबंधित चर्चा की बजाय न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट के संबंध में नियम 193 के अंतर्गत चर्चा को लेंगे।

अब, श्री पी.एस. गढ़वी बोलेंगे।

श्री पी.एस. गढ़वी (कच्छ): महोदय, इस विधेयक पर बोलने के लिए मुझे अवसर देने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं। मैं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर अपने विचार व्यक्त करने के लिए खड़ा हुआ हूं।

जैसा कि हम जानते हैं कि जुलाई 1969 में 50 करोड़ रुपए अथवा इससे अधिक जमाराशि वाले 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। माननीय उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 1970 के अपने निर्णय में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1969 को शून्य घोषित कर दिया था। अत:. इन बैंकों पर नियंत्रण बहाल करने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति ने 14 फरवरी, 1970 को बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश जारी किया था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): उपाध्यक्ष महोदय, जब मर्जी होती है तब बिजनेस चेंज हो जाता है। यह क्या बात है? ...*(व्यवधान)*

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा (संगरूर): उपाध्यक्ष महोदय, फार्मर्स इश्यू बहुत इम्पोर्टेंट है। पाठक कमीशन की रिपोर्ट पर कल चर्चा होनी चाहिए। आज आप फार्मर्स इश्यू पर चर्चा कराइये।

कुमारी ममता बैनर्जी: उपाध्यक्ष महोदय, आप रात दस बजे तक हाउस चलाइये, लेकिन पहले फार्मर्स वाले इश्यू पर चर्चा होनी चाहिए।

उपाध्यक्ष महोदय: आपको कल इस इश्यू पर बोलने के लिए ज्यादा टाइम मिल जायेगा। अगर आज फार्मर्स इश्यू पर डिसकशन होगी, तो आपको बोलने के लिए ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: यह मामला कल चर्चा हेतु लिया जाएगा।

कुमारी ममता बैनर्जी: सभा का कार्य इस तरह क्यों परिवर्तित किया जाता है? किसानों का मुद्दा काफी महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

महोदय, जय जवान, जय किसान। इसलिए पहले किसानों के मुद्दे पर चर्चा होनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

पहले फार्मर्स से संबंधित डिस्कशन को ले लीजिए, यह ज्यादा अच्छा होगा।

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कल हमारे पास इस पर चर्चा के लिए पर्याप्त समय होगा।

श्री सुखदेव सिंह ढींडसा: इस पर कल किस समय चर्चा होगी?

उपाध्यक्ष महोदय: इसका निर्णय कल होगा।

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): उपाध्यक्ष महोदय ठीक कह रहे हैं कि अगर कल इस विषय पर चर्चा हो तो इसके लिए ज्यादा समय मिल जाएगा।

कुमारी ममता बैनर्जी: लिस्ट आफ बिजनेस में इस तरह चेंज नहीं किया जाना चाहिए।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): उपाध्यक्ष महोदय, नेताओं की बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि आज सबसे पहले चर्चा के लिए किसानों के मुद्दे को लिया जाएगा। ...*(व्यवधान)*

रसायन और उर्वरक मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक): उपाध्यक्ष महोदय, आज की कार्य सूची में दर्ज मद सं. 24 को आज 4 बजे अपराह्न चर्चा के लिए लिया जाना है। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इस विधेयक को पारित करने के पश्चात् हम न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट पर चर्चा करेंगे।

[हिन्दी]

कुमारी ममता बैनर्जी: महोदय, पहले फार्मर्स से संबंधित बिजनेस लिया जाए, उसके बाद ही पाठक रिपोर्ट पर चर्चा कराई जाए।

उपाध्यक्ष महोदय: कल सदन को इस पर चर्चा करने के लिए ज्यादा समय मिल जाएगा।

गढ़वी जी, आप बोलिए।

[अनुवाद]

श्री पी.एस. गढ़वी: मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए मुझे अवसर देने हेतु आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। हमारे देश में 14 प्रमुख भारतीय अनुसूचित बैंकों, जिनमें से प्रत्येक बैंक की जमाराशि 50 करोड़ रुपए अथवा अधिक थी का अप्रैल 1969 में बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1969 के द्वारा राष्ट्रीयकरण किया गया था। लेकिन यह अधिनियम माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा फरवरी, 1970 के अपने निर्णय द्वारा शून्य घोषित कर दिया था। अत:, इन बैंकों पर नियंत्रण बहाल करने के उद्देश्य से भारत के राष्ट्रपति ने 14 फरवरी, 1970 को एक अध्यादेश जारी किया। बैंककारी जिसे कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अध्यादेश कहा जाता है। बाद में इसे बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और हस्तांतरण) अधिनियम, 1970 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

तदनन्तर, छ: भारतीय निजी बैंकों, जिनमें से प्रत्येक बैंक की जमाराशि 200 करोड़ रुपए अथवा अधिक थी, को 15 अप्रैल, 1980 के एक अध्यादेश द्वारा राष्ट्रीयकृत किया गया और इस अध्यादेश को भी बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980 द्वारा प्रतिस्थापित किया गया।

वर्तमान में लगभग 19 राष्ट्रीयकृत बैंक हैं जैसा कि माननीय मंत्री जी द्वारा दिए गए उद्देश्य एवं कारण विवरण में उल्लेख किया गया है। 1970 और 1980 के अधिनियमों में मूल रूप से यह अभिकल्पना की गई थी कि इन बैंकों की चुकता पूंजी आरक्षित निधि से अंतरण के द्वारा अथवा केंद्र सरकार द्वारा अंशदान के माध्यम से बढ़ाई जा सकती है। 1994 में इन अधिनियमों को यह उपबंध करने हेतु संशोधित किया गया कि इन बैंकों की चुकता पूंजी में उतनी राशि तक वृद्धि की जा सकती है जितनी कि इन बैंकों के निदेशक मंडल भारतीय रिजर्व बैंक से परामर्श के पश्चात तथा केंद्र सरकार की पूर्वानुमति से शेयरों के सार्वजनिक निर्गम द्वारा निधियां जुटाने हेतु विचार करे, ताकि इनमें से प्रत्येक बैंक की चुकता पूंजी में केंद्र सरकार की शेयर धारिता 51 प्रतिशत से कम नहीं हो। अत:, सार्वजनिक निर्गम करने वाले 15 राष्ट्रीयकृत बैंकों का शेयरधारिता ढांचा 51 प्रतिशत से 70 प्रतिशत के बीच अलग-अलग है। केन्द्र सरकार के पास 4 राष्ट्रीय बैंकों में पूरी इक्विटी है तथा 15 राष्ट्रीयकृत बैंकों में अधिकांश इक्विटी शेयर धारित हैं।

महोदय, वर्ष 1994 में शुरू किये गए राष्ट्रीयकृत बैंकों की शेरयधारिता पद्धति में परिवर्तन के अतिरिक्त ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया शांत रहिए।

श्री पी.एस. गढ़वी: सरकार का विचार सरकार के अलावा शेयरधारकों द्वरा बैंकों के बोर्ड में निर्वाचित निदेशकों की अधिकतम संख्या को छह से तीन कर सरकारी निदेशकों के समान प्रतिनिधित्व के लिए संशोधन करने का है। इस संशोधन से सरकार को कुछ शक्तियां या और अधिक शक्तियां मिलेंगी तथापि, साथ ही साथ बैंकों में समय की मांग यह है कि सीमांत और छोटे किसानों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के साथ-साथ बैंकों को भारतीय फर्मों के लिए प्रतिस्पर्धात्मक दरों पर धन उपलब्ध कराने के लिए, समुचित रणनीति बनानी चाहिए ताकि वे विदेशी बैंकों द्वारा दी जा रही चुनौतियों का सामना कर सकें।

[श्री पी.एस. गढ़वी]

महोदय, मैं हमारे बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियों से संबद्ध स्थिति को माननीय वित्त मंत्री महोदय के ध्यान में लाना चाहूंगा। सभी बैंकों ने प्रतिवर्ष गैर-निष्पादित आस्तियां बढ़ती जा रही हैं, जहां भी वे ऋण देखते हैं, हमें पता चलता है कि गैर-निष्पादित आस्तियों के रूप में बहुत अधिक धनराशि पड़ी है। भारतीय बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियों का खतरा चिन्ताजनक होता जा रहा है। अमरीका जैसे विकसित बाजारों में भारतीय बैंकों की तुलना में गैर-निष्पादित आस्तियां इतनी कम हैं कि वहां बैंक संभावित लेनदारों के संबंध में ऋण सूचनाओं की अद्यतन जानकारी रखते हैं। भारत में ऋण तथा क्रेडिट कार्ड अक्सर ऋण इतिहास की अपर्याप्त सूचना पर दिए जाते हैं। यह किसी व्यक्ति के लिए असामान्य बात नहीं है वह एक बैंक का ऋण चुकाने में चूक जाए तथा दूसरे से नया ऋण/क्रेडिट कार्ड प्राप्त कर ले।

मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि वे क्या सूचना ब्यूरो (भारत) लिमिटेड सीआईबीआईएल के प्रतिवेदन पर विचार करें। जिसने निगमों सहित वाणिज्यिक कंपनियों का डाटाबेस बनाना शुरू कर दिया है। ऋण इतिहास के रखरखाव में लगी सभी एजेंसियों की तरह, सीबीआईएलएस "उपचार से सावधानी बेहतर है" के सिद्धान्त पर कार्य करता है।

महोदय, मैं यहां यह उल्लेख करना चाहता हूं कि ऋण वसूली अधिकरण अधिनियम तथा एस.ए.आर.एफ.ए.ई.एस.आई. अधिनियम के जरिए ऋण वसूली का विधिक उपाय बैंकों की बकाया राशि की वसूली में अधिक सहायक नहीं हुआ है। इसलिए सीआईबीआईएल जैसी एजेंसियों का मुख्य उद्देश्य प्रथमतया बैंकों की गैर-निष्पादित आस्तियों को बढ़ने से रोकना है। वे ऐसा अधिक सूचनाएं उपलब्ध होने के आधार पर करते हैं।

महोदय, हम जानते हैं कि औद्योगिक घराने कई बार एक बैंक के साथ-साथ अन्य किसी बैंक से ऋण ले लेते हैं। वे वहां हर बात का खुलासा नहीं करते हैं। दूसरे बैंक के पास इसके बारे में कोई सूचना नहीं होती है। इसलिए, इस सभा के समक्ष सभी प्रकार के संशोधन लाए गए हैं। माननीय वित्त मंत्री महोदय को इस बात पर विचार करना चाहिए क्योंकि यह बहुत बड़ा खतरा है। हम जानते हैं कि किस प्रकार से बड़े औद्योगिक घरानों तथा हर्षद मेहता जैसे अन्य व्यक्तियों ने बैंकों को कैसे धोखा दिया है। बैंक भी इन लोगों को सभी प्रकार की सुविधाएं प्रदान कराते हैं किन्तु वे गरीब किसानों को ऋण प्रदान नहीं करते हैं। आज ही सभा में एक मुद्दा उठाया गया था कि एक बेरोजगार युवक ने आत्महत्या कर ली क्योंकि बैंक ने उसे ऋण देने से मना कर दिया।

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय को ध्यान दिलाना चाहता हूं कि मेरे जिले कच्छ में एक बैंक में भारी मात्रा में जमाराशि है। यह जमा राशि 6,000 करोड़ रुपये से अधिक है। सामान्यत: ऋण जमा अनुपात 40:60 होता है किन्तु कच्छ जिले में बैंक 10 प्रतिशत से ज्यादा ऋण नहीं दे रहे हैं। वहां ऋण जमा अनुपात 10:90 है। वहां पर ऐसा सब हो रहा है।

मेरा माननीय वित्त मंत्री महोदय से अनुरोध है कि इस संबंध में मेरे सुझाव पर विचार करें तथा इसमें संशोधन लाएं। चूंकि सभी प्रकार के संशोधन इसमें नहीं हैं तथा हमारे बैंकों को इस वैश्विक दौर में प्रतिस्पर्धा करनी है, इसलिए संशोधन इसके लिए किए जाने चाहिए। मैं इस संशोधन का भी स्वागत करता हूं। साथ ही साथ, मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से यह ध्यान देने के लिए अनुरोध करता हूं कि बड़े औद्योगिक घरानों या बड़े व्यवसायियों को, जिन्होंने बैंकों के साथ धोखाधड़ी की है एवं जिनके कारण इन बैंकों में गैर-निष्पादित आस्तियां बढ़ी हैं, को अधिक ऋण उपलब्ध कराने के बजाय गरीब किसानों, छोटे व्यापारियों और छोटे व्यवसायियों को आसानी से ऋण उपलब्ध कराया जाए।

मेरा वित्त मंत्री महोदय से एकमात्र अनुरोध है कि वे कृपया इन सभी सुझावों पर विचार करें तथा वे ऐसे सभी संशोधन करें जो बैंकों को ऋण प्रदान करने में सक्षम बनाएं।

एक बार पुन: मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री के.एस. राव (एलूरू): उपाध्यक्ष महोदय, मैं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) तथा वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक का समर्थन करता हूं। वास्तव में यह बहुत पहले आ जाना चाहिए था। यद्यपि, इसे संशोधन के लिए वर्ष 2000 में पुर:स्थापित किया गया था, फिर भी 12वीं लोक सभा भंग हो जाने के कारण इसमें लम्बा समय लग गया तथा कुछ प्रस्ताव जो राजग सरकार ने किए थे वे स्वीकार्य नहीं थे तथा वित्त संबंधी स्थायी समिति द्वारा दिए गए सुझाव बिल्कुल ही अलग थे।

वास्तव में, यदि बैंकिंग क्षेत्र को प्रभावी तरीके से कार्य करना है तो राष्ट्र तथा विशेषकर लोगों को होने वाला लाभ काफी अधिक होगा। यदि बैंकिंग क्षेत्र की धनराशि का समुचित उपयोग किया जाए तो इसका लाभ बजटीय सहायता के माध्यम से दिए जाने वाला लाभ से अधिक होता है। उस समय जब बैंकों में जमा राशि का लाभ देश में कुछ ही लोगों द्वारा लिया जाता था तब श्रीमती गांधी तत्कालीन प्रधानमंत्री ने उन दिनों में यह देखने के लिए कि लाभ गरीब लोगों तथा और अधिक लोगों को मिले के लिए उन बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। उस समय ऐसे भी बैंक थे जिनके पास 1 करोड़ रुपये की इक्विटी थी तथा 200 करोड़

रुपये जमा थे। इसका अर्थ है कि यदि उन्हें 4 प्रतिशत, 3 प्रतिशत या 2 प्रतिशत का लाभांश कमाना हो तो उन्हें 1 करोड़ रुपये की इक्विटी पर एक वर्ष में 4 करोड़ रुपये का लाभ होगा। इसका अर्थ है कि उन शेयरधारकों को बैंक के मालिक हैं को 400 प्रतिशत का लाभ होगा। इसलिए इन सभी बातों का ध्यान रखा गया। उन दिनों में बैंक गरीब लोगों भी पहुंच के बाहर के तथा उन तक पहुंच कुछ ही लोगों की थी। वह परिस्थिति बदल गई है। बाद में अस्सी या सत्तर के दशक में जब गांवों में गरीब लोगों जिनकी बैंकों तक पहुंच नहीं थी को राष्ट्रीयकृत बैंकों से धनराशि उपलब्ध करायी गई तो उन्हें खुशी हुई। वास्तव में बहुत से लोग लाभान्वित हुए। लेकिन, बाद में देश में एक गलत राय बनी कि गांवों में गरीब लोगों को दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जा रहा है। इसलिए बैंक प्रबन्धक एक खबर फैलाया करते थे कि गरीब लोगों तथा गांववासियों को दिए गए ऋण का पुनर्भुगतान नहीं किया जा रहा है, इसलिए ऋण हमें केवल अमीर लोगों को देना चाहिए जो हमारा धन वापस कर सकते हैं। वह संस्कृति एक बार फिर आ गई है। मैं बहुत प्रसन्न हूं कि आज महिला स्व: सहायता समूहों को दी गई 97 प्रतिशत धनराशि का पुनर्भुगतान किया जा रहा है।

अपराह्न 3.39 बजे

[श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव *पीठासीन* हुए]

इसका अर्थ हुआ कि बैंकिंग क्षेत्र में यह भय नहीं होना चाहिए कि गरीब लोगों अथवा ग्रामीणों को दी गई धनराशि वापस नहीं की जाएगी। इसका पुनर्भुगतान किया जाएगा तथा इससे देश को लाभ होगा तथा गरीब लोगों को भी बहुत लाभ होगा। यदि एक उद्योगपति को 100 करोड़ दिए जाते हैं तो बैंकरों को आठ अथवा नौ प्रतिशत लाभ होगा तथा सृजित धनराशि निवेश की तुलना में पर्याप्त नहीं होगी। परन्तु जब एक गरीब महिला को भैंसे या गाय खरीदने के लिए 20,000 रु. दिए जाते हैं तो वह एक वर्ष में 20,000 रु. से अधिक कमाएगी। इसका अर्थ है 20,000 रु. का ऋण समाज के लिए 20,000 रु. की राशि का सृजन करेगा। इससे परिवार की वित्तीय स्थिति भी बदलेगी। भारत सरकार अथवा राज्य सरकारों को उनके बारे में चिंता करने अथवा उन्हें राजसहायता देने अथवा अन्य लाभ देने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। हमें केवल इतना करना है कि गांवों में इन गरीब लोगों के लिए ब्याज की दर कम करनी है। वे इतना ब्याज नहीं दे पाएंगे जितना कि कारपोरेट क्षेत्र दे सकता है।

यदि कारपोरेट क्षेत्र के लिए ब्याज दर 15 प्रतिशत है तो जाहिर है कि वे उस ब्याज को उत्पाद लागत में जोड़ देंगे और उसे बेच देंगे। अत: वे घाटे में नहीं रहेंगे। गरीब लोगों को कई समस्याएं होती हैं। अपने उत्पाद का विपणन करना उनके लिए एक समस्या है। उन्हें प्राकृतिक आपदाओं तथा अन्य बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इन बातों के अतिरिक्त अधिक ब्याज दर तो उन्हें मार डालेगी। इसलिए एक नीति बनाई जानी चाहिए। कारपोरेट क्षेत्र से वे चाहे जितना ब्याज वसूल सकते हैं परन्तु समाज के गरीब वर्गों के लिए ब्याज दर तीन प्रतिशत अथवा अधिकतम चार प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए। यदि ऐसा हो जाए तो हम ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों को प्रोत्साहित कर तथा रोजगार प्रदान कर हर वर्ष सकल घरेलू उत्पाद में पर्याप्त वृद्धि कर सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करूंगा कि वह विचार करें कि क्या राष्ट्रीय रोजगार गारंटी योजना के अंतर्गत 40000 रु., श्री पवार जी के माध्यम से खाद्य राजसहायता के अंतर्गत 25,000 करोड़ रु., उर्वरक राजसहायता के अंतर्गत 25,000 करोड़ रु. तथा ग्रामीण विकास योजनाओं के अंतर्गत एक बड़ी धनराशि प्रदान करने के स्थान पर यह ठीक नहीं है। धनराशि के सृजन के लिए यदि गरीब लोगों को कम ब्याज दर पर धनराशि उपलब्ध कराई जाए तो एक निश्चित अवधि में इन सभी चीजों से बचा जा सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से इस पर विचार करने तथा मंत्रिमंडल की बैठक में इस मामले पर चर्चा करने का अनुरोध करता हूं।

अब मैं, विधेयक पर आता हूं और वैश्वीकरण, व्यापार के आकार तथा प्रकृति को देखते हुए बैंकिंग उद्योग को इसे अलग तरीके से करना होगा, निस्संदेह उसे नई तकनीकें अपनानी पड़ेगी तथा उन बहुराष्ट्रीय तथा विदेशी बैंकों से स्पर्धा करनी होगी, जिनको हमने यहां कार्य करने की अनुमति दी है। अत: जो पूंजी चाहिए उसका आकार बड़ा है, लेन-देन का आकार बड़ा है तथा समस्याएं बिलकुल अलग ढंग की हैं। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में निजी भागीदारों को अनुमति देते हुए निश्चित ही हमें उन्हें तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों के निजी शेयर धारकों को स्वतंत्रता देनी होगी। मुझे प्रसन्नता है कि उन्होंने व्यवस्था कर दी है कि भारत सरकार द्वारा नामित निदेशकों के अतिरिक्त शेयरधारकों में से भी निदेशक बन सकते हैं। इसकी आवश्यकता थी।

माननीय मंत्री महोदय द्वारा इस विधेयक में किए गए कुछ प्रावधान स्वागत योग्य हैं। पूर्ण कालिक निदेशक का ही मामला लीजिए। पहले केवल एक ही पूर्ण कालिक निदेशक हुआ करता था। बाद में अपने इनकी संख्या दो कर दी। अब, लेन-देन में बढ़ोत्तरी के कारण चार पूर्ण कालिक निदेशकों अथवा कार्यवाहक निदेशकों की आवश्यकता होती। इसलिए इसकी व्यवस्था की गई है।

[श्री के.एस. राव]

पहले बोर्ड को अनुमोदन की शक्ति नहीं थी। अब बोर्ड को निदेशकों की रिपोर्ट, वार्षिक रिपोर्ट लाभ तथा हानि खाता, तुलन पत्र आदि पर चर्चा करने, अपनाने और स्वीकार करने की शक्ति प्रदान को की गई है। इसका अर्थ है, उन्हें उत्तरदायित्व दिया गया है और यदि कुछ गलत हो जाता है तो वे प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी होंगे। इससे पहले, उन्हें स्वीकार करने और अनुमोदन की शक्ति नहीं थी तथा दोष सरकार पर मढ़ दिया जाता था। उस भाग को समाप्त कर दिया गया है। मैं प्रसन्न हूं कि उत्तरदायित्व निदेशकों को हस्तांतरित कर दिया गया है।

एक और प्रावधान किया गया है कि अदावाकृत लाभांश को सात वर्ष की अवधि बीत जाने के पश्चात् निवेशकों की शिक्षा उत्पादन निधि में अंतरित कर दिया जाएगा। इसे अंतरित करना गलत नहीं है। राष्ट्र के लिए यह अच्छा है तथा शिक्षा उत्पादन निधि के लिए इस्तेमाल करने का अच्छा प्रयोजन है। परन्तु, कई बार ऐसा होता है कि किसी का पिता अथवा दादा बैंक में कुछ धनराशि जमा कराते हैं तथा इसी बीच अपने उत्तराधिकारियों को इसकी सूचना दिए बिना उनकी मृत्यु हो जाती है तथा उनके पुत्र अथवा पौत्र को यह जानकारी नहीं होती कि उसके पिता अथवा दादा ने इतनी धनराशि जमा की थी और वे इतना लाभांश प्राप्त करने के अहंक हैं। और यदि सात वर्ष बीत जाने के पश्चात् उसे पता चलता है कि उसकी पिछड़ी पीढ़ी द्वारा की गई बचत के कारण उसे कुछ धनराशि देय हैं तो उसे वह मिलनी चाहिए तथा उसे उस धनराशि को छोड़ना नहीं चाहिए। माननीय मंत्री महोदय से मेरा यही अनुरोध है। कृपया इस पर रोक मत लगाइए। उस धनराशि को उसके उत्तराधिकारी को मिलने का प्रावधान होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि यह बैंक का उत्तरदायित्व होना चाहिए कि यह राशि उत्तराधिकारी के खाते में स्वयं ही अंतरित की जाए।

प्रस्ताव में 'धनराशि जमा कराते समय अथवा इक्विटी रखते समय' के रूप में इसका उल्लेख है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि किसी व्यक्ति को देने के स्थान पर बैंकों में सुरक्षित समझ कर जमा की गई मेहनत की कमाई को सुरक्षित ही रहना चाहिए। इसलिए, मुझे लगता है कि लोगों को अपनी धनराशि वापस लेने का अवसर देने के लिए उस प्रावधान को बदला जाना चाहिए।

महोदय, पूर्ववर्ती सरकार ने राष्ट्रीयकृत बैंकों में न्यूनतम इक्विटी घटाकर 33 प्रतिशत करने का प्रस्ताव किया था। इसका अर्थ हुआ कि वर्तमान परिदृश्य में यदि उसे घटाकर 51 प्रतिशत से कम कर दिया जाता है तो राष्ट्रीयकृत बैंक भी बहुराष्ट्रीय बैंकों के नियंत्रण में आ जाएंगे। जो कि राष्ट्र के हित में नहीं है। मुझे प्रसन्नता है कि इस सरकार ने 51 प्रतिशत न्यूनतम की सीमा तय की है। यह अच्छी बात है और मैं इसका भी समर्थन करता हूं।

ग्रामीण बैंकिंग के बारे में हम जो भी कहें, ऋण बढ़ाने के बारे में जो भी कहा जाए, तीन वर्ष में इसे दोगुना करना अच्छी बात है। परन्तु मेरी राय में ग्रामीण क्षेत्र में काफी कुछ किए जाने की आवश्यकता है, विशेषकर छोटे तथा सीमांत किसानों, शिल्पकारों, स्व-नियोजित लोगों के लिए धनराशि का और आबंटन किए जाने की आवश्यकता है। ऐसे सभी लोग जो गांवों में रहते हैं, जो खेतों में कार्य करने के अनुभव के साथ-साथ व्यावसायिक शिक्षा के माध्यम से कोई हुनर जानते हैं उन्हें प्रत्यक्ष रूप से वित्तीय संस्थाओं के साथ जोड़ा जाना चाहिए। जो भी पक्ष है, तथा जो कि शर्तें पूरी करता है, वह बैंक की राशि का उपयोग कर स्वयं के लिए तथा देश के लिए धन का सृजन कर सकता है, उसे वरीयता दी जानी चाहिए।

इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि ऐसे कुछ संस्थानों को, जहां हुनर सिखाए जाते हैं, को बैंकों से धनराशि का अनुरोध करने से पहले ही वित्तपोषित करने वाले संस्थानों से स्वत: ही जोड़ने के लिए कोई मार्ग तलाश करें।

महोदय, इन शब्दों के साथ ही मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं तथा राष्ट्रीयकृत बैंकों में न्यूनतम 51 प्रतिशत इक्विटी रखने का भी समर्थन करता हूं।

श्री लक्ष्मण सेठ (तामलुक): सभापति महोदय, यह बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, बहुत ही सरल है और इसलिए मैं इस विधेयक का विरोध करने का कोई कारण नहीं पाता हूं। लेकिन मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए, माननीय वित्त मंत्री के विचारार्थ कुछ मुद्दे उठा रहा हूं।

विधेयक के नौवें पृष्ठ के सोलहवें पैरे की पांचवीं पंक्ति का शुरूआती वाक्य ठीक है। तत्पश्चात् यह लिखा हुआ है "और बोर्ड में से भारतीय रिजर्व बैंक के अधिकारी का आवश्यक नाम निर्देशन समाप्त करना"। लेकिन मुझे यह नहीं पता कि इस खंड को समाप्त क्यों किया जा रहा है। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में भारतीय रिजर्व बैंक के किसी अधिकारी का अनिवार्य नाम-निर्देशन जारी रहना चाहिए। अन्यथा भारतीय रिजर्व बैंक की भूमिका समाप्त हो जाएगी।

इसलिए मैं, पुन: यह प्रस्ताव करता हूं कि मैं रिजर्व बैंक के अधिकारी का आवश्यक नाम-निर्देशन जारी रहना चाहिए। मैं इस विधेयक में से इसे समाप्त करने के कृत्य का विरोध करता हूं। माननीय मंत्री महोदय इस बात को स्पष्ट करें कि क्या इसे स्वीकार किया जा सकता है अथवा नहीं। लेकिन सर्वप्रथम मैं भारतीय रिजर्व बैंक के आवश्यक नाम निर्देशन को समाप्त करने वाले खंड

का विरोध करता हूं। स्थायी समिति में हमने इस विशिष्ट मुद्दे पर असहमति व्यक्त की थी।

दूसरा, पृष्ठ 30 के चौदहवें पैरे के आखिर में यह उल्लेख किया गया है कि सरकारी बैंकों द्वारा अधिमानी शेयरों को जारी करने संबंधी निबंधन और शर्तें को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया जाना चाहिए और इसके दुरूपयोग को रोकने के लिए इसकी नियमित रूप से समीक्षा की जानी चाहिए। लेकिन इस विधेयक में सरकारी बैंकों द्वारा अधिमानी शेयरों को जारी करने संबंधी कृत्य की निगरानी का कोई खंड नहीं है जिससे इसका दुरूपयोग हो सकता है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय से संशोधन विधेयक में कुछ खंडों को सम्मिलित करने का अनुरोध करता हूं। ताकि सरकारी बैंकों के अधिमानी शेयरों के दुरूपयोग पर लगाम लगाई जा सके। महोदय, हमारे देश की अर्थव्यवस्था में वृद्धि के लिए बैंकों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। जहां तक हमारे देश का संबंध है तो हम देखते हैं कि अर्थिक असंतुलन बढ़ रहा है, विशेषकर पूर्वी भारत आर्थिक रूप से पिछड़ रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है उसके अनुसार पूर्वी भारत में (सीडीआर) ऋण जमा अनुपात बहुत ही असंतोषजनक है। पूर्वी भारत में जमाओं (डिपोजिट्स) का केवल 40 से 50 प्रतिशत (निक्षेप) जमा किए जा रहे हैं। इसीलिए काफी हद तक आर्थिक असंतुलन बढ़ता जा रहा है। पूरे देश में ऋण दिए जाने के संबंध में एकरूपता होनी चाहिए। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री महोदय के विचारार्थ इसे लाना चाहता हूं।

तीसरा, जैसा कि माननीय सदस्य श्री के.एस. राव ने ठीक कहा है कि किसानों और स्वसहायता समूहों को अधिक से अधिक ऋण उपलब्ध कराकर (ग्रामीण भारत में विश्वास पैदा किया जा सकता है। हम स्व-सहायता समूहों को ऋण देने के बारे में बहुत बोलते हैं। लेकिन हमारा अनुभव यह बताता है कि बैंकों द्वारा स्व-सहायता समूहों को परेशान किया जा रहा है। उन्हें समय पर ऋण नहीं मिल पाता। ब्याज दर भी कम की जानी चाहिए। अन्यथा मैं समझता हूं कि इससे रोजगार सृजन नहीं होगा जो कि आज हमारे देश का एक ज्वलंत मुद्दा है। इसलिए इस मुद्दे पर भी विचार किया जाना चाहिए।

हमारे यहां गैर-निष्पादनकारी आस्तियां बहुत अधिक हैं। लेकिन हम इस ऋण को वसूलने संबंधी कार्य को तवज्जो नहीं देते। लेकिन वे इसका फायदा उठाते हैं। यही कारण है कि हमारे देश के निर्धन लोगों को बैंकों से कोई फायदा नहीं होता है। इसलिए मैं इस विधेयक का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री महोदय से अनुरोध करता हूं कि वह ऐसे कदम उठाए जिससे बैंक अर्थव्यवस्था रूपी ट्रेन का वृद्धि रूपी इंजन बने, विशेषकर मेहनतकश वर्गों और निर्धन लोगों को बैंकों से लाभ मिल सके। इस पर विचार किया जाए।

इसी के साथ मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री शैलेन्द्र कुमार (चायल): सभापति महोदय, मैं बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। अभी जैसे सम्मानित सदस्यों के विचार आए हैं, यह बात सही है कि देश के विकास में और आर्थिक व्यवस्था में बैंकों का एक प्रमुख स्थान है। जहां तक देखा जाए तो हमारी तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण इसीलिए किया था ताकि समाज में रहने वाले जो गरीब लोग हैं, उनके जीवन स्तर को ऊंचा उठाया जा सके। यह भी सही है कि कुछ ऐसी कंपनियां हैं और जो हमारे प्राइवेट बैंक हैं, जिन्होंने समय-समय पर बहुत सा पब्लिक पैसा तो इकट्ठा किया और निवेश भी किया लेकिन उसके बाद वे फलॉप हुए। हमें इस ओर भी देखना चाहिए कि हमारे सरकारी बैंक गरीबोन्मुखी विकास के लिए किस तरह से ज्यादा ऋण दें जिससे किसानों और गरीबों का जीवन स्तर ऊंचा उठ सके और वे लोग देश की मुख्य धारा से जुड़ सकें।

यह बात सही है कि पूरे हिन्दुस्तान में चाहे आर्थिक तौर पर देखा जाए या क्षेत्रीय असंतुलन को देखा जाए तो हम देखेंगे कि बहुत फर्क है। तमाम राज्यों की अलग-अलग स्थितियां हैं, जैसे दक्षिण भारत में किसान आत्महत्या कर रहे हैं। अभी अनेक माननीय सदस्यों ने अपने विचार व्यक्त किये। यह बात सही है कि बहुत सी हमारी योजनाएं हैं, जो कृषि से संबंधित हैं और रोजगारपरख योजनाएं हैं जिनसे लोगों को फायदा हो और लोग रोजगार से जुड़ें, लेकिन हम देख रहे हैं कि ब्याज अधिक होने के कारण आगे बढ़कर उनमें कोई हिस्सा नहीं लेता, कोई उनमें भाग नहीं लेता है। बल्कि वे लोग स्थानीय स्तर पर प्राइवेट बैंकों से ऋण लेते हैं। सरकारी बैंकों को चाहिये कि उन्हें कम ब्याज पर ऋण मुहैया करायें ताकि देश से बेरोजगारी और आर्थिक असंतुलन दूर हो सके।

सभापति जी, अभी कस्टमर केअर के बारे में यहां तमाम बातें कही गईं। हमें देखना चाहिये कि जो रोजगापरक योजनाएं गरीबों और किसानों के हित में हैं, देश में तमाम महिला स्वत: हैल्प समूह हैं, स्वयंसेवी संस्थायें हैं, जो गरीबों को सीधे रोजगार से जोड़ने वाली हैं, उन पर विशेष ध्यान देना चाहिये और उनके जरिए ऋण देकर उनके जीवन-स्तर को ऊपर उठाने की बात होनी चाहिये—चाहे गरीबों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने की बात हो या किसानों के हित की बात हो। कई बार हम लोगों ने इस विषय पर सदन में चर्चा की है। मेरा विचार है कि बैंक खासतौर पर

[श्री शैलेन्द्र कुमार]

इसमें अपनी मुख्य भागीदारी निभा सकते हैं। इसलिये मैं चाहूंगा कि मंत्री महोदय को गरीबोन्मुखी योजनायें, जो गरीबों और किसानों के हित में हो, रोजगारपरक हों, उनकी ओर ज्यादा देना चाहिये। आज देश में आर्थिक असंतुलन बहुत ज्यादा बढ़ गया है, जिसके कारण गरीब और गरीब होता जा रहा है जबकि अमीर ज्यादा अमीर होता जा रहा है। मध्यमवर्गीय लोगों की स्थिति और भी खराब है. क्योंकि वे अपना जीवन स्तर नहीं सुधार पा रहे हैं। इसलिये आर्थिक संतुलन बरकरार रहना चाहिये। अगर देखा जाये तो देश में किसानों की जनसंख्या ज्यादा और गांवों में तो 70 प्रतिशत किसान ही बसते हैं। किसानों की मुख्य समस्या है। हमें कोशिश करनी चाहिये कि किसान, मजदूर और गरीबों के जीवन स्तर को ऊपर उठाया जाए। यदि ऐसा होता है तभी देश का विकास होगा।

इन्हीं शब्दों के साथ, अंत में यहीं कहूंगा कि हमारे बैंकों को चाहिये कि वे आर्थिक असंतुलन को ध्यान में रखकर, कम ब्याज पर उन्हें ऋण मुहैया करने की व्यवस्था करें।

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद): सभापति महोदय, बैंककारी कम्पनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर सदन में चर्चा की जा रही है।

सभापति महोदय, बैंकों पर नियंत्रण रखने के लिये तथा उनके कार्यों में सुधार लाने के लिये सर्वप्रथम 1969 में नियम बनाये गये थे। उस समय 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जिनका पूंजी निवेश 50 करोड़ रुपये से अधिक था। 1969 में बनाये गये नियमों को सुप्रीम कोर्ट में निरस्त कर दिया था। बाद में 1970 में एक विधेयक के माध्यम से इन बैंकों पर नियंत्रण किया गया। इसी तरह बीच बीच में और संशोधन एवं सुधार होते गये। फिर 1980 में ऐसे ही 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया, जिनका निवेश 2 अरब से अधिक था। यह विधेयक वर्ष 2004 से लम्बित था, लेकिन 13वीं लोक सभा के विघटन के कारण वह विधेयक पारित नहीं हो सका।

सभापति महोदय, पहले की स्थिति और आज की स्थिति में अंतर है। देश में समय-समय पर जो आर्थिक सुधार हुये हैं या व्यापार में जो वृद्धि हो रही है, उनके कारण बैंकों का काम और दायित्व बहुत बढ़ गया है। आये दिन बैंकों के प्रति काफी शिकायतें मिलती हैं कि बैंक पैसा जमा करने में अग्रणी रहते हैं लेकिन गरीब किसानों को ऋण देने में आनाकानी करते हैं। बैंकों पर नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए, इसी उद्देश्य से यह विधेयक लाया गया है। इस विधेयक के माध्यम से आवश्यक संशोधन किया गया है। आज विदेशी बैंकों से प्रतिस्पर्धा को आगे बढ़ाने के लिये सरकार ने इस विधेयक के माध्यम से अनेक नियम-उपनियम बनाये हैं।

अपराह्न 4.00 बजे

सरकार ने काफी सोच समझकर इस विधेयक को इस सदन में स्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया है, इसलिए मैं इसका समर्थन करता हूं।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): महोदय, मैं इस बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। विधेयक को संसद में प्रस्तुत किए जाने के बाद से वित्त मंत्री द्वारा विभिन्न संशोधन पुर:स्थापित किए गए हैं। मुझे इस बात पर आश्चर्य था कि क्या वित्त मंत्री स्वयं इस विधेयक के उद्देश्य में परिवर्तन करने की संभावना पर ध्यान देंगे। मेरे विचार से वित्त मंत्री कुछ करने में व्यस्त हैं। मैं यह जानना चाहूंगा कि क्या सरकार की स्वयं इस विधेयक के उद्देश्यों में परिवर्तनों को आवश्यक बनाने की संभावना पर ध्यान में वास्तव में रुचि होगी। संसद में विधेयक प्रस्तुत किए जाने के बाद से किए गए आधिकारिक संशोधनों के प्रकार को देखते हुए, संभवत: वह इस विधेयक में वर्णित उद्देश्यों की अपेक्षा अन्य उद्देश्यों पर ध्यान दे रहे हैं। उदाहरण के लिए, इस विधेयक का एक उद्देश्य 14 राष्ट्रीयकृत बैंकों के मामले में सरकार को यह सुविधा प्रदान करना है कि क्या पूंजी को 51 प्रतिशत से घटाकर 33 प्रतिशत किया जाना चाहिए, बैंककारी कंपनियों की पूंजी संरचना में कुछ परिवर्तन किए जाने चाहिएं।

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री पवन कुमार बंसल): पूर्व विधेयक के साथ यही मामला था। अत:, कृपया अपनी गलती में सुधार कीजिए। जिस समय अन्य सरकार द्वारा विधेयक पुर:स्थापित किया गया था तो उस समय इसे घटाकर 33 प्रतिशत करने की प्रस्ताव था। इस संशोधन द्वारा अब इस विशेष उपबंध को हटा दिया गया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: इस विधेयक का एक उद्देश्य यह था कि देश में परिवर्तित होती जटिलताओं के कारण बैंककारी कंपनी के ढांचे में परिवर्तन लाने की आवश्यकता है। मेरे प्रख्यात सहकर्मी श्री के.एस. राव कह रहे थे कि यदि बैंककारी ढांचे को सुदृढ़ बनाया जाता है इससे वास्तव में बहुत सुदृढ़ अर्थव्यवस्था बनाने की सुविधा मिलेगी। इससे अर्थव्यवस्था सुदृढ़ कैसे होगी? बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए अथवा नहीं अथवा सामाजिक नियंत्रण होना चाहिए का वाद-विवाद वर्ष 1966 के समय का है जब मोरारजी देसाई भारत के वित्त मंत्री थे। उन्होंने प्रसिद्ध अर्थशास्त्री श्री पाई पनंडीकर की अध्यक्षता में एक समिति गठित की थी जिन्होंने वास्तव में यह कहा था कि बैंकों का

राष्ट्रीयकरण दीर्घकाल में देश के हित में नहीं होगा। तब से, 1969 में अधिकांश बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। तब से हम बैंकों के साथ इस प्रकार से नए प्रयोग कर रहे हैं जो कि बैंकिंग क्षेत्र के दीर्घ-कालीन हित में नहीं है। हमें यह बात स्पष्ट कर देनी चाहिए कि क्या हमें बैंकों का सरकारी क्षेत्र के उपक्रम रहने देना चाहिए, सरकार के पास बैंकों के लिए एम्नेस्टी होनी चाहिए अथवा हमें बैंकों को इस प्रकार कार्य करने की अनुमति देनी चाहिए जिससे कि वास्तव में स्वाभाविक रूप से प्रगति कर सकें और सरकार द्वारा नियुक्त भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक होंगे, जोकि बैंककारी क्षेत्र का विनियमन करेंगे।

अब हमने देखा है कि सरकार इसके साथ प्रयोग करना जारी रखे हुए है और अंशधारिता को घटाकर मैं यह नहीं कह रहा हूं कि यह सरकार, परंतु कुछ सरकार 33 प्रतिशत करना चाहती है। मुझे नहीं मालूम कि यह किसलिए कहा गया है कि हम इसे 51 प्रतिशत से नीचे नहीं लाना चाहिए। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप इसे 51, 74 अथवा 84 प्रतिशत रखते हैं क्योंकि सरकार इन बैंकों पर नियंत्रण करने का इस्तेमाल करने जा रही है। तो, आप बैंककारी क्षेत्र का पर्याप्त विकास कैसे करेंगे? यह प्रश्न है।

यदि आप चाहते हैं कि बैंकों का राष्ट्रीयकरण समाप्त नहीं किया जाना चाहिए परंतु आपका उन पर पूरा नियंत्रण होना चाहिए तो अंशधारिता पद्धति अति महत्वपूर्ण है। आज, बैंकों का नियंत्रण सरकार द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि उनका नियंत्रण वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग द्वारा किया जाता है। इसका अर्थ है कि कोई सीधे अवर सचिव के स्तर से संयुक्त सचिव अथवा सचिव के स्तर के बैंकों पर नियंत्रण रखता है। मेरे विचार से बैंकों पर नियंत्रण भारतीय संसद द्वारा नहीं रखा जाता है। वास्तव में उन पर नियंत्रण उनके द्वारा रखा जाता है जो वित्त मंत्रालय के बैंकिंग विभाग को चलाते हैं। इसलिए, बैंकों के अध्यक्षों को आकर वास्तविक रूप से नियुक्ति करने वाले व्यक्तियों के सामने नतमस्तक होना चाहिए। जिनकी नियुक्तियां की जा रही हैं। उनकी जानकारी मंत्री जी को शायद ही होती है। नियुक्तियां सचिवों और अन्यों द्वारा की जाती हैं। इसलिए, इसे वास्तव में बहुत समुचित परिप्रेक्ष्य में देखे जाने की आवश्यकता है कि क्या बैंकिंग प्रणाली पर यह नियंत्रण देश और स्वयं बैंकों के हित में है।

वर्ष 1969 में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और वर्ष 1991 में नरसिम्हा आयोग की सिफारिशें आई। उसके बाद पूंजी पर्याप्त मानदंडों का निर्णय लिया गया था, बैंकिंग क्षेत्र के लिए विवेक सम्मत मानदंडों का निर्णय लिया गया था और उपबंधकारी मानदंडों का निर्णय की मान्यता लेने के लिए लिया गया था। इन सभी मानदंडों का निर्णय नरसिम्हा समिति की सिफारिशों की जाने के बाद लिया गया था। उसके बाद, हमने निजी बैंकों को भी अपनी भूमिका निभाने की अनुमति दी। इसलिए, हम पहले ही लीक से हटकर कार्य कर चुके हैं।

वर्ष 1969 में हमारे बैंकों का पूरा व्यवसाय राष्ट्रीयकृत हो चुका था। परंतु वर्ष 1992 के बाद हमने निजी बैंकों को भी अनुमति दी। इसलिए, हमारा विचार यह नहीं है कि सरकार को पूरे बैंकिंग व्यवसाय पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए। यदि यही विचार है तो मैं समझता हूं आप निजी बैंकों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति नहीं दे रहे हैं। परंतु अपने निजी बैंकों को इस क्षेत्र में आने की अनुमति दी है। परंतु आप सरकारी क्षेत्र के बैंकों को स्वाभाविक रूप से प्रगति करने की अनुमति नहीं दे रहे हैं, और आप दो प्रकार के स्तरों और प्रचालन क्षेत्रों का सृजन कर रहे हैं जहां सरकार कुछ बैंकों पर नियंत्रण रखेगी। इसलिए, जैसा कि मैंने कहा निजी बैंक-जो कुछ भूमिका निभा रहे हैं-और विदेशी बैंक अपनी शाखाओं अथवा भारत में स्थापित कंपनियों के माध्यम से कुछ लाभ के साथ कुछ हानियां भी होंगी क्योंकि वे भी भारत में कार्य कर रहे हैं। निसंदेह, उनके अतिरिक्त सहकारी बैंक भी हैं। मैं सिर्फ यह कह रहा हूं कि आज बैंकिंग क्षेत्र में देश में निजी बैंक भी कार्य कर रहे हैं। इसलिए, राष्ट्रीयकृत बैंकों को यथा संभव स्वतंत्र रूप से और स्वायत्त रूप से कार्य करने की अनुमति दी जानी चाहिए।

स्वामित्व एक भाग है परन्तु दूसरा भाग प्रबंधन है। यह चुनौती हमारे सामने सिर्फ बैंकिंग में ही नहीं बल्कि केंद्र सरकार के अन्य उपक्रमों के क्षेत्र में भी है। हम इन पर नियंत्रण रखने वाली सरकार पर पड़ने वाले प्रतिकूल प्रभावों को समाप्त किए बिना इन बैंकों और अन्यों के प्रबंधकों को कार्यात्मक स्वायतत्ता कैसे दे सकते हैं? हमें वास्तव में इसी मुद्दे पर विचार करने की आवश्यकता है।

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त कीजिए।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, दूसरा मुद्दा यह है कि निर्धारित ये बेसल मानदंड पूंजी पर्याप्तता के अतिरिक्त हैं। वास्तव में, हम निजी बैंकों से इक्विटी टियर वन पूंजी से अथवा कुछ भागों में टियर टू पंजी से जुटाने को कहने जा रहे हैं।

सरकार के पास धनराशि नहीं है इसलिए वह और अधिक पूंजी नहीं लगा सकता है और सरकार साम्य पूंजी में कमी नहीं कर सकती है क्योंकि इसमें राजनैतिक बाध्यताएं हैं। इसलिए, हम भिन्न मापदण्ड आरम्भ करने का प्रयास कर रहे हैं जिनमें बेसल-2 (बीएएसएएल-2) के मापदण्डों के लिए ऋण पत्र एवं अन्य प्रकार की पूंजी भी खरी उतर सके। इसलिए, मैं सोचता हूं कि निजी बैंकों और राष्ट्रीयकृत बैंकों में यह विषमता विद्यमान है। मैं सोचता हूं कि इस पर वास्तव में गौर किया जाना चाहिए।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

अन्य दीर्घकालिक मुद्दे जिन पर हम वास्तव में ध्यान केन्द्रित करना चाहते हैं वह यह है कि भारतीय बैंकिंग का भविष्य क्या है? माननीय वित्त मंत्री रिजर्व बैंक के गवर्नर से मिले और कहा कि: "कुछ ही दिनों में हम सम्पूर्ण बैंककारी क्षेत्र के विकास हेतु खाका तैयार कर लेंगे।" मैं वित्त मंत्री जी से वास्तव में अनुरोध करता हूं कि वह बैंककारी क्षेत्र के संबंध में अपनी योजनाओं से अवगत करायें। भारतीय बैंकों का किस प्रकार विकास किया जायेगा? निजी बैंकों और विदेशी बैंकों की भूमिका क्या होगी? उन बैंकों की भूमिका क्या है जो आजकल सरकार के स्वामित्व में हैं? यह योजना वास्तव में सहायक होगी। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु: महोदय, यदि आप मुझे भाषण समाप्त करने के लिए कह रहे हैं तो मैं इसे समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

सभापति महोदय: अगले वक्ता श्री बी. महताब हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, पहले ही 4 बजकर 10 मिनट हो गए हैं।

सभापति महोदय: नहीं, श्री दासगुप्त, में श्री बी. महताब को इस मुद्दे पर बोलने के लिए आमंत्रित कर रहा हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं किसी के लिए व्यवधान नहीं डाल रहा हूं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): श्री दासगुप्त, जब इस सभा में घोषणा हुई थी तो आप अनुपस्थित थे। इस मुद्दे को पांच बजे तक समाप्त किया जाना है, और बाद में आपके मुद्दे को इस सभा में उठाया जायेगा।

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): कार्य सूची भी यह कहती है कि जो भी पहले होगा उसे ही 4.00 बजे उठाया जायेगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मेरी चर्चा कब आरम्भ होगी।

सभापति महोदय: श्री महताब, आप कृपया आरम्भ कीजिए क्योंकि आप इस मुद्दे पर अन्तिम वक्ता हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं किसी के लिए व्यवधान नहीं डाल रहा हूं। मैं केवल यह पूछ रहा हूं। कृपया मेरी बात सुनें।

सभापति महोदय: श्री दासगुप्त, वह इस मुद्दे पर अन्तिम वक्ता हैं। इसलिए अपनी सीट पर बैठ जाइये।

श्री गुरूदास दासगुप्त: आपके लिए यही उचित रहेगा कि मुझे इस बारे में बताएं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक): धन्यवाद, सभापति महोदय। मैं बैंककारी कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन एवं अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार-विमर्श के लिए खड़ा हुआ हूं।

मैं पांच बिन्दुओं पर चर्चा करूंगा। बैंककारी कम्पनियों (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) और वित्तीय संस्था विधि (संशोधन) विधेयक में राष्ट्रीयकृत बैंकों के निदेशक मण्डल में पूर्णकालित निदेशकों की संख्या दो से चार तक बढ़ाने और मण्डलों में आरबीआई के अधिकारियों के अनिवार्य नामांकन को समाप्त करके कतिपय परिवर्तन करने की मंशा है।

इसमें उन बैंकों के प्रतिस्थापन और अनुवर्ती प्रबंधन के लिए सांविधिक ढांचे की भी संरचना तैयार की गई है जिन्हें जमाकर्त्ताओं और शेयरधारकों के हितों को हानि पहुंचाते पाये गये हैं। मैं संशोधन प्रस्तावों के व्यापक उद्देश्यों से सहमत हूं जिनका उद्देश्य बैंककारी प्रणाली की वर्तमान जटिलताओं और विस्तार गतिविधियों की आवश्यकताओं को पूरा करना है। इसलिए, सभी के लिए एक समान अवसर प्रदान करना प्रमुख मुद्दा है। जिस पर गौर किया जाना चाहिए था किन्तु इसे विधेयक में स्थान नहीं दिया गया है।

बाद में यह सुझाव दिया गया था कि राष्ट्रीयकृत बैंकों की पूंजी संरचना की ओर ध्यान दिया जाना शेष है। राष्ट्रीयकरण अधिनियम, 1970/1980 की धारा 3 की उपधारा 2बी के प्रतिस्थापन का प्रस्ताव रखा था। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने सरकारी क्षेत्र के बैंकों को निजी क्षेत्र के बैंकों के समान अधिमानित पूंजी उगाहने में सक्षम बनाने के लिए वर्ष 1994 से प्रभावी मौजूदा प्रावधानों के अंतर्गत, राष्ट्रीयकृत बैंक शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से पूंजी उगाह सकते हैं जिसमें केन्द्र सरकार के पास निम्नतम 51 प्रतिशत की शेयर धारिता होनी चाहिए। सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकार द्वारा लगभग 51 प्रतिशत के स्तर की शेयरधारिता को बनाए रखने के लिए बिना कोई अतिरिक्त पूंजी लगाए शेयरों के सार्वजनिक निर्गम के माध्यम से अतिरिक्त पूंजी आवश्यकता को पूरा करते हैं। भविष्य में विशेषकर बेसल-2 के मापदण्डों के क्रियान्वयन को देखते हुए यह सम्भव नहीं होगा। जैसाकि वक्ताओं ने उल्लेख किया है सरकार द्वारा अतिरिक्त पूंजी को लगाने अथवा मतदान अधिकारों में कमी किये बिना लागत प्रभावी तरीके से भविष्य में पूंजी पर्याप्तता आवश्यकता को पूरा करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को सक्षम बनाने की आवश्यकता है। मैं इस विचार से सहमत हूं और सरकार से आग्रह करता हूं कि इसे अधिनियमित किया जाए लेकिन मैं यह सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता महसूस करता हूं कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा अधिमानी शेयर जारी करने हेतु निबंधन और शर्तों से संबंधित विनियामक पहलू सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के लिए अहितकर नहीं होंगे।

अब मैं धारा 9(तीन) के प्रस्तावित संशोधन पर आता हूं, जिसमें उन बैंकों के मामले में शेयरधारकों और निदेशकों की संख्या को अधिकतम रूप से तीन तक सीमित करने की मांग की गई है, जहां सार्वजनिक शेयरधारिता की सीमा 33 प्रतिशत से 49 प्रतिशत तक है) इसके अतिरिक्त, निर्धारित संख्या अर्थात् तीन के अलावा निर्वाचित निदेशकों को प्रस्तावित विधान के अधिनियमन के पश्चात सेवानिवृत्त होना पड़ेगा। नामित निदेशकों की नियुक्ति करने में सरकार को शक्ति प्राप्त है। कभी-कभार निर्वाचित निदेशकों सहित गैर-सरकारी निदेशक भावी निदेशकों की नियुक्ति न हो पाने की वजह से अपने कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् भी पद पर बने रहते हैं। वित्त संबंधी स्थायी समिति ने बोर्ड की रिक्तियों को तीन महीने पहले ही भरे जाने के लिए अनिवार्य पहल का प्रावधान करने हेतु इस योजना में उपयुक्त उपबंध समाविष्ट किए जाने का सुझाव दिया था ताकि न तो सेवानिवृत्त होने वाले निदेशक कार्यकाल की समाप्ति के पश्चात् पद पर बने रहें और न की सेवानिवृत्त के कारण हुई रिक्तियां खाली रह जाएं। किंतु कुछ भी नहीं किया गया है। इस संबंध में कोई संशोधन नहीं किया गया है। यहां तक कि शेयरधारकों को बैंककारी कंपनियों के तुलन-पत्र और लाभ तथा हानि खातों पर चर्चा करने के साथ-साथ उन्हें स्वीकार करने और अनुमोदित करने हेतु सक्षम बनाने के लिए धारा 10(क) में संशोधन करने का प्रस्ताव भी नहीं किया गया है। ऐसा होना चाहिए चूंकि यह वर्ष 2005 में यहां प्रस्तुत किए गए विधेयक का एक प्रमुख उद्देश्य है, जिसका इसमें उल्लेख किया गया है। मैं उद्देश्यों और कारणों के कथन को पढ़कर सुनाना चाहूंगा। इसमें कहा गया है:

> "राष्ट्रीयकृत बैंकों के शेयरधारकों को बैंक के वार्षिक साधारण अधिवेशन में निदेशक की रिपोर्ट, बैंक के वार्षिक लेखाओं और तुलन-पत्र पर ऐसे लेखाओं की अवधि हेतु विचार-विमर्श करने, उन्हें अंगीकृत और अनुमोदित करने के लिए सशक्त करें।

स्थायी समिति ने इसको भी समाविष्ट करने का सुझाव दिया था। यह प्रस्ताव निगमित शासन के सिद्धांतों और कंपनी अधिनियम के अंतर्गत कंपनियों द्वारा अपनाए जाने वाली प्रक्रिया के अनुरूप हैं किंतु सरकार का मत भिन्न है। मैं मंत्री महोदय से यह जानना चाहता हूं।

महोदय, मैं सुझाव देना चाहता हूं कि बैंकों के वार्षिक साधारण अधिवेशनों को बुलाने और उसका संचाल करने से संबंधित सामान्य विनियमों पर पुनर्विचार किया जाना वांछनीय है।

महोदय, मैं अंतिम पहलू पर आ रहा हूं। मैं जो बात कहना चाहता हूं, वह यह है कि बैंकों के निदेशक मंडल के अधिक्रमण के संबंध में, नए संशोधन पेश किए जा रहे हैं क्योंकि विधेयक में मौजूद ज्यादातर उपबंधों को हटा दिया जाएंगे। यह एक प्रमुख कारण है जिससे मेरे बांयी ओर के अनेक सदस्य क्षुब्ध थे और इनमें से भी अनेक सदस्यों की यही स्थिति थी। भारतीय रिजर्व बैंक विनियामक है और मैं कुछेक शब्दों में सुझाव देना चाहता हूं कि सरकार की प्रशासक और संबंधित प्राधिकारियों की नियुक्ति और प्रशासक की विशिष्ट अर्हताओं के लिए विनियमों के मामले में भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श की आनिवार्य प्रणाली के लिए प्रस्ताव स्वीकार करने और भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श की प्रणाली का उपबंध करने हेतु एक प्रणाली का निर्माण होना चाहिए।

महोदय, इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, मैं उन माननीय सदस्यों का आभारी हूं, जिन्होंने चर्चा में भाग लिया है। मुझे खेद है कि मैं चर्चा के कुछेक हिस्से के दौरान यहां उपस्थित नहीं था लेकिन मैंने अपने सहकर्मी श्री पवन कुमार बंसल द्वारा तैयार की गई टिप्पणियों को पढ़ा है।

महोदय, श्री प्रभु वस्तुत: चाहते हैं कि मैं कुछेक व्यापक मुद्दों पर ध्यान दूं, किन्तु मुझे ज्ञात नहीं है कि कुछेक व्यापक मुद्दों पर बोलने का समय है या नहीं। मैं संक्षेप में बोलने का प्रयास करूंगा।

महोदय, इन संशोधनों का उद्देश्य क्या है? मूल राष्ट्रीयकरण अधिनियम वर्ष 1970 में पारित हुआ था। इसके बाद जब कुछ अन्य बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ तो हमने 1980 में एक और अधिनियम बनाया। हम उन अधिनियमों में संशोधन कर रहे हैं। नि:संदेह कुछ अन्य अधिनियमों के महत्वपूर्ण प्रावधान हैं।

महोदय, मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि इस सरकार की मंशा है कि सरकारी क्षेत्र के बैंक सरकारी क्षेत्र में रहें। हम राजग सरकार द्वारा प्रस्तुत पूर्व संशोधन का समर्थन नहीं करते कि इनमें सरकार की भागीदारी कम करके 33 प्रतिशत कर दी जाए। सरकारी बैंकों में सरकार की भागीदारी सदैव 51 प्रतिशत या इससे अधिक रहेगी और इस तरह सरकारी क्षेत्र के बैंकों का अनिवार्य स्वरूप सरकारी बैंक के रूप में सुरक्षित रहेगा। बल्कि, जब पूर्ववर्ती सरकार द्वारा इस सुझाव पर विचार किया गया, तो मैंने अपने द्वारा लिखे गए एक लेख में यह आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा था कि किस प्रकार सरकार शेयरधारिता को 33 प्रतिशत तक घटा करके भी बैंकों के सार्वजनिक क्षेत्र के दर्जे को कायम रख सकती है। हमारी सरकार की नीति है कि सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में सरकार की भागीदारी सदैव 51 प्रतिशत था इससे अधिक रहेगी। तथापि,

[श्री पी. चिदम्बरम]

उत्तरवर्ती सरकारों की नीति बैंकिंग क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा बढ़ाने की रही है. इसलिए हमारे देश में भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक हैं और हमने देश में विदेशी बैंकों की उपस्थिति बने रहने की अनुमति दी है। महोदय, डब्ल्यू.टी.ओ. समझौते के अंतर्गत एक विदेशी बैंक तीन में से एक प्रकार से अस्तित्व में रह सकता है। पहला, पूर्ण स्वामित्व वाला सहायक बैंक होना, दूसरा, इसकी शाखाएं होना और तीसरा, भारतीय निजी क्षेत्र के बैंकों में इसकी शेयरधारिता का होना। यह भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा घोषित किए गए रोडमैप के अध्यधीन है। वर्ष 2009 तक विदेशी बैंकों के लिए बहुत कम अवसर उपलब्ध हैं। द्वितीय चरण की रूपरेखा पर वर्ष 2009 में विचार किया जाएगा।

आज हमारे पास क्या है? हमारे यहां सरकारी क्षेत्र के बैंक, भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक तथा विदेशी बैंक हैं। किंतु बैंकिंग क्षेत्र में प्रमुख खिलाड़ी सरकारी क्षेत्र के बैंक ही हैं। जब मैं भविष्य की ओर देखता हूं- सुदूरवर्ती भविष्य नहीं बल्कि निकटवर्ती भविष्य- तो मेरे विचार से सरकारी क्षेत्र के बैंक ही अग्रणी रहेंगे। मैंने ऐसा क्यों कहा? यह इसलिए है क्योंकि सरकारी क्षेत्र के बैंक अधिक से अधिक कुशल हो गए हैं तथा होते जा रहे हैं।

महोदय, मैंने ये आंकड़े पहले भी दिए हैं। सरकारी क्षेत्र के बैंकों की सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां, 31.03.2006 को समाप्त होने वाले वर्ष के लिए कम होकर, 3.71 रह गई है तथा निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां कम होकर 1.44 हो गई हैं।

सरकारी क्षेत्र के बैंक लाभप्रद हैं, उनके प्रबंधन अधिक मजबूत हो गए हैं और उनकी उत्पादकता बेहतर है। कर्मचारियों का प्रति व्यक्ति व्यवसाय बेहतर है और बैंकों में से कई अब काफी बड़े बैंक बन गए हैं। भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त दो अन्य बैंक 2 लाख करोड़ रुपये का व्यवसाय कर रहे हैं। कई अन्य बैंकों का 1 लाख करोड़ रुपये का व्यवसाय है तथा कई बैंकों का व्यवसाय 50,000 करोड़ रुपये है। बैंकिंग उद्योग का उत्प्रेरक प्रतिस्पर्धा और समय के साथ-साथ समेकित है। हमने यह स्पष्ट कर दिया है कि यह बैंकिंग प्रणाली के भीतर से ही आएगा। हम किसी से जबरदस्ती नहीं करेंगे। स्वैच्छिक रूप से कुछ समेकन होगा। यह समेकन सरकारी तथा निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच और निजी क्षेत्र के बैंकों के बीच होगा। कई और देशों में भी जैसे चीन, सिंगापुर तथा मलेशिया में बैंक समेकित हो रहे हैं। परन्तु यह प्रबंधन तथा कर्मचारियों से स्वैच्छिक रूप से होगा। यह हमारी सरकार की नीति है।

प्रतिस्पर्धा के फलस्वरूप बैंकिंग उद्योग में वृद्धि भी हो रही है। प्रतिस्पर्धा के कारण लागते कम हुई हैं। ब्याज दरें निर्धारित करने वाले समष्टिगत आर्थिक घटकों के अतिरिक्त, हमारे बैंक आज काफी प्रतिस्पर्धात्मक हैं। इसीलिए इन बैंकों में इतना आत्म-विश्वास है कि वे विदेशों में उद्यम स्थापित कर रहे हैं। वे वहां शाखाएं, प्रतिनिधि कार्यालय खोल रहे हैं।

यह ऐसे ही होना चाहिए। बैंक अग्रदूत हैं। जब आप देखेंगे कि इंडियन बैंक या केनरा बैंक के लंदन या न्यूयार्क या फ्रैंकफर्ट या वाशिंगटन या सिंगापुर में शाखा खोली है तो भारतीय व्यावसायिक समुदाय में विश्वास जगेगा कि जब बैंक वहां जा सकते हैं तो हम भी वहां जाकर व्यवसाय कर सकते हैं।

जैसा कि मैंने कहा बैंकिंग क्षेत्र के तीनों घटक प्रतिस्पर्धात्मक रूप से विकास करते रहेंगे और प्रतिस्पर्धा से उनकी वृद्धि को प्रोत्साहन मिलेगा। पिछले 24 माह में ऋण संवितरण काफी अच्छा रहा है और गैर-खाद्य ऋण में 30 प्रतिशत वृद्धि हुई है। मेरे विचार से यदि हम वर्तमान नीतियों का अनुसरण करते रहते हैं और उन्हें वैश्विक आवश्यकताओं के अनुरूप बदलते रहते हैं तो हमारे बैंक और भी मजबूत हो जाएंगे। हम किसानों को तथा शिक्षा ऋण के रूप में छात्रों को अधिक ऋण दे रहे हैं। हम स्व-सहायता समूहों को और अधिक ऋण दे रहे हैं और लगभग सभी क्षेत्रों को अधिक ऋण दे रहे हैं। निश्चित रूप से उद्योग को ऋण की कोई कमी नहीं होगी और सभी क्षेत्रों को ऋण मिल जाएगा। यदि मैं एक वाक्य में कहूं तो बैंकिंग उद्योग के तीनों खण्ड एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते हुए विकसित होंगे और इस विकास में सरकारी क्षेत्र के बैंक अग्रणी रहेंगे तथा इस देश की आर्थिक वृद्धि में मदद करेंगे।

आज हमारी बैंकिंग प्रणाली सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 40 से 45 प्रतिशत योगदान करती है। विकसित देशों में बैंकिंग प्रणाली सकल घरेलू उत्पाद में 80 प्रतिशत योगदान देती है। इस तरह हमें अपनी बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ करने हेतु अभी लम्बा रास्ता तय करना है और इसके लिए अधिक बैंक शाखाएं खोलनी होंगी जिनमें अधिक कारोबार हो। परन्तु ऐसा होगा। जिस दर से ऋण में वृद्धि हो रही है, ऐसा अवश्य होगा तथा सकल घरेलू उत्पाद का गैर-बैंकिंग प्रणाली की बजाय बैंकिंग प्रणाली द्वारा अधिक से अधिक वित्तपोषण किया जाएगा।

इन आवश्यकताओं को देखते हुए हम संशोधन कर रहे हैं। हमने भारतीय बैंक संघ तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ परामर्श करके इन संशोधनों का मसौदा तैयार किया है। इन संशोधनों का प्रत्येक शब्द भारतीय बैंक संघ तथा भारतीय रिजर्व बैंक के साथ लम्बे परामर्श के बाद तैयार किया गया है। इसे बैंकिंग उद्योग का पूरा समर्थन है।

हम क्या कर रहे हैं? समिति की सिफारिशों के अनुरूप हमने अनेक संशोधन किये हैं। माननीय सदस्यों के साथ चर्चा में

आए सुझावों की प्रतिक्रिया में हमने एक और संशोधन शामिल किया है। हमारे पास एक अतिरिक्त संशोधन है जहां भारतीय रिजर्व बैंक का नामिती सरकारी क्षेत्र के बैंकों में ही रहेगी। अत: इससे आपकी शंका का समाधान होता है। यदि सरकारी हिस्सा हमेशा 51 प्रतिशत रहेगा तो निजी भागीदारी कभी भी 49 प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। अत: निदेशक मंडल की संरचना भागीदारी के अनुसार होनी चाहिए जिसका अर्थ यह है कि निजी क्षेत्र की भागीदारी एक विशेष संख्या तक सीमित रहेगी तथा सरकारी क्षेत्र की भागीदारी निदेशक मंडल पर उतने ही प्रतिनिधियों तक सीमित रहेगी। हम कार्यकारी निदेशकों की संख्या बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। हम इन चारों की नियुक्ति शायद न कर पाएं। परन्तु निश्चित तौर पर 2 लाख करोड़ का कारोबार करने वाला बैंक एक अध्यक्ष तथा एक कार्यकारी निदेशक के साथ नहीं चल सकता। यह संभव नहीं है।

हमें और लोगों की आवश्यकता है। यहां तक कि हमारे सरकारी क्षेत्र के निगमों में अधिक लोग हैं। प्रत्येक सरकारी क्षेत्र के निगम में एक अध्यक्ष और तीन या चार कार्यकारी निदेशक होते हैं। ये आज बैंकों से काफी छोटे हैं। हमारे बैंक लाखों करोड़ों का कारोबार कर रहे हैं। अत: हम तीन कार्यकारी निदेशक नियुक्त करने का अधिकार ले रहे हैं। हम दो कार्यकारी निदेशकों से शुरू कर सकते हैं। आज इनकी संख्या एक है। हम आकार के अनुसार दो या तीन रख सकते हैं। स्पष्ट रूप से कैनरा बैंक तथा यूनियन बैंक जैसे बड़े सरकारी क्षेत्र के बैंकों को कम से कम एक और या शायद दो और कार्यकारी निदेशक दिए जाने चाहिएं। ऐसा इसलिए है क्योंकि विभिन्न वर्गों पर ध्यान देने के लिए आज वरिष्ठ स्तरीय प्रबंधन की आवश्यकता है। किसानों निजी वित्त तथा उपभोग ऋण, औद्योगिक ऋण, वसूली मानव संसाधन विकास तथा प्रणालियों और कम्प्यूटरीकरण पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। इन सभी के लिए उच्च स्तर के प्रबंध कौशल और पर्यवेक्षण की आवश्यकता है। अतएव, हम इस शक्ति को ले रहे हैं।

हम बैंक बोर्डों का एक झटके में अधिक्रमण करना नहीं चाहते। आरबीआई-सम्मिलित होगा। हम अधिक्रमण करने और प्रशासक की नियुक्ति के लिए अधिकतम छह माह की अवधि ले सकते हैं, जिसे और छह माह के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस दौरान निश्चित तौर पर एक नए बोर्ड का गठन किया जाएगा। मैं नहीं समझता कि इसका कोई मौका आएगा। आरबीआई द्वारा इतने सूक्ष्म पर्यवेक्षण और सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के मध्य ऐसे निरंतर संवाद से यह प्रश्न बिलकुल ही नहीं उत्पन्न होगा। किंतु फिर भी हमारे पास शक्ति होनी चाहिए। किसी भी घटना की स्थिति में हमारे पास उसके लिए शक्ति होनी चाहिए।

वर्कमैन निदेशकों तथा अन्य निदेशकों की तीन वर्ष की अवधि होगी, जिसे अन्य तीन वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। मैं सदस्यों से इसका समर्थन करने का आग्रह करूंगा क्योंकि मैं समझता हूं हमें छह वर्ष के पश्चात् नए सदस्यों की आवश्यकता होगी। कुछ अन्य वर्कमैन निदेशक और कुछ अन्य निर्वाचित निदेशक बोर्ड में आने चाहिए। अत: नए विचार और नया उत्साह बैंकिंग प्रणाली में आएगा।

हमने गैर-निष्पादनकारी आस्तियों के बारे में पहले भी कई बार चर्चा की है। गैर-निष्पादनकारी आस्तियां नहीं बढ़ रही हैं। गैर-निष्पादनकारी आस्तियां घट रही हैं। कुल मिलाकर सकल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां घटी हैं। एक प्रतिशत के तौर यह घटी है। निवल गैर-निष्पादनकारी आस्तियां घटी हैं। भारत की बैंकिंग प्रणाली किसी अन्य देश जैसे कि चीन की तुलना में काफी बेहतर हैं। हमारी बैंकिंग प्रणाली चीन की तुलना में काफी सुदृढ़ है। हमें इस तथ्य पर गर्व होना चाहिए। मैंने इसका उल्लेख एक उत्तर में किया है, मैं समझता हूं, कुछ दिन पहले किया था। हमें इस तथ्य पर गर्व होना चाहिए कि हमारे प्रबंधन यूनियनों और कर्मचारियों ने मिलकर गैर-निष्पादनकारी आस्तियों को कम किया है और बैंकिंग प्रणाली को और सुदृढ़ बनाया है।

निश्चित रूप से समस्या सदा से रही है। जीवन में सदा नई समस्याएं और नई चुनौतियां आती हैं। प्रश्न यह है क्या हम नई समस्याओं और नई चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हैं। मेरा मानना है-हम तैयार हैं। मैं समझता हूं। जब हम बेसल-2 प्रतिमानों पर पहुंचेंगे तो हमारे सभी बैंक बेसल-2 प्रतिमानों का सामना करने के लिए समर्थ होने चाहिए। आज हमारे बहुत से बैंकों की ऋण जमा अनुपात बेसल-2 से कहीं अधिक है। हमारे केन्द्रीय बैंक के गवर्नर जो कि आरबीआई के गवर्नर हैं, आज बेसल ग्रुप के एक सम्माननीय सदस्य हैं। अतएव मैं समझता हूं हम बेसल-2 प्रतिमानों की चुनौतियों का सामना करने के लए तैयार हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि सार्वजनिक क्षेत्र के भी बैंक और निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक बेसल-2 का सामना करने के लिए समर्थ होंगे। मैं समझता हूं कि हम जितना मिलकर चलेंगे हम अनुभवों से उतना ही सीखेंगे और हम जैसे ही समस्याओं का सामना करेंगे, हम समय-समय पर इस सभा में वापस आएंगे। किंतु इस समय बैंकों में नैगमिक अभिशासन में सुधार के लिए ये संशोधन पूरी तरह आवश्यक हैं।

मैं स्वायत्तता के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इस सरकार ने अध्यक्ष और कार्यकारी निदेशकों को ज्यादा शक्तियां दी हैं। हमने ज्यादा शक्तियां प्रत्यायोजित की हैं। इसे मंत्रालय और भारतीय रिजर्व बैंक की वेबसाइट पर रखा गया है। बैंकों को बहुत ज्यादा शक्तियां दी गई हैं। सदस्य वेबसाइट में उसे देख सकते हैं मैं मध्यक्ष से तीन माह में एक बार मिलूंगा। जब भी नए मुद्दे आएंगे, हम उन्हें ज्यादा शक्तियां देंगे। किंतु यह समझना चाहिए कि

[श्री पी. चिदम्बरम]

स्वामित्व वास्तव में एक मुद्दा है। प्रबंधन एक अलग मामला है। हम उन्हें प्रबंधकीय स्वायत्तता दे रहे हैं। किंतु कोई भी सरकार जब तक 51 प्रतिशत की भागी न हो, यह नहीं कह सकती कि, "मैं स्वामी के तौर पर अपने अधिकारी का प्रयोग नहीं करूंगी।" हम स्वामी हैं। अतएव वे स्वामी के प्रति उत्तरदायी हैं। निजी स्वामी भी हैं। किंतु हम बहुमत के स्वामी हैं। अत: वे हमारे प्रति उत्तरदायी हैं। वह उत्तरदायित्व प्रणाली द्वारा "आशय-पत्र" (स्टेटमेंट आफ इंटेंट) द्वारा प्रवर्तित हैं। प्रत्येक बैंक को वर्ष के प्रारंभ में एक 'आशय-पत्र' देना होगा कि वह किन लक्ष्यों को अर्जित करेगा। हम समय-समय पर इसकी समीक्षा करेंगे। वर्ष के अंत में हम उनसे पूछेंगे कि 'आशय-पत्र' की तुलना में कितना अर्जन किया गया।

वह अधिकार प्रत्येक स्वामी का अधिकार है। चाहे वह जीई के जैक वेल्क हों, या फोर्ड मोटर्स के फोर्ड हों, माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स हों प्रत्येक स्वामी इस अधिकार का उपयोग करता है। सरकार को इस अधिकार के उपयोग को जारी रखना होगा। हाल ही में, उदाहरण के तौर पर, जब भारतीय रिजर्व बैंक ने ब्याज दर बढ़ाई। हमने बैंकों को पहले और बाद में सलाह दी कि यदि वे ब्याज दरों को संशोधित करना चाहें, कृपया इसे "बोर्ड आफ डायरेक्टर" के पास ले जाएं।

अब इसकी आलोचना वाले लेखों की बाढ़ आई हुई है। मैं इसे नहीं समझ सकता। क्या स्वामी इस मामले को बोर्ड आफ डायरेक्टर में ले जाने के लिए स्वतंत्र निदेशकों का दृष्टिकोण प्राप्त करने कर्मचारी-निदेशक का दृष्टिकोण जानने, वर्कमैन निदेशक या दृष्टिकोण जानने, भारतीय रिजर्व बैंक के नामनिर्दिष्ट का दृष्टिकोण जानने, सरकार के निदेशक का दृष्टिकोण जानने और निर्णय लेने के लिए प्रबंधन को नहीं कह सकता? यह स्वामी का अधिकार है। स्वामी सूक्ष्म निर्णय लेने में दखलअंदाजी नहीं करता किन्तु सामान्यत: निर्णय लेने की प्रक्रिया में दिशा-निर्देश देता है और निर्णय लेने की प्रक्रिया बोर्ड द्वारा होनी चाहिए, बोर्ड द्वारा चालित होनी चाहिए। हरेक कंपनी का प्रबंधन बोर्ड द्वारा होना चाहिए। बैंकों का प्रबंधन भी बोर्ड द्वारा होना चाहिए। कंपनियों के साथ नैगमिक शासन के बारे में हम जो भी कहते हैं बैंकों पर भी लागू होना चाहिए। यदि वहां पर नैगमिक शासन नहीं है तो 'बोर्ड आफ डायरेक्टर' क्यों हैं? अतएव हम नैगमिक शासन शुरू कर रहे हैं। हम सभी बैंकों विशेषकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों में नैगमिक शासन पर बल देना जारी रखेंगे और मुझे विश्वास है कि आने वाले दिनों में इन परिवर्तनों के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक सुदृढ़, अधिक स्वायत्त, अधिक कुशल, अधिक प्रतिस्पर्धात्मक होंगे और हमारी अर्थव्यवस्था को तेजी से बढ़ाएंगे।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर): माननीय वित्त मंत्री ने अभी निदेशकों का उल्लेख किया है। अब आप पूर्णकालिक निदेशकों की संख्या में 1 से बढ़ाकर 4 करना चाहते हैं। किंतु क्या आप पूर्णकालिक निदेशकों के वर्तमान पदनाम को परिवर्तित करके कार्यकारी निदेशक करना चाहते हैं? इस अधिनियम में आप उन्हें निदेशक कह रहे हैं। क्या परिभाषा बदलेगी या पदनाम परिवर्तित होगा?

श्री पी. चिदम्बरम: आप बोर्ड आफ डायरेक्टर में केवल एक निदेशक नियुक्त कर सकते हैं। एक व्यक्ति को अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक बनाया जाएगा और अन्य को कार्यकारी निदेशक बनाया जाएगा किन्तु बोर्ड आफ डायरेक्टर में वे सभी निदेशक होंगे।

सभापति महोदय: अब, प्रश्न यह है:

"कि बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1970, बैंककारी कंपनी (उपक्रमों का अर्जन और अंतरण) अधिनियम, 1980, भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955, भारतीय स्टेट बैंक (समनुषंगी बैंक) अधिनियम, 1959, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 भारतीय निर्यात-आयात बैंक अधिनियम 1981 और राष्ट्रीय आवास बैंक अधिनियम, 1987 में और संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): महोदय, ऐसा भ्रम क्यों बना हुआ है? ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: कोई भ्रम की स्थिति नहीं है। ...*(व्यवधान)* कृपया मुझे स्पष्ट करने दें। दो खण्ड हैं। कोई भ्रम नहीं है। दो खंडों में मूलरूप से हमने कतिपय संशोधनों का प्रस्ताव किया था। बाद में एक और संशोधन का प्रस्ताव किया गया है जो पूर्ववर्ती संशोधन को निरस्त करता है क्योंकि इन दो खंडों पर नकारात्मक मत पड़ना है। अतएव, हमने दो संशोधन पर नकारात्मक मत के लिए दिये हैं। संशोधन संख्या 8 उसमें से एक है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): इतने महत्वपूर्ण बिल पर कन्फ्यूजन हो रहा है। ...*(व्यवधान)* इसलिए देश की अर्थव्यवस्था इतनी खराब हो रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री पवन कुमार बंसल: सभापति महोदय, बात कुछ और है और कही कुछ और जा रही है। ...*(व्यवधान)*

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय): सभापति महोदय, पूरी अर्थव्यवस्था कन्फ्यूज्ड है, पूरा यूपीए कन्फ्यूज्ड है। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम: आप क्या कर रहे हैं? आप इस पर आपत्ति क्यों प्रकट कर रहे हैं? ...*(व्यवधान)* कोई भ्रम नहीं है।

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): विधेयक को पारित करने का यह तरीका ठीक नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री अनंत कुमार: महोदय, इस विधेयक पर पुनर्विचार किया जाना है। ...*(व्यवधान)* यदि माननीय मंत्री तथा उनके कार्यालय के बीच कोई भ्रम है तो उसे दूर करने का यह तरीका सही नहीं है। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: यदि माननीय सदस्य एक के बाद एक संशोधन लाने दें तो मैं स्पष्टीकरण दूंगा। इसमें दो खंड हैं। खंड 2 में संशोधन पृष्ठ 2 पर है। संशोधन विधेयक का खंड 8 का संशोधन पृष्ठ संख्या 8 पर है। इसे एक नई धारा, एक नए खंड द्वारा प्रतिस्थापित किया गया है। अतएव, इन पर नकारात्मक मत पड़ना है। अन्य संशोधनों को पारित किया जाना है। हमारा स्पष्ट अनुरोध है कि इन पर नकारात्मक मत पड़ेगा और ये कार्यालय तक नहीं पहुंचे हैं। अतएव इसमें कुछ भ्रम है। इन दो खंडों पर नकारात्मक मत पड़ना है। ...*(व्यवधान)* हमने इसे जारी कर दिया है। कोई भ्रम नहीं है।

सभापति महोदय: यदि आप समझते हैं कि कोई भ्रम की स्थिति है, तो इस पर बाद में विचार करेंगे।

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभा को विश्वास में लिया जाना चाहिए।

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): इसकी प्रक्रिया बहुत आसान है। मंत्रालय से सूचना पहले कार्यालय में आती है। यदि संयोगवश यह कार्यालय को नहीं मिलती है तो भ्रम की स्थिति हो सकती है। माननीय मंत्री ने सभा में यह बिल्कुल स्पष्ट कह दिया है कि संशोधन का कौन सा हिस्सा सरकार की ओर से नकारात्मक किया जाना है तथा किसे समर्थन दिया जाना है। आप इसे जानते हैं। सभी संशोधन सदस्यों को भेजे जा चुके हैं। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: सभा को इसकी जानकारी नहीं है। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: यदि आप सहमत हों, तो इस पर कल विचार किया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, मैं इसे अभी लाने के लिए तैयार हूं लेकिन यदि कार्यालय इसकी जांच करना चाहे तथा कल मतदान कराना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है, मैं सहयोग करने के लिए तैयार हूं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: श्री गीते, कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, यदि कोई भ्रम हो तो अंततः मैं जिम्मेवार हूं। इसलिए, मैं यह दायित्व लेता हूं। यदि कोई गलत संवाद गया हो या भ्रम की स्थिति हो तो मैं जिम्मेवार हूं। मैं जानता हूं कि कौन सा संशोधन मुझे प्रस्तुत करना है, कौन से दो संशोधन अस्वीकार किए जाने हैं लेकिन यदि कार्यालय के पास हमारा संवाद नहीं पहुंचा है, तो हमारी गलती है, गलती कहीं रास्ते में हुई है। इसके लिए कोई भी जिम्मेवार हो, अंततः मैं जिम्मेवार हूं, और मैं इसे स्वीकार करता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं यहां पर अनुरोध कर रहा हूं कि या तो मैं इसे अभी प्रस्तुत करूं या कल प्रस्तुत करूंगा। मैं इसमें बीच में नहीं आ रहा हूं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: सभापति महोदय, मैं एक मिनट के लिए सभा का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। माननीय वित्त मंत्री ने सभा को यह बिल्कुल स्पष्ट किया है कि वे इसके लिए अंतिम रूप से जिम्मेवार हैं। वह इसे बहुत पारदर्शी बना रहे हैं कि कौन सा संशोधन वे लाना चाहते हैं तथा कौन सा संशोधन नहीं लाना चाहते हैं। तो हम इस विधेयक पर अभी मतदान क्यों नहीं करें?

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, हमें जानना चाहिए कि कौन से संशोधन हैं। ...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय: ठीक है। इस विधेयक पर कल मतदान कराया जाए।

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, कल मैं इन्हें प्रस्तुत करूंगा। चर्चा समाप्त होती है। हम कल मतदान करेंगे। असुविधा के लिए मुझे खेद है।

अपराह्न 4.43 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण का प्रतिवेदन और उस पर की-गई-कार्यवाही प्रतिवेदन

[अनुवाद]

सभापति महोदय: अब हम मद सं. 24 पर चर्चा करेंगे।

श्री गुरूदास दासगुप्त।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): सभापति महोदय, मुझे बहुत दुःख है कि शोरगुल भरे इस माहौल में मुझे एक महत्वपूर्ण मुद्दा उठाना है जिसका उद्देश्य न्यायमूर्ति पाठक द्वारा सौंपी गई रिपोर्ट के संबंध में भ्रम तथा संदेह दूर करना है। मेरा मानना है मुझे यह नहीं करना चाहिए था किन्तु मुझे ऐसा करना पड़ा है क्योंकि प्रतिवेदन से पूरे देश में एक भ्रम पैदा हो गया है।

सभापति महोदय: श्री दासगुप्त, कृपया मूल बात पर आइए।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, क्या मुझे अध्यक्षपीठ से सलाह की आवश्यकता है। मैं नहीं समझता कि मुझे सलाह की आवश्यकता है। मेरी बात सीधी सी है। मैं तथाकथित रूप से हुए भ्रष्टाचार या भ्रष्टाचार की शिकायत के संबंध में न्यायमूर्ति पाठक द्वारा सौंपे गए प्रतिवेदन पर चर्चा शुरू कर रहा हूं।

अपराह्न 4.44 बजे

[उपाध्यक्ष महोदय *पीठासीन* हुए]

प्रतिवेदन में कहा गया है:

"सहगल को आबंटित किया गया तेल नटवर सिंह पर किया गया अनुग्रह था।"

यह वक्तव्य श्री पाठक द्वारा दिया गया है। श्री पाठक ने अपने दूसरे वक्तव्य में कहा है:

"इराक के लिए, इच्छित लाभग्राही कांग्रेस के श्री नटवर सिंह थे।"

महोदय, मेरे विचार से प्रस्तुत की गई जांच रिपोर्ट स्पष्ट नहीं है सत्य को लिखित रूप से सामने लाया जाना चाहिए। न्यायमूर्ति पाठक ने जांच का सही तरीका अपनाया है परन्तु वे सही निर्णय पर नहीं पहुंचे हैं। यदि वे इसे ढंकने में शामिल नहीं हैं, जो कि मैं मानता हूं कि वे शामिल नहीं हैं तो वे कम से कम गठजोड़ के मूल संबंधों को उजागर नहीं कर पाए हैं।

महोदय, मुझे यह कहते हुए दुःख है कि भारतीय वास्तविकता की दुखान्त बात यह है कि आयोग के बाद आयोग, जांच के बाद जांच शायद ही कभी सुस्पष्ट निर्णय पर पहुंच पाए हों। न्यायमूर्ति पाठक भी अस्पष्ट स्थिति, पूर्णतया अस्पष्ट स्थिति लेकर सामने आए हैं। अपराध हुआ है—साक्ष्य से इसकी पुष्टि होती है लेकिन मुख्य अभियुक्त को छोड़ दिया गया है। मेरे अनुसार मुख्य अपराधी एक व्यक्ति है न कि एक दल। यह एक राजनैतिक दल नहीं है, लेकिन एक ऐसा व्यक्ति है जो देश के अग्रणी राजनैतिक दल से जुड़ा है। उसे क्यों छोड़ दिया गया? *...(व्यवधान)* मैं इस पर भी आऊंगा।

श्री नटवर सिंह को छोड़ दिया गया है क्योंकि ऐसा कोई साक्ष्य प्राप्त नहीं हुआ है कि उन्हें या उनके परिवार को इस अनुबंध से कोई लाभ हुआ है। श्री सिंह को किसी ने भी धनराशि लेते हुए नहीं देखा है। न तो मैंने तथा न ही श्री मल्होत्रा ने ऐसा देखा है। उन्होंने धन प्राप्ति के लिए न तो किसी रसीद पर हस्ताक्षर किए हैं तथा न ही कोई धनराशि अब तक उनके खाते में जमा हुई है क्योंकि मेरे अनुसार अब तक जांच पूरी नहीं हुई है। दिल्ली या भारत में कहीं भी, किसी द्वीप में भी नहीं उनके खाते में कोई धनराशि जमा नहीं हुई है। लेकिन यहां पर एक बड़ा 'लेकिन' है।

दो मुख्य खिलाड़ी हैं तथा ऐसे लोग भी हैं जिनका पीछे से हाथ है। ये दो मुख्य खिलाड़ी कौन हैं? दो मुख्य खिलाड़ी श्री खन्ना तथा श्री सहगल हैं। इस रिपोर्ट में यह सिद्ध किया गया है कि पीछे छिपे लोग नहीं बल्कि दो मुख्य खिलाड़ी हैं जिन्हें किसी ने वैध या अवैध रूप से कमीशन के रूप में कुछ धनराशि दी है। उन्हें 1,46,000 अमरीकी डालर प्राप्त हुए हैं।

वकील साहब आंकड़े नोट कर रहे हैं। ये आंकड़े प्रतिवेदन में हैं। न्यायमूर्ति पाठक, जिन पर आप विश्वास करते हैं, के अनुसार श्री खन्ना एवं श्री सहगल ने 1,46,000 डालर प्राप्त किए हैं। इस धनराशि में से 68,293 डालर हमदान के खाते में प्राप्त किए गए हैं। यह खाता किसके नाम पर है? इस कंपनी का मालिक कौन है? इस कंपनी के मालिक श्री सहगल हैं। श्री खन्ना को 32,558 डालर मिले हैं। शेष क्या बचता है? कुछ बचता है। शेष राशि 35,735 डालर हैं। यह धनराशि कहां गई?

न्यायमूर्ति पाठक ने इस पर टिप्पणी किये बिना न्याय नहीं किया है। न्यायमूर्ति पाठक ने अपनी रिपोर्ट के साथ न्याय किया है, परन्तु यह नहीं बताया कि वह धन कहां गया और उसका लाभार्थी कौन है। महोदय, यह बात सर्वविदित है कि दो व्यक्ति हैं।

श्री मल्होत्रा, उनसे ईर्ष्या मत कीजिए। वे आप से अधिक लोकप्रिय हैं। दो व्यक्ति हैं। एक दिल्ली के व्यापारी श्री सहगल हैं। हम सरकार की नाक के नीचे दिल्ली में हर प्रकार का व्यापार कर सकते हैं, इसमें कोई समस्या नहीं है। तथा दूसरा व्यक्ति श्री आदित्य खन्ना हैं। *...(व्यवधान)*

आपकी रुचि दल से जुड़ाव में है। मेरी रुचि अपराधियों का पता लगाने में है।

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण): दोनों को आपका समर्थन है। बात यह है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: उन्हें अपराध में राजनीति सूझती है। मैं राजनीति में अपराध देखता हूं। उनमें एवं मुझमें यह अन्तर है। इसलिए मैं इसे उठा रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: श्री दासगुप्त, कृपया किसी व्यक्ति विशेष को नहीं बल्कि अध्यक्षपीठ को सम्बोधित कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त: बात यह है। इन दोनों व्यक्तियों ने 50:50 प्रतिशत के आधार पर एक कंपनी का गठन किया था। यह कंपनी पंजीकृत थी। यह कहां पर पंजीकृत थी? हमारे माननीय वित्त मंत्री इस क्षेत्र के मूल अर्थात् चैनल आइलैण्ड के बारे में जानते होंगे। विश्व में चैनल आइलैण्ड्स हैं जहां कुछ भी किया जा सकता है। यह कंपनी वहां पर पंजीकृत थी। कंपनी का नाम का नाम इन्द्रस (आई.एन.डी.आर.यू.एस.) था। ऐसा इसलिए था क्योंकि वे रूस के साथ व्यापार करना चाहते थे। मिलीभगत कैसे पनपी? 'इन्द्रस' नामक एक कंपनी गठित की गई परन्तु 'इन्द्रस' को एक अन्य लेखा कंपनी चलाती थी और इस लेखा कंपनी के पास एक अन्य लेखा कंपनी का स्वामित्व है जिसका नाम 'हमदान' है। यहां तीन कंपनियां एक साथ मिली हुई हैं। एक ही नहीं है, एक और 'हमदान' है जिसका अर्थ है कि चार कंपनियां बनाई गई हैं, चार कंपनियां एक साथ मिली हुई हैं ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि इस राजनीतिक सह आर्थिक सांठगांठ का आसानी से पता न लगे तथा कानून की गिरफ्त से दूर रहे।

ये सारी बातें कैसे शुरू हुईं? इन कंपनियों की स्थापना पहले की गई थी लेकिन ये कंपनियां अपना कार्य कैसे शुरू करती? ये कंपनियां "तेल के बदले अनाज कार्यक्रम" कैसे शुरू कर सकती थी? मैं इसे "तेल के बदले अनाज कार्यक्रम" न कहकर इसे "तेल के बदले मूर्ख" कार्यक्रम कहूंगा। जनवरी, 2001 में श्री सहगल और श्री खन्ना ने सोचा कि उन्हें तेल के क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए। वे रूस से पहले ही काफी व्यापार कर चुके थे। लेकिन उनका व्यापार नहीं चल पाया था। वह एक गैर-निष्पादनकारी व्यापार था। इसलिए वह कोई व्यापार करना चाहते थे। अपने व्यापार को चलाने के लिए उन्होंने कहा कि उन्हें तेल के क्षेत्र में व्यापार करना चाहिए। वह भी अच्छा मुनाफा देने वाले तेल का व्यापार और ऐसा इराक से किया जाना था। उन्होंने ऐसा ही किया। वे ऐसा श्री जमील से सलाह-मशविरा करके कर पाए थे। उनकी राजनीतिक पहचान उजागर करने के लिए मैं क्षमा चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री और पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): उपाध्यक्ष महोदय, वह मेरी तरफ ऐसे देख रहे जैसे मैं ही इसके लिए मैं ही जिम्मेदार हूं।

उपाध्यक्ष महोदय: मैं हमेशा उनसे आग्रह करता हूं कि वह अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री कपिल सिब्बल: मैं इन सभी के प्रति जवाबदेह नहीं हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: सौभाग्य से इनका चेहरा सबसे खूबसूरत है। इसलिए मैं केवल इन्हें ही देख सकता हूं।

श्री कपिल सिब्बल: मुझे नहीं पता था कि वह इस प्रकार के व्यक्ति हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मैं उस प्रकार का व्यक्ति नहीं हूं मैं केवल एक सच्चा आदमी हूं लेकिन भगवान मेरी रक्षा करें।

श्री कपिल सिब्बल: आखिर आपने इस बात को स्वीकार किया।

श्री गुरूदास दासगुप्त: भगवान इनकी रक्षा करे। वह एक स्त्री नहीं हैं। वह एक स्त्री नहीं हैं।

श्री कपिल सिब्बल: जैसा आपने कहा है कि 'ही' में 'शी' सम्मिलित है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: मुद्दा यह है। उनकी राजनीतिक पहचान यही है। श्री जमील ने अपने आपको कांग्रेस का नहीं बल्कि राजस्थान का भूतपूर्व युवा महासचिव बताया। अब वे तीन हो गए थेए। इन तीनों का विश्वास था कि यदि उन्हें राजनीतिक संरक्षण प्राप्त हो तो वे इराक में तेल का व्यापार कर सकते हैं।

अब तलाश शुरू हुई राजनीतिक संरक्षण की। व्यापारी राजनीतिक संरक्षण तलाश रहे थे। यही से सारी चीजों की शुरूआत हुई क्योंकि उन्हें पता था कि बिना राजनीतिक संरक्षण के इराक में कुछ भी नहीं किया जा सकता। इसी समय उनके सामने एक देवदूत आया। वह कोई नहीं बल्कि श्री जगत सिंह थे। जगत सिंह सीधे स्वर्ग से उतरे और उन्होंने कहा कि "मैं आपको राजनीतिक संरक्षण दिला सकता हूं इसलिए आप परेशान मत होइए"।

[हिन्दी]

खन्ना साहब, आप मुसीबत में नहीं घिरोगे। हम हैं, तुम्हारी मदद करने के लिए; हमारे पिताजी हैं तुम्हारी मदद करने के लिए।

[अनुवाद]

उन्होंने यह आश्वासन दिया। उन्हें पता था कि श्री नटवर सिंह भूतपूर्व विदेश मंत्री हैं और इराकी राजनीतिक नेतृत्व के साथ उनके संबंध हैं और इसलिए वह यह काम कर सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: यह सभा में उपस्थित नहीं हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, हम रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: ठीक है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं रिपोर्ट पर चर्चा कर रहा हूं। रिपोर्ट में ऐसा लिखा है। क्या मैं रिपोर्ट का हवाला नहीं दूं? ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात जारी रखें।

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप कृपया मेहरबानी कीजिए।

महोदय, मेरी आवाज खराब है। कृपया मेरे वक्तव्य में व्यवधान न डालें। ...*(व्यवधान)*

कुमारी ममता बैनर्जी (कलकत्ता दक्षिण): वह बहुत अच्छे व्यक्ति हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: यहां सीट पर बैठा प्रत्येक व्यक्ति मेरे लिए एक अच्छा इंसान है। महोदया, सीट पर बैठने वाले व्यक्तियों के बीच विभेद मत कीजिए। ...*(व्यवधान)*

इस प्रकार, श्री जगत सिंह सामने आए और उन्होंने राजनीतिक संरक्षण दिलाने का आश्वासन दिया। वह एक देवदूत थे। दूसरी चीज यह है कि इन तीनों के सामने भगवान की कृपा से एक अवसर आया, तीन नहीं बल्कि इन चारों के समक्ष। वह क्या है? उन्हें इस बात का पता चला कि कांग्रेस पार्टी इराक में लगातार अमरीकी आक्रमण झेल रहे लोगों की प्रति सहानुभूति व्यक्त करने के लिए एक सद्भावना शिष्टमंडल भेज रही है। उन्हें यह अवसर भगवान ने दिया था। मैं भगवान पर विश्वास नहीं करता लेकिन वे भगवान पर विश्वास करते हैं और यह भगवान का ही आशीर्वाद था। मुझ पर दोष मत लगाइए उन पर दोषारोपण कीजिए। कृपया भगवान को दोष मत तीजिए अन्यथा वह नाराज हो जाएंगे?

पहले बगदाद जाने वाले शिष्टमंडल में तीन अधिकारिक सदस्य थे। इसे बढ़ाकर चार कर दिया गया। शिष्टमंडल में चार लोगों को जाना था। लेकिन अचानक दो और व्यक्ति अनधिकृत रूप से शिष्टमंडल में शामिल हो गए। महोदय, कृपया 'अनधिकृत' शब्द को नोट किया जाए। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने कभी भी यह नहीं कहा था अथवा न ही यह रिकार्ड में कहा गया है कि वे शिष्टमंडल के अधिकृत सदस्य थे। उन्होंने कभी भी यह नहीं कहा। ...*(व्यवधान)* मैं अपनी आत्मा की आवाज पर ऐसा कह रहा हूं। आप अपनी आत्मा के अनुसार बोल सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करे।

...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: आप प्रायोजित करने में विश्वास करते हैं और मैं ऐसा विश्वास नहीं करता।

मुद्दा यह है कि दो अनधिकृत व्यक्ति शिष्टमंडल में शामिल हो गए थे। ऐसा नहीं होना चाहिए था। मेरा मुद्दा यही है और यह नहीं हुआ होता यदि इसे सद्भावना शिष्टमंडल के नेता की मौन स्वीकृति न मिलती। नेता कोई व्यक्ति था लेकिन इसके वास्तविक नेता श्री नटवर सिंह थे। इसलिए मैं कह सकता हूं कि उस वास्तविक नेता के अनुमोदन, समर्थन तथा मिली-भगत के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता था। फिर क्या हुआ? अम्मान और बगदाद में भी भारतीय राजनयिकों को छ: लोगों के लिए व्यवस्था करने के लिए कहा गया था। वे ऐसा कैसे कर सकते हैं? अधिकारिक शिष्टमंडल में चार लोग शामिल थे जबकि रिकार्ड में यह स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि अम्मान और बगदाद स्थित राजनयिक मिशनों ने छ: कमरे बुक किए थे उन्होंने छ: टिकटें बुक की थी और उन्होंने छ: लोगों के रहने और यात्रा करने की व्यवस्था की थी।

अपराह्न 5.00 बजे

लेकिन महोदय आश्चर्यजनक रूप से यहीं से रहस्य की शुरूआत हुई। राजनयिकों को दी गई सूची में केवल पांच नाम दिए थे और छठे व्यक्ति का नाम नहीं दिया गया था इसका अर्थ यह हुआ कि श्री जगत सिंह के मित्र के नाम का उल्लेख नहीं किया गया था। श्री जगत सिंह इस शिष्टमंडल के सदस्य थे न कि उनके साथ गए उनके मित्र इसके सदस्य थे।

महोदय, यह शिष्टमंडल 19 तारीख को दिल्ली से अम्मान के लिए रवाना हुआ। जरा देखिए, सम्पूर्ण प्रक्रिया कैसे सम्पन्न हुई। यह सम्पूर्ण देश के लिए शर्मनाक है। 19 तारीख को दिल्ली से विमान रवाना हुआ। यह दो सरकारी और दो गैर-सरकारी सदस्यों वाला छह-सदस्यीय शिष्टमण्डल था। 22 जनवरी को श्री नटवर सिंह तेल मंत्री से मिले यह कितनी रोचक बात है। उनकी नजर हमेशा से ही अमेरिकन विरोधी खेमे पर न होकर तेल पर थी। वह तेल मंत्री से मिले। वह उनसे क्यों मिले? वह उनसे भारत सरकार की हमदर्दी और समर्थन के प्रति संतुष्टि दिखाने के लिए मिले थे। यह पहला भाग है। यह प्रत्यक्ष हिस्सा है।

अप्रत्यक्ष हिस्सा क्या है?. उन्होंने उनसे तेल के ठेके पर बात की क्योंकि वहां श्री सहगल मौजूद थे। बाद में, 30 जनवरी को आठ दिन बाद उन्होंने एक पत्र लिखा। तेल मंत्री से मिलने का

शायद कोई परिणाम नहीं निकला था। इसलिए, उन्होंने एक पत्र लिखा। उस पत्र में क्या था? उस पत्र में, उन्होंने बेशरम होकर उल्लेख किया, ''श्री सहगल और उनकी कम्पनी से वे अच्छी तरह वाकिफ हैं और उन्हें पूरा समर्थन और सहयोग दिया जाए।' क्या भाषा है? इस भाषा का क्या अर्थ है? किस समर्थन और सहयोग के बारे में बात की जा रही है? इसका केवल यह अर्थ है कि तेल का यह ठेका उन्हें प्रदान कर दिया जाए जिससे कि वे धन कमा सकें, जिससे कि उन्हें लाभ मिल सके, जिससे उनका परिवार लाभान्वित हो सके जिससे कि अनेक पुत्र को फायदा हो सके।

जनवरी से अगस्त के बीच के महीनों के दौरान बगदाद के कई दौरे हुए। श्री सहगल वहां थे, श्री जगत सिंह वहां थे; और इन सभी अवसरों पर उनके पास श्री नटवर सिंह का पत्र रूपी अस्त्र होता था। इन तीनों पत्रों में साम्राज्यवाद-विरोधी एकजुटता की बात कही गई थी। जो साम्राज्यवाद विरोध के भेष में भ्रष्टाचार था। वह बहाना था। किन्तु यह सब तेल की खरीद के लिए था। इसने कैसे कार्य किया? 30 जनवरी को उन्हें एक पत्र प्राप्त हुआ और 11 फरवरी को पहला ठेका प्राप्त हुआ। उन्होंने 30 तारीख को तेल मंत्री को पत्र लिखा, वह 22 जनवरी को मंत्री जी से मिले और 11 फरवरी को 2 मिलियन बैरल तेल के ठेके पर हस्ताक्षर हुए और यह ठेका एम-0954 के नाम से जाना गया।

फिर दूसरा पत्र जाता है। काफी समय से राजनीति से जुड़े एक राजनीतिज्ञ को अपने कार्यों के लिए देश से प्रशंसा मिली है। हमने उनके कुछ भाषणों के लिए तालियां भी बजाई थी। दूसरी सभा में वह मेरे साथ थे। एक व्यापारी को लाभान्वित करने के लिए कोई व्यक्ति कैसे इतना गिर सकता है। और इनमें से एक व्यापारी उनका पुत्र हो। उन्होंने दूसरा पत्र लिखा। पहले पत्र से तेल का पहला ठेका मिला। उन्होंने दूसरा पत्र लिखा और दूसरे पत्र से उन्हें दूसरा ठेका मिला। दूसरा ठेका एम-09120 के नाम से जाना गया किन्तु यह सौदा न जाने किन कारणों की वजह से फलीभूत नहीं हो पाया।

16 अगस्त को उन्होंने साम्राज्यवाद-विरोधी, हमदर्दी और राष्ट्रपति सद्दाम को सलाम करने वाला तीसरा पत्र इसी भाषा में लिखा। अन्त में चार पंक्तियां और जोड़ी गईं।

''कृपया श्री सहगल और उनकी कम्पनी को अपना सहयोग और समर्थन दें।'' दोनों ही मेरे परिचित हैं।

तीसरे पत्र को देखिए। 16 अगस्त के तीसरे पत्र के बाद, उन्हें दूसरा या तीसरा एम-1057 नामक ठेका मिला। उन्हें 31 अगस्त, 2001 को एक मिलियन बैरल तेल और मिल गया। जैसा कि मैंने कहा है, जनवरी से अगस्त के दौरान कई विदेशी दौरे हुए। महोदय, क्या मैं आपसे पूछ सकता हूं? क्या बगदाद और अम्मान स्थित भारतीय मिशन यह स्पष्ट करेगा? क्या माननीय विदेश मंत्री यह स्पष्ट करेंगे कि भारतीय मिशन ने वहां इस व्यापारी को नियमों के विरुद्ध समर्थन एवं सहयोग क्यों दिया? किसके आदेश पर इस व्यापारी को समर्थन दिया गया? इसका क्या कारण था? इसका क्या निहितार्थ हो सकता है?

इसलिए, यह स्पष्ट है कि उन्हें राजनैतिक संरक्षण की वजह से तेल की प्राप्ति हुई और इसे 'राजनैतिक आबंटन' लिखा गया। इन ठेकों को राजनैतिक आबंटन लिखा गया। 'राजनैतिक आबंटन' शब्दों का इस्तेमाल किया गया। यह सब राजनैतिक मित्रता, राजनेता श्री नटवर सिंह की वजह से हुआ क्योंकि उन्होंने स्वयं को प्रक्षेपित किया—उन्हें तेल की प्राप्ति हुई। एक ऐसा व्यक्ति जिसने धोखेबाजी की हो वह कैसे स्वयं को भारत का प्रतिनिधि दर्शाने का साहस कर सकता है?

अब मैं परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आता हूं। यह बिल्कुल स्पष्ट है कि श्री नटवर सिंह की सहगल के साथ सांठ-गांठ और यदि स्वयं को नहीं तो अपने पुत्र को लाभ पहुंचाने के लिए सांठ-गांठ, को दिखाने के लिए पर्याप्त परिस्थितिजन्य साक्ष्य हैं। वह बिना राजनैतिक प्रत्यायन के काम नहीं कर सकता था। यहां बहुत सी बेनामी धनराशि है। धन प्रवाह का पता नहीं लगाया गया है। श्री नटवर सिंह के विरुद्ध मेरा आरोप यह है कि उन्होंने शिष्टमण्डल के सदस्य के रूप में अपने पद का दुरूपयोग किया है। उन्होंने शिष्टमंडल के स्वत: नेता के पद का दुरूपयोग किया है। उन्होंने सद्भावना दौरे के साथ छलकपट किया और सद्भावना दौरे को अपने पुत्र और उसके परिचित व्यक्तियों को तेल के ठेके दिलाने के लिए इसे वाणिज्यिक दौरे में बदल दिया। यह अविश्वसनीय है कि उन्होंने बिना कोई मतलब के तीन पत्र लिखे। इनमें कोई मानवीय भावना नहीं है।

महोदय, मुझे वास्तव में यह कहते हुए खेद हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी को दोषी ठहराया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी को इसलिए दोषी ठहराया जा रहा है क्योंकि इसने अपने राजनैतिक शिष्टमंडल के कार्य को मानीटर नहीं किया। जी, हां। हम इस पर हंस सकते हैं। राजनीति से जुड़े लोग इस पर हंस सकते हैं। किन्तु प्रश्न यह है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को उनके प्रतिनिधि बाहर क्या कर रहे हैं इसका मानीटर करना चाहिए। यह मेरा प्रथम मुद्दा है जिस वजह से आरोप लगा रहा हूं।

द्वितीय, मैं आरोप इस लिए लगा रहा हूं कि शिष्टमण्डल में तीन और सदस्य थे और उन्होंने सहगल और जगत सिंह के साथ यात्रा करने में कोई आपत्ति नहीं दर्शाई। उन्होंने प्रस्थान के समय विरोध नहीं किया। उनमें से एक जो मेरे मित्र हैं, दूसरी सभा में थे। मैं उन्हें जानता हूं। उन्होंने ऐसा इसलिए नहीं किया होगा क्योंकि वह कभी भी श्री नटवर सिंह से बैर नहीं लेना चाहते। यही कारण रहा होगा। मैं नहीं जानता।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया): वह भी विदेश मंत्री रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त: हां, वह भी विदेश मंत्री रहे हैं। आप क्यों उनका परिचय दे रहे हैं, उनका परिचय मत दो।

[अनुवाद]

किन्तु अधिक महत्वपूर्ण यह है कि शिष्टमंडल के तीनों सदस्य श्री नटवर सिंह को नाराज नहीं करना चाहते थे। किन्तु अपनी वापसी पर उन्होंने इसकी रिपोर्ट कांग्रेस आला कमान को क्यों नहीं की? वे अम्मान, जोर्डन से लौट कर आए थे। क्या यह उनका कर्त्तव्य नहीं था कि कांग्रेस आला कमान को इसकी सूचना देते?

श्री खारबेल स्वाईं (बालासोर): उसी दिन उन्होंने सूचना दे दी थी। उन्होंने कहा था कि कांग्रेस अध्यक्ष से उन्होंने इसे नहीं छुपाया। यह एक अन्य प्रश्न है।

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मेरे एक मित्र मेरे समर्थन में हैं। लेकिन मुझे इस समय किसी सहायता की आवश्यकता नहीं है। ...*(व्यवधान)* मेरा मुद्दा यह है कि प्रतिनिधिमंडल के अन्य सदस्यों ने कांग्रेस आलाकमान को जानकारी नहीं दी है। उनके बारे में कांग्रेस मित्रों का यह विचार है कि वे बुरी तरह असफल हुए हैं। प्रतिनिधिमंडल की वापसी पर कांग्रेस आला कमान की जानकारी क्यों नहीं दी? श्री नटवर सिंह को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के पत्र शीर्ष का प्रयोग करके, उसके फैक्स नंबर का प्रयोग करके, उसकी दूरभाष संख्या का प्रयोग करके, अपने आप को सदैव ही सबसे ज्यादा शानदार बताकर, भारत के अभी तक के सबसे बड़े गैर-साम्राज्यवादी योद्धा के रूप में पेश करके, अपना प्रभाव जमाने की अनुमति क्यों दी गई? ...*(व्यवधान)*

महोदय, मैं आशा करता हूं कि सरकार बुरा नहीं मानेगी क्योंकि इसमें सरकार भी दोषी है। आपने कभी पूरी जांच की इच्छा नहीं जताई। यह "पूर्ण जांच है" "मूर्ख बनाने के लिए" नहीं बल्कि "यह पूर्ण जांच से जुड़ा है।" पूर्वसर्ग लगाने से फर्क पड़ जाता है। यह "मूर्ख बनाने के लिए नहीं" बल्कि "पूर्ण रूप से नहीं" है। यह क्या है? इसे जांच आयोग अधिनियम की धाराओं 8-ख और 8ग के अंतर्गत क्यों रोके रखा गया? ...*(व्यवधान)* कभी-कभार लोग अनजान होने की वजह से हंसते हैं और कभी-कभार लोग इसलिए हंसते हैं क्योंकि वे इसका आनंद लेते हैं कि उनके एक पुराने साथी पर वार किया जा रहा है। मुझे नहीं पता कि क्यों?

महोदय, मैं माननीय वित्त मंत्री के इस वक्तव्य का स्वागत करता हूं कि जांच कराई जाएगी। किंतु मैं बहुएजेंसियों द्वारा अलग-अलग जांच किए जाने के खिलाफ हूं। यदि बहुएजेंसियां अलग-अलग जांच करेंगी। तो समाधान नहीं निकलेगा। इसलिए, मैं सुझाव देता हूं कि इन सभी एजेंसियों अर्थात् केन्द्रीय उत्पाद और सीमा शुल्क बोर्ड, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई के भ्रष्टाचार रोधी स्कंध को मिलाकर एक संयुक्त कमान बनाई जाए। इन सभी एजेंसियों को संयुक्त रूप से जांच करनी चाहिए ताकि विदेशी भूमि पर भारत के हित को छलने वाले अपराधी को पकड़ा जा सके। उसे पकड़ा ही जाना चाहिए।

महोदय, अपनी बात समाप्त करते हुए, क्या मैं आपसे इस संबंध में विचार करने का अनुरोध कर सकता हूं? संसद सदस्य के रूप में, श्री नटवर सिंह ने अपनी हैसियत का दुरूपयोग किया है। संसद सदस्य के रूप में, उन्होंने अपने दायित्व का निर्वाह नहीं किया है। संसद सदस्य के रूप में उन्होंने स्वहित के लिए कार्य किया है। उनकी सदस्यता छीनने के लिए यह पर्याप्त आधार है।

अंत में, मैं सरकार से अपील करता हूं कि स्वयं को उस हरसंभव संदेह के दायरे से मुक्त करने के उद्देश्य से कि कांग्रेस पार्टी शामिल थी, जैसाकि मेरे मित्र कह रहे हैं और जिस पर मुझे अभी भी विश्वास नहीं है—अपने आप को उस संदेह के दायरे से, जो कि आपके चारों ओर पैदा हो गया है, बाहर लाने के लिए कृपया इस मुद्दे की जड़ तक जाएं। कृपया अपराधी को सामने लाया जाए। कृपया एक संयुक्त कमान के अंतर्गत जांच बैठाई जाए। कृपया यह देखा जाए कि कोई भी सजा पाए बिना न बच जाए। चाहे वह राजनीतिक तंत्र में कितने भी ऊंचे स्तर पर क्यों न हो।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): महोदय, मैं माननीय सदस्य श्री गुरूदास दासगुप्त को उनके भाषण पर धन्यवाद देना चाहती हूं। लेकिन मुझे यह जानकर आश्चर्य होता है कि एक व्यक्ति उन्हीं तथ्यों को यथावत उजागर कर सकता है और जो भी आप चाहें, वैसा करने के लिए उन्हें तोड़-मरोड़ सकता है। जैसा कि "एलीस इन वन्डरलैंड" में एक जगह, व्हाइट क्वीन कहती है कि "मैं शब्दों को यथावत् वैसा कहने के लिए घुमा-फिरा सकती हूं जैसा कि मैं उनसे कहलवाना चाहती हूं; जरूरी नहीं कि वे वैसा ही अभिव्यक्ति दें, जैसी कि उन्हें करनी चाहिए।" यह कांग्रेस पार्टी का कौशलपूर्ण बचाव है। मैं उन्हीं तत्वों को पेश करूंगी। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैं आपके अभिवादन के लिए आपका धन्यवाद करता हूं। किसी महिला से अभिवादन प्राप्त करना बहुत अच्छा है। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं वही तथ्य पेश करूंगी। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: महोदय, मैंने कहा है "महिलाओं से अभिवादन प्राप्त करना सदैव बढ़िया होता है।" ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं उन्हीं तथ्यों को प्रस्तुत करना चाहती हूं, जिनके साथ-साथ कुछेक ऐसे तथ्य भी शामिल हैं, जो पिछले भाषण में छूट गए थे क्योंकि वे वक्ता की विश्व दृष्टि के अनुरूप वास्तविक रूप से मेल नहीं खा पाए।

संयुक्त राष्ट्र के एक जांच आयोग की रिपोर्ट ने आरोप लगाया कि श्री नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी को गैर-संविदागत लाभार्थियों के रूप में आठ मिलियन बैरल तेल प्राप्त हुआ जो कि लगभग 60 डालर प्रति बैरल की वर्तमान दर पर 480 मिलियन डालर के कच्चे तेल के बराबर है। श्री नटवर सिंह का नाम आई.आई.सी. रिपोर्ट, जिसमें तेल के बदले अनांज कार्यक्रम के दुरूपयोग के आरोपों की जांच की गई में 133 से ज्यादा भारतीय कंपनियों के साथ उजागर किया गया। सरकार ने जस्टिस पाठक की अध्यक्षता में एक जांच समिति का गठन किया था।

उस पाठक समिति की रिपोर्ट अभी-अभी आई है। इसको सावधानीपूर्वक देखे जाने की आवस्यकता है। हमें इस रिपोर्ट को बिंदु-दर-बिंदु पढ़ना चाहिए ताकि हम यह देख सकें कि तथ्यों को मात्र अनदेखा करके या तोड़-मरोड़ कर इसमें कहां चूक की गई है। समिति की शक्तियों को घोर रूप से सीमित किया गया। पैरा 4.4 के अलावा, जिसमें कहा गया है कि इस रिपोर्ट को जांच में शामिल व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक या सिविल कार्रवाई का आधार नहीं बनाया जा सकता, सरकार ने आयोग को जांच आयोग अधिनियम की धाराओं 8ख और 8ग की शक्तियों का उपयोग करने से भी वंचित किया। जस्टिस पाठक द्वारा स्वयं इस पर दुख प्रकट किया गया है। अब, ये प्रावधान क्या थे? इन प्रावधानों से श्री नटवर सिंह, उनके पुत्र और उनके सभी संबंधियों, जिनका उल्लेख किया गया है, श्री ए.आर. अंतुले, श्री शिवशंकर जैसे कांग्रेस पार्टी के अन्य सदस्यों अथवा उनके खिलाफ गवाही देने वाले किसी अन्य साक्षी से पूछताछ करने की अनुमति मिल गई होती। कांग्रेस इस बात से भयभीत थी कि उसने प्रमुख आरोपी को उन लोगों से पूछताछ करने की शक्ति प्रदान नहीं की, जिन्होंने उनके खिलाफ गवाही दी थी?

पाठक समिति की रिपोर्ट में तेल के बदले अनाज कार्यक्रम के संबंध में अनेक लोगों के नाम आए हैं। हमें उनकी पृथक-पृथक रूप से जांच करनी चाहिए। एक है, आदित्य खन्ना। आदित्य खन्ना कौन है? वह अरविंद खन्ना का भाई है, जो कि संगरूर जिले से कांग्रेस विधायक हैं और कांग्रेस पार्टी के लोक सभा में निर्वाचन के लिए भावी उम्मीदवार हैं, जो कि ग्रेटा खन्ना का पुत्र है, जो कि नटवर सिंह की पत्नी की बहन है। वह नटवर सिंह और कांग्रेस मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह का भतीजा है और जगत सिंह का चचेरा भाई है। दूसरा है, अनिल मैथेरानी, कांग्रेस विदेशी कार्य प्रकोष्ठ के महासचिव थे, जिन्हें बाद में कांग्रेस पार्टी द्वारा क्रोएशिया का राजदूत बनाया गया। तीसरे हैं—जमीला जैदी, जो कि राजस्थान की युवा कांग्रेस के भूतपूर्व महासचिव हैं। चौथे हैं, जगत सिंह, जो कि कांग्रेस विधायक हैं और युवा कांग्रेस के पूर्व महासचिव हैं तथा कांग्रेस नेता नटवर सिंह के पुत्र हैं। पांचवें हैं— अंदलीव सहगल, जिन्होंने स्वयं को नटवर सिंह का भतीजा कहा है, जो कि सही नहीं है। वास्तव में, वे नटवर सिंह की भावी पुत्र वधु के भाई हैं। छठे—वास्तव में, जल्दी ही भूतपूर्व हो जाने वाले स्वयं कांग्रेस नेता के. नटवर सिंह हैं। सातवें हैं—विकास धर, जो कि दिवंगत कांग्रेस प्रधानमंत्री के ओएसडी के पुत्र हैं। आठवें हैं, ए.आर. अंतुले, जो कि महाराष्ट्र कांग्रेस पार्टी के पूर्व मुख्यमंत्री हैं, जिन्हें कुछेक वर्ष पहले, स्वयं कांग्रेस पार्टी द्वारा भ्रष्टाचार के आरोपों के तहत निष्कासित किया गया था। नौवें हैं, पी. शिवशंकर, जो कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं।

ये सभी एक ही तार से जुड़े हैं न कि संबंधों की वजह से और न ही मित्रता के कारण बल्कि कांग्रेस पार्टी के साथ अपने संबंधों की वजह से ये सभी के सभी कांग्रेस पार्टी के सक्रिय कार्यकर्त्ता हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: बीच में नहीं बोलें। यह कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं षड्यंत्र के सिद्धांत की प्रतिपादक नहीं हूं लेकिन इससे यह प्रश्न उठता है कि क्या लोग जीवन में आगे बढ़ने के लिए कांग्रेस के नाम का उपयोग कर रहे हैं या इनका उपयोग कांग्रेस प्यादे की तरह कर रही है या वे संसद सदस्य, विधान सभा सदस्य, मंत्री, पार्टी कार्यकर्त्ता, विदेश के दूत तथा व्यापारी आदेश का पालन करके तथा प्यादा बनकर आगे बढ़े हैं।

कांग्रेस का दावा है कि इराकी सरकार के प्रति समर्थन व्यक्त करने के लिए इसने एक सौहार्द शिष्टमंडल इराक भेजा था। लेकिन

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती मेनका गांधी]

यह पूरी तरह गलत है इन सब बातों का पाठक रिपोर्ट द्वारा प्रस्तुत की गई घटनाओं से पता चलता है।

प्रथमत:, श्री अंदलीव सहगल, श्री जगत सिंह, श्री विकास धर तथा श्री अरविन्द खन्ना, ये सभी कांग्रेसी हैं जिन्होंने इराकी तेल के लिए व्यापार हेतु नई कंपनियां बनाईं। तत्पश्चात् उन्हें सूचित किया गया तथा मैं रिपोर्ट की पैराग्राफ संख्या 10.1 को उद्धृत करता हूं:

"कि इराक के तेल का व्यापार देश के राजनीतिक नेतृत्व के हाथ में था, तथा केवल वही व्यक्ति इराक के तेल का व्यापार कर सकते थे जिनका देश के राजनीतिक नेतृत्व में प्रभाव था। ..."

आगे बताया गया कि तेल का व्यापार इराक के तेल मंत्री द्वारा किया जाता है। श्री के. नेटवर सिंह को इसकी जानकारी दी तथा वे कांग्रेस अध्यक्षा से मिलें। तुरंत ही तथा संयोगवश, इराक हेतु कांग्रेस शिष्टमंडल की स्थापना कांग्रेस पार्टी द्वारा श्री नटवर सिंह के नेतृत्व में की गई। इसके बाद कांग्रेस अध्यक्षा के साथ बैठक हुई जो श्री नटवर सिंह को, इराक के उपराष्ट्रपति जो दिल्ली आए थे, से मिलाने तथा तेल मंत्री से भी मिलाने ले गई थी। अतएव, अर्थ स्पष्ट है कि श्री नटवर सिंह उनके महत्वपूर्ण कार्यकर्त्ता हैं तथा इराक के साथ व्यापार में नेतृत्व करेंगे।

पाठक रिपोर्ट के अनुसार, शिष्टमंडल की स्वीकृति कांग्रेस अध्यक्षा द्वारा की जाती है। वे श्री नटवर सिंह, श्री अनिल मथेरानी तथा श्री ए.आर. अंतुले को इराक जाने के लिए प्राधिकृत करती हैं। इसके बाद चौथा व्यक्ति जोड़ा जाता है। वे श्री नटवर सिंह के पुत्र श्री जगत सिंह हैं। वे किसके प्रतिनिधित हैं? वे युवा कांग्रेस के प्रतिनिधि हैं तथा उनके अनुसार, पांचवां व्यक्ति चौथे व्यक्ति के बाद आता है। श्री जगत सिंह को अंत में नहीं जोड़ा जाता है। वे शिष्टमंडल के चौथे व्यक्ति के रूप में जोड़े जाते हैं। पांचवां व्यक्ति श्री पी. शिवशंकर हैं। इन पांच महत्वपूर्ण व्यक्तियों की टिकटें बुक की जाती हैं। लेकिन सभी दूतावासों तथा इराकी हवाई यात्रा एजेंटों को सूचित किया जाता है कि शिष्टमंडल में छठा व्यक्ति है, लेकिन उनका नाम गुप्त रखा जाता है तथा यह बात कई सप्ताह तक गुप्त रहती है। एक टिकट तथा एक कमरा एक अजनबी व्यक्ति के लिए बुक किया जाता है जिसे शिष्टमंडल के नेता की तरफ से नहीं बल्कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से शामिल किया जाता है। यह गुप्त नाम श्री अंदलीब सहगल का है जो श्री जगत सिंह के व्यापारी सहयोगी हैं तथा उनका चचेरा भाई है श्री खन्ना। यह एक सरकारी शिष्टमंडल है, लेकिन इसमें दो व्यापारी सदस्य हैं जिसमें कांग्रेस अध्यक्षा ने इतनी रुचि दर्शाई तथा इराक के नेताओं से, जब वे दिल्ली में थे, मुलाकात करवाई। क्या श्री शिव शंकर तथा श्री अंतुले ने इन दो शामिल किए गए व्यक्तियों के संबंध में कांग्रेस अध्यक्षा को नहीं बताया होता कि उन्हें शामिल किया गया है पर वे शिष्टमंडल के नेता नहीं थे? श्री शिवशंकर सिंह ने कहा कि उन्होंने उन लोगों के साथ यात्रा की, उन लोगों के साथ ठहरे, बैठकों में उपस्थित हुए, साथ-साथ खाना खाया तथा वहां मंत्रियों से भी मिले और साथ-साथ वापस आ गए। लेकिन फिर भी वे कहते हैं कि उन्हें पता नहीं चला कि वे क्या कर रहे थे। स्वाभाविक रूप से, श्री शिवशंकर गांधी परंपरा के अनुयायी हैं जो बुरा देखने, सुनने तथा बोलने से परहेज करते हैं।

पाठक रिपोर्ट के पैराग्राफ 11.2 के अनुसार, यात्रा के लिए इतनी सारी तैयारियां की गई थी तथा इसे कई बार बदला भी गया। दूतावासों तथा कांग्रेस पार्टी के बीच कितने सारे पत्र आते रहते हैं परन्तु इस शिष्टमंडल का कोई दौरा-कार्यक्रम नहीं था। मैं इसे दोहराना चाहूंगी कि इराक हेतु शिष्टमंडल का कोई दौरा कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था। कांग्रेस अध्यक्षा ने कोई निर्देश नहीं दिए तथा इस पर कोई बैठक नहीं हुई कि इराक पहुंचकर वे क्या करेंगे। क्या महत्वपूर्ण शिष्टमंडल जो कहने के लिए सौहार्दपूर्ण संदेश लेकर जाता है लेकिन इसे मालूम नहीं कि वे किससे मिलने जा रहे हैं क्यों मिलने जा रहे हैं, शिष्टमंडल क्या है, तथा वे चार दिनों तक वहां क्या करेंगे, इत्यादि। कुछ भी नहीं है। यह कितनी विस्मयकारी बात है? स्वाभाविक रूप से, कांग्रेस अध्यक्षा या श्री के. नेटवर सिंह द्वारा शिष्टमंडल का कोई दौरा-कार्यक्रम नहीं बनाया गया क्योंकि इसके सदस्यों को जानकारी थी कि वे क्या करने जा रहे हैं। इसका शांति और भाईचारे से कोई संबंध नहीं था। वे पैसा बनाने के लिए जा रहे थे। अन्यथा ...*(व्यवधान)*

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): महोदय, यह सही नहीं है। मैं इस पर आपत्ति व्यक्त करता हूं। ...*(व्यवधान)* मैं आपत्ति व्यक्त करता हूं। कृपया मुझे सुनें। ...*(व्यवधान)* मैं आपको बताऊंगा कि मेरी आपत्ति क्या है। ...*(व्यवधान)* श्री मल्होत्रा, मैं उनसे मेरी बात सुनने के लिए कह रहा हूं। आप बीच में क्यों खड़े हैं? हम न्यायमूर्ति पाठक रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं तथा हमें पाठक रिपोर्ट में शामिल मुद्दों पर ही सीमित रहना है। ...*(व्यवधान)* वे उस मामले पर विचार नहीं कर सकती हैं जो पाठक रिपोर्ट से बाहर है तथा वे व्यक्तिगत सूचना के आधार पर बोल रही हैं। ...*(व्यवधान)* हमें उस पर ही विचार करना है जो रिपोर्ट में शामिल है। यह आम चर्चा नहीं है हमें रिपोर्ट में शामिल मामलों पर चर्चा करनी है। ...*(व्यवधान)* कृपया कार्यवाही पढ़ें। यह न्यायमूर्ति पाठक जांच आयोग की रिपोर्ट पर चर्चा है, न कि आम चर्चा। अतएव वे इन चीजों की कल्पना नहीं कर सकती हैं। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: वे इस सभा की सदस्या हैं। वे बिना सूचना दिए किस प्रकार अभियोग लगा सकती हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल देना चाहिए। ...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: वे बिना उचित नोटिस दिए किस प्रकार सदन के किसी सदस्य पर अभियोग लगा सकती हैं?

श्री कपिल सिब्बल: वे इस सदन की सदस्या हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मिस्त्री जी, आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

कृपया बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: जो कुछ रिपोर्ट में है, उन्हें कहने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी): चर्चा किस विषय पर हो रही है? चर्चा आर.एस. पाठक रिपोर्ट पर हो रही है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: जय प्रकाश जी, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: मैडम, आप बैठ जाएं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: अगले वक्ता श्री कपिल सिब्बल हैं जो बहुत बुद्धिमान, अच्छे और वरिष्ठ अधिवक्ता हैं। उन्होंने जो कुछ कहा है उसका वे उत्तर देंगे।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: नहीं, महोदय। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली): कांग्रेस पार्टी जिम्मेदार है। ...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): उन्हें अपने आरोपों के सबूत देने होंगे। वे किसी अन्य सदस्यों के विरुद्ध ऐसे ही आरोप नहीं लगा सकती हैं। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: अगर कुछ आब्जेक्शनेबल हुआ तो मैं उसे देख लूंगा।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह शर्मनाक आचरण हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं औचित्य का प्रश्न उठाना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)* महोदय, कृपया आप मेरी बात सुनें। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप लोग अपनी-अपनी सीटों पर जाइए। मैं श्री कपिल सिब्बल को सुनना चाहता हूं।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मेरा औचित्य का प्रश्न है। मुझे औचित्य प्रश्न उठाने दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: पहले आप अपनी-अपनी सीटों पर जाएं। मैं श्री कपिल सिब्बल को सुन लूं।

...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): उपाध्यक्ष महोदय, यह जो रिप्लाई का ड्रामा हो रहा है, इसकी जरूरत क्या है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

उपाध्यक्ष महोदय: किस नियम के अंतर्गत आप औचित्य प्रश्न उठाना चाहते हैं?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: कपिल सिब्बल जी, आपका प्वाइंट आफ आर्डर किस रूल के तहत है?

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: नियम 353 के अंतर्गत। नियम कहता है:

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधोपरक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा।"

...(व्यवधान) क्या आप मुझे बोलने भी नहीं देंगे। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप ऐसा कैसे कह सकते हैं? यह रिपोर्ट का हिस्सा है। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: आप मुझे बोलने तो दीजिए। *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: न्यायमूर्ति पाठक ने यह कहा है, मैंने नहीं *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: नियम कहता है:

"किसी सदस्य द्वारा किसी व्यक्ति के विरुद्ध मानहानिकारक या अपराधीक स्वरूप का आरोप नहीं लगाया जायेगा।..."

किसी भी व्यक्ति जिसमें इस सभा के सदस्य शामिल हैं और श्रीमती सोनिया गांधी भी इस सभा की सदस्या हैं। इसमें आगे कहा गया है:

"...जब तक कि सदस्य ने अध्यक्ष को तथा संबंधित मंत्री को भी पर्याप्त अग्रिम सूचना न दे दी हो जिससे कि उत्तर के प्रयोजन के लिए मंत्री विषय की जांच कर सकें।..." *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: मंत्री कौन है? *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: इसमें आगे कहा गया है:

"...परन्तु अध्यक्ष किसी भी समय किसी सदस्य को ऐसा आरोप लगाने से प्रतिषिद्ध कर सकेगा यदि उसकी राय हो कि ऐसा आरोप सभा की गरिमा के विरुद्ध है या ऐसा आरोप लगाने से कोई लोकहित सिद्ध नहीं होता। ..."*...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: इसमें औचित्य प्रश्न नहीं है।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: रिपोर्ट में श्रीमती सोनिया गांधी का जिक्र कहां है? रिपोर्ट में कांग्रेस अध्यक्ष का जिक्र कहा हैं? रिपोर्ट में "कांग्रेस अध्यक्ष" शब्द कहां है? वे ऐसा जिक्र कैसे कर सकती हैं? *...(व्यवधान)*

श्री अनंत गंगाराम गीते (रत्नागिरि): यह रिपोर्ट में है। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यह उसमें नहीं है। कृपया मुझे दिखाइए। यदि आपने रिपोर्ट नहीं पढ़ी है तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

श्री लालकृष्ण आडवाणी (गांधीनगर): महोदय, मैं अपने साथियों द्वारा दिए गए भाषणों को सुन रहा था। कांग्रेस पार्टी की ओर से यह प्रतिक्रिया इस सीधे वक्तव्य पर है जो रिपोर्ट का हिस्सा है और जिसमें कहा गया है: 'यह आश्चर्यजनक है कि यद्यपि शिष्टमंडल उच्च शिष्टमंडल था, तथापि, इस शिष्टमंडल के दौरे का कोई कार्यक्रम तैयार नहीं किया गया था।' इसमें आरोप कहां है? *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: इससे इसका कुछ लेना-देना नहीं है। *...(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: श्री आडवाणी, कृपया रिकार्ड देखें। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर वापस जाएं।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

उपाध्यक्ष महोदय: हद हो गयी। इस समय मैं ऐसा नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं देखूंगा।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

उपाध्यक्ष महोदय: आप अपनी सीट पर जाइए।

...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय: मैं देखूंगा, यदि आब्जेक्शनेबल हुआ तो मैं उसे निकाल दूंगा।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम: महोदय, जो कुछ विपक्ष के नेता ने कहा क्या मैं उसका उत्तर दे सकता हूं? *...(व्यवधान)*

महोदय, जब तक उन्होंने कार्यक्रम के बारे में बोला हमने आपत्ति नहीं की। जब उन्होंने कहा कि कोई कार्यक्रम नहीं था, हमने आपत्ति नहीं की। किन्तु जब आगे जाकर उन्होंने कहा कि कांग्रेस अध्यक्ष ने इस शिष्टमंडल को पैसे कमाने के लिए भेजा था तो हमने इस पर आपत्ति की। *...(व्यवधान)*

उपाध्यक्ष महोदय: सभा सायं 6.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 5.41 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा सायं 6.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

सायं 6.00 बजे

लोक सभा सायं 6.00 बजे पुन: समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन* हुए]

नियम 193 के अधीन चर्चा—*जारी*

न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट और उस पर की गई कार्यवाही—*जारी*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: अब श्रीमती मेनका गांधी अपना भाषण जारी रखेंगी।

श्रीमती मेनका गांधी (पीलीभीत): महोदय, मुझे आफसोस है कि सरकार *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी सीट पर बैठिए। सभा के सभी सदस्य इस बात पर सहमत हैं कि यह एक महत्वपूर्ण विषय है और इस पर चर्चा की जानी चाहिए। इसीलिए एक जांच प्राधिकरण की नियुक्ति की गई थी और उसने अपनी रिपोर्ट दे दी है। एक प्रसिद्ध व्यक्ति और पूर्व मुख्य न्यायाधीश इस प्राधिकरण के अध्यक्ष हैं। प्रत्येक माननीय सदस्य को टिप्पणी करने का हक है किंतु स्वाभाविक रूप से हमें एक विनियमित चर्चा करनी है। अन्यथा, किसी भी सदस्य के विचार कार्यवाही-वृत्तांत में नहीं आ पाएंगे। इसलिए, आप सभी से मेरा यह विनम्र अनुरोध है कि कृपया यह देखें कि एक सुगठित चर्चा हो। स्पष्टता, हम सभी नियमों से परिचित हैं, और हमें ऐसी कोई भी बात कहने से बचना चाहिए जो सुस्थापित नियमों के अनुरूप न हो।

अब श्रीमती मेनका गांधी अपनी बात जारी रख सकती हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम इसका ध्यान रखेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब मैं बोलने के लिए खड़ा हूं तो आपको अपनी सीट पर बैठ जाना चाहिए। मुझे विश्वास है कि यदि सभा काम न कर सके तो भी आप सभा को स्थगित नहीं करना चाहेंगे।

...(व्यवधान)

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री तथा पृथ्वी विज्ञान मंत्री (श्री कपिल सिब्बल): महोदय, नियम 353 के अतंर्गत मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। ...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष जी, अपना निर्णय पहले ही दे चुके हैं। महोदय, अब वे व्यवस्था का प्रश्न कैसे उठा सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप यह पहले ही उठा चुके हैं।

श्री कपिल सिब्बल: किंतु तब कोई निर्णय नहीं दिया गया था। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्रत्येक सदस्य पीठ को निदेश दे रहा है। कृपया अपनी सीट पर बैठिए।

...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: यह आश्चर्यजनक है कि जब नटवर सिंह जी पर हमला उठाया जा रहा था तो प्रत्येक सदस्य लगभग चुप बैठा था। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मुझे व्यवस्था का प्रश्न उठाने की अनुमति दी जाए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, वे व्यवस्था का प्रश्न उठा रहे हैं। मुझे वह सुन लेने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: महोदय, जब पहले ही व्यवस्था का प्रश्न उठाने की बात को नकार दिया गया हो तो वे प्रश्न नहीं उठा सकते हैं। ...*(व्यवधान)* इस पर पहले ही निर्णय दिया जा चुका है।

अध्यक्ष महोदय: मैं मामले पर गौर करूंगा। मैं माननीय उपाध्यक्ष महोदय के साथ इस पर चर्चा करूंगा। आप को बाद में बोलने के लिए समय दिया गया है इसलिए आप उस समय इस बात का उल्लेख कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर गौर किया जाएगा। श्री सिब्बल जी स्वयं ही बैठ गए हैं। वक्ताओं की सूची में उनका अगला ही नंबर है। कृपया अब अपनी सीट पर बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा): महोदय, उन्होंने सरकार के विरुद्ध आरोप लगाए हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: देखते हैं। अब हमें सभा की कार्यवाही चलानी है। पीठ पर बैठे किसी भी सदस्य की तरह मेरा भी यही विनिर्णय है कि नियमों का पालन करना चाहिए। इसलिए, यह देखना मेरा कर्त्तव्य है कि नियमों का पालन किया जाए।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद): अध्यक्ष महोदय, मुझे एक मिनट अपनी बात कहने का मौका दीजिए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यदि वह अनुमति दें तो आप बोल सकते हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं अनुमति नहीं दे रही हूं। ...*(व्यवधान)* यह कोई फोरम नहीं है। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री लालू प्रसाद: मेनका गांधी जी ने विषय को छोड़कर डेरोगेट्री लैंगुएज का इस्तेमाल किया है। ...*(व्यवधान)* महोदय, मेनका गांधी जी द्वारा जिन दो डेरोगेट्री शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उन दोनों शब्दों को प्रोसीडिंग्स से निकाला जाए और इनको एक्सपंज किया जाए। ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इस पर गौर किया जाएगा। मैं इस पर गौर करूंगा। श्रीमती मेनका जी, कृपया अब बोलिए।

...*(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: इसे पूरी तरह से हटा दिया जाना चाहिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसी टिप्पणियां करना बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसे हटाया जाए। इसे पूरी तरह से हटा दिया जाए। आप एक सदस्य की बेइज्जती नहीं कर सकते हैं।

...*(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे हटा दिया था। इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया है।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: सरकार द्वारा यह पता लगाने के लिए पाठक जांच प्राधिकरण का गठन किया गया था कि किसने अवैध रूप से पैसा कमाया है। समिति का यही उद्देश्य था। उन्होंने क्या कहा? मैंने यह कहा—जो मैंने कहा है मैं उसे फिर दोहराती हूं कि शिष्टमंडल हेतु कोई यात्रा मार्ग नहीं बनाया गया था क्योंकि उसके सदस्य जानते थे कि वे क्या करने जा रहे हैं और इसका शांति तथा सद्भावना फैलाने से कोई लेना-देना नहीं था।* *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण एक मिनट रुकिए। कृपया बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यों, कृपया अपने-अपने स्थान पर जाएं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री मिस्त्री, कृपया अपने स्थान पर जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह ठीक नहीं है। मैं खड़ा हूं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह काफी विचित्र बात है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हमें कितनी डिक्टेशन देंगे। हमारा गला भी सूख गया है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्या, श्रीमती मेनका गांधी यह आक्षेप लगा रही हैं कि किसी व्यक्ति ने कुछ किया है—स्पष्ट तौर पर अपना अभिप्राय 'अवैध कार्य' से है—यह एक आरोप है जिसके लिए नियम 353 के अधीन नोटिस दिया जाना चाहिए। इसलिए इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी, अपना भाषण जारी रखिए।

श्रीमती मेनका गांधी: ठीक है, मैं अपना भाषण जारी रखती हूं।

उन्होंने मुझे अगला वाक्य बोलने नहीं दिया। अगला वाक्य है: "आप इस तथ्य को किस अन्य प्रकार से व्याख्यायित करेंगे—जो वे लोग करना चाहते हैं—कि श्री नटवर सिंह के नेतृत्व वाले शिष्टमंडल ने अंदलीब सहगल के साथ जिसकी कम्पनी यह ठेका प्राप्त करना चाहती थी, तेल मंत्री से मुलाकात की थी? कांग्रेस पार्टी का शांति और सद्भाव फैलाने वाला सरकारी राजनीतिक शिष्टमंडल सामान्य तौर पर राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री या उप राष्ट्रपति अथवा विदेश मंत्री से मुलाकात करता है। निश्चय ही वह तेल मंत्री से मुलाकात नहीं करता है जिसका शांति और सद्भाव से कुछ लेना-देना नहीं है।

क्या यह भारत की तेल की आवश्यकता संबंधी चर्चा हो सकती थी। तब तत्कालीन विपक्षी दल का एक सामान्य नेता भारत की तेल संबंधी आवश्यकताओं की चर्चा क्यों करना चाहता था। उसके व्यावसायिक सहयोगी इस बैठक में भाग लेना क्यों चाहते थे। तेल मंत्री श्री नटवर सिंह से क्यों मिलना चाहते थे। न्यायमूर्ति पाठक ने श्री नटवर सिंह के बारे में लिखा है कि वह अनेक वर्षों तक विदेश मंत्री रह चुके हैं तथा इराकियों के साथ उनके प्रगाढ़ संबंध हैं, इसके ठीक उलट, तथ्य यह है कि वह दस वर्षों से भी पहले विदेश मंत्रालय में एक कनिष्ठ मंत्री थे। तेल मंत्री ने उनसे मुलाकात की क्योंकि अपनी सरकार, अपने राष्ट्रपति से आदेश प्राप्त हुआ, जिन्होंने यह सोचा कि चूंकि श्री नटवर सिंह अपने पार्टी अध्यक्ष का पत्र लाए हैं, वह पूरे कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: वह ऐसा कैसे कह सकती हैं? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: क्या कोई व्यक्ति यहां बैठे या खड़ा हो सकता है और परेशानी पैदा कर सकता है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: जब मैं कुछ कहता हूं तो वह सभी पक्षों पर लागू होता है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: आप इनसे भी कहिये। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह काफी प्रतिभासम्पन्न लोगों का देश है जो यहां उपस्थित हैं। हमें मुद्दों पर काफी महत्व और गम्भीरता के साथ चर्चा करनी हैं। इसलिए, हम सभी को सतर्क रहना चाहिए कि हमें ऐसा कुछ नहीं कहना या करना चाहिए जिससे अप्रिय परिस्थिति पैदा हो। इसलिए, मैं श्रीमती मेनका गांधी से अनुरोध करता हूं। मुझे उम्मीद है कि मैंने सही बात कही है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: हम क्या करें, लैफ्टिस्ट हैं इसलिए लैफ्ट साइड देखते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: हम सब साइड देखते हैं। ऐसा नहीं है कि हम इन्हें नहीं डांटते।

...(व्यवधान)

श्री दुष्यंत सिंह (झालावाड़): अध्यक्ष महोदय, वहां से कई मंत्री भी खड़े हो कर बोल रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बच्चा लोग, आपको क्या हो गया है?

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस पार्टी की लीडर ने डेलीगेशन भेजा, इसमें क्या चाल थी, यह बात है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी तहकीकात करूंगा और तब निर्णय लूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कड़े शब्द अच्छे संबंधों में बाधक हैं। मुझे खेद है।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर आप उत्तेजित क्यों हो रहे हैं। पहला, कड़े शब्दों के प्रयोग किए गए हैं। दूसरा, श्री नटवर सिंह ने खुद कहा है कि वह इराक गए थे और कांग्रेस अध्यक्ष का पत्र ले गए थे। क्या इसमें कोई गलती नजर नहीं आती। *...(व्यवधान)* अब जब मैं सच्चाई बताने वाली हूं तो आप में से प्रत्येक उत्तेजित न हो। कृपया बात सुनें। इसमें कुछ भी कड़वा नहीं है। जब श्री नटवर सिंह कांग्रेस अध्यक्ष का पत्र ले गए तो योग्य इराकी तेल मंत्री ने उन्हें आर्डर दिया क्योंकि उन्होंने सोचा कि वह सम्पूर्ण कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। क्या उन्होंने यह कल्पना की कि कांग्रेस पार्टी ने श्री नटवर सिंह और उनके परिवार के सदस्यों के माध्यम से वित्तीय मदद मांगी है। क्या श्री नटवर सिंह *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप एक-एक करके सभी मुद्दों पर उत्तर दें। मैं समझता हूं कि आप इन सब मुद्दों का समुचित उत्तर देंगे।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: मुख्य मुद्दा यह है कि क्या श्री नटवर सिंह ने कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व किया था अथवा उन्होंने स्वयं और अपने परिवार का प्रतिनिधित्व किया था? प्रश्न है कि न्यायमूर्ति पाठक ने यह बात अधूरी छोड़ दी।

कांग्रेस पार्टी के विदेश कार्य प्रकोष्ठ में कार्यरत एक कांग्रेसी, अनिल मेथरानी, श्री नटवर सिंह के साथ कार्य कर रहे थे तथा जिन्हें क्रोएशिया का भारतीय राजदूत बनाया गया था, वह वर्ष 2001 में बगदाद और ओमान में श्री नटवर सिंह के साथ थे। उन्होंने 'इंडिया टूडे' को दिए गए अपने साक्षात्कार में बताया है कि इराकियों को कांग्रेस पार्टी को तेल वाउचर देने हेतु हरी झंडी का इंतजार था तथा उनके शब्दों में "नटवर सिंह ने उन्हें हरी झंडी दी"। इराक के उपराष्ट्रपति ताहा यासिन रामधन ने अपने दिल्ली दौरे के दौरान 27 नवम्बर, 2000 को सोनिया गांधी से मुलाकात की थी तब श्री नटवर सिंह भी उनके साथ मौजूद थे। इससे इराकी प्राधिकारियों को पहला संकेत मिला कि श्री नटवर सिंह के पास कांग्रेस अध्यक्ष का कथन है। यह एक कथन है। "इराकी शासन को यह विश्वास दिलाने के लिए कि नटवर सोनिया गांधी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, सोनिया गांधी ने नटवर सिंह के माध्यम से सद्दाम हुसैन को एक पत्र भी भेजा। न्यायमूर्ति पाठक ने मेथेरानी के लगभग सभी रहस्योद्घाटनों को नजरअंदाज कर दिया है तथा इस अभिशंसी पत्र का जिक्र करने से पूरी तरह मना कर दिया है कि नटवर सिंह ने स्वयं यह उद्घटित किया था कि उन्हें उनके पार्टी अध्यक्ष ने इराक भेजा था।

महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री ए.आर. अंतुले, जो कि प्रतिनिधिमंडल के सदस्य भी थे, समाचार-पत्रों द्वारा संपर्क किए जाने पर इस यात्रा के बारे में बात करने के अनिच्छुक थे। तथापि, उन्होंने कहा था कि श्री नटवर सिंह द्वारा आयोजित एकमात्र सरकारी बैठक इराक के तेल मंत्री, श्री तारिक के साथ हुई बैठक थी।

न केवल नटवर सिंह और उनके शिष्टमंडल ने तेल मंत्रालय के साथ शांति और सद्भावना का प्रचार-प्रसार किया बल्कि अगले दिन कांग्रेस पार्टी से कुछ और सद्भावना संदेश फैलाने के लिए राज्य तेल विपणन संगठन (सोमो) भी जाते हैं और वे अनाज के बदले तेल कार्यक्रम के बारे में चर्चा करते हैं। कुशाग्र बुद्धि वाले और सच्चाई का पता लगाने वाले न्यायमूर्ति पाठक यह कहते हुए पैरा 11.8 में वायदापूर्वक कहते हैं कि "यह सर्वविदित है कि उस समय इराक सरकार ने केवल उन्हीं कंपनियों को तेल आबंटित किया जिन्हें इराक हितैषी माना गया था।" न्यायाधीश ने प्रतिनिधिमंडल की मंशाओं की सच्चाई और इस बात का भी पता लगाया कि इराक सरकार यह जानता है कि नटवर सिंह निजी पार्टी नहीं हैं बल्कि एक राजनीतिक पार्टी के प्रतिनिधि हैं। फिर भी वह कानून द्वारा जिसकी अनुमति नहीं दी गई है वह दल को दोषमुक्त करते हैं। महोदय, एक वकील के नाते आप यह जानते हैं कि वे इसकी लोगों के मन में फूहड़ ढंग से बस कर उनके लिए बोलने का दावा करते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, वह "फूहड़" शब्द का प्रयोग कर रही हैं।

अध्यक्ष महोदय: मेरे पास लाइए। मैं इस पर और करूंगा। इसे आने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यह बिल्कुल अनुचित है।

अध्यक्ष महोदय: सिर्फ कड़े शब्दों के प्रयोग से सहायता नहीं मिलेगी।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मुझे अफसोस है। यह एक वाक्य संरचना है। वाक्य संरचना की वजह से 'फूहड़' है। ...*(व्यवधान)* मुझे दुःख है। ...*

अध्यक्ष महोदय: इस प्रकार का व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया जा सकता।

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे दुःख है, महोदय।

अध्यक्ष महोदय: यहां कोई भी अंग्रेजी भाषा के बारे में निर्णय नहीं ले रहा है।

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): हमें सभा की गरिमा और इस चर्चा को जारी रखना चाहिए।

श्रीमती मेनका गांधी: कौन सी गरिमा?

श्री गुरूदास दासगुप्त: अन्यथा, हम उन लोगों की नजरों में नीचे गिर जाएंगे जो हमें देख रहे हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, वह कहती हैं: "कौन सी गरिमा?" मैं उनसे सहमत हूं। कैसी गरिमा।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं यही कहने जा रही थी। क्या आप और भी नीचे गिर सकते हैं? मैं मुद्दे की बात करती हूं। वह फूहड़ता से इराकियों के मत में चढ़कर उनके लिए बोलने का दावा करते हैं। मैं उद्धृत करती हूं:

> "संभवतः इराकी अधिकारियों को यह विश्वास था कि श्री नटवर सिंह अन्तर्राष्ट्रीय समुदाय में उनके हितों में सहायक होंगे और उनका प्रभाव व्यापक होगा क्योंकि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक वरिष्ठ सदस्य थे।"

इराकी लोग किसी भी तरह से निष्प्रभ नहीं हैं। वे चालाक हैं। वे संसाधन वाले लोग हैं। निश्चित रूप से वे बेवकूफ नहीं हैं। वे अच्छी तरह जानते थे कि वे क्या कह रहे हैं। वे जानते थे कि वे महत्वपूर्ण व्यक्ति नहीं हैं, भले ही उनकी इराक के उप प्रधानमंत्री के साथ तथाकथित मित्रता कितनी ही महान हो, जिससे वे हाल ही में मिले थे। वोल्कर रिपोर्ट में इसका कोई रिकार्ड नहीं है कि व्यक्तियों की मित्रता के आधार पर विश्व में कहीं भी कोई ठेका सौंपा गया था। इराकी लोगों को यह बात स्पष्ट थी कि वे सभी राजनीतिक दलों को लाभ पहुंचाना चाहते थे। न्यायाधीश पाठक तेल मंत्रालय एवं सोमो द्वारा प्रतिनिधिमंडल को दिए गए स्वागत के बारे में लिखते हैं परन्तु पुनः 12.1 में यह लिख कर कि "अन्दलीब सिंह को केवल इसलिए दो मिलियन बैरल तेल का आबंटन किया गया था क्योंकि इराकी सरकार श्री नटवर सिंह को कृतज्ञ करना चाहती थी।

अध्यक्ष महोदय: आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: क्या न्यायमूर्ति पाठक ने ठेका देने वालों, तेल देने वालों से पूछ-ताछ की थी? वह निष्कर्ष कैसे निकाल सकते हैं जो कि स्पष्ट रूप से बेतुका है? इराकी नटवर सिंह को क्यों कृतज्ञ करना चाहते थे? अथवा, वे श्री अंतुले और श्री पी. शिवशंकर की उपस्थिति से पूर्णतः सहमत थे कि वे कांग्रेस दल पर उपकार कर रहे हैं? न्यायमूर्ति पाठक ने नटवर सिंह, अन्दालीब सहगल, अनिल मथरानी और जगत सिंह की मंत्रियों एवं तेल मंत्रालय से संबंधित अधिकारियों के साथ हुई बैठकों का व्यापक उल्लेख किया है। उन्होंने हमें यह नहीं बताया है कि श्री अंतुले और श्री पी. शिवशंकर उस समय क्या कर रहे थे। वे

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती मेनका गांधी]

किसी बैठक में नहीं गए थे। वे मस्जिदों में घूम रहे थे। वे रेगिस्तान के दृश्य देखने गए थे। वे क्या कर रहे थे? उनका कोई कार्यक्रम नहीं था। क्या जान-बूझकर यह चूक की गई थी? अथवा, क्या वे इस दल से सौदों का समर्थन करने के लिए मौजूद थे? व्यक्तिगत रूप से नटवर सिंह की और इराक के लोगों की महत्ता कम ही थी क्योंकि उस समय वह महत्वपूर्ण नहीं थे। इराकी सरकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की चापलूसी करने की इच्छुक थी, श्री नटवर सिंह के साथ मिलकर नहीं, बल्कि नटवर सिंह के माध्यम से। कांग्रेस पार्टी यह जानती थी। अन्यथा उन्होंने क्यों उनके साथ अन्य वरिष्ठ लोगों को भेजा, जिन्होंने शांति और सद्भावना फैलाने के अलावा कुछ नहीं किया। क्या श्री अंतुले गए थे, क्या श्री पी. शिवशंकर गए और राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति से मुलाकात की? निश्चित रूप से, उन्होंने शांति और सद्भावना का प्रसार किया। परन्तु वे अन्यत्र कहीं नहीं गए। इस प्रकार, उन्होंने श्री नटवर सिंह को किस प्रकार भेजा था? क्या यह श्री नटवर सिंह के दावों को साबित करने के लिए था कि वे कांग्रेस पार्टी का प्रतिनिधित्व करते हैं?

न्यायमूर्ति पाठक इस निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे कि इराकी लोगों ने नटवर सिंह के व्यक्तिगत अनुरोध को कांग्रेस पार्टी के अनुरोध के रूप में गलत समझा?

न्यायमूर्ति पाठक इस आश्चर्यजनक निष्कर्ष पर कैसे पहुंचे? किस आधार पर? नटवर सिंह कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करते हैं, कांग्रेस अध्यक्षा की ओर से पत्र भेजते हैं, कांग्रेस पार्टी की ओर से एकजुटता व्यक्त करते हैं। एक कांग्रेसी नटवर और स्व-सहायक समर्थन प्राप्त करने वाले नटवर की शुरूआत कहां से होती है और किन ठोस साक्ष्यों के आधार पर हम उन्हें एक दूसरे से अलग कर सकते हैं? तथ्य यह है कि यह संपूर्ण यात्रा कांग्रेसी सदस्यों ने पहले से तय खरीदार कंपनी के साथ तालमेल के साथ की, यह मैसफील्ड प्रतिनिधि निक स्वैन द्वारा इंग्लैंड से सोमो को लिखे पत्र से स्पष्ट होती है, शिष्टमंडल के सोमो ( ) से भेंट करने के एक दिन के पश्चात् उन्होंने लिखा था कि उन्हें इस संबंध में वीजा चाहिए, मैं पैराग्राफ 12.1 का हवाला देती हूं: "दो मिलियन बैरल बसरा कच्चे तेल का राजनीतिक आबंटन।" यह एक इराकी नौकरशाह द्वारा इराक के तेल मंत्री को लिखे पत्र से भी स्पष्ट होती है, उस पत्र में ठेके के लिए स्वीकृति मांगी गई थी और खरीदार कंपनी का नाम मैसफील्ड एजी के रूप में पहले से ही सूचीबद्ध था तथा खरीददार भारतीय कांग्रेस पार्टी के सदस्य श्री नटवर सिंह थे।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना): क्या कोई समय की पाबंदी भी है?

अध्यक्ष महोदय: आप बैठिए, मैं अलाऊ कर रहा हूं। उनके बोलने से आपको कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए इसलिए आप बैठ जाएं।

श्री राम कृपाल यादव: हम तो बैठ ही जाएंगे।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: अब न्यायमूर्ति पाठक के सामने यह तथ्य है कि नटवर सिंह वापस आते हैं और इराक सरकार विशेषकर तेल मंत्री को एक पत्र लिखते हैं, जिसमें वह अंदलीब सहगल को बहुत वर्षों के अपने विश्वासपात्र साथी के रूप में सिफारिश करते हैं। यदि इराक सरकार नटवर सिंह तथा बहुत वर्षों के उनके विश्वासपात्र साथियों और उनके पुत्रों तथा दामादों को उपकृत करना चाहती तो क्या नटवर सिंह जैसा कि न्यायमूर्ति पाठक का दावा है, अपने पत्र में कांग्रेस पार्टी का उल्लेख करते और यह बताते कि वह अरब बाथ सोशलिस्ट पार्टी के साथ इसके बंधुत्वपूर्ण संबंधों को कितना महत्व देती है? स्पष्टत: वह इराकियों को बार-बार यह तथ्य बताना चाहते थे कि यह कांग्रेस पार्टी है और इराकी लोग केवल उनके माध्यम से तेल दे रहे हैं।

हालांकि, न्यायमूर्ति पाठक, कांग्रेस पार्टी तथा बाथ पार्टी के निकट संबंधों का खुलासा होने के बावजूद भी श्री मोती लाल वोहरा की इस व्याख्या को मानते हैं कि यह एक निजी पत्र था। उन्हें ठेका मिला, उन्हें लाखों डालर का ठेका मिला।

महोदय, उसके बाद जो हुआ वह भी असाधारण था। अचानक, बैंगलोर में कांग्रेस पार्टी की एक बैठक बुलाई गई तथा अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने मध्य पूर्व से संबंधित एक विदेश नीति संकल्प पारित किया, जिसमें उल्लेख किया गया था कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस इराक के साथ भारत के संबंधों को बहाल करने के सरकार के प्रयासों का समर्थन करती है और सभी प्रतिबन्धों को समाप्त करके स्पष्ट रूप से मांग करती है। कितना आश्चर्यजनक इत्तफाक है। इसके तत्पश्चात् नटवर सिंह अपने अध्यक्ष द्वारा पारित संकल्प को संलग्न करके एक पत्र लिखते हैं तथा दूसरा ठेका मांगते हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ये सभी अनुमान हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: अभी कुछ समय बाकी है।

...(व्यवधान)

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी): महोदय, मैं केवल इतना कह सकता हूं कि अज्ञानता वरदान है।

श्रीमती मेनका गांधी: न्यायमूर्ति पाठक ने यही कहा था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्हें समाप्त करने दीजिए। कृपया अपने स्थान पर बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कृपया अधिक अनुमान मत लगाइए, परन्तु अपनी बात जारी रखिए।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं पाठक रिपोर्ट का शब्दश: हवाला दे रही हूं। मैं अपनी ओर से कुछ नहीं कह रही हूं। न्यायमूर्ति पाठक के अनुसार उन्होंने इस संकल्प के तुरंत बाद दूसरा पत्र भेजा और उन्होंने उस संकल्प को संलग्न किया, जिसे आकस्मिक रूप से पारित किया गया था। वह कहते हैं, "यह और सिद्ध करता है कि हम आपके कितने निकट हैं और कांग्रेस पार्टी कितनी निकट है।" यह उनका पत्र है तथा वह कहते हैं, "आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। क्या आप कांग्रेस पार्टी को दूसरा ठेका देने की कृपा करेंगे?" यह पत्र उनके पुत्र तथा उसके रिश्ते के भाई अंदलीब सहगल के नाम से था तथा कांग्रेसी विधायक जगत सिंह कांग्रेस पार्टी द्वारा पारित संकल्प के साथ यह पत्र व्यक्तिगत रूप से इराक लेकर गए थे। इराकियों को तब पूरा विश्वास हो गया था कि वह कांग्रेस पार्टी से सौदा कर रहे हैं। इसलिए उन्होंने एक और ... दिया। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह अनुमान है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं कह चुका हूं कि वह अनुमान लगा रही हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसका खंडन नहीं किया है।

श्रीमती मेनका गांधी: उन्होंने दो मिलियन बैरल का एक और ठेका दिया। *...(व्यवधान)* महोदय, एक वकील होने के नाते आप जानते हैं कि 'क' और 'ख' हमेशा ही जुड़ जाते हैं। यदि श्री नटवर सिंह नहीं मानते, यदि श्री नटवर सिंह को अपने निजी संबंधों के कारण तेल मिलना होता तो वह कांग्रेस पार्टी द्वारा तत्परता से पारित किए गए संकल्प को शामिल नहीं करते। हालांकि, कांग्रेसी विधायक श्री जगत सिंह फिर इराक जाते हैं और उन्हें दो मिलियन बैरल का एक और ठेका मिलता है, जोकि श्री नटवर सिंह के पुत्र श्री जगत सिंह को नहीं दिया जाता और ...* परन्तु, मैं पैरा 14.8 का हवाला देती हूं, कांग्रेस पार्टी के श्री जगत सिंह *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हां, यह उसमें है। मैं यह देखूंगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं एक लंबे समय से इस रिपोर्ट पर कार्य कर रही हूं।

पाठक समिति रिपोर्ट का पैरा 14.14 *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

डा. अरविन्द शर्मा (करनाल): ये पढ़कर बोल रही हैं, पढ़कर बोलना क्या एलाउड है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: वह रिपोर्ट पढ़ रही हैं, मैं उन्हें कैसे रोक सकता हूं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यहां एक बहुत ही सक्षम महिला बोल रही हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, पाठक रिपोर्ट का पैरा 14.14 *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री जय प्रकाश (हिसार): *...(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, इन्हें इस प्रकार बोलते हुए शर्म आनी चाहिए। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बैठ जाइये।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार): ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री जय प्रकाश, बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस सभी को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। दोनों टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया जाएगा।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह: जब ये लोग बोलते हैं तब आप नहीं सुनते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने अपनी बात समाप्त नहीं की है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: एक्सपंज कर दिया गया है, आप बैठ जाइए।

...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: क्या आप वाद-विवाद नहीं करना चाहते। मैं सभी दलों के नेताओं से पूछना चाहता हूं कि क्या वे वाद-विवाद को जारी रखना चाहते हैं अथवा नहीं।

कुछ माननीय सदस्य: हां।

अध्यक्ष महोदय: मैं बोल रहे माननीय सदस्य सहित सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करता हूं कि वह अपनी बात समाप्त करें। आप कड़े शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और आप अच्छी बातें कह रहे है। उन्हें उत्तर देना होगा। हमें अभद्र भाषा का उपयोग नहीं करना चाहिए। कृपया ऐसा न करें।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैंने एक भी कड़े शब्द का इस्तेमाल नहीं किया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभी पक्षों से सहयोग करने का अनुरोध करता हूं। यह बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। हमें एक व्यवस्थित वाद-विवाद करना चाहिए।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं तो बात कहना चाहती हूं उसके पक्ष में कानूनी तर्क रखने का प्रयत्न कर रही हूं और यदि अभियुक्त कानूनी तर्क से संतुष्ट नहीं है तो वे वक्त आने पर इसका उत्तर दे सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, यह उचित नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं माननीय सदस्यों से यह भी कहना चाहता हूं कि वह बहुत ही अच्छे मुद्दे उठा रही हैं और यदि वह वक्तव्य में आने वाले व्यवधानों पर ध्यान न दें तो यह सुविधाजनक होगी।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कांग्रेस पार्टी और उसकी अध्यक्षा ...*(व्यवधान)* तेल के कूपन मिले हैं उस पर डिबेट हो रही है। ...*(व्यवधान)**

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री मल्होत्रा जी, आपकी व्याख्याओं पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है हर कोई हर किसी को पढ़ा रहा है।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ठीक है कृपया अब अपनी बात समाप्त कीजिए। आप पहले ही काफी समय ले चुके हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, पाठक रिपोर्ट का पैरा संख्या 14.14 बेकार है और एक प्रख्यात और अच्छे विधिवेत्ता से ऐसी अपेक्षा नहीं की जा सकती। लेकिन फिर भी वह इस तथ्य से इंकार नहीं कर पाए कि इराकियों ने कांग्रेस पार्टी को पैसे दिए हैं। उन्होंने इसे गलतफहमी कहकर कांग्रेस पार्टी की संलिप्तता को दरकिनार करने का प्रयत्न किया है।

अध्यक्ष महोदय: मुझे यह देखना होगा।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं क्षमा चाहती हूं। मैं रिपोर्ट पढ़ रही हूं।

अध्यक्ष महोदय: कौन सा पैराग्राफ?

श्रीमती मेनका गांधी: मैं रिपोर्ट का पैरा 14.14 पढ़ रही हूं।

श्री कपिल सिब्बल: ये एक टंकित भाषण पढ़ रही हैं। *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: अध्यक्ष महोदय, मैं पूछना चाहता हूं कि क्या कोई भी लीडर टाइप्ड स्पीच नहीं पढ़ता है? *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपको इसकी अनुमति दूंगा। आप बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: मैंने अनुमति दी है। मैं इन्हें पढ़ने से नहीं रोक सकता।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह सब क्या हो रहा है?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: मैं यह कहना चाहती हूं कि "शीशों के घरों में रहने वाले लोगों को दूसरों पर पत्थर नहीं फेंकने चाहिए।" *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप तो वहां बैठते हैं, यहां क्या कर रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप बहुत ही अधीर क्यों हो रहे हैं। आप हमेशा अध्यक्षपीठ पर रौब डालकर कार्यवाही को अपने ढंग से चलाने की कोशिश कर रहे हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: न्यायमूर्ति पाठक ने यह कहकर कि यह एक गलतफहमी थी कि इराकियों ने सोचा था कि वे ये सब कांग्रेस पार्टी को दे रहे हैं, यह कहकर पाठक प्राधिकरण ने कांग्रेस पार्टी को दोबारा बचाने की कोशिश की। वह यह कैसे जान सकते हैं कि वे स्थिति को समझते हैं। उन्होंने एक भी इराकी की बात नहीं की। अब वह यह कहकर नटवर सिंह को बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं कि इस मामले में नटवर सिंह की भूमिका सीमित थी। नटवर सिंह ने पत्र लिखे, उन्होंने यात्राओं का प्रबंध किया, वे मंत्रियों से मिले, उन्होंने एक बार नहीं दो बार सौदा कराया, उनके हिस्से के पैसों को उनके रिश्तेदार के खाते में जमा किए गए और उनकी भूमिका सीमित है? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: ऐसा नहीं है। ऐसा कोई निष्कर्ष नहीं निकाला गया है। ऐसा मत कहिए। यह एक आरोप है। यदि ऐसा निष्कर्ष नहीं है तो यह एक आरोप है।

श्रीमती मेनका गांधी: ऐसा निष्कर्ष निकाला गया है।

अध्यक्ष महोदय: उसे दिखाइए। यदि ऐसा है तो मैं इसकी अनुमति दूंगा। मैं अवश्य अनुमति दूंगा। ऐसा किस पैराग्राफ में कहा गया है।

श्रीमती मेनका गांधी: आप जो भी विनिर्णय करेंगे वह हमें स्वीकार्य है। यदि मैं कुछ गलत कह रही हूं तो आप मेरी बात को सही कर सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय: इसे मेरे पास लाइए इसे मैं देखूंगा।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती मेनका गांधी: नटवर सिंह की भूमिका एकतरफा मददगार की नहीं बल्कि प्रमुख भूमिका उन्हीं की है। इस मामले में लिप्त प्रत्येक व्यक्ति का संबंध उनसे और कांग्रेस पार्टी से है। वह सिर्फ सहयोगी अथवा मददगार कैसे हैं और उनके साथ गए अन्य दो कांग्रेसियों की क्या भूमिका है? आखिरकार, श्री नटवर सिंह ने अपना पता 1, अकबर रोड, नई दिल्ली लिखा था। यह पाठक रिपोर्ट में है। क्षमा कीजिए, महोदय, यह पाठक समिति की रिपोर्ट में लिखा है। जबकि वह टिप्पणी करते हैं कि उन्होंने 1, अकबर रोड के पत्र लिखे थे जो कि इंदिरा गांधी ट्रस्ट का कार्यालय है। इस ट्रस्ट की अध्यक्षता कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष द्वारा की जाती है और वह उसके कोषाध्यक्ष हैं। श्री के. नटवर सिंह अध्यक्ष के इतने अधिक नजदीकी थे कि बहुत से वर्षों तक अध्यक्ष ने उनको अपने व्यक्तिगत ट्रस्ट में धन का प्रबन्ध करने के लिए चुना था। क्या आपको लगता है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं होगी कि उनके अपने ट्रस्ट में क्या चल रहा है?

अध्यक्ष महोदय: कृपया समाप्त करें। आपने बड़ी ठोस बातें कही हैं।

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे पांच मिनट और चाहिए।

अध्यक्ष महोदय: पांच मिनट तक और धैर्य रखिए।

[हिन्दी]

आप बोलिए, कृपया आप बोलते रहिए।

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: पाठक समिति की एक और चूक मैसफील्ड ए.जी. के स्वामित्व की जांच न करना है। इस कंपनी के बारे में जो कुछ पता चला है वह आदित्य खन्ना के अभिसाक्ष्य से पता चला है। संभवत: कंपनी आदित्य खन्ना के अभिसाक्ष्य के माध्यम से है। संभव है कि धनराशि सृजित करने वाला मुख्य जरिया, जिसकी जांच की जानी चाहिए, नटवर सिंह नहीं बल्कि मैसफील्ड है, जो कि सूचनाओं के अनुसार संभवत: एक कांग्रेसी विधायक के परिवार के पास हो। अंदलीब सहगल और निक स्कैन *...(व्यवधान)*

साक्ष्य को सुनिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह सहमत हो चुकी हैं। यदि कोई संदर्भ ऐसा है जो कि रिपोर्ट में नहीं है तो उसे सम्मिलित किए जाने की आवश्यकता नहीं है। हम इसका पता लगाएंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यदि यह रिपोर्ट में नहीं है तो इसे छोड़ दिया जाएगा।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: अब आप इसकी जांच क्यों नहीं करते हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इन्होंने बहुत अच्छा अनुसंधान किया है।

...(व्यवधान)

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदंबरम): आप मुझे वह रिपोर्ट दिखाइए। जिसमें यह उल्लेख है कि मैसफील्ड एजी पर कांग्रेसी विधायक के परिवार का स्वामित्व है। आप मुझे रिपोर्ट से बताइए। हम रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं ना कि उनके व्यक्तिगत ज्ञान और मामलों पर *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप मेहरबानी करके बैठ जाइए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैं आपका नाम बोलूंगा। आप बोलेंगे। कृपया पहले ही अपनी ऊर्जा समाप्त मत कीजिए। आपको बोलने की अनुमति दी जाएगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: आप क्या कर रहे हैं? श्री जय प्रकाश, कृपया बैठ जाइए। श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के अतिरिक्त कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: महोदया, आप स्वयं इस बात से सहमत थीं कि आप जो कुछ कह रही हैं वह रिपोर्ट पर आधारित है। यदि यह रिपोर्ट पर आधारित नहीं है तो इसे छोड़ दिया जाएगा। आपको जिम्मेदारी लेनी होगी। सिर्फ अपने अनुमान से कुछ मत कहिए।

...(व्यवधान)

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं स्पष्ट रूप से कह चुकी हूं कि यह पाठक जांच आयोग द्वारा की गई एक चूक है। जहां तक इस बात का प्रश्न है कि मैं इसका अनुमान कैसे लगा रही हूं? महोदय, आप बाद में निर्णय कर सकते हैं परंतु कृपया सुनिए।

अंदलीब सहगल और निक स्वैन ठेके को निष्पादित करने के लिए इराक गए थे। न्यायमूर्ति पाठक द्वारा लिखित रिपोर्ट के अनुसार निक स्वैन आदित्य खन्ना का एक जरिया था परंतु वह मैसफील्ड एजी का एक कर्मचारी भी है। न्यायमूर्ति पाठक द्वारा इस संबंध की अनदेखी की गई है और मुझे विश्वास है कि यदि प्रवर्तन निदेशालय इस गुत्थी को सुलझता है तो वह उस सच्चाई का पता लगाएगा जिसका न्यायमूर्ति पाठक ने पता नहीं लगाया है।

हमदान एक्सपोर्ट्स द्वारा कमाई गई धनराशि खुले बाजार में तेल बेचकर मैसफील्ड एजी द्वारा कमाई गई धनराशि का थोड़ा सा अंग है। यदि पाठक रिपोर्ट ने कांग्रेस पार्टी और मेसफील्ड एजी—जिसके माध्यम आदित्य और विपिन खन्ना हैं और जिनको श्री अनिल मथेरानी के अनुसार, उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष और उनके पुत्र से मिलवाया था, के बीच संबंधों की जांच की होती तो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी, कृपया व्यक्तिगत जानकारी मत लाइए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि आप कोई वाद-विवाद नहीं चाहते तो पूरे भाषण को निकाल दिया जाएगा यदि आप चाहते हैं कि उत्तर नहीं दिया जाए तो पूरे भाषण को निकाल दिया जाएगा कृपया बैठ जाइए। उन्हें उत्तर देने का अवसर दीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं सभा की कार्यवाही को नियंत्रित कर रहा हूं। आप क्या कर रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया उन्हें परेशान मत कीजिए।

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के सिवाय कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी को बोलने दीजिए। मैंने आपकी पार्टी की मैम्बर को बोलने के लिए एलाऊ किया है। आप क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं?

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं बस समाप्त करने वाली हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है?

...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाएं। जब तक प्रत्येक पार्टी दूसरे को बोलने का अवसर नहीं देती, मैं नहीं जानता कि भाषण का क्या होगा क्योंकि यह उचित नहीं है। आरोप लगाए जाते हैं। यदि दूसरों को उत्तर देने का अवसर नहीं दिया जाता तो यह उचित नहीं होगा और यह भाषण नहीं हो पायेगा।

इसलिए, महोदया, कृपया आप अपना भाषण जारी रखें और जितना शीघ्र हो इसे पूरा करें।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप धीरज से बैठिए। थोड़ा स्पीकर को काम करने दीजिए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैंने यह कहा है कि न्यायमूर्ति पाठक से बोल्कर रिपोर्ट की सत्यता की जांच करने के लिए कहा गया था। इसमें मैसफील्ड की भूमिका को नजरअंदाज करते हुए, उन्होंने संभवत: बहुत से अन्य विवादों को अनछुआ ही छोड़ दिया है।

अध्यक्ष महोदय: अब कृपया अपना भाषण समाप्त करें।

श्रीमती मेनका गांधी: अनिल माथेरानी—जो बगदाद में नटवर सिंह, जगत और अंदालीब द्वारा किये गए कारोबार का प्रत्यक्षदर्शी

[श्रीमती मेनका गांधी]

है, जहां से उन्हें बाद में तेल वाउचर मिले और अम्मान, जहां उन्होंने अपनी लब्धियों में से सद्दाम को कमीशन दिया जैसा कि न्यायमूर्ति पाठक ने स्वयं कहा है कि नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी और मैं उन्हें उद्धृत करती हूं। तेल आबंटन सूची में एक ही थाली के चट्टे-बट्टे थे। वह कहते हैं कि यह कहना लीपापोती है कि नटवर एवं कांग्रेस ये नहीं जानते थे कि आबंटियों की सूची में उनका नाम था।

अध्यक्ष महोदय: क्या यह रिपोर्ट में है?

श्रीमती मेनका गांधी: जी हां, महोदय।

श्री कपिल सिब्बल: जी नहीं, यह रिपोर्ट में नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: तब, यहां इस तरह से नहीं चलेगा।

...(व्यवधान)

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह अनिल माथेरानी का वक्तव्य है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह किसी और के वक्तव्य को निर्दिष्ट नहीं कर सकती है।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, मैं कर सकती हूं।

अध्यक्ष महोदय: नहीं।

अध्यक्ष महोदय: यह कार्यवाही से परे है।

श्रीमती मेनका गांधी: यह कार्यवाही से परे नहीं है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मेनका जी, कृपया अपने अगले मुद्दे पर आइये।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: अध्यक्ष महोदय, अनिल माथेरानी प्रत्यक्षदर्शी हैं। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: किन्तु उन्होंने ऐसा नहीं कहा है।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: मेरे चार्जेज यही हैं कि पाठक ने इग्नोर किया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: मैंने इसे पहले ही शामिल कर लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण कृपया बैठ जाइए। वह अपना ध्यान स्वयं रख सकती हैं। वह बहुत निपुण हैं।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: महोदय, अनिल माथेरानी एक प्रत्यक्षदर्शी था। आपको जो भी ठीक लगे उसे हटवा सकते हैं। किन्तु वह इसमें प्रत्यक्षदर्शी था। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बात यही है कि उन्होंने जो भी यहां से बाहर, समाचार-पत्र में कहा है उसे यहां नहीं उठाया जा सकता।

श्रीमती मेनका गांधी: जी, नहीं महोदय। इसका उल्लेख सभा में भी हुआ है। *...(व्यवधान)* मुझे खेद है, अनिल माथेरानी से संबंधित इस घटना का भी यहां उल्लेख हुआ है और मैं जो आज कर रही हूं वह संसद में पहले हो चुका है जब उन्होंने अपनी रिपोर्ट इंडिया टुडे को दी थी। उन्होंने जो कहा है उससे इंकार नहीं किया है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं नहीं जानता। ठीक है उन्होंने जो भी इंडिया टुडे में कहा है उसका यहां कोई सरोकार नहीं है।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: यह संसद के रिकार्ड में भी है। *...(व्यवधान)*

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: उनको उद्धृत क्यों नहीं किया जा सकता? *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: मल्होत्रा साहब क्या बात है?

[अनुवाद]

वह अपना ध्यान स्वयं रख सकती हैं।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: इसमें पूरा एक षडयंत्र था। क्या इसे वहीं रहना चाहिए? *...(व्यवधान)* इसलिए, आप अपने पापों को नहीं छुपा सकते हैं। हमें भयभीत करने का प्रयास न करें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया बैठ जाईये। मैं इस पर गौर करूंगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: मैं इसकी जांच करूंगा।

...(व्यवधान)

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: आपके नेता के विरुद्ध बाहर हजारों वक्तव्य दिए गए हैं। क्या वे कार्यवाही का अंश होने चाहिए? *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसे रिकार्ड न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती मेनका गांधी के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाए।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: आप बोलिये, नहीं तो किसी और का कमैन्ट आयेगा।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री दुष्यंत सिंह ज्यादा चालाक मत बनो। आज आप बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हो। पीठ को समझाने की कोशिश मत करो।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: महोदय, मैं केवल एक अनुरोध करना चाहता हूं। माननीय सदस्या अपना भाषण पूरा करने वाली हैं। तब हमारे वक्ता भी बोलेंगे। यदि दूसरों को सुनने का प्रयास नहीं किया जाता तो उनके सम्पूर्ण भाषण को हटा दिया जाए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: मैं निर्णय करूंगा। इसका निर्णय वह नहीं कर सकते। कृपया बैठ जाइए।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा:, सर, ये लोग हमारे मैम्बर को बोलने नहीं दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: हम तो बोलने दे रहे हैं। अभी आप बैठिये।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्री अनन्त कुमार जी, कृपया बैठ जाएं। आप एक वरिष्ठ सदस्य हैं। इसका निर्णय मुझे लेना है कि किसे अनुमति दी जाए और किसे अनुमति न दी जाए। मैंने उन्हें बोलने के लिए कहा है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: यह पूरी स्पीच को एक्सपंज कराने की धमकी दे रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: प्लीज आप बैठिये।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: निर्णय किसे लेना है? मुझे लेना है जैसे कभी-कभार आप मुझे डराते हैं वह भी मुझे डरा रहे हैं।

अब उन्हें अपना भाषण पूरा करने दें। कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

मेनका जी, अब कृपया अपनी बात पूरी करें। आपका समय समाप्त हो गया है। बल्कि उससे भी अधिक हो गया है। मैं आपके गहन अनुसंधान की प्रशंसा करता हूं।

श्रीमती मेनका गांधी: धन्यवाद महोदय।

अध्यक्ष महोदय: परन्तु कृपया रिपोर्ट के दायरे में रहें ताकि कोई व्यवधान न हो।

श्रीमती मेनका गांधी: जी महोदय। मैं रिपोर्ट के दायरे में रहूंगी। अत: मैंने इसमें शामिल सभी गवाहों को ही उद्धृत किया है।

अध्यक्ष महोदय: 'इंडिया टुडे' की बात न करें।

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[हिन्दी]

मल्होत्रा जी, आप थोड़ा बैठिए। हम उन्हें बोल रहे हैं। आप क्यों उनके बीच में बोल रहे हैं?

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: 'इंडिया टुडे' इससे पूरी तरह संबंधित है। एक वकील के नाते आपको पता होगा कि हमें सामग्री लेनी होती है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यहां बैठकर मैं कानून भूल गया हूं।

[हिन्दी]

आप लोग बैठिए। आप स्पीकर को अपना काम करने दीजिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: परन्तु मुझे आशा है कि आप नहीं भूले हैं। यहां सूक्ष्मतापूर्वक देखना पड़ता है।

अध्यक्ष महोदय: यह अत्यंत सौभाग्य की बात है कि आप एक वकील नहीं बनीं अन्यथा आप यहां तक नहीं पहुंच पातीं।

श्रीमती मेनका गांधी: मुझे उम्मीद थी कि मेरा बेटा वकील बने। दुर्भाग्यवश वह राजनीति में आ रहा है।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें मेरी शुभकामनाएं हैं। पर मुझे विश्वास है इतनी गुस्से वाली मां से उसे मदद नहीं मिलेगी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: उन्हें मेरी शुभकामनाएं दें।

श्रीमती मेनका गांधी: मैं ऐसा करूंगी। *...(व्यवधान)*

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव (बोलनगीर): वह उनके परिवार के बारे में निजी टिप्पणियां नहीं कर सकते। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: नहीं कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आप शोर क्या मचा रहे हैं? कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: संगीता जी, आप बैठ जाइए। कोई चेयर को देखता ही नहीं है।

[अनुवाद]

आपका अध्यक्ष एक बहुत अच्छा दिखने वाला व्यक्ति होना चाहिए। तभी आप अध्यक्ष की ओर देखेंगे।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: अच्छा दिखता नहीं है, तब भी देखिए. थोड़ा यहां भी देखिए।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्रीमती मेनका गांधी: यह श्री लालू प्रसाद के दल के किसी व्यक्ति द्वारा ऐसा कहना उचित नहीं होगा।

अध्यक्ष महोदय: ऐसा न करें। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या हो रहा है? आप लोग बैठिए।

...(व्यवधान)

श्री राम कृपाल यादव (पटना): इसीलिए महिला विधेयक नहीं आ पा रहा है। इतनी महिलायें आ जाएंगी कि सदन चल नहीं सकेगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: और अच्छा चलेगा।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती गांधी, हालांकि पर्याप्त उत्तेजन है, मैं आपसे इसके दायरा न बढ़ाने का अनुरोध करूंगा।

श्रीमती मेनका गांधी: मैंने अपनी बात पहले ही पूरी कर ली है। पाठक जांच आयोग बताता है कि भूतपूर्व विदेश मंत्री श्री नटवर सिंह तथा उनके पुत्र श्री जगत सिंह ने अपने पदों का दुरूपयोग किया। परन्तु इसमें यह भी कहा गया है कि उन्हें कोई धनराशि हस्तांतरित नहीं की गई। फिर पिता-पुत्र ने वास्तव में ऐसा क्यों किया? वे अपने आपको इस प्रकार के उतार-चढ़ाव क्यों ले जाते रहे? यदि वे पैसा नहीं कमा रहे थे, यदि उनके रिश्तेदार पैसा नहीं कमा रहे थे और यदि कोई भी पैसा नहीं कमा रहा था, तो क्या वे अपने दल के लिए राष्ट्र सेवा कर रहे थे?

अध्यक्ष महोदय: कृपया अपनी बात पूरी करें।

श्रीमती मेनका गांधी: इस बात की चिंता करने की बजाय कि उनका नाम सौदे से जुड़ा है, भूतपूर्व मंत्री जी प्रसन्न हैं कि वह निर्दोष साबित हुए। वह किस बात से स्वयं को निर्दोष मान रहे हैं? वह कहते हैं: "मैंने सोनिया गाँधी की जानकारी के बिना इराक में कुछ नहीं किया। कांग्रेस पार्टी में श्रीमती सोनिया गांधी की जानकारी के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता।" ऐसा उन्होंने कहा है हमने नहीं।

अध्यक्ष महोदय: वह इस सभा के सदस्य नहीं हैं। आप इसके बारे में बात नहीं कर सकतीं।

...(व्यवधान)

श्रीमती मेनका गांधी: उन्होंने यह राज्य सभा में कहा है। उन्होंने यह प्रेस को बताया है। उन्होंने यह राज्य सभा को भी बताया है।

अध्यक्ष महोदय: उनका उल्लेख नहीं करें।

श्रीमती मेनका गांधी: नटवर सिंह के मित्रों तथा रिश्तेदारों द्वारा *... दिया गया धन वाउचरों से प्राप्त धन का बहुत छोटा हिस्सा है।

अध्यक्ष महोदय: वह शब्द कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

श्रीमती मेनका गांधी: शेष राशि कहां गई? शायद यह हांगकांग के एचएसबीसी बैंक में गया या फिर जैसा श्री फर्नांडीस ने बताया यह टूरिन के बैंक में गया। शायद, वे जानते हों।

...(व्यवधान)

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: आपके दल के माननीय मंत्री बोल रहे हैं। आप उन्हें क्यो व्यवधान डाल रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: यह हास्यास्पद है।

अब श्री कपिल सिब्बल बोलेंगे।

श्री कपिल सिब्बल: अध्यक्ष महोदय, मैं न्यायमूर्ति आर.एस. पाठक जांच प्राधिकरण पर हो रहे वाद-विवाद में भाग लेने के लिए खड़ा हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों के लिए यह दुखद दिन है, दुखद दिन इसलिए क्योंकि एक व्यक्ति जो अभी भी कांग्रेस पार्टी का सदस्य है उसे इराक के लिए सद्भावना शिष्टमंडल का प्रतिनिधित्व सौंपा गया था। एक स्वतंत्र प्राधिकरण, नामत: पाल ए. वोलकर, फेडरल रिजर्व के पूर्व अध्यक्ष द्वारा उल्लेख किया गया था जिन्होंने तेल के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम पर रिपोर्ट दी थी तथा नटवर सिंह एवं कांग्रेस पार्टी का नाम पांचवें प्रतिवेदन के एक अनुलग्नक में उल्लिखित है। महोदय, यह हमारे लिए गहरी चिंता की बात है। इसलिए मैं बिना किसी लाग-लपेट के कहता हूं, क्योंकि मुझे याद आता है कि अक्तूबर, 2005 में किसी समय इसे सार्वजनिक किया गया था तथा 7 नवंबर, 2005 को हमने समिति स्थापित करने का निर्णय लिया। उस समिति का प्रतिवेदन हमारे समक्ष है। मेरे विचार से इस देश के इतिहास में इतनी जल्दी पहली बार बिना किसी समय विस्तार के एक समिति ने प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया। *...(व्यवधान)* महोदया, जब आप बोल रही थीं तब मैंने व्यवधान नहीं डाला। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यदि श्री कपिल सिब्बल द्वारा कोई अप्राधिकृत व्यवधान है तो मुझे विश्वास है कि वे आपके प्रशंसापात्र नहीं हैं। उनका अनुसरण नहीं करें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: श्री कपिल सिब्बल, आप जारी रखें।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, मैं इस सभा को आश्वासन देना चाहता हूं कि मैं इस प्रतिवेदन के बाहर नहीं जाऊंगा तथा किसी के प्रति अभियोग नहीं लगाऊंगा। परन्तु मैं माननीय सदस्यों के तथ्यों को सुनने के लिए, न कि किसी की कल्पना की बातें सुनने के लिए तथा तथ्यों का मूल्यांकन करने के लिए कहूंगा जो मैं पाठक समिति द्वारा पाए गए निष्कर्षों के परिप्रेक्ष्य में रखता हूं। मैं अनुरोध करूंगा कि मुझे इस शाम यह करने का अवसर प्रदान किया जाये।

[श्रीमती कपिल सिब्बल]

महोदय, पाठक समिति प्रतिवेदन के परिप्रेक्ष्य में इस तेल के बदले खाद्यान्न कार्यक्रम में तीन पार्टियां शामिल हैं। एक पार्टी अंदलीब सहगल, जमील जैदी तथा असद खां हैं। दूसरी पार्टी आदित्य खन्ना, जार्ज कुर्मी तथा निक स्वान हैं। तीसरी पार्टी जगत सिंह तथा नटवर सिंह हैं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप ऐसा क्यों कहते हैं कि वे कांग्रेसी या गैर कांग्रेसी हैं। आपका बीच में टोकना उन्हें यह नहीं बनाएगा।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: अब महोदय, पाठक समिति के प्रतिवेदन के अनुसार, यह मैं नहीं कह रहा हूं, सारी चीजें 'इंडरस' नामक फर्म के संबंध में नवंबर-दिसम्बर, 2000 में शुरू हुई। संयोगवश 'इंडरस' भारत तथा रूस के संक्षिप्त नामों का मिला-जुला रूप है। इंडरस के दो खिलाड़ी अंदलीब सहगल तथा आदित्य खन्ना हैं। पाठक प्राधिकरण बताता है कि वे 'इंडरस' के भागीदार थे। यह कंपनी, 'इंडरस' रूस के साथ व्यापार कर रही थी। लेकिन वह व्यापार उपक्रम असफल रहा। कोई कारोबार नहीं किया गया था तथा उन्होंने इराक में व्यापार शुरू करने का निर्णय लिया तथा उनकी मंशा खाद्यान्न तथा इससे संबंधित वस्तुओं का व्यापार करना था।

अत: पाठक प्राधिकरण ने कहा कि कोई जमील जैदी अंदलीब सहगल को जानते थे। वे एकसाथ हुए। जमील ने अंदलीय को कहा, "मैं इराक में व्यापार करने में वस्तुत: आपकी सहायता कर सकता हूं।" ...*(व्यवधान)* तथा उनका एक मित्र असद खान जो अंदलीय सहगल का परिचित था, एक साथ थे।

यह पाठक समिति के निष्कर्षों में नहीं है कि जमील जैदी या असद खान कांग्रेस के सदस्य हैं। यह निष्कर्ष नहीं है। यदि वे ऐसा कहती हैं तो मैं सही ठहराया जाऊंगा। ...*(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: श्री जैदी कांग्रेस पार्टी के सदस्य हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: यह पाठक समिति के निष्कर्ष में नहीं है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसके अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

अध्यक्ष महोदय: श्री कपिल सिब्बल, उस पर प्रतिक्रिया व्यक्त नहीं करें। इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

...*(व्यवधान)**

वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम): वे ऐसा किस प्रकार कह सकते हैं? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बिना नोटिस दिए, बिना उचित प्रक्रिया का पालन किए, अभियोग नहीं लगा सकती हैं। आप काफी वरिष्ठ सदस्य हैं।

...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: कितने दिनों से हम कह रहे हैं कि पाठक रिपोर्ट कवर-अप है, फ्राड है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप बोलते रहेंगे तो बोलते रहेंगे? नियम कानून कुछ नहीं हैं?

...*(व्यवधान)*

श्री पी. चिदम्बरम: आप इस सभा में ऐसा नहीं कह सकते हैं। ...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: जमील जैदी ने अंदलीब सहगल से कहा: "मेरा दिल्ली में कुछ लोगों के साथ बड़े अच्छे संबंध हैं तथा मैं उनसे आपको मिला सकता हूं तथा हम मिलकर इराक में व्यापार शुरू करें।" उस समय अंदलीय सहगल जमील से मिले तथा असद से मिले तथा उन्होंने ऐसा करने का निर्णय लिया। आदित्य खन्ना पहले से ही इंडरस में 50 प्रतिशत का भागीदार था। अत: अंदलीब सहगल ने आदित्य खन्ना से मुलाकात की और आदित्य खन्ना से कहा, "हम इराक में व्यवसाय करना चाहते हैं। इराक में व्यवसाय करने के लिए हमें एक कंपनी की जरूरत होगी जो संयुक्त राष्ट्र में अधिकारियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र कार्यक्रम के अंतर्गत पंजीकृत हो, जो वास्तव में अनुबंध कर सकें। क्या इस संदर्भ में कोई जान-पहचान है? उस समय आदित्य खन्ना ने जार्ज कुर्मी से संपर्क किया जिसने निक स्वान से संपर्क किया। निक स्वान मेसफील्ड का प्रतिनिधि था। अत: मैंने अभी जिन तथ्यों का उल्लेख किया, इस प्रकार पाठक जांच प्राधिकरण ने इंडसस और आदित्य खन्ना और मेसफील्ड के साथ संबंधों की बात सिद्ध होती है।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

एक बार जब ऐसा हो गया तो उन्होंने कहा, "हमें आबंटन प्राप्त नहीं हो सकता। हमें आबंटन कैसे मिल सकता है?" अत: उस समय जमील ने सुझाव दिया कि उन्हें जगत सिंह से संपर्क करना चाहिए—यह पाठक प्राधिकरण ने कहा है—और उनके पिता के सहयोग से आबंटन प्राप्त करें। ...*(व्यवधान)* मैं वही कह रहा हूं जो पाठक प्राधिकरण ने कहा है। ऐसा ही हुआ है।

उस समय, जनवरी 2001 में एक शिष्टमंडल कांग्रेस पार्टी द्वारा सौहार्द यात्रा पर इराक भेजा जा रहा था। पाठक प्राधिकरण ने कहा है कि इस शिष्टमंडल में केवल चार सदस्य थे। पाठक प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि जो दो लोग शिष्टमंडल के साथ गए थे वे अधिकारिक शिष्टमंडल का हिस्सा नहीं थे। यह पाठक प्राधिकरण का निष्कर्ष है। उस शिष्टमंडल को 9 जनवरी, 2001 को इराक जाना था। दुर्भाग्यवश यह कार्यक्रम स्थगित हो गया। अत: अन्तत: वे सब 19 जनवरी, 2001 को अम्मान पहुंचे। 20 जनवरी को शनिवार और 21 जनवरी को रविवार था। 22 जनवरी, 2001 को केवल तीन लोगों के बीच एक बैठक हुई। ...*(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा): महोदय, क्या मैं एक स्पष्टीकरण मांग सकता हूं?

अध्यक्ष महोदय: जब तक वे अपनी बात समाप्त नहीं करते तब तक मैं अनुमति नहीं दे सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: नहीं, उन्होंने अभी अपनी बात समाप्त नहीं की है।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: श्री दासगुप्त, मैंने आपको बाधित नहीं किया था। इस सभा में पाठक प्राधिकरण ने जो बातें कही हैं उसके अलावा भी कतिपय बातें कही गयी हैं। राष्ट्र को अवश्य जानना चाहिए कि तथ्य क्या है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी शामिल नहीं किया जाएगा। उन्होंने अनुमति नहीं दी है। मैं इसकी अनुमति नहीं दूंगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: मैंने इससे इंकार नहीं किया है किन्तु यह पाठक प्राधिकरण रिपोर्ट का हिस्सा नहीं है। ...*(व्यवधान)*

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

पाठक प्राधिकरण रिपोर्ट कहती है कि केवल तीन सदस्य उपस्थित थे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्यगण, कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: सभा के वरिष्ठ सदस्य भी इतने अधीर हो गए हैं कि उनमें दूसरे माननीय सदस्यों के भाषण को सुनने का धैर्य नहीं है। माननीय सदस्य जब बोल रहे हैं और जब तक वे अपनी बात समाप्त नहीं कर लेते तब तक आप सब भली-भांति जानते हैं कि इस तरह से आप प्रश्न नहीं पूछ सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा: वे कह रहे हैं कि कवर-अप न करें।

अध्यक्ष महोदय: ठीक है, आपने बोला है, बहुत बार बोला है।

...(व्यवधान)

[अनुवाद]

श्री कपिल सिब्बल: पुन: यह पाठक प्राधिकरण का हिस्सा है, मैंने नहीं कहा है। तीन सदस्य गए और इराक के तेल मंत्री से मिले। 22 जनवरी, 2001 को सोमवार के दिन हुई बैठक में कांग्रेस शिष्टमंडल के नेता श्री नटवर सिंह के अलावा कोई और सदस्य उपस्थित नहीं था। श्री नटवर सिंह के साथ अन्य दो लोग कौन थे? वे अंदलीब सहगल और जगत सिंह थे। फिर एक बैठक हुई।

स्वाभाविक है कि हम नहीं जानते क्योंकि उस बैठक में क्या हुआ इसकी जानकारी केवल जगत सिंह, अंदलीब सहगल और नटवर सिंह को ही है। जब तक वे हमें यह नहीं बतलाएंगे कि बैठक में क्या निकला तब तक हम अनुमान नहीं लगा सकते कि आखिर क्या घटित हुआ, परन्तु हमें इसके बाद की परिस्थितियों की जानकारी है। 22 जनवरी को हुई इस बैठक के अगले दिन जगत सिंह और अंदलीब सहगल स्टेट आयल मार्केटिंग आर्गेनाइजेशन (सोमो) के कार्यालय गए। 23 जनवरी को जगत सिंह और अंदलीब सहगल के बीच कुछ हुआ। कांग्रेस शिष्टमंडल का अन्य

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी]

कोई सदस्य वहां मौजूद नहीं था तथा इन्होंने जाकर 'सोमो' के अधिकारियों से बातचीत की।

सायं 7.00 बजे

उन्होंने 'सोमो' के निदेशक, सद्दाम जिबु हसन से मुलाकात की। उन्होंने उनसे मुलाकात की और कुछ बातें हुईं। हमें पता नहीं है कि क्या हुआ, परन्तु हमें यह पता है कि वे 24 जनवरी को अमान आए। 25 जनवरी, 2001 को, वे दिल्ली लौट आए। 25 जनवरी, 2001 को एक काफी दिलचस्प बात हुई और वह यह कि अंदलीब सहगल ने 'सोमो' को एक फैक्स भेजा। उस फैक्स में निम्नलिखित बातें लिखी हुई थीं। मैं पाठक जांच प्राधिकरण के प्रतिवेदन के पृष्ठ 36 से पढ़ूंगा। इसमें लिखा है:

> ''कांग्रेस शिष्टमंडल, जगत सिंह और अंदलीब सहगल 25 जनवरी को अमान से दिल्ली लौटे (जैसा कि मैं बता चुका हूं:। दिल्ली पहुंचने के साथ ही सहगल ने 'सोमो' को एक फैक्स भेजा जिसमें उसने 'सोमो' के कार्यालय में दो मिलियन बैरल कच्चे तेल के आवंटन के संबंध में 23 जनवरी को हुई बैठक का उल्लेख किया। उक्त पत्र में, जो एक भागीदारी वाली फर्म, हमदान एक्सपोर्ट्स, जिसमें सहगल एक भागीदार है, के पत्र शीर्ष पर लिखा गया था, यह उल्लेख किया गया था कि श्री सहगल 'सोमो' को निम्नलिखित कागजात उपलब्ध करायेंगे।''

अब पहला दस्तावेज काफी महत्वपूर्ण है: यह इस विवाद के मूल में है। भारतीय शिष्टमंडल के नेता द्वारा हमदान एक्सपोर्ट के अंदलीब सहगल को 'सोमो' से आवंटन उठाने अथवा आवंटन के बारे में बातचीत करने हेतु प्राधिकार-पत्र सौंपा जाना। इस प्रकार, 23 जनवरी को अंदलीब सहगल, जगत सिंह और 'सोमो' के बीच हुई बैठक में 'सोमो' द्वारा यह शर्त रखी गयी: 'कि जब तक आप शिष्टमंडल के नेता से इस संबंध में पत्र नहीं देते तब तक हम आपको आवंटन नहीं दे सकते।' *...(व्यवधान)*

श्रीमती मेनका गांधी: कांग्रेस पार्टी के नेता से।

श्री कपिल सिब्बल: वे भारतीय शिष्टमंडल के नेता से श्री अंदलीब सहगल को प्राधिकार पत्र चाहते थे। महोदया, यह फैक्स है। मैं रिपोर्ट से बाहर कुछ भी नहीं पढ़ रहा हूं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती गांधी, वह कह रहे हैं कि वे भारतीय शिष्टमंडल के नेता से पत्र चाहते थे।

श्री कपिल सिब्बल: अब 25 जनवरी को जिस क्षण यह घटित हुआ, 26 जनवरी को *...(व्यवधान)*

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): वह भारतीय शिष्टमंडल नहीं बल्कि कांग्रेस शिष्टमंडल था। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: 26 जनवरी को दूसरी बेहद दिलचस्प घटना हुई। जैसा कि मैंने आपको बताया, निक स्वान मेसफील्ड का प्रतिनिधि था। ठीक दूसरे दिन, निक स्वान 'सोमो' को एक पत्र भेजता है जिसमें लिखा होता है कि 'कृपया मुझे वीसा दीजिए क्योंकि मैं और अंदलीब सहगल तेल का आवंटन प्राप्त करने हेतु इराक आना चाहते हैं।'

अब घटनाओं को देखें। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: यब सब क्या हो रहा है? यह आप नहीं बताएंगे कि वह क्या पढ़ें।

श्रीमती मेनका गांधी: वह तथाकथित रिपोर्ट से शब्दों को छोड़ रहे हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: खेद है, आप उन्हें नहीं बता सकती कि वे क्या पढ़े क्या नहीं पढ़ें। कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: कृपया मुझे बताएं मैंने कौन से शब्द छोड़े हैं। वह उत्तेजित हो रही हैं क्योंकि उन्होंने देश की जनता को सही बातें नहीं बतायी हैं। उत्तेजित न हों। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती गांधी, यह उचित नहीं है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: कार्यवाही-वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: अंदलीब सहगल मेसफील्ड एक ही दिन में संपर्क नहीं कर सकता था। यदि अंदलीब सहगल ने 25 तारीख को एसओएमओ को फैक्स भेजा तो वह मेसफील्ड से संपर्क नहीं कर सकता था। स्पष्ट रूप से कुछ न कुछ पूर्व निर्धारित था। पाठक जांच प्राधिकरण की रिपोर्ट में यही कहा गया है कि एक महीने पहले जब ये बाचीत हुई यह पूर्व निर्धारित था कि आवंटन कैसे आएगा। अत: 26 जनवरी को निक स्वान ने एसओएमओ को एक पत्र लिखकर कहा ''कृपया मुझे वीजा दें ताकि मैं इराक आ सकूं।''

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

30 जनवरी को श्री नटवर सिंह ने एसओएमओ की आवश्यकता से संगत एक पत्र लिखा जो आवश्यकता 25 जनवरी को बतायी गई थी। इस पत्र में क्या कहा गया है? ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: बीच में की गई टिप्पणियों को कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

श्री कपिल सिब्बल: मैं रिपोर्ट के 31वें पृष्ठ से पढ़ रहा हूं:

"22 जनवरी, 2001 को बगदाद में जब मैंने आपको बुलाया जो वह उपस्थित थे (कांग्रेस प्रतिनिधिमण्डल का कोई सदस्य उपस्थित नहीं था।)"

मैं कई सालों से उन्हें जानता हूं (श्री अंदलीब सहगल से मेरी जान-पहचान है) और मैं उनकी कंपनी के बारे में भी जानता हूं। उनको मेरा पूर्ण समर्थन है तथा मुझे उन पर पूरा विश्वास है। मैं चाहूंगा कि आप उन्हें पूरी सहायता तथा सहयोग दें। मैं आपको अपने व्यस्त होने के बावजूद मुझे समय देने तथा मेरा स्वागत करने के लिए धन्यवाद देता हूं। यह पत्र 30 जनवरी को लिखा गया था। यह क्यों लिखा गया था? यह इसलिए लिखा गया था क्योंकि 22 जनवरी को एक बैठक हुई। कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य उपस्थित नहीं था। ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यह क्या बात है?

[अनुवाद]

आप ऐसे नहीं बोल सकते। आप उन्हें बीच में प्रश्न पूछ रहे हैं। यह क्या हो रहा है? कृपया ऐसा न करें। कृपया स्वयं पर नियंत्रण रखें।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: सभा में मेरे बोलने के बाद आप पर कोई विश्वास नहीं करने वाला।

यह पत्र 30 जनवरी को लिखा गया था। 22 जनवरी को श्री अन्दलीब सहगल और श्री जगत सिंह के वहां मौजूद होने के कारणों को दिनांक 26 अप्रैल, 2001 के श्री नटवर सिंह के पत्र में दर्शाया गया है। ऐसा उस पत्र में कहा गया है। मैं उस पत्र की बाद में बात करूंगा। फरवरी 3 को इस पत्र के लिखे जाने के तुरंत बाद अन्दलीब सहगल ने एक फैक्स भेजा।

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय: यहां अगर आपको कोई असुविधा होती है, तो आप बाहर जाइए।

...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: श्रीमती गांधी नहीं, मुझे क्षमा करें, मैं आपको बोलने की अनुमति नहीं दूंगा। आपने अपनी बात कह दी है। उन्हें अपनी बात करने का अधिकार है। क्षमा करें। आप यहां हर मिनट उनकी बात में सुधार करने के लिए नहीं आए हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: अंतत: यह पत्र 8 फरवरी, 2001 को श्री अन्दलीब सहगल द्वारा एसओएमओ को दिया गया था और 11 फरवरी 2001 को एसओएमओ तथा मेसफील्ड के बीच अनुबंध किया गया क्योंकि तब तक मेसफील्ड का प्रतिनिधि इराक में था। इसलिए पूरी प्रक्रिया 22 जनवरी को आरंभ हुई और 11 फरवरी 2001 को ठेका दिए जाने के साथ समाप्त हुई। श्री नटवर सिंह के अलावा कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य इसमें संलिप्त नहीं था। पाठक आयोग के यही निष्कर्ष थे और ऐसा कोई प्रमाण नहीं है कि इनमें से किसी बैठक में कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल शामिल था। मैं चुनौती देता हूं कि इस सभा में कोई भी कहे कि बात यह नहीं थी।

अब सौदा क्या है? मैं आपको यह भी बताता हूं। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्य बात यह है कि बेचे जाने वाले एक बैरल तेल का मूल्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा 'तेल के बदले अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत निर्धारित किया गया था। इराक अपना तेल कितने बैरल पर बेच सकता है—इराक अपना तेल केवल संयुक्त राष्ट्र में पंजीकृत कंपनी को ही बेच सकता है। वह अन्य किसी को तेल नहीं बेच सकता। इस प्रकार हमदान एक्सपोर्ट्स ने तेल नहीं खरीदा होगा और इसीलिए उन्हें ठेका बाह्य लाभभोगी कहा जाता है। ठेके से लाभ प्राप्त करने वाला मेसफील्ड है। इसीलिए पाल वोल्कर की संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया है कि श्री नटवर सिंह और कांग्रेस पार्टी ठेका बाह्य लाभभोगी हैं। मैं केवल इसका अर्थ स्पष्ट करने का प्रयास कर रहा हूं। इसका अर्थ यह था कि जब तेल मंत्री श्री अन्दलीब सहगल से मिले तो स्पष्ट रूप से बैरल तेल का मूल्य संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित किया गया था। वह 18 से 20 डालर से अधिक मूल्य पर नहीं बेच सका और इसमें उन्हें मुनाफा भी कमाना है। अत: ब्रिटिश वर्जिन आइलैण्ड में हमदान एक्सपोर्ट लिमिटेड नामक कंपनी निगमित की गई और उस कंपनी को कमीशन प्राप्त होना था। ऐसा इसलिए क्योंकि अनुबन्ध में यह उल्लेख है कि हमदान को प्रत्येक बैरल तेल की बिक्री पर 30 सेंट दिया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय: पैसे अथवा सेंट?

श्री कपिल सिब्बल: हमदान को लगभग 30 सेंट दिया जाएगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं। बल्कि यह पाठक प्राधिकरण की जांच का निष्कर्ष है। इस 30 सेंट में 25 सेंट अधिकार होगा जो कि एस.ओ.एम.ओ. द्वारा नामनिर्दिष्ट खाते में जाएगा और 5 सेंट कमीशन होगा जो कि श्री अंदलीब सहगल और श्री आदित्य खन्ना अर्जित करेंगे। पाठक रिपोर्ट में यह कहा गया है कि 5 सेंट में से 1 सेंट श्री आदित्य खन्ना को मिलेगा और 4 सेंट श्री अंदलीब सहगल को मिलेगा। इस प्रकार से वितरण हुआ। इसमें कांग्रेस शामिल नहीं थी। अभी तक किसी ने भी ऐसा नहीं कहा है। किसी ने भी गवाह कटघरे में खड़ा होकर ऐसा नहीं कहा है। ऐसा कोई साक्ष्य नहीं है जो यह कहता हो। ऐसा कोई दस्तावेज नहीं है जो यह कहता हो। हां, मेनका गांधी ऐसा अवश्य कहती हैं। केवल वह ऐसा कहती हैं और कोई अन्य नहीं। यहां तक कि श्री नटवर सिंह ने भी ऐसा नहीं कहा है। केवल श्रीमती मेनका गांधी ऐसा कहती हैं और हमें निश्चित रूप से उन पर विश्वास करना चाहिए क्योंकि उन्होंने ऐसा इसलिए कहा है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: केवल श्री सिब्बल के भाषण को कार्यवाही-वृत्तांत में शामिल किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: अब होता यह है कि 30 सेंट में से 5 सेंट श्री अंदलीब और श्री आदित्य खन्ना को मिलता है और 25 सेंट अधिभार में जाता है। लेकिन मेसफील्ड सहित इनमें से कई कंपनियां ऐसी कंपनियां नहीं हैं जो तेल ले सकती हैं क्योंकि ये ऐसी कंपनियां हैं जो कि संयुक्त राष्ट्र 'तेल के बदले अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत पंजीकृत हैं। उस समय पांच ऐसी कंपनियां थीं जो कि 'तेल के बदले अनाज कार्यक्रम' के अंतर्गत कार्य कर रही थीं। इनमें से एक कंपनी का नाम वायटल था। अब इसके बदले मेसफील्ड ने यह ठेका वायटल को दे दिया और मेसफील्ड को इसके अतिरिक्त पांच सेंट मिला। फिर पैसे कौन बना रहा था? अधिभार अर्थात् 25 सेंट इराक को मिलता है, 5 सेंट श्री अंदलीब तथा श्री आदित्य खन्ना को और पांच सेंट मेसफील्ड को मिलता है। फिर तेल उठाया जाता है और पांच सेंट मेसफील्ड को मिलता है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वह जाने के लिए पात्र हैं।

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

श्री कपिल सिब्बल: फिर तेल को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में बेचा जाता है और उस समय अंतर्राष्ट्रीय बाजार में तेल लगभग 40 डालर में बेचा गया था। इस प्रकार जो तेल वाइटल ने 20 डालर में लिया था, लोगों ने बीच में कमीशन लिया और इसमें वाइटल जैसी कंपनियों ने पैसा बनाया, जिसका कांग्रेस पार्टी के साथ कोई लेना-देना नहीं है। ये पाठक प्राधिकरण के जांच निष्कर्ष हैं। अत: वाइटल ने पहले ठेके के अंतर्गत पैसा बनाया।

अब प्रश्न यह उठा कि श्री नटवर सिंह के नाम का इसमें उल्लेख है। उनका उल्लेख कैसे हुआ। इसका कारण यह है कि जब हमदान एक्सपोर्ट्स को आबंटन किया जाता है तो हमदान को एक वचन एस.ओ.एम.ओ. को यह देना पड़ता है कि वे अधिभार की गारंटीशुदा राशि देंगे। उस समय एस.ओ.एम.ओ. को कुल आबंटन का 10 प्रतिशत प्राप्त होना है और यह एस.ओ.एम.ओ. को लदान-पत्र खोले जाने के 30 दिन के अंदर शेष अधिभार राशि का भुगतान किया जाना है। इस ठेका के अंतर्गत श्री आदित्य खन्ना तथा श्री अंदलीब सहगल को भुगतान किए गए कुल कमीशन की राशि 96,000 डालर थी, जो कि आईएनडीआरयूएल को दी गई थी। 96,000 डालर में से 7,000 डालर दिल्ली में सहगल कन्सल्टेंट्स को भेजा गया और 89,000 डालर आईएनडीआरयूएस से स्विट्जरलैंड के एक खाते कोबोर्ग में अंतरित किया था। इस 89,000 डालर में जो कि कोबोर्ग को अंतरित किए गए थे, 40,000 डालर की एक किस्त और एक अन्य किश्त 3000 से कुछ अधिक डालर की भारत में हमदान एक्सपोर्ट्स को भेजी गयी और शेष 46,000 डालर की राशि कोबोर्ग खाते में रही। *...(व्यवधान)* मैं पाठक प्राधिकरण द्वारा कही गयी बात को केवल दोहरा रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय: श्री सिब्बल, आप कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित करें।

श्री कपिल सिब्बल: मैं रिपोर्ट से बाहर की बातें नहीं कर रहा हूं। अगर मैं कहता हूं तो कृपया इसमें सुधार करें। 96,000 डालर की राशि को इस प्रकार निपटाया गया। इस बीच, जब यह ठेका पूरा किया जा रहा था, दूसरे ठेके अर्थात् एम/9/120 के अंतर्गत वार्ता हो रही थी और इस ठेके के अंतर्गत लाभार्थी पुन: श्री अंदलीब सहगल और श्री आदित्य खन्ना थे। दुर्भाग्यवश, यह ठेका नहीं मिल सका। लेकिन इस ठेके के अंतर्गत भी अधिभार के रूप में एस.ओ.एम.ओ. को 65,000 डालर की अग्रिम राशि का भुगतान किया गया था।

इसके बाद तीसरा ठेका अर्थात् एम/10/57 आया। इस ठेके की शर्तों के अनुसार कहानी और भी रोचक है।

तीसरे ठेके के अंतर्गत वार्ता अगस्त में आरम्भ हुई। जुलाई के अंत में एक दिन श्री अन्दलीब सहगल ने एस.ओ.एम.ओ. से एक

तारीख की मांग करते हुए यह लिखा कि वह इराक आना चाहता है और तीसरे ठेके के लिए वार्ता करना चाहता है। 30 जुलाई, 2001 को मेसर्स मेसफील्ड ने एसओएमओ को यह लिखा कि इस बार श्री अन्दलीब सहगल मेसर्स मेसफील्ड का प्रतिनिधित्व करेंगे। चूंकि श्री अन्दलीब सहगल मेसर्स मेसफील्ड का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, अत: मेसर्स हमदान एक्सपोर्ट्स की ओर से किसी और को दस्तावेज बनाना था। अत:, श्री अन्दलीब सहगल असद खान को भारत से इराक ले गए। असद खान ने मेसर्स हमदान एक्सपोर्ट्स की ओर से हस्ताक्षर किये और श्री अन्दलीब सहगल ने मेसर्स मेसफील्ड की ओर से हस्ताक्षर किया। इस प्रकार दूसरे ठेके के लिए हस्ताक्षर हो गए।

महोदय, मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह ठेका 21 अगस्त, 2001 को हुआ। यह एक मिलियन किरकुट कच्चे तेल के लिए था। पहला ठेका अर्थात् एम/7/54 दो मिलियन डालर के बसरा तेल के लिए किया गया था। यह ठेका एक मिलियन बैरल के किरकुट कच्चे तेल के लिए किया गया।

महोदय, श्री नटवर सिंह द्वारा 16 अगस्त को एक और पत्र लिखा गया था। इस पत्र में क्या था? मैं इस पत्र की संबंधित पंक्तियों को पढ़ना चाहता हूं। इस पत्र की चौथी पंक्ति के बाद यह लिखा गया है, "मैं यह पत्र श्री अन्दलीब सहगल के साथ भेज रहा हूं जो कि आपके द्वारा प्रदान किए गए सहयोग को जारी रखने के लिए बगदाद गए हैं।" पुन:, कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं था, कांग्रेस के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल का कोई सदस्य इसमें शामिल नहीं था; कांग्रेस प्रतिनिधिमंडल के किसी भी सदस्य ने इन अधिकारियों से भेंट नहीं की। *...(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: श्री नटवर सिंह स्वयं कांग्रेस पार्टी से हैं। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: वे ऐसा क्यों कहते हैं? आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैं श्री नटवर सिंह के अलावा लोगों के बारे में कह रहा हूं। मैंने श्री नटवर सिंह के बारे में पहले ही कहा है *...(व्यवधान)* वे प्रमुख सूत्रधार थे। मैंने यह कहा है। इसलिए मैंने यह कहते हुए शुरूआत की कि यह कांग्रेस पार्टी के लिए काफी दुख का दिन है। यह कांग्रेस पार्टी के लिए दुख का दिन इसलिए है क्योंकि उनका कांग्रेस पार्टी के साथ लंबा संबंध था। यह दुर्भाग्यपूर्ण है क्योंकि सौहार्द मिशन पर जाने वाले प्रतिनिधिमंडल के नेता के रूप में उन्होंने अपने पद का दुरूपयोग किया। *...(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त: उन्होंने पद का दुरूपयोग किया। *...(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: उन्होंने ऐसा अपने परिवार के लोगों तथा पुत्र के चचेरे भाई को लाभ पहुंचाने के लिए किया। यह सारा मामला है। इससे न ज्यादा न कम। वे इसे और बढ़ा-चढ़ा कर बताना चाहते हैं क्योंकि वे कांग्रेस पार्टी को सभी चीजों के पीछे पाते हैं।

महोदय, उदाहरण के लिए, मुझे याद है जब मैंने एक व्यक्ति जो बीजेपी के अध्यक्ष थे, को कैमरे के सामने पैसे लेते हुए देखा था तब मैंने कभी नहीं कहा कि वाजपेयी जी शामिल थे। मैंने कभी ऐसा नहीं कहा। मैंने इस पर विश्वास भी नहीं किया। उनके ऊपर अभियोग चलाया गया हो, वे जेल गए हों, उन्हें जमानत मिली हो, लेकिन हमने बीजेपी पर भी आरोप नहीं लगाए। वे इसके बारे में दुखी हो सकते हैं। हमने जांच बैठाई, लेकिन उन्होंने जांच नहीं बैठाने का चुनाव किया, इसके बदले उन्होंने टेप पर प्रश्नचिह्न लगाया। कृपया अंतर देखें कि हम किस प्रकार अपने लोगों से निबटते हैं। यह दुखद है। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: श्री कपिल सिब्बल के भाषण के अलावा कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, 26 अप्रैल के एक अन्य पत्र को मैं पढ़ना चाहूंगा। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे स्वीकार किया है। वे यह कह रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: महोदय, कृपया प्रतिवेदन के पृष्ठ 56 को पलटें। इससे पता चलता है कि जनवरी 22 की बैठक में कौन-कौन उपस्थित थे। यह इसलिए कि 30 जनवरी के पत्र में केवल यह कहा गया है कि श्री अंदलीब सहगल उपस्थित थे। लेकिन 26 अप्रैल का यह पत्र आपको बताएगा कि और कौन उपस्थित था। यह पृष्ठ 56 पर है। मैं केवल संबंधित हिस्से को उद्धृत कर रहा हूं इसमें कहा गया है:

> "मैं यह पत्र अपने पुत्र श्री जगत सिंह के साथ भेज रहा हूं जो कांग्रेस पार्टी के युवा स्कंध के महासचिव हैं। वे तथा श्री अंदलीब सहगल मेरे साथ थे जब मैं आपसे तीन माह पूर्व मिला था।"

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

तीन व्यक्ति शामिल थे। दूसरे शब्दों में, यह बातचीत 'सोमो' के साथ, 'सोमो' के साथ यह सौदा, तेल का यह राजनीतिक आबंटन की केवल तीन व्यक्तियों अर्थात् श्री नटवर सिंह, श्री जगत सिंह तथा श्री अंदलीब सहगल को जानकारी थी। इसलिए, पाठक प्राधिकरण यह कहता है कि इस राजनीतिक आवंटन में और किसी का शामिल होना प्रतीत नहीं होता है और कोई साक्ष्य नहीं दिया गया है। आखिरकार, हमारे पास न्यायाधीश तथा प्राधिकरण किसलिए हैं हम उनमें विश्वास क्यों करते हैं? यह इसलिए कि यदि हम संसद सदस्यों पर इसे छोड़ दें, ...*

अध्यक्ष महोदय: नहीं। मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से हटा दिया है।

श्री कपिल सिब्बल: मुझे दुख है। मैंने इसे पुन: शामिल कर लिया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने इसे वापस ले लिया है। इसे छोड़ दें। मैंने इसे कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया है। फिर आप इसे क्यों उठा रहे हैं? कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

...(व्यवधान)

श्री कपिल सिब्बल: मैं केवल यह कह रहा था कि हमें न्यायाधीशों में इसलिए विश्वास है क्योंकि उनके पास बहुत अनुभव होता है।

अध्यक्ष महोदय: कभी-कभी सभी तरफ से आत्म निरीक्षण होना चाहिए। दूसरों के ऊपर कीचड़ उछालना बहुत आसान है। इस बात पर आत्मनिरीक्षण होना चाहिए कि इस सभा में क्या कर रहे हैं।

श्री कपिल सिब्बल: मूलरूप से, उन्हें अत्यधिक अनुभव है। वे इंटरनेशनल कोर्ट आफ जस्टिस में न्यायाधीश तथा भारत के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। उन्हें तथ्यों को छुपाने, उनका विश्लेषण करने तथा निष्कर्ष पर पहुंचने का प्रशिक्षण प्राप्त है। इसलिए हम इन प्राधिकरणों पर विश्वास करते हैं। अन्यथा इसमें से कोई इस काम को कर सकता है। लेकिन यह उद्देश्य नहीं है। उद्देश्य जांच की जिम्मेदारी का भार एक न्यायिक प्राधिकरण को देना है जो अपना न्यायिक मस्तिष्क लगा सकें तथा निष्कर्ष पर पहुंच सकें। आप निष्कर्ष से सहमत हों या न हों। वह एक अलग मुद्दा है और इसलिए हम यहां बहस कर रहे हैं। इसलिए मैं यह रिकार्ड से कह रहा हूं कि इस बार विश्वास करने का कोई कारण नहीं है कि कांग्रेस पार्टी का कोई सदस्य जो सरकारी शिष्टमंडल में शामिल थे, उनमें से श्री नटवर सिंह को छोड़कर कोई भी इन लेन-देन में शामिल नहीं था और यही पाठक प्राधिकरण ने पाया है।

*अध्यक्षपीठ के आदेशानुसार कार्यवाही-वृत्तांत से निकाल दिया गया।

यहां एक समस्या और पैदा हो गई। वह समस्या क्या थी? जब तीसरा ठेका लिया गया था, यथा, एम/10/57, जब 21 अगस्त को आबंटन किया गया, तो आबंटन प्रलेखन पूरा होने के बाद किया गया। तब 'सोमो' के कार्यकारी निदेशक ने प्रभारी मंत्री, अर्थात्, तेल मंत्री श्री अमीर रशीद को लिखा ऐसा वे कहते हैं। इसलिए कांग्रेस पार्टी का नाम इस विवाद में घसीटा जा रहा है। पृष्ठ सं. 67 पर उन्होंने पूछा: "यह बताया जाना बाकी है कि 21 अगस्त को "सोमो" के कार्यकारी निदेशक ने इराकी तेल मंत्री को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाभ के लिए ठेका एम/01/57 के अंतर्गत एक मिलियन बैरल किरकुट तेल का अनुमोदन मांगने के लिए लिखा।"

अब पाठक प्राधिकरण एक प्रश्न पूछता है। यहां पर कांग्रेस पार्टी के नाम का उल्लेख क्यों किया गया: तब पाठक प्राधिकरण यह कहता है कि रिकार्ड में कोई दस्तावेज नहीं है जो यह दर्शाता हो कि कांग्रेस इसमें शामिल है। यह दर्शाने के लिए कुछ नहीं है कि कांग्रेस पार्टी अथवा इसका कोई प्रतिनिधि 22 जनवरी की बैठक में उपस्थित था। श्री अंदलीब सहगल का कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है। श्री आदित्य खन्ना का कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है। श्री असद खान का कांग्रेस पार्टी से संबंध नहीं है। श्री जमील सैदी कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं। ...*(व्यवधान)* वह थे। मैं स्वयं यह कह रहा हूं। परंतु वह कांग्रेस पार्टी के सदस्य नहीं हैं। अत: ये व्यक्ति ये सारे कार्य कर रहे थे। उन्होंने कंपनियां स्थापित की हैं। कांग्रेस पार्टी इनमें से किसी भी कंपनी में शेयर होल्डर नहीं है। अत:, न्यायमूर्ति पाठक कहते हैं कि स्पष्ट रूप से इराकी प्राधिकारी यह माने हुए थे कि जब तक आपको श्री नटवर सिंह हेतु सिफारिश पत्र मिलता है तब तक आबंटन किया जाना चाहिए। अत:, स्पष्ट रूप से दस्तावेज अर्थात् 21 अगस्त के पत्र में जहां पर कांग्रेस पार्टी का उल्लेख है वहां पर भी यह आबंटन श्री नटवर सिंह के कहने पर किया गया था और कांग्रेस पार्टी का इस बैठक से कोई संबंध नहीं है।

पैराग्राफ 15.9 में, पाठक प्राधिकरण यही कहता है: "यह पता नहीं है कि इस पत्र में भारतीय कांग्रेस पार्टी के नाम का उल्लेख कैसे किया गया और ठीक इसी प्रकार, तथापि, जो ऐसा कारण प्रतीत होता है कि श्री नटवर सिंह और श्री जगत सिंह ने अपने आपको इस प्रकार प्रस्तुत किया जिससे इराकी प्राधिकारियों ने यह धारणा बना ली कि श्री नटवर सिंह और श्री जगत सिंह कांग्रेस पार्टी के प्रतिनिधि हैं।"

पाठक प्राधिकरण के पास श्री नटवर सिंह और श्री जगत सिंह को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से लिंक वाले तथ्य के अलावा अपनी रिपोर्ट में वर्णित लेन-देनों से कांग्रेस को जोड़ने का बिल्कुल भी कोई प्रमाण नहीं है। कांग्रेस पार्टी को उक्त लेन-देनों से जोड़ने

का तनिक भी प्रमाण नहीं है। अपने समक्ष मौजूद सभी दस्तावेजों और सामग्रियों की जांच के बाद जांच प्राधिकरण का विश्वास है कि कांग्रेस पार्टी को किसी गलत कार्य का जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता है। मैं इस सभा से पूछता हूं: क्या कोई व्यक्ति इस निष्कर्ष से असहमत है? कोई व्यक्ति इससे कैसे असहमत हो सकता है? इसलिए, यह बात बिल्कुल स्पष्ट है कि कांग्रेस पार्टी इसमें लिप्त नहीं है।

श्री नटवर सिंह कह सकते थे कि कांग्रेस पार्टी इसमें लिप्त नहीं है। वह ऐसा नहीं कहते हैं। किस व्यक्ति को तथ्यों की पूरी जानकारी है? वह व्यक्ति श्री नटवर सिंह हैं। ...*(व्यवधान)* उन्होंने शपथ-पत्र दिया था। ...*(व्यवधान)* तीन व्यक्तियों को तथ्यों की जानकारी है। ये तीन व्यक्ति श्री नटवर सिंह, श्री जगत सिंह और श्री अंदलीब सहगल हैं। इनमें से कोई कांग्रेस पार्टी की बात नहीं करता है। केवल ये तीन व्यक्ति हैं। इस परिदृश्य में चौथा व्यक्ति नहीं है। ...*(व्यवधान)* श्री जमील सैदी कभी 22 जनवरी की बैठक में नहीं गए। सभी शब्द श्री अंदलीब सहगल के लिए लिखे गए थे। इसलिए जो स्वयं लेनदेन में शामिल हैं वे कांग्रेस पार्टी का नाम नहीं लेते हैं। जो लेन-देन से अलग हैं, वे कांग्रेस का नाम लें अथवा नहीं, वह अप्रासंगिक है। राजनीतिक दल अपने उद्देश्यों के कारण कांग्रेस पार्टी का नाम ले सकते हैं। परन्तु हम तथ्यों का पता लगाने के उद्देश्य से इस सभा द्वारा गठित प्राधिकरण की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं।

अब, कोई व्यक्ति यह कह सकता है अथवा तर्क दे सकता है कि प्रतिनिधिमंडल के नेता श्री नटवर सिंह थे तो स्पष्ट रूप से कांग्रेस पार्टी इसमें लिप्त थी। परंतु देखिए कि श्री नटवर सिंह ने न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण से क्या कहा। जब उन्हें 30 जनवरी का पत्र दिखाया गया था, उन्होंने क्या कहा? पहले उन्होंने कहा: "नहीं, मेरे द्वारा कोई पत्र नहीं लिखा गया था।" उसके बाद उन्हें हस्ताक्षर दिखाए गए। तब उन्होंने कहा: "हस्ताक्षर फर्जी हैं।" तब उन्होंने कहा "नहीं, ये हस्ताक्षर मेरे हैं। परन्तु पत्र की विषय वस्तु मेरे द्वारा नहीं लिखी गई है।" अब, हम क्या करें? जो व्यक्ति सभी तथ्यों को जानता है वह तथ्यों को हमें नहीं बताता है। मौजूदा तथ्यों के संबंध में उन्होंने प्रत्येक पत्र में परस्पर विरोधी बातें कही थीं। न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण के समक्ष उन्होंने कहा कि अंदलीब सहगल उनका चचेरा भाई नहीं है। परंतु दुर्भाग्य से तथ्यों की सच्चाई उनसे छुप नहीं रही है। इसीलिए, हमें रिपोर्ट को स्वीकार करना चाहिए।

मैं अन्य पहलू पर आता हूं। मनी ट्रैल का क्या हुआ? जहां तक श्री नटवर सिंह की संविदा, अर्थात् एम/7/54 का संबंध है तो धनराशि आईएनडीआरयूएस खाते में गई थी। मैं आपको पहले ही दर्शा चुका हूं कि धनराशि अंततः कहां गई। जहां तक दूसरी संविदा का संबंध है तो क्या आप जानते हैं कि संविदा पर वास्तव में किसने हस्ताक्षर किए? मैं पृष्ठ सं. 67 पढ़ रहा हूं। दूसरी संविदा पर किसने हस्ताक्षर किए? यह पैरा 15.7 पर है। संविदा सं. एम/10/57 दिनांक 21 अगस्त को एक मिलियन बैरल किरकुट तेल के लिए की गई थी तथा इस संविदा पर हस्ताक्षर मेसफील्ड एजी की ओर से श्री सहगल द्वारा किए गए थे। ये हस्ताक्षर कांग्रेस पार्टी की ओर से नहीं किए गए थे। संविदा पर हस्ताक्षर श्री अंदलीब सहगल द्वारा किए गए थे। श्री अंदलीब सहगल का कांग्रेस पार्टी से कोई लेना-देना नहीं है। अतः, कोई व्यक्ति यह कैसे कह सकता है कि इस संविदा से कांग्रेस पार्टी को लाभ हुआ था? न्यायमूर्ति पाठक जांच प्राधिकरण का यही निष्कर्ष है। यह स्वयं मेरा कहना नहीं है। अब, धनराशि कहां गई? इस संविदा के अंतर्गत कितनी धनराशि आई? इस संविदा के अंतर्गत आई धनराशि 50,000 डालर थी। यह धनराशि कहां गई? इस धनराशि का एक हिस्सा श्री अंदलीब सहगल और दूसरा हिस्सा श्री आदित्य खन्ना के पास गया। अतः संविदा पर हस्ताक्षर श्री अंदलीब सहगल द्वारा किए गए थे और धनराशि कांग्रेस पार्टी द्वारा नहीं बल्कि आदित्य खन्ना और अंदलीब सहगल द्वारा प्राप्त की गई थी। यह बात जांच प्राधिकरण द्वारा सिद्ध की जा चुकी है। यह मैं नहीं कह रहा हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इस पर ध्यान मत दीजिए। कुछ भी कार्यवाही-वृत्तांत सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

...*(व्यवधान)**

श्री कपिल सिब्बल: मुझे उन कोषाध्यक्षों की जानकारी है जिन्होंने धनराशि प्राप्त की और रसीद नहीं दी। हमें उन कोषाध्यक्षों की भी जानकारी है। हम सब उन कोषाध्यक्षों को जानते हैं। उन्हें परसों जमानत मिली थी। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: कृपया अध्यक्षपीठ को संबोधित कीजिए।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: मैं संबोधित कर रहा हूं। मैं केवल एक तथ्य की बात कर रहा हूं, जिसके बारे में हम सब जानते हैं। हां, हम उन कोषाध्यक्षों को भी जानते हैं। अब मामले की सच्चाई यह है कि कांग्रेस पार्टी के नेताओं की जांच की गई। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस के नेताओं की जांच नहीं की गई थी। यदि आप न्यायमूर्ति पाठक प्राधिकरण पर नजर डालें तो कांग्रेस के नेताओं को बुलाया गया, कांग्रेस के कोषाध्यक्ष को गवाह के तौर पर बुलाया गया। कृपया पृष्ठ सं. 12 देखिए, और आप सभी नाम

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री कपिल सिब्बल]

पाएंगे। प्रतिनिधिमंडल में सम्मिलित सभी व्यक्तियों की जांच की गई थी। श्री पी. शिवशंकर को बुलाया गया था, श्री ए.आर. अंतुले को बुलाया गया था, श्री रणदीप सुर्जेवाला को बुलाया गया था, जिन्होंने कथित रूप से उस पत्र को लिखा था और श्री मोतीलाल वोरा को दिनांक 1 जून, 2006 को बुलाया गया था कांग्रेस पार्टी को आने और स्पष्टीकरण देने का नोटिस दिया गया था। न तो किसी भी शपथ-पत्र में न ही किसी दस्तावेज में कांग्रेस पार्टी के नाम का उल्लेख है। इस प्रकार, इसका स्वाभाविक और उचित अर्थ यही निकलता है कि न तो पैसे के लेन-देन में जो तीसरे ठेके के अंतर्गत अंदालीब सहगल और आदित्य खन्ना को मिली, न ही ठेके पर हस्ताक्षर में और न ही श्री नटवर सिंह और उनके पुत्र के अलावा किसी अन्य कांग्रेसी की संलिप्तता न्यायमूर्ति पाठक प्राधिकरण द्वारा सिद्ध की गई है। इसीलिए, पाठक प्राधिकरण कहता है कि धन कमाने की इस योजना विशेष का षडयन्त्र नवम्बर-दिसम्बर, 2000 में किसी समय ये सब एकत्र हुए परिणामस्वरूप श्री नटवर सिंह द्वारा स्वयं तीन पत्र लिखे गए अर्थात् 30 जनवरी, 26 अप्रैल और 16 अगस्त जिन्हें या तो अंदालीब सहगल या फिर उनके पुत्र को राजनैतिक आबंटन हेतु इराकी तेल मंत्री के लाभ के लिए सौंपा गया। इस मामले में अन्य लाभार्थी मेसफील्ड, विटोल, हमदान एक्सपोर्ट, हमदान एक्सपोर्ट लिमिटेड और इंड्रस का कांग्रेस से कोई संबंध नहीं है। इस प्रकार न तो कोई कम्पनी, न कोई लाभार्थी, न प्राप्तकर्त्ता और न ही कोई कांग्रेसी इसमें लिप्त था।

अब प्रश्न यह है कि इंड्रस के पास 32,000 अमेरिकन डालर की जांच नहीं की गई है। कोबोर्ग के लन्दन स्थित खाते में भी 46,000 अमेरिकन डालर है। अब हमें इसका पता लगाना होगा और मुझे विश्वास है कि माननीय वित्त मंत्री आवश्यक कार्यकारी करेंगे। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: आप उसको उत्तर दे रहे हैं।

...*(व्यवधान)*

श्री कपिल सिब्बल: प्राधिकरण ने यह पाया है, जैसा कि मैंने बताया है कि अपने हस्तक्षेप की सम्पूर्ण प्रक्रिया के दौरान मैंने प्राधिकरण के निष्कर्षों से परे किसी भी तथ्य का उल्लेख नहीं किया है।

अब इस पहलू की जांच की जाने की आवश्यकता है कि 32,000 अमेरिकन डालर का, 46,000 अमेरिकन डालर जो कोबोर्ग धनराशि है, का लाभार्थी कौन है। अब इसकी जांच की जायेगी और मुझे भरोसा है कि इसकी जांच हो रही होगी। एक बार इसकी छानबीन हो जाए इसे भी समुचित अवसर पर जनता के सामने पेश किया जायेगा। इसलिए इस स्तर पर क्यों कोई भी व्यक्ति समाचार-पत्रों में कुछ मुख्य समाचार बनने के लिए आरोप लगाये? यह दुर्भाग्यपूर्ण है। हमने इस प्रकार के आरोप किसी के विरुद्ध नहीं लगाए हैं।

वास्तव में, मैं अपनी पार्टी की नेता श्रीमती सोनिया गांधी जिन्होंने श्री नटवर सिंह के साथ पुरानी मैत्री होने के बावजूद इससे ऊपर उठते हुए जांच के लिए आदेश देने और यह कहने कि जो भी दोषी होगा उसे दण्ड दिया जायेगा, इसके लिए बधाई देना चाहता हूं। उन्होंने इस प्रकार की नैतिकता और ऐसे नैतिक मानदण्ड पहले भी स्थापित किए हैं। यह दर्शाता है कि पार्टी के नेता मित्रता से, ओछी राजनीति से ऊपर उठ सकते हैं और सही कार्यवाही कर सकते हैं और वास्तव में यही हुआ है। मैं भारत के माननीय प्रधानमंत्री को भी बधाई देना चाहता हूं जिन्होंने शीघ्रातिशीघ्र यह जांच करवाई। अक्टूबर के अंत में इस बारे में पता चला और 7 नवम्बर को जांच आयोग बैठा दिया गया। ...*(व्यवधान)* उन्होंने उन्हें पदमुक्त रखा। यह कांग्रेस पार्टी का स्तर दर्शाता है कि जब यह अपने ही नेताओं के विरुद्ध जो किसी भी प्रकार के विवाद में लिप्त हो उनके साथ कैसा व्यवहार करती है।

फेबर की प्रसिद्ध कहावत है: "सही तो सही है क्योंकि भगवान सत्य की ओर है। इसकी विजय होनी चाहिए इस पर संदेह करना अनिष्ठा है और इसमें कमी निकालना पाप है।"

कृपया विचलित नहीं होइए। पाठक प्राधिकरण ने सही कार्य किया है। रिपोर्ट को स्वीकार कीजिए। एक ऐसे मुद्दे पर राजनीतिक लाभ उठाने का प्रयास मत करें जो सम्पूर्ण देश की राजनीति को प्रभावित करता हो। हमें अपने तुच्छ हितों से ऊपर उठकर जनता के व्यापक हित के बारे में सोचना चाहिए जिसके लिए हम यहां हैं। इसलिए, मैं यह रिपोर्ट सभा को सौंपता हूं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम (कलकत्ता-उत्तर पूर्व): महोदय, इस समय थोड़ा सा शान्तिपूर्ण वातावरण बना है वरना जिस तरह से जस्टिक पाठक रिपोर्ट और उस पर एक्शन टेकन रिपोर्ट को लेकर पर्सनल चार्जेज और काउण्टर चार्जेज लग रहे थे, उससे मुझे ऐसा लग रहा था कि हमारे देश में इसके अतिरिक्त दूसरी कोई समस्या ही नहीं है। वोल्कर रिपोर्ट को लेकर हमने विन्टर सेशन में चर्चा की और सरकार ने जांच अथारिटी बनाई और आज हम यह देख रहे हैं कि किस तरह से हम पूरे मुद्दे से हट करके इसको एक नैरो कंसिडरेशन में ले जाते हैं। इराक में अगस्त, 1990 में जो यूएन सैंक्शन लगी हम उसे भूल गए, आयल फार फूड का जो प्रोग्राम था उसे हम भूल गए। हमने उस वक्त भी कहा था और आज

भी कह रहे हैं कि हमने सरकार से यह मांग की थी कि जब आप जांच आयोग बना रहे हैं, तो जो इंडियन एण्टिटीज इसमें शामिल हैं, उनकी जांच कीजिए। लेकिन हमें अफसोस है कि मंत्री महोदय के आश्वासन के बाद भी जब जांच आयोग के टर्म्स आफ रेफरेंस दिये गये तो उनमें सिर्फ नान-कॉट्रैक्चुअल बेनिफिशरीज के बारे में, केवल दो इंट्रीज-एम/09/54 और एम/10/57 के बारे में मेंशन किया गया, जबकि अगर जस्टिस पाठक रिपोर्ट में पेज नं. 2 देखिए, तो ऊपर वाली लाइन में टेबल 3 का मेंशन है। यह टेबल 60 पेज की है और मेरे पास पूरी टेबल हैं। इसमें जो एन्ट्रीज 57 और 54 हैं, उनके बारे में हम यह देखते हैं कि जस्टिस पाठक भी पेज दो में कहते हैं कि

[अनुवाद

"इनमें से, सारणी-3 के शीर्ष "गैर-संविदात्मक लाभार्थी द्वारा तेल बिक्री का सार" के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टियां शामिल हैं"।

[हिन्दी]

जबकि चार एंट्रीज हैं, सरकार ने दो एन्ट्रीज के बारे में कहा है और जस्टिस पाठक रिपोर्ट में टेबल 3 की जो पेज नं. 25 उसमें इंडिया कांग्रेस पार्टी और एंट्री एम/10/57 का मेंशन है। पेज नं. 50 में जो नटवर सिंह जी, जिनके बारे में एम/09/54, जिसे टर्म्स आफ रेफरेंस में भी दिया गया है। यहां तक कि एम/09/54, जो टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं है जिसमें लेन देन नहीं हुआ है, लेकिन पेज नं. 2 में उसे टेबल से निलाकर जस्टिस पाठक उसका उल्लेख थ्री एन्ट्रीज कर रहे हैं। मंत्री महोदय, सरकार और जस्टिस पाठक भी पेज 40 से पेज 60 पर चले गए, लेकिन पेज नं. 50 पर नहीं गए। टेबल 3 के पेज 50 में एम/09/35, एम/10/57 और एमय11/25 का जिक्र है जो रिलायंस पेट्रोलियम लिमिटेड से संबंधित है। हमारी परेशानी नटवर सिंह को लेकर नहीं है, न कांग्रेस पार्टी को लेकर है।हमने चाहा था कि टर्म्स आफ रेफरेंस में जो भी इंडियन एंटिटीज हैं, उनकी इन्क्वायरी हो। मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया था, लेकिन जस्टिस पाठक की रिपोर्ट में केवल दो एंटिटीज की बात कही गई है, जबकि जस्टिस पाठक ने एम-120 के बारे में भी इस रिपोर्ट में कहा है, जो टर्म्स आफ रेफरेंस में नहीं था,

[अनुवाद]

क्योंकि यह उस व्यक्ति से संबंधित है।

श्री पी. चिदम्बरम: आपको इसे उसे जोड़ना होगा।

मोहम्मद सलीम: जी, हां। किन्तु मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं।

[हिन्दी]

जब टेबल थ्री को स्कैन करते हैं, तो हमें कोई मंत्री या जज बनने की जरूरत नहीं होती है। उसमें ये एंट्रीज हैं। ये कहते हैं कि 15.78 मिलियन बैरल तेल इस कम्पनी ने उठाया। जितनी बात यहां हो रही है, सेंट की, डालर्स की या मिलियन, बिलियन, लैक्स और थाउजेंड्स की, अगर हम समझते हैं कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, गलती हुई है, तो यह हमारे देश के लिए धब्बा है, इसे देखना चाहिए। हम सरकार से इस बात का आश्वासन चाहते हैं कि तमाम एंटिटीज के बारे में जो मैंने कहा है कि एम-35, एम-935, एम-1017, 1125, इन सबकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अफसोस है कि यह मामला उठाने का काम विपक्ष को करना पड़ रहा है, जबकि इसमें इतनी डिटेल से दिया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी उस वक्त से लेकर आज तक खामोश रही, वह इस एंटिटीज के बारे में नहीं कहती, शायद किसी कम्पनी के ब्रांड के कारण ऐसा हो सकता है। मैं समझता हूं कि अगर गलती हुई है तो हमें सजा सुनानी चाहिए और वह सबके लिए समान होनी चाहिए। *...(व्यवधान)* हिम्मत नहीं है। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न किया जाए।

*...(व्यवधान)**

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: यह पकड़ने वाली बात कह रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय: आप यह कहेंगे तो ठीक है, लेकिन बीच में कोई दूसरा नहीं बोलेगा।

मोहम्मद सलीम: मैं ज्यादा बात नहीं कहूंगा।

अध्यक्ष महोदय: सभी अच्छा बोलते हैं, आप भी अच्छा बोलते हैं।

मोहम्मद सलीम: ऐसा लगता है कि हमारे पास किसानों की समस्या पर कहने के लिए समय नहीं है। हमारे पास महंगाई पर बात करने के लिए जगह नहीं है, लेकिन इस मामले को इस तरह से लिया जा रहा है कि जैसे यही सबसे बड़ा इश्यू है। हमने शुरू में कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए और सरकार ने जांच करने की हिम्मत दिखाई। इस बात के लिए हम सरकार को बधाई

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[मोहम्मद सलीम]

देते हैं कि उसने जांच करने की हिम्मत दिखाई और उसकी रिपोर्ट यहां रखी, वह भी एटीआर के साथ रखी। अक्सर हम संसद में, जब मैं राज्य सभा में था, तब भी, यह कहते रहते थे, सरकार को खींचना पड़ता था कि हमें रिपोर्ट दो, हमें रिपोर्ट दो, लेकिन सरकार ने इतनी शीघ्रता दिखाई कि रिपोर्ट के साथ एटीआर के बारे में भी बता दिया।

हमारे संसदीय कार्य मंत्री जी ने रोष में आकर कहा था, जब मेनका गांधी जी बोल रही थीं, शायद उन्होंने कोई लांछन लगाया था उनके दल पर या नेता पर और कहा था कि हम भी आपके उस समय के मंत्री राम नाईक के बारे में कह सकते हैं। मुझे यह डर लग रहा है कि कहीं दोनों तरफ से कोई ऐसा क्विड-प्रो-को तो नहीं हुआ है, इसीलिए मैं रिलायंस की बात कर रहा हूं।

[अनुवाद]

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: अध्यक्ष महोदय, मेरा वक्तव्य रिकार्ड में है। इसमें कोई प्रतिकार नहीं है, इस पक्ष और उस पक्ष में कोई मेल-मिलाप नहीं है। मैंने संदर्भ केवल इसलिए दिया क्योंकि यहां राम नाईक का वक्तव्य था।

अध्यक्ष महोदय: किन्तु सभा को चलाने के लिए आपसी समझ होनी चाहिए।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: मैं सब कार्ड टेबल पर रखकर खेलता हूं। मंत्री जी यह कहेंगे और मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी इसलिए मैंने यह कार्ड निकालकर रखा।

श्री प्रियरंजन दासमुंशी: कार्ड तो तभी निकाल कर खेलते हैं, लेकिन ढंग से कोई-कोई खेलता है।

मोहम्मद सलीम: आप भी खेलेंगे, वह भी खेलेंगे, हम भी खेलेंगे, मैं तो साफ बात कहना चाहता हूं। मैं इसलिए कह रहा हूं कि जो हमारे एम्बैसडर इराक में थे, मैं उनको कोट नहीं कर रहा हूं, इस रिपोर्ट में आया है। उन्होंने कहा कि यह कंफ्यूजन हो रहा है। उस समय इराक में सरकार और राजनीतिक दलों की स्थिति में फर्क नहीं था। उन्होंने समझा कि यह सरकारी डेलीगेशन है। उस वक्त सरकार सो रही थी, उस समय एनडीए की सरकार थी। उस वक्त अम्मान या बगदाद कोई जाता था, तो हमारे एम्बैसडर एम.ई.ए. में रिपोर्ट करते थे, जो भी डेलीगेशन जाता था। हम क्यों इंतजार कर रहे थे, क्या हम वोल्कर की रिपोर्ट आएगी, यू.एन. की जांच कमेटी बनेगी और फिर आयोग बनेगा, उसकी इंतजार में थे। आज जो लोग यह कह रहे हैं कि यह कैसे हुआ, कैसे नहीं हुआ, उस वक्त अगर हम उस रिपोर्ट के आधार पर देखते हैं, तो लगता है कि एनडीए सरकार सो रही थी। आज भी मैं कह रहा हूं कि राम नाईक जी के नेतृत्व में डेलीगेशन को भेजा गया था, क्योंकि मेनका जी बार-बार कह रही थीं कि गुडविल डेलीगेशन था, वह वहां के आयल मिनिस्टर को मिला था। क्यों एनडीए सरकार ने उसे आयल मिनिस्टर के पास भेजा और क्या उसके साथ कोई प्राइवेट कम्पनी भी गई थी, हमें यह मालूम होना चाहिए, जिस करण से आज नटवर सिंह जी दोषी हैं और उस वक्त मंत्री न होते हुए भी, सांसद न होते हुए भी कांग्रेस के डेलीगेशन में गए थे, लेकिन उससे ज्यादा तो यह है कि वह उस समय मंत्री थे।

[अनुवाद]

श्री बृज किशोर त्रिपाठी (पुरी): इसका खुलासा होने दीजिए। *...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय: इसको कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया जा रहा है।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: उन्होंने बात पूरी नहीं की है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: माननीय सदस्य, कृपया अध्यक्षपीठ की ओर देखें। अन्य माननीय सदस्यों की ओर न देखें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय: इसे कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित न करें।

*...(व्यवधान)**

अध्यक्ष महोदय: यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सलीम जी आप उनको उत्तर क्यों दे रहे हैं? उनको जवाब न दें।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: इनकी यह आदत है। अगर उनके नाम में आपत्ति है। *...(व्यवधान)*

---

*कार्यवाही-वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: आप नाम नहीं ले सकते। श्री सलीम, आप यह अच्छी तरह जानते हैं।

मोहम्मद सलीम: महोदय, हम चाहते हैं कि समुचित जांच की जाए और राष्ट्र को पता चले कि तत्कालीन माननीय पेट्रोलियम मंत्री वहां बगदाद में क्या कर रहे थे और उनके साथ कौन-कौन थे। लाभार्थी कौन-कौन थे और 15.78 मिलियन बैरल के इस तेल कारोबार में खर्च किए गए धन का अंतिम रूप से क्या उपयोग किया गया।

[हिन्दी]

यह हमें मालूम होना चाहिए। बीजेपी के नेता भी कहते हैं कि हकीकत मालूम होनी चाहिए तो हमें भी हकीकत मालूम होनी चाहिए।

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर): कौन मना करता है?

अध्यक्ष महोदय: आप आपस में क्यों बात करते हैं।

[अनुवदा]

यह वाद-विवाद का तरीका नहीं है। कृपया अब अपनी बात समाप्त करें।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: हमारी पार्टी को पहले भी समझ थी और आज भी है। श्री नटवर सिंह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधिमंडल के सदस्य के रूप में गए थे। स्पष्ट रूप से, यह कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है और कांग्रेस पार्टी उसके लिए जो-जो कदम उठाती है उसके लिए वह आजाद है। इस मामले में न तो संसद की और न हमारी सरकार की बहुत ज्यादा जवाबदेही थी। उसके बावजूद सरकारी तौर पर जांच आयोग बनाया। लेकिन हम आज भी कहते हैं कि अगर हम अपनी पार्टी का डेलीगेशन भेजते हैं तो उसकी जिम्मेदारी, गलत हुआ या सही हुआ, हमारी पार्टी की होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हम पूरे जंगल को ढा रहे हैं और पेड़ को ढूंढ़ रहे हैं। यह आयल फार फूड की स्कीम क्यों आई? यह इसलिए आई कि वहां लोगों को परेशानी थी। इस सैंक्शन्स का यूएसए और उसके एलाइज ने इराक को डिस्प्लेस करने के लिए इस्तेमाल किया और इराक बर्बाद हो गया। छह दिन तक सैंक्शन्स लगाई गयीं। छह दिन मैंने इसलिए कहा कि आज इजराइल लेबनान में दाखिल हो गया लेकिन महीना भर के लिए सैंक्शन्स नहीं लगा। छह रोज के लिए अगस्त 1990 में कुवैत में दाखिला होने के बाद वहां सैंक्शन्स लगायी गयीं और उन सैंक्शन्स का इस्तेमाल एक पालिटिकल इन्स्ट्रूमेंट की हैसियत से किया गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: हम पाठक समिति की रिपोर्ट पर चर्चा कर रहे हैं।

[हिन्दी]

मोहम्मद सलीम: उस हालात में वहां के लोगों को बचाने के लिए, उनके इलाज के लिए, दवा के लिए, फूड के लिए केवल यही प्रोग्राम था। इसलिए हमारी पार्टी का साफ कहना है कि ये लोग जो कहते हैं कि मिसयूज हुआ, वह गलत बात है। ऐसी स्थिति में तीसरी दुनिया के मुल्कों को बड़ी परेशानियां आयेंगी। इसलिए ऐसी स्थिति को इस्तेमाल करके, वह मुल्क, अपनी जनता को दवा पहुंचाए, फूड पहुंचाए, तो गलत नहीं है। वोल्कर कमेटी की रिपोर्ट को, दुनिया कहीं भी गंभीरता से नहीं लिया गया, केवल हमारे देश में लिया गया। हमें आशंका है कि हम हकीकत को भूलकर अपने देश की राजनीति और कूटनीति को उसी जगह ले जा रहे हैं जहां अमरीकन इंट्रेस्ट सर्व होता है और उस देश के गरीब लोगों का इंट्रेस्ट सर्व नहीं किया जाता है। इसलिए हमने शुरू में कहा है कि इस टेबल में इतनी एंट्रीज हैं, उसमें जर्नलिस्ट भी हैं, अखबार भी हैं, लेकिन दुनिया में किसी मुल्क ने इसको गंभीरता से नहीं लिया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय: यह चर्चा कल जारी रहेगी।

विशेष उल्लेख के मामलों को सभा पटल पर रखा जा सकता है।

[अनुवाद]

***श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश** (कनकापुरा): मैं भारत सरकार के नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध करती हूं कि वह जनमानस की सेवा की खातिर अपनी हजारों एकड़ की मूल्यवान कृषि भूमि गंवाने वाले देवनहल्ली क्षेत्र के किसानों के सम्मान में बंगलौर के निकट देवनहल्ली में बनने वाले "अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन" का नाम "केम्पेगौड़ा-बंगलौर अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन" रखें।

---

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्रीमती तेजस्विनी शीरमेश]

''नाडा प्रभु'' केम्पेगौड़ा कर्नाटक की राजधानी, वर्तमान के उद्यान शहर ''बंगलूरू'', के संस्थापक थे, जो दूरद्रष्टा थे, जिन्होंने हस्तशिल्पियों, व्यापारी वर्ग, धार्मिक लोगों, कुटीर उद्योग को समाहित करने के लिए शहर को इतने बढ़िया ढंग से विकसित किया और शहर के शीतल सुहावने वातावरण को बनाए रखने के लिए हजारों झीलों का विकास किया। उन्होंने 4 गोपुरों का भी निर्माण किया ताकि उस सीमा के बाहर शहर के विकास को रोका जा सके। वे इसके पात्र हैं कि ''विमानपत्तन और राजधानी का नाम'' उनके नाम पर रखा जाए।

मैं मंत्रालय से यह भी आग्रह करती हूं कि वह वृद्ध हज यात्रियों, जिन्हें बंगलौर से नगर विमानपत्तन तक पहुंचने के लिए 40 कि.मी. की यात्रा तय करनी पड़ती है, की सुविधा के लिए एक पृथक हज मार्ग का निर्माण करें। यदि हज मार्ग का निर्माण किया जाए, तो वे रातभर ठहर सकते हैं और खुशी-खुशी हज की उड़ान पर जा सकते हैं।

आशा है कि सरकार इस पर विचार करेगी और इसे कार्यान्वित करेगी।

अध्यक्ष महोदय: सभा कल, 23 अगस्त 2006 को पूर्वाह्न 11.00 बजे पुन: समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

सायं 7.49 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा बुधवार, 23 अगस्त, 2006/01 भाद्रपद, 1928 (शक) के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध I

तारांकित प्रश्नों की सदस्यवार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	श्री सुग्रीव सिंह श्री रामदास आठवले	361
2.	श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	362
3.	श्री एस.के. खारवेनथन श्री जी.एम. सिद्दीश्वर	363
4.	श्री भर्तृहरि महताब श्री परसुराम माझी	364
5.	श्री महेश कनोडीया श्री पी.एस. गढ़वी	365
6.	श्री अनंत कुमार श्री रघुनाथ झा	366
7.	श्री डी.वी. सदानन्द गौडा	367
8.	सुश्री इन्ग्रिड मैक्लोड श्री मोहन सिंह	368
9.	श्री टेक लाल महतो	369
10.	श्री हरिसिंह चावड़ा श्री हरिकेवल प्रसाद	370
11.	श्री तुकाराम गणपतारव रेंगे पाटील श्री काशीराम राणा	371
12.	श्री तुकाराम गंगाधर गदाख	372
13.	श्री किन्जरपु येरननयाडु श्री वी.के. दुम्मर	373
14.	श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई	374
15.	श्रीमती अर्चना नायक श्री के.सी. पल्लानी शामी	375
16.	श्री धनुषकोडी आर. अतिथन श्री बी. विनोद कुमार	376
17.	श्री अशोक कुमार रावत प्रो. महादेवराव शिवनकर	377
18.	श्री छत्तर सिंह दरबार श्री अविनाश राय खन्ना	378
19.	श्रीमती मनोरमा माधवराज श्री आनंदराव विठोबा अडसूल	379
20.	श्री के. फ्रांसिस जार्ज	380
21.	श्री प्रहलाद जोशी	381
22.	श्री रवि प्रकाश वर्मा श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव	382
23.	श्री असादूद्दीन ओवेसी	383
24.	श्री रूपचन्द मुर्मू	384
25.	श्री ए.वी. बेल्लारमिन	385
	अल्प सूचना प्रश्न सूची	
	श्री उदय सिंह श्री के. फ्रांसिस जार्ज श्री रायापति सांबासिवाराव श्री पारसनाथ यादव श्री रवि प्रकाश वर्मा	1

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य-वार अनुक्रमणिका

क्र.सं.	सदस्य का नाम	प्रश्न संख्या
1	2	3
1.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	2895, 2922, 2967, 2993
2.	अग्रवाल, डा. धीरेंद्र	2812, 2979
3.	अहीर, श्री हंसराज जी.	2797, 2814, 2848, 2912, 2999
4.	अंसारी, श्री फुरकान	2859, 2909
5.	आठवले, श्री रामदास	2809, 2986, 3011
6.	अतिथन, श्री धनुषकोडी आर.	2926, 2980
7.	बैठा, श्री कैलाश	2807, 2905

1	2	3
8.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	2852, 2862, 2878, 2990
9.	बर्मन, श्री हितेन	2811, 2910
10.	बर्मन, श्री रतेन	2799
11.	बखला, श्री जोवाकिम	2804, 2855, 2903
12.	बेल्लारमिन, श्री ए.वी.	2872, 2954, 2996
13.	भगोरा, श्री महावीर	2848
14.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	2844, 2931
15.	बिश्नोई, श्री कुलदीप	2793, 2904, 2971, 2983
16.	वरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	2802, 2901, 2976
17.	बोस, श्री सुब्रत	2903
18.	बुधौलिया, श्री राजनरायण	2964
19.	चक्रवर्ती, श्री स्वदेश	2846
20.	चक्रवर्ती, श्री अजय	2826, 2934
21.	चन्द्रप्पन, श्री सी.के.	2868, 2934
22.	चारेनामै, श्री मणि	2881, 2959
23.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	2880, 2926
24.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	2917, 2979, 3008
25.	चिन्ता मोहन, डा.	2791, 2925
26.	चौधरी, श्री बंसगोपाल	2887
27.	चौधरी, श्री पंकज	2848
28.	चौधरी, श्री अधीर	2866, 2949
29.	दरबार, श्री छत्तर सिंह	2928, 2982
30.	दासगुप्त, श्री गुरूदास	2826
31.	देवरा, श्री मिलिन्द	2816
32.	धनराजू, डा. के.	2832, 2883, 2951, 2961
33.	गद्दीगउडर, श्री पी.सी.	2833
34.	गायकवाड़, श्री एकनाथ महादेव	2891
35.	गमांग, श्री गिरिधर	2797, 2900
36.	गांधी, श्रीमती मेनका	2843
37.	गंगवार, श्री संतोष	2800, 2950, 2963
38.	गेहलोत, श्री थावरचन्द	2982
39.	जगन्नाथ, डा. एम.	2876
40.	जयाप्रदा, श्रीमती	2882
41.	झा, श्री रघुनाथ	2927
42.	जिन्दल, श्री नवीन	2791
43.	जोगी, श्री अजीत	2821, 2870
44.	जोशी, श्री प्रहलाद	2896, 2984, 3009
45.	कथीरिया, डा. वल्लभभाई	2862, 2879, 2958
46.	खैरे, श्री चंद्रकांत	2989, 2995
47.	खंडेलवाल, श्री विजय कुमार	2788
48.	खन्ना, श्री अविनाश राय	2847, 2913, 2978, 3015
49.	खारवेनथन, श्री एस.के.	2893, 2969, 3002
50.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	2792, 2898
51.	कोया, डा. पी.पी.	2834, 2921
52.	कृपलानी, श्री श्रीचन्द	2877, 2925, 2956
53.	कृष्ण, श्री विजय	2837, 2952
54.	कुन्नुर, श्री मंजुनाथ	2820
55.	कुरूप, एडवोकेट सुरेश	2818
56.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	2791, 2925
57.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	2892, 2968
58.	महतो, श्री सुनिल कुमार	2790, 2812, 3008
59.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	2964
60.	महताब, श्री भर्तृहरि	2920

1	2	3
61.	महतो, श्री टेक लाल	2924
62.	माझी, श्री परसुराम	2960
63.	माने, श्रीमती निवेदिता	2890, 2891
64.	मनोज, डा. के.एस.	2840, 2949, 2955, 3014
65.	मरन्डी, श्री सुदाम	3016
66.	मसूद, श्री रशीद	2882
67.	मैक्लोड, सुश्री इन्ग्रिड	2923
68.	मेघवाल, श्री कैलाश	2805, 2905, 2987
69.	मेहता, श्री आलोक कुमार	2832
70.	मैन्या, डा. टोकचोम	2860, 2944, 2992
71.	मिश्रा, डा. राजेश	2857
72.	मिस्त्री, श्री मधुसूदन	2862, 2869
73.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	2788, 2990
74.	मो. ताहिर, श्री	2886, 2899
75.	मोहिते, श्री सुबोध	2810, 2821, 2908, 2938
76.	मुर्मू, श्री हेमलाल	2787, 2858, 2867, 2951
77.	मुर्मू, श्री रूपचन्द	2838
78.	नाईक, श्री श्रीपाद येसो	2853
79.	नरहिरे, श्रीमती कल्पना रमेश	2925
80.	नायक, श्री अनन्त	2878, 2989
81.	नायक, श्रीमती अर्चना	2939
82.	निखिल कुमार, श्री	2866
83.	ओराम, श्री जुएल	2888
84.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	2894, 2977, 3004, 3012
85.	पल्लानी शामी, श्री के.सी.	2847, 2911, 2935, 3006
86.	पाण्डा, श्री प्रबोध	2874
87.	पाण्डेय, डा. लक्ष्मीनारायण	2853, 2984, 3009
88.	परस्ते, श्री दलपत सिंह	2823, 3858, 2999
89.	पटेल, श्री जीवाभाई ए.	2827, 2871, 2947
90.	पटेल, श्री किसनभाई वी.	2798, 2824, 2916, 2990, 2997
91.	पाठक, श्री ब्रजेश	2855, 2940, 2989
92.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	2801, 2942, 2991
93.	पटले, श्री शिशुपाल	2843, 2886
94.	पिंगले, श्री देविदास	2856
95.	प्रभु, श्री सुरेश प्रभाकर	2879, 2958
96.	प्रधान, श्री धर्मेन्द्र	2822
97.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	2790, 2915
98.	राजगोपाल, श्री एल.	2841, 2926, 2929
99.	राजेन्द्रन, श्री पी.	2858, 2943
100.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	2841, 2849, 2935
101.	राणा, श्री काशीराम	2825, 2827, 2932
102.	राव, श्री के.एस.	2845
103.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	2820
104.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	2963
105.	रवीन्द्रन, श्री पन्नियन	2851
106.	रावले, श्री मोहन	2861, 2930
107.	रावत, श्री अशोक कुमार	2886, 2903
108.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	2806, 2847, 2937, 2947, 2988
109.	रेड्डी, श्री के.जे.एस.पी.	2828, 2946, 3014
110.	रेड्डी, श्री एम. राजा मोहन	3004
111.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	2792, 2819, 2954

1	2	3
112.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	2790
113.	संगलिअना, डा. एच.टी.	2925
114.	सरडगी, श्री इकबाल अहमद	2831, 2919
115.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	2796, 2914, 2975, 3007
116.	सरोज, श्री तूफानी	2836
117.	सतीदेवी, श्रीमती पी.	2974
118.	सत्यनारायण, श्री सर्वे	2884, 2962, 3000
119.	सत्पथी, श्री तथागत	2808, 2907
120.	सिंधिया, श्री ज्योतिरादित्य माधवराव	2875, 2878, 2919
121.	सेठी, श्री अर्जुन	2835
122.	शाहीन, श्री अब्दुल रशीद	2790, 2825, 2947, 2994
123.	शैलेन्द्र कुमार, श्री	2839
124.	शिवाजीराव, श्री अधलराव पाटील	2922, 2967, 2985, 2993
125.	शिवन्ना, श्री एम.	2889, 2964
126.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	2843, 2886, 2903
127.	शुक्ला, श्रीमती करूणा	2847
128.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	2854, 3013
129.	सिंह देव, श्रीमती संगीता कुमारी	2873, 2903
130.	सिंह, श्री लक्ष्मण	2850, 2936
131.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	2829, 2933, 2953
132.	सिंह, श्री चन्द्रभान	2945
133.	सिंह, श्री दुष्यंत	2885, 2926, 2965, 3001
134.	सिंह, श्री गणेश	2813, 2981
135.	सिंह, श्री गणेश प्रसाद	2821
136.	सिंह, कुंवर मानवेन्द्र	2787
137.	सिंह, श्री प्रभुनाथ	2927
138.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	2789
139.	सिंह, श्री राकेश	2815
140.	सिंह, श्री सुग्रीव	2824, 2918, 2990, 2992, 2997
141.	सिंह, श्री उदय	2865, 2949
142.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	2909
143.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	2794, 2906, 2972, 2992
144.	सुब्बारायण, श्री के.	2877
145.	सुगावनम, श्री ई.जी.	2795, 2858, 2897, 2973, 3005
146.	सुजाता, श्रीमती सी.एस.	2842, 2930
147.	सुरेन्द्रन, श्री चेंगरा	2851, 2863, 2966
148.	ठक्कर, श्रीमती जयाबहन बी.	2803, 2902, 2970, 3003
149.	थामस, श्री पी.सी.	2951
150.	ठुम्मर, श्री वी.के.	2932
151.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	2817, 2957, 2998
152.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	2852, 2938
153.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	2862
154.	वसावा, श्री मनसुखभाई डी.	2871
155.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम.पी.	2949
156.	वर्मा, श्री भानु प्रताप सिंह	2830
157.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	2922, 2967, 2985, 3010
158.	विजयशंकर, श्री सी.एच.	2864, 2948, 2982
159.	विनोद कुम्मर, श्री बी.	2941
160.	यादव, श्री एम. अंजनकुमार	2873, 2917
161.	यादव, श्री कैलाश नाथ सिंह	2886, 2899

अनुबंध II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	385
वाणिज्य और उद्योग	:	367, 368, 370, 371, 372, 375, 380, 381
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	
गृह	:	366, 377
मानव संसाधन विकास	:	362, 376, 383
खान	:	
लघु उद्योग	:	374
वस्त्र	:	365, 373, 382
जनजातीय कार्य	:	361, 369, 384
महिला और बाल विकास	:	363, 364, 378, 379

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय-वार अनुक्रमणिका

कृषि एवं ग्रामीण उद्योग	:	2824, 2825, 2850, 2872, 2987
वाणिज्य और उद्योग	:	2791, 2799, 2800, 2811, 2813, 2819, 2828, 2831, 2840, 2841, 2842, 2845, 2849, 2852, 2856, 2871, 2875, 2876, 2878, 2879, 2884, 2885, 2904, 2906, 2908, 2910, 2913, 2918, 2919, 2924, 2935, 2937, 2944, 2947, 2948, 2958, 2962, 2964, 2966, 2973, 2978, 2979, 2980, 2983, 2998, 3005, 3008, 3013
उत्तर-पूर्व क्षेत्र विकास	:	2794, 2877, 2914
गृह	:	2792, 2802, 2805, 2808, 2820, 2821, 2823, 2834, 2839, 2843, 2846, 2851, 2857, 2860, 2864, 2866, 2868, 2869, 2870, 2874, 2881, 2886, 2887, 2895, 2896, 2897, 2898, 2905, 2912, 2921, 2925, 2927, 2928, 2931, 2941, 2951, 2956, 2957, 2967, 2968, 2969, 2971, 2981, 2982, 2986, 2992, 2997, 3000, 3004, 3006, 3015
मानव संसाधन विकास	:	2787, 2788, 2793, 2795, 2796, 2801, 2807, 2809, 2815, 2816, 2818, 2822, 2829, 2830, 2832, 2838, 2848, 2858, 2862, 2862, 2865, 2867, 2890, 2891, 2894, 2901, 2903, 2907, 2911, 2915, 2917, 2920, 2923, 2933, 2934, 2939, 2940, 2949, 2950, 2954, 2959, 2972, 2975, 2976, 2977, 2984, 2985, 2988, 2994, 2996, 3002, 3007, 3009, 3011, 3014, 3016
खान	:	2797, 2836, 2854, 2888, 2889, 2899, 2900, 2953, 2960, 2965, 2989
लघु उद्योग	:	2837, 2880, 2892, 2936, 2952, 2995
वस्त्र	:	2790, 2806, 2812, 2826, 2827, 2833, 2844, 2853, 2859, 2861, 2873, 2882, 2893, 2909, 2916, 2926, 2929, 2930, 23932, 2938, 2943, 2943, 2946, 2993, 3001, 3010
जनजातीय कार्य	:	2798, 2804, 2810, 2835, 2855, 2963, 2990, 2991
महिला और बाल विकास	:	2789, 2903, 2814, 2817, 2847, 2883, 2902, 2922, 2945, 2955, 2961, 2970, 2974, 2999, 3003.

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद-विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http:#www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का लोक सभा टी.वी. चैनल पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रात: 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद-विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली-110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

© 2006 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय

लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित और जैनको आर्ट इंडिया, नई दिल्ली द्वारा मुद्रित।